ओरिएण्टल इंश्योरेंस Oriental Insurance

पंजीकृत कार्यालय / Registered Office:
'Oriental House' A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110002
Ph.: 011-23279221, Visit us at : www.orientalinsurance.org.in
CIN-U66010DL1947GO1007158

निगम कार्यालय / Corporate Office:
ब्लॉक–4, प्लेट–ए, एनबीसीसी कार्यालय परिसर,
Block - 4, Plate-A, NBCC Office Complex,
किदवई नगर पूर्व, नई दिल्ली–110023
Kidwai Nagar East, New Delhi - 110023.

ओरिएण्टल इंश्योरेंस Oriental Insurance

वार्षिक प्रतिवेदन / Annual Report 2023-24

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2023-24



ओरिएण्टल इंश्योरेंस Oriental Insurance

vuØef.kd

निदेशक और प्रबंधन	2
निदेशक मंडल	3
नोटिस	4
सर्वोच्च प्रबंधन दल	5
अध्यक्ष का वक्तव्य	6
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	11
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	53
सर्वोच्च प्रबंधन दल का लेखा	70
,dy foRrh; fooj.k	
लेखापरीक्षको की रिपोर्ट	146
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पियाँ	183
अग्नि बीमा राजस्व लेखा	210
मरीन बीमा राजस्व लेखा	213
विविध बीमा राजस्व लेखा	214
लाभ एवं हानि लेखा	216
तुलन–पत्र	219
अनुसूचियाँ	221
लेखा नीति यां और लेखा टिप्पियाँ	252
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट	321
नकदी प्रवाह विवरण	334
fn bMfLV;y ØfMV dEiuh fyfeVM ¼lfCklfM;jh dEiuh½	
निदेशक रिपोर्ट	345
लेखापरीक्षको की रिपोट	357
लाभ एवं हानि	379
तुलन–पत्र	377
लेखा नीति यां और लेखा टिप्पियाँ	383
नकदी प्रवाह विवरण	387
lefdr foRrh; fooj.k	
लेखापरीक्षको की रिपोर्ट	397
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पियाँ	437
अग्नि, मरीन एवं विविध बीमा राजस्व लेखा	466
लाभ एवं हानि लेखा	472
तुलन–पत्र	476
अनुसूचियाँ	478
लेखा नीति यां और लेखा टिप्पियाँ	505
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट	576
नकदी प्रवाह विवरण	587

CONTENTS

Director and Management	2
Board of Director	3
Notice	4
Top Management Team	5
Chairman's Statement	6
Report of the Board of Directors	11
Sectretarial Audit Report	53
Write-ups of the Top Management Team	70
Standalone Financial Statements	
Auditor's Report	146
Comments of the Comptroller & Auditor General of india	183
Fire Insurance Revenue Account	210
Marine Insurance Revenue Account	213
Miscellaneous Insurance Revenye Account	214
Profit & loss Account	216
Balance Sheet	219
Schedules	221
Accounting Policies And Notes to Accounts	252
Management Report on Financial Statement	321
Cash Flow Statement	334
The Industrial Credit Company Limited	
(Subsidiary Company)	
Director's Report	345
Auditor's Report	357
Profit & Loss Account	379
Balance Sheet	377
Accounting Policies And Notes to Accounts	383
Cash Flow Statement	387
Consolidated Financial Statements	
Auditor's Report	397
Comments of the Comptroller & Auditor General of india	437
Fire, Marine, Miscellaneous Insurance Revenue Account	466
Profit & loss Account	472
Balance Sheet	476
Schedules	478
Accounting Policies And Notes to Accounts	505
Management Report on Financial Statement	576
Cash Flow Statement	587

funs'kd vkj ic/kd

v/;{k ,oa çc/k funs'kd
रश्मि रमण सिंह

funs'kd
अतुल कुमार गोयल
सुधीर श्याम
पी.रघुनाथन नायर
जितेन्द्र असाटी
सुनीता तुली नागपाल (31.10.2023 तक)

egkçc/kdx.k
रश्मि बाजपेयी
अरविंद कुमार सक्सेना
रेखा मोहंती
सुनीता गुप्ता
मीरा पार्थसारथी
रेखा सोलंकी
राजीव गुप्ता

foÙkh; lykgdkj
सुनीता तुली नागपाल

lhohvk ,oa egkçc/kd
अशोक कुमार गुप्ता

dEiuh lfpo
रश्मि बाजपेयी

eq[; foÙkh; vf/kdkjh
गिरीश आहूजा

mi egkçc/kd
राजीव प्रसाद
दुष्यंत कुमार बारगोटी
सत्यनारायण नंदा
सुदीप दत्ता
तरुण कांति मोहंती
संजय टंडन
शीला त्रिपाठी
राजीव पॉल निकोलस
अनीता गुप्ता
फुंटसोक पाल्डेन
वत्सल नाथ
भारती
गिरीश आहूजा
केवल सिंह बोध
संजीब एडी
देबाशीष मोहंती
संतोष चौधरी
अरुणा आनंद

y[kk ijh{kd
मेसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी
मेसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी

ith—r dk;kZy; %
ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
"ओरिएण्टल हाउस", ए–25/27 आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

fuxfer dk;kZy; %
ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
निगमित कार्यालय, ब्लॉक – 4, प्लेट –ए, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली–110023
सिन नं. : यू66010डीएल1947जीओआई007158

DIRECTORS AND MANAGEMENT

Chairman-cum-Managing Director
Rashmi Raman Singh

DIRECTORS
Atul Kumar Goel
Sudhir Shyam
P.Reghunathan Nair
Jitendra Asati
Sunita Tuli Nagpal (upto 31.10.2023)

GENERAL MANAGERS
Rashmi Bajpai
Arvind Kumar Saxena
Rekha Mohanty
Sunita Gupta
Meera Parthasarathy
Rekha Solanki
Rajiv Gupta

Financial Advisor
Sunita Tuli Nagpal

CVO & General Manager
Ashok Kumar Gupta

Company Secretary
Rashmi Bajpai

Chief Financial Officer
Girish Ahuja

Deputy General Manager
Rajeev Prasad
Dushyant Kumar Bargoti
Satyanarayan Nanda
Sudip Dutta
Tarun Kanti Mohanty
Sanjay Tandon
Sheela Tripathi
Rajeev Paul Nicholas
Anita Gupta
Phuntsok Palden
Vatsal Nath
Bharati
Girish Ahuja
Kewal Singh Bodh
Sanjib Addy
Debasish Mohanty
Santosh Chaudhary
Aruna Anand

Auditors
M/s Raj Har Gopal & Co.
M/s G.S. Mathur & Co.

Registered Office :
The Oriental Insurance Company Ltd.,
"Oriental House", A-25/27 Asaf Ali Road,
New Delhi-110002

Corporate Office :
The Oriental Insurance company limited,
Corporate Office,Block - 4, Plate-A,NBCC Office Complex, Kidwai Nagar East,
New Delhi - 110023.
CIN :U66010DL1947GOI007158

funs'kd eMy

BOARD OF DIRECTORS



vkj-vkj- flag
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
R.R SINGH
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR



ih- j?kukFkku uk;j
निदेशक
P. REGUNATHAN NAIR
DIRECTOR



vrqy dqekj xks;y
निदेशक
ATUL KUMAR GOEL
DIRECTOR



lq/khj ';ke
निदेशक
SUDHIR SHYAM
DIRECTOR



thrUnz vlkrh
निदेशक
JITENDRA ASATI
DIRECTOR



lquhrk rqyh ukxiky
निदेशक
SUNITA TULI NAGPAL
DIRECTOR

vkfj,Vy b';kjy dEiuh fyfeVM] ç/kku dk;kZy;] ubZ fnYyh

lpuk

अल्प अवधि सूचना दी जाती है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 76वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, जी4 मंजिल, प्लेट ए, ऑफिस ब्लॉक प्ट, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली–110023 में सोमवार, 23 सितंबर 2024 को दोपहर 01.30 बजे निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

lk/kkj.k 0;olk;%

1. बोर्ड की रिपोर्ट, 31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2. वर्ष 2024–25 के लिए सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

बोर्ड की आज्ञानुसार
हस्ता./–
(रश्मि बाजपेई)
कार्यकारी निदेशक एवं
कंपनी सचिव
एफसीएस: 8799

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 सितंबर 2024

fVIif.k;k%

1. उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

2. प्रॉक्सी को बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

1. यह बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई गई है।

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED, HEAD OFFICE, NEW DELHI.

NOTICE

Short Notice is hereby given that **76th Annual General Meeting** of The Oriental Insurance Company Limited will be held at the **Corporate Office** of the Company, at **G+4 Floors, Plate A, Office Block IV, NBCC Office Complex, Kidwai Nagar East, New Delhi - 110 023 on Monday, the 23rd September 2024 at 01.30 p.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Boards' Report, the Audited Annual Financial Statements for the year ended 31.3.2024 and Auditors' Report thereon.

2. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the CAG, for the year 2024-25.

By Order of the Board

Sd/
(RASHMI BAJPAI)
EXECUTIVE DIRECTOR &
COMPANY SECRETARY
FCS: 8799

PLACE: New Delhi
DATE: 18th September 2024

NOTES:

1. A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the Company.

2. The proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

1. This meeting is called at a shorter notice

funs'kd eMy

TOP MANAGEMENT TEAM



vkj-vkj- flag
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
R.R SINGH
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR



lquhrk rqyh ukxiky
महाप्रबंधक
SUNITA TULI NAGPAL
DIRECTOR



jf'e cktibZ
महाप्रबंधक
RASHMI BAJPAI
GENERAL MANAGER



feyki pan
महाप्रबंधक
MILAP CHAND
GENERAL MANAGER



vjfoan lDlsuk
महाप्रबंधक
ARVIND SAXENA
GENERAL MANAGER



js[kk ekgrh
महाप्रबंधक
REKHA MOHANTY
GENERAL MANAGER



lquhrk xqIrk
महाप्रबंधक
SUNITA GUPTA
GENERAL MANAGER



js[kk lksydh
महाप्रबंधक
REKHA SOLANKI
GENERAL MANAGER



ehjk ikFkklkjFkh
महाप्रबंधक
MEERA PARTHASARATHY
GENERAL MANAGER



v'kksd dqekj xqIrk
सीवीओ–महाप्रबंधक
ASHOK KUMAR GUPTA
CHIEF VIGILANCE OFFICER



vkj-vkj fl ¡g
v/;{k&o&çc/k fun'kd

R. R. SINGH
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

fç; 'k;j/kkjd

मैं आप सभी का आपकी कंपनी की 76वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करता हूँ।

कोविड के बाद विश्व अर्थव्यवस्था अपनी रिकवरी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि लगातार झटकों ने इसे झकझोर दिया है। उनमें से कुछ, जैसे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जो 2024 में वापस आ गए हैं। यदि वे बने रहते हैं, तो वे दुनिया भर में व्यापार प्रवाह, परिवहन लागत, आर्थिक उत्पादन और मुद्रास्फीति को प्रभावित करेंगे। भारत इससे अछूता नहीं रहेगा, लेकिन कोविड और 2022 में ऊर्जा और कमोडिटी मूल्य झटकों का सामना करने और उन्हें दूर करने के बाद, भारत उभरती हुई कठिनाईयों का सामना करने के लिए पूर्णतः आश्वस्त है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2024 और 2025 के दौरान 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जैसा कि आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024 के अनुसार, जो 2023 में था।

डब्ल्यूटीओ ने पूर्वानुमान है कि 2024 में कुल वैश्विक व्यापार की मात्रा में 2.6% की वृद्धि होगी, और 2025 में 3.3% की और वृद्धि होगी। इस वृद्धि का कारण मूल रूप से मुद्रास्फीति का

Dear Shareholders

I welcome you all to the 76th Annual General Meeting of your Company.

The world economy is struggling to maintain its recovery post-Covid because successive shocks have buffeted it. Some of them, such as supply chain disruptions, have returned in 2024. If they persist, they will impact trade flows, transportation costs, economic output and inflation worldwide. India will not be exempt from it, but having faced and seen off COVID and the energy and commodity price shocks of 2022, India is quietly confident of weathering the emerging disturbances.

The global economy was forecasted to continue growing at 3.2 percent during 2024 and 2025, at the same pace as was in 2023 as per IMF's World Economic Outlook, April 2024.

The WTO forecast that total global trade volumes will increase by 2.6% in 2024, and by a further 3.3% in 2025. The reason for this pickup is basically the normalization of inflation and also the normalization of monetary policy. The trade rebound is expected

सामान्यीकरण और मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण है। व्यापार में उछाल ''व्यापक–आधारित'' होने की उम्मीद है, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसने पिछले साल भू–राजनीतिक तनावों और यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के परिणामस्वरूप व्यापार की मात्रा में सबसे गहरी गिरावट का अनुभव किया था।

भारत की अर्थव्यवस्था मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष दर्ज किए गए 7 प्रतिशत से थोड़ा अधिक बढ़कर 8.2 प्रतिशत हुई, जो इसके औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित है, जिसने मानसून व्यवधानों के कारण कृषि उत्पादन में मंदी की भरपाई की है। संरचनात्मक निवेश के कारण आंतरिक मांग सुदृढ़ बनी हुई है,भले ही महामारी के बाद परिसीमितव्यय की मांग कम हो गई है। यह उल्लेखनीय जीडीपी वृद्धि दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह असाधारण निष्पादन भारत की मजबूत आर्थिक गति और लचीलेपन का प्रमाण है।

वैश्विक बीमा बाजार 2023 में 7265.22 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 7793.45 बिलियन डॉलर हो गया, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.3% है। वैश्विक बीमा बाजार का आकार 2028 तक 7.2% की CAGR पर बढ़कर 10288.43 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, भारतीय साधारण बीमा उद्योग ने 12.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य और मोटर बीमा खंडों द्वारा संचालित है। साधारण बीमा कंपनियों का कुल प्रीमियम वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2.89 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 2.57 लाख करोड़ था।

2023–24 के वित्तीय परिणाम दर्शाते हैं कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 15993 करोड़ रुपये की तुलना में 18794 करोड़ रुपये के प्रीमियम के साथ सकल आधार पर 17.52% की वृद्धि दर्ज की, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 14339 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2023–24 में शुद्ध प्रीमियम 16193 करोड़ रुपये था, इस प्रकार 12.93% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

ओरिएंटल कर्मचारियों की पूरी टीम ने पिछले तीन वर्षों से निरंतर विकास की इस उपलब्धि के लिए एकल उद्देश्य के साथ काम किया है जिसके लिए वे सवोच्च प्रशंसा के पात्र हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्रतिधारण अनुपात वित्त वर्ष 2022–23 के 89.66ः की तुलतना में 86.16ः रहा। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सकल व्यय दावा अनुपात पिछले वित्त वर्ष के 99.86% के मुकाबले 92.54% दर्ज किया गया, जबकि

to be "broad-based," including across Europe, which experienced some of the deepest falls in trade volumes last year as a result of geopolitical tensions and the energy crisis caused by Russia's full-scale invasion of Ukraine.

India's economy grew by 8.2 per cent in the financial year ended March 2024, sharply higher than 7 per cent expansion recorded in the previous year, driven by its industrial and services sectors, which have offset a slowdown in agricultural production caused by monsoon disruptions. Domestic demand remains strong, buoyed by infrastructure investments, even as post-pandemic pent-up consumption demand eases. This remarkable GDP growth rate is the highest among the major economies of the world. This exceptional performance is a testament to India's robust economic momentum and resilience.

The global insurance market grew from $ 7265.22 billion in 2023 to $ 7793.45 billion in 2024 at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.3%. The global insurance market size is expected to grow to $ 10288.43 trillion by 2028 at a CAGR of 7.2%.

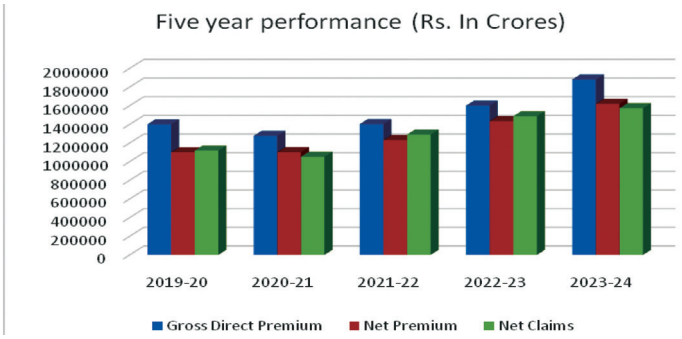
For the Financial Year 2023-24, the Indian general insurance industry registered a growth of 12.78 per cent, driven primarily by the health and motor insurance segments. The total premium of general insurers reached Rs. 2.89 lakh crore in FY 2023-24 as compared to Rs. 2.57 lakh crore in the previous financial year.

The financial results of 2023-24 reflect that the company registered growth of 17.52 % on gross basis with a premium of Rs. 18794 crores as against Rs. 15993 crores during the FY 2022-23, whereas the Net premium was Rs. 16193 crores in the year 2023-24 as against Rs. 14339 crores during the FY 2022-23 thus registering a growth rate of 12.93 %.

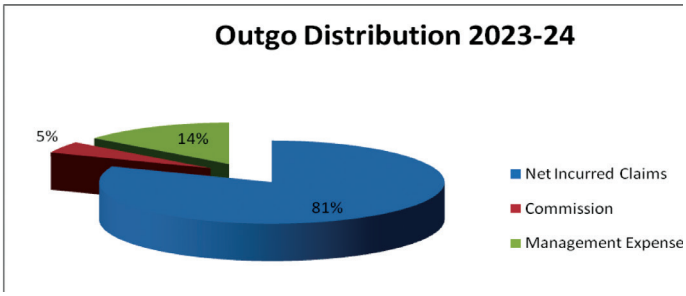
The entire team of Oriental Employees has worked with single minded purpose deserving highest appreciation for this achievement of continuous growth for past three years.

The retention ratio during the FY 2023-24 stood at 86.16 % as against 89.66% for the FY 2022-23. The gross incurred claims ratio during the FY 2023-24 were recorded at 92.54 % as against 99.86 % during the previous financial year whereas the net incurred claims ratio during the FY 2023-24 was recorded at 98.89 % as against 112.14% during the previous

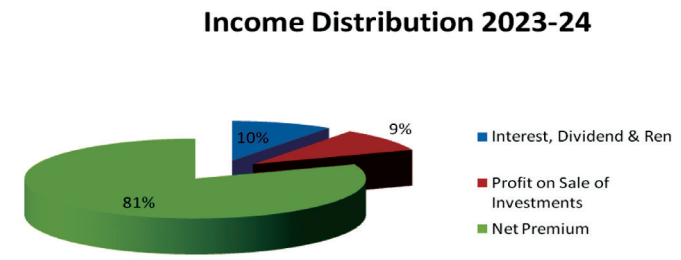
वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान शुद्ध व्यय दावा अनुपात पिछले वित्त वर्ष के 112.14% की तुलना में 98.89% दर्ज किया गया।



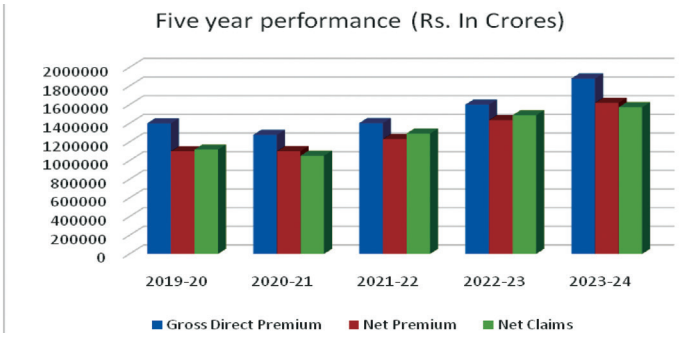
कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सकल आधार पर 17. 52% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी के समग्र परिचालन प्रदर्शन के परिणामस्वरूप समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1023 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ, जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान परिचालन घाटा 2604 करोड़ रुपये था, इस प्रकार प्रदर्शन में सराहनीय सुधार दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रबंधन व्यय घटकर 2765 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वर्ष यह 5139 करोड़ रुपये था, क्योंकि इसमें वेतन संशोधन से संबंधित व्यय के रूप में 2425 करोड़ रुपये शामिल थे, इस प्रकार वेतन संशोधन के अलावा अन्य व्यय में कमी दर्ज की गई।



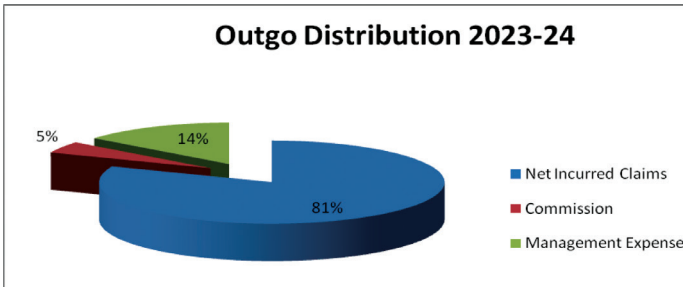
निवेश की बिक्री से उत्पन्न लाभ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 1910 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह 915 करोड़ रुपये था, जबकि ब्याज, लाभांश और किराए से आय वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 1926 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह 1860 करोड़ रुपये थी।



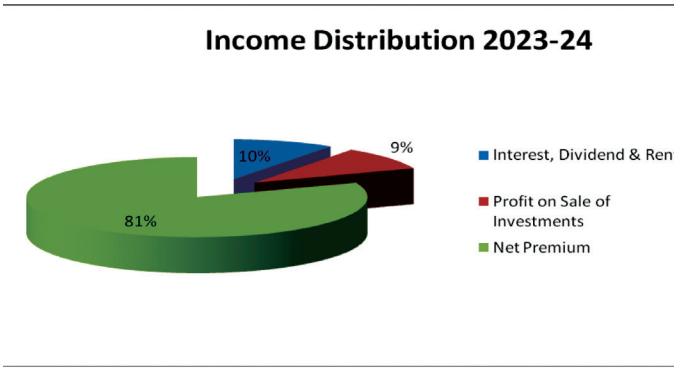
financial year.



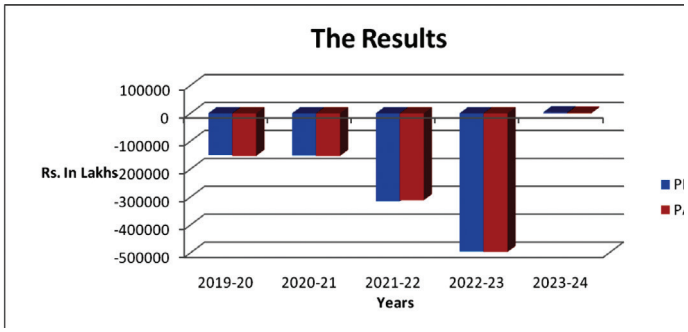
The Company recorded growth of 17.52 % on gross basis for the FY 2023-24. The overall operating performance of the company has resulted in an operating profit of Rs. 1023 crores during the year under review as against operating loss of Rs. 2604 crores during the year 2022-23, thus recording commendable improvement in the performance. The management expenses decreased to Rs. 2765 crores for FY 2023-24 as against Rs. 5139 crores as last year expenses included Rs. 2425 crores on account wage revision related expenses, thus recording a reduction in expenses other than wage revision.



The profits generated by sale of investments amounted to Rs. 1910 crores for the FY 2023-24 as compared to Rs. 915 crores during the previous financial year, whereas the income from interest, dividend and rent was recorded at Rs. 1926 crores for the FY 2023-24 as against Rs. 1860 crores during the previous financial year.



पिछले पांच वित्तीय वर्षों से लगातार घाटे के बाद, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, समग्र वित्तीय प्रदर्शन के परिणामस्वरूप परिचालन लाभ और निवेश आय दोनों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के दौरान कर–पूर्व घाटा 4956 करोड़ रुपये की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 38 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ हुआ। पिछले वर्ष के दौरान कर–पूर्व घाटा 4968 करोड़ रुपये की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर–पूर्व लाभ 19 करोड़ रुपये था।

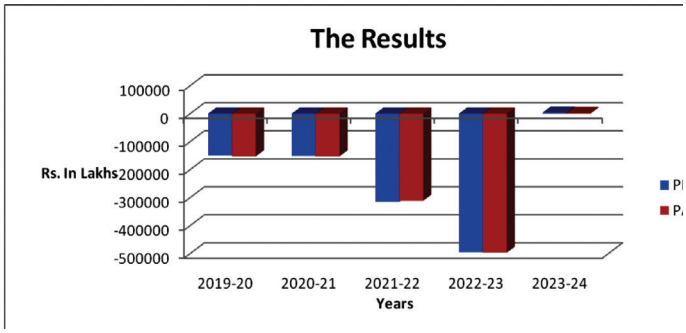


नेपाल, दुबई और कुवैत में हमारे विदेशी परिचालन ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और इस वित्तीय वर्ष में 505 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम दर्ज किया।

वर्ष के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन 31.03.2024 तक –1.06 (बिना सहनशीलता के) और 0.74 (एफवीसीए की 100ः सहनशीलता के साथ) रहा, जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आईआरडीएआई को अनुरोध भेजा गया है। इस वर्ष मंडल ने भारत सरकार को किसी भी लाभांश भुगतान की सिफारिश नहीं की है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने अधीनस्थ ऋण के मोचन के लिए जारी करने के पांच साल के अंत में (यानी 18.03.2024 को) कॉल विकल्प का प्रयोग किया। लाभार्थियों (यानी रिकॉर्ड तिथि – 03.03.2024 को डिबेंचरधारकों) के खातों को 18.03.2024 को मूल बकाया राशि 750 करोड़ रुपये और पांचवें कूपन भुगतान के साथ लागू दरों के अनुसार टीडीएस की कटौती के बाद 66 करोड़ रुपये की राशि के साथ जमा किया गया था। किसी भी डिबेंचर धारक और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत लागू सभी विनियामक अनुपालनों को एनएसई और एसबीआईकैप को विधिवत प्रस्तुत किया गया।

कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एए है, जिसमें क्रिसिल और आईसीआरए से नकारात्मक दृष्टिकोण है। कंपनी के प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का गहन विश्लेषण किया है और अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार जारी रखने के लिए एक कार्य

After continuous losses for the last five financial years, during the FY 2023-24, the overall financial performance resulted in profit before tax of Rs 38 crores during the year under review compared to loss before tax of Rs. 4956 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income. The profit after tax was Rs. 19 crores during the year under review as compared to loss after tax of Rs. 4968 crores during the previous year.



Our foreign operations of Nepal, Dubai and Kuwait continued to perform well and recorded gross premium of Rs. 505 crores in this financial year.

The Solvency margin for the year stood at -1.06 (Without forbearance) and at 0.74 (With 100% forbearance of FVCA as at 31.03.2024, for which request for seeking approval has been sent to IRDAI. This year Board has not recommended any dividend payout to Government of India.

During the FY 2023-24, the Company exercised call option at the end of five years of issuance (i.e. on 18.03.2024), for redemption of Subordinated Debt. The accounts of beneficiaries (i.e. debentureholders as on the record date – 03.03.2024) were duly credited on 18.03.2024 with the principal outstanding aggregating to Rs. 750 crores and fifth coupon payment amounting to Rs. 66 crores after deduction of TDS as per the applicable rates. There was no default in the payment to any debenture holder and all regulatory compliances applicable under SEBI (LODR) Regulations were duly submitted to NSE & SBICAP.

The Credit Rating of the Company is AA with negative outlook from CRISIL and ICRA.

The Management of the Company has undertaken a thorough analysis of the financial performance of

योजना तैयार की है।

''एक महान उपलब्धि सड़क का अंत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगली छलांग के लिए शुरुआती बिंदु होनी चाहिए''

कंपनी लाभदायक विकास, वैकल्पिक व्यावसायिक चौनलों को मजबूत करने, दावों की दक्षता में सुधार, सॉल्वेंसी लक्ष्यों को प्राप्त करने, लागत युक्तिकरण को लागू करने, नए ग्राहक केंद्रित उत्पादों को विकसित करने और मौजूदा उत्पादों को युक्तिसंगत बनाने, विशेष रूप से खुदरा बाजार के लिए मानक बीमा उत्पादों, शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने, मोटर टीपी दावों के सुलहपूर्ण निपटान को प्रोत्साहित करने, इष्टतम निवेश प्रतिफल प्राप्त करने के प्रमुख मापदंडों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

"आज की उपलब्धियाँ कल की असंभवताएँ थीं"

हमारी कंपनी के सुव्यवस्थित, प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध कार्यबल ने उभरते वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सभी चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिससे कंपनी अपने अस्तित्व के आठवें दशक में अपनी यादगार यात्रा पर आगे बढ़ी है और लगातार आगे बढ़ रही है।

हम अपने ग्राहकों के आभारी हैं जो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भी हमारा लगातार समर्थन करते हैं और हम पर निरंतर विश्वास करते हैं। हम अपने मध्यस्थों के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारी सेवा मानकों को बेहतर बनाने में निरंतर सहयोग दिया है। हम सभी क्षेत्रों में उनके समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आईआरडीएआई और वित्त मंत्रालय के भी आभारी हैं।

2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट आपके विचारार्थ प्रस्तुत है।

the Company for the FY 2023-24 and has charted an action plan to continue improving its performance to regain its esteem.

"A great accomplishment shouldn't be the end of the road, just the starting point for the next leap forward"

The Company is also focusing on the key parameters of profitable growth, strengthening alternate business channels, improving claims efficiency, achieving solvency targets, implementing cost rationalization, developing new customer centric products and rationalization of existing products especially the standard insurance products for retail market, ensuring timely redressal of grievances, encouraging conciliatory settlements of Motor TP claims, achieving optimum investment yields.

"Today's accomplishments were yesterday's impossibilities"

The well organized, trained and committed workforce of our Company has accepted all challenges in the emerging global competitive scenario thus taking the Company further in its memorable journey in Eighth decade of its existence and advancing further from strength to strength.

We are thankful to our customers who steadfastly support us and have continuous faith in us amidst severe competition. We are also thankful to our intermediaries for their continued support in improving our service standards. We are also indebted to IRDAI and Ministry of Finance for their support, guidance and encouragement in all areas.

The Annual Report for 2023-24 is placed for your consideration.

funs'kd eMy dh fjikVZ vkfj,Vy b';kjl dEiuh fyfeVM dEiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 134 d vUrxZr

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय पर अपनी 76 वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखे प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

1- dEiuh dk foÙkh; çn'kZu

(रुपए लाख में)

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT 2013

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their 76th Annual Report on the business of the Company and the accounts for the Financial Year ended March 31, 2024.

1. Financial Performance of the Company

(Rs. in lakhs)

	vfXu@Fire		ejhu@Marine		fofo/k@Miscellaneous		dqy@Total	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम भारत में Gross Direct Premium In India	155718	158910	47096	46538	1626089	1356043	1828903	1561491
भारत के बाहर Outside India	12626	10984	2727	2894	35157	23892	50510	37770
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम कुल Gross Direct Premium Total	168344	169894	49823	49432	1661246	1379935	1879413	1599261
नेट प्रीमियम Net Premium	73180	79170	27074	25055	1519017	1329638	1619271	1433864
शुद्ध से सकल का अनुपात Ratio of Net to Gross	(43.47%)	(46.60%)	(54.34%)	(50.69%)	(91.44%)	(96.36%)	(86.16%)	(89.66%)
निवेश की बिक्री पर लाभ (पॉलिसी धारकों का) Profit on Sale of Investments (Policy Holders')	14647	6535	3787	1793	207282	102766	225716	111094
	(20.02%)	(8.25%)	(13.99%)	(7.16%)	(13.65%)	(7.73%)	(13.94%)	(7.75%)
अंतर्राष्ट्रीयधविभागीयधकिराया (पॉलिसी धारकों का) Int./Div./ Rent (Policy Holders')	14774	13278	3820	3642	209083	208806	227677	225726
	(20.19%)	(16.77%)	(14.11%)	(14.54%)	(13.76%)	(15.70%)	(14.06%)	(15.74%)
कमीशन और अन्य आय (शुद्ध आय(+)/शुद्ध व्यय (–)) Commission and other income (Net Income(+)/ Net Outgo (-))	-13240	-11750	-3015	-3121	-71793	-79762	-88048	-94633
	(-18.09%)	(-14.84%)	(-11.14%)	(-12.45%)	(-4.73%)	(-6.00%)	(-5.44%)	(-6.60%)
एनपीए (प्रावधान (–)/राइट बैक(+)) NPA (Provision (-)/ Write back(+))	155	115	40	31	2200	1810	2395	1956
	(0.21%)	(0.14%)	(0.15%)	(0.12%)	(0.14%)	(0.13%)	(0.15%)	(0.14%)

शेयरों के मूल्य में कमी (–)/वापस लिखा जाना (+) Diminution in value of shares (-)/ written back (+)	24	-9	6	-3	346	-147	376	-159
	(0.03%)	(-0.01%)	(0.02%)	(-0.01%)	(0.02%)	(-0.01%)	(0.02%)	(-0.01%)
असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि में वृद्धि (–)/ कमी (+) Increase (-)/ Decrease (+) in unexpired risks reserve	1446	1011	-2444	21	-28589	-109797	-29587	-108765
	(1.97%)	(1.28%)	(-9.03%)	(0.08%)	(-1.88%)	(-8.26%)	(-1.83%)	(-7.59%)
शुद्ध व्यय दावे Net Incurred claims	-78870	-46605	-21547	-15345	-1471545	-1423961	-1571962	-1485911
	(-107.78%)	(-58.87%)	(-79.58%)	(-61.25%)	(-96.87%)	(-107.09%)	(-97.08%)	(-103.63%)
प्रबंधन का व्यय (शेयर धारक निधि से अंशदान घटाकर) Expenses of Management (Net of contribution from Shareholder's Fund)	-28111	-32805	-5480	-3073	-242885	-319803	-276476	-355681
	(-38.41%)	(-41.44%)	(-20.24%)	(-12.27%)	(-15.99%)	(-24.05%)	(-17.07%)	(-24.81%)
परिशोधन व्यय Amortization expenses	-400	-374	-103	-102	-5656	-5878	-6159	-6354
	(-0.55%)	(-0.47%)	(-0.38%)	(-0.41%)	(-0.37%)	(-0.44%)	(-0.38%)	(-0.44%)
निवेश को बट्टे खाते में डालना ध निवेश से संबंधित व्यय Investment Written off / Expenses relating to Investments	-61	-186	-16	-51	-873	-2930	-950	-3167
	(-0.08%)	(-0.23%)	(-0.06%)	(-0.20%)	(-0.06%)	(-0.22%)	(-0.06%)	(-0.22%)
प्रीमियम की कमी Premium Deficiency	0	0	0	0		21619	0	21619
	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(1.63%)	(0.00%)	(1.51%)
शुद्ध परिचालन लाभ /(हानि)Net Operating Profit /(Loss)	-16456	8380	2122	8847	116587	-277639	102253	-260412
	(-22.49%)	(10.58%)	(7.84%)	(35.31%)	(7.67%)	(-20.88%)	(6.31%)	(-18.16%)
ब्याज, लाभांश और किराया (शेयरधारकों का)/Interest, Dividends & Rent (Shareholders')							-35066	-39688
निवेश की बिक्री पर लाभ (शेयरधारकों का)/Profit on sale of Investments (Shareholders')							-34764	-19533
अन्य आय/व्यय/प्रावधान (कर के अलावा) Other Income/ Outgo/Provisions(other than taxation)							-19496	-10474
शेयरधारक निधि से पॉलिसीधारक निधि में ई.ओ.एम. के लिए योगदान Contribution from Shareholder's Fund to Policyholder's Funds towards EoM							0	-158213
एनसीडी पर अर्जित ब्याज तथा एनसीडी एवं राइट्स इश्यू व्यय Interest accrued on NCD and NCD & Rights Issue expenses							-6368	-6646
सीएसआर व्यय/CSR Expenditure							-13	0
पूर्व अवधि की आय/व्यय/Prior period Income / Expenses							-2780	-657
कर से पहले लाभ (+)/हानि (–)/Profit (+) / Loss (-) before Tax							3766	-495623
स्रोत पर आयकर कटौती और कर के लिए प्रावधान IT deducted at source and Provision for Tax							-1905	-1352
पिछले वर्षों के लिए कर का प्रावधान Provision for Tax for earlier years							0	164

कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि Net Profit/ Loss after Tax	1861	-496811
सामान्य रिजर्व/आकस्मिक रिजर्व में स्थानांतरण Transfer to General Reserve / Contingency Reserve	0	0
लाभांश के लिए प्रावधान Provision for Dividend	0	0
कॉर्पोरेट लाभांश कर Corporate Dividend Tax	0	0

* ऊपर उल्लिखित प्रतिशत नेट प्रीमियम के हैं।

* Percentages mentioned above are to Net Premium.

(रुपए करोड़ में) (Rs. In Crores)

	ldy çhfe;e@Gross Premium			uV çhfe;e@Net Premium			mixr nkok vuqikr@Incurred Claim Ratio			
	2023-24	2022-23	fodkl % Growth %	2023-24	2022-23	fodkl % Growth %	2023-24 %	2022-23 %	2023-24 %	2022-23 %
विभाग Department							dy@GROSS		tky@NET	
अग्नि/Fire	1683.44	1698.94	(0.91)	731.80	791.70	(7.57)	60.73	62.39	107.78	58.87
मरीन कार्गो Marine Cargo	245.59	283.52	(13.38)	179.75	176.97	1.57	83.95	68.03	92.94	72.06
मरीन पतवार Marine Hull	252.64	210.79	19.85	90.99	73.58	23.66	60.17	10.81	53.19	35.25
मरीन कुल Marine Total	498.23	494.32	0.79	270.74	250.55	8.06	71.90	43.63	79.58	61.25
मोटर ओ.डी. Motor OD	1511.68	1132.44	33.49	1459.33	1091.29	33.73	107.74	119.70	106.49	119.35
मोटर टीपी–नॉन पूल/Motor TP-Non Pool	2974.61	2675.93	11.16	2851.52	2563.92	11.22	89.07	93.14	85.68	91.24
मोटर टीपी–पूल Motor TP-Pool		0	-	0	0	-	0	0	0.00	0.00
मोटर टीपी डीआर पूल/Motor TP D.R. Pool		0	-	0	0	-	0	0	0.00	0.00
मोटर कुल Motor Total	4486.29	3808.38	17.80	4310.85	3655.21	17.94	96.89	103.26	94.30	101.93
इंजीनियरिंग Engineering	489.89	437.75	11.91	251.40	310.27	(18.97)	35.34	25.18	29.24	32.80
कामगार मुआवजा Workman Comp.	57.89	58.50	(1.04)	56.61	56.91	(0.53)	51.30	47.93	50.08	46.83
विमानन Aviation	149.14	121.82	22.43	108.44	94.17	15.15	15.53	105.60	77.48	50.44
व्यक्तिगत दुर्घटना Pers. Accident	1133.04	537.83	110.67	642.39	423.33	51.75	106.66	102.27	99.71	105.14
स्वास्थ्य/Health	7895.39	8251.17	(4.31)	7581.61	8246.93	(8.07)	104.70	115.60	104.94	115.76
देयता/Liability	89.90	95.24	(5.61)	61.63	72.34	(14.81)	15.01	26.95	12.53	35.17
फसल/Crop	1793.72	8.94	19,963.98	1722.03	8.38	20,449.28	93.82	701.23	95.00	346.90
अन्य विविध Other Misc.	517.19	479.74	7.81	455.22	428.87	6.14	51.93	66.42	49.32	68.14
कुल विविध Total Misc.	16612.46	13799.36	20.39	15190.17	13296.39	14.24	96.39	106.49	96.87	107.09
कुल **Total**	**18794.13**	**15992.62**	**17.52**	**16192.71**	**14338.64**	**12.93**	**92.54**	**99.86**	**97.08**	**103.63**

2- o"k d nkjku dEiuh dk dkedkt

0;olk; dk fodkl%

सकल प्रीमियम आय 2022–23 के दौरान 15992.61 करोड़ रुपये की तुलना में 2023–24 के दौरान बढ़कर 18794.13 करोड़ रुपये हो गई, जिससे सकल आधार पर 17.52: की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने शुद्ध प्रीमियम पर भी 12.93: की वृद्धि हासिल की है। फसल बीमा खंड में उल्लेखनीय वृद्धि के अलावा, अग्नि, मरीन कार्गो, श्रमिक मुआवजा, स्वास्थ्य और देयता को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक लाइनों ने भी सकल आधार पर वृद्धि दर्ज की है।

iqufcZek ifjpkyu

शुद्ध–सकल अनुपात (प्रतिधारण प्रतिशत) पिछले वित्त वर्ष के 89.66: की तुलना में घटकर 86.16: हो गया।

ifjpkyu ifj.kke

समग्र परिचालन प्रदर्शन के परिणामस्वरूप समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1022.53 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ हुआ है, जबकि वर्ष 2022–23 के दौरान परिचालन घाटा 2604.12 करोड़ रुपये था, इस प्रकार 3626.65 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। शुद्ध व्यय दावा अनुपात वर्ष 2022–23 के दौरान 112.14: से घटकर 2023–24 में 98.89: हो गया।

çca/ku 0;;

चालू वर्ष के लिए कुल प्रबंधन व्यय 2764.77 करोड़ रुपये (पॉलिसीधारक के फंड में डेबिट, जो स्वीकार्य सीमा के भीतर है और कुल मिलाकर शुद्ध प्रीमियम का 17.39:) था, जबकि पिछले वर्ष यह 5138.94 करोड़ रुपये था (पॉलिसीधारक के फंड में 3556.81 करोड़ रुपये और शेयरधारक के फंड में 1582. 13 करोड़ रुपये डेबिट, जो स्वीकार्य सीमा से अधिक है और कुल मिलाकर शुद्ध प्रीमियम का 35.84:)।

lexz fu"iknu

निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ में 993.92 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि ब्याज, लाभांश और किराये से होने वाली आय में 65.72 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के दौरान 2425 करोड़ रुपये के वेतन संशोधन बकाया के कारण प्रबंधन व्यय में 2374.17 करोड़ रुपये की कमी आई। इसके साथ ही अंडरराइटिंग घाटे के परिणामस्वरूप परिचालन लाभ और निवेश आय दोनों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के दौरान 4956.23 करोड़ रुपये के कर–पूर्व घाटे की तुलना में समीक्षाध

2. Company's working during the year

Growth of Business:

The Gross Premium Income increased to Rs. 18794.13 crores during 2023-24 as compared to Rs. 15992.61 crores during 2022-23 thereby recording a growth of 17.52%, on gross basis. The Company has also achieved a growth of 12.93 % on Net premium. Apart from significant growth in Crop insurance segment, all other business lines except Fire, Marine Cargo, Workmen compensation, Health & Liability have also registered growth on gross basis.

Reinsurance Operations

The net to gross ratio (retention percentage) decreased to 86.16% as compared to 89.66% during the last fiscal year.

Operating Results

The overall operating performance of the company has resulted in an operating profit of Rs. 1022.53 crores during the year under review as against an operating loss of Rs. 2604.12 crores during the year 2022-23, thus recording an increase of Rs. 3626.65 crores. The net incurred claims ratio decreased to 98.89% in 2023-24 from 112.14% during the year 2022-23.

Management Expenses

Total Management Expenses for the current year were Rs. 2764.77 crores (debited to Policyholder's Funds being within the allowable limits and overall 17.39 % of net premium) as against Rs. 5138.94 crores (Rs. 3556.81 crores debited to Policyholder's Funds & Rs. 1582.13 crores debited to Shareholder's fund being excess over allowable limits and overall 35.84 % of net premium) for the previous year.

Overall Performance

The profits generated by sale of investments increased by Rs. 993.92 crores though the income from interest, dividend and rent increased by Rs. 65.72 crores. The management expenses decreased by Rs. 2374.17 crores as there was impact of wage revision arrears of Rs. 2425 crores during the last year. This coupled with underwriting losses resulted in profit before tax of Rs 37.66 crores during the

ीन वर्ष के दौरान 37.66 करोड़ रुपये का कर–पूर्व मुनाफा हुआ। पिछले वर्ष के दौरान 4968.11 करोड़ रुपये के कर–पूर्व घाटे की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर–पूर्व मुनाफा 18.61 करोड़ रुपये रहा।

l,Yoalh ekftu%

वर्ष के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन –1.06 (बिना सहनशीलता के) और 0.74 (100: सहनशीलता के साथ) रहा, जिसके लिए अनुमोदन हेतु आईआरडीएआई को अनुरोध भेजा गया है।

ykHkka'k

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

vkj{kh fuf/k

लाभ–हानि विनियोग खाते के अनुसार कर पश्चात शुद्ध लाभ 18.61 करोड़ रुपये है, जिसे लाभ–हानि खाते में डेबिट शेष में समायोजित किया गया है। 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए शुद्ध संपत्ति –3831.18 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह –4146.94 करोड़ रुपये थी।

fonsh ifjpkyu

नेपाल, दुबई और कुवैत में कंपनी के विदेशी परिचालन ने वर्ष 2023–24 के दौरान 505.09 करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह 377.70 करोड़ रुपये था । शुद्ध प्रीमियम पिछले वर्ष के 360.34 करोड़ रुपये के मुकाबले 468.95 करोड़ रुपये था और विदेशी परिचालन के संबंध में इस वर्ष के दौरान शुद्ध उपगत दावे 78.55: के शुद्ध उपगत दावा अनुपात के साथ 368.38 करोड़ रुपये थे (पिछले वर्ष 66.96: के शुद्ध उपगत दावा अनुपात के साथ 241. 28 करोड़ रुपये)। हमारे विदेशी परिचालन के परिणामस्वरूप अंततः 14.04 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले वर्ष 2.47 करोड़ रुपये का शुद्ध अधिशेष था ।

futh IyslesaV dk vk/kkj ij tkjh xSj&ifjorZuh; fMcsapj ¼v/khuLFk _.k½ dk ekpu dj fy, d,y v,I'ku dk ç;kx vkj 18-03-2024 dk 5 oa C;kt dk Hkqxrku

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, आईआरडीएआई (पूंजी के अन्य रूप) विनियम, 2015 के अनुसार एनसीडी जारी करने के लिए आईआरडीएआई की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 5 साल के बाद प्रयोग करने योग्य कॉल ऑप्शन के साथ 10 साल की अवधि के लिए समीक्षाधीन

year under review compared to loss before tax of Rs. 4956.23 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income. The profit after tax was Rs. 18.61 crores during the year under review as compared to loss after tax of Rs. 4968.11 crores during the previous year.

Solvency Margin:

The Solvency Margin for the year stood at -1.06 (without forbearance) and at 0.74 (with 100% forbearance), for which request for approval has been sent to IRDAI.

Dividend

The Board of Directors has not recommended any dividend for the Financial Year 2023-24.

Reserves

The amount of Rs. 18.61 crores being net profit after tax as per the Profit and Loss Appropriation Account is adjusted to Debit Balance in Profit & Loss Account. The net worth was Rs. -3831.18 crores for the period ending 31.03.2024 as against Rs. -4146.94 crores last year.

Foreign Operations

The Company's foreign operations in Nepal, Dubai and Kuwait together yielded a Gross Direct Premium of Rs. 505.09 crores during the year 2023-24 as against Rs. 377.70 crores during the previous year. The Net Premium was at Rs. 468.95 crores as against Rs. 360.34 crores last year and the net Incurred Claims during this year in respect of foreign operations were Rs. 368.38 crores with a net Incurred Claims Ratio of 78.55 % (Rs. 241.28 crores with a net Incurred Claims Ratio of 66.96 % for the last year). Our foreign operations had finally resulted in a net deficit of Rs. 14.04 crores as against a net surplus of Rs. 2.47 crores during the previous year.

Exercise of Call Option for Redemption of Non-convertible Debentures (subordinated debt) issued on private placement basis and payment of 5th interest on 18.03.2024

During the FY 2018-19, after receiving IRDAI approval for issuance of NCDs in accordance with IRDAI (other forms of capital) Regulations, 2015, the Company had

ीन वर्ष के दौरान 10,00,000 रुपये प्रत्येक के 7500 रेटेड, असुरक्षित, अधीनस्थ, पूरी तरह से चुकता, सूचीबद्ध, मोचनीय और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) कुल मिलाकर 750.00 करोड़ रुपये जारी किए थे।

आईआरडीएआई के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने जारी करने के पाँच वर्ष के अंत में (अर्थात 18.03.2024 को) अध ीनस्थ ऋण के मोचन के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया। लाभार्थियों (अर्थात रिकॉर्ड तिथि – 03.03.2024 को डिबेंचरध ारकों) के खातों में 18.03.2024 को विधिवत रूप से मूल बकाया राशि 750 करोड़ रुपये और पाँचवाँ कूपन भुगतान लागू दरों के अनुसार टीडीएस की कटौती के बाद 66 करोड़ रुपये जमा किया गया। किसी भी डिबेंचर धारक को भुगतान में कोई चूक नहीं हुई और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत लागू सभी विनियामक अनुपालन एनएसई और एसबीआईसीएपी को विधिवत प्रस्तुत किए गए।

उक्त मोचन के कारण, क्रिसिल और इक्रा ने कंपनी के अध ीनस्थ ऋण को दी गई रेटिंग वापस ले ली है।

Hkkjr ljdkj }kjk iwath dk fuo'k

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई पूंजी निवेश नहीं किया जाएगा।

कंपनी की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनकी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट के साथ निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न हैं।

3- 2024&25 d fy, ;kstuk,a

कंपनी कंपनी ने अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है, ताकि वह पुनः अपना सम्मान प्राप्त कर सके। इसके लिए कंपनी ने लाभदायक वृद्धि, वैकल्पिक व्यापार चौनलों को मजबूत बनाने, दावा दक्षता में सुधार लाने, शोधन क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने, लागत युक्तिकरण को लागू करने, नए ग्राहक केंद्रित उत्पादों को विकसित करने और मौजूदा उत्पादों, विशेष रूप से खुदरा बाजार के लिए मानक बीमा उत्पादों को युक्तिकरण करने, शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने, मोटर टीपी दावों के सुलहपूर्ण निपटान को प्रोत्साहित करने, इष्टतम निवेश प्रतिफल प्राप्त करने जैसे प्रमुख मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया है।

4- 0;olk; dh çfr e ifjorZu] ;fn dkbZ gks

issued 7500 Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures (NCD) of Rs. 10,00,000 each aggregating Rs. 750.00 Crores during the year under review for a tenure of 10 years with call option exercisable after 5 years, on private placement basis.

In accordance with the approval of IRDAI, the Company exercised call option at the end of five years of issuance (i.e. on 18.03.2024), for redemption of Subordinated Debt. The accounts of beneficiaries (i.e. debentureholders as on the record date – 03.03.2024) were duly credited on 18.03.2024 with the principal outstanding aggregating to Rs. 750 crores and fifth coupon payment amounting to Rs. 66 crores after deduction of TDS as per the applicable rates. There was no default in the payment to any debenture holder and all regulatory compliances applicable under SEBI (LODR) Regulations were duly submitted to NSE & SBICAP.

On account of the said redemption, CRISIL & ICRA have withdrawn the ratings assigned to the subordinated debt of the Company.

Infusion of Capital by the Government of India

There was no Capital Infusion by the Government of India during the Financial Year 2023-24.

Detailed Report of Company's Activities

The Senior Executives of the Company presented their detailed report for the Financial Year 2023-24 on critical areas of operation and their reports together with the report on Corporate Governance are attached as part of the report of the Directors.

3. Plans for 2024-25

The Company has charted an action plan to improve its performance to regain its esteem focusing on the key parameters of profitable growth, strengthening alternate business channels, improving claims efficiency, achieving solvency targets, implementing cost rationalization, developing new customer centric products and rationalization of existing products especially the standard insurance products for retail market, ensuring timely redressal of grievances, encouraging conciliatory settlements of Motor TP claims, achieving optimum investment yields.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

5- diuh dh foÙkh; fLFkfr dk çHkkfor dju okyk Hkkfrd ifjorZu vkj çfrc)rk,a ;fn dkbZ gks tks diuh dh foÙkh; o"k dh var ftlls foÙkh; fooj.k lcf/kr gS vkj fjikVZ dh rkjh[k dh chp gbZ gksA

उपर्युक्तानुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों का विवरण जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं

कोई नहीं

7- lgk;d/lg;kxh dEifu;ksa dk fooj.k

कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

4. Change in the nature of business, if any

There was no change in the nature of business carried out by the Company during the year under review.

5. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

No changes as aforesaid have taken place.

6. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

None

7. Details of Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies

The Company has one wholly owned subsidiary as detailed below:

Ø- l- **S. No.**	lgk;d diuh dk uke **Name of the Subsidiary**	dy pdrk 'k;j ith **Total Paid up Share Capital**	vkfj,Vy b';kjy diuh fy- feVM dh % fgLlnkjh **% Holding of the Oriental Insurance Company Limited**
1	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	5 लाख रुपये Rs 5 Lakhs	100 %

Ø- l- **S. No.**	l;qä m|e@lg;kxh diuh dk uke **Name of the Joint Venture / Associate Company**	dy pdrk 'k;j ith **Total Paid up Share Capital**	vkfj,Vy b';kjy diuh fyfe- VM dh % fgLlnkjh **% Holding of the Oriental Insurance Company Limited**
1	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health Insurance TPA of India Limited	रु. 120 करोड़ Rs. 120 Crores	23.75 %
2	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर India International Insurance Pte Ltd. Singapore	एसजीडी 5 करोड SGD 5 Crores	20 %

8- lefdr foÙkh; fooj.k esa 'kkfey çR;sd lgk;d] lg;kxh vkj la;qä m|e dEiuh dk çn'kZu vkj foÙkh; fLFkfr

विवरण नीचे दिया गया है:

8. Performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement

The details are given hereunder:

Ø- l- S. No.	fLFkfr Status	uke Name	txg Location	lhlhokbZ Ccy	vof/k Period	dkjkckj Turnover	ihchVh PBT	FkiFkikuk PAT
1	सहायक Subsidiary	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/The Industrial Credit Company Limited	नई दिल्ली New Delhi	रु.Rs.	01.04.2023-31.03.2024	शून्यNil	-246646	-246646
2	सहायक Associate	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health Insurance TPA of India Limited	नई दिल्ली New Delhi	रु.Rs.	01.04.2023-31.03.2024	716471198	59069940	111853016
3	सहायक Associate	इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड'India International Insurance Pte Ltd.*	सिंगापुर Singapore	गाओ $ Sing $	01.01.2023-31.12.2023	220941707	23213942	22684192

* इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड खातों को अंतिम रूप देने के लिए कैलेंडर वर्ष का पालन करता है। इसलिए, 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रदर्शन दिया गया है ।

* India International Insurance Pte Ltd. follows the calendar year for finalization of accounts. Therefore, performance has been given for the year ended 31st December, 2023.

9- tek

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

9. Deposits

No deposits were accepted by the Company during the year under review.

10- o/kkfud y[kk ijh{kd

मेसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, नई दिल्ली और मेसर्स जीएस माथुर एंड कंपनी, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए सभी मंडलीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई। हम अपने सभी लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं।

10. Statutory Auditors

M/s. Raj Har Gopal & Co., New Delhi and M/s. G S Mathur & Co., New Delhi were appointed as Central Statutory Auditors for the year 2023-24 by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 of the Companies Act 2013 and also as Auditors of Consolidated Financial Statements under Section 139 read with Section 129(4) of the Companies Act, 2013:

At all the Divisional Offices and Regional Offices, auditors were appointed for the year 2023-24 by the Comptroller and Auditor General of India. We convey our thanks to all our auditors for their valuable cooperation and guidance.

11- y[kk ijh{kdk dh fjikVZ

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उनके उत्तर निम्नानुसार हैं:

11. Auditors' Report

The observations by Auditors and our Replies thereto are as hereunder:

Ø- l- S. No.	y[kkijh{kd dh fVIif.k;k@Auditor's observations	çc/ku çfrfØ;k@Management response
1.	bfDoVh 'k;j dh gkfu ij ,d y[kkdu uhfr **Accounting policy on impairment of equity shares** कंपनी की लेखा नीति संख्या ।–10.6 की हानि पर इक्विटी शेयर में कहा गया है कि इक्विटी पोर्टफोलियो में हानि केवल तभी की जाती है जहां कंपनियां पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रही हों और जिनकी पूंजी आंशिक रूप सेध्पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है या जहां वार्षिक लेखा पिछले तीन वर्ष के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी लेखांकन नीति की शेयर कीमत में इस हद तक कमी है कि निवेशित कंपनी के शेयर मूल्य पर महत्वपूर्ण असर डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान के मापदंडों में नहीं माना जाता है, जैसे कि शेयर में पर्याप्त गिरावट। कंपनी के इक्विटी शेयरों की अधिग्रहण लागत की तुलना में बाजार मूल्य, एनसीएलटी के तहत कॉर्पोरेट समाधान दिवालिया प्रक्रिया के तहत संस्थाएं, निवल संपत्ति का क्षरण, निवेशित कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक सामग्री अनिश्चितता से संबंधित रिपोर्टिंग चालू वित्त वर्ष में ऋण पुनर्गठन, पिछले कई वर्षों से लाभांश की घोषणा न करना, मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग में कमी लाना आदि। इक्विटी शेयरों की हानि के लिए उपरोक्त मापदंडों पर विचार करने में विफलता के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण नहीं किया गया है। The Company's accounting policy number A-10.6 on impairment of equity shares states that impairment in equity portfolio is carried out only where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. The accounting policy of the company is deficient to the extent that other significant parameters having significant bearing on the share price of Investee Company are notconsidered in the parameters for identification of Impaired Assets viz. substantial fall in the market price as compared to acquisition cost	कंपनी की लेखा नीति इक्विटी शेयरों की हानि पर संख्या ए–10.6 सभी पीएसजीआईसी में समान है। कंपनी ने जीआईपीएसए स्तर पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर व्यापक रूप से विचार–विमर्श किया था। उसके बाद मामले को स्वयं वैध ानिक लेखा परीक्षकों द्वारा आईसीएआई की सलाहकार परिषद को भेजा गया। यह मामला हमारे सांविधिक लेखा परीक्षक आईआरडीएआई द्व ारा संदर्भित किया गया है और आईआरडीएआई से जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 37 कंपनियों का विश्लेषण किया गया प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श किया गया और यह पाया गया कि 19 कंपनियां लाभदायक हो गई हैं, 7 कंपनियों ने सकारात्मक उचित मूल्य की सूचना दी है, 10 कंपनियों का ब्रेक अप अंकित मूल्य से अधिक है, जिनमें से 3 लाभ में हैं और स्टॉप लॉस नीति 01.04.2022 से पहले ही लागू की जा चुकी है। 32.75 करोड़ रुपये की लंबित राशि दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है, जो पिछले दो वर्षों से लाभ में हैं। 12ध्02ध्2024 को आयोजित निवेश समिति की बैठक में निकास नीति भी पेश की गई है। The Company's accounting policy number A-10.6 on impairment of equity shares is common across all the PSGICs. The Company had extensively deliberated upon the observations of Statutory Auditor's at GIPSA level. There after the matter was referred to the advisory council of ICAI by the Statutory Auditors themselves. The matter has been referred by our Statutory Auditors IRDAI and the reply from IRDAI is still awaited. During the FY 2023-24, an analysis of 37 companies was undertaken by the management and it was noted that 19 companies have turned profitable, 7 companies reported positive fair value, 10 companies have break up > face value out of which 3 are in profit and that stop loss policy has already been implemented w.e.f. 01.04.2022.

	of equity shares of the company, entities under corporate resolution insolvency process under NCLT, erosion of net worth, statutory auditor of the investee company reporting on material uncertainty related to going concern, non-declaration of dividends for past several years, downward revision in credit rating by recognized credit rating agencies, etc. The effects on the standalone financial statements of the failure to consider the aforesaid parameters for impairment of equity shares have not been determined.	The pending amount of Rs. 32.75 crores pertains to two major public sector banks who are in profit for last two years. Exit policy is also introduced in the meeting of Investment Committee held on 12/02/2024.
2.	शेष राशि का मिलान / पुष्टि **Reconciliation / Confirmation of Balances** पुनर्बीमाकर्ताओं और सहबीमाकर्ताओं के खातों सहित बीमा करने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों कोध्से देय राशियों का शेष, सौंपने वाली कंपनियों के पास आरक्षित जमा, अंतर–कार्यालय शेष राशि का समाधानध्पुष्टिकरण लंबित है और वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है, यदि भविष्य में वित्तीय परिणामों में पर्याप्त सुधार नहीं होता है। Balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance including reinsurers and coinsurers accounts, reserve deposit with ceding companies, inter-office balances are pending reconciliation/confirmation and consequential impact on the financials if any is not ascertainable. In view of the present financial position of the Company, a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern, if financial results are not substantially improved in future.	नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और निपटान को प्रभावी बनाने के लिए एक महाप्रबंधक की देखरेख में एक सुव्यवस्थित प्रणाली पहले से ही मौजूद है। भारत भर में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अंतर कंपनी सहबीमा समाधान बैठकें आयोजित की गईं, जहाँ अन्य सभी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 में सहबीमा शेष राशि के समाधान, पुष्टि और निपटान के लिए लगभग 100 बैठकें आयोजित की गईं और 90ः शेष राशि का निपटान किया गया। A well-organized system, under the supervision of a General Manager, is already in place for regular follow-up, for obtaining confirmation of balances and effecting settlements. Inter Company coinsurance reconciliation meetings were conducted at Regional Office level across India where representatives from all other insurance companies were invite. In the FY 2023-24 around 100 meetings were held for reconciliation, confirmation and settlement of Coinsurance balances and 90 % of the balances were settled.
3.	चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता **Material Uncertainty Related to Going Concern** 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 18.61 करोड़ रुपये का लाभ और 4968.11 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है । इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक कंपनी की नेटवर्थ कम हो गई है और 31 मार्च 2024 तक 3831.18 करोड़ रुपये की नेगेटिव नेटवर्थ मौजूद है । The Company has reported Profit of Rs. 18.61 Crore and Loss of Rs 4968.11 Crore for the Financial Year	बोर्ड ने 27 मई 2024 आयोजित अपनी 488वीं बैठक में लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने और घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए व्यावसायिक योजना पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। साथ ही, प्रबंधन को केंद्र सरकार से पूंजी निवेश की उम्मीद है। प्रस्तावित व्यापार और रणनीति योजना में लाभप्रद पोर्टफोलियो में व्यवसाय वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना, हानि अनुपात में सुधार करना जैसे बदलाव के लैवर विशेष रूप से स्वास्थ्य और मोटर व्यवसाय खंडों के अंतर्गत, नियंत्रणीय प्रबंधन व्यय को कम करना भविष्य में कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई है।

	ended on 31st March 2024 and 31st March 2023 respectively. Further, net worth of the company as at 31st March 2024 has been eroded and negative net worth of Rs 3831.18 Crore exists as at 31st March 2024.	The Board in its 488th meeting held on 27th May 2024 has considered and approved the business plan to reduce costs, increase revenue and to turnaround the losses to profits. Also, the Management is expecting capital infusion by the Central Govt. In Business and Strategy Plan, proposed levers of turnaround such as focusing on business growth in profitable portfolio, improving loss ratios especially under Health and Motor business segments, reducing controllable management expenses are identified for implementation in future. कंपनी ने अपने पुनरुद्धार के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। The Company has already implemented actions for its revival.

12- okf"kd fjVuZ dk lkj

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी–7 में वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी के वेब पोर्टल: (www.orientalinsurance.org.in) पर देखी जा सकती है।

13- Åtkl lj{k.k] çkS|kfxdh vo'kks"k.k vkSj fonsh eqæk vtZu vkSj O;;

, - Åtkl lj{k.k] çkS|kfxdh vo'kks"k.k

कंपनी किसी भी विनिर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है और कंपनी के संचालन में ऊर्जा की अधिक खपत नहीं होती है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं अपनाई गई है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण या प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत कोई विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

ch- fonsh eqæk vk; vkSj O;; %

वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की विदेशी मुद्रा आय 166.51 करोड़ रुपये है जबकि विदेशी मुद्रा में व्यय 127.94 करोड़ रुपये रहा है।

14- d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार प्रकटीकरण निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

12. Extract of the annual return

Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a copy of Annual Return in Form MGT-7 can be viewed at the Company's web portal: (www.orientalinsurance.org.in)

13. Conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

A. Conservation of energy, technology absorption

The Company is not engaged in any manufacturing activity and the operations of the Company are not energy intensive. Further, no new technology has been absorbed by the Company. Hence no particulars required as such to be disclosed under the Companies (Accounts) Rules, 2014 with regard to conservation of energy or technologies absorption are required to be given.

B. Foreign Exchange Earnings and Outgo:

The Company's foreign exchange earnings for the year 2022-23 are Rs. 166.51 crores whereas the outgo in the foreign currency has been Rs. 127.94 crores.

14. Corporate Social Responsibility (CSR)

The disclosures as per Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are annexed to the Director's Report.

15- funs'kd%

ए) निदेशक मंडल, बोर्ड समितियां, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंप. नी अधिनियम के अनुसार) और प्रमुख व्यक्ति (आईआरडीएआई सीजी दिशानिर्देश 2016 के अनुसार)

funs'kd eMy

कंपनी के निदेशक मंडल में बीमा, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक आदर्श मिश्रण शामिल है। कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना और प्रोफाइल इस प्रकार है:

निदेशक मंडल की संरचना का विवरण नीचे दिया गया है:

1. श्री रश्मि रमण सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक
3. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक
4 श्री जीतेन्द्र असाटी, शासन द्वारा नामित निदेशक
5. श्री पी. रघुनाथन नायर, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)

29 मई, 2023 से बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

l ekfIr

श्रीमती सुनीता तुली नागपाल, निदेशक एवं महाप्रबंधक, 31 अक्टूबर, 2023 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा. निवृत्त होने के फलस्वरूप कंपनी की निदेशक नहीं रहेंगी ।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड बैठक का विवरण:

वर्ष के दौरान, बोर्ड की छह (6) बार बैठक हुई अर्थात 12 मई 2023, 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 26 सितंबर 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को। उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

15. Directors:

A) Board of Directors, Board Committees, Key Managerial Personnel (as per Companies Act) and Key persons (as per IRDAI CG Guidelines 2016)

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Company consists of a perfect blend of experts from the fields of Insurance. Banking and Finance. The composition and profile of the Board of Directors of the Company is as under:

The Composition of Board of Directors is as detailed hereunder:

1. Shri Rashmi Raman Singh, Chairman-cum-Managing Director
2. Shri Atul Kumar Goel, Director
3. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director
4. Shri Jitendra Asati, Government Nominee Director
5. Shri P. Reghunathan Nair, Part Time Non-Official Director (Independent Director)

The Board underwent the following changes in its composition since the date of last Board's report i.e. 29th May, 2023:

CESSATIONS

1. Mrs. Sunita Tuli Nagpal, Director & General Manager, ceased to be the Director of the Company on 31st October, 2023 consequent to her retirement on attaining the age of superannuation.

BOARD MEETING DETAILS DURING THE FY 2023-24:

During the year, the Board met six (6) times viz. on 12th May 2023, 29th May 2023, 11th August 2023, 26th September 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024. The attendance of the Directors at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति ६ बोर्ड में पदनाम Designation in the Committee / Board	(482 वां बीएम) (12 मई 2023) (482nd BM) (12th May 2023)	(483 आरडी बीएम) (29 मई 2023) (483rd BM) (29th May 2023)	(484 वां बी.एम.) (11 अगस्त 2023) (484th BM)(11th August 2023)	(485 वां बी.एम.) (26 सितंबर 2023) (485th BM) (26th September 2023)	(486 वां बी.एम.) (9 नवंबर 2023) (486th BM) (9th November 2023)	(487 वां बी.एम.) (12 फरवरी 2024) (487th BM)(12th February 2024)
श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	अध्यक्ष Chairman	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक (एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO, PNB)	निदेशक Director	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	छुट्टी Leave of Absence
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	निदेशक Director	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री जितेन्द्र असाटी Shri Jitendra Asati	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	निदेशक Director	छुट्टी Leave of Absence	छुट्टी Leave of Absence	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री पी. रघुनाथन नायर Shri P. Reghunathan Nair	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	निदेशक Director	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्रीमती सुनीता तुली Mrs. Sunita Tuli Nagpal	नागपाल पूर्णकालिक निदेशक एवं महिला निदेशक Whole Time Director & Woman Director	निदेशक (31 अक्टूबर , 2023 तक) Director (Till 31st October, 2023)	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P	ना / NA	ना / NA

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और अपनाने के लिए निदेशक मंडल की 488 वीं बैठक 27 मई, 2024 को आयोजित की गई।

The 488th Meeting of Board of Directors was held on 27th May, 2024, for approval and adoption of Audited Financial Statements for the Financial Year 2023-24.

foÙkh; o"kZ 2023&24 d nkjku cksMZ lfefr dk fooj.k%

BOARD COMMITTEE DETAILS DURING THE FINANCIAL YEAR 2023-24:

diuh vf/kfu;e] 2013 d vuqlkj cksMZ lfefr;k% y[kk ijh{kk lfefr%

BOARD COMMITTEES AS PER COMPANIES ACT, 2013:

AUDIT COMMITTEE:

लेखापरीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, बोर्ड को प्रस्तुत

The Audit Committee inter-alia oversees the financial

करने से पहले वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य और संबंधित कार्यों की देखरेख करती है।

श्री पी. रघुनाथन नायर 01.02.2022 से लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान समिति की पांच (5) बैठकें हुईं, अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 26 सितंबर 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

statements and financial reporting before submission to the Board, Internal audit function and the related work.

Shri P. Reghunathan Nair is the Chairman of the Audit Committee since 01.02.2022.

During the year, the Committee met five (5) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 26th September 2023, 09th November 2023, and 12th February 2024. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति ध बोर्ड में पदनाम Designation in the Committee / Board	(112 वीं लेखा परीक्षा समिति) (29 मई 2023) (112th Audit Committee) (29th May 2023)	(113 वीं लेखा परीक्षा समिति) (11 अगस्त 2023) (113th Audit Committee) (11th August 2023)	(114 वीं लेखा परीक्षा समिति) (26 सितंबर 2023) (114th Audit Committee) (26th September 2023)	(115 वीं लेखा परीक्षा समिति) (9 नवंबर 2023) (115th Audit Committee) (9th November 2023)	(116 वीं लेखा परीक्षा समिति) (12 फरवरी 2024) (116th Audit Committee) (12th February 2024)
श्री पी. रघुनाथन नायर Shri P. Reghunathan Nair	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अध्यक्ष Chairman	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक (एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO,PNB)	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	छुट्टी Leave of Absence
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्री जितेन्द्र असाटी Shri Jitendra Asati	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	छुट्टी Leave of Absence	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P

d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr%

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया था, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी, 2014 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 129 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था, ताकि कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी दी जा सके और उसका

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs to

कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

24 सितंबर 2021 को आयोजित 470 वीं बोर्ड बैठक में रखे गए नोट के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के तहत सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया।

vkbvkjMh,vkbd,ikjV xouil fofu;e 2016 d vulkj ckMl lfefr;k

fuos'k lfefr dk fooj.k

निवेश समिति की संरचना आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2000 के संशोधित प्रावधानों तथा आईआरडीएआई द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

31 मार्च, 2023 से श्री रश्मि रमण सिंह निवेश समिति के अध्यक्ष हैं ।

वर्ष के दौरान, निवेश समिति की पांच (5) बार बैठक हुई अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 26 सितंबर 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

The CSR Committee was dissolved under the provisions of Sec 135(9) of the Companies Act 2013 as per Note placed in 470th Board Meeting held on 24th September 2021.

BOARD COMMITTEES AS PER IRDAI CORPORATE GOVERNANCE REGULATIONS 2016:

INVESTMENT COMMITTEE DETAILS:

The composition of Investment Committee is in accordance with the provisions of the IRDAI (Investment) Regulations 2000 as amended and the Guidelines issued thereby by IRDAI from time to time.

Shri Rashmi Raman Singh is the Chairman of the Investment Committee since 31st March, 2023.

During the year, the Investment Committee met five (5) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 26th September 2023, 09th November 2023, and 12th February 2024. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति ६ बोर्ड में पदनाम Designation in the Committee / Board	(130 वीं निवेश समिति) (29 मई 2023) (130th Investment Committee) (29th May 2023)	(131 वीं निवेश समिति) (11 अगस्त 2023) (131st Investment Committee) (11th August 2023)	(132 वीं निवेश समिति) (26 सितंबर 2023) (132nd Investment Committee) (26th September 2023)	(133 वीं निवेश समिति) (9 नवंबर 2023) (133rd Investment Committee) (9th November 2023)	(134 वीं निवेश समिति) (12 फरवरी 2024) (134th Investment Committee) (12th February 2024)
श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	अध्यक्ष Chairman	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक (एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO,PNB)	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	छुट्टी Leave of Absence
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति ६ बोर्ड में पदनाम Designation in the Committee / Board	(130 वीं निवेश समिति) (29 मई 2023) (130th Investment Committee) (29th May 2023)	(131 वीं निवेश समिति) (11 अगस्त 2023) (131st Investment Committee) (11th August 2023)	(132 वीं निवेश समिति) (26 सितंबर 2023) (132nd Investment Committee) (26th September 2023)	(133 वीं निवेश समिति) (9 नवंबर 2023) (133rd Investment Committee) (9th November 2023)	(134 वीं निवेश समिति) (12 फरवरी 2024) (134th Investment Committee) (12th February 2024)
श्री जितेन्द्र असाटी Shri Jitendra Asati	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	छुट्टी Leave of Absence	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री सुनीता तुली नागपाल Shri Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक एवं जीएम निवेश संचालन Whole Time Director & GM Investment Operations	सदस्य (31 अक्टूबर ,2023 तक) Member (Till 31st October, 2023)	पी / P	पी / P	पी / P	ना / NA	ना / NA
श्रीमती रश्मि बाजपेयी Mrs. Rashmi Bajpai	महाप्रबंधक निवेश खाते GM Investment Accounts	सदस्य (29 मई, 2023 से 12 फरवरी , 2024 तक) Member (w.e.f. 29th May, 2023 till 12th February, 2024)	लागू नहीं* NA*	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
	महाप्रबंधक निवेश संचालन GM Investment Operations	सदस्य (12 फरवरी , 2024 से प्रभावी) Member (w.e.f. 12th February, 2024)	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना**** NA**
श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	महाप्रबंधक निवेश खाते GM Investment Accounts	सदस्य (29 मई , 2023 तक) Member (Till 29th May, 2023)	पी / P	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना / NA
सुश्री सुनीता गुप्ता Ms. Sunita Gupta	महाप्रबंधक निवेश खाते GM Investment Accounts	सदस्य (12 फरवरी , 2024 से प्रभावी) Member (w.e.f. 12th February, 2024)	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना**** NA****
सुश्री मीरा पार्थसारथी Ms. Meera Parthasarathy	सीआरओ / CRO	सदस्य (12 फरवरी , 2024 से प्रभावी) Member (w.e.f. 12th February, 2024)	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना / NA	ना**** NA*****

निदेशक का नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	समिति ɛ बोर्ड में पदनाम Designation in the Committee / Board	(130 वीं निवेश समिति) (29 मई 2023) (130th Investment Committee) (29th May 2023)	(131 वीं निवेश समिति) (11 अगस्त 2023) (131st Investment Committee) (11th August 2023)	(132 वीं निवेश समिति) (26 सितंबर 2023) (132nd Investment Committee) (26th September 2023)	(133 वीं निवेश समिति) (9 नवंबर 2023) (133rd Investment Committee) (9th November 2023)	(134 वीं निवेश समिति) (12 फरवरी 2024) (134th Investment Committee) (12th February 2024)
श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K G Nanda kumaran	सीएफओ CFO	सदस्य (31 जुलाई ,2023 तक) Member (Till 31st July, 2023)	पी/P	ना/NA	ना/NA	ना/NA	ना/NA
श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	सीएफओ CFO	सदस्य (11.08. 2023 से प्रभावी) Member (w.e.f. 11.08.2023)	ना**** NA	ना**** NA***	पी/P	पी/P	पी/P
श्री डी.के. बरगोती Shri D K Bargoti	सीआईओ CIO	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्रीमती योगिता अरोड़ा Mrs. Yogita Arora	नियुक्त एक्चुअरी Appointed Actuary	सदस्य Member	पी/P	छुट्टी Leave of Absence	पी/P	पी/P	पी/P

* सुश्री रश्मि बाजपेयी, महाप्रबंधक निवेश लेखा, 130 वीं निवेश समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुईं क्योंकि बैठक के समय उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

** सुश्री रश्मि बाजपेयी, जीएम निवेश परिचालन, जीएम निवेश लेखा की क्षमता में सदस्य के रूप में 134 वीं निवेश समिति की बैठक में शामिल हुईं क्योंकि बैठक के समय उन्हें जीएम निवेश परिचालन की क्षमता में समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

***श्री गिरीश आहूजा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, 131 वीं निवेश समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए, क्योंकि बैठक के समय उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

****सुश्री सुनीता गुप्ता, महाप्रबंधक निवेश लेखा, 134 वीं निवेश समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुईं क्योंकि बैठक के समय उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

*****सुश्री मीरा पार्थसारथी, सीआरओ, 134 वीं निवेश समिति की बैठक में आमंत्रित के रूप में शामिल हुईं क्योंकि बैठक के समय उन्हें समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

* Ms. Rashmi Bajpai, GM Investment Accounts, joined the 130th Investment Committee meeting as invitee because at the time of meeting she was not inducted as the member of the Committee.

** Ms. Rashmi Bajpai, GM Investment Operations, joined the 134th Investment Committee meeting as Member in the capacity of GM Investment Accounts because at the time of meeting she was not inducted as the member of the Committee in the capacity of GM Investment Operations.

***Shri Girish Ahuja, CFO, joined the 131st Investment Committee meeting as invitee because at the time of meeting he was not inducted as the member of the Committee.

****Ms. Sunita Gupta, GM Investment Accounts, joined the 134th Investment Committee meeting as invitee because at the time of meeting she was not inducted as the member of the Committee.

*****Ms. Meera Parthasarathy, CRO, joined the 134th Investment Committee meeting as invitee because at the time of meeting she was not inducted as the member of the Committee.

tkf[ke çc/ku lfefr dk fooj.k

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया था, जिसका परिपत्र संदर्भ: आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/025/2009–10 दिनांक 5 अगस्त , 2009 है।

31 मार्च, 2023 से श्री रश्मि रमण सिंह जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं ।

RISK MANAGEMENT COMMITTEE DETAILS

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

Shri Rashmi Raman Singh is the Chairman of the Risk Management Committee since 31st March, 2023.

वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की चार (4) बार बैठक हुई अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

During the year, the Risk Management Committee met four (4) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम **Name of the Director**	निदेशक पद की प्रकृति **Nature of Directorship**	समिति ɛ बोर्ड में पदनाम **Designation in the Committee / Board**	(54 वीं जोखिम प्रबंधन समिति) (29 मई 2023) **(54th Risk Mgt Committee) (29th May 2023)**	(55 वीं जोखिम प्रबंधन समिति) (11 अगस्त 2023) **(55th Risk Mgt Committee) (11th August 2023)**	(56 वीं जोखिम प्रबंधन समिति) (9 नवंबर 2023) **(56th Risk Mgt Committee) (9th November 2023)**	(57 वीं जोखिम प्रबंधन समिति) (12 फरवरी 2024) **(57th Risk Mgt Committee) (12th February 2024)**
श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	अध्यक्ष / Chairman	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक (एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO, PNB)	सदस्य / Member	पी / P	पी / P	पी / P	छुट्टी Leave of Absence
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य / Member	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक एवं महिला निदेशक Whole Time Director & Woman Director	सदस्य (31 अक्टूबर ,2023 तक) Member (Till 31st October, 2023)	पी / P	पी / P	ना / NA	ना / NA

i,fy lh/kkjd lj{k.k lfefr dk fooj.k

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया था, जिसका परिपत्र संदर्भ: आईआरडीए / एफएंडए / सी. आईआर / 025 / 2009–10 दिनांक 5 अगस्त, 2009 है।

श्री पी. रघुनाथन नायर 01.02.2022 से पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री एनएसआर चंद्र प्रसाद समिति में उपभोक्ताओं के लिए स्थायी विशेषज्ञ आमंत्रित हैं और उन्होंने वित्त वर्ष 2023–24 में समिति की सभी चार बैठकों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान समिति की चार (4) बैठकें हुईं, अर्थात 29 मई

POLICYHOLDER'S PROTECTION COMMITTEE DETAILS

The Policyholder's Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

Shri P. Reghunathan Nair is the Chairman of the Policyholder's Protection Committee since 01.02.2022.

Shri NSR Chandra Prasad is the permanent expert invitee for Consumers in the Committee and he attended all the four meetings of the Committee in FY 2023-24.

2023, 11 अगस्त 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को।

उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

During the year, the Committee met four (4) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024.

The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम **Name of the Director**	निदेशक पद की प्रकृति **Nature of Directorship**	समिति / बोर्ड में पदनाम **Designation in the Committee / Board**	(53 वाँ पीपीसी) (29 मई 2023) **(53rd PPC) (29th May 2023)**	(54 वीं पीपीसी) (11 अगस्त 2023) **(54th PPC) (11th August 2023)**	(55 वीं पीपीसी) (9 नवंबर 2023) **(55th PPC) (9th November 2023)**	(56 वीं पीपीसी) (12 फरवरी 2024) **(56th PPC) (12th February 2024)**
श्री पी. रघुनाथन नायर Shri P. Reghunathan Nair	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	अध्यक्ष Chairman	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक (एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO, PNB)	सदस्य Member	पी / P	पी / P	पी / P	छुट्टी Leave of Absence
श्री रश्मि रमन सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	सदस्य Member	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक एवं महिला निदेशक Whole Time Director & Woman Director	सदस्य (31 अक्टूबर , 2023 तक) Member (Till 31st October, 2023)	पी / P	पी / P	ना / NA	ना / NA

e=ky; d fn'kk&funsZ'kksa d vuqlkj cksMZ lfefr;ksa lifÙk leh{kk lfefr dk fooj.k

बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा धारित संपत्तियों तथा अन्य संपदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए किया गया था।

31 मार्च, 2023 से श्री रश्मि रमण सिंह संपत्ति समीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं ।

वर्ष के दौरान, संपत्ति समीक्षा समिति की चार (4) बार बैठक हुई अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को।

उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

BOARD COMMITTEES AS PER MINISTRY GUIDELINES:

PROPERTY REVIEW COMMITTEE DETAILS

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from the Ministry of Finance to review the matters of properties held by the Company and other Estate related Matters.

Shri Rashmi Raman Singh is the Chairman of the Property Review Committee since 31st March, 2023.

During the year, the Property Review Committee met four (4) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024.

The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम **Name of the Director**	निदेशक पद की प्रकृति **Nature of Directorship**	समिति ६ बोर्ड में पदनाम **Designation in the Committee / Board**	(47 वीं संपत्ति समीक्षा समिति) (29 मई 2023) **(47th Property Review Committee) (29th May 2023)**	(48 वीं संपत्ति समीक्षा समिति) (11 अगस्त 2023) **(48th Property Review Committee) (11th August 2023)**	(49 वीं संपत्ति समीक्षा समिति) (9 नवंबर 2023) **(49th Property Review Committee) (9th November 2023)**	(50 वीं संपत्ति समीक्षा समिति) (12 फरवरी 2024) **(50th Property Review Committee) (12th February 2024)**
श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	अध्यक्ष Chairman	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री जितेन्द्र असाटी Shri Jitendra Asati	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	छुट्टी Leave of Absence	पी / P	पी / P	पी / P
श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक एवं महिला निदेशक Whole time Director & Woman Director	सदस्य (31 अक्टूबर, 2023 तक) Member (Till 31st October, 2023)	पी / P	पी / P	ना / NA	ना / NA

ikfjJfed lfefr ¼lh,eMh dh ih,yvkbZ dh fy,½ fooj.k

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र संदर्भ संख्या एफ.सं. एस–11012 / 01 / 2007–इन्स.III के तहत, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था ।

श्री सुधीर श्याम 28.01.2021 से समिति के अध्यक्ष हैं और श्री अतुल कुमार गोयल और श्री जितेंद्र असाटी समिति के अन्य सदस्य हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई के लिए) की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

REMUNERATION COMMITTEE (FOR CMD's PLI) DETAILS

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

Shri Sudhir Shyam is the Chairman of the Committee since 28.01.2021 and Shri Atul Kumar Goel & Shri Jitendra Asati are the other members of the Committee.

No meeting of the Remuneration Committee (for CMD's PLI) was held during the FY 2023-24.

vU; ckMZ lfefr;k¡

vkbVh lfefr dk fooj.k

समिति का गठन कंपनी की आईटी पहलों पर अधिक ध्यान देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि आईटी पहल व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।

31 मार्च, 2023 से श्री रश्मि रमण सिंह आईटी समिति के अध्यक्ष हैं ।

वर्ष के दौरान, आईटी समिति की चार (4) बार बैठक हुई अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को।

उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

OTHER BOARD COMMITTEES:

IT COMMITTEE DETAILS

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

Shri Rashmi Raman Singh is the Chairman of the IT Committee since 31st March, 2023.

During the year, the IT Committee met four (4) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024.

The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम **Name of the Director**	निदेशक पद की प्रकृति **Nature of Directorship**	समिति ध बोर्ड में पदनाम **Designation in the Committee / Board**	(44 वीं आईटी समिति) (29 मई 2023) **(44th IT Committee) (29th May 2023)**	(45 वीं आईटी समिति) (11 अगस्त 2023) **(45th IT Committee) (11th August 2023)**	(46 वीं आईटी समिति) (9 नवंबर 2023) **(46th IT Committee) (9th November 2023)**	(47 वीं आईटी समिति) (12 फरवरी 2024) **(47th IT Committee) (12th February 2024)**
श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	अध्यक्ष / Chairman	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य / Member	पी / P	पी / P	पी / P	पी / P
श्री जितेन्द्र असाटी Shri Jitendra Asati	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य / Member	छुट्टी Leave of Absence	पी / P	पी / P	पी / P
श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक एवं महिला निदेशक Whole time Director & Woman Director	सदस्य (31 अक्टूबर,2023 तक) Member (Till 31st October, 2023)	पी / P	पी / P	ना / NA	ना / NA

vihy ,oa eekfj;y lfefr dk fooj.k

बोर्ड की उप–समिति को अपीलीय प्राधिकरण तथा कर्मचारियों / मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए मेमोरियल प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया गया है। उप–समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 में संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसे 23.12.2004 को आयोजित 351 वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 को अब ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी

APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE DETAILS:

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted, consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held

(आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 से बदल दिया गया है, जिसे 24/04/2014 को आयोजित 419 वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था ।

श्री सुधीर श्याम 28.01.2021 से अपील एवं मेमोरियल समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान समिति की पांच (5) बैठकें हुईं, अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 26 सितंबर 2023, 9 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को ।

उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 which were duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

Shri Sudhir Shyam is the Chairman of the Appeal & Memorial Committee since 28.01.2021.

During the year, the Committee met five (5) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 26th September 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024.

The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम **Name of the Director**	निदेशक पद की प्रकृति **Nature of Directorship**	समिति ६ बोर्ड में पदनाम **Designation in the Committee / Board**	(30 वीं अपील) (29 मई 2023) **(30th Appeal) (29th May 2023)**	(31 वीं अपील) (11 अगस्त 2023) **(31st Appeal) (11th August 2023)**	(32 वीं अपील) (26 सितंबर 2023) **(32nd Appeal) (26th September 2023)**	(33 वीं अपील) (9 नवंबर 2023) **(33rd Appeal) (9th November 2023)**	(34 वीं अपील) (12 फरवरी 2024) **(34th Appeal) (12th February 2024)**
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	अध्यक्ष Chairman	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्री जितेन्द्र असाटी Shri Jitendra Asati	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	छुट्टी Leave of Absence	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक (एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO, PNB)	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	छुट्टी Leave of Absence

ekuo lalk/ku lfefr dk fooj.k

समिति का गठन कंपनी के मानव संसाधन संबंधी मामलों को मंजूरी देने तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

31 मार्च, 2023 से श्री रश्मि रमण सिंह मानव संसाधन समिति के अध्यक्ष हैं ।

वर्ष के दौरान समिति की पांच (5) बैठकें हुईं, अर्थात 29 मई 2023, 11 अगस्त 2023, 26 सितंबर 2023, 09 नवंबर 2023 और 12 फरवरी 2024 को ।

उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

HR COMMITTEE DETAILS

The Committee was constituted to approve the HR related matters of the Company and ensure their implementation.

Shri Rashmi Raman Singh is the Chairman of the HR Committee since 31st March, 2023.

During the year, the Committee met five (5) times viz. on 29th May 2023, 11th August 2023, 26th September 2023, 09th November 2023 and 12th February 2024.

The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

निदेशक का नाम **Name of the Director**	निदेशक पद की प्रकृति **Nature of Directorship**	समिति ध बोर्ड में पदनाम **Designation in the Committee / Board**	(17 वीं मानव संसाधन समिति) (29 मई 2023) **(17th HR Committee) (29th May 2023)**	(18 वीं मानव संसाधन समिति) (11 अगस्त 2023) **(18th HR Committee) (11th August 2023)**	(19 वीं मानव संसाधन समिति) (26 सितंबर 2023) **(19th HR Committee) (26th September 2023)**	(20 वीं मानव संसाधन समिति) (9 नवंबर 2023) **(20th HR Committee) (9th November 2023)**	(21 वीं मानव संसाधन समिति) (12 फरवरी 2024) **(21st HR Committee) (12th February 2024)**
श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	अध्यक्ष Chairman	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P
श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक एवं महिला निदेशक Whole Time Director & Woman Director	सदस्य (31 अक्टूबर, 2023 तक) Member (Till 31st October, 2023)	पी/P	पी/P	पी/P	NA	NA
श्री अतुल कुमार गोयल Shri Atul Kumar Goel	स्वतंत्र निदेशक(एमडी एवं सीईओ, पीएनबी) Independent Director (MD & CEO, PNB)	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	छुट्टी Leave of Absence
श्री सुधीर श्याम Shri Sudhir Shyam	सरकारी नामित निदेशक Govt Nominee Director	सदस्य Member	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P	पी/P

çe[k çcU/kdh; dkfeZd ¼dEiuh vf/kfu;e] 2013 d vuqlkj½

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203(1) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण नीचे दिया गया है:

KEY MANAGERIAL PERSONNEL (AS PER COMPANIES ACT, 2013)

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, the Key Managerial Personnel are as detailed hereunder:

क्र.सं. S.No.	पद का नाम Designation	नाम Name	अवधि Period
1	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	17.03.2023 से From 17.03.2023
2	कंपनी सचिव Company Secretary	श्रीमती रश्मि बाजपेयी Mrs. Rashmi Bajpai	20.08.2007 से From 20.08.2007
3	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	11.08.2023 से From 11.08.2023
4	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K.G. Nandakumaran	01.04.2023 से 31.07.2023 तक From 01.04.2023 to 31.07.2023

çe[k 0;fä ¼vkbvkjMh,vkbl lhth fn'kkfunsZk 2016 d vuqlkj½

आईआरडीएआई द्वारा 2016 में जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रमुख व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

KEY PERSONS (AS PER IRDAI CG GUIDELINES 2016)

Pursuant to Corporate Governance Guidelines issued by IRDAI in 2016, the Key Persons are as detailed hereunder:

क्र.सं. S.No.	पद का नाम Designation	नाम Name	अवधि Period
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive Officer	श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024
2	मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर Chief Marketing Officer	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand	01/04/2023 से 27/04/2023 01/04/2023 to 27/04/2023
3	मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर Chief Marketing Officer	श्रीमती रेखा के. सोलंकी Mrs. Rekha K. Solanki	28/04/2023 से 31/03/2024 तक 28/04/2023 to 31/03/2024
4	मुख्य बीमालेखन अधिकारी Chief Underwriting Officer	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	01/04/2023 से 27/04/2023 01/04/2023 to 27/04/2023
5	मुख्य बीमालेखन अधिकारी Chief Underwriting Officer	श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती Mrs. Rekha Thakur Mohanty	28/04/2023 से 31/03/2024 तक 28/04/2023 to 31/03/2024
6	मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) Chief Underwriting Officer (Alternate)	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand	01/04/2023 से 03/05/2023 01/04/2023 to 03/05/2023
7	मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) Chief Underwriting Officer (Alternate)	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy	04/05/2023 से 08/11/2023 04/05/2023 to 08/11/2023
8	प्रमुख जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer	श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	01/04/2023 से 31/10/2023 तक 01/04/2023 to 31/10/2023
9	प्रमुख जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy	08/11/2023 से 31/03/2024 तक 08/11/2023 to 31/03/2024
10	मुख्य निवेश अधिकारी Chief Investment Officer	श्री डी.के. बरगोती Shri D. K. Bargoti	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024
11	मुख्य वित्त अधिकारी Chief Finance Officer	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K. G. Nandakumaran	01/04/2023 से 31/07/2023 01/04/2023 to 31/07/2023
12	मुख्य वित्त अधिकारी Chief Finance Officer	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	01/08/2023 से 31/03/2024 तक 01/08/2023 to 31/03/2024
13	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख Chief of Internal Audit	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024
14	मुख्य अनुपालन अधिकारी Chief Compliance Officer	श्रीमती शीला त्रिपाठी Mrs. Sheela Tripathi	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024
15	नियुक्त एक्चुअरी Appointed Actuary	श्रीमती योगिता अरोड़ा Mrs. Yogita Arora	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024

ch½ Lorr= funs'kd¼funs'kdksa½ }kjk ?kks"k.kk vkj iqufu;qfä] ;fn dksbZ gks

निदेशकों श्री पी. रघुनाथन नायर और श्री अतुल कुमार गोयल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में प्रावधान के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के लिए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा प्रस्तुत की थी।

lh½ vkipkfjd okf"kZd eY;kdu

सरकारी कंपनी होने के कारण छूट दी गई।

Mh½ Lorr= funs'kdksa dh cSBd

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने की कोई सूचना कंपनी को नहीं दी गई।

16- funs'kdksa vkj deZpkfj;ksa ds fy, lrdZrk r= dh LFkkiuk dk fooj.k

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति, बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

17- /kkjk 186 ds vuqlkj _.k] xkjaVh ;k fuos'k dk fooj.k

कोई नहीं

18- lEcf/kr i{kksa ds lkFk vuqcU/kksa ;k 0;oLFkkvksa dk fooj.k%

फॉर्म एओसी–2 का विवरण निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

19- çcU/kdh; ikfJfed%

d½ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की धारा 5(2) के अनुसार कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का विवरण

कोई नहीं

¼[k½ कोई निदेशक जो कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त करता है और जो कंपनी का प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक है, वह ऐसी कंपनी की किसी होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं करेगा, बशर्ते कि कंपनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाए।

B) Declaration by the Independent Director(s) and re- appointment, if any

Shri P. Reghunathan Nair and Shri Atul Kumar Goel, Directors had furnished declaration of meeting the criteria of independence for the FY 2023-24, as provided in Sub-Section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

C) Formal Annual Evaluation

Exempted, being a Government Company.

D) Meeting of Independent Directors

During the year under review, no intimation of holding the meeting of Independent Directors was provided to the Company.

16. Details of establishment of vigil mechanism for directors and employees

The Whistle Blower Policy of the Company, duly approved by the Board is available on the Company's website.

17. Particulars of loans, guarantees or investments under Section 186

None

18. Particulars of contracts or arrangements with related parties:

The details in Form AOC -2 are annexed to the Director's Report.

19. Managerial Remuneration:

A) Details of the every employee of the Company as required pursuant to 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

None

B) Any director who is in receipt of any commission from the company and who is a Managing Director or Whole-time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any Holding Company or Subsidiary Company of such Company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report.

कोई नहीं

None

lh½ (i) सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों (आईआरडीएआई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

C) (i) The details of the remuneration paid to CMD, Whole-time directors & Key persons (As per IRDAI CG Guidelines) is given here under:

सीएमडी एवं पूर्णकालिक निदेशक का पारिश्रमि / CMD & WHOLETIME DIRECTOR'S REMUNERATION					
(वित्त वर्ष 2023–24) **(FY 2023-24)**					
क्र.सं. **S.No.**	नाम **NAME**	वेतन **SALARY**	पीएफ / पेंशन अंशदान **PF/PENSION CONTRIBUTION**	कुल **TOTAL**	अनुलाभों का मूल्य **VALUE OF PERQUISITES**
1	श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director (01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	3588113	248340	3836453	-
2	श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Director (01 / 04 / 2023 से 31 / 10 / 2023) (01/04/2023 to 31/10/2023)	2100115	136996	2237111	538192

प्रमुख व्यक्ति (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार) पारिश्रमिक **KEY PERSONS (AS PER COMPANIES ACT, 2013) REMUNERATION**					
(वित्त वर्ष 2023–24) **(FY 2023-24)**					
क्र.सं. **S.No.**	नाम **NAME**	वेतन **SALARY**	पीएफ / पेंशन अंशदान **PF/PENSION CONTRIBUTION**	कुल **TOTAL**	अनुलाभों का मूल्य **VALUE OF PERQUISITES**
1	श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director (01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	3588113	248340	3836453	-
2	श्रीमती रश्मि बाजपेयी, सी Mrs. Rashmi Bajpai, CS (01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	3557158	227754	3784912	482470
3	श्री के.जी. नंदकुमारन, सी.एफ.ओ. Shri K. G. Nandakumaran, CFO (01 / 04 / 2023 से 31 / 07 / 2023) (01/04/2023 to 31/07/2023)	1013370	68095	1081465	125526

4	श्री गिरीश आहूजा, सीएफओ Shri Girish Ahuja, CFO (11/08/2023 से 31/03/2024 तक) (11/08/2023 to 31/03/2024)	2106384	132856	2239240	34000

प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति (आईआरडीएआई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार) पारिश्रमिक **KEY MANAGEMENT PERSONS (AS PER IRDAI CG GUIDELINES) REMUNERATION**					
(वित्त वर्ष 2023–24) **(FY 2023-24)**					
क्र.सं. **S.No.**	नाम **NAME**	वेतन **SALARY**	पीएफ/पेंशन अंशदान **PF/PENSION CONTRIBUTION**	कुल **TOTAL**	अनुलाभों का मूल्य **VALUE OF PERQUISITES**
1	श्री रश्मि रमण सिंह Shri Rashmi Raman Singh मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive Officer (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	3588113	248340	3836453	-
2	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर Chief Marketing Officer (01/04/2023 से 27/04/2023) (01/04/2023 to 27/04/2023)	273540	37113	310653	55900
3	श्रीमती रेखा के. सोलंकी Mrs. Rekha K. Solanki मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर Chief Marketing Officer (28/04/2023 से 31/03/2024) (28/04/2023 to 31/03/2024)	3083445	196498	3279943	630191
4	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena मुख्य बीमालेखन अधिकारी Chief Underwriting Officer (01/04/2023 से 27/04/2023) (01/04/2023 to 27/04/2023)	3415189	218628	3633817	230454
5	श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती Mrs. Rekha Thakur Mohanty मुख्य बीमालेखन अधिकारी Chief Underwriting Officer (28/04/2023 से 31/03/2024) (28/04/2023 to 31/03/2024)	3030404	198550	3228954	493443

6	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) Chief Underwriting Officer (Alternate) (01/04/2023 से 03/05/2023 तक) (01/04/2023 TO 03/05/2023)	273540	37113	310653	55900
7	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) Chief Underwriting Officer (Alternate) (04/05/2023 से 08/11/2023) (04/05/2023 to 08/11/2023)	1608074	106248	1714322	201935
8	श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal प्रमुख जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer (01/04/2023 से 31/10/2023) (01/04/2023 to 31/10/2023)	2100115	136996	2237111	538192
9	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy प्रमुख जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer (08/11/2023 से 31/03/2024) (08/11/2023 to 31/03/2024)	1404811	90250	1495061	168279
10	श्री डी.के. बरगोती, Shri D. K. Bargoti, मुख्य निवेश अधिकारी Chief Investment Officer (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	3272909	209292	3482201	56000
11	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K. G. Nandakumaran मुख्य वित्त अधिकारी Chief Finance Officer (01/04/2023 से 31/07/2023) (01/04/2023 to 31/07/2023)	1013370	68095	1081465	125526
12	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja मुख्य वित्त अधिकारी Chief Finance Officer (01/08/2023 से 31/03/2024 तक) (01/08/2023 to 31/03/2024)	2106384	132856	2239240	34000

13	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख Chief of Internal Audit (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	3415189	218628	3633817	230454
14	श्रीमती शीला त्रिपाठी Mrs. Sheela Tripathi मुख्य अनुपालन अधिकारी Chief Compliance Officer (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	2979218	195948	3175166	318504
15	श्रीमती योगिता अरोड़ा Mrs. Yogita Arora नियुक्त एक्चुअरी Appointed Actuary (01/04/2023 से 31/03/2024 तक) (01/04/2023 to 31/03/2024)	9600000	-	9600000	-

(ii) प्रदर्शन मानदंडों के साथ–साथ निश्चित घटक और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों का विवरणय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

(iii) स्टॉक विकल्प का ब्यौरा, यदि कोई हो, तथा क्या उसे छूट पर जारी किया गया है, साथ ही वह अवधि जिसके लिए यह अर्जित हुआ है तथा जिसके लिए यह प्रयोग योग्य है।

शून्य

डी) बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर–सरकारी निदेशकों को बैठने की फीस का भुगतान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए भुगतान का विवरण इस प्रकार हैः

(ii) Details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria;

No performance linked incentives were paid during the year under review.

(iii) Stock option details, if any, and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.

NIL

D) Sitting fees for attending the Board & Committee meetings is being paid to Non-Official Directors. The details of payment made during the FY 2023-24 are as under:

क्र. सं. **S. No.**	नाम **Name**	राशि (रु. में) **Amount (in Rs.)**
1	श्री पी. रघुनाथन नायर Shri P. Reghunathan Nair	2,20,000

20- lfpoh; y[kkijh{kk fjikVZ

कंपनी का वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय ऑडिट मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा किया गया था। उनकी रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। रिपोर्ट स्व–व्याख्यात्मक प्रकृति की है।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 27

20. Secretarial Audit Report

The Secretarial Audit for FY 2023-24 of the Company was conducted by M/s. Saurabh Agarwal & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report. The report is self-explanatory in

मई 2024 को आयोजित 488 वीं बोर्ड बैठक में विधिवत रखी गई।

21- okf"kd lfpoh; vuqikyu fjikV

31 मार्च, 2023 से लागू सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 24ए के अनुपालन में, मेसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए ऑडिट किया गया और उनके द्वारा प्रदान की गई वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट 27 मई 2024 को आयोजित 488 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखी गई और इस बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। रिपोर्ट स्व–व्याख्यात्मक है।

22- tkf[ke çcU/ku uhfr

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को प्रारंभिक रूप से 19 अप्रैल, 2012 को आयोजित 401वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था। संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति को 11 नवंबर, 2022 को आयोजित 479वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया ।

23- bulkbMj VsfMax dk fu"ks/k ij uhfr

कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध संबंधी नीति को 14 फरवरी, 2023 को आयोजित 480वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया ।

24- vkbvkjMh,vkbZ ijthdj.k dk uohuhdj.k

मार्च, 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा बीमा संशोधन विधेयक पारित होने के साथ ही आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण का वार्षिक प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया और रसीद वाउचर संख्या FY24/NL/AF/25 दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से इसकी पावती दी गई।

25- fun'kdksa dh ftEesnkjh dk fooj.k

हम इसकी पुष्टि करते हैं

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए

nature.

The Secretarial Audit report for the FY 2023-24 was duly placed in 488th Board meeting held on 27th May 2024.

21. Annual Secretarial Compliance Report

In compliance with Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations applicable w.e.f. 31st March, 2023, Audit for Secretarial Compliance Report was conducted by M/s Neelam Gupta & Associates for Financial Year 2023-24 and Annual Secretarial Compliance Report provided by them was placed before the Board in its 488th Board Meeting held on 27th May 2024 and is annexed to this Board's Report. The report is self-explanatory.

22. Risk Management policy

The Risk Management Policy of the Company was initially approved in the 401st Board Meeting held on 19th April, 2012. The revised Risk Management Policy was approved in the 479th Board meeting held on 11th November, 2022.

23. Policy on Prohibition of Insider Trading

The Policy on Prohibition of Insider Trading of the Company was approved by the Board in its 480th Board Meeting held on 14th February, 2023.

24. Renewal of IRDAI Registration

With the passing of the Insurance Amendment Bill by both the houses of Parliament in March, 2015, the requirement of issuing Annual Certificate of Renewal of License by IRDAI was done away with. The fee for renewal of annual registration for the FY 2024-25 was remitted to Insurance Regulatory & Development Authority of India and same was acknowledged vide Receipt Voucher No. FY24/NL/AF/25 dated 28.02.2024.

25. Directors' Responsibility Statement

We confirm that

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and

तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थीय

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे; और

(ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

26- vkHkkj

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और लेखा परीक्षा बोर्ड–II के पदेन सदस्य, बीमा परिषद (जीबीआईसी) के शासकीय निकाय और भारतीय साधारण बीमाकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र संघ (जिप्सा) तथा अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों को उनके बहुमूल्य दिशा–निर्देशों और वर्ष भर कंपनी को दिए गए निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल मूल्यवान ग्राहकों, बैंकरों, एजेंटों, सर्वेक्षकों, हितधारकों और आम जनता के प्रति भी आभारी है, जिन्होंने कंपनी में अपना समर्थन और विश्वास जताया।

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र विकास और वृद्धि में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना की सराहना करता है और आने वाले वर्ष में कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर समर्थन और पूरे दिल से सहयोग की आशा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–
रश्मि रमण सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27.05.2024

made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

(e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

26. Acknowledgements

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division), Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board – II, Governing Body of Insurance Council (GBIC) and General Insurers' Public Sector Association of India (GIPSA) and other government and regulatory agencies for their valuable guidelines and continuous support provided to the company throughout the year.

The Board of Directors are also grateful to the valued customers. Bankers, agents, surveyors, stakeholders and public at large for the patronage and confidence reposed in the Company.

The Board of Directors places on record their appreciation for the commitment. Sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development and growth of the Company and look forward to the continued support and whole hearted cooperation for the realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

RASHMI RAMAN SINGH
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi
Date: 27.05.2024

Qke ,vkbZ&1

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़े जाने वाले खण्ड 129 के उपखण्ड (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसार

lgk;d@,lkf'k,V dEifu;ksa@l;qDr oUpjksa dh foRrh; fooj.kh dh e[; fo'ks"krkvksa okyh fooj.kh

Hkkx ^d^ lgk;d

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना को रुपयों में दर्शाया जाए)

Form AOC-I

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

Part "A": Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.)

क्रमांक Sl. No.	ब्यौरा Particulars	विवरण Details
1.	कंपनी का नाम Name of the subsidiary	दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company
2.	सम्बद्ध सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो तो – Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	-
3.	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संबद्ध वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर लागू नहीं Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	NA
4.	शेयर पूंजी Share capital	500000
5.	रिजर्व एवं आधिक्य Reserves & surplus	-1331626
6.	कुल सम्पत्तियां Total assets	682494
7.	कुल देयताएं Total Liabilities	1514154
8.	निवेश Investments	-
9.	टर्नओवर Turnover	-

10.	कराधान से पूर्व लाभ Profit before taxation	-246646
11.	कराधान हेतु प्रावधान Provision for taxation	लागू नहीं Nil
12.	कराधान के पश्चात लाभ Profit after taxation	-246646
13.	प्रस्तावित लाभांश लागू नहीं Proposed Dividend	लागू नहीं Nil
14.	शेयरधारिता का % % of shareholding	100%

fVIif.k;k% निम्नलिखित जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

1. उन अनुषंगियों के नाम जिनका परिचालन शुरू होना बाकी है – 'kU;

2. उन अनुषंगियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है – 'kU;

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations **- NIL**

2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year - **NIL**

Hkkx Þ[kaS% ,lkf'k,V l rFkk l;qDr oUpl

एसोशिएट कंपनियों तथा संयुक्त वेन्चरों से सम्बद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 129(3) के अनुसार विवरणी

(राशि रूपयों में)

Part "B": Associates and Joint Ventures

Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

एसोशिएट्स/संयुक्त वेन्चरों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	इंडिया इंटरनेशनल India International	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health India TPA of India
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तिथि* Latest Unaudited Balance Sheet Date*	31.12.2023	31.03.2024
2. वर्ष के अंत में कंपनी के पास रखे संयुक्त वेन्चरों/एसोशिएट्स के शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end No.	10000000	28500000
संयुक्त वेंचर/एसोशिएट्स में निवेश की राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	39110460	285000000
होल्डिंग में वृद्धि का % Extend of Holding %	20%	23.75%
3. कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसका विवरण हमारी शेयर धारिता हमारी शेयर धारिता Description of how there is significant influence	Our Shareholding	Our Shareholding

4. एसोशिएट्स/संयुक्त वेन्चर के समेकित न होने का कारण Reason why the associate/joint venture is not consolidated	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
5. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य Net worth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	5244946000	249914062
6. वर्ष में लाभ/हानि Profit / Loss for the year	1396892543	111853016
i. समेकन में विचारणीय Considered in Consolidation	218311382	26980305
i. समेकन में विचारणीय नहीं Not Considered in Consolidation	1178581161	84872712

1. उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका संचालन शुरू होना बाकी है दृ लागू नहीं

2. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है – लागू नहीं

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations. NA
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year. NA

*Unaudited Figures were used for consolidation as Financial Statements of both the Associate Companies were Unaudited on the date of signing of Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited.

jf'e je.k fl;g
v/;{k ,o çc/k fun'kd
RASHMI RAMAN SINGH
Chairman-cum Managing Director

ih- j?kukFku uk;j
fun'kd
P. REGHUNATHAN NAIR
Director

l/khj ';ke
fun'kd
SUDHIR SHYAM
Director

jf'e ckt i;h
egkçc/kd ,o dEiuh lfpo
RASHMI BAJPAI
General Manager
& Company Secretary

lquhrk xIrk egkçc/kd
,o foRrh; lykgdkj
SUNITA GUPTA
General Manager
& Financial Advisor

fxjh'k vkgtk
mi egkçc/kd
,o e[; foRr vf/kdkjh
GIRISH AHUJADeputy
General Manager& Chief
Finance Officer

QkeZ u- ,vkbZ&2

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) तथा अधिनियम के खण्ड 134 के उप खण्ड (3) की धारा (एच) के अनुसार

कंपनी द्वारा संबद्ध पक्षों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 188 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित तथा उसके तृतीय प्रावधान के अन्तर्गत कुछ सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रक्रियाओं के संबंध में किये गये अनुबंधोंध्संविदाओं के विवरण के प्रकटन हे फार्म

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन या अनुबंधों का विवरण जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं की गईः–

वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 तक संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन–देन या अनुबंधों का विवरण जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं की गई

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis for the Financial Year 01.04.2023 to 31.03.2024:

संबंधित पक्ष के नाम **Name(s) of the related party**	संबंध की प्रकृति **Nature of relationship**	लेन–देन की अवधि **Duration of the transactions**	विभिन्न शर्तें **Salient terms**	ऐसी संविदाओं या अनुबंधों या प्रक्रियाओं में प्रविष्टि हेतु कारण **Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions**	मंडल द्वारा स्वीकृति की तिथि (यों) यदि कोई हो तो **Date(s) of approval by the Board, if any**	अदा की गई अग्रिम राशि **Amount paid as advances**	खण्ड 188 के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार जिस तिथि को विशेष संकल्प पास किया गया **Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188**
संवदिा की प्रकृति **Nature of Contract**							
लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**	लागू नहीं **N.A**

2. आर्म–लेंथ आधार पर मुख्य संविदाएं या व्यवस्थाएं या लेन–देन का विवरण

वित्तीय वर्ष 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लिए आर्म लेंथ आधार पर मुख्य संविदाओं या व्यवस्थओं या लेने–देन का विवरण

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis for the Financial Year 01.04.2023 to 31.03.2024:

संबद्ध पक्ष के नाम **Name(s) of the related party**	संबंध की प्रकृति **Nature of elationship**	लेन–देन की अवधि **Duration of the transactions**	मूल्य, यदि कोई हो, सहित प्रक्रियाओं या अनुबंधों या संविदओं के सामान्य नियम **Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any**	मंडल द्वारा स्वीकृति की तिथि(यों) यदि कोई हो **Date(s) of approval by the Board, if any**	राशि (भारतीय रु. लाख में) **Amount (in INR Lacs)**
संविदा की प्रकृति **Nature of Contract**					
इक्यूटी दस्तावेज में निवेश **Investment in Equity Instrument**					
दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	अनुषंगी Subsidiary	लागू नहीं Not pplicable	लागू नहीं Not Applicable	नोट सं. 1 का संदर्भ लें Refer Note no. 1	5.00
हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया Health Insurance TPA of India Ltd.	सहयोगी Associate	लागू नहीं Not Applicable नोट सं.21	लागू नहीं Not Applicable	नोट सं. 2 का संदर्भ लें Refer Note no. 2	1980.75
इंडिया इंन्टरनेशलन इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance Pte. Ltd.	सहयोगी Associate	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	नोट सं. 3 का संदर्भ लें Refer Note no. 3	391.10
दी गई अग्रिम राशियां **Advances Given**					
दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited	अनुषंगी Subsidiary	31 मार्च, 2024 तक Upto 31st March 2024	असुरक्षित Unsecured	नोट सं. 4 का संदर्भ लें Refer Note no. 4	14.72
प्राप्त किया गया लाभांश **Dividend Received**					
इंडिया इंन्टरनेशल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance Pte. Ltd.	सहयोगी Associate	वित्त वर्ष 2023–24 FY 2023-24	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	610.50
अन्य संविदाएं **Other Contracts -**					
इंडिया इंन्टरनेशल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड **India International Insurance Pte. Ltd.**	सहयोगी Associate	वित्त वर्ष 2023–24 FY 2023-24	लागू नहीं Not Applicable	नोट सं. 5 का संदर्भ लें Refer Note no. 5	
(a) ट्रीटी आईडब्ल्यू (स्वीकृति) Treaty IW (Acceptance)					615.02
(b) एफएसी आईडब्ल्यू (स्वीकृति) FAC IW (Acceptance)					436.89
(c) ओडब्ल्यू एफएसी (अर्पण) OW FAC (Cession)					21.80

हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया Health Insurance TPA of India Ltd.	सहयोगी Associates	वित्त वर्ष 2023–24 FY 2023-24	लागू नहीं Not Applicable	नोट सं. 6 का संदर्भ लें Refer Note no. 6	
(a) हिटपा को देय राशि Amount due to HITPA					875.32
(b) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel					-
(c) किराया प्राप्त किया Rent Received					43.96
(d) टीपीए शुल्क भुगतान/देय TPA Fees Paid/Payable					7917.62

नोटः

1. दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड जीआईबीएनए–1972 के अनुसरण में दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।
2. हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लि. को निवेश हेतु सैद्धान्तिक रुप से स्वीकृति 11 अप्रैल 2013 को हुई मंडल की 411वीं बैठक में दी गई थी। मूल निवेश 01.01.2014 को किया गया और सही मुद्दों का अनुसरण किया गया था।
3. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई, सिंगापुर–वास्तविक निवेश 8 जनवरी 1988 को किया गया तथा इसके पश्चात बोनस शेयर तथा राईट इश्यू आया।
4. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में आईसीसी के साथ संबद्ध की प्रक्रिया हेतु सर्वग्रही स्वीकृति 29 मई, 2023 को लेखा परीक्षण समिति की हुई 112वीं बैठक में मांगी।
5. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में इंडिया इंन्टरनेशल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड के साथ संबद्ध की प्रक्रिया हेतु सर्वग्रही स्वीकृति 29 मई,2023 को लेखा परीक्षण समिति की हुई 112वीं बैठक में मांगी।
6. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में हिटपा के साथ संबद्ध की प्रक्रिया हेतु सर्वग्रही स्वीकृति 29 मई,2023 को लेखा परीक्षण समिति की हुई 105वीं बैठक और 483वीं बोर्ड बैठक में मांगी।

Note:

1. The Industrial Credit Company Limited is subsidiary of The Oriental Insurance Company Ltd. By virtue of GIBNA-1972.
2. Health Insurance TPA of India Ltd. In principle approval of Investment was given at the 411th Board Meeting held on 11th April 2013. Original Investment made on 01.01.2014 and was followed by various right issue.
3. India International Pte. Singapore- Original Investment was made on 8th January, 1988 and was followed by Bonus shares and Right issue.
4. The company sought Omnibus Approval for Related Party Transactions with ICC for FY 2023-24 in 112th Meeting of Audit committee held on 29th May 2023.
5. The company sought Omnibus Approval for Related Party Transactions with India International Insurance Pte. Ltd. for FY 2023-24 in 112th Meeting of Audit committee held on 29th May 2023.
6. The company sought Omnibus Approval for Related Party Transactions with HITPA for FY 2023-24 in 105th Meeting of Audit committee and 483rd Board Meeting held on 29th May 2023.

रश्मि रमण सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
RASHMI RAMAN SINGH
Chairman-cum Managing Director

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
P. REGHUNATHAN NAIR
Director

सुधीर श्याम
निदेशक
SUDHIR SHYAM
Director

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
RASHMI BAJPAI
General Manager & Company Secretary

गिरीश आहुजा
उप महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी
GIRISH AHUJA
Deputy General Manager
& Chief Finance Officer

ifjf'k"V&II

lh,lvkj xfrfof/k;ksa ij okf"kZd fjiksVZ

1- dEiuh dh lh,lvkj uhfr ij lf{kIr :ijs[kkA

कंपनी के लक्ष्य के अनुरूप, ओरिएण्टल इंश्योरेंस, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में अपनी भूमिका में, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास करेगा जो बड़े पैमाने पर समाज को लाभान्वित करते हैं और उन लोगों को भी लाभान्वित करते है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। ओरिएण्टल इंश्योरेंस सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

अपने सभी हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए, संगठन में सभी स्तरों पर बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, ताकि अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से संचालित किया जा सके।

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम चलाना जिनसे समुदाय को लाभ हो और जिसके परिणामस्वरूप, समय के साथ, उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जिनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया है।
- अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से ओरिएण्टल इंश्योरेंस के लिए सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करना तथा एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में ओरिएंटल इंश्योरेंस की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में सहायता करना।

2- lh,lvkj lfefr dh lajpukA

बोर्ड की सीएसआर समिति को 24.09.2021 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार भंग कर दिया गया।

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां https%//orientalinsurance-org-in/web/guest/csr की संरचना हो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति,

सीएसआर पॉलिसी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की बेबसाईट पर जानकारी उपलब्ध है।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी) नियम 2014 लागू नहीं

के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में कार्यान्वित परियोजनाओं

के सीएसआर के प्रभाव आकलन का विवरण उपलब्ध

ANNEXURE-II

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

In alignment with the Vision of the Company, ORIENTAL INSUARANCE, in its role as a socially responsible corporate will endeavour to participate in programmes that benefit the society at large and also those who need special assistance. The Objectives of the ORIENTAL INSURANCE CSR POLICY is to:

Ensure an increased commitment at all levels in the organization, to operate its business in an economically, socially & environmentally sustainable manner, while recognizing the interest of all its stakeholders.

- To directly or indirectly take up programmes that benefit the community and results, over a period of time, in enhancing the quality of life & economic well being of the people for whom the specific programme is designed.
- To generate through its CSR initiatives, a community goodwill for ORIENTAL INSURANCE and help reinforce a positive & socially responsible image of ORIENTAL INSURANCE as a corporate entity.

2. Composition of CSR Committee:

CSR Committee of Board was dissolved in accordance with approval accorded by the Board in its Meeting held on 24.09.2021.

3. Provide the web-link where Composition of https://orientalinsurance.org.in/web/guest/csr Corporate Social Responsibility Committee,

CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company.

4. Provide the details of Impact assessment of CSR Not Applicable
Projects carried out in pursuance of Sub-rule (3)
of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, if applicable

कराएं,

यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी) नियम 2014 लागू नहीं

के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में आरंभ करने के लिए

उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)

(attach the report).

5. Details of amount available for set off in pursuance of Not Applicable
Sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate
Social Responsibility Policy) Rules 2014 and amount required for set off for the financial year, if any.

क्रम सं Sl.No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	विगत वित्तीय वर्षों से कटौती हेतु उपलब्ध राशि (रु. में) Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs.)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रु. में) Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs.)
1	2022-23	शून्य NIL	शून्य NIL
2	2021-22	शून्य NIL	शून्य NIL
3	2020-21	शून्य NIL	शून्य NIL
	कुल TOTAL	शून्य NIL	शून्य NIL

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ शुद्ध हानि 358639 लाख रुपये

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के शुद्ध हानि 7173 लाख रुपये

औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

(बी) विगत वित्तीय वर्षों के सीएसआर परियोजनाओं के कार्यक्रम या गतिविधियाँ से उत्पन्न अधिशेष शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए7बी–7सी). शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

6. Average net profit of the company as per Section 135(5) **Net Loss Rs. 358639 lacs**

7. (a) Two percent of average net profit of the company as **Net Loss Rs. 7173 lacs** per Section 135(5)

(b) Surplus arising out of the CSR Projects or NIL
Programmes or activities of the previous financial years

(c) Amount required to be set off for the financial year, NIL
If any

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c). NIL

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि. (रु. में) **Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)**	अव्ययित राशि (रु. में) **Amount Unspent (in Rs.)**				
	धारा 135(6) के अनुसार कुल राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई। **Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Section 135(6).**		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि। **Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5).**		
	मात्रा **Amount**	स्थानांतरण की तिथि **Date of transfer**	फंड का नाम **Name of the Fund**	मात्रा **Amount**	स्थानांतरण की तिथि **Date of transfer**
शून्य NIL	शून्य NIL	लागू नहीं NOT APPLICABLE	लागू नहीं NOT APPLICABLE	शून्य NIL	लागू नहीं NOT APPLICABLE

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : शून्य

(b) Details of CSR amount spent against **ongoing projects** for the financial year: NIL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम. Sl. No.	परियोजना का नाम Name of the Project	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद। Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	स्थानीय क्षेत्र (हां नहीं) Local Area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान Location of the Project		परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रु. में) Amount allocated for the project (in Rs.)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में) Amount spent in the current financial year (in Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6) (in Rs.)	कार्यान्वयन का तरीका दृ प्रत्यक्ष (हां नहीं) Mode of Implemen-tation – Direct (Yes / No)	कार्यान्वयन का तरीका दृ ्न्वयन एजेंसी के माध्यम से Mode of Implementation – Through Implementing Agency	
				राज्य State	जिला District						नाम Name	सीएसआर पंजी. करण संख्या CSR Registration Number
1.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कुल TOTAL						शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL			

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रम सं . Sl. No.	परियोजना का नाम Name of the Project	अधिनियम की अनुसूची टप्प में गतिविधियों की सूची से मद। Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं) Local area (Yes/No)	परियोजना का स्थान Location of the project		परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपये में) Amount spent for the project (inRs.)	कार्यान्वयन का तरीका –प्रत्यक्ष (हां नहीं) Mode of implementation – Direct (Yes/No)	कार्यान्वयन का तरीका दृ कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से Mode of Implementation – Through implementing agency	
				राज्य State	जिला District			नाम Name	सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR Registration number

1.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	शून्य NIL	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कुल TOTAL					शून्य NIL			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि
शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो तो
शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि
शून्य

(8बी+8सी+8डी+8ई)

(जी) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो
शून्य

(d) Amount spent in Administrative Overheads.
NIL

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable
NIL

(f) Total amount spent for the Financial year (8b+8c+8d+8e)
NIL

(g) Excess amount for set off, if any
NIL

क्रम सं Sl.No.	विवरण Particulars	राशि (रु. में) Amount (in Rs)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	शून्य NIL
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि Total amount spent for the Financial Year	शून्य NIL
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	शून्य NIL
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	शून्य NIL
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	शून्य NIL

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः शून्य

(a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years: NIL

क्र. सं. Sl. No.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष Preceding Financial year	धारा 135(6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु. में) Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135(6) (in Rs.)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में) Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची टप्प के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो। Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में) Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs.)
				फंड का नाम Name of the Fund	राशि (रु. में) Amount (in Rs.)	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer	

1.	2022-23	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	शून्य/NIL
2.	2021-22	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं /NA	शून्य/NIL
3.	2020-21	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	शून्य/NIL
	कुल TOTAL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	शून्य/NIL

पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : शून्य

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s): NIL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम. Sl. No.	परियोजना पहचान Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में) Total amount allocated for the project (in Rs.)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में) Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रु. में) Cumulative amount spent at the end of reporting Financial year (in Rs.)	परियोजना की स्थिति–पूर्ण/ चालू Status of the project – Completed / Ongoing
1.	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	लागू नहीं NA
	कुल **TOTAL**	शून्य **NIL**			शून्य **NIL**	शून्य **NIL**	शून्य **NIL**	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, लागू नहीं
वित्तीय वर्ष में निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण सीएसआर के माध्यम से व्यय(परिसंपत्ति–वार विवरण)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि। लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई लागू नहीं
पूंजीगत परिसंपत्ति. सीएसआर राशि

(ग) उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके लागू नहीं
नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि.

(ध) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें लागू नहीं

(पूंजीगत परिसंपत्ति पूरा पता और स्थान सहित)।

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत लागू नहीं
व्यय करने में विफल रही है तो कारण बताएं ।

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish Not Applicable
the details relating to the asset so created or acquired
Through CSR spent in the financial year (asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s). Not Applicable

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of Not Applicable
Capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary Not Applicable
Under whose name such capital asset is registered,
their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired Not Applicable
(including complete address and location of the capital
asset).

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend Not Applicable
Two per cent of the average net profit as per Section 135(5).

,lMh@&
jf'e jeu flag
¼v/;{k ,oa çca/k funs'kd½

Sd/-
RASHMI RAMAN SINGH
(Chairman-cum-Managing Director)

Saurabh Agrawal & Co.
Company Secretaries

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended 31st March, 2024

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To

The Members

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

CIN: U66010DL1947GOI007158

A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi, India, 110002

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by *The Oriental Insurance Company Limited (CIN: U66010DL1947GOI007158)* (herein after called "*the Company*"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on my/our verification of *The Oriental Insurance Company Limited* books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications provided to us and the representations made by the Management. We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024 generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under as amended from time to time;

403, Nirmal Tower, 26, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
+91-11-40366403, 23752129
9811365004
saurabhfcs@gmail.com
www.sacchambers.com

(ii) The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;

(iii) The Depositories Act, 1956 and the regulations and Bye-laws framed there under;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) and the rules and regulations made there under to the extent of the Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (Not Applicable);

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; [***Not applicable to the Company during the audit period***].

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; ***[Not applicable to the Company during the audit period]***.

d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; ***[Not applicable to the Company during the audit period]***

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities), Regulations, 2008;

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealings with the client; ***[Not applicable as the Company is not registered as Registrar to issue and Share Transfer Agent during the financial year under review]***.

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; ***[Not applicable as the Company has not listed its equity shares on any stock exchange]***. and

h. The Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998; ***[Not applicable as the Company has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review]***.

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR") with respect to Non-Convertible Debentures listed at National Stock Exchange under Chapter V and VI of LODR.

j. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 with respect to Non-Convertible Debentures listed at National Stock Exchange under Chapter V and VI of LODR;

(vi) The company has complied with other Specifically Laws as applicable to the Industry as per the undertaking given by the company:

1. The Insurance Act, 1938;
2. The Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder; and
3. Corporate Governance Guidelines for Insurers in India issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDA") updated 18th May, 2016 ("CG Guidelines, 2016").
4. The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952;
5. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed thereunder;
6. The Maternity Benefit Act, 1961;
7. The Payment of Gratuity Act, 1972;
8. The Payment of Wages Act, 1936;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company with the Bombay Stock Exchange and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. The Company has not constituted Nomination and Remuneration Committee as per provision of section 178 of the act 2013 as the company is an Insurance Company and is exempted as stated in the letter bearing ref no IRDA/F&A/GOG/CG/2016-17/01/165 dated 10th March 2017 of IRDAI granting exemption from formation of NRC.
2. The company has not complied the provision of Para-No. 5.1 of Corporate Governance Guidelines 2016, the minimum number of Independent Director should be three, but there are only two Independent Directors in the Board of Company. The Authority to appoint Directors on the Board of the Company is vested with Central Government.
3. The composition of the audit committee during the period from 1st April, 2023 to 11th August, 2023 did not meet the requirement of provision of section 177 of the companies act 2023. The Authority to appoint Directors on the Board of the Company is vested with Central Government.
4. Every company calls a separate meeting of independent directors of the Company as per section 149 (8) read with Schedule IV of the companies act 2013 read with as per Regulation 25 of

information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the decisions of Board of Directors and Committee Meeting were carried unanimously.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period no event has occurred which had a major bearing on the Company's Affair in pursuance of the laws, rules, regulations and standards etc:

For Saurabh Agrawal & Co.

Saurabh Agrawal
Partner
FCS No.: 5430
C.P. No.: 4868

Place: New Delhi
Date : 11.04.2024
UDIN : F005430F000092781

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'ANNEXURE A' and forms an integral part of this report.

information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the decisions of Board of Directors and Committee Meeting were carried unanimously.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period no event has occurred which had a major bearing on the Company's Affair in pursuance of the laws, rules, regulations and standards etc:

For Saurabh Agrawal & Co.

Saurabh Agrawal
Partner
FCS No.: 5430
C.P. No.: 4868

Place: New Delhi

Date : 11.04.2024

UDIN : F005430F000092781

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as 'ANNEXURE A' and forms an integral part of this report.

'ANNEXURE A'

To

The Members

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

CIN: U66010DL1947GOI007158

A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi, India, 110002

Our Secretarial Audit Report for the financial year 31st March, 2024 is to be read along with this letter.

- ***Management Responsibility***

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively;

- ***Auditor's Responsibility***

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances;
3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion;
4. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion;
5. Wherever required we have obtained the management's representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc;

- ***Disclaimer***

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company;
7. We have not verified the correctness and appropriations of financial records and books of accounts of the Company.

For Saurabh Agrawal & Co.

Date : 11.04.2024
Place: New Delhi

Saurabh Agrawal
Partner
FCS No.: 5430, C.P. No.: 4868
UDIN : F005430F000092781

NEELAM GUPTA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

We have conducted the review of the compliance of the applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by "The Oriental Insurance Company Limited"(hereinafter referred as 'the listed entity'), having its Registered Office at "Oriental House", A-25/27 Asaf Ali Road, New Delhi-110002. Secretarial Review was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the listed entity's books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the listed entity and also the information provided by the listed entity, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Review, we hereby report that in our opinion, the listed entity has, during the review period covering the financial year ended on March 31, 2024, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the listed entity has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We, **Neelam Gupta & Associates**, **Company Secretaries** have examined:

(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by the listed entity,

(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges,

(c) website of the listed entity,

(d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

for the year ended March 31, 2024("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:

(a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and

(b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include: -

(a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018*(not applicable during the review period)*;

(c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011*(not applicable during the review period)*;

(d) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021*(not applicable during the review period)*;

(e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008

(1)

D-2/16, Darya Ganj, New Delhi - 110 002
Phones : 23282925, 23263436, 43656568, 9350780821 Email : neelamrna@gmail.com

(f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021*(not applicable during the review period)*;

(g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(h) Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993 (in relation to obligations of Issuer Company);

(i) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 *(not applicable during the review period)*;

(j) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013 *(not applicable during the review period)*;

(k) The Securities and Exchange Board of India (Depository Participant) Regulations, 2018 (in relation to obligations of Issuer Company);

And circulars/ guidelines issued thereunder;

And based on the above examination, I hereby report that, during the Review Period the compliance status of the listed entity is appended as below:

Sr.No.	Particulars	Compliance Status (Yes/No/NA)	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary
1.	**Secretarial Standards:** The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of Company Secretaries India (ICSI), as notified by the Central Government under Section 118(10) of the Companies Act, 2013 and mandatorily applicable.	Yes	
2.	**Adoption and timely updation of the Policies:** • All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of board of directors of the listed entities • All the policies are in conformity with SEBI Regulations and have been reviewed &updated on time, as per the regulations/ circulars/ guidelines issued by SEBI.	All policies have been periodically reviewed and updated.	
3.	**Maintenance and disclosures on Website:** • The Listed entity is maintaining a functional website • Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website • Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re- directs to the relevant document(s)/ section of the website	Yes Yes Yes	

2

4.	**Disqualification of Director:** None of the Director(s) of the Company is/are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013 as confirmed by the listed entity.	Yes	
5.	**Details related to Subsidiaries of listed entities have been examined w.r.t.:** (a) Identification of material subsidiary companies (b) Disclosure requirement of material as well as other subsidiaries	Not Applicable	The Company do not have any material subsidiary company as per definition of Material Subsidy provided in SEBI (LODR), 2015.
6.	**Preservation of Documents:** The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015.	Yes	
7.	**Performance Evaluation:** The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year/during the financial year as prescribed in SEBI Regulations.	Not Applicable	The Listed Entity is a Central Government Company and constitution and composition of the Board including appointment and/ or removal of Managing Director/ Directors/ Independent Directors is managed and controlled by the Central Government. Hence, clause not applicable.
8.	**Related Party Transactions:** (a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all related party transactions; or (b) The listed entity has provided detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ ratified/rejected by the Audit Committee, in case no prior approval has been obtained.	Yes Not Applicable	

(3)

9.	**Disclosure of events or information:** The listed entity has provided all the required Disclosure(s)under Regulation 51 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed thereunder.	Yes	The listed entity has provided all the required Disclosure(s) under Regulation 51 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed.
10.	**Prohibition of Insider Trading:** The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) & 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.	Yes	
11.	**Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any:** No action(s) has been taken against the listed entity/ its promoters/directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/guidelines issued thereunder except as provided here under:	Yes	
i.	**The Listed Entity shall submit to the Stock Exchange a copy of Annual Report not later than the date of commencement of dispatch to its shareholders under Regulation 53(2) of SEBI LODR Regulations, 2015.**	The copy of Annual report was furnished again to the Stock exchanges after a delay of 86 days upon receipt of intimation of non receipt of the earlier copy.	The listed entity had furnished the report to the Stock Exchange within time but due to technical error same was not received by exchange. Annual Report was sent again to the exchange with a delay of 86 days, after intimation of non receipt was received.
ii.	**The Listed Entity has received mail dated 16.01.2024 from NSDL regarding non compliance with Para 10.1 of SEBI Circular dated 13.08.2021.**	The entity vide its mail dated 17.01.2024 confirmed the compliance. Due to technical issues Company was unable to record the covenants in the Security and	The delay in compliance was due to the technical issues faced by the company in filling the data on the portal.

(4)

		Covenant Monitoring system.	
12.	**Additional Non-compliances, if any:** No additional non-compliance observed for any SEBI regulation/circular/guidance note etc.	Yes	Please refer to our comments in table no. (a) below.

The reporting of clauses 6(A) and 6(B) of the circular No. CIR/CFD/CMD1/114/2019 dated October 18, 2019 issued by the Securities and Exchange Board of India on "Resignation of statutory auditors from listed entities and their material subsidiaries" is not applicable during the Review Period as the Listed Entity is a Public Company in the Insurance Sector owned and controlled by the Central Government and the auditor appointment and his working are governed by the directions of the Comptroller and Auditor- General of India.

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of matters specified below:-

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action Taken by	Type of Action	Details of Violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary	Management Response	Remarks
1.	The Board of Directors shall have an optimum combination of executive and Non-executive directors **with least one woman Director** on the Board.	Regulation 17(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	The Listed Company could not comply with the requirement of at least one women director on the Board w.e.f. 31.10.2023.	None	Not applicable	The Company do not have any woman director on the Board w.e.f. 31.10.2023.	NIL	The company being a Government Company, appointing Authority should issue necessary directions for change in constitution of the Board	Being a Government Company all appointments and changes in Board of Directors are made by the Government of India, as the authority is vested with them only.	
2.	Where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent	Regulation 17(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	Number of independent directors on the Board were lesser than prescribed	None	Not applicable	The composition of the Board of Directors is not as per Reg. 17(1)(b) during the period of review as the no. of independent directors on the Board were lesser than prescribed.	Nil	The company being a Government Company, appointing Authority should issue necessary directions for change in constitution of	Being a Government Company all appointments and changes in Board of Directors are made by the Government of India, as the authority is	

(6)

	directors.							the Board	vested with them only.	
3.	At least two-thirds of the members of audit committee shall be independent directors.	Regulation 18(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,	Number of independent directors on the Committee were lesser than prescribed.	None	Not applicable	The Composition of the Audit Committee of Directors is not as per Reg. 18(1)(b) at the end of the Financial year from January 31, 2024.	Nil	The Company being a Government Company, appointing Authority should issue necessary directions for correction in constitution of the Committee	Being a Government Company all appointments and changes in Board of Directors are made by the Government of India, as the authority is vested with them only.	
4.	The board of directors have to constitute a nomination and remuneration committee.	Regulation 19(1)of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	Nomination and remuneration committee of the Board has not been constituted			Nomination and remuneration committee of the Board has not been constituted	Nil		The Company has been exempted by IRDAI vide its letter dated 10.03.2017 from constitution of Nomination and remuneration committee under its CG Guidelines, 2016.	

(7)

5.	The independent directors of the listed entity shall hold at least one meeting in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall strive to be present at such meeting.	Regulation 25(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	No conformation available as to whether the independent directors of the Company conducted any meeting of during the year.	None	Not applicable		Nil		Independent Directors are required to hold the meeting among themselves. The Company has informed them the requirements vide letter dated 01.04.2023. The Company has neither received any information about their meeting or request for any hospitality services.	The meeting has to be conducted by the Independent Directors without presence of members of management or non executive directors.
6.	The Listed Company shall submit a copy of the annual report to stock exchanges on the day of dispatch to shareholders	Regulation 53(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	The Company submitted the copy of Annual Report with a delay of 86 days.	NSE	NSE vide its letter dated January 30, 2024 imposed fine of Rs. 2,02,960 (Rs. 1,72,000	The Annual Report was dispatched to the shareholders on 13th September, 2023. It was filed with NSE also on 13.09.2023 which could not be	Rs. 2,02,960.00		The delay in compliance was due to technical issues faced at the time of electronic filing of data. The fine amount was paid by the company	The Company carried out the compliance immediately upon receipt of intimation of non

(8)

					total fine & Rs. 30,960 GST @18%) for delayed compliance with regulation 53(2) of Listing Regulation	received by them due to technical glitch. It was again sent to the Stock Exchange on 7th December, 2023			on 17.04.2024.	receipt of information by the NSE

(b) The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/ circulars / guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular No.	Deviations	Action Taken by	Type of Action	Details of Violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary	Remarks
A.	**REMARKS OF REPORT OF 2022-2023**								
1.	Where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board of directors shall comprise of independent	Regulation 17(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	Number of independent directors on the Board were lesser than prescribed	None	Not applicable	The composition of the Board of Directors is not as per Reg. 17(1)(b) during the period of review as the no. of independent directorson the	Nil	The company being a Government Company, appointing Authority should issue necessary directions for change in constitution of	As per regulation 15 (1A) which came into effect from September 7, 2021 the Company endeavors to comply with the provisions and achieve full compliance by March 31, 2024.

(9)

	directors.					Board were lesser than prescribed.		the Board	Further, all appointments and changes in Board of Directors are made by the Government of India, as the authority is vested with them only.
2.	At least two-thirds of the members of audit committee shall be independent directors.	Regulation 18(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,	Number of independent directors on the Committee were lesser than prescribed	None	Not applicable	The Composition of the Audit Committee of Directors is not as per Reg. 18(1)(b) at the end of the Financial year from January 31, 2023.	Nil	The Company being a Government Company, appointing Authority should issue necessary directions for correction in constitution of the Committee	As per regulation 15 (1A) which came into effect from September 7, 2021 the Company endeavors to comply with the provisions and achieve full compliance by March 31, 2024. Further, all appointments and changes in Board Committees are made by the Government of India, as the authority is vested with them only.
3.	The board of directors have to constitute a nomination and	Regulation 19(1)of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure	Nomination and remuneration committee of			Nomination and remuneration committee of the Board has	Nil		The Company has been exempted by IRDAI from constitution of this

(10)

	remuneration committee	Requirements) Regulations, 2015	the Board has not been constituted			not been constituted			committee vide its letter dated 10.03.2017.

For Neelam Gupta & Associates
Company Secretaries

Neelam Gupta
Company Secretary
FCS No.: 3135
C P No.: 6950
PR No. : 747/20200
UDIN: F003135F000237457

Place: New Delhi
Date: 25th April, 2024

(11)



jf'e ckt i;h

RASHMI BAJPAI

egkçcU/kd

GENERAL MANAGER

(EXECUTIVE DIRECTOR WEF 09.07.2024)

foÙk ,oa y[kk

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने 18794 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 15993 करोड़ रुपये) की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) अर्जित की, जिसमें 2801 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 17.51% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए शुद्ध प्रीमियम आय 12.92% की वृद्धि दर के साथ 16193 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14339 करोड़ रुपये) थी, जिसके परिणामस्वरूप 1854 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अर्जित प्रीमियम 19.96% की वृद्धि दर के साथ 15897 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 13251 करोड़ रुपये) था, जिसके परिणामस्वरूप 2646 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

शुद्ध प्रतिधारण घटकर 86.16% हो गया (पिछले वर्ष 89.66%), जिसके परिणामस्वरूप 3.5% की कमी आई। शुद्ध उपगत दावा अनुपात (एनआईसीआर) 112.14% की तुलना में 98.89% दर्ज किया गया, जो 13.25% की कमी दर्शाता है।

स्वास्थ्य व्यवसाय क्षेत्र कुल सकल प्रीमियम में प्रमुख योगदानकर्ता रहा। शुद्ध कमीशन अनुपात पिछले वित्तीय वर्ष के 6.60% की तुलना में घटकर 5.43% हो गया। बीमालेखन हानि 7477 करोड़ रुपये से 4009 करोड़ रुपये घटकर 3468

FINANCE AND ACCOUNTS

During the Financial Year 2023-24, the Company procured a Gross Direct Premium Income (GDPI) of Rs. 18794 crores (Rs. 15993 crores previous year), recording a growth of 17.51 % with accretion of Rs. 2801 crores. The Net Premium Income for the F Y 2023-24 was Rs. 16193 crores (previous year Rs. 14339 crores) with a growth rate of 12.92 % resulting in an increase of Rs. 1854 crores. The Earned Premium for the FY 2023-24 was Rs. 15897 crores (previous year Rs. 13251 crores) with a growth rate of 19.96 % resulting in an increase of Rs. 2646 crores.

The Net Retention decreased to 86.16 % (previous year 89.66%) resulting in a decrease of 3.5 %. The Net Incurred Claims Ratio (NICR) was recorded at 98.89 % as compared to 112.14 % thus showing a decrease of 13.25 %.

Health Business line was major contributor to the overall gross premium. The Net commission Ratio decreased to 5.43 % as against 6.60 % of previous financial year. Underwriting Loss decreased by Rs.

करोड़ रुपये हो गई, जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में दावों में कमी आना है।

बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय पिछले वर्ष के 5139 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्त वर्ष में घटकर 2765 करोड़ रुपये रह गया। संयुक्त अनुपात 154.58% की तुलना में घटकर 121.40% रह गया, जो मुख्य रूप से दावों और प्रबंधन व्यय में कमी के कारण हुआ। कंपनी ने पिछले वर्ष 4968 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि की तुलना में 18.61 करोड़ रुपये का कर पश्चात शुद्ध लाभ दर्ज किया।

सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के पोर्टफोलियो में वृद्धि को दर्शाने वाला उचित मूल्य परिवर्तन खाता बेहतर बाजार स्थितियों के कारण 8872 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7162 करोड़ रुपए) रहा।

अग्नि, मरीन और विविध विभागों के अंतर्गत कंपनी के परिचालन परिणाम (आईआरडीए विनियमों के अनुसार) नीचे दिए गए हैं:

4009 crores from Rs. 7477 crores to Rs. 3468 crores, mainly on account of reduction in incurred claims in Health Segment.

Operating Expenses related to insurance business decreased to Rs. 2765 crores in the current financial year as against Rs. 5139 crores in the previous year. The combined ratio decreased to 121.40 % as against 154.58 % which was mainly on account of decrease in incurred claims and management expenses. The company recorded a net profit after tax of Rs. 18.61 crores as against of net loss of Rs. 4968 crores last year.

The fair value Change Account representing appreciation in the portfolio of actively traded equity shares stood at Rs. 8872 crores (Rs. 7162 crores PY) on account of improved market conditions.

The operating results of the Company (as per IRDA Regulations) under the Fire, Marine and Miscellaneous segments are as detailed below:

(करोड़ रुपए में) (Rs. In Crores)

वर्ष Year	अग्नि Fire	मरीन Marine	विविध Misc	कुल Total
2023-24	-164	21	1166	1023
2022-23	84	88	-2776	-2604
2021-22	-16	11	-3020	-3025

lgchek vkj iqucheek olfy;k

शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने और प्रभावी निपटानों को प्राप्त करने के लिए एक महाप्रबंधक की देखरेख में एक सुव्यवस्थित प्रणाली नियमित अनुपालन हेतु पहले से ही मौजूद है। भारत भर में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अंतर कंपनी सहबीमा मिलान बैठकें आयोजित की गईं, जहाँ अन्य सभी बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।

वित्त वर्ष 2023–24 में सहबीमा शेष राशि के मिलान, पुष्टि और निपटान के लिए लगभग 100 बैठकें आयोजित की गईं और 90: शेष राशि का निपटान किया गया।

निवेश विभाग

निवेश पोर्टफोलियो में उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए सुदृढ़ निष्पादन और रणनीतिक उन्नति का प्रदर्शन किया गया है।

COINSURANCE & REINSURANCE RECOVERSIES

A well-organized system, under the supervision of a General Manager, is already in place for regular follow-up, for obtaining confirmation of balances and effecting settlements. Inter Company coinsurance reconciliation meetings were conducted at Regional Office level across India where representatives from all other insurance companies were invite.

In the FY 2023-24 around 100 meetings were held for reconciliation, confirmation and settlement of Coinsurance balances and 90 % of the balances were settled.

Investment Department

Strong performance and strategic advancement is demonstrated in view of excellent performance in the Investment Portfolio. During the FY 2023-24 we achieved a profit of Rs.1864.50 crores from

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान हमने इक्विटी निवेश की बिक्री से 1864.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह 841.06 करोड़ रुपये था। इसके साथ ही, कंपनी ने पिछले वर्ष के 353.65 करोड़ रुपये के मुकाबले इक्विटी में 605.34 करोड़ रुपये का निवेश कियाय यह पोर्टफोलियो विभिन्नता को बढ़ाने और मूल्य अवसरों को प्राप्त करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कंपनी के उचित मूल्य परिवर्तन खाते में 31 मार्च, 2024 तक 24: की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष के 7162.06 करोड़ रुपये से बढ़कर 8872.34 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि बेंचमार्क सूचकांकों से आगे निकल गई, जो बदलती बाजार स्थितियों के बीच हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो की सुदृढ़ता और उन्नति को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, ब्याज और लाभांश से 1694.11 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए आय क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त, लिक्विड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में निवेश से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 41.97 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। 31 मार्च, 2024 तक कुल निवेश परिसंपत्तियों का बुक वैल्यू 21511 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 427 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो पर औसत आय (लाभ के बिना) वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 8.19: रही, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 7.92: थी और लाभ के साथ पिछले वित्तीय वर्ष में 12.10: की तुलना में 17.15: रही।

ये उपलब्धियाँ विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक निवेश निर्णयों के माध्यम से हमारे हितधारकों को निरंतर मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। हम आपकी कंपनी के दीर्घकालिक विकास और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए गतिशील वित्तीय परिदृश्य में अवसरों का लाभ उठाने के लिए निरंतर समर्पित हैं।

l:lnh; lfefr;k

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संसदीय समितियों की बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:–

the sale of equity investments, compared to Rs. 841.06 crores in the previous year. Simultaneously, the Company invested Rs.605.34 crores in equity as against Rs.353.65 crores in previous year; reflecting its commitment to enhancing portfolio diversification and capturing value opportunities.

The Fair Value Change Account of the Company saw a notable 24% increase to Rs.8872.34 crores as of March 31, 2024, from Rs.7162.06 crores in the previous year. This growth outpaced benchmark indices, underscoring the strength and resilience of our equity portfolio amidst evolving market conditions.

Furthermore, the efforts in optimizing income streams were reflected in achieving Rs.1694.11 crores from interest and dividends. Additionally, the investment in the Liquid Mutual Fund Portfolio yielded a profit of Rs.41.97 crores during FY 2023-24. The Book Value of Total Investment Assets stood at Rs.21511 crores as on March 31, 2024, marking a net accretion of Rs.427 crores over the previous year. The average yield (without profit) on the Investment portfolio stood at 8.19% for FY 2023-24 vis-à-vis 7.92% for FY 2022-23 and with profit stood at 17.15% as compared to 12.10% in previous Financial Year.

These achievements underscore the commitment to delivering sustained value to our stakeholders through prudent financial management and strategic investment decisions. We remain dedicated to capitalizing on opportunities in the dynamic financial landscape to ensure long-term growth and profitability for your Company.

PARLIAMENTARY COMMITTEES

During the year under review, the meetings of Parliamentary Committees were held as detailed hereunder:-

क्र. सं. **S. No.**	समिति का नाम **Committee Name**	विषय **Subject**	स्थान एवं दिनांक **Place & Date**
1	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरा Study Tour of The Standing Committee on Health & Family Welfare	आयुष्मान भारत में बीमा कंपनियों की वर्तमान और भावी भूमिका Present & Prospective role of Insurance Companies in Ayushman Bharat	चेन्नई, 23/05/2023 Chennai, 23/05/2023

2	अधीनस्थ वैधानिक समिति Committee on Subordinate Legislation	वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) और विभाग के अधीन कार्यरत बीमा क्षेत्र के अन्य संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, विनियामक और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रशासितध कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों और विभिन्न अधिनियमों के तहत नियमोंधविनियमों आदि के निर्माण की स्थिति पर ब्रीफिंग। Briefing by the representatives of Department of Financial Services in the Ministry of Finance on the status of framing of Rules / Regulations etc. under various Acts being administered/ implemented by the Department, the Public Sector Insurance Companies (PSICs) and other Attached Offices, Subordinate Offices, Regulatory , and Autonomous Bodies of the Insurance Sector functioning under the Department.	नई दिल्ली, 11/07/2023 New Delhi, 11/07/2023
3	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कंपनियों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के टीपीए पर संसदीय समिति (बिंदुओं के उत्तर की सूची) Parliamentary Committee on TPA in Health Insurance Business in PSU Companies (Reply of List Of Points)	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में तृतीय पक्ष प्रशासकों पर 2022 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 1 Compliance Audit Report No. 1 of 2022 on Third Party Administrators in Health Insurance Business in Public Sector Insurance Companies	नई दिल्ली, 17/08/2023 (मूल तिथि 30/06/2023 थी और 17/08/2023 में बदल दी गई) New Delhi , 17/08/2023 (Original Date was 30/06/2023 & shifted to 17/08/2023)
4	वित्तीय स्थायी समिति Standing Committee on Finance	बीमा क्षेत्र का निष्पादन और विनियमन Performance & Regulation of Insurance Sector	मुंबई 19/08/2023 Mumbai 19/08/2023
5	सार्वजनिक लेखा समिति का अध्ययन दौरा Study Visit of The Public Accounts Committee	बीमा क्षेत्र में सुधार Reforms in Insurance Sector	गोवा, 03/10/2023 Goa, 03/10/2023
6	अधीनस्थ वैधानिक संसदीय समिति का अध्ययन दौरा Study Visit of the Parliamentary Committee on Subordinate Legislation	केंद्रीय मोटर वाहन (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) नियम 2022 Central Motor Vehicle (Motor Vehicle Accident Fund) Rules 2022	गोवा, 30/11/2023 Goa, 30/11/2023

7	धोर्डो में महिला सशक्तिकरण समिति का अध्ययन दौरा Study Visit Of The Committee On Empowerment of Women at Dhordo	महिलाओं के लिए बीमा योजनाएँ एवं महिलाओं के प्रति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व Insurance Schemes for women & Corporate Social Responsibility towards women	धोर्डो (गुजरात), 16/01/2024 Dhordo (Gujrat) ,16/01/2024
8	अधीनस्थ वैधानिक समिति का अध्ययन दौरा कार्यक्रम Study Visit Programme of The Committee on Subordinate Legislation	बी.नि. 1956, बीमा अधिनियम 1938, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 एवं उन पर लागू अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम विनियम । Rules Regulations framed under LIC Act 1956, Insurance Act 1938, General Insurance Business (Nationalization) Act 1972 & Other relevant Acts as applicable to them.	मुंबई, 02/01/2024 Mumbai, 02/01/2024
9	सार्वजनिक लेखा समिति की बैठक Meeting of Public Accounts Committee	'बीमा क्षेत्र में सुधार" विषय की जांचExamination of the Subject " Reforms in Insurance Sector"	नई दिल्ली, 20/02/2024 New Delhi, 20/02/2024

jfVx ,tsfl ;k

रेटिंग की वार्षिक समीक्षा क्रिसिल और आईसीआरए द्वारा की गई। क्रिसिल द्वारा रेटिंग को नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एए से घटाकर नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एए कर दिया गया है तथा आईसीआरए द्वारा एए (नकारात्मक) से घटाकर एए (नकारात्मक) कर दिया गया है।

vkbvkjMh,vkbZ vuqikyu foHkkx

प्रधान कार्यालय में आईआरडीएआई अनुपालन विभाग आईआरडीएआई/जीआई काउंसिल/ डीएफएस/सरकारी मंत्रालयों/हमारी कंपनी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित अनुपालन, विनियामक और अन्य संबंधित मामलों के लिए नोडल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक विनियामक निकाय है जो बीमा कंपनियों के संचालन के विभिन्न पहलुओं पर निर्देश, विनियम और परिपत्र जारी करता है, जिनका समय पर अनुपालन अपेक्षित है। ये विनियम पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा, बाजार में पेश किए जाने से पहले उत्पादों की मंजूरी/फाइलिंग, लेखों की तैयारी और प्राधिकरण को लेखा रिटर्न जमा करना, गैर–जीवन बीमा कंपनियों के मामले में देनदारियों के लिए प्रावधान, निधियों के निवेश का तरीका और निवेशों पर

RATING AGENCIES

Annual Review of Rating was done by CRISIL & ICRA. The rating has been down-graded by CRISIL form AA+ with negative outlook to AA with Negative outlook and downgraded by ICRA from AA+ (Negative) to AA (Negative).

IRDAI COMPLIANCE DEPARTMENT

The IRDAI Compliance Department at Head Office works as a Nodal contact point for Compliance, regulatory and other related matters required by IRDAI/GI COUNCIL/DFS/Govt. Ministries/ from our company from time to time.

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is an regulatory body that issues directions, regulations and circulars on various aspects of operations of the Insurance companies for which timely compliances is expected. These regulations are in the nature of Protection of policyholders' interest ,Clearance /filing of products before being introduced in the market ,Preparation of accounts and submission of accounts returns to the Authority, Provisioning for liabilities in case of

आवधिक रिपोर्ट, सॉल्वेंसी का रखरखाव, बाजार आचरण के मुद्दे और व्यावसायिक डेटा की प्रकृति के हैं।

साधारण बीमा परिषद के लोगों के बीच गैर–जीवन बीमा उद्योग की बेहतर समझ को बढ़ावा देती है। काउंसिल का मुख्य उद्देश्य गैर–जीवन बीमा उद्योगों को मजबूत करना है।

आईआरडीएआई/जीआई परिषद विश्लेषण और अभ्यावेदन के लिए विभिन्न डेटा/सूचनाएं एकत्र करती है, जिसका उपयोग संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने, विभिन्न उत्पादों के विश्लेषण, नए उत्पादों की शुरूआत, कानून में संशोधन और बीमा से संबंधित नए कानूनों पर प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न अधिकारियों को डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है।

आईआरडीएआई अनुपालन विभाग प्राधिकरण द्वारा नियामक तंत्र के ऑन–साइट/ऑफ–साइट निरीक्षण की सुविधा भी प्रदान करता है।

कंपनी आवश्यक अनुपालन को सक्रिय तरीके से कर रही है और डेटा जमा करने सहित विभिन्न रिटर्नों को समय पर जमा करना सुनिश्चित कर रही है। वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 356 प्रश्न प्राप्त हुए। मोटे तौर पर शिकायतों के निवारण/आवधिक रिटर्न/आईआरडीएआई/जीआई काउंसिल को ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा जमा करने के लिए अनुपालन किया जाता है।

vkbvkjMh,vkb fjVuZl@ch,ih@vkbvkbch

ये निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार विभागवार डेटा/सूचना प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य विनियामक रिटर्न हैं। ये रिटर्न हमारे परिचालन के लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हैं और विभिन्न उत्पादों और व्यापार की दृष्टि से प्रदर्शन का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। आईआरडीएआई द्वारा अनिवार्य किए गए आवश्यक सार्वजनिक खुलासे भी आम जनता की जानकारी के लिए हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार दैनिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक डेटा का प्रस्तुतीकरण भी आईआरडीएआई के आईआईबी और बीएपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाता है।

vkbZ,Mh vuqikyu foHkkx

लेखा परीक्षण किसी संगठन द्वारा स्थापित कानूनों, मानकों, विनियमों, नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन किया जाता है। लेखा परीक्षण का उद्देश्य एक आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

non-life Insurance companies, Manner of investment of funds and periodic reports on investments, Maintenance of solvency, Market conduct issues and Business data.

General Insurance Council promotes better understanding of non-life insurance industry among the people. The main objective of the council is to strengthen the non-life insurance industries.

The IRDAI/GI Council collects various Data / Informations for analysis and representations, which is used for reply of parliamentary questions, analysis of various products, introductions of new products, providing data to various authorities for response on amendments of Laws and new laws related to Insurance.

The IRDAI Compliance Department also facilitates the On-site / Off-site inspection of regulatory mechanism by the authority.

The company has been taking up the required compliance in a pro-active manner and ensuring timely submission of various returns including submission of data. Approximately 356 queries were received during the year 2022-23. Broadly the compliances are done for Redressal of Grievances/ Periodic returns /Data Submission online and offline to IRDAI / GI Council.

IRDAI RETURNS /BAP /IIB

These are mandatory regulatory returns for submission of department-wise data / information as per specified formats .These returns cover almost all facets of our operations and provide a clear view of the performance in terms of various products and lines of business .The required public disclosures as mandated by IRDAI are also done through our web portal for information of the general public at large .Moreover the submission of Daily/Monthly / quarterly / Half-yearly / Annual data as per specified formats is also carried out through the IIB & BAP portal of IRDAI in an online fashion.

IAD COMPLIANCE DEPARTMENT

प्रधान कार्यालय में आईएडी अनुपालन विभाग का कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आईएडी द्वारा उठाए गए प्रश्नों को कंपनी की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार ठीक से लागू किया जाए और उनका अनुपालन किया जाए।

01.04.2023 तक 5331 लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे, जिनके निपटान के लिए विशेष प्रयास किए गए और 31.03.2024 तक इनमें से केवल 2400 लेखापरीक्षा पैरा लंबित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 8928 ऑडिट पैरा जोड़े गए, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 6638 ऑडिट पैरा बंद कर दिए गए हैं।

31/03/2024 तक कुल 4690 ऑडिट पैरा लंबित थे। कंपनी ने 67: का निपटान अनुपात हासिल किया। हम ''क्षे.का. के लिए निपटान अभियान'' की प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑडिट पैरा के निपटान के प्रतिशत को बढ़ाने के साथ–साथ पुनर्नियुक्ति के बाद अधिक जनशक्ति का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं।

The audit evaluates an organization's adherence to establish laws, standards, regulations, policies, or procedures. The audit is to ensure adequate control over an essential internal process. This is the duty of IAD Compliance Department at Head Office to ensure that the queries raised by IAD are properly implemented and complied as per Board Approved Policy of Company.

As on 01.04.2023, 5331 audit paras were pending, for which special efforts were exerted to clear and only 2400 audit paras are pending out of these paras as on 31.03.2024.

During the financial year 2023-24, 8928 audit paras were added out of which 6638 audit paras have been closed during the financial year 2023-24.

A total of 4690 audit paras were pending as on 31/03/2024. The Company achieved a clearance ratio of 67%. We are looking forward in increasing the percentage of clearance of Audit Paras by the processes of "Clearance Drive for the RO's " as well as using more manpower after redeployment post office restructuring.



vjfoan lDlsuk
ARVIND SAXENA
egkçcU/kd
GENERAL MANAGER

ekuo lalk/ku foHkkx

मानव संसाधन विभाग (भ्त्क) किसी भी संगठन में यह सुनिश्चित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सही प्रतिभा को काम पर रखा जाए, विकसित किया जाए, पदोन्नत किया जाए और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की जाए। मानव संसाधन एक संगठन के भीतर एक कार्य और एक विभाग दोनों के रूप में कार्य करता है । एक विभाग के रूप में, यह भर्ती और नियुक्ति, क्षतिपूर्ती और लाभ, सीखने और विकास, प्रदर्शन प्रबंधन से लेकर अच्छे नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों को बनाए रखने और सुचारू पृथक्करण या सेवानिवृत्ति की सुविधा के लिए मानव संसाधन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

मानव संसाधन विभाग ने संगठनात्मक कार्यकुशलता में सुधार के लिए सर्वोत्तम सहायता प्रदान करना जारी रखा है। हमने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की समय पर पदोन्नति और विभिन्न नए लाभों की स्वीकृति के साथ–साथ मौजूदा लाभों में सुधार सहित कई पहल की हैं।

विभाग ने कार्यबल के प्रेरणात्मक स्तरों में सुधार लाने, प्रतिबद्ध ता के स्तर को बढ़ाने तथा आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञता के निर्माण में सहायता करने के लिए मजबूत मानव संसाधन

Human Resource Department

Human Resources Department (HRD) plays an essential role in any organization by ensuring the right talent is hired, developed, promoted, and supported to facilitate in achieving organizational goals. Human Resource is both a function and a department within an organization. As a department, it is responsible for managing HR activities from recruitment and appointment, compensation and benefits, learning and development, performance management, and from maintaining good employer - employees relations to facilitate smooth separation or retirement.

The Department has continued to provide optimum support for improving organizational efficiencies. We took many initiatives including timely promotion of various classes of employees and approval of various new benefits as well as improvement of existing benefits.

The Department continued with robust HR activities and process of performance management to improve

गतिविधियों और निष्पादन प्रबंधन की प्रक्रिया को जारी रखा है।

कंपनी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न लाभ योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्टाफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्योरेंस, एकमुश्त चिकित्सा भुगतान, त्यौहार अग्रिम, अवकाश यात्रा सब्सिडी, शिक्षा अग्रिम योजना, वाहन ऋण, आवास ऋण आदि।

अन्य कल्याणकारी योजनाएं जैसे अनुग्रह चिकित्सा राहत योजना, ओरिएंटल इंश्योरेंस (कर्मचारी) अनुग्रह कोविड–19 वित्तीय सहायता योजना 2021, कर्मचारियों के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कर्मचारी कल्याण सोसाइटी द्वारा प्रबंधित सेवानिवृत्ति लाभ और मृत्यु राहत योजनाएं, उच्च स्नातकोत्तर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, कर्मचारियों को कंपनीध्पट्टे पर आवास, सेवारत और साथ ही सेवानिवृत्त पूर्णकालिक निदेशकों के साथ–साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों को चिकित्सा जांच की सुविधा का भी विभाग द्वारा ध्यान रखा जा रहा है।

हमारा यह भी प्रयास रहा है कि प्रासंगिक मानव संसाधन संबंधी विधायी प्रावधानों, नीतियों और प्रथाओं का निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें आरक्षण भी शामिल है।

ekuo lalk/ku çc/ku ç.kkyh ¼,pvkj,e,l½

एचआर ऑटोमेशन ने फॉर्म और स्प्रेडशीट के इस्तेमाल से लेकर उद्यम के हिसाब से एचआर प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करने तक का लंबा सफर तय किया है। ओरिएंटल हमेशा तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहा है और आज की तारीख में हमारे सभी एचआर ऑपरेशन आईटी एप्लीकेशन सिस्टम द्व ारा संचालित होते हैं। एक उद्यम–व्यापी, व्यापक और केंद्रीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) लागू की गई है जो एचआर से संबंधित गतिविधियों के पूरे विस्तार(स्पेक्ट्रम) को पूरा करती है। 2017 में परिचालन शुरू करने के बाद से एचआरएमएस संगठन के एचआर संबंधी कार्यो पर वांछनीय प्रभाव डालना जारी रखे हुए है।

एचआरएमएस ने कर्मचारी सहभागिता के साथ–साथ निम्नलिखित में सुधार किए हैः–

the motivational levels of work force, enhanced commitment levels and helped further building in-house technical expertise.

Various benefit schemes for employees of the Company are available viz. Staff Group Mediclaim Policy for serving as well as retired employees, Group Insurance Scheme, Group Personal Accident Policy, Group Term Life Insurance, Group Saving Linked Insurance, Lump sum medical payment, Festival Advance, Leave Travel Subsidy, Education advance scheme, Vehicle Loan, Housing Loan, etc.

Other welfare schemes like Ex-gratia medical relief scheme, Oriental Insurance (Employees') Ex-gratia Covid-19 Financial Assistance Scheme 2021, Retirement benefit and Death relief schemes managed by The Oriental Insurance Employees Welfare Society for employees, Financial assistance for pursuing higher post graduate academic courses, Company/leased accommodation to the employees, reimbursement of medical expenses to serving as well as retired Whole Time Directors along with their dependent family members, Medical check-up facility to Manager and above cadres are also being looked after by the Department.

It has also been our endeavour to ensure fair and just implementation of relevant HR related legislative provisions, policies and practices which includes reservations.

Human Resource Management System (HRMS)

HR Automation has come a long way from employing forms & spreadsheet to using enterprise wise HR Management system. Oriental has always been at the forefront of Technological innovation and as on date all our HR operations are driven by the IT application systems. An enterprise wide, comprehensive and centralized Human Resource Management System (HRMS) has been implemented which caters to the entire spectrum of HR related activities. The HRMS is continuing to make desirable impact on the HR Practices of the Organization since it started being operational in 2017.

HRMS has improved employee engagement as well as

- o उत्पादकता में वृद्धि
- o किफायती
- o सभी कार्यालयों और सभी संवर्गों में मानव संसाधन नीतियों का एक समान कार्यान्वयन।
- o वास्तविक समय में निगरानी

एच आर की संपूर्ण भूमिका अब एचआरएमएस एप्लीकेशन पर है जिसमें आधार मॉड्यूल शामिल हैं जैसे :

1. फॉर्म 16,12बीए और 24क्यू की तैयारी सहित वेतन रोल एडमिनिस्ट्रेशन
2. ऋण और अग्रिम जैसे भविष्य निधि, आवास ऋण
3. टर्मिनल लाभ अर्थात पेंशन मॉड्यूल, ग्रेच्युटी
4. बायो डेटा
5. सीडीए, सतर्कता मॉड्यूल, संपत्ति रिटर्न, एपीएआर मॉड्यूल और विभिन्न घोषणाएं।
6. प्रशिक्षण एवं विकास

इसके साथ ही प्रतिपूर्ति और अग्रिम राशि का भुगतान भी एचआरएमएस के माध्यम से किया जाता है। वेतन में किसी भी मौजूदा और पिछले बदलाव की कटौतीध्वसूलीध्बकाया भुगतान स्वचालित रूप से किया जाता है। उपस्थिति अंकन और संशोधन के साथ छुट्टी शेष की गणना भी उपलब्ध है।

वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे विभिन्न भुगतानों पर एलओपी और हड़ताल का प्रभाव और वसूली भी स्वचालित हो गई है, जिससे कई मानव संसाधन प्रक्रियाएं एक ही संयुक्त समाधान में आ गई हैं, जिससे विभिन्न प्रणालियों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता कम हो गई है।

वेतन बकाया के अलावा, अवकाश नकदीकरण, एकमुश्त चिकित्सा भुगतान और सेवानिवृत्त/सेवा छोडकर गये कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के बकाया की गणना को एचआरएमएस में शामिल किया गया है।

ओआईईडब्ल्यूएस के चुनाव बिना किसी परेशानी के एचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए और कर्मचारी अपने कार्यालयों में कर्मचारी स्वयं सेवा में अपना वोट डाल सकते थे और परिणाम आसानी से उपलब्ध थे।

सभी आंतरिक परिपत्रों के साथ–साथ कर्मचारियों से संबंधित मंत्रालय के परिपत्रों का कार्यान्वयन एचआरएमएस में तुरंत शामिल किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा

- o Increased Productivity
- o Economical
- o Uniform Implementation of HR policies across all offices and for all cadres.
- o Real Time Monitoring

The entire role of the HR Functions are now on the HRMS Application including base Modules like

1. Pay Roll Administration including preparation of Form 16,12 BA and 24 Q
2. Loans and Advance viz Provident Fund, Housing Loan
3. Terminal benefits viz Pension Modules, Gratuity
4. Bio data
5. CDA, Vigilance Module, Property Return, APAR Module and various declarations.
6. Training and Development

Along with this reimbursements and Advances are also paid through HRMS. Deductions/Recovery/ Arrear payment of any current and previous changes in Salary are handled automatically. Leave balance calculations along with attendance marking and modification are also available.

Further impact and recovery of LOP and Strike on various payments like Salary, Leave, Gratuity and Pension are also automated which brought together multiple HR process into one single combined solution , reducing the need for array of different systems combining together.

Besides salary arrears, calculation of arrears of Leave Encashment, Lump Sum Medical payment and Gratuity to retired/exited employees stands incorporated in HRMS.

OIEWS elections were held in online mode through HRMS without any hustle and employee could cast their vote in Employee Self Service in their offices and results being readily available.

Implementation of all the Internal Circulars as well as that from Ministry related to employees was

सके कि एचआरएमएस नवीनतम मानदंडों के अनुसार काम करता है। सभी हितधारकों – आंतरिक और साथ ही जिप्सा, मंत्रालय जैसे बाहरी हितधारकों की डेटा आवश्यकताओं को एचआरएमएस के माध्यम से तुरंत और अत्यंत सटीकता के साथ संभाला गया है।

promptly incorporated in HRMS to ensure that HRMS works according to latest norms. Data requirements of all stake holders – internal as well as external like GIPSA, Ministry have been handled through HRMS promptly and with utmost accuracy.

vf/kdkjh inkUufr 2023&24

Officers Promotions 2023-24

जिप्सा के निर्देशानुसार वर्ष 2023–24 के दौरान अधिकारियों के लिए दो पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गईः –

As per GIPSA's instructions, during the year 2023-24, two promotion exercise for officers were conducted: -

पदोन्नति प्रक्रिया 2024–25 के लिए घोषित पदोन्नतियों की संख्या नीचे दी गई हैः

The numbers of promotions declared for Promotion Exercise 2024-25 are given below:

वह संवर्ग जिसमें पदोन्नत किया गया The cadre to which promoted	घोषित पदोन्नति की संख्या No. of Promotions declared
स्केल I से स्केल II तक/ Scale I to Scale II	203
स्केल II से स्केल III तक/ Scale II to Scale III	197
स्केल III से स्केल IV तक/Scale III to Scale IV	119
स्केल IV से स्केल V तक /Scale IV to Scale V	41

पदोन्नति प्रक्रिया 2023–24 के लिए घोषित पदोन्नति की संख्या नीचे दी गई हैः

The numbers of promotions declared for Promotion Exercise 2023-24 are given below:

पदोन्नति का संवर्ग The cadre of Promotion	घोषित पदोन्नति की संख्या No. of Promotions declared
स्केल I से स्केल II तक/ Scale I to Scale II	308
स्केल II से स्केल III तक/ Scale II to Scale III	249
स्केल III से स्केल IV तक/ Scale III to Scale IV	119
स्केल IV से स्केल V तक/ Scale IV to Scale V	44

वर्ष के दौरान स्केल VI और स्केल VII संवर्ग के लिए पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई।

Promotion exercises for the cadre of Scale VI & Scale VII were also completed during the year.

LVkQ inkUufr 2023&24

Staff Promotions 2023-24

अनुसूची के अनुसार तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई गई तथा 108 कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नत किया गया। तृतीय श्रेणी में 116 कर्मचारियों को वरिष्ठ सहायक तथा सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।

Promotional Exercise from Class III to Class I was conducted as per Schedule and 108 employees were promoted to Class-I cadre. Within Class III, 116 employees were promoted as Senior Assistant and Assistant.

Hkrhi çdz"B

Recruitment Cell

भर्ती प्रारंभिक चरण है और किसी संगठन की मानव पूंजी के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है।

Recruitment is the initial step and plays a major role in building human capital of an organisation.

कंपनी में 100 प्रशासनिक अधिकारियों (विशेषज्ञ) की भर्ती के

Recruitment exercise to recruit 100 Administrative

लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तथा यह प्रक्रियाधीन है।

vuqdai vk/kkj fu;qfä

कंपनी ने वर्ष 2023–2024 के दौरान लिपिकीय और/या अधीनस्थ कर्मचारियों के संवर्ग में सभी श्रेणियों (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी) में, हमारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 40 पात्र उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। आवेदनों को संसाधित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है और हम अपने पूर्व कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को समय पर राहत प्रदान करने के लिए मामलों का त्वरित प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हैं।

iq'ku lqy

सेवानिवृत्ति/वीआरएस और मृत्यु मामलों के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन और पेंशन के कम्यूटेशन के लाभों को एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तेजी से मंजूरी दी जा रही है। कुल मिलाकर, हमने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1139 पेंशन, 257 पारिवारिक पेंशन फाइलों को मंजूरी दी है। मौजूदा पेंशनभोगियों को वर्ष के दौरान मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जारी करने में कोई देरी नहीं हुई, जिसका वितरण एलआईसी के माध्यम से किया जाता है। अगस्त 2023 और फरवरी 2024 में डीए वृद्धि और 15 साल पूरे होने के बाद पेंशन की बहाली भी समय पर लागू की गई है।

31.3.2024 तक पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की कुल संख्या 14798 है। 01.4.2010 को या उसके बाद कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। 31.3.2024 तक एनपीएस चुनने वालों की संख्या 1879 है। उनके खाते खोलने और मासिक अंशदान प्रेषण को विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक संभाला जाता है।

विभाग द्वारा पेंशनभोगियों को मासिक एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पेंशन और टीडीएस विवरण प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान जीवन प्रमाण आवेदन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा भी लागू की गई। पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति से संबंधित शिकायतें, हालांकि संख्या में कम हैं, लेकिन विभाग द्वारा हमेशा प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाता है।

vkpj.k] vuq'kklu vkj vihy ¼lhMh,½ çdks"B

निरंतर और गहन निगरानी के माध्यम से, सी.डी.ए. मामलों का त्वरित निपटान प्राप्त किया गया है। विभिन्न स्तरों पर सी.डी.ए. मामलों को संभालने वाले जनशक्ति को संवेदनशील बनाकर और निरंतर निगरानी के माध्यम से, सी.डी.ए. मामलों का उच्चतम स्तर पर निपटान प्राप्त किया जा सका। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से जांच कार्यवाही को समय पर पूरा किया गया।

Officers (Specialist) in the Company was initiated and the same is under process.

Compassionate Ground Appointment

The company has appointed 40 eligible candidates on Compassionate Ground Appointment, as per our Board approved Scheme, in all categories (General/ SC/ ST/ OBC) in cadre of Clerical and/ or Subordinate Staff during the year 2023-2024. A robust system to process the applications is in place and we ensure speedy processing of the cases to provide timely relief to the family members of our ex-employees.

Pension Cell

The benefits of Pension / Family Pension and Commutation of Pension are being approved speedily, through HRMS module, in respect of Retirement / VRS & Death cases. In all, we have approved 1139 Pension, 257 Family Pension files during the FY 2023-24. There was no delay in releasing of monthly Pension/ Family Pension during the year to the existing Pensioners for which disbursement is done through LIC. The DA increase in August 2023 & February 2024 and restoration of Pension after completion of 15 years have also been implemented in time.

Total number of Pensioners/ Family Pensioners as on 31.3.2024 is 14798. The employees who joined the company on or after 01.4.2010 are covered under National Pension Scheme (NPS). The number of NPS optees is 1879 as on 31.3.2024. Their account opening & monthly contribution remittance is well handled by the Department efficiently.

The Pension and TDS details are provided to the Pensioners through monthly SMS alert by the Department. The facility of submitting life certificate through Jeevan Pramaan application was also implemented during the year. The grievances related to approval of Pension /Family Pension, although less in numbers but are always attended to on priority by the Department.

Conduct, Discipline and Appeal (CDA) Cell

Through constant and keen monitoring, the speedy disposal of CDA cases has been achieved. By sensitizing the manpower handling CDA cases at various levels and through constant monitoring, the disposal of CDA cases at optimum level could be achieved. Further, through regular follow up with Regional Offices timely completion of enquiry proceedings

उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप 31.03.2024 तक सतर्कता मामलों में कोई भी जांच कार्यवाही छह महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं थी।

2023–24 के दौरान निपटाए गए सीडीए मामलों, अपीलों और ज्ञापनों का विवरण नीचे दिया गया है:

was achieved. As a result of the initiatives taken no Enquiry proceedings were pending in Vigilance cases for more than six months as on 31.03.2024.

The details of CDA cases, Appeals and Memorials disposed during 2023-24 are given below:

fooj.k@ Particulars	ucj@ Numbers
सीडीए मामला CDA cases	28
अपील Appeals	21
ज्ञापन Memorials	08

dk;LFky ij efgykvk dk ;ku mRihMu ¼jksdFkke] fu"ks/k vkj fuokj.k½ vf/kfu;e] 2013

कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों सहित महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में मुख्यालय में केंद्रीय शिकायत समिति का गठन किया है। क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी समितियों का गठन किया है।

,lh@,lVh@vksch lh deZpkfj;ksa ds fy, lqfo/kk çdks"B

- जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, हमारे पास आरक्षण प्रकोष्ठ है जो यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण नीति पर नियम और विनियमन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किए जाएं।
- अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रकोष्ठ, अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति मामलों पर नीतिगत निर्णय के लिए मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, दिव्यांगजन आयोग और अनुसूचित जातिध् अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के मार्गदर्शन में कार्य करता है। यह दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामलों का भी ध्यान रखता है।
- प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी और संपर्क

Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Company is committed for creating better and safe working environment for women including Company's women employees. The Company has constituted Central Complaints Committee at Head Office in compliance with the "Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". Regional Offices have also formed such committees to address issues of women employees at workplace.

Liaison Cell for SC/ST/OBC Employees

- As stipulated by the Govt. of India, we have Reservation Cell to ensure that the Rules and Regulation on Reservation Policy are implemented in accordance with Constitutional provisions.
- The Reservation Cell for SC/ST functions, under the guidance of the Ministry, National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Safai Karamcharies Ayog, PWDs Commission and Parliamentary Committee on the Welfare of SC/ST for policy decision on SC/ST matters. It also takes care of matters pertaining to PWD & Ex-Servicemen also.
- There is a SC/ST Cell with Chief Liaison Officer and Liaison Officer posted at Head Office. Liaison Cells are functional in various Regional Offices also. The Reservation

अधिकारी के साथ एक एससी/एसटी सेल है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क से प्रकोष्ठ भी कार्यरत हैं। आरक्षण सेल मंत्रालय, संसदीय समितियों, माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और पीडब्ल्यूडी आयोग के साथ समन्वय करते हैं और उन्हें आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर जांच के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति तंत्र है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने कंपनी में आरक्षण नीति की जांच के लिए 22.06.2023 को ओआईसीएल प्रबंधन के साथ एक बैठक आयोजित की थी।
- माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 28.06.2023 को लोक नायक भवन में ओआईसीएल प्रबंधन के साथ आरक्षण नीति और रोस्टर के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक आयोजित की थी।
- माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 10.08.2023 को कंपनी में आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए इंदौर का दौरा किया था।
- माननीय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 24.08.2023 को कंपनी में आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया था।
- मंत्रालय (डीएफएस) ने 17.10.2023 को ओआईसीएल प्रबंधन के साथ आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और रोस्टरों के निरीक्षण पर समीक्षा बैठक की थी।
- माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 21.10.2023 को कंपनी में आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए लखनऊ का दौरा किया था।
- दिसंबर–2023 के महीने में कॉर्पोरेट स्तर पर एससी/एसटी कल्याण समूहों के साथ स्टकचर्ड मीटिंग आयोजित की गईं।

vkchlh dekpkfj;k dk dY;k.k

प्रधान कार्यालय में ओबीसी के लिए एक पूर्ण संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित है। मुख्यालय में ओबीसी प्रकोष्ठ में एक मुख्य संपर्क

Cells co-ordinate and provides necessary assistance to the Ministry, Parliamentary Committees, Hon'ble National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBC Commission, National Commission for Safai Karamcharies & PWDs Commission and provides them required data for scrutiny on the implementation of Reservation Policy.

- The Company has an Internal Grievance Committee mechanism to resolve the grievances of Scheduled Caste and Scheduled Tribes employees.
- The Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes had conducted a meeting on 22.06.2023 with OICL Management for examination of Reservation Policy in the Company.
- Hon'ble National Commission for Scheduled Tribes had conducted a Review meeting on Implementation of Reservation Policy and Rosters with OICL Management on 28.06.2023 at Lok Nayak Bhawan.
- Hon'ble National Commission for Scheduled Caste had visited Indore to Review the Reservation Policy in the Company on 10.08.2023.
- Hon'ble National Commission for Safai Karamcharis had visited at Corporate Office to Review the Reservation Policy in the Company on 24.08.2023.
- Ministry (DFS) had held a Review meeting on Implementation of Reservation Policy and Inspection of Rosters with OICL Management on 17.10.2023.
- Hon'ble National Commission for Scheduled Caste had visited Lucknow to Review the Reservation Policy in the Company on 21.10.2023.
- The Structured Meetings were conducted with the SC/ST Welfare Groups at Corporate

अधिकारी और एक संपर्क अधिकारी हैं, जो मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के निर्देशों/मार्गदर्शन के साथ समन्वय और अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों में ओबीसी के लिए अलग से संपर्क अधिकारी हैं। संपर्क अधिकारी ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण और आरक्षण के प्रावधान के कार्यान्वयन की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके अलावा ओबीसी कर्मचारियों, कल्याण संघों और प्रबंधन के बीच सुचारू संचार प्रवाह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। ओबीसी सेल अपने पास भेजी गई शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रयास करता है।

ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी संवर्ग में पदोन्नति के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

जनवरी 2024 में कंपनी द्वारा ओबीसी संपर्क अधिकारियों और चेक ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन (अर्थात इंश्योरेंस ओबीसी इम्पलाइज वैलफेयर एसोसिएशन) के प्रतिनिधियों के लिए ओबीसी मामलों पर आरक्षण नीति और रोस्टर के रखरखाव पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

कंपनी ने समर्पित स्थान उपलब्ध कराकर चेक ऑफ कल्याण एसोसिएशन को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता की है तथा मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में चेक ऑफ एसोसिएशन के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जाती हैं।

jkLVj

मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में पीडब्ल्यूडी रोस्टर सहित भर्ती और पदोन्नति रोस्टर बनाए जाते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय के मुख्य संपर्क अधिकारी और संपर्क अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर रोस्टर का निरीक्षण किया जाता है। मंत्रालय ने हमारे रोस्टर की जाँच और सत्यापन भी किया है और पाया है कि वे संतोषजनक हैं। रोस्टर कंपनी के पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

,llh@,lVh@vkch lh dehpkfj;k dk çf'k{k.k

कंपनी उन उम्मीदवारों के लिए भर्ती–पूर्व एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है जो श्रेणी–I और

level in the month of December -2023.

Welfare of OBC Employees

A full-fledged Liaison Cell for OBC is in place at Head Office. OBC Cell at Head Office has a Chief Liaison Officer and a Liaison Officer, who play key role in coordination and adherence with directions / guidance of the Ministry, National Commission for Backward Classes and the Parliamentary Committee on Welfare of Other Backward Classes.

In addition, there are separate Liaison Officers for OBC at Regional Offices. Liaison officers play pivotal role in looking after the welfare and implementation of provision of reservation of OBC category employees, besides being instrumental in ensuing smooth communication flows between OBC employees, Welfare Associations and Management. OBC cell strives for expeditious resolution of grievances referred to it.

The employees who belong to OBC Category are imparted pre-promotion training in Officer's cadre as also for promotion from Class III to Class I cadre.

A Workshop on Reservation Policy on OBC matters and maintenance of Rosters was organized in January 2024 by the Company for OBC Liaison Officers and representatives from checked off welfare Association (i.e. Insurance OBC Employees Welfare Association).

The Company has facilitated checked off welfare association to function smoothly by providing dedicated space and frequent meetings are held with Checked Off Association at HO as well as Regional Offices.

Rosters

As per Ministry guidelines recruitment and promotional rosters including PWDs Rosters are maintained at Corporate Office and Regional Offices to ensure adequate representation of SC/ST/OBC/ PWDs employees. Inspection of Rosters is carried out on regular basis by the Chief Liaison Officer and Liaison Officer of Corporate Office. Ministry has also been checked and verified our Rosters and found satisfactory. Rosters are also available on Company's

श्रेणी–III पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। विचाराधीन जॉन में सभी एससी/एसटी/ओबीसी अधिकारियों को 04 दिनों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह 13 दिनों के लिए दिया जाता है।

,llh@,lVh@vkchlh deZpkfj;ksa ds fy, dY;k.kdkjh ;kstuk,a

डॉ. अंबेडकर कल्याण ट्रस्ट के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए लाभकारी योजनाएं हैं, जिनका विवरण डॉ. अंबेडकर कल्याण ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई योजनाओं के अंतर्गत दिया गया है:–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के एफटीएसध्पीटीएस के बच्चों के लिए स्कूल फीस, किताबें, नोटबुक और स्कूल यूनिफॉर्म की प्रतिपूर्ति रु.1000/–
2. एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के वर्ग–I (स्केल I तक), वर्ग II, वर्ग III के कर्मचारियों को एमबीबीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग, एलएलबी के लिए पुस्तकों की लागत, फीस के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति रु. 10,000/–
3. एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के लिए बीमा परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु LIII दृ रु. 500/– AIII- रु. 1000/–, FIII– रु. 2000/–.
4. चतुर्थ श्रेणी एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग, पीएचडी हेतु उच्च शिक्षा हेतु डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर छात्रवृत्ति 25000/– रु.
5. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राज्य मेरिट छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कक्षा 10 वीं और 12 वीं में प्रथम आये हो, उन्हें 25,000/– रुपये या लैपटॉप दिया जाएगा।
6. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर चतुर्थ श्रेणी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की एक पुत्री की शादी के लिए विशेष अनुदान 11,000/– रुपये।

31.03.2024 तक कंपनी में एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य कर्मचारियों का वर्गवार प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

Portal.

Trainings of SC/ST/OBC Employees

Company organizes Pre-recruitment one week training programme for the candidates who are applying for Class I and Class III post. Pre-Promotion training is imparted to all SC/ST/OBC Officers in the Zone of Consideration for 04 days and for Class III employees it is imparted for 13 days.

Welfare Schemes for SC/ST/OBC Employees

There are benefit schemes under Dr. Ambedkar Welfare Trust Schemes for SC/ST/OBC employees as detailed under launched by Dr. Ambedkar Welfare Trust:-

1. Reimbursement of school fees books, notebooks and school uniforms for children of FTS/PTS belonging to SC/ST/OBC employees Rs.1000/-
2. Reimbursement of expenses towards cost of books, fees incurred for MBBS, MBA, Engineering, LLB to Class-I (upto Scale I), Class II, Class III employees belonging to SC/ST/OBC employees Rs. 10,000/-
3. For passing Insurance examination for SC/ST/OBC employees. LIII –Rs. 500/- AIII- Rs. 1000/-, FIII- Rs. 2000/-.
4. Dr. Babasaheb Ambedkar Scholarship for Higher Education for Medical Engineering, Phd. for sons/daughters of Class IV SC/ST/OBC employees Rs.25000/-.
5. Dr. Babasaheb Ambedkar State Merit Scholarship sons/daughter of SC/ST employees who stood first in the respective State/UT in class 10th and 12th Rs.25,000/- or laptop.
6. Dr. Babasaheb Ambedkar Special Grant for wedding of one daughter of Class IV SC/ST employees Rs. 11,000/-.

The Class-wise representation as on 31.03.2024 of SC, ST, OBC and General employees in the Company are as under:

d{kk Class	dekpkfj;ksa dh dqy la[;k Total No. Of Employees	vuqlfpr tkfr SC	% dk vuqlfpr tkfr % of SC	vuqlfpr tutkfr ST	% dk vuqlfpr tutkfr % of ST	vU; fiNMk oxZ OBC	% dk vU; fiNMk oxZ % of OBC	lkekU; General
श्रेणी-I Class-I	4060	908	22.36	346	8.52	799	19.68	2007
श्रेणी-I Class-II	86	27	31.39	15	17.44	7	8.14	37
श्रेणी-III Class-III	2251	489	21.72	263	11.68	444	19.72	1055
चतुर्थ श्रेणी Class-IV	697	346	49.64	56	8.03	105	15.06	190
कुल TOTAL	7094	1770	24.95	698	9.84	1355	19.10	3289

çf'k{k.k d{k

कॉर्पोरेट प्रशिक्षण विभाग का दृष्टिकोण प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों को कॉर्पोरेट व्यवसाय रणनीति और लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है और इसका मुख्य ध्यान अपने कार्यबल को विधिवत अद्यतन रखने और नवीनतम व्यावसायिक उपकरणों से सुसज्जित रखने पर है। प्रशिक्षण अभ्यास में पारंपरिक कक्षा शिक्षण के अलावा सेमिनार, कार्यशालाएँ और सम्मेलन शामिल हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि वर्ष 2023–24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में भी आयोजित किए गए थे।

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर रही है:

- ओरिएंटल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, फरीदाबाद।
- 30 क्षेत्रीय कार्यालयों को कवर करने वाले 22 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र
- राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे
- अन्य व्यावसायिक संस्थान

vkfj,.Vy LVkQ Vsfuax d,yst] Qjhnkckn

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ओएसटीसी द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

- नव पदोन्नत स्केल I अधिकारियों के लिए फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए

Training Cell

The approach of Corporate Training Department is to align the training related activities with the corporate business strategy & goals and its focus is mainly on keeping its work force duly updated and equipped with the latest business tools. The Training practice include seminars, workshops and conferences besides conventional class room learning. It is pertinent to mention that during the year 2023-24 the training programmes were also held in online mode.

The Company is utilizing following available facilities for training its workforce:

- Oriental Staff Training College, Faridabad.
- 22 Regional Training Centers covering 30 Regional Offices
- National Insurance Academy, Pune
- Other Professional Institutes

Oriental Staff Training College, Faridabad

Some of the important Training Programmes organised by OSTC during the financial year 2023-24 are as under –

- Foundation Training Programme for newly promoted scale I Officers, Programme for retiring Executives, Programme for Agency

कार्यक्रम, एजेंसी प्रशिक्षकों के लिए कार्यक्रम, स्केल III और IV संवर्ग में पात्र उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, नव पदोन्नत स्केल V अधिकारियों के लिए ट्रांजिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम और विजन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- प्रधान कार्यालय में विभिन्न विभागों के सहयोग से विभाग/विषय विशेष कार्यशालाएं जैसे–एएमएल, अग्नि एवं इंजीनियरिंग, समुद्री, फसल बीमा, सह–बीमा, जीएसटी और सतर्कता आदि भी आयोजित की गईं।
- ओएसटीसी कंपनी के संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। यह कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:

Coaches, Pre Promotion Training for eligible candidates in the cadre of scale III & IV, Transition Training Programmes for newly promoted scale V officers & Vision Training Programme.

- Department/ subject specific workshops like – AML, Fire & Engeeniaring, Marine, Crop Insurance, Co-insurance, GST & Vigilance were also conducted in collaboration with various departments at Head Office.
- OSTC has also been functioning as a resource & knowledge hub of the company. It provides training related inputs to the officers of the Company.

The details of the Training Programmes/workshops conducted during the year 2023-24 are as under:

ओएसटीसी फरीदाबाद द्वारा 2023–24 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/बैठकें/सम्मेलन Training Programs / Workshops / Meet / Conferences arranged by OSTC Faridabad during 2023-24												
स्केल वार Scale Wise							लिंग के अनुसार Gender Wise			श्रेणीवार Category Wise		
मैं I	द्वितीय II	तृतीय III	चतुर्थ IV	वी V	छठी VI	कुल Total	पुरुष Male	महिला Female	कुल Total	अनुसूचित जाति SC	अनुसूचित जनजाति ST	अन्य पिछड़ा वर्ग OBC
1130	969	605	111	209	32	3056	1438	1618	3056	530	75	447

	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या No. of Programs conducted	उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of Officers Attended
प्रशिक्षण/Training	27	1254
कार्यशाला/सेमिनार/Workshop/ Seminar	13	1802
कुल/TOTAL	40	3056

{k=h; çf'k{k.k dsæ

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (RTC) द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्केल I कैडर के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी RTC में आयोजित किए जाते हैं। RTC अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति–पूर्व प्रशिक्षण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नियमित (तकनीकी/गैर–तकनीकी) प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और एजेंटों के लिए प्रशिक्षण भी नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान RTC में आयोजित प्रशिक्षणों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:–

REGIONAL TRAINING CENTRES

Regional Training centers (RTCs) cater to the training needs of Class II, III, IV employees. Some training programs for Scale I cadre are also conducted at RTCs. RTCs conducts training programmes on Pre-Promotion training for SC/ST/OBC employees, regular (technical/ non- technical) trainings for Class II,III, IV employees, training for retiring employees and training for agents are also conducted on a regular basis. The details pertaining to trainings conducted at RTC during the year 2022-23 are as follows:-

2023–24 के दौरान आरटीसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम **Training Programs Conducted by RTCs during 2023-24**														
स्केल / कक्षावार **Scale/ Class Wise**							लिंग के अनुसार **Gender Wise**			श्रेणीवार **Category Wise**				
स्केल–मैं **Scale-I**	स्केल – II **Scale - II**	स्केल – III **Scale - III**	स्केल –IV **Scale -IV**	वर्ग द्वितीय **Class-II**	कक्षा– III **Class-III**	कक्षा चतुर्थ **Class IV**	कुल **Total**	पुरुष **Male**	महिला **Female**	कुल **Total**	जीसी **GC**	अन्य पिछड़ा वर्ग **OBC**	अनुसूचित जाति **SC**	अनुसूचित जनजाति **ST**
201	278	81	32	5	240	23	860	575	285	860	393	187	187	93

jk"Vªh; chek vdkneh] iq.k

2023–24 के दौरान कंपनी के अधिकारियों को तकनीकी और गैर–तकनीकी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) पुणे में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था। एनआईए प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है: –

NATIONAL INSURANCE ACADEMY, PUNE

During 2023-24 officers of the Company were nominated for training at the National Insurance Academy (NIA) Pune, in Technical and Non-technical programmes. The details of NIA Trainings are as under:-

प्रतिभागियों की कुल संख्या TOTAL NO. OF PARTICIPANTS	अनुसूचित जाति SC	अनुसूचित जनजाति ST	अन्य पिछड़ा वर्ग OBC	सामान्य वर्ग GEN	पुरुष MALE	महिला FEMALE
102	19	5	17	61	69	33

fof'k"V çf'k{k.k xfrfof/k;k&

- अधिकारियों को विभिन्न विशिष्ट विषयों पर प्रशिक्षण के लिए अन्य व्यावसायिक संस्थानों में भेजा गया।

कंपनी स्तर पर 2023–24 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

Specific Training Activities-

- Officers were sent to other professional Institute for training on various specialized subjects.

The Details of the employee Trained during 2023-24 at Company Level are as under:-

प्रशिक्षण केंद्र Training Centres	प्रशिक्षित अधिकारियोंध्कर्मचारियों की संख्या Number of Officers/employees trained
ओएसटीसी फरीदाबाद / OSTC Faridabad	3056
आरटीसी / RTC	860
एनआईए, पुणे / NIA, Pune	102
अन्य व्यावसायिक संस्थान / Other Professional Institutes	14
कुल / Total	4032

efgyk l'kä dj.k

31.03.2023 तक कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत महिला अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

Empowerment of Women

The Company has significant number of women Officers holding senior positions in our various Offices as on 31.03.2023. The data is given below:

पदनाम / Designations	संख्या / Number
महाप्रबंधक / General Manager	05
महाप्रबंधक एवं निदेशक / General Manager & Director	Nil

उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager	05
प्रभारी उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager Incharge	07
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधकध प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक Chief Regional Manager/Regional Manager Incharge	01
मुख्य प्रबंधक ध क्षेत्रीय प्रबंधक / Chief Manager / Regional Manager	41
सर्विस सेंटर प्रभारी और टीपी हब प्रभारी(स्केल V) / Service Centre I/C & TP Hub I/C (Scale V)	05

इसके अलावा, 31–03–2024 तक हमारी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या CMD, CVO और नियुक्त एक्चुअरी सहित 7156 है। जिसमें से नियुक्त एक्चुअरी सहित कुल महिला कर्मचारी संख्या 2003 है।

l;ink foHkkx

इस वर्ष संपदा विभाग ने कार्यालयों के समेकन / युक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि किराया व्यय को कम किया जा सके, जो वेतन के बाद प्रबंधन व्यय का दूसरा सबसे बड़ा व्यय घटक है। संपदा विभाग ने विलय / बंद करने या डाउनग्रेडेशन के लिए हमारी कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यालय परिसरों को समय पर छोड देना सुनिश्चित किया है। कार्यालयों के पुनर्गठन और बेहतर स्थान प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों के क्षेत्र अधिकार को फिर से परिभाषित किया गया है, जिससे किराया व्यय कम हुआ है। दिल्ली में विभिन्न कार्यालय, जो पहले किराये के परिसरों से संचालित हो रहे थे, उन्हें ओरिएंटल हाउस बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि कंपनी के किराये के व्यय को बचाया जा सके।

LFkkiuk foHkkx

कंपनी का स्थापना विभाग कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सुरक्षा, हाउसकीपिंग, संचार, कार्यालय उपकरणों की खरीद और रखरखाव, फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग्स, स्टाफ कारों सहित, के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है। विभाग कुछ गैर–प्रमुख कार्यों को भी आउटसोर्स करता है और कार्यालय उपकरणों के सुचारू संचालन के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को कारगर बनाने और बेहतर पारदर्शिता के लिए हमने सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को साझा किया है। हमने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की हैं ताकि उन्हें जीईएम में काम करने के ज्ञान से बेहतर ढंग से लैस किया जा

Further, total employee strength of our Company as on 31-03-2024 is 7156 including CMD, CVO and Appointed Actuary. Out of which total Female employee strength is 2003 including Appointed Actuary.

ESTATE DEPARTMENT

This year Estate Department played an important role in consolidation / rationalization of Offices to reduce rental expenses which are the second highest outgo component of Management Expenses after salaries. Estate Department has ensured timely surrendering of Office premises approved by our Company's Board for merger / closure or down – gradation. Area entitlement of Offices has been redefined considering reorganization of Offices and better space management which has reduced the rental outgo. Various Offices in Delhi, which were operating from the rental premises previously, have been shifted to the Oriental House Building, so as to save on the rental outgo of the Company.

ESTABLISHMENT DEPARTMENT

Company's Establishment Department strives to facilitate the provision of fundamental requirements for smooth functioning of offices – like security, housekeeping, communication, purchase and maintenance of office equipments, furniture, fixtures & fittings, including staff cars. The Department also outsources some non-core functions and enters into Annual Maintenance Contracts (AMCs) for smooth running of office equipments. To streamline the above procedure and for better transparency we have shared Standard Operating Procedures to be followed for procuring goods and services through the Government e-Marketplace (GeM). We have also conducted online training classes for officers to better equip them with knowledge of working in GeM in an effort to transition from offline bidding/

सके ताकि वे जीईएम के माध्यम से ऑफलाइन बोली/वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से ऑनलाइन मोड में जा सकें ।

कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रबंधन

- पिछले वित्तीय वर्ष में हमने रायपुर में कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों का पुनर्विकास किया है और क्षेत्रीय कार्यालय –रायपुर और मण्डलीय कार्यालय –रायपुर को पट्टे पर लिए गए परिसर से हमारी पुनर्विकसित कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति में स्थानांतरित किया है और किराये के खर्च में भारी बचत की है।
- क्षेत्रीय कार्यालय –चंडीगढ़ के अंतर्गत गेस्ट हाउस पट्टे पर लिए गए परिसर में संचालित हो रहा था और इसके नवीनीकरण के बाद इसे कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे किराये पर जाने वाली राशि की बचत हुई।
- कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।
- इसी प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों यथा हैदराबाद, एमआरओ–1, चंडीगढ़, इंदौर में नवीनीकरण/मरम्मत/पुनर्विकास कार्य किया गया था।
- कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के लाभकारी उपयोग के लिए, स्थानांतरित/पदोन्नत अधिकारियों को यथासंभव आवासीय पट्टे की अनुमति देने के बजाय, कंपनी के स्वामित्व वाले आवास आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
- डीएफएस (वित्त मंत्रालय) के निर्देशानुसार, देश भर में विभिन्न स्थानों पर पड़ी पुरानी और अप्रयुक्त खाली संपत्तियों के संबंध में मुद्रीकरण प्रक्रिया चल रही है।

lEink fookkx ls lacf/kr yfcr dkuuh ekeyk dh leh{kk

हम कार्यालयों के परिसर मालिकों के साथ विवादों को कम से कम करने और लंबित मामलों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम हर महीने लंबित मुकदमों पर अपडेट एकत्र कर रहे हैं और उन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत सार्वजनिक परिसर मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हम नियुक्त संपदा अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ

purchase of goods and services to online mode through GeM. This year we completed procurement of two manpower services, viz., Housekeeping Services and Security Services through GeM.

MANAGEMENT OF COMPANY OWNED PROPERTY

- In the previous financial year we have re-developed Company Owned Properties at Raipur and Shifted RO-Raipur and DO-Raipur from leased premises to our Re-Developed Company Owned Property and saved a huge amount towards rental outgo.
- Guest house under RO-Chandigarh was operating from Leased premises and it was shifted to Company Owned Property after its renovation thus saved amount towards rental outgo.
- Similar action is also being taken in other Regions for better management of Company Owned Properties.
- Likewise in previous financial year Renovation/ Repairs/Re-Development work was carried out in different ROs viz -Hyderabad, MRO-1, Chandigarh, Indore.
- For gainful utilization of Company Owned Properties it has been decided to allot Company owned accommodation to transferred/Promoted officers instead of allowing residential lease to them to possible extent.
- As per direction of DFS (MoF) monetization exercise in respect of old and unutilized vacant properties lying at different places across Country is under process.

REVIEW OF PENDING ESTATE LEGAL MATTERS

We are working on the plan to have minimum disputes with the landlords and get the pending cases disposed of as expeditiously as possible. We have been collecting updates on pending litigations every month and monitoring them closely. For expeditious disposal of Public Premises matters under Public Premises Act, 1971 we have been continuously taking up the cases with the Appointed Estate Officers and Regional Offices.

लगातार मामले उठा रहे हैं।

vkrfjd y[kk ijh{kk

प्रधान कार्यालय स्थित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) अपने क्षेत्रीय केंद्रों पर कार्यरत 25 लेखापरीक्षा प्रकोष्ठों द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक की सहायता से, पूरे भारत में स्थित परिचालन कार्यालयों के कामकाज के बारे में प्रबंधन को जानकारी प्रदान करने में सक्षम रहा है।

वर्ष 2023–24 के दौरान आईएडी ने 28 क्षेत्रीय कार्यालयों, 295 मंडल कार्यालयों, 394 शाखा कार्यालयों और 359 व्यवसाय केंद्रों की नियमित लेखापरीक्षा की। इसके अलावा, इसने 71 सेवा केंद्रों और 70 टीपी हब की लेखापरीक्षा की। वर्ष के दौरान सभी सेवानिवृत्त/मृत/पुनर्स्थापना कर्मचारियों से संबंधित पेंशन फाइलों की समवर्ती लेखापरीक्षा की गई, जिसमें नियमित पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि शामिल हैं।

परिचालन कार्यालयों के नियमित ऑडिट के अलावा, मुख्यालय के सभी विभागों जैसे कार्मिक, आईटी एस्टेट, स्थापना, हिंदी, पूर्ण लेखा विभाग–कॉर्पोरेट, निवेश खाते, विभिन्न तकनीकी विभागों–अग्नि, इंजीनियरिंग, समुद्री, विमानन, स्वास्थ्य, विविध, आरआईडी फसल आदि के अंडरराइटिंग और दावे, व्यवसाय निरंतरता, साथ ही जीएम कार्यालय मुंबई का ऑडिट भी केपीए 2023–24 के अनुसार किया गया है। विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों का अनुपालन/निपटान किया गया है और कई लंबित ऑडिट रिपोर्ट को उचित उत्तर मिलने पर बंद कर दिया गया है।

फाइल एवं उपयोग पर आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की तकनीकी लेखा परीक्षा (डी–टैरिफ अंडरराइटिंग ऑडिट) तिमाही आधार पर आयोजित की गई है और निष्कर्ष (असाधारण रिपोर्ट) लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड के समक्ष रखी/प्रस्तुत की गई है।

वर्ष की शुरुआत में, C&AG के 281 पैरा लंबित थे और वर्ष के दौरान किए गए ऑडिट से 70 नए पैरा जोड़े गए। CAG पैरा की संख्या को कम करने और क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभागों से C&AG को लंबित पैरा की अधिकतम संख्या के उत्तर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप विभाग (आईएडी, प्रधान कार्यालय) ने महानिदेशक लेखा परीक्षा (शिपिंग और कॉर्पोरेट मामले) नई दिल्ली के कार्यालय के अधिकारियों के साथ एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक (एसीएम) आयोजित करने में सफलता प्राप्त की है और निदेशक कार्यालय से आश्वासन प्राप्त किया है। का अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024–25 में

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Department [IAD] at Head Office with the help of the feedback made available by its 25 Audit Cells functioning at Regional Centres has been able to provide information to the Management on the functioning of the Operating offices situated pan India.

During the year 2023-24 IAD conducted Regular Audit of 28 Regional Offices, 295 Divisional Offices, 394 Branch Offices and 359 Business Centres. In addition, it carried out audit of 71 Service Centres and 70 TP Hubs. Concurrent Audit of Pension files pertaining to all retired/deceased/restoration employees which consist of regular pension, Family Pension etc. was also conducted during the year.

In addition to Regular Audits of operating offices, audit of all departments of Head Office viz. Personnel, IT Estate, Establishment, Hindi, Complete Accounts – Corporate, Investment Accounts, Underwriting & Claims of various Technical Departments- Fire, Engineering, Marine, Aviation, Health, Miscellaneous, RID Crop etc., Business Continuity, as well as GM Office Mumbai, have also been conducted as per KPA 2023-24. Compliance/settlement of various Audit Reports has been made and various pending audit report were closed on receiving tenable replies.

As per IRDA guidelines on File & Use, Technical Audit (De-tariff underwriting audit) of all the Regional Offices has been conducted on quarterly basis and the findings (Exceptional Report) placed/submitted before the Audit Committee/Board.

At the beginning of year, as many as 281 C&AG Paras were pending and 70 new paras were added, arising out of audits conducted during the year. Special efforts have been made and initiated to reduce the no. of CAG paras and ensure submission of replies of maximum number of pending paras to C&AG from ROs/HO Depts. In the sequel the department (IAD HO) has succeeded to convene an Audit Committee Meeting (ACM) with officials of office of Director General of Audit (Shipping and Corporate affairs) New Delhi and obtained assurances from Office of the Director of Audit (Coal) Kolkata for an Audit Committee Meeting in next Financial Year i.e. 2024-25. Consequently the department IAD HO was able to submitt replies of more than 200 paras to C&AG for their final decision and the C&AG has settled / dropped only 65 CAG paras in the financial year 2023-24. Still replies of 161 paras are lying with

ऑडिट कमेटी की बैठक के लिए ऑडिट (कोएल) कोलकाता। परिणामस्वरूप विभाग आईएडी एचओ अपने अंतिम निर्णय के लिए सीएजी को 200 से अधिक पैराग्राफ के जवाब प्रस्तुत करने में सक्षम था और सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में केवल 65 सीएजी पैराग्राफ का निपटारा/ड्रॉप किया है। अभी भी 161 पैराग्राफ के जवाब चालू वित्तीय वर्ष के अंत में उनके विचार के लिए सीएजी के पास लम्बित हैं। चूंकि बड़ी संख्या में पैरा (161) सीएजी के विचार के लिए लंबित हैं और सीएजी को उनके विचार के लिए नियत समय में कुछ और पैरा के जवाब प्रस्तुत करने की उम्मीद है, हम लंबित मामलों को काफी हद तक कम करने की अच्छी स्थिति में हैं।

सीएंडएजी पैरा और आईएडी बिंदुओं की स्थिति तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है। 01.04.2023 तक, 5331 आंतरिक लेखापरीक्षा बिंदु लंबित थे और वर्ष के दौरान 8928 बिंदु जोड़े गए, जिनमें से 9569 बिंदुओं का निपटारा कर दिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया। 31.03.2024 तक 4690 लेखापरीक्षा बिंदु लंबित थे। विभाग के आईएडी प्रधान कार्यालय ने आंतरिक नियंत्रण में सुधार के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया दी है।

xkgd lsok foHkkx

ओआईसीएल शिकायत निवारण तंत्र सभी हितधारकों के मुद्दों का निवारणकरने के लिए अच्छी तरह से विद्यमान है, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित शिकायत विभाग और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रबंधकों (शिकायत) की देखरेख में शिकायत नोडल अधिकारियों (जीएनओ) की समर्पित टीम है। कॉर्पोरेट कार्यालय की निगरानी में परिचालन कार्यालय स्तर पर व्यवसाय कार्यालयों के प्रमुख भी सक्रिय रूप से नोडल अधिकारियों की भूमिका निभा रहे हैं।

हमारे पास अपने मूल्यवान पॉलिसीधारकों के लिए एक समर्पित पोर्टल है, जो उन्हें अपनी पॉलिसी से संबंधित जानकारी का विवरण प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी ने फोन कॉल, पत्र और पॉलिसी धारक से सीधे मिलने जैसे पारंपरिक तरीकों के साथ–साथ ईमेल, समर्पित शिकायत पोर्टल, ट्विटर जैसी आधुनिक संचार प्रणाली के सभी तरीकों को अपनाया है। पॉलिसीधारकों को दावा प्रक्रिया, पोर्टल का उपयोग, पॉलिसी लाभ आदि के बारे में शिक्षित करने की गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है।

कंपनी ओआईसीएल पोर्टल और आईआरडीएआई पोर्टल (बीमा भरोसा), पीजी पोर्टल (सीपीग्राम्स) और इनग्राम पोर्टल (जागो ग्राहक जागो) में दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए भी पूरी

C&AG for their consideration at the end of current Financial Year. Since a large number of paras (161) are pending with C&AG for their consideration and expected to submit some more replies to paras to C&AG in due course for their consideration, we are in a good position to reduce the pendency to a great extent.

The status of C&AG paras and IAD Points is placed before the Audit Committee on quarterly basis. As on 01.04.2023, 5331 Internal Audit points were pending and during the year 8928 points were added, out of which 9569 points have been settled and closed. As on 31.03.2024 4690 audit points were outstanding. The Department IAD HO has gave valuable feedback for improvement in internal controls.

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT

OICL Grievance redressal mechanism is well in place to address the issues of the all stake holders with a dedicated Grievance Department at Corporate office and having dedicated team of Grievance Nodal Officers (GNO) under supervision of Regional Managers (Grievance) at all Regional Offices. Heads of Business Offices are also actively discharging the role of Nodal Officers at the operating office level under the monitoring of Corporate Office.

We have a dedicated portal for our valued policy holders rendering facility to register themselves to get the details of the information related to their respective policies. The company has adopted all modes of modern communication system like emails, dedicated Grievance portal, twitter along with the traditional modes like phone calls, letters and direct meets with policy holder. The activities of educating the policy holders with claim process, portal use, policy benefits, etc. are accorded priority.

The company is also taking full-fledged care to redress the grievances reported in OICL portal & IRDAI portal (Bima Bharosa), PG Portal (CPGRAMS) and INGRAM Portal (Jago Grahak Jago), last two are maintained by Government of India.

For the seventh consecutive years, we have achieved a zero-grievance pendency with 100 % Disposal Ratio as on 31st March 2024. Further, now focus has been on qualitative disposal of grievances.

The Department in close coordination with IT has implemented the customer feedback form on different parameters.

सावधानी बरत रही है, इनमें से अंतिम दो का अनुरक्षण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

लगातार सातवें वर्ष, हमने 31 मार्च 2024 तक 100: निपटान अनुपात के साथ शून्य–शिकायत लंबितता हासिल की है। इसके अलावा, अब शिकायतों के गुणात्मक निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ग्राहक सेवा विभाग ने आईटी के साथ निकट समन्वय में विभिन्न मापदंडों पर ग्राहक फीडबैक फॉर्म को क्रियान्वित किया है।

ग्राहक सेवा विभाग ने डीएफएस द्वारा दिनांक 13–02–2024 के पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार मासिक आधार पर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में शिकायतों की समीक्षा/समाधान के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया है।

कंपनी ने 30.09.2023 तक पॉलिसीधारकों के निधि खाते में पड़ी सभी दावा न की गई राशि का हिसाब लगाया है और वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि अधिनियम 2015 के अनुरूप नियामक के दिनांक 25.07.2017 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) में 5,76,54,648/– रुपये जमा किए हैं।

ओआईसीएल ग्राहक सेवा विभाग पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने तथा कंपनी की ''ओरिएंटल इंश्योरेंस–पॉलिसी धारक मित्रता'' की संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करता है।

lpuk dk vf/kdkj

हमारी कंपनी ने कई तरीकों से आरटीआई अधिनियम को उसकी सच्ची भावना में लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। कंपनी ने वर्ष 2009 की शुरुआत में ही आरटीआई मामलों का विकेंद्रीकरण कर दिया था। आरटीआई मामलों के प्रभावी और कुशल निपटान के लिए, हमारे पास प्रधान कार्यालय और हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और कॉर्पोरेट व्यवसाय कार्यालयों के लिए अलग–अलग केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) हैं। आरटीआई मुद्दों का निपटारा वैधानिक समय सीमा के भीतर शीघ्रता से किया जाता है।

1.4.2023 से 31.3.2024 की अवधि के दौरान हमें लगभग 850 आरटीआई अनुरोध और अपील प्राप्त हुए। आरटीआई अनुरोधों और अपीलों के अलावा, आरटीआई विभाग से संबंधित सांख्यिकीय डेटा नियमित रूप से तिमाही आधार पर

The Department has formed a Review Committee for reviewing/resolving grievances in CPGRAMS Portal on monthly basis as per directives issued by DFS vide their letter dated 13-02-2024.

The company has accounted for all unclaimed amount that was lying in policy holders fund account as on 30.09.2023 and deposited Rs.5,76,54,648/- in Senior Ciitizens Welfare Fund (SCWF) in compliance of Regulators guidelines dated 25.07.2017 in consonance with the Senior Citizen Welfare Fund Act 2015.

OICL Customer Service Department endeavors to protect policy holders' interest, to maintain Company's culture of "ORIENTAL INSURANCE-POLICY HOLDER FRIENDLY".

RIGHT TO INFORMATION

Our Company has played a leading role in implementing the RTI Act in its true spirit in many ways. The Company decentralized the RTI matters as early as the year 2009. For effective and efficient disposal of the RTI matters, we have separate Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) for Head Office and each of our Regional Offices and Corporate Business Offices. RTI issues are disposed of expeditiously, within the statutory time limit.

During the period 1.4.2023 to 31.3.2024 we had received approximately 850 RTI requests & Appeals. Apart from RTI requests and appeals, statistical data, with respect to the RTI Department is being regularly uploaded on quarterly basis on the website of the Central Information Commission. Further, Mandatory disclosures as required by Sec. 4(1) (b) of Right to information Act, 2005 have been made and information put on website of the Company. This information is periodically updated.

Our Company's RTI department is working in a very efficient manner. RTI Department at Head Office and Regional Offices are attending various hearings held by Central Information Commission. All the orders / directives issued by the CIC are complied with promptly well in time.

Implementation of Official Languagein the Financial Year 2023-24

केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार अनिवार्य प्रकटीकरण किए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट पर जानकारी डाली गई है। यह जानकारी समय–समय पर अपडेट की जाती है।

हमारी कंपनी का आरटीआई विभाग बहुत ही कुशल तरीके से काम कर रहा है। प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में आरटीआई विभाग केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सुनवाई में भाग ले रहे हैं। सीआईसी द्वारा जारी सभी आदेशोंधनिर्देशों का समय पर अनुपालन किया जाता है।

jkt Hkk"kk foHkkx& 2023&24 e jkt Hkk"kk dk;kUo;u

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में कंपनी के दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। हिंदी विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक मद के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इन लक्ष्यों के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य हैं हिंदी में मौलिक पत्राचार, धारा 3(3) का अनुपालन , हिंदी पत्रों का हिंदी में उत्तर देना, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, त्रैमासिक बैठकों का आयोजन, गृह ई–पत्रिका 'ओरिएंटल संवाद' का प्रकाशन आदि।

हमारी कंपनी के सभी कार्यालयों में 14 से 28 सितंबर, 2023 तक 'हिंदी पखवाड़ा' और 14 सितंबर, 2023 को 'हिंदी दिवस' मनाया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में हिंदी विभाग, प्रधान कार्यालय ने दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में 'हिंदी श्रुतलेखन' प्रतियोगिता प्रायोजित की, जिसमें बैंकोंधवित्तीय संस्थानों के कार्मिकों ने भाग लिया। उपरोक्त के अलावा, हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने – अपने शहरों में नगर राजभाषा कार्यकारिणी के

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभाग द्वारा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी के विभिन्न नवीन उत्पादों का हिंदी अनुवाद कार्य पूर्ण किया गया। साथ ही, समय–समय पर विभागों की ओर से संसदीय समितियों से संबंधित हिंदी अनुवाद का कार्य भी निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण किया गया। साथ ही, विभिन्न विभागों द्वारा जारी परिपत्रों का हिंदी अनुवाद संबंधी कार्य भी किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि में संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप–समिति द्वारा हमारे विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिनको सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने में हिंदी विभाग, प्रधान कार्यालय ने पूर्ण योगदान दिया।

In compliance with the Official Language Policy of Government of India, the use of Hindi has been promoted in the daily official work of the Company. Efforts were made by the Hindi Department, Head Office to achieve the targets as per each item of the annual program issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India. The main targets under these targets are original correspondence in Hindi, compliance of Section 3(3), replying to Hindi letters in Hindi, organizing Hindi workshops, organizing quarterly meetings, publishing the House e-magazine 'Oriental Samvad' etc.

'Hindi Pakhwada 'from 14th to 28th September, 2023 and 'Hindi Diwas' on 14th September, 2023 was celebrated in all the offices of our Company. In the financial year 2023-24, the Hindi Department, Head Office sponsored the'Hindi Shrutlekhan' competition under the aegis of Delhi Bank Narakas in which the personnel of Banks / Financial Institutions have participated. Besides the above, all of our Regional Offices are members of TOLIC in their respective cities and many Hindi officers have received various awards from their respective TOLIC for best hindi implementation.

During the financial year 2023-24, the department completed the Hindi translation work of the company's annual report and various new products of the Company. Along with the above, from time to time, the work of Hindi translation related to Parliamentary Committees from the departments was also completed within the stipulated timeframe. Along with this, the work related to Hindi translation of circulars issued by various departments was also done.

During the period of financial year 2023-24, our various offices were inspected by the Third Sub-Committee of the Parliamentary Official Language Committee, in whose successful completion, the Hindi Department, Head Office made full contribution.

During the said period Hindi Department, Head Office was honored with the first prize for best implementation of official language in Financial Institutions by the Town Official Language Implementation Committee and the second prize

उक्त अवधि के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए हिंदी विभाग, प्रधान कार्यालय को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा हमारी गृह ई–पत्रिका 'ओरिएंटल संवाद' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

उक्त के अतिरिक्त उप निदेशक(रा.भा.), वित्त मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2024 को प्रधान कार्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया , जिसे प्रधान कार्यालय के हिंदी विभाग की टीम द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया।

इसके साथ ही, इस अवधि में हमने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑनलाइन निरीक्षण भी किया तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में पाई गई कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई।

was awarded to our House e-magazine 'Oriental Samvad'.

Along with this, the official language related inspection of the Head Office was conducted by the Deputy Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on23.02.2024, which was successfully completed by the team of Hindi Department, Head Office.

Along with this, we also conducted online inspection of all our Regional Offices during this period and the concerned Regional Offices were directed to improve the deficiencies found in the implementation of official language. The Quarterly Reports received from various Regional Offices were reviewed by the Hindi Department, Head Office.



j[kk Bkdj ekgrh
REKHA THAKUR MOHANTY
egkçcU/kd
GENERAL MANAGER

ejhu

संयुक्त मरीन पोर्टफोलियो, जिसमें मरीन हल और मरीन कार्गो बीमा शामिल है, ने हाल ही में महत्वपूर्ण उन्मुखता दिखाई है। मरीन हल और मरीन कार्गो दोनों मरीन बीमा क्षेत्र पर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, रूसी युद्ध और लाल सागर क्षेत्र में युद्ध जैसे भू–राजनीतिक तनावों जैसे विभिन्न वैश्विक कारकों का प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के विस्तार में बदलाव आया है। वर्ष 2023–24 के लिए समुद्री क्षेत्र में कुल 19.94% की वृद्धि हुई है।

ejhu dkxks

यथोचित पुनर्बीमा सुरक्षा और प्रभावी दावा प्रबंधन सहित सावधानीपूर्वक बीमालेखन के साथ, हम ICR को लगभग 75.94% तक सीमित रखने में सक्षम रहे, जो काफी उचित है।

भविष्य को देखते हुए, हमारा मरीन कार्गो बीमा विभाग अपने ग्राहकों को मुख्य आद्योगिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मरीन उद्योग की उभरती जरूरतों के अनुकूल बनना जारी रखेंगे, अपने जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे और नए–नए समाधान तलाशेंगे। हम व्यापक, विश्वसनीय और ग्राहक–केंद्रित बीमा कवरेज प्रदान करना जारी रखते हैं जो

Marine

Combined marine portfolio, which includes marine hull and marine cargo insurance, has shown significant trends recently. The marine insurance sector, comprising both marine hull and marine cargo, has been impacted by various global factors such as supply chain disruptions, geopolitical tensions like Russian war and war in Red sea zone which resulted in changes in trade volumes. There is overall growth of 19.94% in Marine for the year 2023-24

Marine Cargo

With cautious underwriting equipped with adequate reinsurance protection and effective claims management, we were able to restrain ICR to around 75.94% which is quite reasonable.

Looking ahead, our Marine Cargo Insurance Department remains committed to providing industry-leading services to our clients. We will continue to adapt to the evolving needs of the maritime industry, strengthen our risk management practices, and explore innovative solutions. We continue to deliver comprehensive, reliable, and customer-centric insurance coverage that safeguards our clients' cargo interests in an ever-changing global

लगातार बदलते वैश्विक मरीन बाजार में हमारे ग्राहकों के कार्गो हितों की रक्षा करता है।

ejhu gy ikr

हमारे मरीन हल पोर्टफोलियो, जो जहाजों और पोत के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है, ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 19.94% की उचित वृद्धि दर दर्शाई है। पोत की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ , युद्ध पोर्टफोलियो में उच्च प्रीमियम दरें मरीन हल व्यवसाय की वृद्धि के पीछे कुछ प्रमुख कारक थे। हमारे देश ने सकारात्मक वृद्धि दर देखी है जिसके परिणामस्वरूप महासागरों में माल परिवहन के लिए जहाजों की बढ़ती आवश्यकता और ऑन–शोर, ऑफ–शोर व्यवसाय में वृद्धि हुई है। यह मांग जनसंख्या वृद्धि और उभरते बाजारों के बढ़ते महत्व जैसे कई कारकों से प्रेरित है। जहाज मालिक और ऑपरेटर अपनी मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक बीमा कवरेज की आवश्यकता को पहचानते हैं, जिससे मरीन हल बीमा व्यवसाय में वृद्धि होती है

भारतीय मरीन हल बीमा बाजार में हमारी मार्केट शेयर 17.93% है और 57.96% के नियंत्रित ICR के साथ इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने में इसके महत्व को उजागर करती है। हम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 16% की तुलना में 2023–24 के लिए 17.93% की मार्केट शेयर के साथ उद्योग के बीच इस क्षेत्र में उच्च स्थान रखते हैं ।

foekuu

2023–24 के दौरान विमानन उद्योग में मजबूत वृद्धि देखी गई है, जिससे हवाई यात्रा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि, उड़ानों और यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि आदि हुई है। इससे पहले एयरलाइनों को वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा है, विमानों को खड़ा करना पड़ा है और परिचालन में कमी आई है, जिससे 2022–23 में विमानन बाजार में नकारात्मक वृद्धि हुई है ।

हालांकि विमानन पोर्टफोलियो में 2023–24 के दौरान हमने 22. 42% की तीव्र वृद्धि देखी। विदेशी क्षमताएं अभी भी भारतीय विमानन व्यवसाय को नियंत्रित कर रही हैं और विमानन प्रीमियम दरों को बढ़ा रही हैं ।

विमानन पोर्टफोलियो, जिसमें हवाई यात्रा और संबंधित सेवाएं शामिल हैं, ऐतिहासिक रूप से एक गतिशील और बढ़ता हुआ क्षेत्र रहा है। हम इस क्षेत्र में भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 13.64% की बाजार हिस्सेदारी के मुकाबले। (उद्योग के बीच)

Marine Market.

Marine Hull

Our Marine hull Portfolio, which provides insurance coverage for ships and vessels, has witnessed a reasonable growth rate of 19.94 % during the fiscal year 2023-24. With the increasing global demand for vessels, higher premium rates in war portfolio were the few key factors behind the growth of the marine hull business. Our country has seen a positive growth rate which resulted in the rising need of ships to transport goods across oceans and growth in on-shore , off shore business. This demand is fuelled by many factors such as population growth and the growing importance of emerging markets. Shipowners and operators recognize the need for comprehensive insurance coverage to safeguard their valuable assets, leading to increase uptake of Marine Hull insurance business

Our Market share in Indian Marine Hull Insurance market is 17.93% and the sustained growth of this sector with controlled ICR of 57.96% highlights its significance in ensuring the stability and resilience of the global maritime ecosystem. We hold high position in this segment amongst Industry with a market share of 17.93% for 2023-24 against 16% during the previous financial year.

Aviation

During the 2023-24 Aviation Industry has seen a robust growth , leading to a significant growth in air travel demand, sharp increase in the number of flights and passengers etc. Earlier Airlines have faced financial losses, grounded aircraft, and reduced operations, leading to negative growth in the aviation market in 2022-23 .

However during 2023-24 we witnessed a sharp growth of 22.42% in Aviation portfolio . The overseas capacities still control the Indian Aviation business and are driving the aviation premium rates.

The aviation portfolio, which encompasses air travel and related services, has historically been a dynamic and growing sector. We also hold very high position in this segment too (amongst Industry) with a market share of 14.15% for 2023-24 against the market share of 13.64% during previous financial year.

FIRE, ENGINEERING & TECHNOMARKETING

During FY 2023-24, Fire and Engineering segment

बहुत उच्च स्थान रखते हैं 2023–24 के लिए 14.15% की बाजार हिस्सेदारी के साथ ।

vfXu] bathfu;fjax vkj VDukekdfVx

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, फायर और इंजीनियरिंग क्षेत्र ने मौजूदा प्रतिस्पर्धी बाजार में अच्छा निष्पादन किया है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में 9% की स्थिर वृद्धि देखी गई है, जिसमें इस प्रकार के व्यवसाय के तहत 463 करोड़ भारतीय रूपये का कुल प्रीमियम बीमालेखित किया गया है। हम इस क्षेत्र में चौथे स्थान पर हैं। अग्नि क्षेत्र में, हमने 6.07% के मार्केट शेयर के साथ INR 1557 करोड़ का कुल प्रीमियम पूरा किया है।

कंपनी ने बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, सुदृढ़ एवं विवेकपूर्ण बीमालेखन के आधार पर उत्पादों का डिजाइन और मूल्यांकन जारी रखा।

टेक्नो मार्केटिंग विभाग ने जोखिमों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और चयन, प्रतिकूल जोखिमों के अनिवार्य निरीक्षण और हानि नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देना जारी रखा। कंपनी ने प्रस्तावों की स्वीकृति को नियंत्रित तरीके से विकेंद्रीकृत किया है, जिससे ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में दक्षता आई है। संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत, हमने एसआईपी और गैर–एसआईपी उत्पादों को पेश किया है, जिससे मानक उत्पादों को सुव्यवस्थित किया गया है और मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने में सुविधा हुई है।

दावा प्रक्रिया ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण में सुधार लाने का मार्ग है। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए, हमारे पास दावा प्रबंधन के लिए एक समर्पित टीम है जो दावों के कुशल निपटान को सुनिश्चित करती है, लागत कम करने के लिए रणनीतियों की पहचान करती है और मुकदमेबाजी के जोखिमों से बचने के लिए काम करती है। इस दिशा में प्रयासों से पोर्टफोलियो की ICR और समग्र लाभप्रदता को नियंत्रित करने में मदद मिली है। अग्नि और अभियांत्रिक क्षेत्र के लिए ICR क्रमशः 60.55% और 36.21% है।

केपीआई प्रयास के रूप में दावा केन्द्रों की शुरुआत की गई है, जिसके परिणामस्वरूप दावों का तेजी से निपटान हुआ है और ग्राहकों की समग्र संतुष्टि में सुधार हुआ है।

iqufcheek

पुनर्बीमा एक बीमा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो बड़ी हानियों के प्रभाव से बैलेंस शीट की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करता है

has performed well in the existing competitive market. Engineering segment has witnessed a stable surge of 9% with the total premium of INR 463cr underwritten under this line of business. We hold 4th position in this segment. Under Fire segment, we have completed total premium of INR 1557 cr with a market share of 6.07%.

The Company continued to design and rate the products based on the sound and prudent underwriting, keeping in mind the demands of the market.

The Techno Marketing cell continued to emphasize on careful evaluation and selection of risks, mandatory inspections of adverse risks and implementation of loss control measures. The company has decentralized the acceptance of proposals in a controlled manner which has led to improvement in the customer servicing and efficiency in the finalization of proposals. Under the umbrella of organisational re-structuring, we have introduced SIP & Non-SIP products which has streamlined the standard products and facilitated in focussing on core competencies.

Claim processing is the avenue to drive improvement in the customer acquisition and retention. To stay ahead of the competition, we have a dedicated team for claims management that ensures the efficient settlement of claims, identifying strategies to reduce costs and working to avoid litigation risks. Efforts in this direction have helped in controlling the ICR and overall profitability of the Portfolio. The ICR for fire and engineering segment is 60.55% & 36.21% respectively.

As a KPI initiative, claims hubs have been introduced, which has resulted in faster settlement of claims and improvement in the overall satisfaction of the customers.

REINSURANCE

Reinsurance serves as an important Risk Management tool for an insurance company which, while ensuring overall protection of Balance sheet from impact of large losses and from accumulation of losses from a catastrophic event, also provides for underwriting

और किसी भयावह घटना से होने वाली हानि के संचय प्रभाव से बचाता है, साथ ही बड़े जोखिमों को स्वीकार करने के लिए बीमालेखन क्षमता भी प्रदान करता है। बड़े और जटिल जोखिमों को अंडरराइट करने की कंपनी की क्षमता उस अंडरराइटिंग क्षमता पर निर्भर करती है जिसे उसने पुनर्बीमा समर्थन के माध्यम से हासिल किया है। कंपनी को यथासंभव स्वचालित क्षमता से लैस करने पर जोर दिया जाता है ताकि मार्केटिंग और तकनीकी टीमें बड़े व्यवसाय को बीमालेखन करने और विकास हासिल करने की स्थिति में हों ।

उपर्युक्त के अनुरूप, हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य उचित लागत पर सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा कवरेज सुनिश्चित करना और आनुपातिक तथा गैर–आनुपातिक संधियों के उचित मिश्रण के माध्यम से सुरक्षा के साथ–साथ स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है। जबकि आनुपातिक संधियाँ उन जोखिमों को संभालने की स्वचालित क्षमता प्रदान करती हैं जो कंपनी के अपने शुद्ध प्रतिधारण से परे हैं, जिससे पूंजी पर दबाव डाले बिना ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है, कंपनी के शुद्ध प्रतिधारण पर जोखिम के संकेन्द्रण के जोखिम को अतिरिक्त हानि संरक्षण का उपयोग करके कम किया जाता है, जिससे बैलेंस शीट को प्रमुख घटनाओं के प्रभाव से बचाया जाता है।

वर्ष 2023–2024 में भारतीय बीमा बाजार पर सामान्य रूप से प्रभाव डालने वाली कुछ विनाशकारी घटनाएँ हुई हैं। जोखिम हानि हुई है, जो कि एनएम जोखिम एक्सएल संधि से वसूली योग्य है, जिससे हमारी बैलेंस शीट पर प्रभाव कम हो जाएगा।

पुनर्बीमा कार्यक्रम को बैलेंस शीट की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत जरूरी स्वचालित क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन रूस संघर्ष और यूरोप में बाढ़ से हुए नुकसान और तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से हुई क्षति के कारण चुनौतीपूर्ण विश्व स्थिति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार असामान्य रूप से धीमी रही। हालाँकि, भारत में पुनर्बीमा बाजार सामान्य रूप से मध्यम रहा और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार का भारत सहित पुनर्बीमा नवीनीकरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। अग्नि अधिशेष संधि और इंजीनियरिंग अधिशेष संधि को बढ़ी हुई क्षमता के साथ नवीनीकृत किया गया और पुनर्बीमा संधि विभाग पिछले वर्ष की तुलना में कम प्रीमियम पर प्रमुख हानि अधिशेष (एक्सएल) संधियों को नवीनीकृत करने में कामयाब रहा। घरेलू व्यापार के साथ–साथ विदेशी कार्यालयों और घरेलू बाजार के लिए तेल और ऊर्जा व्यापार लाइन में विविध पोर्टफोलियो में कुछ लाभदायक प्रकार

capacity to accept large risks. The Company's ability to underwrite large and complicated risks depends upon the underwriting capacity it has managed to garner by way of Reinsurance support. The emphasis remains on equipping the Company with as much automatic capacity as is possible so that the marketing and technical teams are in a position to underwrite large business and achieve growth.

In line with above, the aim of our Reinsurance Programme is to ensure best possible reinsurance coverage at a reasonable cost and to provide automatic reinsurance facility as also protection through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties. While the Proportional Treaties provide automatic capacity to handle risks which are beyond Company's own Net Retention thereby enabling such risks to be underwritten without putting strain on the Capital, the risk of concentration of Exposures on Company's Net Retention is mitigated by using Excess of Loss Protection thus protecting the balance sheet from impact of major events .

In year 2023 - 2024 there have been quite a few catastrophic events impacting the Indian Insurance market in general. There has been a Risk loss which however is recoverable from the NM Risk XL treaty thereby mitigating the effect on our balance sheet.

The Reinsurance Programme of the Company for 2024 – 2025 has been designed to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios while ensuring balance sheet protection. In view of challenging world situation exacerbated by the Ukraine Russia conflict as also flood losses in Europe and severe earthquake loss in Turkey & Syria, the international reinsurance markets were unusually remained hard. However, the reinsurance market in India remained moderate in general and international reinsurance market had no major impact on the reinsurance renewals including those in India. The Fire Surplus Treaty and Engineering Surplus Treaty were renewed with increased capacity and the Reinsurance Treaty Department could manage to renew major excess of loss (XL) treaties on reduced premium as compared to last year. Additional capacity has also been created in few profitable lines of business in miscellaneous portfolio for domestic business as well as foreign offices and in Oil & Energy line of business for domestic market.

All our Proportional and Non Proportional Treaties

के व्यापार में अतिरिक्त क्षमता भी बनाई गई है।

2024–2025 के लिए हमारी सभी आनुपातिक और गैर–आनुपातिक संधियों को आईआरडीएआई विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से मजबूत और मूल्यांकित प्रतिभूतियों के साथ सफलतापूर्वक रखा गया है।

fon'kh ifjpkyu

कंपनी का विदेशी परिचालन नेपाल, कुवैत और दुबई में है। हम नेपाल में शाखा मॉडल पर काम करते हैं जबकि दुबई और कुवैत में हमारा एजेंसी संचालन है।

वर्ष 2023–24 के दौरान हमने 33.73% की दर से वृद्धि करते हुए वर्ष 2022–23 में 377.70 करोड़ रुपये की तुलना में 505.09 करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का विदेशी कारोबार पूरा किया है।

वर्ष 2024–25 के लिए हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी परिचालनों में वृद्धि हो और सभी कार्यालय अधिशेष उत्पन्न करें। चालू वर्ष में हमारा ध्यान अपनी व्यावसायिक रणनीति और परिचालन के मॉडल को नया रूप देने पर है ताकि लाभप्रदता के साथ विकास के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

वित्त वर्ष 2023–24 में हमारे विदेशी परिचालन का विस्तृत निष्पादन निम्नानुसार है:–

for 2024 - 2025 have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

Foreign Operations

The Company has foreign operations in Nepal, Kuwait and Dubai. We operate in Nepal on a branch model while we have agency operations in Dubai and Kuwait.

During the year 2023-24 we have completed a foreign business of Gross Direct Premium of Rs 505.09 Crores against Rs. 377.70 crores in the year 2022-23, growing at a rate of 33.73%.

Our vision for the 2024-25 year is to ensure that there is growth in all our operations and all offices generate surplus. Our focus in the current year is to revamp our business strategy and model of operations to ensure a turnaround to achieve the twin objectives of growth with profitability.

The detailed performance of our foreign operations in FY2023-24 is as under:-

(करोड़ रुपये में)

कार्यालय / Office	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम / Gross Direct Premium	निवल प्रीमियम / Net Premium	विकास% (निवल प्रीमियम) / Growth% (Net Premium)	निवल उपगत दावा अनुपात%/ Net Incurred Claim Ratio%	निवल अधिशेष(+) / घाटा(–) / Net Surplus(+)/ Deficit(-)
नेपाल / Nepal	99.56	75.21	25.57	45.26	54.38
दुबई / Dubai	297.61	284.61	33.17	99.13	-89.11
कुवैट / Kuwait	107.92	109.13	25.83	47.84	20.69
समेकित / Consolidated	505.09	468.95	30.14%	78.55%	-14.04



l|uhrk xIrk
SUNITA GUPTA
egkçc/kd
GENERAL MANAGER

l|puk çk|kfxdh

"ओरिएंटल" में आईटी व्यवस्था हमारे व्यावसायिक संचालन के लिए सुरक्षित, लचीला और कुशल समर्थन प्रदान करना जारी रखता है। हमारा प्राथमिक ध्यान आईटी–सक्षम सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने पर रहता है। हम आईटी कार्यान्वयन में अग्रणी बने रहने के लिए अपने आईटी बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों को सक्रिय रूप से अपडेट करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ओरिएंटल लगातार तकनीकी नवप्रवर्तन में सबसे आगे रहा है, और आज, हमारे सभी संचालन विभिन्न आईटी प्रणालियों द्वारा संचालित हैं। हमारे अंडरराइटिंग, दावे, खाते, एमआईएस, ऑनलाइन बिक्री, निवेश, एचआर, और बैंकों, ब्रोकर्स, वेब एग्रीगेटर्स, ऑटोमोबाइल ओईएम, मोटर डीलर्स, आईजीएमएस, आईआईबी, ईटास और अन्य के साथ एकीकरण सभी मजबूत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के माध्यम से सुगम हैं।

तकनीकी परिपक्वता के इस स्तर को प्राप्त करने के बाद, हमारा अगला कदम आयामी विश्लेषण के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों को सक्षम करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के

INFORMATION TECHNOLOGY

The IT setup at "Oriental" continues to deliver secure, resilient, and efficient support for our business operations. Our primary focus remains on ensuring client satisfaction through IT-enabled services. We are committed to proactively updating and maintaining our IT infrastructure and applications to remain a leader in IT implementation.

Oriental has consistently been at the forefront of technological innovation, and today, all our operations are driven by various IT systems. Our Underwriting, Claims, Accounts, M.I.S., Online sales, Investments, H.R., and integrations with Banks, Brokers, Web Aggregators, Automobile OEMs, Motor Dealers, IGMS, IIB, ETASS, and others are all facilitated through robust technology platforms.

Having achieved this level of technological maturity, our next step was to enable advanced analytical tools for dimensional analysis. To fulfill this objective, we have implemented a Business Intelligence solution that provides senior executives with comprehensive insights into the company's operations. This IT solution offers interactive dashboards, content-rich graphs,

लिए, हमने एक बिजनेस इंटेलिजेंस समाधान लागू किया है जो वरिष्ठ अधिकारियों को कंपनी के संचालन में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आईटी समाधान इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, सामग्री–समृद्ध ग्राफ, ड्रिल–डाउन क्षमताएं और डेटा निर्यात कार्यक्षमता प्रदान करता है, जो हमारे व्यावसायिक संचालन को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस बिजनेस इंटेलिजेंस समाधान का लाभ उठाकर, हमारे वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक समय के डेटा के आधार पर सूचित निर्णय ले सकते हैं, रणनीतिक योजना बनाने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं और समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

हमारी कंपनी ने एक उद्यम–व्यापी समाधान 'उपक्रम सामग्री प्रबंधन (इसीएम) को लागू करके एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। यह समाधान इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दस्तावेजों को संग्रहीत करने और बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हमारे व्यावसायिक संचालन का समर्थन करने के लिए आसान पुनर्प्राप्ति की अनुमति मिलती है। हमने अपने मुख्य बीमा एप्लिकेशन और हमारे वेब पोर्टल के साथ इसीएम समाधान को सहजता से एकीकृत किया है। यह एकीकरण हमारे परिचालन कार्यालयों को ऑनलाइन दस्तावेजों को संग्रहीत करने, पुनर्प्राप्त करने और संदर्भित करने में सक्षम बनाता है, जिससे दावा निपटान के लिए प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है और हमारी ग्राहक सेवा में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, सिस्टम ग्राहकों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य हितधारकों को हमारे पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने और संग्रहीत करने के लिए सुविधाजनक पहुँच प्रदान करता है। ये अपलोड किए गए दस्तावेज हमारे मुख्य बीमा एप्लिकेशन के भीतर वास्तविक समय में तुरंत सुलभ हैं, जिससे तेज प्रतिक्रिया समय और त्वरित लेनदेन प्रसंस्करण सुनिश्चित होता है। हमारे एचआर सिस्टम, एचआरएमएस के साथ 'उपक्रम सामग्री प्रबंधन (इसीएम) समाधानों को एकीकृत करने के लिए एक भविष्य की योजना भी है।

कोर एप्लीकेशन (इनलियास) संपूर्ण व्यावसायिक खरीद और सेवा जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक स्थिर, स्केलेबल और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कई नए उत्पाद लॉन्च किए गए जैसे – फायर फ्लेक्सी उत्पाद – फ्लेक्सी भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी और फ्लेक्सी भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन – अरुणाचल प्रदेश में पशुधन बीमा, बैंक ग्राहक सुरक्षा पॉलिसी, डॉक्टरों के अलावा पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी, इवेंट कैंसलेशन बीमा पॉलिसी, क्लिनिकल ट्रायल पॉलिसी और

drill-down capabilities, and data export functionality, providing a holistic view of our business operations. By leveraging this Business Intelligence solution, our senior executives can make informed decisions based on real-time data, facilitating strategic planning and improving overall performance.

Our company has taken a significant leap forward by implementing an enterprise wide solution 'Enterprise Content Management' (ECM). This solution is designed to archive and maintain documents in electronic format, allowing for easy retrieval to support our business operations. We have seamlessly integrated the ECM solution with our core insurance application and our web portal. This integration enables our operating offices to store, retrieve, and reference documents online, reducing the response time for claim settlements and enhancing our customer service. Additionally, the system provides convenient access for customers, surveyors, and other stakeholders to upload and store documents through our portal. These uploaded documents are instantly accessible in real-time within our core insurance application, ensuring faster response times and accelerated transaction processing. There is also a future plan in place to integrate the Enterprise Content Management (ECM) solutions with our HR System, HRMS.

Core Application (INLIAS) continues to be a stable, scalable & reliable medium to perform complete business procurement and servicing life cycle. During the year many innovative new products were launched by the Company viz - Fire Flexi Products -Flexi Bharat Sookshma Udyam Surakhsa Policy & Flexi Bharat Laghu Udyam Suraksha Policy, National Livestock Mission- livestock insurance in Arunachal Pradesh, Bank Grahak Suraksha Policy, Professional Indemnity policy other than doctors, Event Cancellation Insurance Policy, Clinical Trial Policy & Sampurna Udyam Suraksha. All these new products were facilitated in our Core Business application (INLIAS).

We have been at the forefront of implementing the flagship program of IRDAI and the Government of India. OICL has also integrated with various third party systems such as National Health Claims Exchange (NHCX) which is a centralized platform developed by the government to streamline insurance claims processing.

We have integrated with Account Aggregator (AA)

संपूर्ण उद्यम सुरक्षा। इन सभी नए उत्पादों को हमारे कोर बिजनेस एप्लीकेशन (इनलियास) में शामिल किया गया।

हम आईआरडीएआई और भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम को लागू करने में सबसे आगे रहे हैं। ओआईसीएल ने विभिन्न तृतीय पक्ष प्रणालियों जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) के साथ भी एकीकरण किया है, जो बीमा दावों की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत मंच है।

हमने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क के साथ एकीकरण किया है जो आरबीआई द्वारा विनियमित एक इकाई है। यह दो वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षित वित्तीय डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ एकीकरण किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचे का निर्माण, विकास और सुदृढ़ीकरण करना है। इस मिशन के तहत, आभा देश भर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख कदमों में से एक है।

इनलियास ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जनसुरक्षा प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकरण किया है। जनसुरक्षा एक सामाजिक सुरक्षा बीमा पहल है जिसे सरकार द्वारा सुविधाजनक तरीके से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा बीमा सुरक्षा तक सस्ती पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इससे बीमा प्रमाणपत्र का त्वरित जारी होना, दावों की निगरानी और निर्बाध दावा निपटान की सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए हमारे पोर्टल पर वेब चौटबॉट सुविधा प्रदान की गई है।

आईआरडीएआई के निर्देश के एक भाग के रूप में, पॉलिसी धारकों को देय अघोषित राशि के लिए हमारे पोर्टल पर कार्यक्षमता प्रदान की गई है।

मोटर बीमा में दुरुपयोग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए वाहन के साथ एकीकरण सक्रिय किया गया है।

हमने एएमएल नीति के अनुरूप एसईआरएसएआई से ग्राहक केवाईसी का सत्यापन सक्षम कर दिया है।

मोटर में, उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने और दावा निपटान टीएटी में सुधार लाने के लिए 50000/– रुपये तक के अनुमान वाले मोटर ओ डी दावों के लिए सर्वेक्षकों की स्वचालित नियुक्ति जैसी कार्यात्मकताएं पूरे भारत में शुरू

framework which is an entity regulated by RBI. It facilitates secure financial data sharing between two financial institutions.

Integration has been carried out with Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), which is a digital healthcare initiative of the National Health Authority (NHA). It aims to create, develop, and strengthen the healthcare infrastructure of India. Under this mission, ABHA is one of the prominent steps to facilitate health programs nationwide.

INLIAS has also integrated with Jansuraksha Platform for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. JanSuraksha is a Social Security Insurance initiative launched by Government to provide affordable access to essential Social Security Insurance protection in a convenient manner. This will facilitate quick issuance of certificate of insurance, monitoring of claims and seamless claim settlement.

Web Chatbot facility has been provided on our Portal for beneficiaries of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana.

As a part of the directive of IRDAI, functionality has been provided on our Portal for unclaimed amount due to the policy holders.

Integration with VAHAN for preventing misuse and fraud in Motor Insurance has been enabled.

We have enabled verification of Customer KYC from CERSAI in line with the AML policy.

In Motor, functionalities like automated appointment of Surveyors for Motor OD claims with an estimate upto Rs.50000/- were rolled out PAN India to keep high order of transparency and to improve the claims settlement TATs. We have also introduced 'Bharat series' vehicle registration number in our system, as mandated in notification issued by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), in order to promote ease of mobility in the nation. In order to improve data quality, various relevant changes were made to capture important data in a more meaningful manner as well as to align with IIBI /industry standard practices for e.g. Flexibility in capturing chassis number details. We also have in place our motor policy web service integrated with IIBI which continues to work smoothly enabling timely update of motor insurance details on VAHAN portal. In addition, we have successfully facilitated motor OD claims web service and health claims with IIB , developed with the aim of sharing industry wise

की गईं। हमने देश में गतिशीलता को आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अपनी प्रणाली में 'भारत श्रृंखला' वाहन पंजीकरण संख्या भी शुरू की है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, महत्वपूर्ण डेटा को अधिक सार्थक तरीके से एकत्र करने के साथ–साथ आईआईबीआई/उद्योग मानक प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न प्रासंगिक परिवर्तन किए गए हैं, उदाहरण के लिए चेसिस नंबर विवरण एकत्र करने में लचीलापन। हमने आईआईबीआई के साथ एकीकृत हमारी मोटर पॉलिसी वेब सेवा भी स्थापित की है

हमारा प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म, एटास भी सह–बीमा व्यवसाय में आसानी के साथ–साथ सटीकता प्रदान करने के लिए सभी लाइनों पर सुचारू रूप से काम कर रहा है।

हमारा दस्तावेज प्रबंधन सिस्टम यानी ईसीएम एप्लीकेशन हमारे कोर बिजनेस एप्लीकेशन (इनलियास) और वेब पोर्टल के साथ एकीकृत होने के कारण हमारे कार्यालयों, एजेंटों, दलालों, सर्वेक्षकों और ऑनलाइन ग्राहकों को पॉलिसी और दावा अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने में निरंतर कुशल सहायता प्रदान कर रहा है। ईसीएम एप्लीकेशन को गैर–व्यावसायिक संबंधित रिकॉर्ड जैसे कि संपदा विभाग के संपत्ति संबंधी दस्तावेज, पेंशन फाइलें आदि को डिजिटल प्रारूप में रखने की दिशा में काम करने के लिए विस्तारित किया गया था।

अतीत की तरह, कंपनी अपने आईटी बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से बनाए रखने और अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमारे डेटा केंद्रों में आईटी बुनियादी ढांचे का पुनरूद्धार पहले ही किया जा चुका है। नई व्यवस्था में कंपनी की वर्तमान और भविष्य की दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। आईटी परिदृश्य को अपग्रेड किया गया है, और आपदा रिकवरी साइटों पर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को कॉन्फिगर किया गया है। हमारे डेटा केंद्रों में वीपीसी के सफल कार्यान्वयन, फायरवॉल के प्रतिस्थापन के साथ, हमारे नेटवर्क सुरक्षा स्थिति, मापनीयता और परिचालन दक्षता को काफी मजबूत किया है।

इन सक्रिय उपायों के माध्यम से, ओरिएंटल अपने परिचालन को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए अपनी आईटी अवसंरचना की सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता दे रहा है।

उन्नत रक्षा समाधानों के कार्यान्वयन ने हमारे संगठन की सुरक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है।

claims data for fraud detection and control.

Our technology driven platform, ETASS is also working smoothly across all lines to give ease as well as accuracy in coinsurance business.

Our Document management system i.e. ECM application being integrated with our Core business application (INLIAS) and Web Portal is providing continuous efficient support to our offices, agents, brokers, surveyors & online customers in speeding up the policy and claims approval process. ECM application had been extended to work towards keeping the non-business related records like property related documents of Estate department, Pension files etc in digital format.

As in the past, the company remains committed to proactively maintaining and updating its IT infrastructure. In line with this commitment, a revamp of the IT infrastructure at our data centers has already been undertaken. The new setup incorporates cutting-edge technology to meet both current and future requirements of the company. The IT landscape has been upgraded, and systems have been configured to ensure uninterrupted availability at disaster recovery sites. The successful implementation of VPC in our data centers, coupled with the replacement of firewalls, has significantly strengthened our network security posture, scalability, and operational efficiency.

Through these proactive measures, Oriental continues to prioritize the security, efficiency, and reliability of its IT infrastructure to support its operations effectively.

The implementation of Advanced Defence solutions has significantly bolstered our organization's security capabilities. Through the deployment of cutting-edge technologies, we have fortified our network infrastructure against sophisticated cyberattacks. By implementing state-of-the-art AV software across our network, we have established a strong line of defence, detecting and neutralizing potential threats before they can cause any harm. Regular updates and continuous monitoring have ensured that our AV solution remains effective against emerging cyber threats.

The implementation of an Endpoint Management System has revolutionized our organization's approach to device management and security. Through centralized management, we can enforce

अत्याधुनिक तकनीकों की तैनाती के माध्यम से, हमने परिष्कृत साइबर हमलों के खिलाफ अपने नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। अपने नेटवर्क में अत्याधुनिक एवी सॉफ्टवेयर को लागू करके, हमने संभावित खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए एक मजबूत रक्षा रेखा स्थापित की है, इससे पहले कि वे कोई नुकसान पहुंचा सकें। नियमित अपडेट और निरंतर निगरानी ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा एवी समाधान उभरते साइबर खतरों के खिलाफ प्रभावी बना रहे।

एंडपॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन ने डिवाइस प्रबंधन और सुरक्षा के प्रति हमारे संगठन के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव किया है। केंद्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से, हम सुरक्षा नीतियों को लागू कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पैच और अपडेट तैनात कर सकते हैं, और डिवाइस स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं, जिससे कमजोरियों में उल्लेखनीय कमी आएगी और हमारी समग्र सुरक्षा स्थिति मजबूत होगी। एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स ने हमारी घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंडपॉइंट गतिविधियों की सक्रिय रूप से निगरानी करके। हमारे ईडीआर समाधान के भीतर उन्नत एनालिटिक्स, व्यवहार निगरानी और खतरे की खुफिया जानकारी का एकीकरण हमें वास्तविक समय में संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने, सुरक्षा उल्लंघनों के प्रभाव को कम करने और हमारे डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

वैन रिफ्रेश टेंडर का उद्देश्य पुराने नेटवर्किंग उपकरणों को बदलकर और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करके हमारे संगठन की बढ़ती मांगों को पूरा करना था। मुख्य उद्देश्यों में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, नेटवर्क सुरक्षा को बढ़ाना और नेटवर्क प्रदर्शन, स्केलेबिलिटी और भविष्य की तैयारी और लागत अनुकूलन में सुधार करना शामिल था।

हमारे मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान को अत्याधुनिक वीसी समाधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को एमपीएलएस नेटवर्क/इंटरनेट के माध्यम से संगठन के भीतर और बाहर निर्बाध कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान करता है। मोबाइल डिवाइस (एंड्रॉइड/आईओएस), लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन प्रस्तुतियों और मल्टी–पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से कनेक्ट करने की सुविधा सक्षम की गई है।

आधुनिक कंप्यूटर नेटवर्क में, समय समय को समकालीन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि नेटवर्क को प्रबंधि

security policies, deploy critical patches and updates, and monitor device health, significantly reducing vulnerabilities and strengthening our overall security posture. Endpoint Detection and Response has played a pivotal role in improving our incident response capabilities. By proactively monitoring endpoint activities. The integration of advanced analytics, behaviour monitoring, and threat intelligence within our EDR solution empowers us to identify and mitigate potential threats in real-time, minimizing the impact of security breaches and ensuring the integrity of our data.

The WAN Refresh Tender aimed to address the growing demands of our organization by replacing outdated networking equipment and implementing state-of-the-art technologies. The key objectives included Upgrading Network Infrastructure, Enhancing Network Security, and Improving Network Performance, Scalability and Future-readiness and Cost Optimization.

Our existing Video Conferencing solution has been replaced by a state of the art VC Solution which provides seamless conferencing facilities within and outside the organization, through the MPLS Network / Internet to the users. The facility to connect through mobile devices (Android / iOS), live video streaming, online presentations and multi-party conferencing facilities have been enabled.

In modern computer networks, time synchronization plays a significant role because methods like managing, securing, planning, and debugging a network involves determining when the event happened and needs accurate time. Maintaining an accurate time is very difficult as there is a drift around a few minutes or seconds in the computer's clock every day. The Network Time Protocol (NTP) Solution has been implemented for solving the problem of time synchronization by synchronizing Oriental devices with NTP servers. NTP is extensively used by Servers, Routers, Switches and Computers to synchronize their time over the network. It provides a method for these devices to maintain an accurate time by synchronizing their time to an external time source periodically.

Oriental has always been at the forefront of Technological innovation and as on date all our HR operations are driven by the IT application systems. An enterprise wide, comprehensive and centralized Human Resource Management System

ात करने, सुरक्षित करने, योजना बनाने और डीबग करने जैसी विधियों में यह निर्धारित करना शामिल है कि घटना कब हुई और सटीक समय की आवश्यकता है। सटीक समय बनाए रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर दिन कंप्यूटर की घड़ी में कुछ मिनट या सेकंड का अंतर होता है। ओरिएंटल डिवाइस को NTP सर्वर के साथ समय को समकालीन करके समय को समकालीन करने की समस्या को हल करने के लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (एनटीपी) समाधान लागू किया गया है। एनटीपी का उपयोग सर्वर, राउटर, स्विच और कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क पर अपने समय को समकालीन करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह इन उपकरणों को समय–समय पर बाहरी समय स्रोत के साथ अपने समय को समकालीन करके सटीक समय बनाए रखने की एक विधि प्रदान करता है।

ओरिएंटल हमेशा से ही तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रहा है और आज की तारीख में हमारे सभी मानव संसाधन संचालन आईटी एप्लीकेशन सिस्टम द्वारा संचालित होते हैं। एक उद्यम–व्यापी, व्यापक और केंद्रीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) लागू की गई है जो मानव संसाधन से संबंधित गतिविधियों के पूरे वर्णक्रम को पूरा करती है। 2017 में परिचालन शुरू करने के बाद से एचआरएमएस संगठन के मानव संसाधन आचरण पर वांछित प्रभाव डालना जारी रखे हुए है।

एचआरएमएस समाधान में मानव पूंजी लागत को सटीक रूप से मापने और कंपनी के विकास के लिए कर्मचारी प्रतिभा प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए मानव संसाधन जानकारी को मापने, वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने के लिए एक ढांचा है।

एचआर कार्यों का पूरा दायरा अब एचआरएमएस एप्लीकेशन पर है, जिसमें पे रोल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविडेंट फंड और पेंशन मॉड्यूल शामिल हैं, जो अब प्रभावी और स्वचालित एचआर प्रशासन की सुविधा के लिए पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एचआरएमएस समाधान कई एचआर कार्यों को विकसित और मजबूत करने में सक्षम रहा है। इससे प्रयासों की अर्थव्यवस्था, सटीकता और लागत प्रभावशीलता आई है और प्रक्रिया में कागजी काम कम हुआ है, साथ ही केंद्रीय रूप से सत्यापन योग्य भी है।

इस वर्ष शुरू किया गया प्रमुख मॉड्यूल कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मैनपावर केपीआई ऑटोमेशन था। कर्मचारी उपस्थिति स्वचालन भी शुरू की गई प्रमुख कार्यक्षमताओं में से एक है। सभी हितधारकों – आंतरिक और साथ ही जिप्सा,

(HRMS) has been implemented which caters to the entire spectrum of HR related activities. The HRMS is continuing to make desirable impact on the HR Practices of the Organization since it started being operational in 2017.

The HRMS Solution has a framework to quantify, categorize and report HR information to accurately measure human capital costs and optimize employee talent performance for the growth of the Company.

The entire gamut of the HR Functions are now on the HRMS Application including the Pay Roll Administration and Provident Fund and Pension Modules which are now fully functional facilitating effective and automated HR Administration. HRMS Solution has been able to develop and strengthen many of the HR functions. This has brought in economy of efforts, accuracy and cost effectiveness and reduced paper work in the process besides being verifiable centrally.

The major module rolled out this year was Manpower KPI Automation for employee performance assessment. Employee attendance automation is also one of the major functionality rolled out. Data requirement of all stake holders – internal as well as external like GIPSA, Ministry have been handled promptly and with accuracy.

Social media plays a critical role in customer engagement, mainly by connecting with customers and making communication open and transparent. OICL has established its presence on social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube etc., who are responsible for comprehensive online reputation management of OICL. Updates about our products and services and upcoming events are posted in social media to create brand awareness. OICL responds to queries posted by customers and addresses their concerns by providing support in real time. OICL also creates and shares articles, infographics, videos and other engaging contents to educate the audience about various insurance products and their benefits. OICL has also created micro-blogging sites in metros with OICL offices on Search Maps engaging in "Near Me" experience which will be extended to all OICL offices throughout the country in the near future.

In the Current Competitive World the Insurance Business is going through lot of changes, innovations, user experiences and to cater these changing business environment Digital Transformation has a

मंत्रालय जैसे बाहरी हितधारकों की डेटा आवश्यकता को तुरंत और सटीकता के साथ संभाला गया है।

सोशल मीडिया मुख्य रूप से ग्राहकों से जुड़कर और संचार को खुला और पारदर्शी बनाकर ग्राहक जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओआईसीएल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति स्थापित की है, जो ओआईसीएल के व्यापक ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे उत्पादों और सेवाओं और आगामी कार्यक्रमों के बारे में अपडेट सोशल मीडिया में पोस्ट किए जाते हैं। ओआईसीएल ग्राहकों द्वारा पोस्ट किए गए प्रश्नों का जवाब देता है और वास्तविक समय में सहायता प्रदान करके उनकी चिंताओं का समाधान करता है। ओआईसीएल विभिन्न बीमा उत्पादों और उनके लाभों के बारे में दर्शकों को शिक्षित करने के लिए लेख, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और अन्य आकर्षक सामग्री भी बनाता और साझा करता है। ओआईसीएल ने महानगरों में अपने कार्यालयों के साथ ''नियर मी'' अनुभव में संलग्न सर्च मैप पर माइक्रो ब्लॉगिंग साईं भी बनाई है जिन्हें निकट भविष्य में पूरे देश में भी ओआईसीएल कार्यालयों तक विस्तारित किया जाएगा।

वर्तमान प्रतिस्पर्धी दुनिया में बीमा व्यवसाय बहुत सारे बदलावों, नवाचारों, उपयोगकर्ता अनुभवों से गुजर रहा है और इन बदलते कारोबारी माहौल को पूरा करने के लिए डिजिटल परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल चौनलों के माध्यम से निर्बाध ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की बढ़ती आवश्यकता ने बीमाकर्ताओं के लिए डिजिटल पदचिह्न को बढ़ाने और त्वरित और कुशल सेवाओं के लिए मौजूदा और संभावित ग्राहकों तक पहुँचने के अवसर खोले हैं। ओरिएंटल विभिन्न डिजिटल चौनलों के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार और सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तकनीकी संवर्द्धन को अपनाने में अग्रणी रहा है। व्ब्स् द्वारा लगभग सभी खुदरा उत्पादों के लिए पॉलिसियों का ऑनलाइन जारी करना पहले से ही सक्षम है और व्ब्स् ग्राहकों द्वारा 100 से अधिक उत्पादों का नवीनीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है। हमारे वेब पोर्टल और एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप के माध्यम से बिचौलियों को ऑनलाइन सुविधाएं दी गई हैं।

इस प्रकार पॉलिसियों का जारीकरण/नवीनीकरण ऑनलाइन तरीके से हो रहा है और वर्ष 2023–24 में इसकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रस्ताव सीधे ग्राहकों/मध्यस्थों द्वारा फीड किया जाता है और पॉलिसियाँ कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन

pivotal role to play. The ever growing need to provide seamless online services through digital channels has opened up opportunities for the insurers to enhance the digital footprint and to reach out to the existing and prospective customers for quick and efficient services. Oriental has been a front runner in the adoption of technological enhancements with a focus on promoting online business and services through various digital channels. Online issuance of policies is already been enabled for almost all retail products by OICL and renewals of over 100 products can be done online by the OICL Customers. Online facilities have been extended to the intermediaries through our Web Portal and the Mobile Apps on Android and iOS platforms.

Thus issuance / renewal of policies is happening in an online fashion and the number has grown sharply in the year 2023-24. The proposal is fed directly by Customers / Intermediaries and the Policies are issued immediately by the Core Insurance Solution and the Policies are sent through e-mail after realizing the payments through online payment gateway.

During the year 2023-24 more than 26 Lakh Online Policies were issued on line (including partner integrations and policies issued at Dealer points) amounting to around 38% of the total policies issued by OICL. The corresponding online premium figure was Rs. 2313 crores which is around 15% of the total gross domestic premium.

During the year 2023-24 more than 17 Lakh Policies were issued on our Web portal and Mobile app The corresponding premium figure was more than Rs. 1831 crores. There has been a growth of 19.75% in the Premium procured through our Web Portal and Mobile app. The business partners such as Motor vehicle OEMs viz Maruti, Tata, Mahindra, Ashok Leyland, TVS, Toyota, Yamaha, Royal-Enfield etc., Web Aggregators/Brokers like Policy Bazaar, Paytm Broker, Gram Cover, Policy Boss, Global India, Square Integration, India Insure, Policy Bachat, Common Service Centre (CSC), Bancassurance partners – Punjab National Bank , corporates such as Tech Mahindra, NRL, Paytm, Google Pay, Phone Pe have been integrated with OICL Portal / Core Insurance solution systems for online issuance of policies. We are also in the process of integrating the claim servicing online with identified partners. Additional products such as Saral Suraksha, Youth Eco Policy have also been enabled on our Portal for purchase by the direct customers and intermediaries.

द्वारा तुरंत जारी की जाती हैं और ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान प्राप्त होने के बाद पॉलिसियाँ ई–मेल के माध्यम से भेजी जाती हैं ।

वर्ष 2023–24 के दौरान 26 लाख से अधिक पॉलिसियाँ ऑनलाइन जारी की गईं (साझेदार एकीकरण और डीलर पॉइंट पर जारी पॉलिसियाँ सहित) जो ओआईसीएल द्वारा जारी की गई कुल पॉलिसियों का लगभग 38ः है। संबंधित ऑनलाइन प्रीमियम का आंकड़ा 2313 करोड़ रुपये था जो कुल सकल घरेलू प्रीमियम का लगभग 15ः है।

वर्ष 2023–24 के दौरान हमारे वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर 17 लाख से अधिक पॉलिसियां जारी की गईं, जिनके प्रीमियम का आंकड़ा 1831 करोड़ रुपये से अधिक था। हमारे वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त प्रीमियम में 19.75ः की वृद्धि हुई है। मोटर वाहन ओईएम जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टीवीएस, टोयोटा, यामाहा, रॉयल–एनफील्ड आदि जैसे व्यावसायिक साझेदार, वेब एग्रीगेटरध्ब्रोकर जैसे पॉलिसी बाजार, पेटीएम ब्रोकर, ग्राम कवर, पॉलिसी बॉस, ग्लोबल इंडिया, स्क्वायर इंटीग्रेशन, इंडिया इंश्योर, पॉलिसी बचत, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), बैंकएश्योरेंस पार्टनर – पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेट्स जैसे टेक महिंद्रा, एनआरएल, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे को पॉलिसियों को ऑनलाइन जारी करने के लिए ओआईसीएल पोर्टलध्कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। हम हमारे द्वारा चिह्नित किए गए भागीदारों के साथ दावा सेवा को ऑनलाइन एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी हैंसरल सुरक्षा, युवा इको पॉलिसी जैसे अतिरिक्त उत्पादों को भी हमारे पोर्टल पर प्रत्यक्ष ग्राहकों और बिचौलियों द्वारा खरीद के लिए सक्षम किया गया है।

हमने पेंशनभोगियों के लिए पोर्टल को भी उन्नत किया है, जिसमें समूह मेडिक्लेम पॉलिसी का ऑनलाइन भुगतान, फॉर्म–16 डाउनलोड करना, पेंशन वेतन पर्ची देखना, भारत सरकार के जीवन प्रमाण पत्र के साथ जीवन प्रमाण पत्र तैयार करना शामिल है।

कंपनी बीमा सुगमऔर ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफार्मों पर शामिल होने के लिए तैयार है।

We have also enhanced portal for pensioners which comprises of Payment of Group Mediclaim Policy online, Downloading of Form-16, View Pension pay slip, generate Life Certificate with Jeewan Pramaan of Government of India.

The Company is prepared to onboard with the BIMA SUGAM and Open Network Digital Commerce (ONDC) platforms.



ehjk ikFklkjFkh
MEERA PARTHASARTHY
egkçcU/kd
GENERAL MANAGER

LokLF; chek

स्वास्थ्य बीमा ने बेचे जाने वाले उत्पाद से खरीदे जाने वाले उत्पाद बनने की दिशा में विशाल प्रगति की है। लगातार दोहरे अंकों में वृद्धि दर, आम जनता में स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता, विशिष्ट बाजार में हमारे उत्पादों की स्वीकार्यता और समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा की पहुंच सुनिश्चित करना, सरकार के प्रोत्साहन का प्रमाण है।

स्वास्थ्य बीमा हमारी कंपनी का प्रमुख पोर्टफोलियो रहा है, जो 2023–24 में जीडीपीआई में 43: से अधिक का योगदान देगा। स्वास्थ्य बीमा एलओबी के समग्र प्रदर्शन की एक झलक निम्नानुसार है:

HEALTH INSURANCE

Health insurance has taken giant strides in becoming a product to be sold to a product to be bought. Consistent growth rates in higher double digits are a testimony to the awareness of health insurance in the public at large, acceptance of our products in the niche market and government's impetus on ensuring accessibility of Health Insurance to all sections of the society.

Health Insurance has been the leading portfolio of our Company, contributing to more than 43% of GDPI in 2023-24.A glimpse of overall performance for the Health Insurance LOB is as under:

स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो Health Insurance Portfolio	वित्तीय वर्ष 2023–24 (करोड़ रुपए में) FY 2023-24 (Rs in Crore)
सकल प्रीमियम–भारतीय / Gross Premium-Indian	7875.18
सकल प्रीमियम–विदेशी / Gross Premium-Foreign	30.33
सकल प्रीमियम–वैश्विक / Gross Premium-Global	7905.51
प्रीमियम अर्पित (Ceded) किया गया / Premium Ceded	314.76
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	7581.61

असमाप्त जोखिम में परिवर्तन हेतु समायोजन / Adjustment for changes in unexpired risk	(318.34)
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Earned Premium Net	7899.95

एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी के रूप में, हमने सदैव समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का प्रयास किया है। सामाजिक / सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में हमारी भागीदारी, कॉर्पोरेट्स के लिए विशेष रूप से बनाए गए समूह स्वास्थ्य उत्पाद, नवोन्मेषी और विनियामक अनुपालन खुदरा स्वास्थ्य उत्पाद और हमारी पेशकशों को अनुकूलित करने में लचीलापन, कंपनी के दृष्टिकोण और उद्देश्य को आम जनता तक पहुँचाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

टॉपलाइन में लगातार वृद्धि के साथ–साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के शानदार मानक प्रदर्शन संकेतक भी सामने आए। हम टिकाऊ संयुक्त अनुपात, उद्योग में सर्वश्रेष्ठ दावा निपटान अनुपात और शिकायतों का शीघ्र निपटान पूरा करने में सफल रहे। श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बीमाकंन अभ्यास, हानिकारक खातों की पहचान और उन्हें हटाना तथा लाभदायक खातों को बनाए रखने में व्यवसायी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक स्थायी पोर्टफोलियो का निर्माण हुआ।

ओरिएएटल यूथ इको केयर पॉलिसी का शुभारंभ, 45 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक और प्रतिस्पर्धी मूल्य वाला उत्पाद, खुदरा स्वास्थ्य खंड को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल साबित हुई। इसके अलावा, ग्राहक केंद्रित उत्पादों को एक श्रृंखला विकसित करने के लिए निरंतर उन्नयन और नवोन्मेष को प्राथमिकता दी गई।

खुदरा बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद की विशेषताओं और संगठन के उद्देश्य को समझने के लिए वितरण चौनलों, विपणन टीमों और कंपनी के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ पूरे वर्ष नियमित रूप से संवादात्मक और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के प्रश्नों को अधिक कुशलता से संभालने की उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए कॉल सेंटर टीमों के साथ सत्र आयोजित किए गए।

बेहतर ग्राहक सेवा और कम शिकायतों पर हमारा निरंतर ध्यान केंद्रित रखने के लिए खुदरा क्षेत्र के लिए वार्षिक निष्पादन पर आधारित टीपीए आवंटन 2023–24 में किया गया था। स्वास्थ्य दावों के ऑडिट और टीपीए समीक्षा गतिविधियों के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता वाले 5 स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र

As a leading Public Sector General Insurance Company, we have always endeavored to offer Health insurance coverage for all sections of the society. Our participation in social/Govt. Health schemes, Tailor-made Group Health products for corporates, innovative & regulator compliant retail Health products and flexibility in customizing our offerings reaffirm our commitment towards percolating company's vision & intent to the masses.

Consistent growth in Topline was accompanied by fabulous standard performance markers of the health segment. We managed to achieve sustainable combined ratio, best in industry claim settlement ratio and swifter disposal of grievances. Best in class underwriting practices, identification & weeding out of bleeding accounts and professional approach in retaining profitable accounts culminated into a sustainable portfolio.

Launch of Oriental Youth Eco Care Policy, a comprehensive & competitively priced product designed for individuals up to 45 years proved to be a Path breaking initiatives to promote retail health segment. Further, continuous upgrade & innovations were prioritized in order to develop a bouquet of customer centric products.

Regular interactive and training sessions were scheduled throughout the year with all stakeholders including distribution channels, marketing teams & company's officials to percolate product features and intent of the organization for retail push. Additionally, sessions with call center teams were organized to improve their ability to handle customer's queries more efficiently.

Annual performance based TPA allocation for retail segment was carried out in 2023-24 to keep our continuous focus of improved client servicing and reduced grievances. Health Hubs have been made operational at 5 locations of strategic relevance for health claims audits and TPA review activities.

चालू किए गए हैं।

चार सदस्य पीएसजीआईसी के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से पसंदीदा प्रदाता नेटवर्क (पीपीएन) अवधारणा मजबूत हुई है। भारत के 64 शहरोंध्कस्बों में 4000 से अधिक गुणवत्ता प्रदाताओं के साथ और वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक 125 से अधिक शहरों तक विस्तार करने की योजना के साथ, पीएसजीआईसी की यह संयुक्त पहल हमारे पॉलिसीधारकों के लिए गुणवत्ता और लागत प्रभावी कैशलेस उपचार तक पहुंच में सुधार करने में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। कॉर्पोरेट स्तर पर समर्पित नेटवर्किंग टीम गठित की गई और राज्य की राजधानियों, टियर 2 और टियर 3 केंद्रों में स्थित प्रदाताओं को पीएसजीआईसी के सामान्य नेटवर्क पर लाने की प्रक्रिया को तीव्र कार्यान्वयन के लिए सरल बनाया गया है।

हमने टीपीए नेटवर्क सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट भी शुरू की, जिसमें टीपीए द्वारा अपने नेटवर्क पर स्वीकृत टैरिफ और छूट का विश्लेषण और पुनर्गणना की गई। जिसके परिणाम उत्साहजनक थे और समग्र स्वास्थ्य दावों के व्यय को कम करने में हमारी सहायता की।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नियामक और जीआई काउंसिल की ''हर जगह कैशलेस – 100% कैशलेस की ओर बढ़ना'' परियोजना के प्रभावी शुभारंभ के लिए प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने में पीएसजीआईसी के बीच अग्रणी के रूप में उभरी है।

हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय (एनएचसीएक्स) परियोजना में सक्रिय भागीदार रहे हैं, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य दावों का मानकीकरण और अंतर–संचालन, पारदर्शी और कुशल दावा प्रसंस्करण को सक्षम करने और दावा प्रसंस्करण से संबंधित परिचालन लागत को कम करने के लिए डेटा और दस्तावेजों का निर्बाध आदान–प्रदान करना है। यह सुविधा आयुष्मान भारत हैल्थ एकाउंट (एबीएचए) नंबर के माध्यम से उपलब्ध होगी जिसमें एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान स्थापित होगी, जिसे देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

ग्राहक संतुष्टि और सेवा वृद्धि पर अपना ध्यान संरेखित करते हुए, हमारी स्वास्थ्य उत्पाद टीम डिजिटल एकीकरण के साथ–साथ नए, बाजार–उन्मुख उत्पाद विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त, हम अपने खुदरा स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रोकरों और अग्रणी वेब एग्रीगेटर्स के साथ एकीकरण कर रहे हैं। हम संगठन के अग्रणी वर्टिकल के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं और कंपनी के

The Preferred Provider Network (PPN) concept has strengthened through active collaboration among four member PSGICs .With more than 4000 quality providers across 64 cities/Towns in India and plans to extend to more than 125 cities by the end of FY 2024-25, this joint initiative of PSGICs is proving to be a game changer in improving access to quality and cost-effective cashless treatment to our policyholders. Dedicated Networking team has been constituted at corporate level & process of bringing providers based in state capitals, Tier 2 & Tier 3 Centers onto common network of PSGICs has been simplified for swifter implementation.

We also initiated TPA Network sanitization project, wherein tariffs & discounts agreed by TPA's on their network were analyzed & recalibrated. Results were encouraging and assisted us in bringing down the overall health claims outgo.

The Oriental Insurance company limited emerged as leader amongst PSGIC in developing effective Standard Operating Procedure (SOP) for effective launch of "Cashless Everywhere -Moving towards 100% Cashless" project of the regulator and GI Council.

We have been an active participant in National Health Claims Exchange (NHCX) project of National Health Authority (NHA), which aims at Standardization & Interoperability of Health Claims, Seamless exchange of data and documents to enable transparent and efficient claims processing and to reduce operational cost related to claims processing. This facility shall be accessible through Ayushman Bharat Health Account (ABHA) number which will establish a strong and trustable identity that will be accepted by healthcare providers across the country.

Aligning with our focus on customer delight and service enhancement, our Health products team is developing new, market-oriented products with digital integration simultaneously. Additionally, we are integrating with brokers and leading web aggregators to promote our retail health products. We fully understand our responsibility as the leading vertical of the organization and are committed to serve our customers in consonance

विजन विवरण के अनुरूप अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

fofo/k chek

विविध विभाग बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और क्लिनिकल ट्रायल इंश्योरेंस, भारत दर्शन जो एक घरेलू यात्रा बीमा पॉलिसी है और विस्तारित वारंटी बीमा पॉलिसी जैसी पॉलिसियों को शुभारंभ करके निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2023–24 के लिए विविध व्यवसाय के लिए कंपनी द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम 1609.98 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 80.20: अधिक है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

with company's vision statement.

Miscellaneous Insurance

Miscellaneous Department continued thriving by meeting the current needs of the market and launching policies like Clinical Trial Insurance, Bharat Darshan which is a domestic travel Insurance Policy & Extended Warranty Insurance Policy. The total premium garnered by the company for miscellaneous line of business for the year 2023-24 comes to INR 1609.98 crores up 80.20% than last year as shown below

अनुभाग **Segment**	प्रीमियम राशि लाख में **Premium Amount in Lacs**		विकास **Growth**	सकल व्यय दावा अनुपात **% Gross Incurred Claim Ratio%**
	2023-24	**2022-23**		**2023-24**
व्यक्तिगत दुर्घटना **PERSONAL ACCIDENT**	**109307.85**	**39821.92**	**174.49**	**101.99**
नियोक्ता का दायित्व **EMPLOYERS' LIABILITY**	**5413.46**	**5548.92**	**(2.44)**	**50.02**
अन्य दायित्व **OTHER LIABILITY**	**8375.76**	**8990.64**	**(6.90)**	**27.33**
अन्य विविध **OTHER MISC**	**37901.75**	**34978.23**	**8.35**	**41.13**
कुल **Total**	**160998.82**	**89339.71**	**80.20**	**81.28**

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का योगदान मुख्य रहा, जिसकी वृद्धि दर 174% रही।

इस वर्ष हमने बैंक ग्राहक सुरक्षा पॉलिसी और सम्पूर्ण उद्यम सुरक्षा पॉलिसी जैसे नए पैकेज उत्पाद प्रस्तुत किए हैं, जिसमें एक पॉलिसी के माध्यम से कई उत्पादों की प्रस्तुति की जाती है। हमें आशा है कि भविष्य में इन नए उत्पादों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और सभी चौनलों के माध्यम से उन्हें बाजार में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2023–24 में, विवेकपूर्ण बीमालेखन और कुशल एवं उचित दावा प्रबंधन के माध्यम से, देयता पोर्टफोलियो का समग्र ICR 27.33% था, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। हमने हानिकारक पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया और तदनुसार कुछ समूह पॉलिसियाँ जहाँ आईसीआर अत्यधिक उच्च थी, उन्हें बंद कर दिया गया। नए उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए कई वेब प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।

सार्वजनिक दायित्व, व्यावसायिक क्षतिपूर्ति कर्मचारी मुआवजा

Personal Accident Insurance was the main contributor with a growth rate 174%.

This year we introduced new package products like Bank Grahak Suraksha Policy and Sampurna Udhyam Surakhsa Policy wherein a bouquet of products are offered through one policy. We hope that these new products will give good response in future and efforts are being made to market them through all channels.

In the year 2023-24, through prudent underwriting and efficient & proper claim management, the overall ICR of the liability portfolio was 27.33%, much less as compared to last year. We analyzed the bleeding portfolios and accordingly certain group policies where the ICR was immensely high were discontinued. Several web training sessions have been organized to impart knowledge of new products.

Many liability policies like Public Liability, Professional

और डी एंड ओ जैसी कई देयता पॉलिसियाँ अब कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध हैं और विभाग बाजार में बेहतर सुविधा देने के लिए पोर्टफोलियो में कई और पॉलिसियाँ लाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा गहन बाजार अनुसंधान और परिचालन कार्यालयों से संपर्क के बाद, कई नए खुदरा उत्पाद तैयार हैं।

नए पुस्तुत किए गए उत्पादों में, विस्तारित वारंटी बीमा ने 2023–24 में 8248.87 लाख रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया, जबकि 2022–23 में यह 5320.77 लाख रुपये था, जो 12.46% की मामूली आईसीआर के साथ 55.03% की शानदार वृद्धि दर्शाता है।

ब्रोकरों और अन्य वितरण चौनलों के साथ संपर्क तथा अपनी क्षमताओं और लाभों को उजागर करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों के साथ, विविध विभाग तेजी से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है।

xkeh.k chek

ग्रामीण बीमा विभाग के पास 25 से अधिक सक्रिय उत्पाद हैं जो ग्रामीण गरीबों के साथ–साथ समाज के असंगठित क्षेत्र की बीमा योग्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, हमने पीएमएफबीवाई को छोड़कर 163 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया है। पोर्टफोलियो का विश्लेषण करने और यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है कि हम केवल लाभदायक पॉलिसियों के साथ ही आगे बढ़ें।

हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद हैं मवेशी बीमा, भेड़ और बकरी बीमा पॉलिसी, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, किसान पैकेज पॉलिसी और कृषि पंप सेट पॉलिसी। हम अन्य ग्रामीण उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं जिनमें बड़ी व्यावसायिक संभावनाएँ हैं जैसे कि एक्वाकल्चर (झींगाध्झींगा) पॉलिसी, फ्रैश–वाटर फिश पॉलिसी, पोल्ट्री बीमा पॉलिसी और माइक्रो–बीमा उत्पाद।

पशुधन पशु बीमा, पशुधन भेड़ध्बकरी बीमा, कृषि पंप सेट और यूनीवर्सल स्वास्थ्य बीमा जैसी कई पॉलिसियां अब ब्रोकर के माध्यम से कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध हैं और विभाग पोर्टफोलियो को बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए और अधिक पॉलिसियां लाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

व्यक्तिगत पॉलिसियों के अलावा, हम केंद्र सरकार के राष्ट्रीय

Indemnity Employee compensation and D&O are now available on the Company's portal and the Department is continuously working to put many more to give the portfolio a better reach to the market. Further after thorough market research and connect with operating offices, many new retail products are on the anvil.

In the newly introduced products, the Extended Warranty Insurance garnered a premium of INR 8248.87 lacs in 2023.24 as against INR 5320.77 lacs in 2022-23 showing a magnificent growth of 55.03% with meagre ICR of 12.46%.

With concerted efforts in connecting with brokers and other distribution channels and highlighting our capabilities and the benefits we bring to the table, the Miscellaneous Department is eagerly looking to grow in leaps and bounds.

Rural Insurance

Rural insurance department has more than 25 active products catering the insurable needs of rural poor as well as unorganized sector of Society. During the financial year 2023-24, we have procured a premium of Rs 163 crores excluding PMFBY. There is a constant effort to analyze the portfolios and ensure that we continue only with the profitable policies.

Our most selling Products are Cattle Insurance, Sheep and Goat Insurance Policy, Janata Personal Accident Policy, Universal Health Insurance Policy, Kissan Package Policy and Agriculture Pump Set Policy. We are making sincere efforts to popularize other rural products which have large business potential such as Aquaculture (Shrimp/Prawn) Policy, Freshwater Fish Policy, Poultry Insurance Policy, and Micro-insurance products.

Many policies like Livestock Cattle insurance, Livestock Sheep/Goat Insurance, agriculture pump set and Universal health Insurance are now available on the Company's portal through broker and the Department is continuously working to put many more to give the portfolio a better reach to the market.

Besides individual policies, we are insuring large number livestock of various State Government Livestock Development Boards under the central government National Livestock Mission (NLM). At present we are implementing NLM in the state of Jammu, Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. In Hyderabad, we have insured 38 lakh fisherman

पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत विभिन्न राज्य सरकार पशुधन विकास बोर्डों के बड़ी संख्या में पशुधन का बीमा कर रहे हैं। वर्तमान में हम जम्मू, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एनएलएम को क्रियांवित कर रहे हैं। हैदराबाद में, हमने समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के माध्यम से 38 लाख मछुआरों का बीमा किया है। हम पशुधन के साथ–साथ विभिन्न दुग्ध संघों, कृषि उत्पाद विपणन समितियों और सहकारी समितियों के किसानों का भी बीमा कर रहे हैं। पशुधन दावों के निपटान में प्रक्रिया प्रवाह के डिजिटलीकरण पर निरंतर पहल की जा रही है। बाजार अनुसंधान और नए उत्पादों के विकास पर आगे की पहल की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का प्रसार बढ़ेगा।

,Dp|vfj;y foHkkx

विनियामक के मार्गदर्शन में साधारण बीमा उद्योग, इंड एएस (आईएफआरएस (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) का भारतीय संस्करण) और आरबीसी (जोखिम आधारित पूंजी) को अपनाने के लिए तैयार है। इन दो परिवर्तनों में वित्तीय विवरण तैयार करने के तरीके और विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के आकलन के तरीके में मौलिक रूप से परिवर्तन लाने की क्षमता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग और पूंजी के अंतर्निहित दर्शन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के अलावा, नई व्यवस्थाओं में स्थानांतरण से जोखिम और पूंजी को निर्णय लेने की प्रक्रिया के मूल में लाकर प्रबंधन के दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा।

उपरोक्त दोनों व्यवस्थाओं की विशुद्ध डिजाइन और अंतर्निहित दर्शन के कारण, एक्चुरियल कार्य स्वतः ही प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक बन जाता है और उससे संक्रमण के सभी चरणों में मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।

आरबीसी के संबंध में, नियामक ने वित्त वर्ष 23–24 के दौरान उद्योग से मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस 1) की अपेक्षित प्रस्तुतियाँ एकत्रित कर ली हैं, और विश्लेषण के बाद, नियामक द्वारा अगले वर्ष आरबीसी ढांचे के अंतिम संस्करण के साथ आने की आशा है।

जहां तक भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) का सवाल है, ज्ञान साझेदार (पीडब्ल्यूसी) को शामिल कर लिया गया है और प्रारंभिक तैयारी चल रही है, ताकि 31 मार्च, 2026 तक भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) में पूर्ण परिवर्तन करने की वर्तमान समय–सीमा को पूरा किया जा सके।

through National Fisheries Development Board under Group Janata Personal Accident policy. We are also insuring livestock as well as farmers of various Milk Federations, Agriculture Products Marketing Committees and cooperatives societies. There is a constant initiative on the digitization of process flow in settlement of livestock claims. Further initiative has been taken up on market research and the development of new products which will increase the spread of insurance in rural areas.

Actuarial Department

The General Insurance Industry under the guidance of the Regulator is poised for adoption of Ind AS (Indian variant of IFRS (International Financial Reporting Standard) and RBC (Risk Based Capital). These two transitions hold the potential to radically change how financial statements are prepared and how Regulatory Capital requirements are assessed.

Apart from ushering in massive shift in the underlying philosophy of Financial Reporting and Capital, migration to new regimes shall exert a change in the approach of the management by bringing risk and capital to the core of the decision making process.

Owing to sheer design and underlying philosophy of the above two regimes, Actuarial function automatically becomes a crucial stakeholder in the process and is expected to play a pivotal role in navigation through all stages of transition.

As regards RBC, the Regulator has collated the requisite submissions of Quantitative Impact Study (QIS1) from the Industry during the FY 23-24, and post analysis, the Regulatory is expected to come out with final version of RBC framework in next year.

As regards Ind AS, the knowledge partner (PwC) has been on boarded and the preliminary preparation is underway so as to meet the current time line of making complete transition to Ind AS by 31st March, 2026.

During the Financial Year 2023-24, the Actuarial Function has facilitated filing / pricing of six products/add-ons, including a flagship health product, Oriental Youth Eco Care Policy, targeted at

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एक्चुरियल कार्य ने युवा जनसांख्यिकी पर लक्षित एक प्रमुख स्वास्थ्य उत्पाद, ओरिएण्टल यूथ इको केयर पॉलिसी सहित छह उत्पादों/ऐड–ऑन की फाइलिंग/मूल्य निर्धारण की सुविधा प्रदान की है। इस उत्पाद का उद्देश्य युवा वर्ग की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करना है, जिसमें आकर्षक लाभ और कवरेज विकल्प शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एक्चुरियल कार्य का उद्देश्य कंपनी की विश्लेषण ात्मक क्षमता को बढ़ाना और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक ढांचा विकसित करना है। एक्चुरियल कार्य समय–समय पर अंडरराइटिंग वर्षवार/आरओवार/एलओबीवार रिपोर्ट के साथ–साथ सुझाव भी साझा करते हैं, ताकि उभरते रुझानों के बारे में संबंधित विभागों को संवेदनशील बनाया जा सके और विभागों को कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने में सहायता मिल सके।

इसके अलावा, एक्चुरियल फंक्शन व्यवसाय योजना तैयार करने और रणनीति पर इनपुट देने में सहायता प्रदान करता है। विभाग ने कई निविदाओं का भी समर्थन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम के लिए उचित मूल्य वसूले जाएं।

कई वर्षों के बाद (जनवरी, 2022 से प्रभावी) पूर्णकालिक नियुक्त एक्चुअरी के साथ, एक्चुरियल कार्य अन्य प्रमुख परिचालन क्षेत्रों जैसे एनालिटिक्स, पुनर्बीमा, व्यवसाय योजना और रणनीति निर्माण में सार्थक योगदान देने का प्रयास करता

tkf[ke çc/ku foHkkx

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम शासन संरचना को अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है। कंपनी के पास एक अच्छी तरह से वेल–डिफाई बिजनेस कांटीन्यूटी पॉलिसी (BCP) है। BCP का उद्देश्य व्यवसाय संचालन पर खतरों के संभावित प्रभाव को कम करना और एक प्रभावी व्यवसाय निरंतरता की स्थापना और रखरखाव के लिए दिशा प्रदान करना है।

Qly chek

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि

the youth demographic. This product aims to cater to the unique health needs and preferences of the younger demographic, featuring attractive benefits and coverage options.

Additionally, the actuarial function aims to enhance the analytical capability of the Company and developing alternative framework for performance evaluation. Actuarial functions periodically shares underwriting year wise / RO wise / LoB wise report along with suggestions so as to sensitize the respective departments of the emerging trends and to assist the departments to take timely interventions to improve the performance of the Company.

Further, the Actuarial function render supports in formulating business plan and giving inputs on strategy. The department also supported many tenders to ensure the prices are charged appropriately for the risk.

With full time Appointed Actuary in place after many years (w.e.f January, 2022), the actuarial function strives to make meaningful contribution in other key operational areas such as Analytics, Reinsurance, Business planning and strategy making.

Risk Management Department

The Company has a Board approved Risk Management Policy with well laid down Risk identification, Risk assessment, Risk reporting and Risk governance structure under Enterprise Risk Management framework. The Company has a well-defined Business Continuity Policy (BCP) in place. The purpose of BCP is to minimize the potential impact of threats on business operations and to provide direction to establishment and maintenance of an effective Business Continuity.

Crop Insurance

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme are the flagship Schemes of the Central Government which aim at financially supporting farmers who suffer crop loss /damage arising out of unforeseen events.

क्षति से पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

हमारी कंपनी को 02 06 2016 को PMFBY और RWBCIS के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें गैर–रोकथाम योग्य जोखिमों, जैसे सूखा, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट और रोग का हमला, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने 2022–23 के लिए 8.94 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले 1793.72 करोड़ रुपये का फसल बीमा व्यवसाय किया है। 2016 में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के बाद से कई किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनका वित्तीय वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

Our Company was empanelled for implementation of PMFBY and RWBCIS on 02 06 2016 wherein Comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non-preventable risks, viz. Drought, Dry spell, Flood, Inundation, widespread Pests and Disease attack, Landslides, Fire due to natural causes ,Lightening, Storm, Hailstorm and Cyclone. During the FY 2023-24, the Company has done Crop Insurance business of Rs.1793.72 Crores as against Rs. 8.94 Crs. of premium for 2022-23. Since the implementation of Crop Insurance scheme in 2016 many farmers are benefitted, financial year wise details of which are as under:

वर्ष / Year	लाभान्वित किसानों की संख्या / No. of farmers benefitted
2016-17**	12048
2017-18	919017
2018-19	2796128
2019-20	531340
2020-21	51642
2021-22	201643
2022-23	------
2023-24*	3476511
*31 मार्च 2024 तक राज्यों से उपज के आंकड़े प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। *Till 31st March 2024, Yield data was awaited from the States.	** केवल प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में ** in respect of Direct Business only

2023–24 में हमें महाराष्ट्र के दो और आंध्र प्रदेश के तीन क्लस्टर आवंटित किए गए। हमने कुल 9698242 किसानों को कवर किया और 2023–24 में हमारे द्वारा बीमाकृत कुल बोया गया क्षेत्र 4536358.83 हेक्टेयर है। फसल विभाग ने अधिकतम नामांकन और दावों और निपटान की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए हैं।

In 2023-24, we were allotted two clusters of Maharashtra and three clusters of Andhra Pradesh. We covered a total of 9698242 farmers and total sown area insured by us is 4536358.83 Hectares in 2023-24. The Crop Department has taken all measures to ensure maximum enrollment and proper process of claims and settlement



js[kk dYi'k lkyadh
REKHA KALPESH SOLANKI
egkçcU/kd
GENERAL MANAGER

foi.ku foHkkx

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी ने 17.13 % की वृद्धि दर के साथ 15615 करोड़ रुपये के संगत प्रीमियम के मुकाबले 18289 करोड़ रुपये का घरेलू प्रीमियम पूर्ण किया है । विदेशी परिचालन से प्रीमियम 33.7% की अभिवृद्धि दर के साथ 378 करोड़ रुपये के मुकाबले 505 करोड़ रुपये किया ।

मार्च 2023 में कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी 6.08% से बढ़ाकर मार्च 2024 में 6.31% कर ली है। कंपनी की 17.13% की वृद्धि दर सभी पीएसयू बीमा कंपनियों में सबसे अधिक थी और उद्योग औसत से बेहतर थी।

31 ekpZ] 2024 ¼Hkkjr½ rd dEiuh dk foHkkxokj 0;olkf;d çn'kZu%

MARKETING DEPARTMENT

In the FY 2023-24, the Company has completed domestic premium of Rs. 18289 crores against corresponding premium of Rs. 15615 crores with a growth rate of 17.13%. The premium from Foreign Operations was Rs. 505 crores against Rs. 378 crores with a growth rate of 33.7%.

The Company has increased its market share from 6.08% in March 2023 to 6.31% in March 2024. The Company's growth rate of 17.13% was highest amongst all PSU Insurers and was better than the Industry average.

Department-wise business performance of the Company as on 31st March, 2024 (India):

(करोड़ रुपए में) Rs. In Crores)

	आग Fire	समुद्री Marine	मोटर Motor	स्वास्थ्य Health	अन्य Others	कुल Total
मार्च, 24 24-Mar	1557	471	4217	7865	4179	18289
मार्च, 23 23-Mar	1589	465	3642	8212	1706	15615

वृद्धि दर : GR %	-2.01	1.16	15.79	-4.23	144.98	17.13

pkuy&okj çn'ku

Channel-wise Performance

(करोड़ रुपए में) Rs. In Crores)

	प्रीमियम Premium			कंपनी प्रीमियम % से % to Co. Premium	
चौनल CHANNEL	मार्च '24 MAR '24	मार्च '23 MAR '23	जीआर% GR %	मार्च '24 MAR '24	मार्च '23 MAR '23
बोकर्स BROKERS	5913	4708	25.60	32.33	30.15
अभिकर्ता AGENTS	4935	4796	2.89	26.98	30.72
पीओएस POS	383	253	51.29	2.09	1.62
कॉर्पोरेट अभिकर्ता CORPORATE AGENTS	317	333	-5.03	1.73	2.13
प्रत्यक्ष DIRECT	6728	5520	21.88	36.79	35.35
अन्य OTHERS	14	4	217.35	0.07	0.03
कुल TOTAL	18289	15615	17.13	100.00	100.00

vfHkdrk vkj ihvk,lih

एजेंसी चौनल का योगदान 4935 करोड़ रुपये था जो कंपनी के कुल प्रीमियम का 26.98% था। वित्तीय वर्ष 2023–24 में POSP ने 383 करोड़ रुपये प्रीमियम अर्जित किया।

अभिकर्ताओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और क्लब सदस्यता योजनाओं तथा प्रेरणात्मक बैठकों की शुरूआत से एजेंटों/ पीओएसपी को अपना निष्पादन बनाए रखने में मदद मिली है।

vfHkdrk

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी ने ब्रोकर चौनल के माध्यम से 5913 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया, जो विगत वर्ष 4708 करोड़ रुपये था तथा वृद्धिदर 25.60% की है। चौनल ने कंपनी के प्रीमियम में 32.33% का योगदान दिया। ब्रोकर्स को नियमित व्यवसाय करने के लिए हमारे पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डिजिटल माध्यमों से व्यवसाय बढ़ाने के लिए कई ब्रोकर्स के साथ API एकीकरण भी किया गया।

Agents & POSP

The contribution of Agency channel was Rs.4935 Crores being 26.98% of company's total premium. The POSPs procured 383 crores in the FY 2023-24.

Introduction of various incentive and club membership schemes for the agents and motivational meetings have helped the agents / POSPs in maintaining their performance.

Brokers

The Company procured premium amounting to Rs. 5913 crores from Broker Channel in FY 2023-24 against Rs. 4708 crores last year with a growth of 25.60%. The channel contributed 32.33% to the Company's Premium. The Brokers were encouraged to use our Portal to do routine business. API Integration was also carried out with many Brokers to increase business through digital means.

cSdk';kjy pkuy

बैंकएश्योरेंस सेक्टर में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रीमियम का अर्जन 244 करोड़ रुपये रहा, जबकि विगत वर्ष में यह 267.21 करोड़ रुपये था। इस तरह (–)8.73% की वृद्धि हुई। बांगिया ग्रामीण विकास बैंक, यूको और पंजाब एवं सिंध बैंक के साथ टाई–अप का नवीनीकरण किया गया। देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद के साथ एक नई व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं द्वारा अर्जित किया गया प्रीमियम पिछले वर्ष के 66 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.69% की वृद्धि दर के साथ 71.08 करोड़ रुपये था।

हमने 11 नए कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं (गैर–बैंक) के साथ टाई–अप किया है।

oSdfYid pkuy vkj ikVZy

कंपनी के वेब पोर्टल ने हमारे ग्राहकों, एजेंटों और व्यावसायिक भागीदारों को निर्बाध सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस प्रकार ''बीमा ऑनलाइन – कहीं भी, कभी भी'' के वादे को पूरा किया है। हमने वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से 1838.74 करोड़ रुपये से अधिक प्रीमियम अर्जित कर मील का पत्थर पार कर लिया है। कुल ऑनलाइन प्रीमियम 2374 करोड़ रुपये से अधिक है।

0;olk; fodkl çkRlkgu ;kstuk

कंपनी ने लाभदायक प्रीमियम वृद्धि के लिए 18/01/2022 से व्यवसाय विकास प्रोत्साहन योजना शुरू की और कंपनी के भविष्य के विकास में भाग लेने के लिए " गो टू मार्किट" की रणनीति के लिए परिचालन कार्यालयों में कार्मिकों को प्रोत्साहित किया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023–24 में जारी रही और 1118 कर्मचारियों/अधिकारियों को व्यवसाय विकास प्रोत्साहन योजना (BDIS) के अंतर्गत अभिकर्ता, बैंकएश्योरेंस और वैकल्पिक चौनल वर्टिकल के लिए नामांकित किया गया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ठक्पै के तहत 1479 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया।

leh{kk cSBdsa

नियमित आधार पर क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ नियमित और वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं। टीम को कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और प्रीमियम अर्जन के चौनलों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

Bancassurance Channel

In Bancassurance sector, premium procured for the FY 2023-24 was Rs. 244 crores against Rs. 267.21 crores last year with a growth rate of (-)8.73%. The tie-up with Bangia Gramin Vikas Bank, UCO and Punjab & Sindh Bank were renewed A new arrangement was signed with Deogiri Nagari Sahakari Bank Ltd. Aurangabad.

For Corporate Agents, premium procured for FY 2023-24 was Rs. 71.08 crores against Rs. 66 crores last year with a growth rate of 7.69%.

We entered into tie-up with 11 new Corporate Agents (Non-bank).

Alternative Channels and Portal

The web Portal of the Company played a vital role in providing seamless service to our Customer, Agents and Business Partners, thus fulfilling the promise of "Insurance Online - Any Place Any Time". We crossed the milestone of more than Rs.1838.74 crores premium through web portal & mobile app. Total online premium exceeds Rs.2374 crores.

Business Development Incentive Scheme

The Company Launched Business Development Incentive Scheme from 18/01/2022 for Profitable premium growth and to encourage employees at operating offices for 'go to market' strategy for participating in future growth of the Company. The scheme continued in the FY 2023-24 and 1118 employees/officers were enrolled for Agent, Bancassurance and Alternate Channel Verticals under Business Development Incentive Scheme (BDIS). The Company generated premium of Rs.1479 crores under BDIS for the FY 2023-24.

Review Meetings:

Regular and virtual meetings were organized with Regional Heads on regular basis. The team was encouraged to align with the Corporate Goals and fortify the channels of Premium Procurement.

To connect with and to build our relationship with Agents, Brokers and Other Channel Partners, regular meetings were organized.

अभिकर्ताओं, ब्रोकरों और अन्य चौनल भागीदारों के साथ जुड़ने और उनके साथ संबंध बनाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

çpkj ,oa lpkj%

प्रचार मुख्य रूप से वैधानिक अनुपालन और फसल बीमा तक ही सीमित था। हालांकि, मौजूदा और संभावित ग्राहकों से जुड़ने के लिए एसएमएस और ई–मेल, सोशल मीडिया टूल जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल किया गया।

lxBukRed lajpuk

वर्तमान में हमारे पास 1155 कार्यालय हैं, जिनमें 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 कॉर्पोरेट व्यवसाय कार्यालय, 980 परिचालन कार्यालय, 70 सेवा केंद्र और 70 तृतीय पक्ष केंद्र शामिल हैं, जो सभी पॉलिसीधारकों को सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। ये कार्यालय 7000 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनमें 105 मार्केटिंग अधिकारी, 71 विकास अधिकारी (मार्केटिंग) 397 बिजनेस एसोसिएट, 1118 बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और अधिकारी तथा 62000 से अधिक अभिकर्ताध्पीओएसपी शामिल हैं, जो वर्षों से रखी गई नींव पर निर्माण करने और अधिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं।

mRikn fodkl

उत्पाद विकास विभाग मूल्य सृजन में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है और गतिशील बाजार की जरूरतों के अनुरूप नए उत्पाद पेश करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है। इसमें बीमा उत्पादों के विचार से लेकर विकास और लॉन्च तक की पूरी श्रृंखला शामिल है। कंपनी ने न केवल बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया है, बल्कि आईआरडीएआई के ''2047 तक भारत में बीमा'' के दृष्टिकोण के अनुरूप व्यापक पैठ बनाने के उद्देश्य से बाजार की क्षमता का दोहन भी किया है।

विभाग ने खुद को "सही ग्राहकों को सही उत्पाद उपलब्ध कराने" के लिए प्रतिबद्ध किया है। हमारा ध्यान मौजूदा उत्पादों के विस्तार के साथ–साथ नवोन्मेष और सुधार पर है। इस उद्देश्य से हमने संपूर्ण उद्यम सुरक्षा पॉलिसी और यूएवी उड़ान (ड्रोन बीमा) पॉलिसी जैसे कई अभिनव उत्पाद विकसित किए हैं । ग्राहकों की अपेक्षाओं में अंतर को ध्यान में रखते हुए कई अन्य उत्पादों की समीक्षा की गई और उन्हें संशोधित किया गया।

Publicity and Communication:

The publicity was largely restricted to statutory compliance and crop insurance only. However, electronic means such as SMS & e-mails, social media tools were used to connect with existing and prospective customers.

Organizational Structure

Presently we have 1155 offices with 25 Regional Offices, 8 Corporate Business Offices, 980 Operating Offices in addition to 70 Service Centers and 70 Third Party Hubs, all dedicated for providing best services to policyholders. These offices along with 7000+ Officers & staff members including 105 Marketing Officers, 71 Development Officers (Mktg.) 397 Business Associates, 1118 Business Development Executives & Officers and more than 62000 Agents/ POSPs work together to build upon the foundation laid over the years and to move towards greater heights.

Product Development

Product Development Department plays a strategic role in value creation and provides the competitive edge by introducing New Products to suit the needs of a dynamic marketplace. It comprises of the whole range of activities right from ideation to development and launch of insurance products. The Company has geared itself not only to meet the needs of the Market but also to tap the potential of the market with a aim to have wider penetration in line with IRDAI's vision of "Insuring India by 2047".

The Department has committed itself to "Making available Right Products to Right Customers". Our focus is on innovation and improvisation along with extension of existing products. To this end we have developed various innovative products like Sampurna Udyam Suraksha Policy and UAV Udan (Drone Insurance) Policy. Several other products have been reviewed and revised after taking cognizance of gaps in customer expectation.

विभाग ने हमारे विपणन बल, क्षेत्रीय कार्यालयों, बैंकएश्योरेंस भागीदारों और तकनीकी विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया है और उनके सुझावों को विपणन योग्य उत्पादों में परिवर्तित किया है।

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हम ग्रामीण विशिष्ट उत्पादों को विकसित करने और बढ़ावा देने की प्रक्रिया में हैं, ताकि नए बीमा कवरों तक पहुंच के बारे में ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच अधिक जागरूकता पैदा करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

miyfC/k;k

हमने वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित उत्पाद दर्ज किए हैं:

The Department has actively coordinated with various Stakeholders including our Marketing Force, Regional Offices, Bancassurance Partners and Technical Departments and has channelized their inputs into marketable Products.

With a view to meet the requirements of rural and social sector business we are in the process of developing and promoting rural specific products to help improve the standard of living of rural consumers through building greater awareness amongst them about the accessibility to new insurance covers.

ACHIEVEMENTS

We have filed the following products in FY 2023-24:

क्रम सं. S. No.	उत्पाद का नाम Name of Product
1	ओरिएंटल यूथ इको केयर पॉलिसी / Oriental Youth Eco Care Policy
2	संपूर्ण उद्यम सुरक्षा पॉलिसी / Sampurna Udyam Suraksha Policy
3	एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी / NCB Protect Add on Pvt Car Package Policy
4	एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन प्राइवेट कार पॉलिसी बंडल / NCB Protect Add on Pvt Car Policy Bundled
5	एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन एसएओडी प्राइवेट कार / NCB Protect Add on SAOD Pvt Car
6	जीसीसीवी पैकेज पॉलिसी में उपभोग्य सामग्रियों का कवर जोड़ा गया Consumables Cover Add On to GCCV Package Policy
7	इवेंट रद्दीकरण बीमा पॉलिसी / Event Cancellation Insurance Policy
8	यूएवी उड़ान (ड्रोन बीमा) पॉलिसी / UAV UDAN (Drone Insurance) Policy
9	एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी N CB Protect Add on to Two Wheeler Package Policy
10	एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन टू व्हीलर पॉलिसी बंडल N CB Protect Add on to Two Wheeler Policy Bundled
11	एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन टू व्हीलर स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसी N CB Protect Add on to Two Wheeler Stand Alone Own Damage Policy
12	ओरिएंटल आर्ट एंड सरोगेसी पॉलिसी– Oriental Art and Surrogacy Policy -

vkxs dh uhfr %

बीमा उत्पादों को आम जनता तक पहुंचाने के कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप, हमारी कोर उत्पाद टीम समाज के विभिन्न स्तरों और विभिन्न जोखिम समूहों के लिए अनुकूलित उत्पाद बनाने पर काम कर रही है। हमने निम्नलिखित उत्पाद तैयार किए हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024–25 में दाखिल किया जाएगा :

The Way Forward:

In line with the corporate focus on penetration of insurance products amongst the masses, our Core Product Team is working on creating Customized Products for different strata of the society and different risk groups. We have devised the following products which will be filed in the FY 2024-25 viz:

क्रम सं. S. No	उत्पाद का नाम Name of Product
1	ओरिएंटल प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी / Oriental Protection Plus Policy
2	सीमा शुल्क पैकेज बीमा पॉलिसी / Customs Duty Package Insurance Policy
3	इंजीनियरिंग ऐड– ऑन / Engineering Add Ons
4	ओरिएंटल व्यापक स्वास्थ्य उत्पाद / Oriental Comprehensive Health Product
5	ओरिएंटल वूमेन सुप्रीम–हैल्थ भी जॉब भी (महिला केंद्रित उत्पाद) Oriental Women Supreme – Health Bhi Job Bhi (Women centric product)
6	बैटरी सुरक्षा ऐड–ऑन / Battery Protect add on
7	ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी / Gramin Health Bima Policy
8	एमएसएमई के लिए पैकेज नीति / Package Policy for MSME
9	ओरिएंटल पीए सुरक्षा पॉलिसी / Oriental PA Suraksha Policy
10	सुगम गृह बीमा (संशोधित गृहस्थ बीमा) / Sugam Griha Bima (Revised Householders Insurance)
11	व्यक्तिगत साइबर बीमा पॉलिसी / Personal Cyber Insurance Policy
12	स्टार्ट–अप के लिए पैकेज नीति / Package Policy for Start-Ups
13	आपातकालीन चिकित्सा व्यय ऐड ऑन (निजी कार पैकेज) Emergency Medical Expenses Add On (Private Car Package)

dihvkbZ

वित्तीय वर्ष 2022–23 में की गई ई एंड वाई सिफारिशें और कई केपीआई पहल, जिनका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संगठनात्मक दक्षता और प्रदर्शन प्रबंधन में सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी पालन किया जा रहा है, नीचे दर्शाई गई हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में, ओआईसीएल ने संगठन संरचना और परिचालन मॉडल को 4 स्तरीय से बदलकर 3 स्तरीय संरचना में बदल दिया है, जिसमें प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, व्यवसाय कार्यालय / मुख्य व्यवसाय कार्यालय / कॉर्पोरेट व्यवसाय कार्यालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य खुदरा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीबइओ / केबीओ और बीओ द्वारा कॉर्पोरेट ग्राहकों को अधिक विशिष्ट और समर्पित सेवा प्रदान करना है।

2. पिछले कुछ वर्षों में कार्यालयों के पुनर्गठन के तहत अपनाई गई युक्तिकरण और पुनर्गठन प्रक्रिया जारी रहेगी और अधिक कार्यालयों को अव्यवहार्यता (कम व्यवससाय वाले / नकारात्मक व्यवसाय वृद्धि / उच्च आईसीआर / उच्च एमई / प्रतिकूल परिचालन परिणाम), जनशक्ति की कमी और कार्यालयों की निकटता के आधार पर युक्तिकरण किया जाएगा। इससे कंपनी के संचालन में

KPI

E & Y recommendations and many KPI initiatives undertaken in FY 2022-23 which are also being followed up in the current FY 2023-24 for improving organizational efficiencies and performance management in The Oriental Insurance Company Limited are appended below :

1. In FY 2023-24, OICL has changed the organization structure and operating model from 4 tier to 3 tier structure of Head Office, Regional office, Business Office/Key Business office/Corporate Business Offices. The focus is to provide more specialized and dedicated service to corporate clients by CBOs/KBOs and BOs to focus on retail lines of business.

2. The rationalization and reorganization process adopted in last few years under Restructuring of offices will continue and more offices will be rationalized on the basis of unviability (low business volume / negative business growth / high ICR / high ME / adverse operating result), manpower constraints and proximity

अधिक दक्षता और मितव्ययिता आएगी। विलय की गई संस्थाओं की जनशक्ति को उचित रूप से तैनात किया गया है। यह एमई की ओर लागत में कमी लाने में भी योगदान देगा और कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित करेगा।

3. लगातार 3 वर्षों में शाखाओं का युक्तिकरण (वित्त वर्ष 2023–25 –1050/900/750) – वित्तीय वर्ष 2023–24 में, 3 सीबीयू, 2 सेल, 40 मंडल/शाखा कार्यालयों और 94 व्यवसाय केंद्रों वाले 139 कार्यालयों को निदेशक मंडल की मंजूरी के पश्चात समेकित/विलय किया गया है। दो क्षेत्रीय कार्यालयों को कॉर्पोरेट व्यवसाय कार्यालयों के रूप में परिवर्तित किया गया है।

4. कुल जनशक्ति का कम से कम 50% व्यवसाय विकास (बीडी) भूमिकाओं के लिए समर्पित किया गया है – 2600 कर्मचारियों को विपणन कार्य दिया गया है, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 50.41% (अपवाद श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के बाद) है।

5. लाभदायक पोर्टफोलियो में व्यवसाय वृद्धि, हानि अनुपात में सुधार और परिचालन व्यय में कमी के लक्ष्यों को मासिक आधार पर जोखिम समायोजित प्रीमियम वृद्धि और भारित प्रीमियम आय के आधार पर मापा जा रहा है।

6. विवेकपूर्ण बीमालेखन का सचेत निर्णय और घाटे में चल रही जीएमसी को खत्म करना, खास तौर पर स्टैंडअलोन जीएमसी पॉलिसियों और उच्च आईसीआर वाली अन्य जीएमसी पॉलिसियों को खत्म करना। इसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष 2023–24 में 844.93 करोड़ रुपये की 735 जीएमसी पॉलिसियाँ खत्म की गईं। प्रधान कार्यालय की टीमों द्वारा एसएलए मापदंडों पर टीपीए की प्रणाली समीक्षा, टीपीए पैनल और व्यवसाय का प्रदर्शन आधारित नियंत्रण और निगरानी नियमित रूप से की जा रही है।

7. वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वास्थ्य केंद्रों का गठन किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य रिपोर्ट किए गए दावों का समवर्ती ऑडिट करना और सभी स्वास्थ्य दावा फाइलों का ऑडिट करना है, ताकि टीपीए और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा दावों के गलत भुगतान को रोका जा सके और स्वास्थ्य बीमा के आईसीआर को कम किया जा सके।

of offices. This will bring more efficiency and economy in Company's operations. The manpower of merged entities have been properly deployed. This will also contribute in cost reduction towards ME and will ensure enhanced employee productivity.

3. Rationalization of branches in successive 3 years(FY 2023-25 -1050/900/750) – in FY 2023-24, 139 offices consisting of 3 CBUs, 2 Cells, 40 Divsional/Branch offices and 94 Business Centers are consolidated/merged after approval of the Board of Directors. Two Regional offices converted as Corporate Business Offices.

4. At least 50% of total manpower has been dedicated to Business Development (BD) roles - 2600 employees have been given marketing assignments which is 50.41% (after reducing staff strength in exception categories) of total employees strength.

5. The targets of Business growth in profitable portfolios, improvement in loss ratio and reduction in operating expenses having put in place are being measured on Risk Adjusted Premium Growth basis and Weighted Premium Income basis on monthly basis.

6. Conscious decision of prudent underwriting and shedding of Loss making GMCs especially of standalone GMC Policies and other GMC Policies with high ICR. It resulted in shedding of 735 GMC policies amounting to Rs.844.93 Crores in the current FY 2023-24. System review of TPAs on SLA parameters by HO Teams, Performance based control and monitoring of TPA empanelment and business is being done regularly.

7. Health Hubs have been formed in FY 2023-24 with the sole aim of conducting concurrent audit of reported Claims and auditing of all health claims files to prevent wrong payment

8. मौजूदा उत्पादों की कवरेज, मूल्य निर्धारण और दावा अनुभव के बारे में गहन समीक्षा की गई है और आवश्यक मूल्य सुधार किया गया है। इस प्रक्रिया का परिणाम वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 में प्रीमियम में वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि और पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है।

9. सभी दावों का निपटान अब समर्पित सेवा केंद्रों/टीपी हब पर किया जा रहा है। दावा निपटान प्रकोष्ठों में समर्पित और विशेषज्ञ टीमों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है, जिससे दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होगा और इस प्रकार टीएटी में सुधार होगा।

10. सभी भुगतानों को वित्त वर्ष 2023–24 में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित लेखा केंद्रों में केंद्रीकृत किया गया है। इस भुगतान केंद्रीकरण ने लेखा कार्य के लिए सभी कार्यालय इकाइयों में आवश्यक जनशक्ति की कमी को पूरा किया है, जिससे भुगतानध्समाधान और निधि प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित हुआ है।

11. कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने/मात्रा निर्धारित करने के लिए भूमिका आधारित केपीआई की शुरुआत की गई है और पूरे कार्यबल के बेहतर प्रदर्शन प्रबंधन के लिए इसे एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा) के साथ जोड़ा जा रहा है।

of claims by TPAs and Health Care Providers and to reduce health ICR.

8. A thorough review of existing products on coverage provided vis-à-vis pricing and claim experience has been done and necessary price correction made. The result of this exercise is visible in terms of growth in premium, increase in market share and increase in number of policies in FY 2023-24 as compared to FY 2022-23.

9. All the claims are now being settled at dedicated Service Centres/TP Hubs. The dedicated and specialized teams in Claims settlement Cells have ensured in place will ensure speedy claim settlement thus improving the TAT.

10. All the payments have been centralized at Accounts Hubs formed in FY 2023-24 at Regional Office level. This payment centralization has taken care of depleting manpower needed at all office units for Accounts job further ensuring better control over payments/reconciliation and Fund management.

11. Role based KPIs have been introduced to measure/quantify the employee performance and its linking with APAR (Annual Performance Appraisal Review) is being implemented for better Performance Management of the entire workforce.



jkthc xIrk
RAJIV GUPTA
egkçcU/kd
GENERAL MANAGER

ekVj Lo;a {kfr

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारतीय मोटर बीमा उद्योग में स्वस्थ व्यवसाय वृद्धि, विभिन्न नवोन्मेष उत्पाद और सुधार देखे गए। मोटर एलओबी में 15.79% की प्रीमियम अभिवृद्धि का श्रेय ऑटोमोटिव उद्योग के ठोस प्रदर्शन को दिया गया, जो विशेष रूप से एसयूवी अनुभाग में बिक्री और प्रीमियमीकरण में वृद्धि से प्रेरित था।

2023–24 के दौरान में हमारी कंपनी में, मोटर बीमा पोर्टफोलियो ने सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में गति दर्शाई है। चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बावजूद हम 'लाभप्रदता के साथ विकास' के अपने दृष्टिकोण पर कायम रहे हैं। हमने अपनी दर रणनीति से समझौता किए बिना बाजार की गतिशीलता की मांगों के प्रति सावधानीपूर्वक आक्रामक दृष्टिकोण को अपनाया है।

स्वंय क्षति(ओडी) सकल प्रीमियम में 28.74% की वृद्धि देखी गई, जो 1258.55 करोड़ भारतीय रुपये रहा। तृतीय पक्षा (टीपी) व्यवसाय खंड के सकल प्रीमियम में भी 11.03% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जो 2958.66 करोड़ भारतीय रुपये रहा। 4217.20 करोड़ रुपये की कुल सकल प्रीमियम आय के साथ, मोटर बीमा व्यवसाय (एलओबी) में 15.79: की अभिवृद्धि देखी गई। वर्तमान में माल ढोने वाले वाहन खंड के मोटर

MOTOR OD

The financial year 2023-24 witnessed a healthy business growth, various product innovations and reforms in the Indian Motor Insurance Industry. The premium growth of 15.79% in the Motor LoB was attributed to the robust performance of the automotive industry, driven by increased sales and premiumization, particularly in the SUV segment.

In our Company, the Motor Insurance portfolio exhibited a momentum towards positive transformation during 2023-24. Despite the challenging market conditions we persisted with our approach of 'growth with profitability'. We followed a cautiously aggressive approach towards the demands of the market dynamics without compromising on our rating strategy.

The Own Damage (OD) gross premium exhibited a growth of 28.74% standing at INR 1258.55 crore. The gross premium of the Third Party (TP) business segment too saw a robust growth of 11.03%, standing at INR 2958.66 crore. With a total gross premium earning of INR 4217.20 crore, the Motor Insurance Line of Business (LoB) witnessed a growth of 15.79%. The Goods Carrying Vehicle segment is currently the

पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा योगदानकर्ता (45.74%) है, जबकि निजी कार खंड दूसरे स्थान (31.20%) पर है।

जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में सकल आधार पर ओडी और टीपी उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) क्रमशः 119. 71% और 96.30% था, हम आईसीआर को क्रमशः 107. 71% और 91.38% तक कम करने में सफल रहे और समग्र मोटर आईसीआर लगभग 97% (पिछले वर्ष के 103% से नीचे) रहा। उच्च आईसीआर वाले डीलर टाई–अप के लिए विभिन्न हानि नियंत्रण उपाय लागू किए गए। छूट और लाभप्रदता के विवेकपूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए क्षे.का.–वार बीमांकन प्रतिबंध लगाए गए। हम निकट भविष्य में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए हानि अनुपात में और कमी लाने के मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

0;olk; fodkl igy%

हमने विकास के लिए तीन स्तरीय रणनीति अपनाई, अर्थात (i) खुदरा व्यापार के लिए पारंपरिक चौनलों पर ध्यान केंद्रित करना, (ii) मोटर टाई–अप को मजबूत करना और (iii) अपने डिजिटल वितरण पदचिह्न को बढ़ाना। विकास की लहर पर सवार होकर हमने टोयोटा त्सुशो ब्रोकर्स के माध्यम से टोयोटा और वोल्वो– आयशर को अपने नए ओईएम टाई–अप के रूप में जोड़ा।

इंश्योरटेक उद्योग में परिवर्तन को गति दे रहे हैं और हमने इसका लाभ उठाना सुनिश्चित किया है क्योंकि हमने नए पोर्टल टाई–अप को जोड़कर अपनी पहुंच में और बेहतर सुधार किया है। आईआरडीए के नए ईओएम विनियमों के साथ हमने अधिक संख्या में मोटर डीलरों को अपने दायरे में लाने के लिए आकर्षक कमीशन और प्रोत्साहन संरचना शुरू की। साथ ही मौजूदा डीलरों को अपने दायरे में बनाए रखने की चुनौती भी थी। हम न केवल अपने डीलरशिप व्यवसाय को बनाए रखने में सफल रहे, बल्कि अधिक संख्या में नए डीलरों को भी जोड़ा।

मोटर बीमा बाजार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, हमने मोटर व्यवसाय के निर्बाध प्रवाह को प्रभावित करने के लिए कई ब्रोकर भागीदारों के साथ प्रणाली एकीकरण भी बढ़ाया है। ग्राहक सेवा में कंपनी को अग्रणी बनाने के लिए हम ओडी कवर के साथ अपनी सभी मोटर पॉलिसियों में शामिल निःशुल्क रोड साइड असिस्टेंस (आरएसए) सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

nkok fuiVku igy%

व्यापक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के एक भाग के रूप में हमने

largest contributor (45.74%) to the Motor portfolio with the Private Car segment occupying the second position (31.20%).

While in the FY 2022-23 OD & TP Incurred Claims Ratio (ICR) on gross basis stood at 119.71% & 96.30% respectively, we succeeded in reducing the ICRs to 107.71% & 91.38% respectively and the overall Motor ICR stood at about 97% (down from 103% in the previous year). Various loss control measures were implemented for Dealer tie-ups with high ICR. RO-wise underwriting restrictions were exercised keeping in mind judicious use of discounts and profitability. We are actively addressing the issue for further reduction in loss ratio to ensure balanced & sustainable growth in the near future.

Business Growth Initiatives:

We followed a three pronged strategy for growth i.e. (i) Focus on traditional channels for retail business, (ii) strengthening Motor tie-ups and (iii) increasing our digital distribution footprint. Riding on the growth wave we added Toyota and Volvo-Eicher as our new OEM Tie-ups through the Toyota Tsusho Brokers.

Insurtechs' are accelerating the Industry transformation and we ensured to leverage the same as we added New Portal tie-ups improving our reach further. With the new EOM Regulations of IRDAI in place we introduced attractive commission and incentive structure to bring in more number of motor dealers into our fold. At the same time there was a challenge for keeping the existing dealers within our fold. We succeeded in not only retaining our own dealership business but also added a considerable number of new dealers.

To garner greater share of the Motor Insurance market, we have also increased system integration with multiple broker partners to effect seamless flow of motor business. To position the Company as a leader in customer service we are offering complimentary Road Side Assistance (RSA) services embedded in all our motor policies with OD Cover.

Claim Disposal Initiatives:

As a part of broader corporate restructuring we have mandated that all Motor OD claims are serviced by dedicated Service Centers (SVC). Currently we have 71 Motor SVCs located across the country. The SVCs have been equipped with effective claim services tools to make the Company emerge as a key differentiator in settlement of claims and to secure

अनिवार्य किया है कि सभी मोटर ओडी दावों को समर्पित सेवा केंद्रों (एसवीसी) द्वारा सेवा दी जाए। वर्तमान में हमारे पास देश भर में 71 मोटर एसवीसी हैं। एसवीसी को प्रभावी दावा सेवा उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, ताकि कंपनी दावों के निपटान में एक प्रमुख विभेदक के रूप में उभर सके तथा इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में हमारी बाजार हिस्सेदारी सुरक्षित हो सके। विभाग ने वर्ष के अंत में मोटर ओडी में एक स्वस्थ दावा निपटान अनुपात (91%) सुनिश्चित करने के लिए ओडी दावों के निपटान में तेजी, समयबद्धता और पारदर्शिता पर जोर दिया।

औसत टर्न–अराउंड समयकाल में साल दर साल सुधार हो रहा है। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित दावों का निपटान और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित दावों की शून्य लंबितता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

हमारी दावा प्रबंधन रणनीति कुशल सर्वेक्षक प्रबंधन प्रणाली, इनलियास प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षकों के निष्पादन की समीक्षा, कार्यशाला दौरे और नए सेवा केंद्र खोलने पर विचरित करती है।

'दावा प्रबंधन' के लिए प्रौद्योगिकी की शुरूआत की पहल

मोटर व्यवसाय की मात्रा में वृद्धि के साथ छोटे स्वंय क्षति दावों' की संख्या कई गुना बढ़ गई है। छोटी हानियों का शीघ्र आकलन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए पचास हजार रुपये तक के छोटी क्षतियों के आकलन के लिए 4 अग्रणी डिजिटल सेवा प्रदाताओं (डीएसपी) को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। आशा है कि कंपनी को इस पहल से आने वाले दिनों में (1) दावेदार को तेजी से दावा सेवाएं प्रदान करने, (2) पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, (3) दावों के निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और (4) दावों की लागत को कम करने के रूप में काफी लाभ होगा।

आगे की दिशा– सामान्य बीमा व्यवसाय पर आईआरडीए का नया मास्टर परिपत्र जारी हो गया है। आने वाले दिनों में हम मास्टर परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बनाने का प्रयास करेंगे। पहले से ही लागू परिवर्तनों तथा प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ, हम मोटर बीमा में स्थाई तथा तीव्र वृद्धि वाले वर्ष के लिए तैयार हैं।

our market share in this highly competitive market. The department emphasized on faster, timely and transparent settlement of OD Claims to ensure a healthy claims settlement ratio (91%) in Motor OD at the end of the year.

The average turnaround time has been improving year on year. The focus is on settling claims pending for more than one year and ensuring zero pendency of claims outstanding for more than one year.

Our claims management strategy revolved around efficient surveyor management system, review of performance of surveyors through the INLIAS system, workshop visits and opening of new Service Centers.

Initiatives for introduction of technology for 'Claims Management'

The number of small 'Own Damage Claims' have increased manifold with the increase in the volume of Motor Business. In order to ensure expeditious assessment & settlement of small losses it was decided to empanel 4 leading Digital Service Providers (DSP) for assessment of small losses up to Rupees Fifty Thousand. It is expected that the Company will be amply benefited in the coming days with this initiative by (1) providing faster claim services to the claimant, (2) ensuring protection of Policyholders' interests, (3) ensuring transparency in claims settlement, and (4) reducing the claims costs.

Way Ahead – The new Master Circular of IRDAI on General Insurance Business is in place. In the days to come we will be striving to dovetail our strategies to the stipulations in the Master Circular. With changes already in place and those in the pipeline, we are geared for a year of sustainable yet brisk growth in Motor Insurance.



jf'e ckt i;h

RASHMI BAJPAI

egkçcU/kd ,oa dEiuh lfpo

GENERAL MANAGER & COMPANY SECRETARY

fuxe lapkyu

1- vfHk'kklu lfgrk ij dEiuh dk n'kZu

''ओरिएंटल'' में हमारा मानना हैं कि कंपनी के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी अभिशासन पद्धतियां सर्वोत्तम तत्व हैं जो न केवल शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करेंगी बल्कि संगठन के दीर्घकालिक विकास को भी बनाए रखेंगी। निदेशक मंडल कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने में नैतिक मूल्यों और उच्च नैतिक मानकों में विश्वास करता है।

2- vkbZvkjMh,vkbZ d,idjV vfHk'kklu fn'kkfunsZ'k 2016 dk ykxw djuk

कंपनी ने आईआरडीएआई के दिनांक 18 मई 2016 के परिपत्र क्रमांक आईआरडीएआईआरडीए/एफएंडए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016 द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों को लागू किया है।

कंपनी न केवल कॉरपोरेट अभिशासन की सांविधिक आश्यकताओं का अनुपालन करती है, बल्कि अपने हितधारकों यानी शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और आम

CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance

We at "Oriental" believe that good Corporate Governance practices are the best ingredients for all round development of the Company which would not only maximize the shareholders value but would also have sustained long lasting development of the organization. The Board of Directors believe in ethical values and high moral standards in achieving the highest standards of Corporate Governance.

2. Adoption of IRDAI Corporate Governance Guidelines 2016

The Company has adopted Revised Guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18th May, 2016.

The Company not only complies with statutory requirements of Corporate Governance but shall also earnestly attempt to follow voluntarily the best practices of Corporate Governance in order to serve the interests of its stakeholders i.e. Shareholders, Customers, Government and

जनता के हितों की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन करने का भी प्रयास करेगी।

3- vuikyu eUuvy dh r;kjh vkj mldk v|ruhdj.k

कंपनी ने समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वयं का अनुपालन मैनुअल तैयार और अद्यतन किया है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड एवं सामान्य बैठकों के लिए संशोधित सचिवीय मानकों के सभी प्रावधानों का भी अनुपालन किया जा रहा है।

4- vf/k—r ith e of) l lcf/kr vuikyu

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

5- Hkkjr ljdkj }kjk dfiVy b¶;tu l lcf/kr vuikyu

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का पूंजीगत वित्त–पोषण नहीं किया गया ।

6- futh lyesaV dk vk/kkj ij tkjh xj&ifjorZuh; fMcpj ¼v/khuLFk _.k½ dk _.kefä dk fy, d,y fodYi dk ç;kx vkj 18-03-2024 dk 5 oa C;kt dk Hkqxrku

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आईआरडीएआई (केपीटल के अन्य रूप) विनियम, 2015 के अनुसार एनसीडी जारी करने हेतु आईआरडीएआई से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार पर 10,00,000 प्रति की दर से औसतन रू.750 करोड़ के 7500 मूल्यांकित, असुरक्षित, समर्थित, पूर्णतः भुगतानित, सूचीबद्ध, उन्मोचनीय और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) समीक्षा अवधि के दौरान 10 वर्षों की अवधि के लिए 5 वर्ष बाद कार्यवाही योग्य कॉल विकल्प के साथ जारी किया।

आईआरडीए के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने जारी करने के पाँच वर्ष के अंत में (अर्थात 18.03.2024 को) अधीनस्थ ऋण मुक्ति के लिए कॉल विकल्प का प्रयोग किया। लाभार्थियों (अर्थात रिकॉर्ड तिथि – 03.03.2024 को डिबेंचरधारकों) के खातों में 18.03.2024 को

Public at large, in best possible manner.

3. Preparation and Updation of Compliance Manual

The Company had prepared and updated its own compliance manual to ensure that all the applicable provisions of Companies Act, 2013 as amended from time to time are complied with. All the provisions of Revised Secretarial Standards for Board & General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India are also being complied with.

4. Compliances pertaining to Increase in Authorised Capital

There was no increase in Authorised Share Capital of the Company during the Financial Year 2023-24.

5. Compliances pertaining to Capital infusion by the Government of India

There was no Capital Infusion by the Government of India during the Financial Year 2023-24.

6. Exercise of Call Option for Redemption of Non-convertible Debentures (subordinated debt) issued on private placement basis and payment of 5th interest on 18.03.2024

During the FY 2018-19, after receiving IRDAI approval for issuance of NCDs in accordance with IRDAI (other forms of capital) Regulations, 2015, the Company had issued 7500 Rated, Unsecured, Subordinated, Fully Paid-up, Listed, Redeemable and Non-Convertible Debentures (NCD) of Rs. 10,00,000 each aggregating Rs. 750.00 Crores during the year under review for a tenure of 10 years with call option exercisable after 5 years, on private placement basis.

In accordance with the approval of IRDAI, the Company exercised call option at the end of five years of issuance (i.e. on 18.03.2024), for redemption of Subordinated Debt. The accounts of beneficiaries (i.e. debentureholders as on the record date – 03.03.2024) were duly credited on 18.03.2024 with the principal outstanding aggregating to Rs. 750 crores and fifth coupon

विधिवत रूप से मूल बकाया राशि 750 करोड़ रुपये और पाँचवाँ कूपन भुगतान 66 करोड़ रुपये के साथ लागू दरों के अनुसार टीडीएस की कटौती के बाद जमा किया गया। सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत लागू सभी अनुपालन समय–सारिणी का पालन करते हुए एनएसई और एसबीआईसीएपी को विधिवत प्रस्तुत किए गए।

उक्त मोचन के कारण, क्रिसिल और इक्रा ने कंपनी के अधीनस्थ ऋण को दी गई रेटिंग वापस ले ली है।

7- foÙk o"k 2023&24 dh fy, lfpoh; y[kkijh{kk

कंपनी का वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय ऑडिट मेसर्स सौरभ अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा किया गया था। उनकी रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है तथा मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 27 मई 2024 को आयोजित 488वीं बोर्ड बैठक में विधिवत रखी गई।

8- foÙkh; o"k 2023&24 dh fy, lfpoh; vuqikyu fjikVZ

31 मार्च 2023 से लागू सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 24ए के अनुपालन में, मेसर्स नीलम गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए ऑडिट किया गया और उनके द्वारा प्रदान की गई वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट 27 मई 2024 को आयोजित बोर्ड की 488वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष रखी गई, रिपोर्ट स्वतः व्याख्यात्मक है और इस बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

9- funs'kd eaMy

कंपनी की 100ः भुगतानित शेयर पूंजी केंद्र सरकार के पास रखी जाती है और कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और चार निदेशक शामिल हैं।

9-1 funs'kdksa dk fooj.k

निदेशकों का विवरण संलग्न हैः

10- cksMZ vkj lfefr dh cBdsa

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल/बोर्ड समिति की बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईंः

payment amounting to Rs. 66 crores after deduction of TDS as per the applicable rates. All the compliances applicable under SEBI (LODR) Regulations were duly submitted to NSE & SBICAP with adhering to the time schedules.

On account of the said redemption, CRISIL & ICRA have withdrawn the ratings assigned to the subordinated debt of the Company.

7. Secretarial Audit for FY 2023-24

The Secretarial Audit for FY 2023-24 of the Company was conducted by M/s. Saurabh Agarwal & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report. The report is self-explanatory in nature.

The Secretarial Audit report for the FY 2023-24 was duly placed in 488th Board meeting held on 27th May 2024.

8. Secretarial Compliance Report for FY 2023-24

In compliance with Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations applicable w.e.f. 31st March, 2023, Audit for Secretarial Compliance Report was conducted by M/s Neelam Gupta & Associates for Financial Year 2023-24 and Annual Secretarial Compliance Report provided by them was placed before the Board in its 488th Board Meeting held on 27th May 2024 and is annexed to this Board's Report. The report is self-explanatory.

9. Board of Directors

The 100% paid-up share capital of the Company is held by the Central Government and the Directors on the Board of the Company are appointed by the Central Government. Presently, the Board comprises of the Chairman-cum-Managing Director and four Directors.

9.1 Particulars of Directors

The particulars of Directors are annexed:

10. Board and Committee Meetings

During the year under review, the Meetings of the Board of Directors / Committee of the Board were held as detailed below:

ckM cBd@BOARD MEETING
12.05.2023
29.05.2023
11.08.2023
26.09.2023
09.11.2023
12.02.2024

y[kkijh{kk lfefr AUDIT COMMITTEE	fuos'k lfefr INVESTMENT COMMITTEE	lh,lvkj lfefr CSR COMMITTEE
29.05.2023	29.05.2023	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (9) के प्रावधानों के तहत सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया और 24 सितंबर, 2021 को आयोजित मंडल की 470वीं बैठक में मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
11.08.2023	11.08.2023	
26.09.2023	26.09.2023	
09.11.2023	09.11.2023	
12.02.2024	12.02.2024	The CSR Committee was dissolved under the provisions of Sec. 135 (9) of the Companies Act, 2013 as approval accorded by the Board in 470th Board Meeting held on 24th September, 2021.

tkf[ke çcU/ku lfefr RISK MANAGEMENT COMMITTEE	i,fylh/kkjd lj{k.k lfefr POLICYHOLDER'S PROTECTION COMMITTEE	lqifjUk leh{kk lfefr PROPERTY REVIEW COMMITTEE
29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023
11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023
09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023
12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024

vkbVh lfefr IT COMMITTEE	vihy ,oa eekfj;y lfefr APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE	,p-vkj- lfefr HR COMMITTEE
29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023
11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023
	26.09.2023	26.09.2023
09.11.2023	09.11.2023	09.11.2023
12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024

टिप्पणी:

(1) वित्तीय वर्ष 2023–24 में पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई के लिए) की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(2) 24 सितंबर,2021 को आयोजित 470 वीं बोर्ड बैठक में रखे गए नोट के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की ध ारा 135(9) के प्रावधानों के तहत सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया।

11. निदेशकों की समितियां (31.3.2024 तक)

11.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

मार्च,2024 तक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री पी. रघुनाथन नायर, निदेशक
2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक
3. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक, और
4. श्री जितेंद्र असाती, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री पी. रघुनाथन नायर समिति के अध्यक्ष हैं।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन, कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और कंपनी अधिनियम के तहत समय–समय पर सौंपे गए अतिरिक्त कार्य शामिल हैं।

11.2 बोर्ड की निवेश समिति

31 मार्च, 2024 तक बोर्ड की निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

1. श्री आर.आर. सिंह, सीएमडी
2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक
3. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. श्री जितेंद्र असाती, सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्रीमती रश्मि बाजपेयी, महाप्रबंधक (निवेश परिचालन)
6. श्री सुनीता गुप्ता, महाप्रबंधक (निवेश लेखा)
7. श्रीमती मीरा पार्थसारथी, सीआरओ
8. श्री डी.के. बरगोती, डीजीएम एवं सीआईओ

Note:

(1) No meeting of the Remuneration Committee (for CMD's PLI) was held in the FY 2023-24.

(2) The CSR Committee was dissolved under the provisions of Sec 135(9) of the Companies Act 2013 as per Note placed in 470th Board Meeting held on 24th September 2021.

11. Committees of Directors (as on 31.3.2024)

1.1 Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri P. Reghunathan Nair, Director
2. Shri Atul Kumar Goel, Director
3. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director, and
4. Shri. Jitendra Asati, Government Nominee Director

Shri P. Reghunathan Nair is the Chairman of the Committee.

The functions of Audit Committee includes review of quarterly, half yearly and annual financial statements, compliance of internal control systems, review of systems and procedures followed by the Company and such additional functions as may be assigned under the Company's Act from time to time.

1.2 Investment Committee of the Board

The Investment Committee of the Board as on 31st March, 2024 consisted of following as its Members:

1. Shri R. R. Singh, CMD
2. Shri Atul Kumar Goel, Director
3. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director
4. Shri. Jitendra Asati, Government Nominee Director
5. Mrs. Rashmi Bajpai, GM (Investment Operations)
6. Shri Sunita Gupta, GM (Investment Accounts)
7. Mrs. Meera Parthasarathy, CRO

9. श्री गिरीश आहूजा, डीजीएम और सीएफओ, और

10. श्रीमती योगिता अरोड़ा, नियुक्त बीमांकक

श्री आर.आर. सिंह समिति के अध्यक्ष हैं।

निवेश समिति का मुख्य कार्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को क्रियान्वित करना और समय–समय पर निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन देना है।

11.3 मंडल की अपील और मेमोरियल समिति

मार्च , 2024 तक बोर्ड की अपील और स्मारक समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक,

2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक, एवं

3. श्री जीतेन्द्र असाती, सरकार द्वारा नामित निदेशक,

श्री सुधीर श्याम समिति के अध्यक्ष हैं।

बोर्ड की उप–समिति को अपीलीय प्राधिकरण तथा कर्मचारियों / मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए समाशोधन प्राधिकरण के रूप में निर्धारित किया गया है। उप–समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 में संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसे 23.12.2004 को आयोजित 351 वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 को अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे 24ध्04ध्2014 को आयोजित 419वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था ।

11.4 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई हेतु)

मंडल की पारिश्रमिक समिति (सीएमडी के पीएलआई के लिए) की 31 मार्च, 2023 को हुई बैठक ने निम्न निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक,

2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक, एवं

3. श्री जितेंद्र असाती, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री सुधीर श्याम समिति के अध्यक्ष हैं।

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र संदर्भ संख्या एफ.सं.

8. Shri D. K. Bargoti, DGM & CIO

9. Shri Girish Ahuja, DGM & CFO, and

10. Mrs. Yogita Arora, Appointed Actuary

Shri R. R. Singh is the Chairman of the Committee.

The main functions of the Investment Committee are to implement the Investment Policy as approved by the Board and clear the Investment proposal from time to time.

1.3 Appeal and Memorial Committee of the Board

The Appeal & Memorial Committee of the Board as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director,

2. Shri Atul Kumar Goel, Director, and

3. Shri Jitendra Asati, Government Nominee Director

Shri Sudhir Shyam is the Chairman of the Committee.

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004.The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

11.4 Remuneration Committee (for CMD's PLI) of the Board

The Remuneration Committee (for CMD's PLI) of the Board as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director,

2. Shri Atul Kumar Goel, Director, and

3. Shri. Jitendra Asati, Government Nominee Director

Shri Sudhir Shyam is the Chairman of the Committee.

The Remuneration Committee was constituted

एस–11012/01/2007–इन्स.III के अंतर्गत, निष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के भुगतान हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था ।

11.5 मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

31मार्च, 2024 तक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री आर.आर. सिंह, सीएमडी,
2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक, एवं
3. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री आर.आर. सिंह समिति के अध्यक्ष हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्व ारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 को जारी परिपत्र क्रमांक आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/025/2009–10 द्वारा निगमित अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

11.6 बोर्ड की पॉलिसीधारक संरक्षण समिति

31 मार्च, 2024 तक बोर्ड की पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री पी. रघुनाथन नायर, निदेशक,
2. श्री आर.आर. सिंह, सीएमडी, एवं
3. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक

श्री पी. रघुनाथन नायर समिति के अध्यक्ष हैं। श्री एनएसआर चंद्र प्रसाद समिति के विशेषज्ञ आमंत्रित सदस्य हैं।

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया था, जिसका परिपत्र संदर्भ: आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/025/2009–10 दिनांक 5 अगस्त , 2009 है।

11.7 बोर्ड की आईटी समिति

मार्च, 2024 तक बोर्ड की आईटी समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री आर.आर. सिंह, सीएमडी, एवं
2. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री जीतेन्द्र असाती, सरकार द्वारा नामित निदेशक

to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

11.5 Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri R. R. Singh, CMD,
2. Shri Atul Kumar Goel, Director, and
3. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director

Shri R. R. Singh is the Chairman of the Committee.

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

11.6 Policyholder's Protection Committee of the Board

The Policyholder's Protection Committee of the Board as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri P. Reghunathan Nair, Director,
2. Shri R. R. Singh, CMD, and
3. Shri Atul Kumar Goel, Director

Shri P. Reghunathan Nair is the Chairman of the Committee. Shri N. S. R. Chandra Prasad is the Expert Invitee to the Committee.

The Policyholder's Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

11.7 IT Committee of the Board

The IT Committee of the Board as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri R. R. Singh, CMD, and
2. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director

श्री आर.आर. सिंह समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति का गठन कंपनी की आईटी पहलों पर अधिक ध्यान देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि आईटी पहल व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हों।

11.8 बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति

बोर्ड की संपत्ति समीक्षा समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया गया था और 31 मार्च, 2024 तक इसमें निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री आर.आर. सिंह, सीएमडी, एवं
2. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री जीतेन्द्र असाती, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री आर.आर. सिंह समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति का गठन कंपनी द्वारा धारित संपत्तियों तथा अन्य संपदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए किया गया था।

11.9 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया था, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी, 2014 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 129 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया था,ताकि कंपनी की सीएसआर पॉलिसी को अनुमति दी जा सके और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

24 सितंबर 2021 को आयोजित 470 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के तहत सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया।

11.10 मानव संसाधन समिति

बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 16.09.2019 को आयोजित बोर्ड की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया था और 31 मार्च, 2024 तक इसमें निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे:

1. श्री आर.आर. सिंह, सीएमडी,
2. श्री अतुल कुमार गोयल, निदेशक, एवं
3. श्री सुधीर श्याम, सरकार द्वारा नामित निदेशक

3. Shri Jitendra Asati, Government Nominee Director

Shri R. R. Singh is the Chairman of the Committee.

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

11.8 Property Review Committee of the Board

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance and as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri R. R. Singh, CMD, and
2. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director
3. Shri Jitendra Asati, Government Nominee Director

Shri R. R. Singh is the Chairman of the Committee.

The Committee was constituted to review the matters of properties held by the Company and other Estate related Matters.

11.9 Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

The CSR Committee was dissolved under the provisions of Sec 135(9) of the Companies Act 2013 as per approval accorded by the Board in 470th Board Meeting held on 24th September 2021.

11.10 HR Committee

The HR Committee of the Board was constituted in accordance with directions of the Board in its meeting held on 16.09.2019 and as on 31st March, 2024 consisted of the following Directors as Members:

1. Shri R. R. Singh, CMD,
2. Shri Atul Kumar Goel, Director, and
3. Shri Sudhir Shyam, Government Nominee

श्री आर.आर. सिंह समिति के अध्यक्ष हैं।

समिति का गठन कंपनी के मानव संसाधन संबंधी मामलों को अनुमोदन देने तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

12. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है तथा कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों को उनकी बैठकों में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया गया। सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों, बैंक निदेशक (पूर्व आधिकारिक निदेशक) और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित व्यक्ति को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।

11. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

11.1 प्रमुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203(1) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण नीचे दिया गया है:

Director

Shri R. R. Singh is the Chairman of the Committee.

The Committee was constituted to approve the HR related matters of the Company and ensure their implementation.

12. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director is paid salary / remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary / remuneration as per their scale of pay. The Part-time Non-Official directors were paid sitting fee in accordance with guidelines issued by ministry of finance for the Meetings attended by them. No sitting fees is payable to CMD, Whole-time Directors, Bank-Director (Ex-Official Director) and nominees representing Government of India.

11. Key Managerial Personnel

11.1 KEY MANAGERIAL PERSONNEL (AS PER COMPANIES ACT, 2013)

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, the Key Managerial Personnel are as detailed hereunder:

Ø-l- **S.No.**	in dk uke **Designation**	uke **Name**	vof/k **Period**
1	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	श्री रश्मि रमन सिंह Shri Rashmi Raman Singh	से/From 17.03.2023
2	कंपनी सचिव Company Secretary	श्रीमती रश्मि बाजपेयी Mrs. Rashmi Bajpai	से/From 20.08.2007
3	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	से/From 11.08.2023
4	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K.G. Nandakumaran	से/From 01.04.2023 to 31.07.2023 तक

11-2 çe[; 0;fä ¼vkbvkjMh,vkbZ lhth fn'kkfun'k 2016 d vu lkj½

आईआरडीएआई द्वारा 2 016 में जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

11.2 KEY PERSONS (AS PER IRDAI CG GUIDELINES 2016)

Pursuant to Corporate Governance Guidelines issued by IRDAI in 2016, the Key Persons are as detailed hereunder:

Ø-l- S.No.	in dk uke@Designation	uke@Name	vof/k@Period
1	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chief Executive Officer	श्री रश्मि रमन सिंह Shri Rashmi Raman Singh	01/04/2023 to 31/03/2024
2	मुख्य विपणन अधिकारी Chief Marketing Officer	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand	01/04/2023 to 27/04/2023
3	मुख्य विपणन अधिकारी Chief Marketing Officer	श्रीमती रेखा के. सोलंकी Mrs. Rekha K. Solanki	28/04/2023 to 31/03/2024
4	मुख्य बीमाकंन अधिकारी Chief Underwriting Officer	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	01/04/2023 to 27/04/2023
5	मुख्य बीमाकंन अधिकारी Chief Underwriting Officer	श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती Mrs. Rekha Thakur Mohanty	28/04/2023 to 31/03/2024
6	मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) Chief Underwriting Officer (Alternate)	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand	01/04/2023 to 03/05/2023
7	मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) Chief Underwriting Officer (Alternate)	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy	04/05/2023 to 08/11/2023
8	मुख्य जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer	श्रीमती सुनीता तुली नागपाल. Mrs. Sunita Tuli Nagpal	01/04/2023 to 31/10/2023
9	मुख्य जोखिम अधिकारी Chief Risk Officer	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy	08/11/2023 to 31/03/2024
10	मुख्य निवेश अधिकारी Chief Investment Officer	श्री डी.के. बरगोती Shri D. K. Bargoti	01/04/2023 to 31/03/2024
11	मुख्य वित्त अधिकारी Chief Finance Officer	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K. G. Nandakumaran	01/04/2023 to 31/07/2023
12	मुख्य वित्त अधिकारी Chief Finance Officer	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	01/08/2023 to 31/03/2024
13	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख Chief of Internal Audit	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	01/04/2023 to 31/03/2024
14	मुख्य अनुपालन अधिकारी Chief Compliance Officer	श्रीमती शीला त्रिपाठी Mrs. Sheela Tripathi	01/04/2023 to 31/03/2024
15	नियुक्त एक्चुअरी Appointed Actuary	श्रीमती योगिता अरोड़ा Mrs. Yogita Arora	01/04/2023 to 31/03/2024

12- f0gly Cykvj uhfr

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति को आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया था, इसके परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एफएंडए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016 दिनांक 18 मई , 2016 के अनुसार और 13 फरवरी, 2017 को आयोजित बोर्ड की 434 वीं बैठक में इसे अनुमोदित किया गया था । नीति की समय–समय पर समीक्षा की गई और चूंकि कोई बदलाव आवश्यक नहीं था, इसे 16 जून, 2021 को आयोजित

12. Whistle Blower Policy

The Whistle Blower Policy of the Company was revised in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18th May, 2016 and got approved by the Board in its 434th Meeting held on 13th February, 2017. The policy was periodically reviewed and as no change was warranted, the same was placed before the Board in

467वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया इसके पश्चात 13 मई , 2022 को आयोजित 475 वीं बोर्ड बैठक में और फिर 27 मई, 2024 को आयोजित 488 वीं बोर्ड बैठक में रखा गया ।

13- lacf/kr i{k lao;ogkj uhfr

कंपनी की संबद्ध पक्ष सव्यवहार नीति का मसौदा आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था, जिसका परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एफएंडए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016 दिनांक 18मई, 2016 है और इसे 13 फरवरी, 2017 को आयोजित मंडल बोर्ड की 434 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था । इसनीति की समय–समय पर समीक्षा की गई और चूंकि कोई बदलाव आवश्यक नहीं था, इसलिए इसे 16 जून, 2021 को आयोजित 467वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया , फिर 13 मई ,2022 को आयोजित 475वीं मंडल की बैठक में और फिर 27 मई, 2024 को आयोजित 488 वीं मंडल कीबैठक में रखा गया ।

14- bulkbMj VfMx dk fu"k/k lac/kh uhfr

कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध संबंधी नीति को 14 फरवरी, 2023 को आयोजित 480वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया ।

15- vke lHkk dh cBd

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभाएं निम्नानुसार आयोजित की गईं:

467th Board Meeting held on 16th June, 2021, again in 475th Board Meeting held on 13th May, 2022 and again in 488th Board Meeting held on 27th May, 2024.

13. Related Party Transactions Policy

The Related Party Transactions Policy of the Company was drafted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18th May, 2016 and got approved by the Board in its 434th Meeting held on 13th February, 2017. The policy was periodically reviewed and as no change was warranted, the same was placed before the Board in 467th Board Meeting held on 16th June, 2021, again in 475th Board Meeting held on 13th May, 2022 and again in 488th Board Meeting held on 27th May, 2024.

14. Policy on Prohibition of Insider Trading

The Policy on Prohibition of Insider Trading of the Company approved by the Board in its 480th Board Meeting held on 14th February, 2023.

15. General Body Meeting

The last three Annual General Body Meetings of the Company were held as detailed hereunder:

वार्षिक आम बैठक की तिथि/Date of AGM	वार्षिक आम बैठक का स्थान/Venue of AGM
26 सितंबर, 2023 26th September, 2023	कॉर्पोरेट कार्यालयः जी4 मंजिल, प्लेट ए, ऑफिस ब्लॉक IV, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर पूर्व, नई दिल्ली–110023 Corporate Office: G+4 Floors, Plate A, Office Block IV, NBCC Office Complex, Kidwai Nagar East, New Delhi –110 023
06 सितंबर, 2022 06th September, 2022	कॉर्पोरेट कार्यालयः जी4 मंजिल, प्लेट ए, ऑफिस ब्लॉक IV, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर पूर्व, नई दिल्ली–110023 Corporate Office: G+4 Floors, Plate A, Office Block IV, NBCC Office Complex, Kidwai Nagar East, New Delhi –110 023
24सितंबर , 2021 24th September, 2021	पंजीकृत कार्यालयः "ओरिएंटल हाउस", ए–25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110 002 Registered Office: "Oriental House", A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002

31 जनवरी, 2024 को कंपनी की एक असाधारण आम बैठक कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें शेयरधारकों ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित नए दिशानिर्देशों के अनुरूप एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

An Extra-Ordinary General Meeting of the Company was held at the Corporate Office of the Company on 31st January, 2024 wherein Shareholders granted approval for Amendment in Articles of Association to be in conformity with new guidelines approved by the Appointment Committee of Cabinet regarding the appointment of Executive Directors of Public Sector Insurance Companies.

Þd,ikjV vfHk'kklu fn'kkfun'kk d vuikyu gr çek.kuß

मैं, रश्मि बाजपेयी, एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूँ कि दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने समय–समय पर संशोधित बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

“Certification for compliance of the Corporate Governance Guidelines”

I, RASHMI BAJPAI, hereby certify that The Oriental Insurance Company Limited has complied with the corporate governance guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

हस्त/–
रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव

Sd/-
RASHMI BAJPAI
COMPANY SECRETARY



v'kkd dqekj xIrk
ASHOK KUMAR GUPTA
e[; lrdrk vf/kdkjh
CHIEF VIGILANCE OFFICER

lrdrk ç'kklu dk voyksdu

हाल ही में संपन्न वित्तीय वर्ष 2023–24 में कंपनी के अच्छे वित्तीय परिणाम संगठन को लाभदायक विकास के पथ पर ले जाने के लिए ओआईसीयन के सदस्यों की सामूहिक इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के संकेत हैं।

चूंकि ओआईसीएल एक नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हमारे संगठन के अंदर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के महत्व को रेखांकित करना उचित है। धोखाधड़ी न केवल हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमारे हितधारकों के हमारे प्रति विश्वास को भी कम करती है। इसलिए, यह जरूरी है कि कर्मचारी धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए सतर्क और सक्रिय रहें।

ओआईसीएल के भारत भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय और 8 कॉर्पोरेट व्यवसाय कार्यालय हैं, इसके अलावा विदेशों में भी इसके संचालन हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक विशेष सतर्कता अधिकारी होता है जो मुख्यालय में सतर्कता विभाग को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा, मुख्यालय में समर्पित अधिकारियों की एक टीम तैनात रहती है।

VIGILANCE ADMINISTRATION OVERVIEW

The good financial results of the Company in the recently concluded financial year 2023-24 are indicative of collective will and determination of the OICians to take the organisation towards the path of profitable growth.

As OICL embarks on a new financial year, it is pertinent to underscore the critical importance of taking measures towards prevention of frauds within our organisation. Fraud not only damages our reputation but also undermines the trust of our stakeholders in us. Therefore, it is imperative that employees should remain vigilant and proactive in identifying and preventing fraudulent activities.

With OICL having 25 Regional Offices and 8 Corporate Business Offices across India besides operations abroad, there is an exclusive Vigilance Officer in each Regional Office who reports to the Vigilance Department at Head Office. Besides, a team of dedicated officers is stationed at Head Office.

The comprehensive functioning of the Vigilance Department is divided into the following folds:

सतर्कता विभाग का व्यापक कामकाज निम्नलिखित भागों में विभाजित है:

1. निवारक सतर्कता
2. दंडात्मक सतर्कता
3. निगरानी एवं जांच

अखिल भारतीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर किए जाने वाले सभी औचक निरीक्षणों में मुख्य ध्यान निवारक सतर्कता पर होता। ऐसे निरीक्षणों के दौरान पाई गई खामियों की विसंगतियों को सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए क्षेत्रीय प्रभारियों के ध्यान में लाया जाता है। सतर्कता संबंधी किसी भी टिप्पणी की विस्तृत जांच की जाती है। ऐसी जांचों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाता है और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ लगातार विचार–विमर्श किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी जांच आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूरी हो जाए।

सतर्कता मामलों के पारदर्शिता और शीघ्र निपटान को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

1. प्र.का. स्तर पर आंतरिक सलाहकार समिति
2. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निवारक सतर्कता समिति
3. नैतिक समिति

foHkkx dk dkedkt

वर्ष 2023–24 के दौरान, हमारे परिचालन कार्यालयों अर्थात बी.ओ., के.बी.ओ., सी.बी.ओ., एस.वी.सी. और लीगल हब में संपूर्ण भारत में कुल पाँच सौ निरीक्षण किए गए। उपरोक्त निरीक्षणों के अलावा, विभाग में 110 शिकायतों की भी जाँच की गई। वर्ष के दौरान विस्तृत जाँच के लिए कुल 19 मामले लिए गए, जिनमें से 15 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कर्मचारियों को निवारक सतर्कता के बारे में जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों पुणे, देहरादून , कोलकाता, गुवाहाटी और भुवनेश्वर का दौरा किया। इन यात्राओं से उत्पन्न मुद्दों को संरचित बैठकों में प्रबंधन के समक्ष रखा गया और भविष्य में गलत कामों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू किए गए।

5 और 6 अक्टूबर, 2023 को सतर्कता अधिकारियों के लिए ओरिएण्टल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में दो दिवसीय प्रशिक्षण

1. Preventive Vigilance
2. Punitive Vigilance
3. Surveillance & Detection

The key focus in all the Surprise Inspections conducted by Vigilance officers on a regular basis across PAN India offices is on preventive vigilance. The inconsistencies of lapses noticed during such inspections are brought to the notice of the Regional In-charges for initiating corrective measures. Any observation with vigilance undertones is investigated in detail. Such investigations are taken to their logical conclusion and commensurate punitive action is initiated against the concerned employee. Furthermore, constant deliberations are held with the Disciplinary Authority in such cases to ensure that such investigations are concluded well within the stipulated time frame as mandated by the Commission.

To enhance the transparency and expeditious disposal of vigilance cases, the following committees have been constituted :

1. Internal Advisory Committee at HO Level
2. Preventive Vigilance Committee at RO Level
3. Ethical Committee

Functioning of the Department

During the year 2023-24, a total of five hundered inspections were carried out PAN-India across our operating offices i.e. BOs, KBOs, CBOs, SVCs and Legal Hubs. In addition to above inspections, 110 complaints were also examined in the department. A total of 19 cases were taken up for detailed investigation during the year, out of which 15 cases have been disposed of. Regional Offices Pune, Dehradun, Kolkata, Guwahati and Bhubneswar were visited by the Chief Vigilance Officer to sensitize the employees on preventive vigilance. The issues emanating from these visits were placed before the management in the Structured Meetings and corrective measures were implemented to preclude wrongdoings in future.

A two-day training session was conducted at Oriental Staff Training College for Vigilance Officers on 5th and

सत्र आयोजित किया गया। सत्र में सतर्कता प्रशासन, औचक निरीक्षणों के दौरान सामने आए मुद्दों और विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा पर चर्चा हुई।

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा छह सीटीई–प्रकार के निरीक्षण भी किए गए। वर्ष के दौरान अभियान मोड में एक पहल भी की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी वार्षिक संपत्ति रिटर्न सावधानीपूर्वक भरें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए।

lrdrk tkx:drk lIrkg ¼oh,MCY;½ dk vxzsr dk :i esa rhu eghus dk vfHk;ku

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पूर्वार्ध में, सीवीसी द्वारा निवारक सतर्कता उपायों सह हाउसकीपिंग गतिविधियों पर तीन महीने का अभियान (16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर 2023) शुरू किया गया। छह केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान की गई और उन पर की गई कार्रवाईध्संचालन गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) पीआईडीपीआई संकल्प के बारे में जागरूकता निर्माण : जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पोस्टर भारत भर के सभी कार्यालयों में अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कंपनी के पोर्टल पर पीआईडीपीआई(PIDPI) के बारे में जागरूकता फैलाने वाले लघु वीडियो के साथ–साथ पीआईडीपीआई पोस्टर भी प्रकाशित किए गए ।

(ii) क्षमता निर्माण कार्यक्रमः वीएडब्लू(VAW)2023 से पहले और उसके दौरान विभिन्न प्रशिक्षण (ऑनलाइन और ऑफलाइन) आयोजित किए गए

(iii) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयनः परामर्श जारी करने और/या प्रक्रियाओं में संशोधन के रूप में विभिन्न प्रणालीगत सुधार उपायों को अपनाया गया।

(iv) शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना : वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान शिकायत प्रबंधन सहित सभी प्रक्रियाओं में स्वचालन के उपयोग पर जोर दिया गया।

(v) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों का अद्यतनीकरण : एक सतत प्रक्रिया होने के कारण, इस पहलू पर वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान ध्यान रखा गया और वर्तमान में भी यह कार्य चल रहा है।

6th October 2023. The session included discussions on Vigilance Administration, issues noticed during surprise inspections and performance review of the department.

Six CTE-type inspections were also undertaken by the department during the year. An initiative was also undertaken in campaign mode during the year to ensure that the employees fill the Annual Property Returns carefully. To meet this end, detailed instructions were issued .

Three Month Campaign as a precursor to Vigilance Awareness Week (VAW)

As a precursor to the Vigilance Awareness Week, a three month campaign (16th August, 2023 to 15th November 2023) was launched by the CVC on Preventive Vigilance measures cum housekeeping activities. Six focus areas were identified and action taken / activities conducted thereof is elaborated below:

(i) Awareness building about PIDPI Resolution : Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Posters were displayed in all the office across India in English, Hindi & Vernacular languages. PIDPI posters alongwith short videos spreading awareness about PIDPI were also published on Company's portal during Vigilance Awareness Week.

(ii) Capacity Building programs : Various Trainings (Online and Offline) were conducted prior and during VAW 2023

(iii) Identification and implementation of Systemic Improvement measures : Various Systemic Improvement measures were adopted in the form of issue of advisories and / or modification of processes.

(iv) Leveraging of IT for complaint disposal : Use of automation in all the processes including grievance management was stressed upon during VAW 2023.

(v) Updation of Circulars / Guidelines / Manuals : Being a continuous process, this aspect was taken care of during VAW 2023 and is also currently under way.

(vi) Disposal of complaints received before

(vi) से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान : 30.06.2023 से पहले प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा वीएडब्ल्यू 2023 से पहले किया गया।

lrdrk tkx:drk lIrkg ¼oh,MCY;½

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ''भ्रष्टाचार का विरोध करेंय राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें "Say no to corruption; commit to the nation" 31 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 तक। कंपनी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों और सलाहों का अक्षरशः पालन किया गया। वॉकथॉन, क्विज/निबंध प्रतियोगिता, विभिन्न ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम, कंपनी के विभिन्न हितधारकों के लिए भारत भर के कार्यालयों द्वारा संवेदीकरण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। कर्मचारियों, छात्रों और अन्य हितधारकों ने गतिविधियों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अलावा, मैक्स अस्पताल की मदद से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समन्वय से आयोजित किया गया था।

lrdrk lokn

कॉर्पोरेट कार्यालय में ओआईसीएल सतर्कता टीम ने ' सतर्कता संवाद ' की शुरुआत करते हुए एक उल्लेखनीय पहल की। यह एक आंतरिक पत्रिका है और इसमें सतर्कता प्रशासन तथा अन्य प्रासंगिक मामलों पर लेख शामिल हैं। यह पत्रिका त्रैमासिक आधार पर प्रसारित की जा रही है और इसका उद्देश्य अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ–साथ कर्मचारियों की साहित्यिक विशेषताओं को प्रोत्साहित करना है।

ijLdkj

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'सतर्कता प्रशासन में सर्वोत्तम प्रकिया' में घोषित परिणामों के अनुसार, ओरिएंटल इंश्योरेंस ने 'सतर्कता प्रशासन में दक्षता' के लिए गर्व से दूसरा स्थान प्राप्त किया। निष्पादन मूल्यांकन विस्तृत कार्यप्रणाली के आधार पर किया गया था ताकि यह घोषित किया जा सके कि इस अवधि के दौरान संगठनों ने (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और (iii) सरकारी मंत्रालयों/विभागों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। ओआईसीएल के निष्पादन को–सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी के उपक्रमों में दूसरा स्थान घोषित किया गया ।

30.06.2023 : All the complaints received before 30.06.2023 were disposed of before VAW 2023.

Vigilance Awareness Week (VAW)

Vigilance Awareness Week 2023 was successfully organized by Oriental Insurance Company with the theme "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "Say no to corruption; commit to the Nation" from 31st October 2023 to 6th November 2023. The instructions and advises of Central Vigilance Commission were implemented by the Company in letter and spirit. Activities like Walkathon, Quiz / Essay Competition, Awareness programme at various Gram Sabhas, Sensitization workshops for various stake holders of company were organized by offices across the India. The employees, students and other stake-holders participated with great enthusiasm in the activities including and awards were distributed to the winners of various competitions. In addition, a Blood Donation Camp was organised with the help of Max Hospital. This event was organized in coordination with Agriculture Insurance Company of India Limited.

Satarkta Samvad

The OICL Vigilance Team at Corporate Office has taken a remarkable initiative and introduced 'Satarkta Samvad'. This is an in-house magazine and includes articles on Vigilance Administration and other pertinent matters. The magazine is being circulated on quarterly basis and the aim is to spread awareness among officials as well as to encourage the literary traits of employees.

Accolades

As per the results declared in the Booklet published by Central Vigilance Commission titled 'Best Practices in Vigilance Administration', Oriental Insurance proudly stood Second for 'Efficiency in Vigilance Administration'. The performance appraisal was conducted on the basis of detailed methodology to declare how the Organisations fared during the period amongst (i) Public Sector Undertakings, (ii) Public Sector Banks and (iii) Government Ministries / Departments. Performance of OICL was declared 2nd in the Category – Public Sector Undertakings.

The approach in the new financial year 2024-

नए वित्तीय वर्ष 2024–25 में दृष्टिकोण नए दृढ़ संकल्प और मूल्यों को बनाए रखने तथा आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उत्कृष्टता की और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ होना चाहिए।

25 should be with renewed determination and a steadfast commitment towards upholding the values and to navigate the challenges ahead and achieve even greater heights of excellence.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका



STANDALONE FINANCIAL STATEMENT



Lor= y[kk ijh{kdk dh fjikVZ

vkfj,Vy b';kjy dEiuh fyfeVM d lnL;k d fy, LVMvyku foÙkh; foojf.k;k dh y[kkijh{kk ij fjikVZ

;kX; jk;

हमने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') के साथ दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट शामिल है, अग्नि, मरीन और विविध बीमा व्यवसाय के राजस्व खाते (सामूहिक रूप से 'राजस्व खाते'), लाभ और हानि खाता, और प्राप्तियां और भुगतान खाता (नकदी प्रवाह विवरण), और उस वर्ष के लिए लेखा विवरण तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा व्याख्यात्मक विवरणों की जानकारी शामिल हैं जिनमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न की जानकारी सम्मिलित है:

ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों द्वारा पच्चीस क्षेत्रीय कार्यालयों, एक ओएसटीसी, आठ कॉर्पोरेट व्यवसाय कार्यालयों और एक विदेशी शाखा से नियुक्त लेखा परीक्षकों की अन्य फर्मों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है ।

(बी) दो विदेशी एजेंसियों से, जिनमें दोनों का लेखा–परीक्षण कंपनी द्वारा नियुक्त स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया हो; तथा

सी) एक विदेशी रन–ऑफ एजेंसी द्वारा अंकेक्षित और तैयार की गई तथा प्रबंधन द्वारा हमें हमें भेजी गई और लेखांकन नीति में संकेतित सीमा तक प्राप्त सीमा तक पुनर्बीमा संधि रिटर्न ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम 1938, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Report on the audit of Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Revenue Accounts of Fire, Marine and Miscell neous Insurance Business (collectively known as 'Revenue Accounts'), the Profit and Loss Account, and the Receipts and Payments Account (Cash Flow Statement) for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated Returns for the year ended on that date :

a) From Twenty Five Regional Offices, One OSTC, Eight Corporate Business offices and one foreign Branch audited by the other firms of Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 of the Companies Act, 2013,

b) From two foreign agencies both audited by local auditors appointed by the Company; and

c) From one Foreign Run-off agency audited, prepared and furnished to us by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in the accounting policy.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effect of the matters described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid standalone financial statements give the information required in accordance with the Insurance Act 1938,

(''बीमा अधिनियम''), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (''आईआरडीए अधिनियम''), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, इस संबंध में (''आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम''), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी आदेशधनिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा संशोधित के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं, जहां तक लागू हो, अपेक्षित तरीके से और अधिनियम के खंड 133 को यथा संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम, बीमा कंपनियों पर लागू सीमा तक भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

ए) बैलेंस शीट में 31 मार्च 2024 तक कंपनी के कार्यों की स्थिति;

बी) राजस्व खातों के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए विविध, मरीन व्यवसाय में परिचालन लाभ और अग्नि व्यवसाय में परिचालन हानि।

(सी) लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ का; और

(डी) प्राप्तियों और भुगतान खाते (नकदी प्रवाह विवरण) के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण।

;kX; jk; dk vk/kkj

(i) पुनर्बीमाकर्ता और सहबीमाकर्ता खातों सहित बीमा करने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों को देय राशि के शेष के संबंध में नोट संख्या 56 देखें।, अर्पण कंपनियों के पास आरक्षित जमा, अंतर–कार्यालय शेष मिलानध्पुष्टि के लिए लंबित हैं और वित्तीय पर परिणामी प्रभाव यदि कोई है, तो इस स्तर पर पता लगाने योग्न नहीं है।

(ii) इक्विटी शेयरों की हानि पर कंपनी की लेखा नीति

as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 (the "Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, (the "IRDA Financial Statements Regulations"), orders/directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") in this regard and the Companies Act, 2013 (the "Act"), to the extent applicable, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 as amended, to the extent applicable to insurance companies:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024;

b) in the case of Revenue Accounts, of the operating profit in Miscellaneous, Marine business, and operating loss in Fire business for the year ended on that date.

c) in the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date; and

d) in the case of the Receipts and Payments Account (Cash Flow Statement), of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

(i) Refer to Note no. 56 regarding balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance including reinsurers and coinsurers accounts, reserve deposit with ceding companies, inter-office balances are pending reconciliation/confirmation and consequential impact on the financial if any is not ascertainable at

संख्या ए–10.6 में कहा गया है कि हानि केवल तभी की जाती है जब कंपनियां घाटे में चल रही हों लगातार तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए और जिनकी पूंजी आंशिक रूप से/ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है या जहां तीन पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी की लेखांकन नीति इस हद तक अपूर्ण है कि निवेशित कंपनी के शेयर मूल्य पर महत्वपूर्ण असर डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर क्षतिग्रस्त संपत्तियों की पहचान के लिए पैरामीटर में नहीं माने जाते हैं जैसे एनसीएलटी के तहत कॉर्पोरेट समाधान दिवालियापन प्रक्रिया के तहत निवेशित संस्थाएं, कंपनी के इक्विटी शेयरों की अधिग्रहण लागत की तुलना में बाजार मूल्य में पर्याप्त गिरावट, निवल संपत्ति का क्षरण, निवेशित कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा उन्नत व्यवसाय से संबंधित अनिश्चितता की रिपोर्ट करना आदि। इक्विटी शेयरों की हानि के लिए पूर्वोक्त पैरामीटर पर विचार करने में विफलता के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

उपरोक्त पैराग्राफ (I और II) में वर्णित मामले का समग्र प्रभाव और 31 मार्च, 2024 तक राजस्व खातों, लाभ और हानि खाते, और रिजर्व और अधिशेष पर परिणामी प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं हैं और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है ।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य

this stage.

(ii) The Company's accounting policy number A- 10.6 on impairment of equity shares states that impairment in equity portfolio is carried out only where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. The accounting policy of the company is deficient to the extent that other significant parameters having significant bearing on the share price of Investee Company are not considered in the parameters for identification of Impaired Assets viz. investee entities under corporate resolution insolvency process under NCLT, substantial fall in the market price as compared to acquisition cost of equity shares of the company, erosion of net worth, statutory auditor of the investee company reporting on material uncertainty related to going concern etc. The effects on the standalone financial statements of the failure to consider the aforesaid parameters for impairment of equity shares have not been determined.

The overall impact of the matter stated in paragraph (I and II) above and the consequential effects on revenue accounts, profit and loss account, and reserves and surplus as at 31" March, 2024 are not ascertainable and cannot be commented upon.

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

fØ;k'khy çfr"Bku ls lcf/kr Hkkfrd vfuf'prrk

कंपनी ने 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 18.61 करोड़ रुपये का लाभ और 4968.11 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है । इसके अलावा, कंपनी की कुल संपत्ति इस प्रकार हैः 31 मार्च 2024 तक ऋणात्मक निवल मूल्य दर्ज किया गया है और 31 मार्च 2024 तक 3831. 18 करोड़ रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य विद्यमान है।

प्रबंधन द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न (चालू वित्त वर्ष) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ओआईसीएल का प्रबंधन राजस्व बढ़ाने और लागत को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अवसरों की खोज कर रहा है, जैसा कि कंपनी के अगले पाँच वर्षों के व्यवसाय और रणनीति योजना में चर्चा की गई है । 27 मई 2024 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने और घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए व्यवसाय योजना पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। साथ ही, प्रबंधन को केंद्र सरकार से पूंजी निवेश की उम्मीद है। व्यवसाय और रणनीति योजना में, मुनाफे वाले पोर्टफोलियो में व्यवसाय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, विशेष रूप से स्वास्थ्य और मोटर व्यवसाय खंडों के तहत हानि अनुपात में सुधार, नियंत्रणीय प्रबंधन व्यय को कम करने जैसे टर्नअराउंड के प्रस्तावित उद्यमों को भविष्य में कार्यान्वयन के लिए पहचाना गया है । इसे देखते हुए, प्रबंधन की राय है कि ओआईसीएल एक सुनाम प्रतिष्ठान है ।

ऊपर चर्चा किए गए मामले से संकेत मिलता है कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो कंपनी को उन्नत कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है ।

हालांकि, इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है ।

audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the standalone financial statements.

Material Uncertainty Related to Going Concern

The Company has reported Profit of Rs. 18.61 Crore and Loss of Rs 4968.11 Crore for the financial year ended on 31st March 2024 and 31st March 2023 respectively. Further, the net worth of the company as at 31st March 2024 has been eroded and negative net worth of Rs 3831.18 Crore exists as at 31st March 2024.

The financial statements of Oriental Insurance Company Limited (OICL) are prepared by the Management on a going concern basis. The management of the OICL is exploring various opportunities to increase revenue and control costs as discussed in the Business and Strategy Plan of the Company for next five years. The Board in its meeting held on 27th May 2024 has considered and approved the business plan to reduce costs, increase revenue and to turnaround the losses to profits. Also, the Management is expecting capital infusion by the Central Govt. In Business and Strategy Plan, proposed levers of turnaround such as focusing on business growth in profitable portfolio, improving loss ratios especially under Health and Motor business segments, reducing controllable management expenses are identified for implementation in future. In view of this, the management is of the opinion that OICL is a going concern.

The matter discussed above indicates that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.

ekeyk dk egRo%

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

ए) अनुसूची 16 के नोट संख्या बी55 में कप और कैप नीति के तहत 2 राज्य सरकार द्वारा नियोजित कुछ समूह के संबंध में फसल बीमा प्रीमियम की बुकिंग।

बी) अनुसूची 16 की नोट संख्या बी 16.17 (ए) और (बी) जिसमें कहा गया है कि कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन बिना उल्लेख के आवश्यक सॉल्वेंसी को पूरा नहीं कर रहा है और अंतिम सीमा से नीचे है।

सी) अनुसूची 16 के नोट संख्या बी21 में कुछ अचल संपत्तियों के शीर्षक दस्तावेजों के बारे में बताया गया है जो या तो रिकॉर्ड में नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है।

डी) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2019 पर अधिसूचना संख्या एसओ 1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के अनुसार कंपनी के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना के लिए दिए गए विकल्प के संबंध में अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 31.2 (सी)।

कंपनी ने आईआरडीएआई के पत्र संख्या 411/एफ एंड ए/(एनएल) अमॉर्ट –ईबी/2019–20/123 दिनांक 07 जुलाई, 2020 के अनुसार अनुमोदन के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में परिशोधन करके नियमित कर्मचारियों के खाते में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपरोक्त योजना के अनुसार पेंशन देयता के लिए प्रावधान किया है। 31 मार्च 2024 तक अपरिशोधित राशि शून्य है, क्योंकि इसे वर्ष के दौरान पूरी तरह से परिशोधित हो चुकी है।

ई) अनुसूची 16 का नोट संख्या बी 25, जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक लेखा पुस्तकों में 168,45,63 हजार रुपये के जीएसटी इनपुट क्रेडिट में जीएसटी पोर्टल के अनुसार उपलब्ध पात्र इनपुट क्रेडिट के शेष के साथ मिलान किया जाना है जो प्रक्रियाधीन है।

However, our opinion is not modified in respect of this matter.

Emphasis of Matter:

We draw attention to the following matters in the Notes to the standalone financial statements:

a) Note No. B55 of Schedule 16 regarding booking of Crop insurance premium under cup and cap policy in respect of certain cluster assigned by 2 state government.

b) Note no B 16.17(a) and (b) of schedule 16 which states that solvency ratios of the Company is not meeting the required solvency, without forbearances and is below the threshold limit.

c) Note No. B21 of Schedule 16 regarding title documents of certain immovable properties either not on record or registration is pending.

d) Note No. B 31.2 (c) Schedule 16 regarding option given to current and retired employees of the company for pension scheme as per notification No. S.O. 1627 (E) dated 23rd April, 2019 on General Insurance (Employees) Pension Amendment Scheme, 2019. The Company has made provision for the pension liability as per aforesaid scheme based upon actuarial valuation on account of regular employees by amortizing over a period of five years as per approval of IRDAI vide their letter No. 411/F&A/(NL) Amort-EB/2019-20/123 dated 07th July,2020. The unamortized amount as at 31st March 2024, is nil, as the same is fully amortized during the year.

e) Note No. B 25 of Schedule 16 regarding pending reconciliation of GST input credit receivable amounting to Rs 168,45,63 thousand in the books of accounts as on 31" March 2024 with the balances of eligible input credit available as per the GST portal is under process.

f) Note no B 52 of schedule 16 regarding segregation of investment including Fair Value

एफ) अनुसूची 16 की नोट संख्या बी 52 में आईआरडीएआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार गणना किए गए उचित मूल्य परिवर्तन खाते सहित निवेश को शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड में शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के अनुपात के आधार पर अलग करने के बारे में बताया गया है। निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेयरधारक के फंड के नकारात्मक शेष की गणना प्रबंधन द्वारा आईआरडीएआई द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर की गई है।

जी) अगस्त 2022 से प्रभावी होने वाले कर्मचारी के वेतन संशोधन की देयता का प्रावधान न करने के संबंध में अनुसूची 16 की नोट संख्या 31 (एफ)।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं किया है।

e[; y[kkijh{kk ekeys

योग्य राय के आधार पर वर्णित मामलों और उन्नत व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता वाले मामलों के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

Change account into Shareholders and policyholder's fund based on the ratio of Shareholders and Policy holders computed in accordance with Circular issued by IRDAI. Negative balances of Shareholder's fund in Investment and Fair Value Change account has been computed by the Management based on the circular issued by IRDAI.

g) Note no 31 (f) of schedule 16 regarding non provision of liability of employee's wage revision due with effect from August 2022.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

In addition to the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Material Uncertainty Related to Going Concern sections, we have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Ø- l- S. No.	i:e[k y[kk ijh{k.k ekey@ Key Audit Matters	y[kk ijh{kd dh ifrfØ;k Auditor's Response
1	बकाया दावों का मूल्यांकन ("ओसी") उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए ("आईबीएनआर") दावों सहित उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों सहित कंपनी के पास आईबीएनआर और आईबीएनईआर से संबंधित दावों सहित महत्वपूर्ण बकाया दावे हैं और इनके लिए निर्णयों और अनुमान की आवश्यकता है। बकाया दावों सहित आईबीएनआर से संबंधित दावे भविष्य में होने वाले दावों के निपटान हेतु अनुमान हैं जो विविध तथ्यों से प्रभावित हैं जिसमें ऐतिहासिक दावों की गंभीरता, ऐतिहासिक दावों की आवृत्ति और नियमों में बदलाव शामिल हैं। विशेष रूप से, मोटर बीमा अनुबंधों के अंतर्गत आने वाली मृत्यु या विकलांगता से उत्पन्न होने वाले दावों में भविष्य में होने वाली आंतरिक और बाहरी दोनों, कारोबार के बारे में जटिल और व्यक्तिपरक फैसले शामिल होते है जिनके लिए अनुमानों में किए गए छोटे परिवर्तन से भी उन देयताओं के मूल्यांकन पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता हैं। कंपनी की लेखांकन नीति स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 16 का नोट 6 डी देखें। **Valuation of outstanding claims** **("OC")** **including claims incurred But Not Reported ("IBNR") and Claims Incurred But Not Enough Reported** **(IBNER)** The Company has significant outstanding claims including claims relating to IBNR and IBNER and these require use of judgements and estimates. Outstanding Claims including claims relating to IBNR are estimates for settlement of claims in future which are impacted by a number of factors which includes the trends in severity of historical claims, frequency of historical claims, and changes in regulations. In particular, the claims arising from death or disability covered under motor insurancecontracts involve complex and subjective judgments about future events, both internal and external to the business, for which small changes in assumptions can materially impact the valuation of these liabilities. Refer Note. A 6D of Schedule 16 of standalone financial statements and Company's accounting policy.	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ • बकाया दावों हेतु प्रावधान कंपनी के मंडलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर किया जाता है और शाखा लेखा परीक्षकों ने मंडल और क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण करते हुए कंपनी के दिशानिर्देशों के आधार पर दावा प्रावधान को सत्यापित किया है। • हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 5000 (हजार में) और उससे अधिक दावों के लिए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से बकाया दावों के लिए प्रदत्त देयताओं की जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दावों का उचित अनुमान लगाया गया और रिकार्ड किया गया। •उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर), दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों के संबंध में देयता बीमांकिक रूप से कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकिक द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे हमने विश्वसनीय जाना। • हमने कंपनी द्वारा बीमांकक को दिए गए डेटा के आधार पर, नमूना आधार पर नियंत्रणों का परीक्षण किया। • हमने कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकिक की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा बताई गई देयता हेतु आईबीएनआर और आईबीएनईआर की जांच की। • हमने आईआरडीएआई/लेखा मानकों के लागू विनियमों के संदर्भ में कंपनी के संबंधित खुलासों की पर्याप्तता का आकलन किया। **Principal Audit Procedures** • The provision for outstanding claims is handled and done at the Divisional and Regional offices of the Company and the branch auditors while auditing the Divisional and Regional offices have verified claim provisioning based upon the guidelines of the Company. • We have also verified the liabilities provided for outstanding claims through supporting documents for claims of Rs. 5000 (In Thousand) and above during the year ended 31"March,2024 to ensure that these claims were appropriately estimated and recorded. • The liabilities in respect of Claims incurred but not reported (IBNR), Claims incurred but not enough reported (IBNER) is actuarially determined by the Company's appointed Actuary on which we have placed reliance. • We performed a test of controls, on a sample basis, on the data given by the Company to the Actuary. • We verified the IBNR and IBNER provisions against liability made by the Company with the provisions recommended in th e report of the Company appointed actuary. • We assessed the adequacy of the Company's related disclosures by reference to applicable regulations of IRDAI/accounting standards.

Ø- l- S. No.	i:e[k y[kk ijh{k.k ekey@ Key Audit Matters	y[kk ijh{kd dh ifrfØ;k Auditor's Response
2	अनिश्चित कर स्थितियों का मूल्यांकन कंपनी के पास महत्वपूर्ण अनिश्चित कर स्थितियों सहित विवादित मामले हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। होल्डिंग कंपनी की स्टैंडअलोन विवरणी के संबंध में अनुसूची 16 के नोट बी 1(ई) को देखें। Evaluation of uncertain tax positions The Company has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. Refer Note B1(e) of Schedule 16 to the standalone financial statements.	मुख्य लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं हमने प्रबंधन से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष तक कर निर्धारण और मांगों का पूर्ण विवरण प्राप्त किया। हमने कर प्रावधानों का अनुमान लगाने और विवादों के संभावित परिणामों में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति को समझने और कर की स्थिति निकालने में प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्य नियमों और कानूनी प्राथमिकताओं पर विचार करने और वर्ष के दौरान कंपनी के फैसले में कोई परिवर्तन को समझने के लिए प्रबंधन की कर टीम से बातचीत की। हमारे रिकार्ड किए गए अनुमानों का आकलन करने तथा रिकार्ड किए गए प्रावधानों की पूर्णता का मूल्यांकन करने तथा इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति ने किसी बदलाव की आवश्कता की? इसके लिए कंपनी के बाह्य कर परामर्शदाताध वकीलों के साथ पत्राचार को हमने पढ़ा। निर्धारण वर्ष 2005–06 से विभिन्न अपीलीय स्तरों पर मुकदमें लंबित हैं। कंपनी की राय है कि यह राशि 30 अगस्त 2017 को 2015 के आईटीए नंबर 372 में उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश के आधार पर आयकर विभाग से निवेश की बिक्री पर लाभ के आधार पर वसूली योग्य है। हालांकि, आयकर विभाग द्वारा कंपनी के विरूद्ध दायर एसएलपी के कारण मामले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित हैं। **Principal Audit Procedures** We obtained details of completed tax assessments and demands till the year ended March 31, 2024, from the management. We reviewed anagement's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. We interacted with management's tax team to understand the status of all significant provisions, and also considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position in ascertaining tax position and any changes to management's judgements in the year. We read correspondence with tax authorities and Company's external tax advisors/lawyers to evaluate our assessment of recorded estimates and evaluate the completeness of the provisions recorded and whether any change was required to management's position on these uncertainties. Litigations are pending at various appellate levels since AY 2005-06. The Company is of the opinion that the amount is recoverable on account of profit on sale of investments from Income Tax Department on the basis of favorable High Court order in ITA No .372 of 2015 dated 30" August 2017. However, the case is currently pending for adjudication before the Hon'ble Supreme Court of India owing to SLP filed by the Income Tax Department against the Company.

LVMMvyku foRrh; foojf.k;k vkj ml ij y[kk ijh{kd dh fjikVZ d vykok vU; tkudkjh

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में होल्डिंग कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन का निर्णय व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणियों, या के साथ तथ्यात्मक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षण में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा कहीं तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी की गई है।

जब हम निदेशक की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई तथ्यात्मक गलतबयानी है, तो हमें होल्डिंग कंपनी शासकीय प्रभारियों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के तहत कार्रवाई निर्धारित करनी होगी।

LVMMvyku foÙkh; foojf.k;k d fy, çc/ku vkj 'kkl dh; çHkkfj;k dh ftEenkjh

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति, परिचालन लाभध्हानि, लाभध्हानि और प्राप्तियों और भुगतानों का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जिसमें बीमा अधिनियम, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण वित्तीय विवरण, इस संबंध में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी किए गए आदेशधनिर्देशध्परिपत्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जो कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाते हैं, जहां तक लागू हो।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report but oes not include the Standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of Management and those charged with governance for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the State of affairs, Operating Profit/ Loss, Profit/Loss and the Receipts and Payments of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the provisions of the Insurance Act, the IRDA Act, the IRDA Financial Statements Regulations, the orders/ directions/circulars issued by the IRDAI in this regard and Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended, to the extent applicable.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding of the assets of the Company

पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले गलत बयानों से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी तैयार करने में, प्रबंधन का दायित्व वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन का होता है। कंपनी की उन्नत व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता, लागू हो, उन्नत व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के उन्नत व्यवसाय आधार का उपयोग करना, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने का इरादा न रखे। या ऐसे करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। कंपनी और सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

LVMvykuu foÙkh; foojf.k;ksa dh y[kkijh{kk ds fy, y[kkijh{kd dh ftEesnkfj;k

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा जब भी यह होगा, गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद से की गई हो।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम भीः

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के तथ्यात्मक गलत बयानी के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए

and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient

उत्तरदायी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की धोखाधड़ी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या अधिकतम आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकता है।

- उन उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की सूझबूझ प्राप्त करें। जो परिस्थितियों के अनुरूप ही कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है?

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध खुलासों का मूल्यांकन करें।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के वर्तमान आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और संबद्ध कंपनियों की योग्यता या महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा लेखा परीक्षणर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा लेखा परीक्षणर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और सहयोगी कंपनियाँ एक लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह

and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced.

संभावित बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) अपने लेखा लेखा परीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (पप) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा लेखा परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी जिसे हम अपने लेखा लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं, सहित होल्डिंग कंपनी के शासकीय प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासकीय प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने निष्पक्षता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय अन्य मामलों के बारे में बातचीत करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं।

उन शासकीय प्रभारियों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संचार करने के प्रतिकूल परिणाम से संभावित रूप से जनहित लाभ कम होंगे।

vU; ekeys

हमने कंपनी के स्टैंडअलाने वित्तीय विवरणों में शामिल 25 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 कॉरपोरेट व्यवसाय कार्यालयों, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियों के वित्तीय विवरणोंध्सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 तक 25,36,59,25 हजार रूपए की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,87,94,13,32 हजार रूपए का कुल राजस्व (सकल राजस्व) दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है।

We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters:

We did not audit the financial statements/information of 25 Regional Offices, 8 Corporate Business offices, 1 OSTC, , 1 foreign Branch and 2 foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements reflect total assets of Rs. 25,36,59,25 thousand as at 31st March, 2024 and total revenue (Gross Revenue) of Rs. 1,87,94,13,32 thousand for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements.

The financial statements/ information of these aforesaid offices has been audited by the RO/CBO/ branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the

इन उपरोक्त कार्यालयों के वित्तीय विवरणोंध्सूचनाओं की लेखापरीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयध्सीबीओध्शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा जहां तक इन शाखाओंध्क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में शामिल राशिों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयध्शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(प) दावों के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर), उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) और प्रीमियम कमी रिजर्व (पीडीआर) के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकक (''नियुक्त बीमांकक'') की जिम्मेदारी है। बकाया दावा रिजर्व (आईबीएनआर और आईबीएनईआर) का बीमांकिक मूल्यांकन जिसका अनुमान तक सांख्यिकीय तरीकों और पीडीआर का उपयोग करके 31 मार्च, 2024 तक लगाया गया है, नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएं आईआरडीएआई की सहमति से आईआरडीएआई और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा दिशानिर्देश और मानदंडों के अनुसार है। हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा किया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

vU; dkuuh vkj fofu;ked vko';drkvk ij fjikVZ

1. आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के अनुसार हमने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तैयारी विनियम 2002 की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 27 मई 2024 को एक अलग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक – ए) जारी किया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 143 (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक है (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और रिपोर्टों पर विचार के आधार पर सहायक कंपनी और सहयोगियों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में बताया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

amounts and disclosures included in respect of these branches/Regional offices, is based solely on the report of such RO/ branch auditors.

(i) The actuarial valuation of liabilities in respect of Claims Incurred but Not Reported (IBNR), Claims Incurred but Not Enough Reported (IBNER) and Premium deficiency reserve (PDR) is the responsibility of the Company's appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of the outstanding claims reserves (IBNR and IBNER) that are estimated using statistical methods and PDR as at 31" March, 2024 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the standalone financial statements of the Company.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the IRDA Financial Statements Regulations, we have issued a separate certificate (Annexure - A) dated 27'h May 2024 certifying the matters specified in paragraph 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002.

2. As required by Section 143 (3) of the Companies Act, 2013, the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the orders/ directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, we report that:

(a) We have sought and except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(b) Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion

(ए) उपरोक्त पैराग्राफ योग्य राय हेतु वर्णित मामलों को छोड़कर हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(बी) उपरोक्त पैराग्राफ योग्य राय हेतु आधार में वर्णित मामले के संभव प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक बही खाते तैयार किए गए हैं जैसा कि अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन बही खातों की जांच से प्रतीत होता है और क्षेत्रीय कार्यालयों, कॉरपोरेट व्यापार कार्यालयों और अन्य कार्यालयों से लेखापरीक्षित और गैर–लेखापरीक्षित दोनों उचित रिटर्न, उन कार्यालयों से प्राप्त हुए हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है, हमारे अंकेक्षण उद्देशों के लिए पर्याप्त है।

(सी) क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों, कॉरपोरेट व्यवसाय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, विदेशी शाखा ओर विदेशी एजेंसी कार्यालयों की रिपोर्ट, संबंधित घटक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की खंड 143(8) के तहत लेखा परीक्षित हमें भेजी गई है और हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटा गया है।

(डी) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता तथा प्राप्ति और भुगतान खाता (नकदी प्रवाह विवरण) लेखा खातों और रिटर्न के अनुरूप है।

(ई) याग्य राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए, जो इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ लागू सीमा तक और अपेक्षित तरीके से जारी किए जाते हैं।

(एफ) हमारी राय में, उपरोक्त योग्य राय के आधार पर पैराग्राफ में वर्णित मामलों से कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(जी) भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 643(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 164(2) के प्रावधान कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं होते हैं।

(एच) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में अधिक जानकारी

Paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of such books and proper returns both audited and unaudited from Regional offices, Corporate business offices, and other offices, have been received from the offices, not visited by us, are adequate for the purposes of our audit.

(c) The reports of Regional Auditors , Corporate business offices Auditors, reports of foreign branch and foreign agency offices, audited under Section 143 (8) of the Companies Act, 2013 by the respective component auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report in the manner considered necessary by us.

(d) The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account (Cash Flow Statement) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns.

(e) Except for the possible effects to the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there-under to the extent applicable and in the manner so required.

(f) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have adverse effects on the functioning of the Company.

(g) The provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the directors of the Company in view of Notification No. GSR 463(E) dated 5thJune, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

(h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, please refer to our separate report in **"Annexure- B".**

(i) The company has not comply with the provisions of the mirco, small and medium enterprises development act 2016 regarding Identification,

के लिए, कृपया ''अनुलग्नक–बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(प) कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राईसिज विकास अधिनियम 2016 के प्रावधानों जैसे पहचान, समय पर भुगतान, विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान और एमएसएमई अधिनियम 2006 की प्रकटीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। (नोट सं.53 देखें)

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 143(5) के अनुसार, हम यहां में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी उप–निर्देशों सहित निर्देश ''अनुलग्नक–सी'' संलग्न कर रहे हैं।

4. अधिनियम के खंड 143 के उपखंड (3) की खंड (प) के नियमानुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए विवरण के अनुसारः

(ए) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है दृ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16 के बी–1 (सी) और (ई) का नोट देखें।

(बी) बीमा संविदाओं के लिए दायित्व, अनुसूची 16 के नोट बी 5.3 के अनुसार, कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक निर्धारित किया जाता है तथा नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र द्वारा संरक्षित किया जाता है। उपरोक्त अन्य मामला पैराग्राफ में उल्लिखित, जिस पर हमने विश्वास किया है तथा कंपनी के पास किसी लंबी अवधि की संविदा सहित अन्य व्युत्पन्न संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई तथ्यात्मक अनुमानित हानि हुई हो।

(सी) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक के शिक्षा और बीमा में संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।

(डी) (प) प्रबंधन ने प्रत्यावेदन दिया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या विदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित किसी इकाई को (उधार लिए गए फंड में से या शेयर प्रीमियम या अन्य किसी स्रोत या किसी प्रकार के फंड) में से अग्रिम राशि या ऋण या निवेश नहीं किया गया है, चाहे इसे लिखित में अन्यथा रिकार्ड कर लिया जाए, इस मंशा के साथ कि क्या मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाओं (''अंतिम

timely payment, provision of interest on delayed payment and disclosure requirements of MSME Act 2006. *(Refer to note No. 53)*

3. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose here with in" Annexure- C", the directions including sub- directions issued by the Comptroller & Auditor General of India.

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 issued by the Central Government of India in terms of clause (j) of sub-section (3) of section 143 of the Act, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:

(a) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements — Refer Note B-1 (c & e) Sch 16 to the standalone financial statements.

(b) The liability for insurance contracts, is determined by the Company's Appointed Actuary as per Note B 5.3 of Schedule 16, and is covered by the Appointed Actuary's certificate, referred to in Other Matter paragraph above, on which we have placed reliance; and the Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

(c) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

(d) (i) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

लाभार्थी'') या अन्य किसी व्यक्ति की कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करेगीय

(पप) प्रबंधन ने प्रत्यावेदन दिया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या विदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित किसी इकाई को (उधार लिए गए फंड में से या शेयर प्रीमियम या अन्य किसी स्रोत या किसी प्रकार के फंड) में से अग्रिम राशि या ऋण या निवेश नहीं किया गया है, चाहे इसे लिखित में अन्यथा रिकार्ड कर लिया जाए, इस मंशा के साथ कि क्या मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई निवेश करने वाले पक्ष (''अंतिम लाभार्थी'') या अन्य किसी व्यक्ति की कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करेगी

(पपप)परिस्थितियों में उचित और सही मानी गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदनों, जैसा कि ऊपर (प) और (पप) के तहत किया गया है, में कोई भी गलत विवरण शामिल है।

(ई) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 खंड 123 के प्रावधान लागू नहीं है।

(एफ) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान के अनुसार, होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने बहीखातों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर में प्रत्येक लेनदेन का ऑडिट ट्रेल रिकार्ड करने बहीखातों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने की सुविधा है, साथ ही ऐसे परिवर्तन किए जाने की तारीख भी है और यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है। कंपनी भारत और भारत के बाहर अलग–अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जिसमें से पुनर्बीमा के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 128 और उसके तहत संशोधित नियमों के साथ नियम 3(5) के प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, जो भारत में हर समय सुलभ होने के लिए कंपनी की विदेशी शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक मोड में बहीखातों और कागजात को बनाए रखने और दैनिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों पर अपने बहीखातों और कागजात का बैकअप रखने के संबंध में है।

(ii) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(iii) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (i) and (ii) above, contain any material misstatement.

(e) No dividend has been declared by the Company during the year hence, provisions of section 123 of the Companies Act 2013 are not applicable.

(f) In accordance with proviso to rule 3(1) of the companies (Accounts) Rules, 2014, the accounting software used by the company for maintaining its books of account have a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in the books of account along with date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. Company is using different software in India and outside India out of which software used for reinsurance is not complying with the above requirement. Further the company is not complying with the Proviso to Rule 3(5) read with section 128 of the companies act 2013 and rules thereunder as amended, regarding maintaining of books of accounts and papers maintained in the electronic mode at Foreign branches of the company to be accessible in India at all times and maintenance of back up of its books of accounts and papers at servers physically located in India on a daily basis.

5. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197 (16) of the Companies

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में संशोधित किए गए अनुसारः

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पठित खंड 197 के प्रावधान भारत सरकार के निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार समूह के निदेशकों को किया गया भुगतानध्देय पारिश्रमिक पर लागू नहीं होते हैं।

6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(ए) 31 मार्च 2024 तक ''दावा किए गए (आईबीएनआर) तथा ''दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए'' (आईबीएनईआर) सहित के संबंध में देनदारियों का बीमांकक मूल्यांकन होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और हम इस पर भरोसा करते हैं। नियुक्त बीमांकक ने यह भी प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा मानी गई धारणा आईआरडीएआई की सहमति से आईआरडीएआई और एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं।

(बी) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) बीमा विनियामक और विकास अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनियां अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार लागू सीमा तक और अपेक्षित तरीके से तैयार किए गए हैं।

(सी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों के अनुसार किया गया है।

(डी) कंपनी द्वारा चुनी गई लेखांकन नीतियां उचित हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, जो संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले हैं, जहां तक लागू हो और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 तथा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशधनिर्देश में निर्धारित किए

Act, 2013, as amended: The provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 are not applicable on the remuneration paid/payable to the directors of the Company in view of Notification No. GSR 463 (E) dated 05thJune, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

6. As required by Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we report that:

a. The actuarial valuation of liabilities in respect of "Claims Incurred but not reported" (IBNR) including "Claims incurred but not enough reported" (IBNER) as at 31" March, 2024 have been duly certified by the Company's appointed actuary and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumption considered by them for such valuations are in accordance with guidelines and norms prescribed by IRDAI and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDAI.

b. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

c. According to the information and explanations provided to us, the investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and the regulations, orders and directions issued by IRDAI in the regard.

d. The accounting policies selected by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended, to the extent applicable and with the Accounting Principles, as prescribed in the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and orders/ directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, except for the

गए अनुसार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। सिवाय उपरोक्त योग्य राय के आधार पर पैरा (प) में वर्णित संभव प्रभावों के।

ई) इसके अलावा होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

प) हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न होल्डिंग कंपनी की प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और प्रबंधन रिपोर्ट और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट गलती या तथ्यात्मक असंगतियां नहीं हैं। प्रबंधन रिपोर्ट को योग्य राय के आधार के तहत पैरा I और II में दी गई हमारी योग्यता के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

पप) अनुपालन करने वाली होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रबंधकीय प्रत्यावेदन के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि होल्डिंग कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया हैय और

पपप) पॉलिसीधारकों की निधियों के निवेशों और आवेदन के संबंध में पॉलिसीधारकों के फंड की संपत्ति कोई भी हिस्से का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया।

possible effects of the matter described in para (i) of the Basis for Qualified Opinion paragraph above.

e. Further on the basis of our examination of books and records of the company and according to the information and explanation given to us and to the best of our knowledge and belief, we certify that:

i. We have reviewed the management report attached with the standalone financial statements and there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the management report and the standalone financial statements. The Management report should be read with our Qualification given in Para I and II under Basis for Qualified Opinion.

ii. Based on the management representation made by the management of the Company charged with compliance, nothing has come to our attention which causes us to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by IRDAI.

iii. No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन/

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2024

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTS
FRN No. 008744N

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCU4555

CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN : 24081085BKATUR8305

Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

Lor= y[kk ijh{kd dh fjikV dk ifjf'k"V ^,*

ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र, 27 मई 2024 की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखितः

1. यह प्रमाणपत्र आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों का विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002, (''आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम'') की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

çc/ku dh ftEesnkjh

2. होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015, द्वारा संशोधित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1938 (''बीमा अधिनियम'') बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (''आईआरडीए अधिनियम''), आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम के प्रावधानों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी आदेशधनिर्देश जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी शामिल है, के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। इसमें उपरोक्त के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त डेटा एकत्र करना, एकत्र करना और मान्य करना और आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और निगरानी करना शामिल है।

Lor= y[kkijh{kd dk mRrjnkf;Ro

3. इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए हमारी जिम्मेदारी, आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 में शामिल मामलों पर उचित आश्वासन प्रदान करना है।

4. जहां तक इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए लागू है, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2016) के अनुसार

Independent Auditors' Certificate as referred to in paragraph 1 of our Report on OtherLegal and Regulatory Requirements forming part of the Independent Auditors' Report dated 27th May 2024:

1. This certificate is issued to comply with the provisions of paragraph 4 of Schedule C of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, ("the IRDA Financial Statements Regulations") read with Regulation 3 of the IRDA Financial Statements Regulations and may not be suitable for any other purpose.

Management's Responsibility

2. The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of The Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act") as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"), the IRDA Financial Statements Regulations, orders/directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") which includes the preparation of the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Independent Auditor's Responsibility

3. Our responsibility for the purpose of this certificate, is to provide reasonable assurance on the matters contained in paragraph 4 of Schedule C of the IRDA Financial Statements Regulations read with Regulation 3 of the IRDA Financial Statements Regulations.

4. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in so far as applicable for the purpose of this

अपनी जांच आयोजित की, परीक्षण जाँच और भौतिकता की अवधारणाएँ शामिल हैं। इस मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

5. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1 की संबद्ध लागू आवश्यकताओं जो फर्म ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण, अन्य आश्वासन तथा संबद्ध सेवा एवं समीक्षाएं निष्पादित करती हैं, उसकी गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन किया है।

jk;

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा बनाए गए बहीखातों और अन्य रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि :

7. हमने नकदी शेष राशि का सत्यापन प्रबंधन और क्षे.का.ध सीबीओध्शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर किया है, जिन्होंने वास्तविक निरीक्षण पर वास्तविक निरीक्षण द्वारा या होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त कस्टोडियन औरध्या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से प्राप्त प्रमाण पत्र/पुष्टि के आधार पर 31 मार्च 2024 तक कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों और प्रतिभूतियों के उत्पादन पर भरोसा किया।

हमने होल्डिंग कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रतिभूतियों और नकदी शेष की आवश्यक सीमा तक जांच की है:

Certificate, which include the concepts of test checks and materiality. This Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

5. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

6. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by the Company for the year ended 31" March 2024, we certify that:

7. We have verified the cash balances, to the extent considered necessary based upon confirmation of management and RO/CBO/Branch Auditors who have relied on production of certificates and other documentary evidence, and securities relating to the Company's loans and investments as at March 31, 2024, by actual inspection or on the basis of certificates/ confirmations received from the Custodian and/ or Depository Participants appointed by the Company.

We have verified Cash balances, to the extent considered necessary, and securities related to the Company's Loans and Investments, on following basis:

क्रमांक Sr. No.	संपत्ति Asset	सत्यापन की प्रकृति Nature of Verification
i)	नकद/Cash	भौतिक सत्यापन, प्रबंधन का प्रमाणपत्र और क्षेत्रीयध्मंडलध्शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।/ Physical Verification, Management's Certificate and Regional/CBO/Branch Auditor's Report.
ii)	निवेश/Investment	संरक्षक का प्रमाणपत्र (एसएचसीआईएल, एचडीएफसी बैंक) और प्रबंधान का प्रमाणपत्र।/Custodian's Certificate (SHCIL, HDFC Bank) and Management's Certificate.
iii)	ऋण से संबंधित प्रतिभूतियाँ/ Securities relating to Loan	प्रबंधन का प्रमाणपत्र कि 31 मार्च 2024 को कोई ऋण बकाया नहीं है।/ Management's Certificate that there is no loan outstanding as on 31st March 2024.

प) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, होल्डिंग कंपनी किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी नहीं हैय और

पप) होल्डिंग कंपनी के नीति धारकों के फंड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा नीति धारकों के धन के अनुप्रयोग और निवेश से संबंधित है, बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

8. यह प्रमाणपत्र कंपनी के अनुरोध पर केवल वार्षिक खातों में शामिल करने के लिए कंपनी के उपयोग के लिए जारी किया जाता है ताकि अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 के प्रावध ानों का अनुपालन किया जा सके और आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़ा जा सके और इसका उद्देश्य हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई दायित्व या देखभाल का कोई कर्तव्य स्वीकार नहीं करते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकता है।

i) To the best of our information and according to the explanation given to us, the Company is not a trustee of any trust; and

ii) No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

Restriction on Use

8. This certificate is issued at the request of the Company solely for use of the Company for inclusion in the annual accounts in order to comply with the provisions of paragraph 4 of Schedule C of the IRDA Financial Statements Regulations read with Regulation 3 of the IRDA Financial Statements Regulations and is not intended to be and should not be used for any other purpose without our prior consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this Certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन/

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2024

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTS
FRN No. 008744N

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCU4555

CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN : 24081085BKATUR8305

Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

Lorr= y[kk ijh{kd dh fjikVZ dk ifjf'k"V ^,*

ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

vuqikyu çek.ki=

Compliance Certificate

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

We have conducted the audit of annual accounts of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2024 in accordance with the directions/sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions/Sub-Directions issued to us.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन/

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2024

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTS
FRN No. 008744N

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCU4555

CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN : 24081085BKATUR8305

Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

Lor= y[kk ijh{kd dh fjkVZ dk ifjf'k"V ^ch*

ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh [kM 143 d mi[kM 3 d [kM ¼i½ d rgr vkrfjd foÙkh; fu;=.k ij fjkVZ

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

हमने 31 मार्च, 2024 तक दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण उस तारीख को समाप्त हो रहे वर्ष हेतु होल्डिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के साथ किया। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा ऑडिट किए गए प्रधान कार्यालय, 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 कॉरपोरेट व्यवसाय कार्यालयों, 1 ओएसटीसी, 1 विदेशी शाखा और 2 विदेशी एजेंसियों के रिटर्न हैं, जिनका लेखा परीक्षण उनके संबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है।

vkrfjd foÙkh; fu;=.kksa d fy, çc/ku dh ftEesnkjh

कंपनी का प्रबंधन 'भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान' द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन के साथ इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

y[kkijh{kd dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Oriental Insurance Company Limited ("the Company") as of 31st March 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 25 Regional Offices, 8 Corporate Business offices, 1 OSTC, 1 Foreign Branch and 2 Foreign agencies, all audited by their respective Auditors.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the "Institute of Chartered Accountants of India". These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on

मानकों के अनुसार की और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक निर्धारित मानी गई, दानों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू है और दानों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझा प्राप्त करना, तथ्यात्मक कमी वाले मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण या गलती से हो।

विदेशी शाखाध्कार्यालय यानी नेपाल, दुबई, कुवैत, एक रन ऑफ एजेंसी और एक एसोसिएट जो भारत में निगमित है, से संबंधित होल्डिंग कंपनी शाखा लेखा परीक्षकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं और इस प्रकार हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थी और इसलिए इस रिपोर्ट में इन कार्यालयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर विचार नहीं किया गया है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिपोर्टों की अनुपलब्धता के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting and the Standards on Auditing, issued by Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Report on internal financial controls /rom branch auditors relating to foreign branch/offices i.e. Nepal, Dubai and Kuwait and run off agency have not been received and as such was not available for our review' and therefore the internal controls over financial reporting relating to these offices have not been considered in this report and cannot be commented upon.

Except for the possible effect of non-availability of reports as stated above, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide

foÙkh; fjikfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;a=.k dk vFk

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। य और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान से सुरक्षा या समय पर पता लगाने, यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका स्टैंडअलोन एएस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

foÙkh; fjikfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;a=.k dh vUrfuZfgr lhek,a

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर और भी बिगड़ सकता है।

;kX; jk;

हमारे लेखा परीक्षण के दौरान की गई चुनिंदा जांचों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार क्षेत्रीय की समीक्षा के आधार पर और क्षेत्रीय

reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company.

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Contracts over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at 31stMarch, 2024:

i) Confirmation, reconciliation, adjustment and age wise analysis of various balances relating to

ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर अनुसार, 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है:

i) सह–बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमा दलालों, अंतर–कार्यालय खातों से संबंधित विभिन्न शेष राशियों की पुष्टि और मिलान लंबित हैं और मिलानध्समायोजन के विभिन्न चरणों में हैं,

ii) कंपनी की पुस्तकों बनाम जीएसटीआर 2ए/2बी में उपलब्ध आईटीसी के चालान–वार मिलान के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण पाया गया है। इनपुट जीएसटी के गलतधविलंबित दावे, प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न मांग नोटिसध्कारण बताओ नोटिस की निगरानी न करना।

iii) बंद हो चुके मंडलीय कार्यलयों/शाखाओं से संबंधित विभिन्न कर कटौती खाता संख्याओं को प्रस्तुत करने में देरी, जिसमें उनके खातों का क्षेत्रीय कार्यालयों में विलय भी शामिल है।

iv) अचल संपत्ति रजिस्टर या मैनुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ परिसंपत्तियों की भौतिक गणना का मिलान मजबूत किया जाना चाहिए। आवधिक अंतराल पर भौतिक सत्यापन सहित परिसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी।

v) टीपीए द्वारा संसाधित पुनर्बीमा और स्वास्थ्य संबंधी दावों सहित व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपर्याप्त कवरेज।

vi) सिस्टम द्वारा उत्पन्न पार्टी–वार विवरण की अनुपलब्धता और पुनर्बीमा प्राप्त/देय राशि की आयु के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखा जाता है।

vii) लेखांकन सॉफ्टवेयर की दक्षता और पुनर्बीमाकर्ताओं को समय पर डेबिट सलाह देने के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखा जाता है।

viii) फसल से संबंधित प्रीमियम के लेखांकन और पॉलिसियों के जारी करने में देरी देखी गई है।

ix) बीमा दावों की बुकिंग एवं प्रक्रिया में देरी देखी गई।

x) कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में पट्टा व्यवस्था के नवीकरण के लिए निगरानी की अपर्याप्त प्रणाली।

xi) ईटास (ETASS) और इनलियास (INLIAS) के अनुसार सहबीमा शेष के मिलान की प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि इनका समय पर मिलान नहीं हो पा रहा है।

coinsurers, reinsurers, reinsurance brokers, inter office accounts are pending and are in various stages of reconciliation/adjustments.;

ii) Inadequate controls are observed with regard to Invoice wise reconciliation of ITC available in the books of the company versus ITC available in GSTR 2A/2B. Wrongful/delayed claims of Input GST, Non monitoring of various demands notices/Show cause notices issued by authorities.

iii) Delay in surrender of various Tax deduction account numbers pertaining to closed Divisional offices/branches including merger of their accounts with Regional offices.

iv) Reconciliation of the physical counts of the assets with fixed assets register or manual inventory records needs to be strengthened. Delay in capitalization of assets including physical verification thereof at periodical interval.

v) Inadequate coverage by Internal Audit Department of the Company in respect of various segments of business including reinsurance and health- related claims processed by TPAs

vi) Inadequate controls are observed with regards to non-availability of system generated party wise details and ageing of Reinsurance receivables/ payables.

vii) Inadequate controls are observed in respect of the efficiency of accounting software and timely raising of debit advice to Reinsurers.

viii) Delays in accounting of crop related premiums and the issue of policies were observed.

ix) Delays observed in booking & processing of Insurance claims.

x) Inadequate system of monitoring for renewal of lease arrangements at various offices of the company.

xi) The system of reconciliation of coinsurances balances as per ETASS and INLIAS needs to be strengthened as these are not getting reconciled with huge differences.

xii) Process of Identification and resolution of missing title deeds needs improvement. The company has few immovable properties for which

xii) लापता मूल हक विलेखों की पहचान और समाधान की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। कंपनी के पास कुछ ऐसी अचल संपत्तियां हैं जिनके मूल हक विलेख या तो रिकॉर्ड में नहीं है या पंजीकरण प्राधिकरणों में लंबित हैं।

xiii) हमारे द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उठाए गए प्रश्नों को बंद करने में देरी देखी और प्रश्नों को जोखिम मैट्रिक्स यानी उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम में वर्गीकृत नहीं किया गया।

'महत्वपूर्ण कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय क्षेत्र में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है जैसे कि एक उचित संभावना है कि समूह के वित्तीय विवरण की तथ्यात्मक गलत बयानी को रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, समूह(समूओं) ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तिय नियंत्रण 31 मार्च 2024 को प्रभाव ढंग से काम कर रहे थे, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड 143(10) के तहत निर्दिष्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार, समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भी लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, राजस्व खाते तथा समाप्त हो रहे वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते (कैश फ्लो स्टेटमेंट), और वित्तीय विवरणों पर नोट्स जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमने समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमी पर विचार किया है और उपरोक्त पैराग्राफ ''योग्य राय'' में बताई गई भौतिक कमी (प) ने समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय व्यक्त की है। 31 मार्च, 2024 को राजस्व खातों, लाभ और हानि खाते, और रिजर्व और अधिशेष पर उपरोक्त की पुष्टि/मिलान

either title deeds are not on record or registration with authorities is pending.

xiii) Delays in closure of the queries raised by the Internal Audit Department observed by us and also queries not classified into Risk Matrix i.e. High Risk, Medium Risk and Low Risk.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of 31 March, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, the standalone financial statements of Company, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account (Cash Flow Statement) for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Company, and the material weakness stated in paragraph (i) above of "Qualified opinion" has affected our opinion on the standalone financial statements of the Company and we have expressed a qualified opinion on the

पर समायोजन का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है और उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

vU; ekeys

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 25 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 कॉरपोरेट व्यवसाय कार्यालयों, 1 ओएसटीसी, एक रन ऑफ, एक विदेशी शाखा और दो विदेशी एजेंसियों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक 25,36,59,25 हजार रूपए की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,87,94,13,32 हजार रूपए की कुल राजस्व दर्शायी है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है।

कार्यालयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/सीबीओ/ओएसटीसी/विदेशी शाखा/विदेशी एजेंसी कार्यालयों (एक विदेशी रन ऑफ प्रभागीय कार्यालय को छोड़कर) के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक इन क्षे.का./सीबीओ/आएसटीसी/विदेशी शाखा/एजेंसी कार्यालयों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे क्षे.का./सीबीओ/ओएसटीसी/विदेशी शाखा/विदेशी एजेंसियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

Standalone Financial Statements. The consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of above on revenue accounts, profit and loss account, and reserves and surplus as on 31" March 2024, is not ascertainable and cannot be commented upon.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of 25 Regional Offices, 8 Corporate business offices, 1 OSTC, one run off, one foreign Branch and Two foreign agencies, included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 25,36,59,25 thousand as at 31st March, 2024 and total revenue of Rs. 1,87,94,13,32 thousand for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements.

The internal financial controls over financial reporting of the offices have been audited by the auditors of respective Regional offices/CBO/OSTC/Foreign Branch/Foreign Agency offices (except, one foreign run off divisional office), whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the internal financial controls in respect of these RO/CBO/OSTC/Foreign branch/Agency offices, is based solely on the report of such RO/CBO/OSTC/foreign branch/foreign agencies auditors.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन/

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2024

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTS
FRN No. 008744N

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCU4555

CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN : 24081085BKATUR8305

Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

Lor= y[kkijh{kd dh fjikV dk ifjf'k"V&lh

foÙkh; o"kZ 2023&24 ¼LVSaMvyksu foRrh; foojf.k;k½

foÙkh; o"kZ 2023&24 dh fy, dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh [kaM 143¼5½ ds rgr lkfof/kd y[kk ijh{kdksa dk tkjh mi&funs'kksa ds mRrj

ANNEXURE-C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under section 143 {5) of the Companies Act, 2013 Financial Year 2023-2024

Ø-l- S. No.	tkjh fn'kkfunsZ'k@Directions issued	tokc@Replies
1.	क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली से बाहर खातों की अखंडता पर लेखांकन लेनदेन के वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, बताएं। Whether the Company has system in place to process all the accounting transaction through IT? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implication, if any, may be stated.	सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। हालांकि निवेश (एसएपी) से संबंधित लेनदेन, पुनः बीमा खाते (यूएनआईएक्स) और विदेशी कार्यालयों से संबंधित लेनदेन के साथ एकीकृत नहीं हैं। केंद्रीय आईटी प्रणाली यानी, इनलियास (एकीकृत गैर–जीवन बीमा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर) के साथ एकीकृत नहीं है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न उपरोक्त कार्यालयों के ट्रायल बैलेंस का समेकन एक्सेल शीट में किया जाता है। All accounting transactions are processed through IT systems. However, the transaction pertaining to Investment (SAP), Re-Insurance Accounts (UNIX) and Foreign Offices (Customized Software) are not integrated with the central IT system i.e., INLIAS (Integrated Non-Life Insurance Application Software). Consolidation of aforesaid offices trial balances generated by respective software is done in excel sheet for preparation of financial statements.
2.	ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणध्ऋणध्ब्याज आदि की माफी/अस्वीकृत करने या विद्यमान ऋण को पुनः गठन के कोई मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों की उचित रूप से गणना की जाती है? (यदि किसी मामले में, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक परीक्षक पर भी लागू होती है) Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for* (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company.	A. वर्तमान वर्ष के दौरान ऋण/ऋण/ब्याज के संबंध में वसूली योग्य राशि में 20 लाख रूपए की छूट है। There is a waiver of Rs. 20 lakhs, the amount recoverable in respect of the debts/loan/interest during the current year. B. हालांकि, वर्तमान वर्ष के दौरान, 19 मामलों में, कंपनी के इक्विटी के निवेश में हानि हुई है और एनसीएलटी आदेश (2 मामले) और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 9.84 करोड़ रूपए बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। However, during the current year, in 19 cases, the company has impaired the investment in Equity and Rs 9.84 Crores has been written off in accordance with the NCLT order (2 cases) and Accounting Policy of the Company (17 cases). C. सी. ऊपर बी में उल्लिखित मामलों का कंपनी के बहीखातों में उचित तरीके से लेखा–जोखा रखा गया है। Cases mentioned in B above have been properly accounted in the books of Accounts of the Company.

3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य राशि की गणना/उपयोग इसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार है? विचलन के मामलों की सूची दें। Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से होल्डिंग कंपनी को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। सब्सिडी के संबंध सरकार से वसूली योग्य राशि का लेखा–जोखा तब किया जाता है जब वह राशि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केंद्र सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त होती है तथा वे इसका उपयोग वे विशिष्ट योजना के दिशानिर्देश के अनुसार करते हैं। इसमें विचलन का कोई मामला नहीं हैं। During the year, no subsidy from Central Government or State Government was received. Amount recoverable from government in respect of Subsidy is accounted for as and when received from Central government / State Government by the Regional Offices which they utilize it as per guidelines of the specific scheme. There are no cases of deviation.
4	कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 1432(5) के अंतर्गत कंपनी के पूरक लेखा जोखा का कार्य सौंपे गए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी कोई अतिरिक्त कंपनी/क्षेत्र विशिष्ट निर्देश Any additional Company / Sector specific directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Field office entrusted with the supplementary audit of the company.	महानिदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग और कॉरपोरेट मामले) नई दिल्ली के कार्यालय से कंपनी के पूरक लेखा–जोखा का कार्य सौंपे गए वरिष्ठ लेखा–जोखा अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2024 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143(5) के अंतर्गत अतिरिक्त निर्देश जारी किए। Senior Audit Officer entrusted with the supplementary audit of the company from the office of Director General of Audit (Industry and Corporate Affairs), New Delhi vide their letter dated 10th April 2024 issued additional direction u/s 143 (5) of the Companies Act 2013.

Lor= y[kkijh{kd dh fjikVZ dk ifjf'k"V&lh

foÙkh; o"kZ 2023&24 d fy, diuh vf/kfu;e] 2013 d [kM 143¼5½ d vrxZr lkfof/kd y[kk ijh{kdksa dk funsZ'k tkjh fd;s x;s mi funsZ'kksa d mÙkj

ANNEXURE-C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Replies to the Directions issued to Statutory Auditors under section 143 {5) of the Companies Act, 2013 Financial Year 2023-2024

Ø- l- S. No.	tkjh fd, x, mi fn'kkfunsZ'k Sub–Directions issued	tokc Replies
1.	सीजीएस/एसजीएस/बांड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के मूल हक विलेखों की संख्या, भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध, ऐसे मामलों की संख्या जो कंपनी के बहीखातों में दर्शायी गई संबद्ध राशियों के अनुरूप नहीं है, उनकी जांच की जाए तथा कोई मतभेद पाए जाने पर यथोचित रूप से इसकी रिपोर्ट की जाए। Number of titles of ownership a in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc available in physical/ demat form out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	ए) होल्डिंग कंपनी के बहीखाते में नोट किया गया है तथा इक्विटी और प्राधिमानता शेयरों के संबंध में अभिरक्षक (एसएचसीआईएल) प्रमाण पत्र निम्नानुसार हैं: 1) कंपनी के बही–खातों में अधिकता रु.2 के बहीखाते के इक्विटी शेयर 2 स्क्रिप्स 2) कंपनी के बहीखातों में कमी (i) इक्विटी शेयर 25 केस, बुक वैल्यू 25 रु (ii) 16 रुपये के बहीखाते के अधिमानित शेयर के 16 मामले बी) सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं। a) Difference has been noted in the Company's books Accounts the custodian's (SHCIL) certificate in respect of equity and Preference shares which are as under:- 1) Excess in Company's Books - Equity Shares 2 Scrips of Book Value Rs2 2) Short in Company's Books (i) Equity Shares 25 cases Book Value Rs 25 (ii) Preference Shares 16 cases of Book Value of Rs16 b) No discrepancies observed in respect of CGS/SGS/Bond/ Debenture etc.

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>क्या निवेश नीति विद्यमान है और निवेश क्षेत्रों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रणाली शामिल है और क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित की गई है?

यदि हाँ, तो सीमा का अनुपालन किया गया?

यदि नहीं, तो उसका विवरण दें।

Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.</td>
<td>चूंकि, इक्विटी स्टॉप लॉस नीति वित्त वर्ष 2022–23 के लिए होल्डिंग कंपनी की निवेश नीति के एक हिस्से के रूप में पेश की गई थी। स्टॉप लॉस सीमाएं 01.04.2022 के बाद की गई निवेश खरीद के संबंध में लागू की जाएंगी, जो दी गई तालिका में दिए गए अनुसार उपरोक्त नीति के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत आती हैं।

Since, the Equity Stop Loss Policy was introduced as a part of the Investment Policy for F.Y 2022-23 The Stop loss limits is applicable in respect of the investment purchases made w.e.f 01.04.2022 onwards, which fall under the limits specified as per the aforesaid policy as provided in the given table along with number of stocks.
<table>
<tr><th></th><th>ट्रिगर स्तर 1(झ=10% और ढ20%)
Trigger level 1(>=10% and <20%)</th><th>ट्रिगर स्तर 2(झ=20% और ढ35%)
Trigger level 2(>=20% and <35%)</th><th>ट्रिगर स्तर 3(झ=35%
Trigger level 3(>=35%)</th></tr>
<tr><td>स्टॉक की संख्या
No. of Stocks</td><td>2</td><td>2</td><td>शून्य / NIL</td></tr>
</table>
कंपनी द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस नीति सीमा का कंपनी के निवेश विभाग द्वारा पालन किया गया है।

Stop loss policy limit prescribed by the Company has been adhered to by the Investment operation department of the Company.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>क्या कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में परिलक्षित अंतः कंपनी शेष राशियों के लिए अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ मिलान किया है? तथा क्या बकाया राशि के लिए अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त कर ली है?

Whether Company has carried out reconciliation exercise for intercompany balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them?</td>
<td>lgchek [kM

Co-insurance Section

हाँ, कुछ मामलों में कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में परिलक्षित अंतर के लिए शेष अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ मिलान की प्रक्रिया की है। कंपनी के क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों ने अन्य बीमा कंपनी द्वारा पुष्टिध्अपुष्ट शेष की स्थिति को प्रमाणित किया है। सह बीमा शेष के लिए पुष्टिध्अपुष्टि शेष राशि की संकलित विवरण परिशिष्ट सी 1 में दिया गया है।

Yes in some cases, Company has carried outreconciliation exercise of Co insurances balances for inter-company balances, reflected in their financial statements with other PSU insurers. Regional auditors of the Company have certified the status of the Balances confirmed/ unconfirmed by the other Insurance company. Complied statement of Balance confirmed / unconfirmed for Co-insurances balances are given in Annexure C-1</td>
</tr>
</table>

		iuchek [kM ए) जीआईसी रे के साथ आतंकवाद पूल और परमाणु पूल के मामले में, इन पूलों के अंतर्गत लेखांकन कंपनी की वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप देने तक जीआईसी री से प्राप्त लेखा विवरणियों के आधार पर किया गया है। आतंकवाद और परमाणु पूल के संबंध में पुनर्बीमा खंड में रुपये 1864.94 करोड़ और 70. 40 करोड़ रुपये क्रमशः दिखाई दे रहे हैं, जो जीआईसी री से प्राप्त पुष्टि पर आधारित हैं। बी) पुनर्बीमा खंड की वित्तीय पुस्तकों के अनुसार, ब्रोकर्स और पुनर्बीमाकर्ता से 1191.11 करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं। इसमें से 150. 63 करोड़ रुपये की पुष्टि हो गयी। 104.0.48 करोड़ रु. की शेष राशि के लिए हमाने पास कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ग) इसके अलावा, पुनर्बीमा खंड की वित्तीय पुस्तकों के अनुसार रु. 566.74 करोड़ अन्य बीमा कंपनी को देय है जिसके लिए पुष्टध्अपुष्ट का कोई विभाजन हमारी जांच हेतु हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त बी और सी में बताई शेष पुष्टि ६ अपुष्ट राशि के पर्याप्त विवरण के अभाव में, हम पुनर्बीमा खंड की पुष्टि ६ अपुष्ट शेष राशि पर कोई टिप्पणी देने में असमर्थ हैं। तथापि, हमने इस संबंध में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पहले ही अपनी संशोधित राय जारी कर दी है। **Re-Insurance Section** a) In case of Terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re, accounting under these pools has been done based on the Statements of Accounts received from GIC Re till the finalization of financial statements of the Company. Debit balance of Rs. 1864.94 Crore and Rs. 70.40 Crore is appearing in Re- insurance Section in respect of Terrorism and Nuclear Pool respectively, which is based Confirmation received from GIC Re. b) As per financial books of Re-insurance section, Rs. 1191.11 Crore is receivable from Brokers and Reinsurer. Out of this ,Confirmation for Rs 150.63 Crore is available and there is no confirmation available for remaining amount of Rs1040.48 Crore to us. c) Further, as per the financial books of Re-insurance section, Rs 564.74 crore is payable to other insurance company for which no bifurcation of confirmed/unconfirmed balances was made available to us for verification. In absence of adequate details of balances confirmed / un-confirmed of amount disclosed in b and c above, we are unable to offer any comment on the confirmed /un-confirmed balances of Re-insurance section. However, we have already issued our modified opinion in our Audit report with regards to this matter.

4	क्या कंपनी के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया है? Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the company has been availed within prescribed time limits.	ए) 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास 168.45 करोड़ रूपए की जीएसटी इनपुट क्रेडिट है, जिसका दावा 31 मार्च 2024 तक जीएसटी रिटर्न में नहीं किया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, 2बी बनाम 3बी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद कंपनी द्वारा 31 अक्तूबर 2024 तक पात्र आईटीसी का दावा किया जाएगा। (अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 25 का संदर्भ लें) बी) कंपनी महीने दर महीने उपलब्ध वास्तविक चालान के आधार पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठा रही है। कुछ कार्यालयों में जीएसटी आर–2बी के साथ चालान वार सामंजस्य एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जबकि कुछ कार्यालयों में इसे मेन्युअल रूप से किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने में देरी होती है। लंबित सुलह के कारण कुछ चालानों पर इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है और प्रबंधन का मानना है कि 2023–24 के दौरान उठाए गए चालान के लिए 30 अक्तूबर 2024 तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। सी) उपरोक्त के पद्देनजर जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में प्रथम दृष्टया देरी हो रही है, हालांकि इसे मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी का संपूर्ण अनुपालन क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विकेंद्रीकृत है। a) As at 31st March 2024, the company has unclaimed GST Input credit for Rs. 168.45 Crore which has not been claimed in GST return till March 31, 2024. As explained to us, eligible ITC shall be claimed by the Company till 31st October 2024 after reconciliation with 2B Vs 3B. (Refer note no B 25 of schedule 16) b) Company is availing GST input credit based on actual invoices available on a month on month basis. Invoice wise reconciliation with GSTR-2B is carried out through a system in some of the offices whereas in some of the offices the same are carried out manually resulting in delay in availing GST input credit. Input credit is not claimed on certain invoices due to pending reconciliation and management is of the opinion that the same can be availed by 30th Oct 2024 for invoice raised during 2023-24. c) In view of above there is prima facie delay in availment of input tax credit as available in GST portal, However the same cannot be quantified as the entire compliance of GST is decentralized at Regional office level.
5.	क्या लेखाध्एमआईएस या अन्य तंत्र की पर्याप्तता के बारे में रिपोटिंग की जाती है जिसके द्वारा संधि–वार या वैकल्पिक व्यवस्था–वार प्रदर्शन (प्रीमियम सौंपे गए/स्वीकृत, उस पर दावे और कमीशन दृ मध्यस्थों/हस्तांतरकों को सभी पुरस्कार और पारिश्रमिक सहित) का मूल्यांकन पुनर्बीमा परिचालन में लगे सभी विभिन्न खंडों, भौगोलिक क्षेत्रों और विभागों में किया जाता है।	कंपनी के पास बोड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा और प्रतिधारण नीति है जिसके आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम को भी कंपनी के बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है और उसके बाद उसे पुनर्बीमा विनियमों के अनुपालन के लिए आईआरडीएआई को प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम को इनलियास लाइव सिस्टम के पुनर्बीमा मॉडयूल में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक जोखिम की अंडरराइटिंग आरआई

	Whether reporting as to the adequacy of accounting/MIS or other mechanism by which treaty-wise or facultative arrangement-wise performance (premium ceded/accepted, claims thereon and commission-including all rewards and remuneration to intermediaries/cedants) is assessed in all different segment, geographies and departments engaged in reinsurance operations.	सेटअप के अनुसा की जाती है और स्वचालित क्षमताओं से परे जोखिमों को वैकल्पिक रूप से रखा जाता है। जीयूसी विभाग बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरआई कार्यक्रम के अनुसार संपूर्ण आनुपातिक अंडराइटिंग करता है। गैर–आनुपातिक हानि की अधिकता संधियॉं कंपनी के शुद्ध खाते की रक्षा करती हैं और आवश्यकतानुसार वसूली की जाती है। इनलियास में प्रीमियम, कमीशन, भुगतान किए गए दावों और बकाया दावों का लेखा–जोखा अनुमोदित आरआई कार्यक्रम पर आधारित है। The Company has a Board approved Reinsurance and Retention Policy based on which the Reinsurance Programme is designed before the commencement of every financial year. The final reinsurance programme is also put up to the company's board for approval and subsequent to which the same is submitted to IRDAI for compliance of reinsurance regulations. The board approved reinsurance programme is entered in the reinsurance module of INLIAS live system. The underwriting of each and every risk is done as per the RI setup and the risks beyond the automatic capacities are facultatively placed. The GUC Deptt. does the entire proportional underwriting as per the board approved RI programme. The non-proportional excess of loss treaties protect the company's net account and recoveries are being done as per requirement. The accounting of premium, commission, paid claims and outstanding claims in the INLIAS based on the approved RI program

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन/

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई 2024

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTS
FRN No. 008744N

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N

CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCU4555

CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN : 24081085BKATUR8305

Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

		Re-Insurance Section a) In case of Terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re, accounting under these pools has been done based on the Statements of Accounts received from GIC Re till the finalization of financial statements of the Company. Debit balance of Rs. 1864.94 Crore and Rs. 70.40 Crore is appearing in Re- insurance Section in respect of Terrorism and Nuclear Pool respectively, which is based Confirmation received from GIC Re. b) As per financial books of Re-insurance section, Rs. 1191.11 Crore is receivable from Brokers and Reinsurer. Out of this ,Confirmation for Rs 150.63 Crore is available and there is no confirmation available for remaining amount of Rs1040.48 Crore to us . c) Further, as per the financial books of Re-insurance section, Rs 564.74 crore is payable to other insurance company for which no bifurcation of confirmed/unconfirmed balances was made available to us for verification. In absence of adequate details of balances confirmed / un-confirmed of amount disclosed in b and c above, we are unable to offer any comment on the confirmed /un-confirmed balances of Re-insurance section. However, we have already issued our modified opinion in our Audit report with regards to this matter.
4	Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the company has been availed within prescribed time limits.	a) As at 31st March 2024, the company has unclaimed GST Input credit for Rs. 168.45 Crore which has not been claimed in GST return till March 31, 2024. As explained to us, eligible ITC shall be claimed by the Company till 31st October 2024 after reconciliation with 2B Vs 3B. (Refer note no B 25 of schedule 16) b) Company is availing GST input credit based on actual invoices available on a month on month basis. Invoice wise reconciliation with GSTR-2B is carried out through a system in some of the offices whereas in some of the offices the same are carried out manually resulting in delay in availing GST input credit. Input credit is not claimed on certain invoices due to pending reconciliation and management is of the opinion that the same can be availed by 30th Oct 2024 for invoice raised during 2023-24. c) In view of above there is prima facie delay in availment of input tax credit as available in GST portal, However the same cannot be quantified as the entire compliance of GST is decentralized at Regional office level.

5.	Whether reporting as to the adequacy of accounting/MIS or other mechanism by which treaty-wise or facultative arrangement-wise performance (premium ceded/ accepted, claims thereon and commission-including all rewards and remuneration to intermediaries/ cedants) is assessed in all different segment, geographies and departments engaged in reinsurance operations.	The Company has a Board approved Reinsurance and Retention Policy based on which the Reinsurance Programme is designed before the commencement of every financial year. The final reinsurance programme is also put up to the company's board for approval and subsequent to which the same is submitted to IRDAI for compliance of reinsurance regulations. The board approved reinsurance programme is entered in the reinsurance module of INLIAS live system. The underwriting of each and every risk is done as per the RI setup and the risks beyond the automatic capacities are facultatively placed. The GUC Deptt. does the entire proportional underwriting as per the board approved RI programme. The non-proportional excess of loss treaties protect the company's net account and recoveries are being done as per requirement. The accounting of premium, commission, paid claims and outstanding claims in the INLIAS based on the approved RI program

For G.S. Mathur & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN No. 008744N

CA Rajiv Kumar Wadhawan

PARTNER

Membership No. 091007

UDIN : 24091007BKCFCU4555

For Raj Har Gopal & Co.

CHARTERED ACCOUNTS

FRN No. 0002074N

CA Gopal Krishan

PARTNER

Membership No. 081085

UDIN : 24081085BKATUR8305

Place : NEW DELHI

Dated : 27th May 2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-II/12(1)/वार्षिक लेखापरीक्षा (2023-24)/ओआईसीएल/(2024-25)/229-230

दिनांक: 23 SEP 2024

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड,
टावर 4, प्लेट ए, एनबीसीसी बिल्डिंग,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110 023

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,
एस. आ. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act, based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Profitability

A.1 Balance Sheet

Current Liabilities (Schedule 13)	**: ₹25,039.13 crore**
Net Claims Incurred (Schedule 2)	**: ₹15,719.62 crore**
Net claims outstanding at the end current year (Misc.)	**: ₹18,020.58 crore**

As per the Accounting Policy No. 6 (d) of the company net IBNR/ IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves. Review of the conversion of gross IBNR to ceded/net IBNR/IBNER revealed that:

(i) The company has booked gross IBNR/IBNER in Motor TP (non-pool) line of business of ₹7,169.19 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹501.84 crore and ₹6,667.35 crore instead of ₹690.20 crore and ₹6,478.99 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 6 (d) of the company.

(ii) The company has booked gross IBNR/IBNER in crop line of business amounting to ₹317.03 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹12.68 crore and ₹304.35 crore instead of ₹46.18 crore and ₹270.85 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 6 (d) of the company.

This has resulted in overstatement of current liabilities, claims incurred (net) and understatement of profit for the year by ₹221.86 crore (₹188.36 crore[1] *plus* ₹33.50 crore[2]).

No Corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.3 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 & 2022-23.

A.2 Balance Sheet

Provision (Schedule 14)	**: ₹8,896.35 crore**
Reserve for Unexpired Risk	**: ₹7,357.63 crore**

The above includes ₹458.65 crore being the Unearned Premium Reserve (UPR) created for the premium received in 2023-24 against the policies issued for the year(s), prior to 2023-24 (i.e., up to 2022-23) and risks for which have already been expired during 2023-24.

IRDA circular dated 03.07.2013 and IRDA circular dated 04.04.2016 stipulate that in preparing financial statements, Unexpired Risk Reserve/Reserve for Unexpired Risk (RUR) shall be the amount representing that part of premium written which is attributable to and to be allocated to the succeeding accounting periods. Accordingly, Accounting Policy No. 5.3, *inter alia*, stipulates that RUR represents the net premium attributable to succeeding accounting year(s).

However, in respect of cases pointed out by audit, policy period has already expired up to 2023-24, thus no UPR should have been created against these policies.

[1] ₹6,667.35 crore *minus* ₹6,478.99 crore

[2] ₹304.85 crore *minus* ₹270.85 crore

Creation of UPR on the policies, risks for which have already been expired up to 31 March 2024 has resulted in overstatement of Reserves for unexpired risk and understatement of Profit for the year by ₹458.65 crore each.

Further, Note no. 24, *inter alia*, states that during the year premium received against the policy *whose risk expired on or before the year* end has been recognized as premium income of the company. However, there were cases of risks corresponding to net premium booked for ₹917.30 crore (having RUR impact of ₹458.65 crore as aforesaid) where entire premium was not treated as premium income of the company as RUR was made on such premium. Hence, the Note no. 24 is deficient to that extent.

No corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.1 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 and 2022-23.

A.3 Balance Sheet

Provision (Schedule 14)	**: ₹8,896.35 crore**
Reserve for Unexpired Risk	**: ₹7,357.63 crore**
Miscellaneous Insurance Revenue Account	
Total premium Earned (Net)	**: ₹14,904.29 crore**
Premium from direct business	**: ₹16,612.46 crore**

(i) As per Accounting Policy No. 5.1 read with Accounting Policy No. 5.3 framed in consonance with IRDA circulars dated 03.07.2013 and dated 04.04.2016, premium is required to be booked in the year of assumption of risk and Reserve for Unexpired Risk (RUR) is to be created for premium attributable to succeeding accounting year(s).

The company underwrote business in 12 Districts under 3 clusters (II, IV & IX) in Dr. YSR free Crop Insurance under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana floated by AP State Agriculture Department for Rabi 2023-34 season under 80:110 Model. In line with commitment as per bid documents, State Govt. shared (30 March 2024) the confirmation of premium data (e-crop data) providing gross premium details of ₹140.96 crore. However, out of the total risk assumed by the company under aforesaid 3 clusters corresponding to total premium of ₹140.96 crore, the company booked a premium of ₹41.86 crore only in r/o two clusters only viz. Cluster IV & IX leading to short-booking of gross premium to the tune of ₹99.10 crore (₹140.96 crore *less* ₹ 41.86 crore) and net premium of ₹95.14 crore (after applicable cession of four *per cent* of gross premium). Consequently, the corresponding RUR has also not been booked.

This has resulted in understatement of Premium from direct business by ₹99.10 crore and Premium Earned (Net) by ₹95.14 crore (after applicable cession of 4 *per cent* of gross premium). This has also resulted in understatement of RUR and understatement of profit for the year by ₹47.57 crore each.

(ii) The above includes an amount of ₹816.04 crore being premium for risk assumed during the previous year but have been booked as Premium income by the company. As per Accounting Policy No. 5.1, premium are recorded, net of reinsurance, based on the assumption of risks in each related revenue account.

In certain cases, the company has booked premium on the basis of actual receipt/due date basis instead of risk assumption basis in violation of its Accounting Policy No. 5.1. Resultantly, an amount of ₹816.04 crore (SBI GPA-₹538.97 crore, Ayushman Bharat-₹240.10 crore & Medisep- ₹36.97 crore) was booked as premium income of current year despite of the fact that risk was incepted and assumed during previous year 2022-23 requiring booking of premium in previous year itself instead of current year as per Accounting Policy No. 5.1.

Thus, booking of premium on actual receipt basis is also not in line with Accounting Policy No. 5.1 read with Accounting Policy No. 1: 'Accounting Convention', *inter alia*, stipulates that the Financial Statement are drawn up on accrual basis comply with the accounting standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013.

Non-adherence to the Accounting Policy No. 5.1 as above has resulted in overstatement of 'Premium from direct business by ₹816.04 crore. This has also resulted in overstatement of 'Net Premium' and profit for the year 2023-24 by ₹525 crore[3].

A.4 Balance Sheet

Net Claims Incurred (Schedule 2)	**: ₹15,719.62 crore**
Claims Outstanding at the end of current year (Direct)	**: ₹23,852.55 crore**
Claims Outstanding at the end of current year (Misc.)	**: ₹20,191.91 crore**

The above does not include an amount of ₹8.85 crore being outstanding claims in respect of seven incoming Group Mediclaim Policies which were intimated to the Company till 31 March 2024.

[3] Ayushman Bharat (₹240.10 crore) + Medisep (₹36.97 crore) + SBI GPA (₹247.93 crore i.e., 46% * ₹538.97 crore)

This has resulted in understatement of Claims outstanding at the end of current year and overstatement of profit by ₹8.85 crore each.

B Comments on Financial Position

B.1 Balance Sheet

Current Liabilities (Schedule 13)	**: ₹25,039.13 crore**
Net Claims Incurred (Schedule 2)	**: ₹15,719.62 crore**
Claims Outstanding at the end of current year (Direct)	**: ₹23,852.55 crore**

The above represents claims outstanding at year end amounting to ₹14,727.95 crore (₹2,749.37 crore in Fire, ₹810.15 crore in Marine & ₹11,168.43 crore in Misc Segment) and ₹9,124.60 crore towards IBNR/IBNER (₹38.88 crore in Fire, ₹62.24 crore in Marine & ₹9,023.48 crore in Misc Segment) in respect of direct business.

The company, however, has booked claim liability for ₹19,672 crore only in Current Liabilities (Schedule 13) after netting off Reinsurance (RI) adjustments instead of booking RI recovery separately in Schedule 12. This was not in order considering that direct business and reinsurance cession are separate business being governed by different contracts and applicable laws & regulations and having altogether different parties and clear time lag in payment to insured(s) and recovery/settlement thereof from re-insured(s). Also, this was not in line with the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 providing separate line item for recovery from other insurance companies (including reinsurers) at point no 5 in Schedule 12 of the format prescribed in the regulation.

This has resulted in understatement of Current Liabilities (Schedule 13) and Advances & other Assets (Schedule 12) by ₹4,180.55 crore each with resultant impact of incorrect depiction of 'Liquid Assets to Liabilities Ratio' in Note No. 16.14 as 0.17.

B.2 Balance Sheet

Schedule 8: Investment –Shareholders	**: ₹ (5,244.69) crore**
Schedule 8A: Investment- Policyholders	**: ₹34,045.84crore**
Fair value change account:	
Shareholders	**: ₹ (1,615.65) crore**
Policyholders	**: ₹10,487.99crore**

Section 11(2) of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 mandates that every insurer shall keep separate funds of shareholders and policyholders. In this regard, a reference is invited to IRDAI's circular dated 4th April 2016 on IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 which at para 1(iii) stipulates that

"*Investment made out of the policyholders funds shall be shown in separate Schedule 8A and fair value change account as appears in the Balance Sheet shall accordingly be bifurcated under the shareholders and policyholders funds. Further, the component of policy holder fund and shareholders' fund are also defined.* Para 2 of said circular on Recoupment of the Deficit stipulates that *"Every Insurer shall ensure that the policyholders' fund as defined in 1 (iii) above, are fully supported by the policyholders' investments shown in Schedule-8A. Therefore, any deficit / shortfall in policyholders' investments arising out of the loss in the Revenue Account or otherwise shall be recouped by transfer of securities from the shareholders' investments to the policyholders' investments on a half yearly basis. The valuation of such securities shall be in accordance* with *the valuation norms as specified in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report) Regulations, 2002".*

In compliance to the above circular, the Company has been bifurcating the total Investment and Fair Value Change Account of the Company between the shareholders and policyholders based on the ratio of the *shareholders' and policyholders' funds* derived based on above stated circular. Due to net worth of the Company being negative for FY 2023-24, shareholders' fund has negative balance of ₹3,831.18 crore and policyholders' fund has balance of ₹24,875.31 crore and resultantly, ratio for bifurcation of investment between shareholder and policyholder comes out to (-) 18.21% and 118.21% respectively.

In view of the above, total investment of the Company amounting to ₹28,801.15 crore as on 31 March 2024 was bifurcated between shareholder and policyholder as ₹(5,244.69) crore and ₹34,045.84 crore respectively. Due to this, shareholders' Investment is shown as negative investment and policyholder' Investment is shown at an amount greater than the total investment of the Company. Resultantly, Investment for shareholder (Schedule-8) and policyholder (Schedule-8A) are understated and overstated to the extent of ₹5,244.69 crore respectively. Also, Fair Value Change Account in respect of shareholder and policyholder is also understated and overstated to the extent of ₹1,615.65 crore respectively. It is also pertinent to note that owing to policyholders' fund being greater than even total investment as on 31.03.2024, the Fair Value Change Account of the policyholders' Fund is showing the figure of unrealized gains even greater than unrealized gains of entire investment portfolio of the company.

Despite the issue being addressed through Management Letter during Supplementary Audit for the year 2022-23, no compliance has been made by the Company.

B.3 Balance Sheet

Schedule 8A: Investments (Policyholders)	**: ₹34,045.84 crore**
Long Term Investments: 3 e (ii) - Long Term FDs	**: Nil**
Current Liabilities (Schedule 13)	
Sundry Creditors	**: ₹3,555.99 crore**
Unclaimed amount of Policyholders	**: ₹ 209 crore**
Interest Accrued on Unclaimed amount of Policyholders:	**Nil**

The Company earned accrued Interest of ₹4.18 crore on deposits made out of unclaimed amounts of policyholders of during the year 2023-24. However, the same has been merged with unclaimed amounts of policy holders shown under current liabilities (schedule-13).

This has resulted in overstatement of unclaimed amount of policyholders and understatement of Accrued Interest on deposits of unclaimed amounts of policyholders by ₹4.18 crore.

B.4 Investments (Schedule 8)	**: ₹ (5,244.69 crore)**
Long Term Investments: 3 e (i) Long Term FDs	**: Nil**
Cash and Bank Balances (Schedule 11)	**: ₹2,825.72 crore**
Deposit Accounts - Short term (due within 12 months)	**: ₹2,257.07 crore**

Short Term Deposit Accounts (due within 12 months) under Bank Balances include Fixed Deposit of ₹358.11 crore pertaining to foreign office of the Company. Audit observed that fixed deposits amounting to ₹57.47 crore pertaining to Nepal office had maturity period of more than 12 months as on 31 March 2024 and therefore, should have been classified under Long Term Investments in Schedule 8 and 8A.

This has resulted in overstatement of 'Short Term Deposit Accounts' and 'Cash and Bank Balances outside India' by ₹57.47 crore. Further, 'long term FDs' and 'investments outside India' under Schedule 8 (Investment - Shareholder) are understated by (₹10.46 crore[4]) each and 'long term FDs' and 'investments outside India' under Schedule 8A (Investment - Policyholder) are understated by ₹67.93 crore each.

Similar observation was issued as Management Letter during Supplementary Audit of the company for the FY 2022-23, however, no corrective action was taken by the company.

[4] (Bifurcation of Total Investments between Policyholders Fund and Shareholders Fund is in the ratio of 118.21: (-18.21))

C Comments on Statutory Audit Report

Independent Auditor's Report on Financial Statements for the year ended 31 March 2024

In the 'Basis of Qualified Opinion' section of the Independent Auditor's Report, deficient accounting policy number A-10.6 on impairment of equity shares of the company has been qualified by the Statutory Auditors without disclosing the quantification of the financial effect of the same. The issue of deficient accounting policy along with its impact of ₹77.56 crore was highlighted by CAG of India, vide comment no. C1 & A3 during supplementary audit for the year 2019-20 & also the impact of non-recognition of impairment amounting to ₹173.53 crore was qualified by Statutory Auditors in their report on the financial statement of the Company for the year 2020-21. In this regard, Audit observed that though the deficiency of accounting policy as well as impairment in seven of the scrips were persisting having material effect of understatement of Fair Value Change Account and overstatement of profit for the year by ₹48.04 crore, which has not been highlighted by the Statutory Auditors in their report dated 27 May 2024.

Non-quantification of financial impact has resulted in non-compliance to Para 21 of the SA 705 (Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report) which stipulates that if there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements (including quantitative disclosures in the notes to the financial statements), the auditor shall include in the Basis for Opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement, unless impracticable. If it is not practicable to quantify the financial effects, the auditor shall so state in this section.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 23 SEP 2024

lh, th voykdu¼,l,Q,l½	çc/ku dk tokc
,- ykHkçnrk ij fVIif.k;k ,-1 r|yu i= or|eku n;rk,¡ ¼vu|lph 13½ % :-25]039-13 djkM fuoy nko ¼vu|lph 2½ % :-15]719-62 djkM or|eku o"k d vr e cdk;k fuoy nko ¼fofo/k½ % :-18]020-58 djkM कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 6 (डी) के अनुसार निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर की गणना सकल दावा आरक्षित निधियों में सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। सकल आईबीएनआर को अर्पित/निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर में रूपांतरण की समीक्षा से पता चला कि: (i) कंपनी ने बीमांकिक स्पष्टीकरण के अनुरूप मोटर टीपी (गैर–पूल) व्यवसाय में रू.7,169.19 करोड़ का सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर दर्ज किया है और उसे अर्पण आईबीएनआर/आईबीएनईआर में परिवर्तित किया है तथा कंपनी की लेखांकन पॉलिसी संख्या 6 (डी) के अनुसार क्रमशः रू.690.20 करोड़ और रू.6,478.99 करोड़ के स्थान पर निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर की राशि रू.501.84 करोड़ और रू.6,667.35 करोड़ है। (ii) कंपनी ने बीमांकिक स्पष्टीकरण के अनुरूप फसल क्षेत्र के व्यवसाय में 317.03 करोड़ रुपये की सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर दर्ज की है और उसे अर्पण आईबीएनआर/आईबीएनईआर में परिवर्तित कर दिया तथा कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 6 (डी) के अनुसार क्रमशः 46.18 करोड़ रुपये और 270.85 करोड़ रुपये के स्थान पर 12.68 करोड़ रुपये और 304.35 करोड़ रुपये की निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर राशि में परिवर्तित किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों, दावों (निवल) को अधिक दर्शाया गया है और वर्ष के लिए लाभ को रू.221.86 करोड़ (रू.188.36 करोड़ जमा रू.33.50 करोड़)कम दर्शाया गया है। इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या ए.3 के माध्यम से उपरोक्त मुद्दे को दर्शाया गया था।	वित्तीय विवरणों में देयता के बेहतर आकलन के लिए मोटर टीपी और फसल के लिए सकल आईबीएन (ई) आर को निवल आईबीएन (ई) आर में परिवर्तित करने के लिए विभेदक दृष्टिकोण को अपनाया गया था। प्रबंधन ने इस अवलोकन को नोट किया है, और आगे बढ़ते हुए, लेखांकन नीति के खंड 6 (डी) को मोटर टीपी और फसल व्यवसाय लाइनों के लिए सकल आईबीएन (ई) आर को नेट आईबीएन (ई) आर में परिवर्तित करने के लिए विभेदक उपचार को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

CAG Observations(SFS)	Management reply
A. Comments on Profitability **A.1 Balance Sheet** **Current Liabilities (Schedule 13) : ₹25,039.13 crore** **Net Claims Incurred (Schedule 2) : ₹15,719.62 crore** **Net claims outstanding at the end current year (Misc.) : ₹18,020.58 crore** As per the Accounting Policy No. 6 (d) of the company net IBNR/ IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves. Review of the conversion of gross IBNR to ceded/net IBNR/IBNER revealed that: (i) The company has booked gross IBNR/IBNER in Motor TP (non-pool) line of business of ₹7,169.19 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹501.84 crore and ₹6,667.35 crore instead of ₹690.20 crore and ₹6,478.99 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 6 (d) of the company. (ii) The company has booked gross IBNR/IBNER in crop line of business amounting to ₹317.03 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹12.68 crore and ₹304.35 crore instead of ₹46.18 crore and ₹270.85 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 6 (d) of the company. This has resulted in overstatement of current liabilities, claims incurred (net) and understatement of profit for the year by ₹221.86 crore (₹188.36 crore plus ₹33.50 crore). No Corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.3 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 & 2022-23.	The differential approach to converting Gross IBN(E)R to Net IBN(E)R for Motor TP and Crop was adopted for better reflection of liability in the financial statements. Management has noted this observation, and going forward, clause 6(d) of the accounting policy will be suitably amended to clearly outline the differential treatment for converting Gross IBN(E)R to Net IBN(E)R for the Motor TP and Crop lines of business.

,-2 lefdr r;yu i=	
çko/kku ¼vuqlwph 14½ % :-8]896-35 djksM	
vlekIr tkf[ke dk fy, vkjf{kr fuf/k % :-7]357-63 djksM	
उपरोक्त में रू.458.65 करोड़ शामिल हैं, जो 2023–24 से पहले (अर्थात 2022–23 तक) वर्ष के लिए जारी पॉलिसियों और 2023–24 के दौरान पहले ही समाप्त हो चुके जोखिमों के विरुद्ध 2023–24 में प्राप्त प्रीमियम के लिए तैयार किया गया अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) है।	
आईआरडीए के दिनांक 03.07.2013 के परिपत्र और आईआरडीए के दिनांक 04.04.2016 के परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय, असमाप्त जोखिम रिजर्व / असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व (आरयूआर) लिखित प्रीमियम के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि होगी जो बाद की लेखा अवधि के लिए देय है और आबंटित की जानी है। तदनुसार, लेखांकन नीति संख्या 5.3, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्धारित करती है कि आरयूआर आगामी लेखांकन वर्ष (वर्षों) के लिए देय निवल प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है।	कंपनी द्वारा किया गया यूपीआर प्रावधान आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीए / एफएंडए / सीआईआर / 49 / मार्च–09 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 के अनुरूप है, जिसका पिछले कई वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और यह क्रम में है।
हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों के संबंध में, पॉलिसी अवधि 2023–24 तक पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन पॉलिसियों के विरुद्ध कोई यूपीआर नहीं बनाया जाना चाहिए था।	तथापि, 1 / 365 पद्धति के तहत यूपीआर की गणना के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और यह अभी परीक्षण चरण में है।
उन पॉलिसियों पर यूपीआर के सृजन, जिनके जोखिम 31 मार्च 2024 तक पहले ही समाप्त हो चुके हैं, के परिणामस्वरूप असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व को अधिक दर्शाया गया है और वर्ष के लिए लाभ को 458.65 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है।	परीक्षण की जांच पूर्ण होने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा।
इसके अलावा, नोट संख्या 24 में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि वर्ष के दौरान पॉलिसी के विरुद्ध प्राप्त प्रीमियम जिसका जोखिम वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो गया है, को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, रू.917.30 करोड़ (पूर्वोक्त अनुसार रू.458.65 करोड़ का आरयूआर प्रभाव) के लिए बुक किए गए निवल प्रीमियम के अनुरूप जोखिम के मामले थे, जहां संपूर्ण प्रीमियम को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में नहीं माना गया क्योंकि ऐसे प्रीमियम पर आरयूआर बनाया गया था। इसलिए, मद संख्या 24 उस सीमा तक अपर्याप्त है।	
इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या ए.1 के माध्यम से उपरोक्त मुद्दे को उजागर किया गया था।	

A.2 Balance Sheet **Provision (Schedule 14) : ₹8,896.35 crore** **Reserve for Unexpired Risk : ₹7,357.63 crore** The above includes ₹458.65 crore being the Unearned P remium Reserve (UPR) created for the premium received in 2023-24 against the policies issued for the year(s), prior to 2023-24 (i.e., up to 2022-23) and risks for which have already been expired during 2023-24. IRDA circular dated 03.07.2013 and IRDA circular dated 04.04.2016 stipulate that in preparing financial statements, Unexpired Risk Reserve/ Reserve for Unexpired Risk (RUR) shall be the amount representing that part of premium written which is attributable to and to be allocated to the succeeding accounting periods. Accordingly, Accounting Policy No. 5.3, inter alia, stipulates that RUR represents the net premium attributable to succeeding accounting year(s). However, in respect of cases pointed out by audit, policy period has already expired up to 2023-24, thus no UPR should have been created against these policies. Creation of UPR on the policies, risks for which have already been expired up to 31 March 2024 has resulted in overstatement of Reserves for unexpired risk and understatement of Profit for the year by ₹458.65 crore each. Further, Note no. 24, inter alia, states that during the year premium received against the policy whose risk expired on or before the year end has been recognized as premium income of the company. However, there were cases of risks corresponding to net premium booked for ₹917.30 crore (having RUR impact of ₹458.65 crore as aforesaid) where entire premium was not treated as premium income of the company as RUR was made on such premium. Hence, the Note no. 24 is deficient to that extent. No corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.1 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 and 2022-23.	The UPR provision made by the Company is in accordance with the IRDAI Circular No. IRDA/ F&A/CIR/49/Mar-09 and Company's Significant Accounting Policy no 5.3 which is being followed consistently since last many years and the same is in order. However, the Road map for working out UPR under 1/365 method has been prepared and is currently under testing stage. It will be implemented after the testing is fully vetted.

,-3 rqyu i=	
çko/kku ¼vuqlwph 14½ % :-8]896-35 djksM+	
vlekIr tkf[ke dk fy, vkjf{kr fuf/k % :-7]357-63 djksM+	
fofo/k chek jkt Lo [kkrk	
dqy vftZr çhfe;e ¼fuoy½ % :-14]904-29 djksM+	
çR;{k 0;olk; ls çhfe;e % :-16]612-46 djksM+	
(i) आईआरडीए के दिनांक 03.07.2013 और 04.04.2016 के परिपत्रों के अनुरूप तैयार की गई लेखांकन नीति संख्या 5.1 तथा लेखांकन नीति संख्या 5.3 के अनुसार, प्रीमियम को जोखिम की धारणा के वर्ष में दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा आगामी लेखांकन वर्ष(वर्षों) के लिए प्रीमियम हेतु असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व (आरयूआर) बनाया जाना है । कंपनी ने प्रधानमंत्री डॉ. वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा योजना के तहत 3 समूहों (II, IV और IX) के तहत 12 जिलों में कारोबार किया। फसल बीमा 80:110 मॉडल के तहत रबी 2023–34 अवधि के लिए एपी राज्य कृषि विभाग द्वारा योजना शुरू की गई। बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रतिबद्धता के अनुरूप, राज्य सरकार ने (30 मार्च 2024) प्रीमियम डेटा (ई–फसल डेटा) की पुष्टि साझा की, जिसमें रू.140.96 करोड़ का सकल प्रीमियम विवरण दिया गया। हालांकि, रू.140.96 करोड़ के कुल प्रीमियम के अनुरूप उपरोक्त 3 समूहों के तहत कंपनी द्वारा उठाए गए कुल जोखिम में से, कंपनी ने केवल दो समूहों अर्थात समूह IV और IX के संबंध में रू.41.86 करोड़ का प्रीमियम बुक किया, जिससे रू. 99.10 करोड़ के सकल प्रीमियम की शॉर्ट–बुकिंग हुई। (रू.140.96 करोड़ में से रू.41.86 करोड़ कम करें) और निवल प्रीमियम रू.95.14 करोड़ (सकल प्रीमियम के चार प्रतिशत के लागू अर्पण के बाद)। परिणामस्वरूप, संबंधित आरयूआर भी बुक नहीं किया गया है।	कंपनी द्वारा किया गया यू.पी.आर प्रावधान आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/आईआर/49/मार्च–09 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 के अनुरूप है, जिसका पिछले कई वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और यह क्रम में है। हालाँकि, 1/365 पद्धति के तहत यूपीआर की गणना के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और यह अभी परीक्षण चरण में है। परीक्षण पूर्ण होने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

A.3 Balance Sheet **Provision (Schedule 14) : ₹8,896.35 crore** **Reserve for Unexpired Risk : ₹7,357.63 crore** **Miscellaneous Insurance Revenue Account** **Total premium Earned (Net) : ₹14,904.29 crore** **Premium from direct business : ₹16,612.46 crore**	
(i) As per Accounting Policy no. 5.1 read with Accounting Policy no. 5.3 framed in consonance with IRDA circulars dated 03.07.2013 and dated 04.04.2016, premium is required to be booked in the year of assumption of risk and Reserve for Unexpired Risk (RUR) is to be created for premium attributable to succeeding accounting year(s). The company underwrote business in 12 Districts under 3 clusters (II, IV & IX) in Dr. YSR free Crop Insurance under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana floated by AP State Agriculture Department for Rabi 2023-34 season under 80:110 Model. In line with commitment as per bid documents, State Govt shared (30 March 2024) the confirmation of premium data (e-crop data) providing gross premium details of ₹140.96 crore. However, out of the total risk assumed by the company under aforesaid 3 clusters corresponding to total premium of ₹140.96 crore, the company booked a premium of ₹41.86 crore only in r/o two clusters only viz. Cluster IV & IX leadingto short-booking of gross premium to the tune of ₹99.10 crore (₹140.96 crore less ₹ 41.86 crore) and net premium of ₹95.14 crore (after applicable cession of four per cent of gross premium). Consequently, the corresponding RUR has also not been booked.	The UPR provision made by the Company is in accordance with the IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/49/Mar-09 and Company's Significant Accounting Policy no 5.3 which is being followed consistently since last many years and the same is in order. However, the Road map for working out UPR under 1/365 method has been prepared and is currently under testing stage. It will be implemented after the testing is fully vetted.

इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम में रू.99.10 करोड़ और अर्जित प्रीमियम (निवल) में रू.95.14 करोड़ (सकल प्रीमियम के 4 प्रतिशत की लागू कटौती के बाद) की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आरयूआर और लाभ में भी रू.47.57 करोड़ की कमी आई है ।

(ii) उपरोक्त में पिछले वर्ष के दौरान आकलित किए गए जोखिम के लिए प्रीमियम के रूप में रू. 816.04 करोड की राशि शामिल है, लेकिन कंपनी द्वारा इसे प्रीमियम आय के रूप में दर्ज किया गया है। लेखांकन नीति संख्या 5.1 के अनुसार, प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की धारणा के आधार पर, पुनर्बीमा के बाद प्रीमियम दर्ज किया जाता है।

कुछ मामलों में, कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति संख्या 5.1 का उल्लंघन करते हुए जोखिम आकलन के बजाय वास्तविक प्राप्ति/देय तिथि के आधार पर प्रीमियम बुक किया है। परिणामस्वरूप, रू.816.04 करोड़ (एसबीआई जीपीए– रू. 538.97 करोड़, आयुष्मान भारत– रू.240.10 करोड़ और मेडिसेप– रू. 36.97 करोड़) की राशि को वर्तमान वर्ष की प्रीमियम आय के रूप में बुक किया गया, जबकि लेखांकन नीति संख्या 5.1 के अनुसार जोखिम पिछले वर्ष 2022–23 के दौरान आरंभ और आकलन किया गया था, जिसके लिए वर्तमान वर्ष के बजाय पिछले वर्ष में ही प्रीमियम बुक करना आवश्यक था।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्ति के आधार पर प्रीमियम की बुकिंग भी लेखांकन नीति संख्या 5.1 के साथ पठित लेखांकन नीति संख्या 1: 'लेखा परिपाटी' के अनुरूप नहीं है। अन्य बातों के साथ–साथ, यह

निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाएंगे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगे। उपरोक्त लेखांकन नीति संख्या 5.1 का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम को अधिक बताया गया है और 'पूर्व अवधि

(Net) by ₹95.14 crore (after applicable cession of 4 per cent of gross premium). This has also resulted in understatement of RUR and understatement of profit for the year by ₹47.57 crore each.

The above includes an amount of ₹816.04 crore being premium for risk assumed during the previous year but have been booked as Premium income by the company. As per Accounting Policy No. 5.1, premium are recorded, net of reinsurance, based on the assumption of risks in each related revenue account.

In certain cases, the company has booked premium on the basis of actual receipt/ due date basis instead of risk assumption basis in violation of its Accounting Policy No. 5.1. Resultantly, an amount of ₹816.04 crore (SBI GPA-₹538.97 crore, Ayushman Bharat-₹240.10 crore & Medisep- ₹36.97 crore) was booked as premium income of current year despite of the fact that risk was incepted and assumed during previous year 2022-23 requiring booking of premium in previous year itself instead of current year as per Accounting Policy No. 5.1.

Thus, booking of premium on actual receipt basis is also not in line with Accounting Policy No. 5.1 read with Accounting Policy No. 1: 'Accounting Convention', inter alia, stipulates that the Financial Statement are drawn up on accrual basis comply with the accounting standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013.

Non-adherence to the Accounting Policy No. 5.1 as above has resulted in overstatement of

की आय' को प्रत्येक वर्ष के लिए रू.816.04 करोड़ से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए 'निवल प्रीमियम' को प्रत्येक वर्ष के लिए रू.525 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।	
,-4 r|yu i= fuoy nko ¼vu|lph 2½ % :-15]719-62 djkM or|eku o"k d| v|r e| cdk;k nko ¼çR;{k½ % :-23]852-55 djkM or|eku o"k d| v|r e| cdk;k nko ¼fofo/k½ % :-20]191-91 djkM उपरोक्त में आने वाली सात ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसियों के संबंध में बकाया दावों के रूप में रू.8.85 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसके बारे में कंपनी को 31 मार्च 2024 तक सूचित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया दावों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को रू.8.85 करोड़ अधिक दर्शाया गया।	सीएजी की अवधारणा को नोट कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 में उचित कार्रवाई की जाएगी।
ch foÙkh; fLFkfr ij fVIif.k;k ch-1 r|yu i= or|eku n;rk,a ¼vu|lph 13½ % :-25]039-13 djkM fuoy nko ¼vu|lph 2½ % :-15]719-62 djkM or|eku o"k d| v|r e| cdk;k nko ¼çR;{k½ % :-23]852-55 djkM उपरोक्त वर्ष के अंत में बकाया दावों की राशि रू.14,727.95 करोड़ (अग्नि में रू.2,749.37 करोड़, मरीन में रू.810.15 करोड़ और विविध खंड में रू.11,168.43 करोड़) और प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में आईबीएनआरध् आईबीएनईआर के प्रति रू.9,124.60 करोड़ (अग्नि में रू.38.88 करोड़, मरीन में रू.62.24 करोड़ और विविध खंड में रू.9,023.48 करोड़) है। यद्यपि, कंपनी ने पुनर्बीमा (आरआई) समायोजनों को घटाने के बाद रू.19,672 करोड़ के दावे की देनदारी को अनुसूची 12 में अलग से दर्ज करने के बजाय केवल वर्तमान देनदारियों (अनुसूची 13) में दर्ज किया है। यह उचित नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष कारोबार और पुनर्बीमा अर्जन अलग–अलग कारोबार हैं, जो विभिन्न अनुबंधों और लागू कानूनों व विनियमों द्वारा शासित होते हैं और इनमें पूरी तरह से अलग–अलग पक्ष होते हैं और बीमाधारकों को भुगतान और पुनर्बीमाधारकों से उसकी वसूलीधनिपटान में स्पष्ट समय अंतराल होता है। साथ ही, यह आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जो विनियमन में निर्धारित प्रारूप	सीएजी की अवधारणा को नोट कर लिया गया है। लेखांकन नीति में आवश्यक परिवर्तन और खातों के नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

'Premium from direct business for the year 2023-24' and understatement of 'Prior Period Income' by ₹816.04 crore each. This has also resulted in overstatement of 'Net Premium' for the year 2023-24 by ₹525 crore each.	
A.4 Balance Sheet **Net Claims Incurred (Schedule 2) : ₹15,719.62 crore** **Claims Outstanding at the end of current year (Direct) : ₹23,852.55 crore** **Claims Outstanding at the end of current year (Misc.) : ₹20,191.91 crore** The above does not include an amount of ₹8.85 crore being outstanding claims in respect of seven incoming Group Mediclaim Policies which were intimated to the Company till 31 March 2024. This has resulted in understatement of Claims outstanding at the end of current year and overstatement of profit by ₹8.85 crore each.	The observations of CAG has been noted. Appropriate action will be taken in FY 2024-25.
B Comments on Financial Position **B.1 Balance Sheet** **Current Liabilities (Schedule 13) : ₹25,039.13 crore** **Net Claims Incurred (Schedule 2) : ₹15,719.62 crore** **Claims Outstanding at the end of current year (Direct) : ₹23,852.55 crore** The above represents claims outstanding at year end amounting to ₹14,727.95 crore (₹2,749.37 crore in Fire, ₹810.15 crore in Marine & ₹11,168.43 crore in Misc Segment) and ₹9,124.60 crore towards IBNR/IBNER (₹38.88 crore in Fire, ₹62.24 crore in Marine & ₹9,023.48 crore in Misc Segment) in respect of direct business. The company, however, has booked the claim liability for ₹19,672 crore only in Current Liabilities (Schedule 13) after netting off Reinsurance (RI) adjustments instead of booking RI recovery separately in Schedule 12. This was not in order considering that direct business and reinsurance cession are separate business being governed by different contracts and applicable laws & regulations and having altogether different	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

के अनुसूची 12 में बिंदु संख्या 5 पर अन्य बीमा कंपनियों (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से वसूली के लिए अलग प्रकार की मद प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं (अनुसूची 13) और अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) में से प्रत्येक को रू. 4,180.55 करोड़ कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नोट संख्या 16.14 में 'देयताओं के लिए अनुपात में चल परिसंपत्तियों को 0.17 के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया है।	
ch-2 r;yu i= vuqlwph 8% fuos'k & 'k;j/kkjd % :-¼5]244-69½ djksM vuqlwph 8,% fuos'k& i,fyh/kkjd % :-34]045-84 djksM mfpr eY; ifjorZu [kkrs% 'k;j/kkjd % :-¼1]615-65½ djksM i,fyh/kkjd % :-10]487-99 djksM बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 11(2) के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के अलग–अलग फंड रखने होंगे। इस संबंध में, आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 पर आईआरडीएआई के 4 अप्रैल 2016 के परिपत्र का संदर्भ प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि पैरा 1(iii) में निर्धारित करता है कि "पॉलिसीधारकों के फंड से किए गए निवेश को अलग अनुसूची 8ए में दिखाया जाएगा और तुलन पत्र में दिखाई देने वाले उचित मूल्य परिवर्तन खाते को तदनुसार शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड के तहत विभाजित किया जाएगा। इसके अलावा, पॉलिसीधारक फंड और शेयरधारकों के फंड के घटक को भी परिभाषित किया गया है। घाटे की प्रतिपूर्ति पर उक्त परिपत्र के पैरा 2 में प्रावधान है कि "प्रत्येक बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त 1(iii) में परिभाषित पॉलिसीधारकों के फंड को अनुसूची–8ए में दिखाए गए पॉलिसीधारकों के निवेश द्वारा पूरी तरह से समर्थित किया जाता है। इसलिए, राजस्व खाते में नुकसान या अन्यथा से उत्पन्न पॉलिसीधारकों के निवेश में किसी भी घाट/कमी की भरपाई शेयरधारकों के निवेश से पॉलिसीधारकों के निवेश में अर्ध–वार्षिकी आधार पर प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के द्वारा की जाएगी। उपरोक्त प्रतिभूतियों का मूल्यांकन आईआरडीए (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियों की तैयारी) विनियम, 2002 में निर्दिष्ट मूल्यांकन नियमों के अनुसार किया गया है। उपरोक्त परिपत्र का अनुपालन करते हुए, शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच कंपनी के कुल निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को ऊपर वर्णित परिपत्र के आधार पर प्राप्त	

parties and clear time lag in payment to insured(s) and recovery/settlement thereof from the re-insured(s). Also, this was not in line with the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 providing separate line item for recovery from other insurance companies (including reinsurers) at point no 5 in Schedule 12 of the format prescribed in the regulation. This has resulted in understatement of Current Liabilities (Schedule 13) and Advances & other Assets (Schedule 12) by ₹4,180.55 crore each with resultant impact of incorrect depiction of 'Liquid Assets to Liabilities Ratio' in Note No. 16.14 as 0.17.	
B.2 Balance Sheet **Schedule 8: Investment –Shareholders : ₹ (5,244.69) crore** **Schedule 8A: Investment- Policyholders : ₹34,045.84crore** **Fair value change account:** **Shareholders : ₹ (1,615.65) crore** **Policyholders : ₹10,487.99crore** Section 11(2) of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 mandates that every insurer shall keep separate funds of shareholders and policyholders. In this regard, a reference is invited to IRDAI's circular dated 4th April 2016 on IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 which at para 1(iii) stipulates that "Investment made out of the policyholders funds shall be shown in separate Schedule 8A and fair value change account as appears in the Balance Sheet shall accordingly be bifurcated under the shareholders and policyholders funds. Further, the component of policy holder fund and shareholders' fund are also defined. Para 2 of said circular on Recoupment of the Deficit stipulates that "Every Insurer shall ensure that the policyholders' fund as defined in 1 (iii) above, are fully supported by the policyholders' investments shown in Schedule-8A. Therefore, any deficit / shortfall in policyholders' investments arising out of the loss in the Revenue	

शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड के अनुपात के आधार पर विभाजित किया है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की आय नकारात्मक होने के कारण, शेयरधारकों के फंड में रू.3,831.18 करोड़ का नकारात्मक शेष है और पॉलिसीधारकों के फंड में रू.24,875.31 करोड़ का शेष है और परिणामस्वरूप, शेयरधारक और पॉलिसीधारक के बीच निवेश के विभाजन का अनुपात क्रमशः (–) 18.21ः और 118.21ः है। उपरोक्त के मद्देनजर, 31 मार्च 2024 तक कंपनी का कुल निवेश रू.28,801.15 करोड़ था, जिसे शेयरधारक और पॉलिसी धारक के बीच क्रमशः रू.(5,244.69) करोड़ और रू.34,045.84 करोड़ के रूप में विभाजित किया गया था। इसके कारण, शेयर धारकों के निवेश को नकारात्मक निवेश के रूप में दिखाया गया है और पॉलिसीधारक के निवेश को कंपनी के कुल निवेश से अधिक राशि पर दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, शेयर धारक (अनुसूची–8) और पॉलिसीधारक (अनुसूची–8ए) के लिए निवेश क्रमशः रू.5,244.69 करोड़ की सीमा तक कम और अधिक दिखाया गया है। साथ ही, शेयरधारक और पॉलिसीधारक के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तन खाता भी क्रमशः रू.1,615.65 करोड़ की सीमा तक कम और अधिक दिखाया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 31.03.2024 तक पॉलिसीधारकों के फंड के कुल निवेश से भी अधिक होने के कारण, पॉलिसीधारकों के फंड का उचित मूल्य परिवर्तन खाता कंपनी के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो के अवास्तविक लाभ से भी अधिक अवास्तविक लाभ का आंकड़ा दिखा रहा है। वर्ष 2022–23 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है।	सीएजी की अपवधारणा को नोट कर लिया गया है। लेखांकन नीति में आवश्यक परिवर्तन और खातों के नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

Account or otherwise shall be recouped by transfer of securities from the shareholders' investments to the policyholders' investments on a half yearly basis. The valuation of such securities shall be in accordance with the valuation norms as specified in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report) Regulations, 2002". In compliance to the above circular, the Company has been bifurcating the total Investment and Fair Value Change Account of the Company between the shareholders and policyholders based on the ratio of the shareholders' and policyholders' funds derived based on above stated circular. Due to net worth of the Company being negative for FY 2023-24, shareholders' fund has negative balance of ₹3,831.18 crore and policyholders' fund has balance of ₹24,875.31 crore and resultantly, ratio for bifurcation of investment between shareholder and policyholder comes out to (-) 18.21% and 118.21% respectively. In view of the above, total investment of the Company amounting to ₹28,801.15 crore as on 31 March 2024 was bifurcated between shareholder and policyholder as ₹(5,244.69) crore and ₹34,045.84 crore respectively. Due to this, shareholders' Investment is shown as negative investment and policyholder' Investment is shown at an amount greater than the total investment of the Company. Resultantly, Investment for shareholder (Schedule-8) and policyholder (Schedule-8A) are understated and overstated to the extent of ₹5,244.69 crore respectively. Also, Fair Value Change Account in respect of shareholder and policyholder is also understated and overstated to the extent of ₹1,615.65 crore respectively. It is also pertinent to note that owing to policyholders' fund being greater than even total investment as on 31.03.2024, the Fair Value Change Account of the policyholders' Fund is showing the figure of unrealized gains even greater than unrealized gains of entire investment portfolio of the company. Despite the issue being addressed through Management Letter during Supplementary Audit for the year 2022-23, no compliance has been made by the Company.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25

ch-3 r;yu i= vuqlph 8,% fuos'k ¼i,fyh/kkjd½ %:-34]045-84 djkM+ nh?kkof/k fuos'k% 3e ¼iii½ & nh?kkof/k ,QMh % 'kU; orZeku n;rk,a ¼vuqlph 13½ fofo/k ;qunkj % :- 3]555-99 djkM+ i,fyh/kkjdksa dh v?kkf"kr jkf'k % :- 209djkM+ i,fyh/kkjdksa dh v?kkf"kr jkf'k ij vftZr C;kt % 'kU; कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों में से जमा की गई राशि पर रू. 4.18 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। हालाँकि, इसे वर्तमान देनदारियों (अनुसूची–13) के तहत दिखाए गए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों के साथ मिला दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है तथा पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर उपार्जित ब्याज को रू. 4.18 करोड़ कम दर्शाया गया है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखांकन नीति में आवश्यक परिवर्तन और खातों के नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।
ch-4 fuos'k ¼vuqlph 8½ % :-¼5]244-69 djkM+½ nh?kkof/k fuos'k% 3 bZ ¼i½ nh?kkof/k ,QMh % 'kU; udnh vkj cSd 'k"k ¼vuqlph 11½ % :-2]825-72 djkM+ tek [kkrs&vYikof/k ¼12 egheus dh Hkhrj n;½ % :-2]257-07 djkM+ बैंक बैलेंस के अंतर्गत अल्पावधि जमा खाते (12 महीने के भीतर देय) में कंपनी के विदेशी कार्यालय से संबंधित रू.358.11 करोड़ की सावधि जमा शामिल है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नेपाल कार्यालय से संबंधित रू.57.47 करोड़ की सावधि जमा की परिपक्वता अवधि 31 मार्च 2024 तक 12 महीने से अधिक थी और इसलिए, इसे अनुसूची 8 और 8ए में दीर्घकालिक निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'अल्पकालिक जमा खाते' और 'भारत के बाहर नकदी और बैंक शेष' को रू.57.47 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, अनुसूची 8 (निवेश – शेयर धारक) के तहत 'दीर्घकालिक एफडी' और 'भारत के बाहर निवेश' को प्रत्येक (रू.10.46 करोड़) कम दर्शाया गया है और अनुसूची 8ए (निवेश – पॉलिसीधारक) के तहत 'दीर्घकालिक एफडी' और 'भारत के बाहर निवेश' को प्रत्येक (रू. 67.93 करोड़) कम दर्शाया गया है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखांकन नीति में आवश्यक परिवर्तन और खातों के नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

B.3 Balance Sheet **Schedule 8A: Investments (Policyholders) : ₹34,045.84 crore** **Long Term Investments: 3 e (ii) - Long Term FDs : Nil** **Current Liabilities (Schedule 13)** **Sundry Creditors : ₹3,555.99 crore** **Unclaimed amount of Policyholders : ₹ 209 crore** **Interest Accrued on Unclaimed amount of Policyholders : Nil** The Company earned accrued Interest of ₹4.18 crore on deposits made out of unclaimed amounts of policyholders of during the year 2023-24. However, the same has been merged with unclaimed amounts of policy holders shown under current liabilities (schedule-13). This has resulted in overstatement of unclaimed amount of policyholders and understatement of Accrued Interest on deposits of unclaimed amounts of policyholders by ₹4.18 crore.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.
B.4 Investments (Schedule 8) : ₹ (5,244.69 crore) **Long Term Investments: 3 e (i) Long Term FDs : Nil** **Cash and Bank Balances (Schedule 11) : ₹2,825.72 crore** **Deposit Accounts - Short term (due within 12 months) : ₹2,257.07 crore** Short Term Deposit Accounts (due within 12 months) under Bank Balances include Fixed Deposit of ₹358.11 crore pertaining to foreign office of the Company. Audit observed that fixed deposits amounting to ₹57.47 crore pertaining to Nepal office had maturity period of more than 12 months as on 31 March 2024 and therefore, should have been classified under Long Term Investments in Schedule 8 and 8A. This has resulted in overstatement of 'Short Term Deposit Accounts' and 'Cash and Bank Balances outside India' by ₹57.47 crore. Further, 'long term FDs' and 'investments outside India' under Schedule	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षण के दौरान प्रबंधन पत्र के रूप में इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई थी, हालांकि, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	
सी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में, कंपनी के इक्विटी शेयरों की हानि पर दोषपूर्ण लेखांकन नीति संख्या ए–10.6 को उसी के वित्तीय प्रभाव की मात्रा का खुलासा किए बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्य ठहराया गया है। दोषपूर्ण लेखांकन नीति के मुद्दे के साथ–साथ इसके रू. 77.56 करोड़ के प्रभाव को भारत के सीएजी ने वर्ष 2019–20 के लिए पूरक लेखा परीक्षा के दौरान टिप्पणी संख्या सी1 और ए3 के माध्यम से उजागर किया था और साथ ही रू.173.53 करोड़ की हानि की गैर–मान्यता के प्रभाव को भी वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट में योग्य ठहराया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि लेखांकन नीति की कमी के साथ–साथ सात स्क्रिप्स में हानि बनी हुई थी जिसके कारण उचित मूल्य परिवर्तन खाते को कम दर्शाने और वर्ष के लिए लाभ को रू. 48.04 करोड़ अधिक दर्शाने का भौतिक प्रभाव पड़ा जिसे सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 27 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट में उजागर नहीं किया है। वित्तीय प्रभाव का परिमाणीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप एसए 705 (स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन) के पैरा 21 का अनुपालन नहीं हुआ है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है जो वित्तीय विवरणों में विशिष्ट राशियों से संबंधित है (वित्तीय विवरणों के नोट्स में मात्रात्मक प्रकटीकरण सहित), तो लेखा परीक्षक को राय के लिए आधार अनुभाग में गलत विवरण के वित्तीय प्रभावों का विवरण और परिमाणीकरण शामिल करना चाहिए, जब तक कि यह अव्यवहारिक न हो। यदि वित्तीय प्रभावों का परिमाणीकरण करना व्यावहारिक नहीं है, तो लेखा परीक्षक को इस अनुभाग में ऐसा बताना चाहिए।	सीएजी की अवधारणा को नोट कर लिया गया है। लेखांकन नीति में आवश्यक परिवर्तन और खातों के नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

8 (Investment - Shareholder) are understated by (₹10.46 crore) each and 'long term FDs' and 'investments outside India' under Schedule 8A (Investment - Policyholder) are understated by ₹67.93 crore each. Similar observation was issued as Management Letter during Supplementary Audit of the company for the FY 2022-23, however, no corrective action was taken by the company.	
C Comments on Statutory Audit Report Independent Auditor's Report on Financial Statements for the year ended 31 March 2024 In the 'Basis of Qualified Opinion' section of the Independent Auditor's Report, deficient accounting policy number A-10.6 on impairment of equity shares of the company has been qualified by the Statutory Auditors without disclosing the quantification of the financial effect of the same. The issue of deficient accounting policy along with its impact of ₹77.56 crore was highlighted by CAG of India, vide comment no. C1 & A3 during supplementary audit for the year 2019-20 & also the impact of non-recognition of impairment amounting to ₹173.53 crore was qualified by Statutory Auditors in their report on the financial statement of the Company for the year 2020-21. In this regard, Audit observed that though the deficiency of accounting policy as well as impairment in seven of the scrips were persisting having material effect of understatement of Fair Value Change Account and overstatement of profit for the year by ₹48.04 crore, which has not been highlighted by the Statutory Auditors in their report dated 27 May 2024. Non-quantification of financial impact has resulted in non-compliance to Para 21 of the SA 705 (Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report) which stipulates that if there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements (including quantitative disclosures in the notes to the financial statements), the auditor shall include in the Basis for Opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement, unless impracticable. If it is not practicable to quantify the financial effects, the auditor shall so state in this section.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjul dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ifjpkyu la[;k rFkk bjMk dk lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukad 15-11-2022 dk foRr o"kZ 2023&24 dk fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpZ 2024 dk lekIr gq, o"kZ dk fy, vfXu chek jktLo [kkrk

FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000)(Rs. '000)

विवरण / **PARTICULARS**	अनुसूची **Schedule**	31.03.2024 को **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को **Year Ended 31.03.2023**
1. अर्जित प्रीमियम (निवल) / **Premium earned (Net)**	1	7462552	8018090
2. निवेशों के मोचन / बिक्री पर लाभ / हानि Profit/Loss on sale/redemption of Investments		1464707	653518
3. अन्य–ए) विनिमय पर लाभ / (हानि) Others - a) Profit/(Loss) on exchange		0	0
बी) शेयरधारकों के फंडों से आधिक्य ईओएम में अंशदान b) Contribution from Shareholders' Funds to-wards excess EoM		0	2577296
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल / **Interest, Dividend & Rent - Gross**		1477435	1327865
कुल (ए) / **Total (A)**		**10404694**	**12576769**
1. उपगत दावे (निवल) / Claims Incurred (Net)	2	7887005	4660478
2. कमीशन / Commission	3	1324069	1175042
3. बीमा कारोबार से संबद्ध संचालित व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	2811087	5857802
4.अन्य / **Others**			
ए) मान संपत्तियों / एनपीए हेतु प्रावधान a) Provision for Standard Assets/NPA		(15544)	(11508)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		(2444)	932
सी) ऋण परिशोधन व्यय / c) Amortization Expenses		39963	37379
डी) अस्वीकृत निवेश (निवल) / d) Investment Written Off (Net)		3978	16841
ई) निवेशों से संबद्ध व्यय / e) Expenses relating to investments		2189	1795
एफ) प्रीमियम कमी / f)Premium deficiency		0	0
कुल (बी) / **Total (B)**		**12050303**	**11738761**
मरीन कारोबार से संचालित लाभ / हानि सी = (क–बी)" Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B) "		(1645609)	838008
समायोजन / Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to shareholders' Account		(1645609)	838008

आपदा रिजर्व में अंतरण / Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		0	0
कुल (सी) / **Total(C)**		**(1645609)**	**838008**

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 16

तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074एन
For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन
For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह अध्यक्ष व प्रबंध
निदेशक
डीआईएन 08975825
R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085
CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007
CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर निदेशक
डीआईएन 09462743
P. Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम निदेशक
डीआईएन 08135013
Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799
Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024
Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ
Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjul dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ipthdj.k la[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 15-11-2022 dk foRr o"k 2023&24 ds fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpZ 2024 dk lekIr gq, o"k ds fy, ejhu chek jktLo [kkrk

MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000)(Rs. '000)

विवरण **PARTICULARS**	अनुसूची **Schedule**	31.03.2024 को **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को **Year Ended 31.03.2023**
1. अर्जित प्रीमियम (निवल) / Premium earned (Net)	1	2462955	2507634
2. निवेशों के मोचन / बिक्री पर लाभ / हानि Profit/Loss on sale/redemption of Investments		378730	179257
3. अन्य – ए) विनिमय पर लाभध (हानि) Others - a) Profit/(Loss) on exchange		0	86
बी) शेयरधारकों के फंडों से आधिक्य ईओएम में अंशदान b) Contribution from Shareholders' Funds to-wards excess EoM		0	855196
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross		382020	364226
कुल (ए) / **Total (A)**		**3223705**	**3906399**
1. उपगत दावे (निवल) / Claims Incurred (Net)	2	2154684	1534567
2. कमीशन / Commission	3	301517	312184
3. बीमा कारोबार से संबद्ध संचालित व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	548065	1162503
4. अन्य / Others			
ए) मान संपत्तियों / एनपीए हेतु प्रावधान a) Provision for Standard Assets/NPA		(4019)	(3157)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		(632)	257
सी) ऋण परिशोधन व्यय / c) Amortization Expenses		10333	10252
डी) अस्वीकृत निवेश (निवल) / d) Investment Written Off (Net)		1028	4619
ई) निवेशों से संबद्ध व्यय / e) Expenses relating to investments		566	492
एफ) प्रीमियम कमी / f)Premium deficiency		0	0
कुल (बी) / **Total (B)**		**3011542**	**3021717**
मरीन कारोबार से संचालित लाभध हानि सी = (क–बी) Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		212163	884682
समायोजन / Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to shareholders' Account		212163	884682

आपदा रिजर्व में अंतरण / Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to other reserves		0	0
कुल (सी) / **Total(C)**		**212163**	**884682**

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 16
तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074एन
For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन
For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह अध्यक्ष व प्रबंध
निदेशक
डीआईएन 08975825
R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085
CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007
CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर निदेशक
डीआईएन 09462743
P. Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम निदेशक
डीआईएन 08135013
Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799
Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024
Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ
Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjl dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

i;thdj.k l[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 15-11-2022 dk foRr o"k 2023&24 dh fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpZ 2024 dk lekIr gq, o"k dh fy, fofo/k chek jktLo [kkrk

MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू.'000) (Rs.'000)

विवरण / **PARTICULARS**	अनुसूची **Schedule**	31.03.2024 को **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को **Year Ended 31.03.2023**
1. अर्जित प्रीमियम (निवल) / Premium earned (Net)	1	149042865	121984144
2. निवेशों के मोचन / बिक्री पर लाभ / हानि Profit/Loss on sale/redemption of Investments		20728164	10276556
3. अन्य–ए) विनिमय पर लाभ / (हानि) Others - a) Profit/(Loss) on exchange		0	(135)
बी) शेयरधारकों के फंडों से आधिक्य ईओएम में अंशदान b) Contribution from Shareholders' Funds to-wards excess EoM		0	12388807
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross		20908288	20880644
कुल (ए) / **Total (A)**		**190679317**	**165530016**
1. उपगत दावे (निवल) / Claims Incurred (Net)	2	147154482	142396072
2. कमीशन / Commission	3	7179336	7976106
3. बीमा कारोबार से संबद्ध संचालित व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	24288526	44369111
4. अन्य / Others			
a) मान संपत्तियों / एनपीए हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets/NPA		(219971)	(180964)
b) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान Provision for Diminution in Value of Shares		(34584)	14658
c) ऋण परिशोधन व्यय / Amortization Expenses		565551	587779
d) अस्वीकृत निवेश (निवल) / Investment Written Off (Net)		56297	264819
e) निवेशों से संबद्ध व्यय / Expenses relating to investments		30973	28224
f) प्रीमियम कमी / Premium deficiency		0	(2161921)
कुल (बी) / **Total (B)**		**179020610**	**193293884**
मरीन कारोबार से संचालित लाभध् हानि सी = (क–बी) Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		11658707	(27763868)

समायोजन / Appropriations			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to shareholders' Account		11658707	(27763868)
आपदा रिजर्व में अंतरण / Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to other reserves		0	0
कुल (सी) / **Total(C)**		**11658707**	**(27763868)**

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 16
तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074एन
For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन
For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825
R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085
CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007
CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर निदेशक
डीआईएन 09462743
P. Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम निदेशक
डीआईएन 08135013
Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799
Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024
Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ
Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjy dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ijthdj.k l[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 15-11-2022 dk foRr o"k 2023&24 dh fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpZ 2024 dk lekIr gq, o"k dh fy, ykHk ,oa gkfu [kkrk

PROFIT & LOSS ACCOUNT (STANDALONE) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000)(Rs. '000)

क्र.स. S. No.	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2024 को Year Ended 31.03.2024	31.03.2023 को Year Ended 31.03.2023
1	संचालित लाभ / (हानि) / **OPERATING PROFIT /(LOSS)**			
	(ए) अग्नि बीमा / (a) Fire Insurance		(1645609)	838008
	(बी) मरीन बीमा / (b) Marine Insurance		212163	884682
	(सी) विविध बीमा / (c) Miscellaneous Insurance		11658707	(27763868)
2	निवेशों से आय / **INCOME FROM INVESTMENTS**			
	(ए) ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross		(3506585)	(3968794)
	(बी) निवेश के मोचन / बिक्री पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment		(3476376)	(1953270)
	कम करें: निवेश के मोचन / बिक्री से हानि Less: Loss on sale/redemption of investment		0	0
3	अन्य आय / **OTHER INCOME**			
	नियम संपत्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets		695	(1702)
	विविध आय / Miscellaneous Income		44888	24578
	पुराने / दावा न किए गए पुनरांकित शेष Old/Unclaimed Balance Written Back		27945	671055
	विनिमय लाभ / (हानि) / Exchange Gain/(Loss)		108827	283182
	आय कर वापसियों पर ब्याज / Interest on income-tax refunds		0	0
	कुल (ए) / **TOTAL (A)**		3424655	(30986129)
4	प्रावधान (कराधान के अलावा) **PROVISIONS (Other than taxation)**			
	(ए) निवेशों के मूल्य में (a) For diminution in the value of investments		5800	(2786)
	(बी) संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों / निवेशों हेतु (b) For bad and doubtful debts\Investment		1811884	(653938)
	(सी) ऋण परिशोधन व्यय (c) Amortisation Expenses		(94850)	(111719)

5	अन्य व्यय / **OTHER EXPENSES**			
	ए) निवेशों से संबद्ध व्यय a) Expenses relating to investments		(5195)	(5365)
	बी) पुराने / दावा न किए गए अस्वीकृत शेष b)Old/Irrecoverable balances written off		142023	2605365
	सी) मानक संपत्तियों / एनपीए पर प्रावधान c) Provision on Standard Assets/NPA		36892	34396
	डी) अस्वीकृत निवेश (निवल) / d) Investments written off (Net)		(9442)	(50334)
	ई) सीएसआर व्यय / e) CSR Expendiure		1250	0
	एफ) भुगतान किए गए सेवा करध आय कर पर ब्याज f) Interest on income-tax/service tax paid		3372	558
	जी) पॉलिसीधारकों के फंडों में उपरिराशि इओएम में अंशदान g) Contribution to Policyholders Funds towards excess EoM		0	15821299
	एच) जोड़े / (घटाएं) : पूर्व अवधि आय h) Add/(Less): Prior Period Income		(7257)	(772)
	आई) जोड़ें / (घटाएं) : पूर्व अवधि व्यय i) Add/(Less): Prior Period Expenses		285252	66496
	जे) एनसीडी जारी करने के संबंध में व्यय j) Expenses related to issue of NCD		2141	2092
	के) एनसीडी पर अर्जित ब्याज / k) Interest accrued on NCDs		634685	660000
	एल) राईट इश्यू व्यय / l) Rights Issue Expenses		0	2513
	एम) अप्रत्यक्ष कर प्रभार (जीएसटी / एसटी) m) Indirect Taxe Charges (GST/ST)		241467	208367
	कुल (बी) / **TOTAL (B)**		**3048022**	**18576172**
	कर से पूर्व लाभ / (हानि) / Profit Before Tax		376633	(49562301)
	जोड़ेध (घटाएं) : सीमांत लाभांश कर हेतु प्रावधान Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax		0	0
	जोड़ेध (घटाएं) : कराधान हेतु प्रावधान–वर्तमान वर्ष Add/(Less): Provision for taxation - Current Year		(190513)	(135201)
	जोड़ेध (घटाएं) : अस्थगित कराधान हेतु प्रावधान Add/(Less): Provision for Deferred Taxation		0	0
	जोड़े / (घटाएं) : पूर्व वर्षों के संबंध में कर हेतु प्रावधान Add/(Less):Provision for tax in respect of earlier years		0	16384
	शुद्ध लाभ / (हानि) / Profit after Tax		186120	(49681118)
	समायोजन / APPROPRIATIONS			
	(ए) वर्ष के आरंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year		0	0
	(बी) वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश (b) Interim dividends paid during the year		0	0
	(सी) प्रस्तावित अंतिम लाभांश / (c) Proposed final dividend		0	0
	(डी) लाभांश वितरण कर / (d) Dividend distribution tax		0	0

	(ई) रिजर्व / अन्य खातों में अंतरण (e) Transfer to reserves/ other accounts:			
	(i) सामान्य रिजर्व / (i) General Reserves		0	0
	(ii) असमाप्त जोखिमों हेतु आकस्मिक रिजर्व (ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks		0	0
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया हानि / लाभ का शेष Balance of profit/(loss) brought forward from last year		(84700525)	(35019404)
	तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष Balance carried forward to Balance Sheet		(84514404)	(84700525)
	मूल / मिश्रित अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) रूपयों में Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.		0.04	(10.75)

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts — अनुसूची 16 / Schedule 16

तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074एन
For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन
For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह अध्यक्ष व प्रबंध
निदेशक
डीआईएन 08975825
R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085
CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007
CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर निदेशक
डीआईएन 09462743
P. Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम निदेशक
डीआईएन 08135013
Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799
Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024
Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ
Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjy dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ipthdj.k la[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 15-11-2022 dk foRr o"kZ 2023&24 ds fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpZ 2024 dk rqyu i=

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2024

(रू. '000) (Rs. '000)

विवरण / **PARTICULARS**	अनुसूची **Schedule**	31.03.2024 को **As at 31.03.2024**	31.03.2023 को **As at 31.03.2023**
फंडों के स्त्रोत / **SOURCES OF FUNDS**			
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL	5	46200000	46200000
रिजर्व एवं आधिक्य / RESERVES AND SURPLUS	6	2565	2565
अस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability		0	0
उचित मूल्य परिवर्तन खाता / FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
पॉलिसीधारक / POLICYHOLDERS		104879919	86897216
शेयरधारक / SHAREHOLDERS		(16156529)	(15276664)
ऋण / BORROWINGS	7	0	7500000
कुल / **TOTAL**		**134925955**	**125323117**
फंडों का आवेदन / **APPLICATION OF FUNDS**			
निवेश / INVESTMENTS :			
पॉलिसीधारक / POLICYHOLDERS	8A	340458433	339932235
शेयरधारक / SHAREHOLDERS	8	(52446900)	(59760608)
ऋण / LOANS	9	1429739	1334697
नियत संपत्तियां / FIXED ASSETS	10	5212579	4922883
प्रक्रियागत पूंजी कार्य / Capital Work In Progress	10	685118	276490
अस्थगित कर संपत्तियां / Deferred Tax Assets		0	0
वर्तमान संपत्तियां / CURRENT ASSETS:			
नकद एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	28257201	16953680
अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां / Advances and Other Assets	12	66170193	48015148
उप योग (क) / **Sub-Total (A)**		**94427394**	**64968828**
प्रावधान / CURRENT LIABILITIES	13	250391286	228760754
PROVISIONS	14	88963526	85262575

उप योग (ख) / **Sub-Total (B)**		339354812	314023329
निवल वर्तमान संपत्तियां = (क्ख) / NET CURRENT ASSETS = (A-B)		(244927418)	(249054501)
विविध व्ययMISCELLANEOUS EXPENDITURE		0	2971394
(अस्वीकृत या समायोजित न किए गए की सीमा तक) (to the extent not written off or adjusted)	15		
लाभ एवं हानि खातों में ऋण शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		84514404	84700525
कुल / **TOTAL**		**134925955**	**125323115**

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 16
तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074एन
For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन
For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825
R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085
CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007
CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर निदेशक
डीआईएन 09462743
P. Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम निदेशक
डीआईएन 08135013
Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799
Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024
Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ
Girish Ahuja
DGM & CFO

vuqlphA1

SCHEDULE -1

31-03-2024 dks lekIr gq, o"kZ dh fy, vftZr ¼'kq)½ fofo/k çhfe;e

PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000) (Rs. '000)

विवरण Particulars	अग्नि / FIRE		मरीन MARINE						विविध / MISCELLANEOUS		कुल जोड़ / GRAND TOTAL	
	को समाप्त वर्ष Year Ended	को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024			31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023			को समाप्त वर्ष Year Ended	को समाप्त वर्ष Year Ended	को समाप्त वर्ष Year Ended	को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business	16834398	16989379	2455886	2526451	4982337	2835222	2107946	4943168	166124597	137993581	187941332	159926128
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	2666273	1865161	82777	4445	87222	40537	5440	45977	1726247	4997992	4479742	6909130
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	12182708	10937509	741161	1620998	2362159	1106049	1377622	2483671	15949110	10027686	30493977	23448866
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	7317963	7917031	1797502	909898	2707400	1769710	735764	2505474	151901734	132963887	161927097	143386392
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन / Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-144589	-101059	74816	169629	244445	-142767	140607	-2160	2858869	10979743	2958725	10876524
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	7462552	8018090	1722686	740269	2462955	1912477	595157	2507634	149042865	121984144	158968372	132509868
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium within India	15571839	15890993	2209772	2499861	4709633	2569460	2084306	4653766	162608923	135604339	182890395	156149098
भारत के बाहर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium within India	1262559	1098387	246114	26590	272704	265762	23639	289401	3515678	2389238	5050941	3777026
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	16834398	16989380	2455886	2526451	4982337	2835222	2107945	4943167	166124601	137993577	187941336	159926124

31-03-2024 dk lekIr g, o"k d fy, vf t r ¼'k)½ fofo/k çhfe;e

MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

विवरण / Particulars	मोटर / MOTOR									
	ओडी / OD	टीपी–गैर पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	टीपी डी.आर. पूल TP D.R. POOL	कुल / TOTAL	ओडी / OD	टीपी – गैर पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP POOL	टीपी डी.आर. पूल TP D.R. POOL	कुल TOTAL
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024					31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023				
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	15116815	29746099	0	0	**44862914**	11324420	26759334	0	0	38083754
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	4986	32427	0	0	**37413**	3459	79061	0	0	82520
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	528530	1263300	0	0	**1791830**	415011	1199162	0	0	1614173
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	14593271	28515226	0	0	**43108497**	10912868	25639233	0	0	36552101
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	1845143	1444181	0	0	**3289324**	853711	767350	0	0	1621061
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) **Total Premium Earned (Net)**	**12748128**	**27071045**	**0**	**0**	**39819173**	**10059157**	**24871883**	**0**	**0**	**34931040**
भारत में व्यापार से प्रभावित प्रीमियम आय Premium Income from direct business effected										
In India	12585451	29586555	0	0	**42172006**	9775603	26646711	0	0	36422314
भारत के बाहर Outside India	2531365	159545	0	0	**2690910**	1548817	112622	0	0	1661439
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	15116816	29746100	0	0	**44862916**	11324420	26759333	0	0	38083753

विवरण / **Particulars**	इंजीनियरिंग / **ENGINEERING**			कर्मकार प्रतिपूर्ति **WORKMEN'S COMPENSATION**		व्यैक्तिगत दुर्घटना **PERSONAL ACCIDENT**		फसल / **CROP**	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	4898936	4377481	1218178	578947	585022	11330375	5378259	17937211	89389
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	345193	1273219	861955	10327	7088	21	13509	0	1
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	2730172	2548046	1138483	23161	23017	4906458	1158499	716935	5587
Net Premium	2513957	3102654	941650	566113	569093	6423938	4233269	17220276	83803
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-311867	447221	-163832	-10924	-44749	1113232	757500	1758508	-890766
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	2825824	2655433	1105482	577037	613842	5310706	3475769	15461768	974569
भारत में व्यापार से प्रभावित प्रीमियम आय Premium Income from direct business effected									
In India	4630986	4248847	1218178	541349	554886	11303555	5353951	17937211	89389
भारत के बाहर Outside India	267950	128633	0	37598	30137	26821	24307	0	0
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	4898936	4377480	1218178	578947	585023	11330376	5378258	17937211	89389

	स्वास्थ्य / HEALTH			अन्य विविध / OTHER MISC.		कुल / TOTAL	
विवरण / **Particulars**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2023**
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	78953913	82511723	952393	5171924	4797382	166124597	137993581
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	9832	2672386	69491	36437	17825	1726247	4997994
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	3147617	2714842	298503	656201	526536	15949110	10027686
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	75816128	82469267	723381	4552160	4288671	151901734	132963889
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-3183376	9139312	23146	174330	90850	2858869	10979743
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	78999504	73329955	700235	4377830	4197821	149042865	121984146
भारत में व्यापार से प्रभावित प्रीमियम आय Premium Income from direct business effected							
In India	78650610	82124009	899066	5044274	4693700	162608923	135604340
भारत के बाहर Outside India	303303	387713	53327	127650	103681	3515678	2389237
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	78953913	82511722	952393	5171924	4797381	166124601	137993577

vuqlph&2

SCHEDULE -2

31-03-2024 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, mixr ¼'kq)½ nkos

CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

(रू. '000) (Rs. '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / FIRE		मरीन / MARINE						विविध / MISCELLANEOUS		कुल जोड़ / GRAND TOTAL	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024			31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023			31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	Marine Cargo	Marine Hull	TOTAL	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित दावे / Claims Paid												
प्रत्यक्ष / Direct	10573396	6458025	1863541	819828	2683369	1971568	686293	2657861	144962180	130096361	158218945	139212247
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	1085912	321634	37182	15257	52439	16775	29220	45995	1216046	4346758	2354397	4714387
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	6404755	2734705	415596	197543	613139	844971	347910	1192881	11385099	7236657	18402993	11164243
शुद्ध भुगतानित दावे **Net Claims paid**	**5254553**	**4044954**	**1485127**	**637542**	**2122669**	**1143372**	**367603**	**1510975**	**134793127**	**127206462**	**142170349**	**132762391**
जोड़ें : वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे **ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year**												
प्रत्यक्ष / Direct	27882442	28232644	2092110	6631819	8723929	1893803	5931355	7825158	201919131	186647919	238525502	222705721
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	1958083	2164144	23133	512125	535258	18940	440692	459632	3489001	3880100	5982342	6503876
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	16020825	19209540	872970	5691749	6564719	855990	4766346	5622336	25202348	22792769	47787892	47624645
वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बकाया दावे **Net Claims Outstanding at the end of Current Year**	**13819700**	**11187248**	**1242273**	**1452195**	**2694468**	**1056753**	**1605701**	**2662454**	**180205784**	**167735250**	**196719952**	**181584952**

घटाएं : पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे **LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year**												
प्रत्यक्ष / Direct	28232644	24090442	1893803	5931354	7825157	1936448	6389825	8326273	186757100	169800945	222814901	202217660
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	2164144	2449154	18940	440692	459632	38230	565903	604133	3880100	4083326	6503876	7136613
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	19209540	15967872	855990	4766346	5622336	1049719	5241825	6291544	22792770	21338631	47624646	43598047
पिछले वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बकाया दावे **Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year**	**11187248**	**10571724**	**1056753**	**1605700**	**2662453**	**924959**	**1713903**	**2638862**	**167844430**	**152545640**	**181694131**	**165756226**
शुद्ध उपगत दावे **Net Claims Incurred**												
प्रत्यक्ष / Direct	10223194	10600227	2061848	1520293	3582141	1928923	227823	2156746	160124211	146943335	173929546	159700308
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	879851	36624	41375	86690	128065	-2515	-95991	-98506	824947	4143532	1832863	4081650
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	3216040	5976373	432576	1122946	1555522	651242	-127569	523673	13794677	8690795	18566239	15190841
शुद्ध उपगत दावे **NET CLAIMS INCURRED**	**7887005**	**4660478**	**1670647**	**484037**	**2154684**	**1275166**	**259401**	**1534567**	**147154482**	**142396072**	**157196171**	**148591117**
Claims paid to claimants												
भारत में / In India	4430186	3530283	1393087	623498	2016585	1034420	355793	1390213	132094720	125481926	138541491	130402422
भारत के बाहर / Outside India	824369	514671	92040	14044	106084	108951	11810	120761	2698407	1724536	3628860	2359968
भुगतानित शुद्ध दावे **NET CLAIMS PAID**	**5254555**	**4044954**	**1485127**	**637542**	**2122669**	**1143371**	**367603**	**1510974**	**134793127**	**127206462**	**142170351**	**132762390**

31-03-2024 dk lekIr gq, o"k dk fy, mixr ¼'kq)½ nko

CLAIMS INCURRED (NET) FORTHE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000) (Rs. '000)

	मोटर / MOTOR										इंजीनियरिंग / ENGINEERING		कर्मकार प्रतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION	
विवरण Particulars	ओडी / OD	टीपी – गैर पूल TP Non Pool	टीपी पूल TP Pool	टीपी डी.आर. पूल D.R. Pool	कुल TOTAL	ओडी OD	टीपी – गैर पूल TP Non Pool	टीपी पूल TP Pool	टीपी डी. आर. पूल D.R. Pool	कुल / TOTAL	समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended	
	31.03.2023 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2024					31.03.2024 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2023					31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित दावे Claims Paid														
प्रत्यक्ष / Direct	14927861	22311611	967437	150952	38357861	12008937	18311835	1146355	133238	31600365	851163	1136648	246259	249270
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	19123	0	0	0	19123	7166	1285	0	0	8451	121384	425980	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	586310	1474548	0	12757	2073615	546370	1266023	0	9898	1822291	131058	281778	12993	12884
शुद्ध भुगतानित दावे Net Claims paid	14360674	20837063	967437	138195	36303369	11469733	17047097	1146355	123340	29786525	841489	1280850	233266	236386
जोड़ें : वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year														
प्रत्यक्ष / Direct	7828814	135370527	5970562	515501	149685404	6469292	131185899	6351495	568144	144574830	5373063	4492895	613653	562888
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	35923	0	0	0	35923	206854	321	0	0	207175	731500	730402	0	0
घटाएं :अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	292201	11216684	0	39679	11548565	284214	10626444	0	46068	10956725	2516784	1529037	34046	33549
वर्तमान वर्ष शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Current Year	7572536	124153843	5970562	475822	138172762	6391932	120559777	6351495	522076	133825280	3587779	3694260	579607	529339
घटाएं : पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year														
प्रत्यक्ष / Direct	6469292	131185899	6351495	568144	144574830	4922762	124574655	6733478	620228	136851123	4492895	4527304	562888	531807
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	207174	0	0	0	207174	163041	343	0	0	163384	730402	958729	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	284214	10626444	0	46068	10956726	248915	10361927	0	47675	10658517	1529037	1528684	33549	32558
पिछले वर्ष शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year	6392252	120559455	6351495	522076	133825278	4836888	114213071	6733478	572553	126355990	3694260	3957349	529339	499249

शुद्ध उपगत दावे **Net Claims Incurred**														
प्रत्यक्ष / **Direct**	16287383	26496239	586504	98309	43468435	13555467	24923079	764372	81154	39324072	1731331	1102239	297024	280351
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा **Add: Reinsurance accepted**	-152128	0	0	0	-152128	50979	1263	0	0	52242	122482	197653	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा **Less: Reinsurance Ceded**	594297	2064788	0	6368	2665454	581669	1530540	0	8291	2120499	1118805	282131	13490	13875
कुल उपगत दावे **TOTAL CLAIMS INCURRED**	15540958	24431451	586504	91941	40650854	13024777	23393803	764372	72863	37255815	735008	1017761	283534	266476
Claims paid to claimants														
भारत में **In India**	12710426	20798870	967437	138195	34614928	10801782	17013620	1146355	123340	29085097	793527	1168499	227801	229272
भारत के बाहर **Outside India**	1650248	38192	0	0	1688440	667950	33478	0	0	701428	47962	112351	5466	7113
कुल भुगतानित दावे **Total Claims Paid**	14360674	20837062	967437	138195	36303368	11469732	17047098	1146355	123340	29786525	841489	1280850	233267	236385

	विमानन / **AVIATION**		व्यक्तिगत दुर्घटना **PERSONAL ACCIDENT**		स्वास्थ्य / **HEALTH**		देयता / **LIABILITY**		फसल / **CROP**		अन्य विविध **OTHER MISCELLANEOUS**		कुल / **TOTAL**	
Particulars	समाप्त वर्ष / **Year Ended**		समाप्त वर्ष / **Year Ended**		समाप्त वर्ष / **Year Ended**		समाप्त वर्ष / **Year Ended**		समाप्त वर्ष / **Year Ended**		समाप्त वर्ष / **Year Ended**		समाप्त वर्ष / **Year Ended**	
	31.03.2024	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
भुगतानित दावे **Claims Paid**														
प्रत्यक्ष / **Direct**	160132	1399179	7677460	3136444	87293543	89499539	135330	131351	7185056	221715	3055376	2721850	144962180	130096361
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा **Add: Reinsurance Accepted**	592728	364205	71610	5029	369845	3434824	2500	1761	11	11460	38845	95048	1216046	4346758
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा **Less: Reinsurance Ceded**	284575	1086791	2764508	398009	3148435	3123315	20634	41770	2637070	159059	312211	310760	11385099	7236657
शुद्ध भुगतानित दावे **Net Claims paid**	468285	676593	4984562	2743464	84514953	89811048	117196	91342	4547997	74116	2782010	2506138	134793127	127206462
जोड़ें : वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे **ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year**														
प्रत्यक्ष / **Direct**	1016257	944796	9504895	5097238	13074680	17706838	2105610	2106009	17490579	7737639	3054990	3424787	201919131	186647920
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा **Add: Reinsurance Accepted**	1652837	1386273	640767	720883	11593	439184	91763	116979	51316	51838	273302	227367	3489001	3880101
घटाएं :अर्जित पुनर्बीमा **Less: Reinsurance Ceded**	1297719	1331585	4757782	1850881	499863	603272	1441638	1427283	2212791	4457957	893160	602479	25202348	22792768

वर्तमान वर्ष शुद्ध बकाया दावे **Net Claims Outstanding Current Year**	1371375	999484	5387880	3967240	12586410	17542750	755735	795705	15329104	3331520	2435132	3049675	180205784	167735252
घटाएं : पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे **LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year**														
प्रत्यक्ष / **Direct**	944796	1057541	5097236	2733336	17706838	11826375	2106009	1980704	7846821	7332430	3424787	2960327	186757100	169800947
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा **Add: Reinsurance Accepted**	1386273	1461159	720883	464691	439184	473085	116979	53252	51838	105153	227367	403873	3880100	4083326
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा **Less: Reinsurance Ceded**	1331585	1317634	1850881	938061	603272	408552	1427283	1401289	4380413	4322607	680024	730731	22792770	21338633
पिछले वर्ष शुद्ध बकाया दावे **Net Claims Outstanding Previous Year**	999484	1201066	3967238	2259966	17542750	11890908	795705	632667	3518246	3114976	2972130	2633469	167844430	152545640
शुद्ध उपगत दावे **Net Claims Incurred**														
प्रत्यक्ष / **Direct**	231593	1286434	12085119	5500346	82661385	95380002	134931	256656	16828814	626924	2685579	3186310	160124211	146943334
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा **Add: Reinsurance accepted**	859292	289319	-8506	261221	-57746	3400923	-22716	65488	-511	-41855	84780	-81458	824947	4143533
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा **Less: Reinsurance Ceded**	250709	1100742	5671409	1310829	3045026	3318035	34989	67764	469448	294409	525347	182508	13794677	8690792
कुल उपगत दावे **TOTAL CLAIMS INCURRED**	840176	475011	6405204	4450738	79558613	95462890	77226	254380	16358855	290660	2245012	2922344	147154482	142396075
Claims paid to claimants														
भारत में **In India**	-110844	388004	4979105	2736479	84200897	89242690	113658	86892	4547997	74116	2727650	2470876	132094719	125481927
भारत के बाहर **Outside India**	579129	288589	5457	6985	314056	568359	3538	4450	0	0	54360	35263	2698408	1724536
कुल भुगतानित दावे **Total Claims Paid**	468285	676593	4984562	2743464	84514953	89811049	117196	91342	4547997	74116	2782010	2506139	134793127	127206463

vuqlph&3

SCHEDULE -3

31-03-2024 dk lekIr g,, o"k dk fy, vftr ¼'k)½ deh'ku

COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000) (Rs. '000)

विवरण / Particulars	अग्नि / FIRE		मरीन / MARINE						विविध / MISCELLANEOUS		कुल जोड / GRAND TOTAL	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024			31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023			31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन Commission paid												
प्रत्यक्ष / Direct	1921036	1824065	356217	59684	415901	389877	49319	439196	9413280	8586577	11750217	10849838
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Re-insurance Accepted	395469	260777	20154	466	20620	13339	458	13797	207350	436410	623439	710984
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Re-Insurance Ceded	992436	909800	51309	83695	135004	71476	69333	140809	2441293	1046881	3568733	2097490
शुद्ध कमीशन **Net commission**	**1324069**	**1175042**	**325062**	**(23545)**	**301517**	**331740**	**(19556)**	**312184**	**7179336**	**7976106**	**8804923**	**9463332**

31-03-2024 dk lekIr g, o"k d fy, mixr ¼'k)½ fofo/k deh'ku
MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

	मोटर / MOTOR							
	ओडी / OD	टीपी–गैर पूल TP - Non Pool	टीपी पूल / TP Pool	कुल / TOTAL	ओडी / OD	टीपी–गैर पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL
विवरण / Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2024				31.03.2023 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2023			
भुगतानित कमीशन Commission paid								
प्रत्यक्ष / Direct	3149372	1611050	0	4760422	2827071	534240	0	**3361311**
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	373	0	0	373	102	2208	0	**2310**
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	84810	62054	0	146864	64697	59906	0	**124603**
शुद्ध कमीशन / Net commission	3064935	1548996	0	4613931	2762476	476542	0	**3239018**

विवरण / Particulars	इंजीनियरिंग / ENGINEERING		कर्मकार प्रतिपूर्ति / WORKMEN'S COMPENSATION		विमानन / AVIATION	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन / Commission paid						
प्रत्यक्ष / Direct	301721	283008	93791	95265	31143	23346
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	69792	206576	0	0	104731	69997
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	271746	256425	3662	3761	52620	35429
शुद्ध कमीशन / Net commission	99767	233159	90129	91504	83254	57914

विवरण / Particulars	व्यैक्तिगत / PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य / HEALTH		देयता / LIABILITY	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन / Commission paid						
प्रत्यक्ष / Direct	304850	324653	3119143	3711411	97637	101291

जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	4	3594	18112	147085	74	775
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	736002	173703	329629	272468	42674	44729
शुद्ध कमीशन / Net commission	(431148)	154544	2807626	3586028	55037	57337

	फसल / **CROP**		अन्य विविध / **OTHER MISCELLANEOUS**		कुल / **TOTAL**	
विवरण / **Particulars**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
भुगतानित कमीशन / Commission paid						
प्रत्यक्ष / Direct	59725	688	644848	685603	9413280	8586576
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	0	0	14264	6073	207350	436410
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	35847	279	822250	135483	2441294	1046880
शुद्ध कमीशन / Net commission	23878	409	(163138)	556193	7179336	7976106

vuqlph&4

SCHEDULE -4

31 ekpZ] 2024 dks lekIr gq, o"kZ dh fy, chek 0;olk; ls lacf/kr lapkyu [kpZ

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू.'000) (Rs. '000)

	विवरण / Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	
		राशि AMOUNT	राशि AMOUNT	राशि AMOUNT	राशि AMOUNT
1	कर्मचारियों के पारिश्रमिक व कल्याण प्रसुविधाएं Employees remuneration & Welfare Benefits		23623739		47698282
2	यात्रा, आने–जाने, वाहन को चलाने के खर्चे Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		191444		256192
3	प्रशिक्षण / Training		15985		24662
4	किराया, दरों व करों / Rent, Rates & Taxes		828452		850007
5	मरम्मत / Repairs		300305		283964
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery		107303		124628
7	संप्रेषण / Communication		72691		86487
8	कानूनी व पेशेवर खर्चे / Legal &Professional Expenses #		95264		109655
9	लेखा परीक्षक की फीस, खर्चे इत्यादि Auditors' fees, expenses etc.				
	(ए) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) as auditor		80391		55819
	(बी) निम्न के संबंध में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य योग्यता से (b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
	i) कर संबंधी मामले i) taxation matters		0		0
	ii) बीमा संबंधी मामले ii) insurance matters		0		0
	iii) प्रबंधन सेवाओं iii) management services		0		0
	(सी) किसी अन्य योग्यता से (c) in any other capacity		1801		330
10	विज्ञापन व जन–प्रचार Advertisement & Publicity		33935		9852
11	ब्याज व बैंक खर्चे Interest & Bank Charges		168464		122019

12	अन्य Others				
	ए) बिजली के खर्चे a) Electricity Charges	136435		129779	
	बी) बीमा कंपनी अधिनियम इत्यादि के तहत फीस b) Fee under Insurance & Company Act etc.	104487		96385	
	सी) एलपीए अंशदान c) LPA Subscription	0		0	
	डी) पॉलिसी स्टैंप खर्चे d) Policy Stamps Expenses	26640		27476	
	इ) संपत्ति के खर्चे e) Property expenses	7055		6767	
	एफ) अन्य f) Others	1469179	1743796	1022277	1282684
13	मूल्य ह्रास Depreciation		384107		484834
	बीमा व्यवसाय से संबंधित कुल संचालन खर्चे **TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS**		**27647677**		**51389415**

vuqlph&5

SCHEDULE -5

31-03-2024 dk 'k;j ipth

SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2024

(रू.'000) (Rs. '000)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	प्राधिकृत पूंजी **Authorised Capital**		
	10/– रू. प्रत्येक के 750,00,00,000 इक्विटी शेयर 750,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 750,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	75000000	75000000
2	निर्गत पूंजी / **Issued Capital**		
	10/– रू. प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 462,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 462,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	46200000	46200000
3	अभिदर पूंजी / **Subscribed Capital**		
	10/– रू. प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 462,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 462,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	46200000	46200000
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी **Called and Paid-up Capital**		
	10/– रू. प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर **462,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 462,00,00,000 shares of Rs. 10 each)**	46200000	46200000
5	घटाएं: अदत्त मांग **Less: Calls Unpaid**	0	0
	जमा करें: जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि) Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	घटाएं: प्रारंभिक खर्चे / Less: Preliminary Expenses	0	0
	बीमालेखन पर कमीशन या ब्रोकरेज सहित खर्चे और शेयर अंशदान **Expenses including commision or brokerage on underwriting or subscription of shares**	0	0
	जमा करें: शेयर आवेदन मनी / Add: Share Application Money	0	0
	कुल / **Total**	**46200000**	**46200000**

vuqlwph&6

SCHEDULE -6

31-03-2024 dk fjtoZ o vkf/kD;

RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2024

(रू.'000) (Rs. '000)

क्र.सं. **Sl.No.**	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 को **As at 31.03.2024** (रू. '000) **(Rs. '000)**	31.03.2023 को **As at 31.03.2023** (रू. '000) **(Rs. '000)**
1	पूंजीगत रिजर्व / Capital Reserve	2565	2565
2	पूंजीगत उन्मोचन रिजर्व / Capital Redemption Reserve		
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium		
4	सामान्य रिजर्व / General Reserves		
	प्रारंभिक जमा / Opening Balance	0	0
	घटाएं: लाभ व हानि खाते में डेबिट शेष *Less:* Debit Balance in Profit & Loss Account	0	0
	घटाएं: वापसी–क्रय हेतु प्रयुक्त की गई राशि *Less:* Amount Utilised for Buy-Back	0	0
	जमा शेष / Closing Balance	0	0
5	आपदा–रिजर्व / Catastrophe Reserve		
6	अन्य रिजर्व (विनिर्दिष्ट किया जाए) Other Reserves (to be specified)	0	0
7	लाभ व हानि खाते में लाभ शेष **Balance of Profit in Profit & Loss Account**	**0**	**0**
	कुल / **Total**	**2565**	**2565**

vuqlph&7

SCHEDULE -7

31-03-2024 dk m/kkj

BORROWINGS AS AT 31.03.2024

(रू.'000) (Rs. '000)

क्र.सं. **S.No.**	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 को **As at 31.03.2024**	31.03.2023 को **As at 31.03.2023**
1	डिबेंचर्स / बॉण्ड्स Debentures / Bonds*	0	7500000
2	बैंक Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थान Financial Institutions	0	0
4	अन्य(विनिर्दिष्ट किए जाएं) Others (to be specified)	0	0
	कुल **Total**	**0**	**7500000**

* 10 लाख रूपए प्रति डिबेंचर के सम मूल्य समेकित 750 / – करोड़ रूपए के 7500 एनसीडी के असुरक्षित गौण ऋण। प्रति वर्ष 8.80% का कूपन लेकर 750 करोड़ रूपए एकत्रित करना

* Unsecured subordinated debt of 7500 NCDs of the face value of Rs. 10 lacs per debenture aggregating Rs. 750 crores carrying a coupon of 8.80 % per annum.

vuqlphl&8

SCHEDULE -8

31-03-2024 dk fuo'k&'k;jgkYMl

SCHEDULE - 8 Investments As At 31.03.2024 - Shareholders

(रू.'000) (Rs. '000)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
	लंबी अवधि के निवेश/**Long Term Investments**		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	-21590605	-26231969
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां/Other Approved Securities	-2979	-140631
3	अन्य निवेश/Other Investments		
	ए) शेयर/a) Shares		
	(एए) इक्विटी/(aa) Equity	-17212600	-17379889
	(बीबी) वरीयता/ (bb) Preference	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड/b) Mutual Funds	0	-65540
	सी) व्युत्पन्न उपकरण c) Derivative Instruments	0	0
	डी) डिबेंचरध बॉण्ड्स/d) Debentures / Bonds	-711027	-920357
	ई) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट e) Other Securities (to be specified)		
	(प) लंबी अवधि की एफडी i) Long Term FDs	0	-167735
	एफ) सहायक/f) Subsidiaries	-91	-107
	जी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	-8317284	-8833108
5	स्वीकृत निवेशों के अलावा Other than Approved Investments	-1404057	-2342997
	अल्प–अवधि निवेश **Short Term Investments**		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	-806316	-2020395
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां/Other Approved Securities	-117081	0
3	अन्□य निवेश/Other Investments		
	ए) शेयर/a) Shares		
	(एए) इक्विटी/(aa) Equity	0	0
	(बीबी) वरीयता/(bb) Preference	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड/b) Mutual Funds	-1648517	-1351543
	सी) व्युत्पन्न उपकरण c) Derivative Instruments	0	0
	डी) डिबेंचरध बॉण्ड्स d) Debentures / Bonds	-164554	-138645
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) e) Other Securities (to be specified)		

	एफ) सहायक f) Subsidiaries	0	0
	जी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure and Social Sector	-471790	-167692
5	स्वीकृत निवेशों के अलावा/Other than Approved Investments	0	0
	अन्य निवेश **Total Investments**	**-52446901**	**-59760608**
	निवेश **Investments**		
1	भारत में In India	-52367306	-59667527
2	भारत के बाहर Outside India	-79595	-93081
	कुल **Total**	**-52446901**	**-59760608**

(i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि (–) 29264716.77 हजार रुपये है और उसका बाजार मूल्य (–) 28511025.20 हजार रुपये है।
Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is (-) Rs 29264716.77 thousands and Market Value thereof is (-) Rs 28511025.20 thousands.

(ii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध (–) 709821.62 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of (-) Rs 709821.62 thousands against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(iii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध (–) 23433.99 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
Provision of (-) Rs 23433.99 thousands against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.

(iv) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध शून्य/– हजार रुपये का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of Rs. nil/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(v) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध रु. 0.00/– हजार का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
Provision of Rs. 0.00/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.

(vi) इक्विटी में निवेश के विरुद्ध (–) 5438.62 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of (-) Rs 5438.62 thousands against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(vii) वेंचर कैपिटल में निवेश के विरुद्ध (–) 13183.85 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of (-) Rs 13183.85 thousands against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(viii) प्रीफ. शेयरों में निवेश के विरुद्ध (–) 1845.93 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
Provision of (-) Rs 1845.93 thousands against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(ix) सहयोगी अर्थात इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड में कंपनी के निवेश की राशि (–) 7122.01 हजार है और भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए (–) 36069.46 हजार है और इसे दीर्घकालिक निवेश शेयर–इक्विटी के तहत समूहीकृत किया गया है।
Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is (-) 7122.01 thousands and Health Insurance TPA of india is (-) 36069.46 thousands and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity.

vuqlph&8 ,

SCHEDULE -8A

31-03-2024 dk fuo'k&i,fy lh/kkjd

SCHEDULE - 8A Investments As At 31.03.2024 - Policyholders

क्र.सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
	लंबी अवधि के निवेश / **Long Term Investments**		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	140155158	149213538
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	19339	799941
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	ए) शेयर / a) Shares		
	(i) इक्विटी / (i) Equity	111735389	98860851
	(ii) अधिमान शेयर / (ii) Preference shares	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड / b) Mutual Funds	0	372807
	सी) डिबेंचर / बॉण्ड्स / c) Debentures / Bonds	4615621	5235203
	डी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) e) Other Securities (to be specified)		
	i) स्वीकृत निवेशों के अलावा i) Other than approved investments	9114417	13327513
	ii) लंबी अवधि की एफडी / ii) Long Term FDs	0	954118
	iii) सहायक / iii) Subsidiaries	591	607
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure & Housing	53991551	50244773
	अल्प–अवधि निवेश Short Term Investments		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स **Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills**	5234191	11492478
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	760031	0
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	ए) शेयर / a) Shares		
	(i) इक्विटी / (i) Equity	0	0
	(ii) अधिमान शेयर / (ii) Preference shares	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड / b) Mutual Funds	10701329	7687889
	सी) डिबेंचर / बॉण्ड्स / c) Debentures / Bonds	1068200	788645
	डी) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) d) Other Securities (to be specified)		
	i) स्वीकृत निवेशों के अलावा i) Other than approved investments	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure & Housing	3062617	953872
	अन्य निवेश / Total Investments	340458434	339932235
	निवेश / Investments		

1	भारत में In India	339941745	339402770
2	भारत के बाहर **Outside India**	**516689**	**529465**
	कुल **Total**	340458434	339932235
1	भारत में In India	-52367306	-59667527
2	भारत के बाहर Outside India	-79595	-93081
	कुल **Total**	**-52446901**	**-59760608**

(i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 189971563.39 हजार रुपये है और इसका बाजार मूल्य 185078983.44 हजार रुपये है।
Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs 189971563.39 thousands and Market Value thereof is Rs 185078983.44 thousands.

(ii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध 4607798.67 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of Rs 4607798.67 thousands against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(iii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध 152121.45 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
Provision of Rs 152121.45 thousands against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.

(iv) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध शून्य/– हजार रुपये का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of Rs. nil/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(v) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध रु. 0.00/– हजार का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।
Provision of Rs. 0.00/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.

(vi) इक्विटी में निवेश के विरुद्ध 35304.75 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of Rs 35304.75 thousands against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(vii) वेंचर कैपिटल में निवेश के विरुद्ध 85582.83 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है।
Provision of Rs 85582.83 thousands against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(viii) अधि. शेयरों में निवेश के विरुद्ध 11982.85 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।
Provision of Rs 11982.85 thousands against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(ix) सहयोगी अर्थात इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड में कंपनी के निवेश की राशि 46232.47 हजार है और भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए 234144.46 हजार है और इसे दीर्घकालिक निवेश शेयर – इक्विटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 46232.47 thousands and Health Insurance TPA of india is 234144.46 thousands and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity.

vuqlph&9

SCHEDULE -9

31-03-2024 dk _.k

LOANS AS AT 31.03.2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	प्रतिभूति–वार वर्गीकरण / **Security-Wise Classification**		
	सुरक्षित / Secured		
	(ए) संपत्ति की गिरवी पर / (a) On Mortgage of Property		
	(एए) भारत में (aa) In India	0	0
	(बीबी) भारत के बाहर (bb) Outside India	0	0
	(बी) शेयरों, बॉण्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(सी) अन्य (i) स्टॉफ को हाउसिंग लोन (c) Others (i) Housing Loans to Staff	1263032	1139105
	(ii) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीयुक्त, हाउसिंग व एफएफई के लिए राज्य सरकारों को आवधिक ऋण तथा ऋण असुरक्षित (अवधि ऋण, ब्रिज लोन, जमा का प्रमाणपत्र वाणिज्यिक पेपर) (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts.	104408	131292
	Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate		
	of deposit, Commercial paper)	62299	64299
	कुल / **Total**	**1429739**	**1334696**
2	उधारदाता–वार वर्गीकरण / **Borrower-Wise Classification**		
	(ए) केन्द्रीय व राज्य सरकारों (a) Central and State Governments	32944	59828
	(बी) बैंकों व वित्तीय संस्थानों (b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(सी) सहायकों (c) Subsidiaries	0	0
	(डी) कंपनियोंध औद्योगिक उपक्रमों (d) Companies/Industrial Undertakings	133763	135763
	(ई) पॉलिसियों के विरूद्ध ऋण (म) स्वंद हंपदेज चवसपबपमे (e) Loan against policies	0	0
	(एफ) अन्य (i) स्टॉफ (f) Others (i) Staff	1263032	1139105
	(ii) वाणिज्यिक पेपर (ii) Commercial Papers	0	0

	कुल / **Total**	**1429739**	**1334696**
3	निष्पादन–वार वर्गीकरण / **Performance-Wise Classification**		
	(ए) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण (A) Loans classified as standard		
	(एए) भारत में / (aa) In India	1291092	1194049
	(बीबी) भारत के बाहर (bb) Outside India	0	0
	(बी) गैर–निष्पादित ऋण से प्रावधान के घटक (B) Non-standard loans less provisions		
	(एए) भारत में (aa) In India	0	0
	(बीबी) भारत के बाहर / (bb) Outside India	0	0
	प्रावधान / Provision	138647	140647
	कुल / **Total**	**1429739**	**1334696**
4	परिपक्वता–वार वर्गीकरण / Maturity-Wise Classification		
	(ए) अल्पाधि / (A) Short-Term	21008	26884
	(बी) लंबी अवधि / (B) Long-Term	1408731	1307812
	कुल / **Total**	**1429739**	**1334696**
	कुल / **Total**	**1429739**	**1334697**

vuqlph&10

SCHEDULE -10

31-03-2024 dk LFkk;h ifjlifÙk;k dh vuqlph

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2024

	लागत / सकल ब्लॉक **COST/GROSS BLOCK**				मूल्यह्रास रिजर्व **DEPRECIATION RESERVE**				शुद्ध ब्लॉक **NET BLOCK**	
विवरण / **Particulars**	आरंभिक शेष **Opening Balance**	अवधि के दौरान अतिरिक्त **Additions during the period**	अवधि में किए गए समायोजन व कटौतियां **Deductions and Adjustments made in the period**	अंतिम शेष **Closing Balance**	आरंभिक शेष **Opening Balance**	अवधि के दौरान मूल्यह्रास **Depreciation during the period**	अवधि में किए गए समायोजन व कटौतियां **Deductions and Adjustments made in the period**	अंतिम शेष **Closing Balance**	31.03.2024 को **As at 31.03.2024**	31.03.2023 को **As at 31.03.2023**
मूर्त संपत्ति **Tangible Assets**										
फ्रीहोल्ड जमीन Land Freehold	59546	0	0	59546	0	0	0	0	59546	59546
लीजहोल्ड संपत्ति Leasehold Property	3828085	7839	-237251	4073175	361674	143629	45	505258	3567917	3466411
फ्रीहोल्ड संपत्ति Freehold Property	970025	201436	-25147	1196607	409860	12175	-535	422570	774037	560165
फर्नीचर एंड फिटिंग्स Furniture & Fittings	548369	10668	11761	547276	432992	12597	11295	434294	112982	115377
सूचना व तकनीकी उपकरण Information & Technology Equipment	2117268	129383	90298	2156353	1764107	78879	86401	1756585	399769	353161
वाहन Vehicles	671044	54554	143118	582481	453701	73304	111405	415599	166882	217343
कार्यालयी उपकरण Office Equipment	154299	6213	7374	153139	141769	2678	7088	137359	15780	12530
अन्य Others	460661	8156	12896	455921	389814	12980	11516	391278	64643	70847
कुल स्थायी संपत्ति **Total Fixed Assets**	**8809297**	**418249**	**3049**	**9224497**	**3953917**	**336242**	**227215**	**4062942**	**5161555**	**4855380**

अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर) Intangible Assets (Software)	1246636	31387	0	1278022	1179133	47865	0	1226998	51024	67503
उप जोड़ **Sub Total**	**10055933**	**449636**	**3049**	**10502519**	**5133050**	**384107**	**227215**	**5289940**	**5212579**	**4922883**
प्रक्रियागत पूंजी Capital Work in Progress	276490	671609	262980	685118	0	0	0	0	685118	276490
कुल **Total**	**10332423**	**1121245**	**266029**	**11187637**	**5133050**	**384107**	**227215**	**5289940**	**5897697**	**5199373**
पिछले वर्ष (31.03.2023) **Previous Year (31/03/2023)**	**10100685**	**652891**	**421153**	**10332423**	**4832474**	**484834**	**184274**	**5133050**	**5199373**	**5268211**

vuqlph&11

SCHEDULE -11

31-03-2024 dk udn ,oa cSd 'ks"k

CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	नकद (चौक, ड्राफ्ट एवं स्टैंप सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	516743	464698
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(ए) जमा खाते / (a) Deposit Accounts		
	(एए) अल्प–अवधि (12 महीनों के अंतर्गत देय) (aa) Short-term (due within 12 months)	22570702	9056553
	(बीबी) अन्य / (bb) others	0	0
	(बी) चालू खाते (b) Current Accounts	5169756	7432429
	(सी) अन्य (c) Others	0	0
3	शॉर्ट नोटिस तथा कॉल करने पर राशि Money at Call and Short Notice		
	(ए) बैंक के साथ (a) With Banks	0	0
	(बी) अन्य संस्थानों के साथ (b) With other Institutions	0	0
4	अन्य / Others	0	0
	कुल / **TOTAL**	**28257201**	**16953680**
	उपरोक्त 2 एवं 3 में निहित गैर–सूचित बैंकों में शेष Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
	नकद एवं बैंक शेष Cash & Bank Balances		
1	भारत में In India	24324554	12016292
2	भारत से बाहर Outside India	3932647	4937388
	कुल **TOTAL**	**28257201**	**16953680**

vuqlph&12

SCHEDULE -12

31-03-2024 dk vfxe ,oa vU; lEifÙk;k

ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
	अग्रिम / **Advances**		
1	अर्जन कंपनियों के साथ रिजर्व जमा Reserve deposits with ceding companies	333217	565731
2	निवेशों हेतु आवेदन राशि Application money for investments	0	0
3	पूर्व भुगतान Prepayments	264952	255674
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors/Officers	414869	518175
5	भुगतान किया गया अग्रिम कर तथा सत्रोत पर काटा गया कर (कराधान हेतु प्रावधानों का निवलध कर विभाग से वसूली योग्य राशि) Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt.	7274786	6947509
6	अन्य / Others	117970	167219
	कुल (ए) / **Total (A)**	**8405794**	**8454308**
1	निवेशों से अर्जित आय Income accrued on investments	3686437	3765285
2	बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	113161	123381
3	एजेंटों का शेष Agents' Balances	0	0
4	विदेशी एजेंसियों का शेष Foreign Agencies' Balances	1549350	1224672
5	बीमा कारोबार करने वाली अन्य इकाईयों से देय (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	37626125	29417914
6	सहायक / होल्डिंग कंपनियों से देय Due from subsidiaries/holding company	1472	1219

7	ए) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियों का जमा a)Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders	1127255	1004138
	बी) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियों का जमा – अर्जित ब्याज b)Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders - Interest Accrued	21055	39297
8	अन्य Others	13639544	3984934
	कुल (बी) **Total (B)**	**57764399**	**39560840**
	कुल (ए + बी) **Total (A + B)**	**66170193**	**48015148**

vuqlph&13

SCHEDULE -13

31-03-2024 dk orZeku n;rk,a

CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	एजेंटों का शेष (निवल) / Agents Balances (Net)	1394283	1083366
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies	6891310	7218500
3	अर्जित पुनर्बीमा में रखे जमा Deposits held on reinsurance ceded	107156	107782
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance	7214884	4901756
5	अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium	0	0
6	विविध जमाकर्ता / Sundry Creditors	35559996	31395994
7	सहायक / होल्डिंग कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	0	0
8	बकाया दावे / Claims Outstanding	196719955	181584952
9	अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers / Directors	0	0
10	ए) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियां a)Unclaimed Amounts of Policy Holders	2090006	916640
	बी) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियों पर अर्जित ब्याज b)Interest Accrued on Unclaimed Amounts of Policy Holders		161104
11	नई पैंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme	21144	16778
12	अन्य Others	392552	1373882
	कुल **Total**	**250391286**	**228760754**

vuqlph&14

SCHEDULE -14

31-03-2024 dh çko/kku

Provisions as at 31.03.2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.20243 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व Reserve for Unexpired Risk	73576264	70617547
2	कराधान हेतु (स्त्रोत पर काटे गए कर और भुगतान किए गए अग्रिम कर को कम कर) For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांशों हेतु For proposed dividends	0	0
4	लाभांश वितरण कर हेतु For dividend distribution tax	0	0
5	अन्य Others		
	(ए) अवकाश नकदीकरणध एलटीएसध बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान (a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave	8773079	9352067
	(बी) वेतनमानों में संशोधन हेतु प्रावधान (b) Provision for Wage revision	0	0
	(सी) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान (c) Provision for Bad & Doubtful Debts	6372481	5015796
	(डी) मानक संपत्तियों हेतु प्रावधान (d) Provision for Standard Assets	128800	132403
	(ई) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान (e) Provision for Diminution in Value of Shares	112902	144762
	(एफ) संदिगध ब्याज (f) Interest Suspense	0	0
6	प्रीमियम कमी हेतु रिजर्व Reserve for Premium Deficiency	0	0
	कुल **Total**	**88963526**	**85262575**

vuqlwph & 15
SCHEDULE -15

31-03-2024 dk fofo/k 0;;

Miscellaneous Expenditure as at 31.03.2024

¼lek;kftr ;k vLoh—r ugh fd, x, dh lhek rd½

(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

(Rs. '000)

Ø-lk- S.No.	fooj.k Particulars	31-03-2024 dk As at 31.03.2024 (Rs. '000)	31-03-2023 dk As at 31.03.2023 (Rs. '000)
1	शेयरों/डिबेंचरों के जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0	0
2	अन्य Others		
	ए) पैंशन a) Pension	0	2971394
	dqy **Total**	**0**	**2971394**

vkfj,Vy b';kjy dEiuh fyfeVM- ç/kku dk;kZy;] ubZ fnYyh

vuqlph&16

egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;k vkSj 31 ekpZ 2024 rd LVSMvyksu foÙkh; fooj.k dk fgLlk cuus okyh uksV~l

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED HEAE OFFICE, NEW DELHI

Schedule-16

Significant Accounting Policies and Notes forming part of Standalone Financial Statements as on 31st March 2024

1- ys[kkdu lEesyu%

वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ तथा जो आज तक संशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। उक्त विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार विचाराधीन विषय के रूप में तैयार किए गए हैं तथा प्रोद्भवन आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2012 के साथ पढ़ा जाता है, जहां तक लागू हो और भारत में साधारण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हो, सिवाय अन्यथा बताए।

2- vuqeku dk mi;ksx

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों की तिथि पर प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित है। लेखांकन अनुमानों में

1. Accounting Convention:

The Financial Statements are drawn up in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of The Companies Act, 2013, and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended till date. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis comply with the accounting standards referred to in section 133 of The Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

2. Use of Estimates

The Preparation of Financial Statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenues and expenses and disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements. Actual results may differ from those estimates and assumptions used in the

कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

3- 'k;j/kkjdksa vkj i,fyh/kkjdksa dk dk"k

शेयरधारकों के फंड में शेयर पूंजी, सामान्य रिजर्व और पूंजी रिजर्व शामिल है, जिसमें विविध व्यय को घटाया नहीं गया है। पॉलिसीधारकों के फंड में आईबीएनआर और आईबीएनईआर सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता, अनपेक्षित जोखिम रिजर्व (यूआरआर), प्रीमियम की कमी, यदि कोई हो, आपदा रिजर्व, यदि कोई हो और अन्य देयताएं अन्य परिसंपत्तियों (पॉलिसी धारकों से संबंधित) से घटाई गई हैं।

4- fon'kh eæk yunu @ :ikarj.k

,- fon'kh ifjpkyu

4-1 लेखांकन मानक 11 के अनुसार ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003), विदेशी शाखाओं/एजेंसियों को ''अभिन्न विदेशी परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4-2 विदेशी मुद्राओं में अर्जित इक्विटी शेयरों (गैर–मौद्रिक निवेश) को अधिग्रहण की तिथि को विनिमय दरों पर परिवर्तित/रूपांतरित किया जाता है।

4-3 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्य, वर्ष के अंत में समापन दर पर परिवर्तित/रूपांतरित किया जाता है।

4-4 विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की विदेशी मुद्राओं में व्यक्त आय और व्यय की मदों को वित्तीय वर्ष के दौरान चार त्रैमासिक दरों की औसत विनिमय दर पर परिवर्तितध्रूपांतरित किया जाता है, जो दैनिक समापन दरों का औसत होता है।

ch- iquchek vkj fuo'k

4-5 पुनर्बीमा व्यवसाय और निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन को वित्तीय वर्ष की उस विशेष तिमाही में सभी कारोबारी दिनों के लिए दैनिक समापन दरों की औसत विनिमय दर पर परिवर्तित/रूपांतरित किया जाता है।

4-6 विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण पर विनिमय लाभ/हानि को आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

accompanying financial statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as on the date of the financial statements. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve net of Miscellaneous expenditure not written off. The Policyholders' Fund comprises of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency, if any, Catastrophe Reserve, if any and Other Liabilities net off Other Assets(relating to policy holders).

4. Foreign Currency Transactions / Conversion:

a) Foreign Operations

4.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as "Integral Foreign Operations".

4.2 Value of fixed assets and investment in equity shares (non-monetary investments) acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.

4.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/ translated at the year-end closing rate.

4.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing rates.

b) Reinsurance and Investments

4.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/

5- jktLo ekU;rk

5-1 çhfe;e

प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की धारणा के आधार पर, पुनर्बीमाओं को घटाकर प्रीमियम दर्ज किए जाते हैं।

प्रीमियम में किसी भी बाद के संशोधन या रद्दीकरण को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

पुनर्बीमा अर्जन को पुनर्बीमा अनुबंध की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

5-2 dehZ'ku

पुनर्बीमा अर्जन पर कमीशन आय को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम अर्जन किया जाता है।

पुनर्बीमा संधियों के तहत लाभ कमीशन, जहाँ भी लागू हो, संधि अवधि के बाद के वर्ष में वास्तव में गणना किए जाने पर मान्यता प्राप्त है। लाभ कमीशन के किसी भी बाद के संशोधन को भी उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें लाभ का अंतिम निर्धारण किया जाता है।

5-3 vlekIr tkf[ke@tkf[kek dk fy, vkjf{kr fuf/k

अनपेक्षित जोखिमों के लिए आरक्षित राशि उसके प्रतिशत पर आधारित है, जो अग्नि, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में शुद्ध लिखित प्रीमियम का 50% और मरीन पतवार व्यवसाय के मामले में शुद्ध लिखित प्रीमियम का 100% है। यह लगातार वित्तीय वर्षध्वर्षों के लिए जिम्मेदार शुद्ध प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। खरीफ फसल के लिए अनपेक्षित जोखिम शून्य माना जाता है क्योंकि यह लेखा अवधि में समाप्त होने वाली एक छोटी अवधि है। प्रीमियम मास्टर परिपत्र संदर्भ संख्या IRDA-F-A-CIR-FA–126–07–2013 दिनांक 3 जुलाई, 2013 के शुद्धिपत्र के अनुपालन में बुक किया गया है।

5-4 Loh—r iqu%chek

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय की

translated at the average exchange rate of daily closing rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.

4.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/expense.

5. Revenue Recognition:

5.1 Premium

Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Any subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur. Re-Insurance premium is recognized as per the terms of the re-insurance contracts.

5.2 Commission

Commission income on reinsurance cessions is recognized as income in the year in which reinsurance premium is ceded. Profit commission under reinsurance treaties wherever applicable, is recognized when actually calculated in the year subsequent to the Treaty period. Any subsequent revisions of profit commission also are recognized for in the year in which final determination of the profits is made.

5.3 Reserves for Unexpired risk/s

Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % of the net written premium in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% of the net written premium in case of Marine Hull business. It represents the net premium attributable to the successive financial year/s. Unexpired risk for Kharif crop is taken as nil as it is a short term expiring with in the accounting period. The premium is booked in compliance of corrigendum to Master circular ref. no. IRDA-F&A-CIR-FA- 126-07-2013 Dt.3rd July, 2013

गणना अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर की जाती है, तथा विदेशी पुनर्बीमा के मामले में, आय का लेखा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर किया जाता है ।

5-5 vfiz iuchek

ए. पुनर्बीमा रियायतों का लेखा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जहां कहीं भी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, वहां पुनर्बीमा स्वीकृतियां/ रियायतें उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान के आधार पर की जाती हैं।

बी. पुनर्बीमा रियायतें और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर पुनर्बीमा वसूली तकनीकी विभागों द्वारा अंतिम रूप दिए गए रिटर्न के आधार पर बुक की जाती हैं। तकनीकी विभागों द्वारा प्रदान किए गए प्रीमियम और दावा वसूली के आंकड़ों में कोई भी अंतर, बुक किए गए वास्तविक आंकड़ों के साथ अनंतिम सामान्य प्रविष्टियों के माध्यम से दर्ज किया जाता है ।

5-5 çhfe;e vfxze :i ls çkIr gqvk

अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम, वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है, जहां जोखिम बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होता है।

5-6 ykHkka'k

1. लाभांश का लेखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

2. आपत्ति के अधीन/लंबित डिलीवरी वाले शेयरों पर लाभांश की गणना प्राप्ति पर की जाती है। अंतरिम लाभांश की गणना तब की जाती है जब पूर्व लाभांश तिथि 31 मार्च या उससे पहले हो ।

3. विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश (चाहे अंतरिम हो या अंतिम) का लेखा संग्रहण के आधार पर किया जाता है।

5-7- C;kt vk;

ए. ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों, बांड और डिबेंचर के संबंध

5.4 Reinsurance Accepted

Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received up to 30th April of next Financial Year of accounts, and in case of foreign reinsurance, the income is accounted for on the basis of returns received up to 31st March of each year.

5.5 Reinsurance Ceded

a. Reinsurance cessions are accounted for on the basis of actuals. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.

b. Reinsurance cessions and reinsurance recoveries on facultative arrangements are booked based on returns finalized by technical departments. Any difference in figures of premium ceded and claim recoveries provided by technical departments, with those of actuals booked are accounted through provisional journal entries.

5.5 Premium received in Advance

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

5.6 Dividend

1. Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.

2. Dividend on shares under objection/ pending delivery is accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the ex-dividend date is on or before 31st March.

3. Dividend from foreign companies (whether interim or final) is accounted for on collection basis.

में ब्याज आय की पहचान, आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए आईआरडीएआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

बी. आयकर रिफंड पर ब्याज आय का लेखा आदेश प्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

5-8 o`pj dfiVy QaM

उद्यम पूंजी निधि के संबंध में राजस्व प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त है

5-9 çhfe;e dh deh

प्रीमियम की कमी की गणना तब की जाती है जब अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत का योग संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो। प्रीमियम की कमी को आईआरडीए के दिशा–निर्देशों के अनुसार पहचाना जाता है और यह अप्रयुक्त जोखिम रिजर्व का हिस्सा बनता है।

5-10 fuos'k l`s vk;&vkcVu dk vk/kkj

निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभध्हानि की गणना, बिक्री/मोचन के पूर्ववर्ती दिन की समाप्ति पर औसत लागत लेकर की जाती है।

निवेश आय (व्यय को घटाकर) को शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों के बीच वर्ष के अंत में इन निधियों के शेष के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

पॉलिसीधारकों से संबंधित निवेश आय (व्यय के बाद शुद्ध) को वर्ष के अंत में संबंधित तकनीकी आरक्षित शेष के अनुपात में अग्नि, मरीन और विविध खंडों में विभाजित किया जाता है।

5.11 निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन, निवेश से संबंधित व्यय, निवेश को बट्टे खाते में डालना तथा ब्याज, लाभांश और किराये के रूप में आय को वर्ष के अंत में पॉलिसीधारकों की निधि और

5.7. Interest Income

a) Interest income in respect of loans,government securities, bonds and debentures is recognized as per the guidelines for prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI.

b) Interest income on Income Tax Refunds is accounted in the year of receipt of order.

5.8 Venture Capital Fund

Revenue in respect of Venture capital Fund is recognized on receipt basis

5.9 Premium Deficiency

Premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium deficiency is recognized as per IRDA guidelines and forms part of unexpired risk reserve.

5.10 Income from Investments- Basis of Apportionment

Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/ redemption.

Investment income (net of expenses) is apportioned between Shareholders' funds and Policyholders' funds in proportion to the balance of these funds at the end of the year.

Investment income (Net of expenses) belonging to Policyholders is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous segments in proportion to respective technical reserve balance at the end of the year.

5.11 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non-performing assets, provision

शेयरधारकों की निधि के आधार पर राजस्व खातों और लाभ एवं हानि खातों के बीच आवंटित किया जाता है।

5.12. नये बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण/नवीनीकरण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में ली जाती है जिसमें वे व्यय किये जाते हैं।

6- cdk;k nkos%

दावों को रिपोर्ट किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, अंतिम तिथि तक नेताओं और अन्य स्रोतों की सलाह, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों पर आधारित है। अनुमानों की लगातार समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालाँकि, अंतिम देयता प्रदान की गई राशि से अधिक या उससे कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में परिलक्षित होगा जिसमें वे ज्ञात होते हैं। बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता में शामिल हैं:

ए. प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में, वर्ष के अंत तक प्राप्त दावा सूचनाएं।

बी. पुनर्बीमा स्वीकृतियों के संबंध में, खातों को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक आगामी वर्ष की विभिन्न तिथियों पर प्राप्त सूचनाएँ तथा जहाँ सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं, वहाँ अनुमान के आधार पर सूचनाएँ।

सी. मोटर तृतीय पक्षीय दावों के संबंध में, जहां कंपनी की देयता स्थापित करने के लिए पर्याप्त पॉलिसी विवरण के बिना कंपनी को अदालती समन भेजा गया है, वहां निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

i) अनुमानित देयता का 100% जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं

ii) अनुमानित देयता का 1/3, जहां वर्ष के दौरान कंपनी में अदालती समन तामील किया गया हो।

डी. दावों के लिए प्रावधान जो उपगत हैा लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और दावों के लिए प्रावधान

for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities, expenses relating to investments, investment written off and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the end of the year.

5.12. The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

6. Outstanding Claims:

Claims are recognized as and when reported.

Estimated liability for outstanding claims at the year-end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources up to the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:

a. In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.

b. In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year up to the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.

c. In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

जो उपगत हैं और पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) को नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किया गया है जो स्वीकृत बीमांकक प्रणाली, आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 की आवश्यकता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में जारी किए गए मास्टर परिपत्रों और भारतीय बीमांकक संस्थान की शर्तों के अनुसार है। शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर की गणना सकल दावा रिजर्व में सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

ई. उन दावों के लिए प्रावधान किए गए हैं जिन्हें कंपनी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन दावेदारों द्वारा न्यायालयों/लोकपाल/मध्यस्थता आदि में चुनौती दी गई है, जहां यह माना जाता है कि कुछ निश्चित घटनाक्रमों या अतिरिक्त साक्ष्यों के कारण पुरस्कार/निर्णय कंपनी के विरुद्ध होने की संभावना है।

7- vof'k"V vkj nkok oly

दावों के अंतर्गत बचाव/वसूलियों का निपटान, वसूली के समय हिसाब में लिया जाता है तथा दावों में जमा कर दिया जाता है।

8- çc/ku 0;;&foHkkt u%

पॉलिसी स्टाम्प के अलावा प्रबंधन के व्यय भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और भारत में स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किए जाते हैं, जिसमें अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए 100% और मरीन व्यवसाय के लिए 75% का महत्व दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प, एजेंसी कमीशन, एमआईएसपी वितरण शुल्क और ब्रोकरेज से संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों में आवंटित किए जाते हैं। राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में व्यय का आवंटन आईआरडीएआई विनियमों दिनांक 24.04.2016 के अनुसार किया जाता है।

9- vpy lifUk;k vkj eY;gkl%

9.1 संपत्तियां (अधिग्रहित संपत्ति अधिकारों के लिए सहकारी समितियों में शेयरों की लागत सहित)

i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year

ii) 1/3rd of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

D Provision for claims incurred but not reported (IBNR) and provision for claim incurred and not enough reported (IBNER) have been determined by appointed actuary which is in accordance with accepted actuary practice, requirement of IRDA (Preparation of financial statements and auditor's report of insurance companies) Regulations 2002 and the master circulars issued in the context of preparation of financial statements and stipulations of the institute of Actuaries of India. The net IBNR/IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves.

e. Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ombudsman/ arbitration etc. have been made where it is opined that the awards/ decision are likely to be against the company because of certain developments or additional evidence.

7. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

8. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium in India plus reinsurance premium accepted India giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps, Agency Commission, MISP distribution

''लीजहोल्ड संपत्ति/फ्रीहोल्ड भवन'' शीर्षक के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

9.2 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत में से मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण की लागत और संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

9.3 निर्माणाधीन लेकिन उपयोग में नहीं लाई जा रही परिसंपत्तियों को ''प्रगतिशील पूंजीगत निर्माण'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

9.4 कंपनी अधिनियम, 2013 की खंड़ 123 के तहत अनुसूची II में निर्धारित एसएलएम आधार पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। हालांकि, कंपनी की योजना के अनुसार वाहनों और मोबाइल फोन के लिए उपयोगी जीवन क्रमशः 5 वर्ष और 2 वर्ष निर्धारित किया गया है।

9.5 अमूर्त परिसंपत्तियों का लेखा उनकी अधिग्रहण लागत पर किया जाता है तथा एएस 26 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधन किया जाता है।

9.6 पट्टा–धारित संपत्तियों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान किया जाता है।

9.7 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन इस बात के संकेत के लिए किया जाता है कि संपत्ति क्षतिग्रस्त है। यदि अचल संपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो क्षतिग्रस्तता हानि के लिए प्रावधान किया जाता है।

9,-1 tgk dEiuh iêdkj g% %

ऐसे पट्टे जहां पट्टादाता पट्टे की अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

fee and Brokerage are directly allocated to respective Revenue Accounts. The allocation of expenses to revenue accounts and Profit and Loss Account is done as per IRDAI regulations dt. 24.04.2016.

9. Fixed Assets & Depreciation:

9.1 Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/Freehold Buildings".

9.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.

9.3 Assets under completion acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".

9.4 Depreciation is provided on the basis of useful life on SLM basis as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. However, useful life for Vehicles and Mobile phones is fixed at 5 years & 2 years respectively as per the scheme of the company

9.5 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.

9.6 Lease hold properties are amortized over the lease period.

9.7 Fixed assets are assessed for any indication that an asset is impaired. In case the recoverable amount of the fixed assets is lower than its carrying amount, a provision is made for the impairment loss.

9A.1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains

9,-2 tgk dEiuh iêkdrk gS %

परिचालन पट्टे के अधीन संपत्तियाँ अचल संपत्तियों में शामिल हैं। अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पट्टे की आय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागतों को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

10- fuos'k%

10.1 लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज और जीएसटी, हस्तांतरण टिकट, हस्तांतरण शुल्क आदि जैसे खर्च शामिल हैं, और यह उस पर प्राप्त प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो, को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

10.2 अल्पावधि मुद्रा बाजार दस्तावेज जैसे जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र, जिन्हें अनुबंध के समय सहमत दरों पर भुनाया जाता है, उन्हें रियायती मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है।

10.3 ऋण प्रतिभूतियाँः सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को ''परिपक्वता तक धारित'' माना जाता है और उनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है तथा प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

10.4 इक्विटी प्रतिभूतियाँः इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कारोबार वाले, कम कारोबार वाले और गैर–सूचीबद्ध में विभाजित किया गया है।

10.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन मार्च के महीने में एनएसई पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सुरक्षा प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध/विनियमित नहीं की जाती है, तो इसका मूल्यांकन मार्च के महीने में बीएसई पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाएगा, जिसे द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता

9A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the Profit and Loss Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

10. Investments:

10.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage and GST, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.

10.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.

10.3 Debt Securities: Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as "held to maturity" and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.

10.4 Equity Securities: Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.

10.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted

है। अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में दर्ज किया जाता है।"

10.4.2 भारत के बाहर निगमित कंपनियों में धारित कम कारोबार वाले/असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालांकि, ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है, जब कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक–अप मूल्य लागत से कम हो जाता है, जो कि तत्काल पिछले तीन वर्षों से पहले नहीं होता है। यदि ब्रेक–अप मूल्य ऋणात्मक है या जहां वर्तमान ब्रेक–अप मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो बुक वैल्यू के बराबर राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.5 वरीयता शेयरों के मामले में, जहां मोचन आय तीन वर्ष से अधिक समय के लिए देय है, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

10-6 gkfu

इक्विटी और वरीयता शेयरों में हानि की पहचान की जाती है, जहां कंपनियां पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है या जहां पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है:

10-6-1 bfDoVh 'k;j %

ए. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर (उपर्युक्त लेखा नीति 10.4.1 के अनुसार) या बही मूल्य जो भी कम हो।

बी. कम कारोबार वाले/असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, कंपनी के नवीनतम वार्षिक खातों के अनुसार विभाजन मूल्य पर, जो पिछले तीन वर्षों से पहले का न हो। – जहां विभाजन मूल्य ऋणात्मक हो या जहां पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खाते उपलब्ध न हों, वहां प्रति कंपनी 1 रुपए के अंकित मूल्य पर।

closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account."

10.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost as per the latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. In case the break-up value is negative or where the current break-up value is not available, provision is made for an amount equivalent to the book value.

10.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.

10.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

10.6.1 Equity Shares:

a) In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price (as per Accounting Policy 10.4.1 above),or book value whichever is lower.

b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up

10-6-2 vf/kekfur 'k;j %

ए) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार होता है, तो उसके अधिमानित शेयरों को उस मूल्य तक लिख दिया जाता है जो इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य और उसके अंकित मूल्य के अनुपात में होता है।

बी) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर गैर–सूचीबद्ध / थोड़े कारोबार वाले हैं, तो उसके अधिमान्य शेयरों को उस मूल्य तक घटा दिया जाता है, जो इक्विटी शेयर के विभाजित मूल्य और उसके अंकित मूल्य के समानुपात में होता हैय जहां इक्विटी शेयर का विभाजित मूल्य ऋणात्मक है या जहां तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रति कंपनी 1 रुपए के अंकित मूल्य तक घटा दिया जाता है।

10.6.3 लेखांकन नीति संख्या 10.6 के अनुसार 01 / 04 / 2000 के बाद हानि को वापस लिखा जाता है और राजस्व / लाभ और हानि खाते में तभी पहचाना जाता है जब संचित हानि पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और नवीनतम उपलब्ध प्रकाशित खातों के अनुसार पूंजी पूरी तरह से बहाल हो जाती है। यद्यपि, हानि के प्रतिवर्तन को इक्विटी और वरीयता शेयरों दोनों के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहाँ अधिमानित शेयरों की मोचन आय तीन साल से अधिक समय के लिए देय होती है।

10.7 म्यूचुअल फंड / विनियमित कारोबारी फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य(एनएवी) पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ / हानि को ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' में दर्ज किया जाता है।

10.8 वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। यद्यपि, यदि नवीनतम नेट एसेट वैल्यू (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से कम है, तो लागत और नेट एसेट वैल्यू के बीच के अंतर की सीमा तक निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है। पहले से स्वीकृत हानि की सीमा तक एनएवी में कोई भी वृद्धि राजस्व में ली जाती है।

value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.6.2 Preference shares:

a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.

b) If the equity shares of a Company are unlisted/thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the breakup value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 10.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.

10.7 Investments in units of Mutual Funds/Exchange Traded Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".

10.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest

10.9 मानक/गैर–निष्पादित ऋण/जमा/डिबेंचर के लिए प्रावधान आईआरडीए/संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

बैलेंस शीट की तिथि पर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋणधनिवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उनकी वसूली निश्चित नहीं है।

10-10 vkcVu%

आईआरडीएआई विनियमों के (परिपत्र क्रमांक आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/सीपीएम/056/03/2016 दिनांक 04.04.2016) के अनुसार बैलेंस शीट की तारीख पर अलग किया जाता है।

11- deipkfj;k dh ykHk%

11.1 ग्रेच्युटी के लिए देयता वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित की जाती है और इसे अनुमोदित निधि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण और अन्य परिभाषित कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं ।

11.1.1 कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए देयता वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार प्रोद्भवन के आधार पर निर्धारित की जाती है और 01.04.2010 से शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पेंशन के मामले को छोड़कर अनुमोदित निधि के माध्यम से प्रशासित की जाती है, जो कि परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए अंशदान को लागू होने पर राजस्व खातों में लिया जाता है।

11.2 कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। अवधि के लिए निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है।

Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.

10.9 Provisions for standard/non-performing loans/ deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA / related RBI Guidelines

Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisibility is not certain.

10.10 Apportionment:

The investments pertaining to shareholders' and policyholders' are segregated as on the Balance Sheet date as per the IRDAI Regulations (circular no. IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 DT. 04.04.2016).

11. Employees' Benefits:

11.1 The liability for gratuity is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund. Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.

11.1.1 The Liability for pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund except in case of pension for the employee who joined from 01.04.2010.which is defined contribution plan wherein contribution towards national pension scheme is charged to Revenue Accounts as applicable..

11.3 सभी अल्पकालिक लाभों को कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के आधार पर लेखा अवधि के दौरान बिना छूट के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12- dj fu/kkj.k %

कर व्यय (कर बचत) चालू वर्ष के कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), पिछले वर्ष के कर और स्थगित कर (अवधि के लिए लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभावों को दर्शाता है) का योग है। इन्हें लाभ और हानि खाते में चार्ज (या क्रेडिट) किया जाता है।

12-1 orZeku o"kZ dk çHkkj%

वर्तमान कर का प्रावधान कंपनी के कर योग्य लाभ पर किया जाता है, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील की राय पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है।

12-2 fiNyh o"kZ dk dj%

अस्वीकृतियों या अन्य कारणों से अपील के अधीन मामलों के लिए, प्रावधानों को उचित माना जाता है।

12-3 vkLFkfxr dj%

(ए) आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट तथा तदनुरूपी आस्थगित कर देयताओं को कर योग्य आयों तथा लेखा आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतरों के लिए उस कर दर का उपयोग करते हुए मान्यता दी जाती है, जिसे बैलेंस शीट की तिथि पर अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

(बी) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह उचित निश्चितता है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे ले जाने के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक

11.2 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

11.3 All short term benefits are accounted on undiscounted basis during the accounting period based on the service rendered by the employee.

12. Taxation:

Tax expense(tax saving) is the aggregate of current year tax(i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income tax law) , earlier year tax and deferred tax (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period) . These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

12.1 Current Year Charge:

Provision for current tax is made on the assessable profits of the company as determined under The Income Tax act, 1961 after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinion from the Company's Counsel.

12.2 Earlier year Tax:

Provisions are recorded as considered appropriate, for matters under appeal due to Disallowances or for other reasons.

12.3 Deferred Tax:

(a) The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities are recognized for timing differences arising between taxable incomes and accounting

यह वास्तविक निश्चितता है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है।

12.4 कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया MAT, जो भविष्य में आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभों को जन्म देता है, को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कंपनी भविष्य की आय पर सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में तब पहचाना जाता है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

13- nkok u fd, x, ØfMV 'k"k %

वैधानिक भुगतान, एमएसीटी दावों या प्रीमियम की वापसी, दावों के भुगतान या अन्य बकाया राशि के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए चेक को छोड़कर, जारी होने की तिथि से 3 साल से अधिक समय तक दावा न किए गए पुराने चेक वापस लिखे जाते हैं। 3 साल से अधिक समय तक दावा न किए गए अन्य पुराने क्रेडिट शेष को मामले के आधार पर वापस लिखा जाता है। पॉलिसीधारकों के बकाया से संबंधित दावा न किए गए चेक '' पॉलिसीधारकों के बकाया खाते'' में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 कंपनी प्रावधानों को तभी मान्यता देती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप उसका कोई वर्तमान दायित्व हो, तथा यह सम्भावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

14.2 आकस्मिक देयताएं तब दर्ज की जाती हैं जबः

i. कोई संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि

income using the tax rate that has been enacted or substantively enacted as on the date of the Balance Sheet.

(b) Deferred tax assets are recognized only to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation and carry forward of losses under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty that the assets can be realized in future. Deferred Tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.

12.4 MAT paid in accordance with the tax laws, which give rise to future economic benefits in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the company will pay normal income tax on future income. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the balance-sheet when it is probable that the future economic benefit associated with it will flow to the company and the asset can be measured reliably.

13. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 The company recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a

केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैंय या

ii. कोई वर्तमान दायित्व है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन

ए. यह सम्भावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगीय या

बी. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इनका आकलन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व के केवल उस भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

14-3 vkdfLed ifjlaifÙk;ksa dk foÙkh; fooj.kksa esa u rks ekU;rk nh tkrh gS vkj u gh mudk [kyklk fd;k tkrk gSA

15- çfr 'ks;j vk; ¼bZih,l½

ईपीएस (बेसिकध मिश्रित) की गणना इक्विटी शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों की बेसिक/भारित औसत संख्या पर कराधान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ के आधार पर की जाती है।

past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 Contingent Liabilities are recorded when:

i. There is any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company; or

ii. There is any present obligation that arises from past events but

A. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

B. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

15. Earnings Per share (EPS)

EPS (Basic/diluted) is arrived at based on net profit after taxation attributable to equity shareholders to the basic/weighted average number of equity shares.

31 ekpl 2024 dk lekIr gkus okys o"kZ ds fy, y[kkijhf{kr LVSMvyksu foÙkh; foojf.k;ksa dk fgLlk cuus okyh uksV%l

B. Notes forming part of Audited Standalone Financial Statements for the year ending on 31st March 2024

vkbZvkjMh,vkbZ }kjk vif{kr fooj.kksa dk çdVhdj.k A

DISCLOSURES OF PARTICULARS AS REQUIRED BY IRDAI.

1. vkdfLed nk;ksa@Contingent Liabilities

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
a	आंशिक रूप से भुगतान किया गया निवेश / Partly Paid Investments	1,50,00	1,50,00
b	बीमालेखन प्रतिबद्धता बकाया / Underwriting Commitment Outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
c	जिन पॉलिसियों के अंतर्गत ऋण को स्वीकार नहीं किया गया, उनके अलावा अन्य दावे / Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt	1,32,20	12,65,86
d	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी / Guarantee given by or on behalf of the Company	शून्य / NIL	शून्य / NIL
*e	विवादित सांविधिक मांगेंध्देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है / Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	23,49,70,29	8,52,18,66
f	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसके लिए लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है / Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	शून्य / NIL	शून्य / NIL

* विवादित सांविधिक मांगें / देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है: संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है
* Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for: Summarized details are as under

क्रम सं. Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes	8,18,27,40	7,83,53,87
2	सेवा कर / जीएसटी / Service Tax/GST	13,59,99,14	61,98,10

3	क्षे.का. आकस्मिक देयताएं./RO contingent Liabilities.	1,71,43,75	6,66,69
4	अन्य सांविधिक मांग/ Other Statutory Demand	शून्य/NIL	शून्य/NIL
	dy dj ekx@n;rk,a ftudk çko/kku ugh fd;k x;k **Total Tax Demands/ Liabilities not provided For**	**23,49,70,29**	**8,52,18,66**

2. Hkkjr esa vkj Hkkjr ds ckgj dEiuh dh ifjlaifÙk;ksa ij Hkkj@Encumbrances to assets of the Company in and outside India

क्रम सं. Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए/Bank Accounts frozen as per Court Orders	2,18,25	37
2	सरकार की ओर से पर्यावरण राहत कोष के अंतर्गत जमा राशि/Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	शून्य/NIL	शून्य/NIL

3. çfrc)rk,a rFkk _.k] fuos'k vkj vpy laifÙk;ksa ds fy, cdk;k@Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets

क्रम सं. Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	ऋण/ Loans	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर/Partly Paid Shares	14,40	14,40
3	निवल अग्रिमों की केपिटल प्रतिबद्धताएं /Capital Commitments Net of Advances	2,60,79,96	NIL

4. fuEu dk iqucheek ?kVkdj Hkqxrku fd, x, nkos@Claims less Reinsurance, paid to

क्रम सं. Sl.No.	विवरण Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	भारत में दावेदार/Claimants in India	1,38,54,14,91	1,30,40,24,23
2	भारत से बाहर के दावेदार/Claimants outside India	3,62,88,60	2,35,99,68
	कुल/Total	1,42,17,03,51	1,32,76,23,91

5. उन दावों के मामले में दावा देयताओं के निर्धारण के लिए बीमांकक अनुमान जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है ।

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

5.1 ऐसे दावों के मामले में दावा देयताओं की गणना करने के लिए कोई अलग अनुमान नहीं किए जा रहे हैं, जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है। आईबीएन (ई)आर रिजर्व उन दावों की देयताओं का ध्यान रखता है, जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है।

5.2 सकल आईबीएन (ई) आर भंडार (असूचित दावों के लिए संयुक्त भंडार और साथ ही रिपोर्ट किए गए दावों के कैरीड रिजर्व की अपर्याप्तता (यदि कोई हो) का अनुमान भारतीय एक्चुअरीज संस्थान द्वारा जारी एक्चुअरियल प्रैक्टिस मानकों और प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में एक्चुअरियल सिद्धांतों का उपयोग करके लगाया जा रहा है। मुख्य रूप से, आईबीएन (ई) आर अनुमान के लिए चेन लैडर दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। जहां भी डेटा कम है, अनुमानित यूएलआर दृष्टिकोण का भी पालन किया जाता है। क्रॉप एलओबी के मामले में, क्रॉप वर्टिकल द्वारा प्रस्तुत इनपुट पर निर्भरता रखी जाती है।

5.3 31 मार्च, 2024 तक उपगत किन्तु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और उपगत किन्तु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) के लिए प्रावधान नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस संबंध में स्वीकृत बीमांकन प्रक्रिया और आईआरडीए विनियमों के अनुसार है।

5.1 No separate assumptions are being taken to work out claims liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years. IBN(E)R Reserves take care of claim liabilities where the claim payment period exceed four years.

5.2 Estimates of Gross IBN(E)R reserves (combined reserve for unreported claims as well as insufficiency of carried reserves of reported claims (if any) are being made using actuarial principles in compliance with the Actuarial Practice Standards issued by the Institute of Actuaries of India and the directions of the Authority. Primarily, Chain Ladder approach is used for IBN(E)R estimation. Wherever data is scanty, estimated ULR approach is also followed. In case of Crop LoB, reliance is placed on the inputs furnished by the Crop vertical.

5.3 Provision towards Claims Incurred but Not Reported (IBNR) and those Incurred but Not Enough Reported (IBNER) as on 31st March,2024 have been determined by Appointed Actuary, which is in accordance with accepted actuarial practice and IRDA regulations in this regard.

6- nkok dh vof/k ¼vkbZch,uvkj dk NkM+dj çR;{k½

6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)

,½ nkok dh vof/k ¼vkbZch,uvkj dk NkM+dj çR;{k½ Hkkjr dh Hkhrj ¼#- ^000 e½

a) Ageing of claims (Direct excluding IBNR): Within India(Rs. in '000)

व्यवसाय की श्रेणी / Class of Business	वर्ष / Year	बकाया दावे / Claims outstanding for					
		छह महीने से अधिक / More than six months		छह महीने से कम / Less than Six months		कुल / Total	
		संख्या Number	संख्या Amount	संख्या Number	संख्या Amount	संख्या Number	संख्या Amount
अग्नि / Fire	तक / As at 31.03.2024	2037	21,17,73,12	1044	5,07,64,03	3081	26,25,37,15
	तक / As at 31.03.2023	1669	21,70,65,61	560	3,96,99,77	2229	25,67,65,38
मरीन / Marine	तक / As at 31.03.2024	1624	7,05,77,50	1868	71,85,40	3492	7,77,62,90
	तक / As at 31.03.2023	1558	6,72,76,21	1104	51,01,54	2662	7,23,77,75
विविध / Misc.	तक / As at 31.03.2024	415716	82,54,64,96	191428	27,99,13,76	607144	1,10,53,78,72
	तक / As at 31.03.2023	359995	76,65,19,77	151819	22,47,04,73	511814	99,12,24,50
कुल / Total	तक / As at 31.03.2024	419377	1,10,78,15,58	194340	33,78,63,19	613717	1,44,56,78,77
	तक / As at 31.03.2023	363222	1,05,08,61,59	153483	26,95,06,04	516705	1,32,03,67,63

ch½ nkoksa dh vof/k ¼vkbZch,uvkj dks NksM+dj çR;{k½ % Hkkjr ls ckgj ¼#- ^000 esa½

b) Ageing of claims (Direct excluding IBNR) : Outside India (Rs. in '000)

व्यवसाय की श्रेणी / Class of Business	वर्ष / Year	बकाया दावे / Claims outstanding for					
		छह महीने से अधिक / More than six months		छह महीने से कम / Less than Six months		कुल / Total	
		संख्या Number	संख्या Amount	संख्या Number	संख्या Amount	संख्या Number	संख्या Amount
अग्नि / Fire	तक / As at 31.03.2024	108	1,04,52,63	115	19,47,06	223	1,23,99,69
	तक / As at 31.03.2023	85	2,00,21,02	82	18,97,68	167	2,19,18,69
मरीन / Marine	तक / As at 31.03.2024	54	5,53,59	34	26,98,33	88	32,51,92
	तक / As at 31.03.2023	30	3,36,24	38	1,68,82	68	5,05,06
विविध / Misc.	तक / As at 31.03.2024	25426	40,52,00	16398	74,13,07	41824	1,14,65,07
	तक / As at 31.03.2023	1129	23,90,68	28634	42,31,84	29763	66,22,52
कुल / Total	तक / As at 31.03.2024	25588	1,50,58,22	16547	1,20,58,46	42135	2,71,16,68
	तक / As at 31.03.2023	1244	2,27,47,94	28754	62,98,34	29998	2,90,46,27

lh½ nkoksa dh vof/k ¼vkbZch,uvkj dks NksM+dj çR;{k½ dqy ¼#- ^000 esa½

c) Ageing of claims (Direct excluding IBNR): Total(Rs. in '000)

व्यवसाय की श्रेणी / Class of Business	वर्ष / Year	बकाया दावे / Claims outstanding for					
		छह महीने से अधिक / More than six months		छह महीने से कम / Less than Six months		कुल / Total	
		संख्या Number	संख्या Amount	संख्या Number	संख्या Amount	संख्या Number	संख्या Amount
अग्नि / Fire	तक / As at 31.03.2024	2154	22,22,25,75	1159	5,27,11,09	3304	27,49,36,84
	तक / As at 31.03.2023	1754	23,70,86,63	642	4,15,97,45	2396	27,86,84,08
मरीन / Marine	तक / As at 31.03.2024	1678	7,11,31,09	1902	98,83,73	3580	8,10,14,82
	तक / As at 31.03.2023	1588	6,76,12,45	1142	52,70,36	2730	7,28,82,81
विविध / Misc.	तक / As at 31.03.2024	441142	82,95,16,96	207826	28,732,6,83	648968	1,11,684,3,79
	तक / As at 31.03.2023	361124	76,89,10,45	180453	22,89,36,57	541577	99,78,47,02
कुल / Total	तक / As at 31.03.2024	444965	1,12,28,73,80	210887	34,99,21,65	655852	1,47,27,95,45
	तक / As at 31.03.2023	364466	1,07,36,09,53	182237	27,58,04,38	546703	1,34,94,13,91

7. çhfe;e e lh iquchekk dk de djd fy[kk x;k@**Premium less Reinsurance underwritten from**

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	भारत में व्यापार / Business in India	1,56,18,80,51	1,39,08,22,92
2	भारत से बाहर व्यापार / Business outside India	5,73,90,46	4,30,41,02
	कुल / Total	1,61,92,70,97	1,43,38,63,94

8. fuos'k dh lkS/k e lfonkvksa dk eY;@ **Value of contracts in relation to investments for**

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	ऐसी खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है' Purchases where deliveries are pending*	शून्य / Nil*	शून्य / Nil*
2	ऐसी बिक्री जहां भुगतान बकाया है Sales where payments are overdue	शून्य / Nil	शून्य / Nil

***** उन डिलीवरी को छोड़कर जो स्टॉक एक्सचेंज निपटान के कारण प्रभावित नहीं होती हैं।

* Except deliveries which are not affected due to stock exchange settlement.

9. mfpr eY; dh vk/kkj ij eY;kfdr bfDoVh 'ks;jksa@E;pqvy QaM dh bdkbZ;ksa dh ,frgkfld ykxr@ **Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis**

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत / Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis	38,27,58,05	36,16,36,34

10. çc/kdh; ikfjJfed dh x.kuk@**Computation of managerial remuneration**

अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार, देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर प्रतिबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

As per notification no.GSR 463(E) dated 05.06.2015 section 197 of the Companies Act, 2013, the restriction on managerial remuneration payable, is not applicable to Government Companies.

11. fuos'k lEifÙk dk mfpr eY; vkSj mldk vk/kkj@ **Fair value of Investment Property and basis thereof**

आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 के तहत अपेक्षित, निवेश संपत्ति का मूल्य ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर निर्धारित किया गया है।

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, the value of Investment Property has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

12. fuiVk, x, nkos vkj Hkqxrku u fd, x, 'k"k nkos@**Claims settled and remaining unpaid**

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	बैलेंस शीट की तिथि पर 6 महीने से अधिक समय तक निपटाए गए और भुगतान न किए गए दावे। / Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date.	शून्य / NIL	शून्य / NIL

13. lkfof/kd vko';drkvksa dk vuqlkj fd, x, fuos'k **Investments made in accordance with statutory requirements**

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	स्थानीय कानूनों के तहत सांविधिक जमा के माध्यम से भारत के बाहर किए गए निवेश Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws		
	दुबई / Dubai	1,92,807	1,92,462
	कुवैट / Kuwait	3,69,054	3,64,324
	नेपाल / Nepal	16,19,133	13,58,325
	यूके / U.K.	0	6,19,002
	कुल **Total**	**21,80,994**	**2,53,41,13**
2	संस्थागत ट्रेडों के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा सेबी के निर्देशों के अनुसार / Sales where payments are overdue	शून्य / Nil	शून्य / Nil

14. vk; fu/kkj.k] ifjlifÙk oxhdj.k vkj çko/kku dh mís'; ls _.k lfgr fu"iknu vkj xSj&fu"iknu fuos'kksa esa fuos'kksa dk foHkktu vkbZvkjMh,vkbZ@lscsh/kr vkjchvkbZ }kjk tkjh fn'kk&funsZ'k fuEukuqlkj gS%

Segregation of Investments into Performing and non-performing investments including loans for the purpose of income recognition, Asset classification and provisioning issued by IRDAI /related RBI Guidelines are as under:

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	निष्पादन निवेश (मानक) / Performing Investments (Standard)	1,55,83,52,68	1,66,19,73,51

2	गैर–निष्पादन निवेश / Non-Performing Investments	4,04,90,19	4,24,80,58
3	कुल बही मूल्य / Total Book Value	1,59,88,42,87	1,70,44,54,09

15. foÙkh; foojf.k;ksa dk lkjka'k@Summary of financial statements:

dEiuh dh foÙkh; foojf.k;ksa dk lkjka'k fuEukuqlkj gS@The summary of financial statements of the Company is as under:

ifjpkyu ifj.kke@OPERATING RESULTS

¼:- ^000 esa½ (Rs in '000)

Sl. No.	fooj.k@Particulars	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1,87,94,13,32	1,59,92,61,28	1,40,20,43,38	1,27,47,42,02	1,39,96,01,05
2	निवल प्रीमियम Net Premium	1,61,92,70,97	1,43,38,63,94	1,22,99,62,61	1,10,07,35,77	1,09,88,69,41
3	निवेश से आय (निवल) Income from Investment (net)	38,35,63,84	27,76,00,02	22,96,91,57	24,10,31,34	31,78,75,76
4	अन्य आय / व्यय Other Income/Expenses	-38,83,05	-38,83,05	-6,10,88,78	-2,14,09,85	27,18,82,24
5	कुल आय Total Income	1,99,89,51,76	1,70,75,80,91	1,39,85,65,40	1,32,03,57,26	1,68,86,27,41
6	कमीशन (निवल) (ब्रोकरेज सहित) Commission(Net)(Including Brokerage)	8,80,49,23	9,46,33,34	9,26,15,60	9,01,51,73	8,17,11,64
7	परिचालन खर्च Operating Expenses	27,64,76,77	35,56,81,17	31,89,77,82	30,42,81,14	34,42,53,50
8	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims	1,57,19,61,70	1,48,59,11,18	1,28,94,97,34	1,05,21,69,42	1,11,79,61,84
9	असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	2,95,87,25	10,87,65,26	6,61,25,73	-29,62,50	64,25,24
10	परिचालन लाभ / हानि Operating Profit/Loss	10,22,52,61	-33,74,10,04	-30,25,25,36	-12,32,82,53	-13,82,75,19
गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS						
11	शेयरधारक खाते के अंतर्गत कुल आय / व्यय Total Income/Expenses under Shareholder's account					
	(ए) सीएसआर (a) C.S.R	12,50	0	0	-10,67,90	-86,72
	(बी) ईओएम की अधिक की उपरिराशि की स्वीकार्य सीमा (b) Excess of EOM over allowable limit	0	-15,82,12,99	-1,10,19,96	-2,60,76,44	-2,82,63,20

Sl. No.	fooj.k@Particulars	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
12	कर से पहले लाभ/(हानि) Profit/(loss) before tax	37,66,33	-49562303	-31,46,86,88	-15,12,05,60	-14,98,69,64
13	कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों और डीटीए/डीटीएल के लिए प्रावधान सहित) Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	-19,05,13	-118817	31,70,82	-13,38,67	-25,41,20
14	कर के बाद लाभ/(हानि) Profit/(loss) after tax	18,61,20	-49681120	-31,15,16,06	-15,25,44,27	-15,24,10,84
15	पॉलिसीधारक का खाता: **Policyholder's Account:**					
	कुल निधि Total funds	2,48,75,31,33	2,35,85,92,03	2,08,84,75,85	1,96,86,09,27	1,91,24,62,30
	कुल निवेश Total Investments	3,40,45,84,33	3,39,93,22,32	2,66,77,33,82	2,33,41,98,80	2,04,58,29,52
	निवेश पर लाभ Yield on Investments	8.19%	7.92%	7.56%	7.87%	7.15%
16	शेयरधारक का खाता Shareholder's Account					
	कुल निधि Total funds	-38,31,18,39	-41,46,93,56	5,24,03,74	5,42,04,89	2,00,36,19
	कुल निवेश Total Investments	-52,44,69,00	-59,76,06,06	6,70,01,01	6,42,79,21	2,15,00,25
	निवेश पर लाभ Yield on Investments	8.19	7.92	7.56	7.87	7.15
17	भुगतानित इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	46,20,00,00	46,20,00,00	46,20,00,00	46,20,00,00	46,20,00,00
18	निवल मूल्य Net Worth	-38,31,18,39	- 41,46,93,54	5,24,03,74	5,42,04,89	2,00,36,19
19	कुल संपत्ति Total Assets	3,89,76,63,63	3,51,67,45,24	3,52,88,56,61	3,42,42,72,81	3,07,69,93,06
20	कुल निवेशों से आय Yield on total investments	8.19%	7.92%	7.56%	7.87%	7.15%
21	प्रति शेयर आय Earnings per Share	0.04	-10.75	-9.24	-16.04	-76.21
22	प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) Book Value per share (Rs.)	-8.29	-8.98	1.55	5.70	10.01
23	कुल लाभांश Total Dividend	-	-	-	-	-
24	प्रति शेयर लाभांश (रु.) Dividend per share (Rs)	-	-	-	-	-

16. 31@03@2023 rd xj&thou fo'y"k.kRed vuqikr@NON-LIFE ANALYTICAL RATIOS AS ON 31/03/2023

31-03-2024 rd xj&thou fo'y"k.kRed vuqikr@ NON-LIFE ANALYTICAL RATIOS AS ON 31.03.2024						
क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल) Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि / Fire	16834398	16989379	16975156	-0.91	0.08
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	2455886	2835222	2611739	-13.38	8.56
	मरीन हल Marine Hull	2526451	2107946	1582519	19.85	33.20
	मरीन कुल / Marine Total	4982337	4943168	4194258	0.79	17.86
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	15116815	11324420	9647465	33.49	17.38
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	29746099	26759334	25410781	11.16	5.31
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर कुल / Motor total	44862914	38083754	35058246	17.80	8.63
	अभियांत्रिकी / Engineering	4898936	4377481	3646750	11.91	20.04
	विमानन / Aviation	1491371	1218178	1274592	22.43	-4.43
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	578947	585022	558803	-1.04	4.69
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	11330375	5378259	2904292	110.67	85.18
	स्वास्थ्य / Health	78953913	82511723	64115382	-4.31	28.69
	स्वास्थ्य कुल / Health total	90284288	87889982	67019674	2.72	31.14
	देयता / Liability	899006	952393	924970	-5.61	2.96
	फसल / Crop	17937211	89389	6060671	19966.46	-98.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	5171924	4797382	4491218	7.81	6.82
	विविध कुल / Miscellaneous total	166124597	137993581	119034924	20.39	15.93
	कुल Total	187941332	159926128	140204338	17.52	14.07

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31/03/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (भारतीय) Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि / Fire	15571840	15890993	16081070	-2.01	-1.18
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	2209772	2569460	2313696	-14.00	11.05
	मरीन हल Marine Hull	2499861	2084306	1549378	19.94	34.53
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	12585451	9775603	8750472	28.74	11.72
	मोटर टीपी (नॉन पूल) / Motor TP(Non- Pool)	29586555	26646711	25306960	11.03	5.29
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी / Engineering	4630986	4248847	3536002	8.99	20.16
	विमानन / Aviation	1491371	1218178	1274592	22.43	-4.43
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	541349	554886	532624	-2.44	4.18
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	11303555	5353951	2886141	111.13	85.51
	स्वास्थ्य / Health	78650610	82124009	63535883	-4.23	29.26
	देयता / Liability	837561	899066	877723	-6.84	2.43
	फसल / Crop	17937211	89389	6060671	19966.46	-98.53
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	5044274	4693700	4404488	7.47	6.57
	कुल / Total	182890394	156149101	137109700	17.13	13.89

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31/03/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (विदेशी) / Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि / Fire	1262559	1098387	894085	14.95	22.85
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	246114	265762	298044	-7.39	-10.83
	मरीन हल / Marine Hull	26590	23640	33141	12.48	-28.67
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	2531365	1548817	896993	63.44	72.67
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	159545	112622	103821	41.66	8.48
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी / Engineering	267950	128634	110749	108.30	16.15
	विमानन / Aviation	0	0	0	0	0
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	37598	30136	26178	24.76	15.12
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	26821	24307	18151	10.34	33.92
	स्वास्थ्य / Health	303303	387713	579499	-21.77	-33.10
	देयता / Liability	61446	53327	47247	15.22	12.87
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	127650	103682	86731	23.12	19.55
	कुल Total	5050939	3777029	3094639	33.73	22.05

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31/03/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल) / Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%

	अग्नि / Fire	19500671	18854540	18832396	3.43	0.12
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	2538663	2875759	2667249	-11.72	7.82
	मरीन हल / Marine Hull	2530896	2113386	1600497	19.76	32.05
	मरीन कुल / Marine total	5069559	4989145	4267746	1.61	16.90
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	15121801	11327879	9650259	33.49	17.38
	मोटर टीपी (नॉन पूल) / Motor TP(Non- Pool)	29778526	26838395	25430817	10.95	5.53
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) / Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर कुल / Motor total	44900327	38166274	35081076	17.64	8.79
	अभियांत्रिकी / Engineering	5244129	5650700	3978488	-7.20	42.03
	विमानन / Aviation	2775321	2080133	2639357	33.42	-21.19
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	589274	592110	558803	-0.48	5.96
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	11330396	5391768	3253839	110.14	65.70
	स्वास्थ्य / Health	78963745	85184109	65858006	-7.30	29.35
	स्वास्थ्य कुल / Health total	90294141	90575877	69111845	-0.31	31.06
	देयता / Liability	902080	1021884	987210	-11.72	3.51
	फसल / Crop	17937211	89390	6064653	19966.24	-98.53
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	5208361	4815207	4533456	8.16	6.21
	विविध कुल / Miscellaneous total	167850844	142991575	122954888	17.39	16.30
	कुल / Total	192421074	166835260	146055030	15.34	14.23

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (भारतीय) Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि / Fire	17804363	17434129	17558109	2.12	-0.71
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	2219681	2576694	2313696	-13.86	11.37

	मरीन हल / Marine Hull	2501476	2085752	1553642	19.93	34.25
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	12585451	9775603	8750472	28.74	11.72
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	29586555	26646711	25306960	11.03	5.29
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी / Engineering	4862992	5429206	3660050	-10.43	48.34
	विमानन / Aviation	1558267	1322385	1573058	17.84	-15.94
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	541349	554886	532624	-2.44	4.18
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	11303555	5353951	3235569	111.13	65.47
	स्वास्थ्य / Health	78658323	84795628	65278508	-7.24	29.90
	देयता / Liability	839894	968243	939823	-13.26	3.02
	फसल / Crop	17937211	89390	6064653	19966.24	-98.53
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	5048015	4695427	4423032	7.51	6.16
	कुल / Total	185447131	161728006	141190195	14.67	14.55

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (विदेशी) Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि / Fire	1696309	1420412	1274286	19.42	11.47
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	318982	299065	353554	6.66	-15.41
	मरीन हल / Marine Hull	29420	27634	46855	6.46	-41.02
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	2536350	1552276	899787	63.40	72.52
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	191973	191684	123857	0.15	54.76
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0

	अभियांत्रिकी / Engineering	381136	221493	318439	72.08	-30.44
	विमानन / Aviation	1217054	757747	1066300	60.61	-28.94
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	47925	37223	26178	28.75	42.19
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	26841	37817	18270	-29.02	106.98
	स्वास्थ्य / Health	305423	388479	579499	-21.38	-32.96
	देयता / Liability	62187	53641	47386	15.93	13.20
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध Other Miscellaneous	160346	119780	110424	33.87	8.47
	कुल / Total	6973946	5107253	4864835	36.55	4.98

16.3	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का निवल संपत्ति से अनुपात Gross Direct Premium to Net Worth Ratio	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2023	31 / 03 / 2022 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2022
	सकल प्रीमियम / Gross Premium	187941332	159926128	140204338
	निवल मूल्य / Net Worth	-38311611	-41469354	5420489
	सकल प्रीमियम का निवल वर्थ से अनुपात (गुना में) / Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)	-4.91	-3.86	25.87

16.4	निवल संपत्ति की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2023	31 / 03 / 2022 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2022	%	%
	वर्तमान वर्ष / अवधि के अंत में निवल संपत्ति / Net Worth at the end of current year/period	-38311839	-41469354	5420489		
	पिछले वर्ष / अवधि के अंत में निवल संपत्ति / Net Worth at the end of previous year/period	-41469354	5420489	2003619		
	वृद्धि एवं वृद्धि दर / (%) Growth and Growth rate (%)	3157515	-46889843	3416870	-7.61	-865.05

16.5	निवल प्रतिधारण अनुपात (कुल) Net Retention Ratio (Total)	निवल प्रीमियम 31.03.2024 NetPremium 31.03.2024	निवल प्रीमियम 31.03.2023 Net Premium 31.03.2023	निवल प्रीमियम 31.03.2022 Net Premium 31.03.2022	प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)
	अग्नि / Fire	7317963	7917031	7499768	37.53	41.99

	मरीन कार्गो / Marine Cargo	1797502	1769710	1740508	70.81	61.54
	मरीन हल / Marine Hull	909898	735764	538906	35.95	34.81
	मरीन कुल / Marine total	2707400	2505474	2279414	53.41	50.22
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	14593271	10912868	9181196	96.50	96.34
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	28515226	25639233	24064188	95.76	95.53
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर कुल / Motor total	43108497	36552101	33245384	96.01	95.77
	अभियांत्रिकी / Engineering	2513957	3102654	2080639	47.94	54.91
	विमानन / Aviation	1084407	941650	1232878	39.07	45.27
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	566113	569093	531707	96.07	96.11
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	6423938	4233269	2649856	56.70	78.51
	स्वास्थ्य / Health	75816128	82469267	63087381	96.01	96.81
	स्वास्थ्य कुल / Health total	82240066	86702536	65737237	91.08	95.72
	देयता / Liability	616258	723381	654725	68.32	70.79
	फसल / Crop	17220276	83803	5834691	96.00	93.75
	अन्य विविध Other Miscellaneous	4552160	4288671	3899818	87.40	89.07
	विविध कुल Miscellaneous total	151901734	132963889	113217079	90.50	92.99
	सभी विभाग All Departments	161927097	143386394	122996261	84.15	85.94

16.5a	निवल प्रतिधारण अनुपात (कुल) Net Retention Ratio (Total)	निवल प्रीमियम 31.03.2024 NetPremium 31.03.2024	निवल प्रीमियम 31.03.2023 Net Premium 31.03.2023	निवल प्रीमियम 31.03.2022 Net Premium 31.03.2022	प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)
	अग्नि / Fire	6395889	7051035	6671517	35.92	40.44
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	1528010	1528145	1439102	68.84	59.31
	मरीन हल / Marine Hull	880478	708130	492051	35.20	33.95
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	12081698	9382866	8312948	96.00	95.98
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	28345726	25468127	23961308	95.81	95.58
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) / Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0

	अभियांत्रिकी / Engineering	2306844	2958056	1823365	47.44	54.48
	विमानन / Aviation	-132647	183903	226335	-8.51	13.91
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	519695	532632	505993	96.00	95.99
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	6408696	4205747	2640407	56.70	78.55
	स्वास्थ्य / Health	75608928	82086491	62513318	96.12	96.81
	देयता / Liability	554980	670746	608876	66.08	69.27
	फसल / Crop	17220276	83804	5834690	96.00	93.75
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	4469479	4222611	3830932	88.54	89.93
	सभी विभाग / All Departments	156188052	139082293	118860842	84.22	86.00

16.5b	निवल प्रतिधारण अनुपात (कुल) Net Retention Ratio (Total)	निवल प्रीमियम 31.03.2024 NetPremium 31.03.2024	निवल प्रीमियम 31.03.2023 Net Premium 31.03.2023	निवल प्रीमियम 31.03.2022 Net Premium 31.03.2022	प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%)	प्रतिधारण अनुपात(%) Retention Ratio(%)
	अग्नि / Fire	922073	865997	828250	54.36	60.97
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	269493	241564	301406	84.49	80.77
	मरीन हल / Marine Hull	29420	27634	46856	100.00	100.00
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	2511573	1530003	868246	99.02	98.57
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	169501	171106	102880	88.29	89.26
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) / Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी / Engineering	207113	144598	257275	54.34	65.28
	विमानन / Aviation	1217054	757747	1006545	100.00	100.00
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	46419	36460	25714	96.86	97.95
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	15242	27522	9450	56.79	72.78
	स्वास्थ्य / Health	207200	382776	574064	67.84	98.53
	देयता / Liability	61278	52636	45848	98.54	98.13
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	82681	66060	68887	51.56	55.15
	सभी विभाग / All Departments	5739047	4304103	4135421	82.29	84.27

16.6	निवल कमीशन अनुपात – कुल (%) NET COMMISSION RATIO - TOTAL	निवल कमीशन 31.03.2024 Net Commission 31.03.2024	निवल कमीशन 31.03.2023 Net Commission 31.03.2023	निवल कमीशन 31.03.2022 Net Commission 31.03.2022	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%)
	अग्नि / Fire	1324069	1175042	1049150	18.09	14.84
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	325062	331740	279049	18.08	18.75
	मरीन हल / Marine Hull	-23545	-19556	-16657	-2.59	-2.66
	मरीन कुल / Marine total	301517	312184	262392	11.14	12.46
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	3064935	2762476	2337903	21.00	25.31
	मोटर टीपी (नॉन पूल) / Motor TP(Non- Pool)	1548996	476542	439950	5.43	1.86
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल) / Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर कुल / Motor total	4613931	3239018	2777853	10.70	8.86
	अभियांत्रिकी / Engineering	99767	233159	298012	3.97	7.51
	विमानन / Aviation	83254	57914	86735	7.68	6.15
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	90129	91504	80260	15.92	16.08
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	-431148	154544	161813	-6.71	3.65
	स्वास्थ्य / Health	2807626	3586028	3660997	3.70	4.35
	स्वास्थ्य कुल / Health total	2376478	3740572	3822810	2.89	4.31
	देयता / Liability	55037	57337	75216	8.93	7.93
	फसल / Crop	23878	409	192741	0.14	0.49
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	-163138	556193	616391	-3.58	12.97
	विविध कुल / Miscellaneous total	7179336	7976106	7950018	4.73	6.00
	सभी विभाग / All Departments	8804922	9463332	9261560	5.44	6.60

16.6a	निवल कमीशन अनुपात –भारतीय (%) NET COMMISSION RATIO - Indian (%)	निवल कमीशन 31.03.2024 Net Commission 31.03.2024	निवल कमीशन 31.03.2023 Net Commission 31.03.2023	निवल कमीशन 31.03.2022 Net Commission 31.03.2022	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%)
	अग्नि / Fire	995661	882034	777558	15.57	12.51
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	269487	290141	240321	17.64	18.99
	मरीन हल / Marine Hull	-29986	-25249	-26034	-3.41	-3.57

	मोटर ओ.डी./Motor OD	2324740	2309795	2079625	19.24	24.62
	मोटर टीपी (नॉन पूल)/ Motor TP(Non- Pool)	1511883	453152	420725	5.33	1.78
	मोटर टीपी(पूल)/ Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)/ Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी/Engineering	86705	217909	217471	3.76	7.37
	विमानन/Aviation	-17125	-2414	9510	12.91	-1.31
	कर्मकार क्षतिपूर्ति/ Workmen Compensation	79230	82804	72427	15.25	15.55
	व्यक्तिगत दुर्घटना/ Personal Accident	-431296	150441	161356	-6.73	3.58
	स्वास्थ्य/Health	2764515	3497256	3524488	3.66	4.26
	देयता/Liability	35198	39965	60205	6.34	5.96
	फसल/Crop	23878	409	192741	0.14	0.49
	अन्य विविध/ Other Miscellaneous	-180993	542140	599570	-4.05	12.84
	सभी विभाग/ All Departments	7431897	8438383	8329963	4.76	6.07

16.6b	निवल कमीशन अनुपात –विदेशी (%) NET COMMISSION RATIO - Foreign (%)	निवल कमीशन 31.03.2024 Net Commission 31.03.2024	निवल कमीशन 31.03.2023 Net Commission 31.03.2023	निवल कमीशन 31.03.2022 Net Commission 31.03.2022	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%)	निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%)
	अग्नि/Fire	328407	293009	271591	35.62	33.83
	मरीन कार्गो/Marine Cargo	55576	41599	38729	20.62	17.22
	मरीन हल/Marine Hull	6440	5693	9377	21.89	20.60
	मोटर ओ.डी./Motor OD	740196	452681	258279	29.47	29.59
	मोटर टीपी (नॉन पूल)/ Motor TP(Non- Pool)	37113	23390	19225	21.90	13.67
	मोटर टीपी(पूल)/ Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल)/ Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी/Engineering	13063	15249	80541	6.31	10.55
	विमानन/Aviation	100378	60329	77226	8.25	7.96
	कर्मकार क्षतिपूर्ति/ Workmen Compensation	10900	8699	7833	23.48	23.86
	व्यक्तिगत दुर्घटना/ Personal Accident	149	4103	456	0.98	14.91

	स्वास्थ्य / Health	43112	88772	136509	20.81	23.19
	देयता / Liability	19838	17372	15011	32.37	33.00
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	17857	14053	16821	21.60	21.27
	सभी विभाग / All Departments	1373029	1024949	931598	23.92	23.81

16.7	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन व्यय Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2023
	प्रबंधन व्यय (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission)	39397894	62239253
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	187941332	159926128
	अनुपात(%)/Ratio(%)	20.96	38.92

16.8	निवल लिखित प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन व्यय Expense of Management to Net Written Premium Ratio	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2023
	प्रबंधन का व्यय (निवल कमीशन सहित) / Expenses of Management (incl. Net Commission)	36452600	60852747
	निवल लिखित प्रीमियम आय / Net Written Premium Income	161927097	143386394
	अनुपात(%) / Ratio(%)	22.51	42.44

16.9	निवल उपगत दावा अनुपात (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)	निवल उपगत दावे 31.03.2024 Net Incurred Claims 31.03.2024	निवल अर्जित प्रीमियम 31.03.2024 Net Earned Premium 31.03.2024	निवल उपगत दावे 31.03.2023 Net Incurred Claims 31.03.2023	निवल अर्जित प्रीमियम 31.03.2023 Net Earned Premium 31.03.2023	31.03.23 तक निवल आईसीआर (%) Net ICR as at 31.03.23 (%)	निवल आईसीआर 31.03.23 तक (%) Net ICR as at 31.03.23 (%)
	अग्नि / Fire	7887005	7462588	4660478	8018090	105.69	58.12
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	1670647	1722709	1275166	1912477	96.98	66.68
	मरीन हल / Marine Hull	484037	740283	259401	595157	65.39	43.59
	मरीन कुल / Marine total	2154684	2462992	1534567	2507634	87.48	61.20
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	15540958	12748129	13024777	10059157	121.91	129.48
	मोटर टीपी (नॉन पूल) / Motor TP(Non- Pool)	24431451	27071048	23393803	24871883	90.25	94.06
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	586504	0	764372	0	0.00	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) / Motor TP(D.R. Pool)	91941	0	72863	0	0.00	0
	मोटर कुल / Motor total	40650854	39819177	37255815	34931040	102.09	106.66
	अभियांत्रिकी / Engineering	735008	2825843	1017761	2655433	26.01	38.33

	विमानन / Aviation	840176	997643	475011	1105482	84.22	42.97
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	283534	577054	266476	613842	49.13	43.41
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	6405204	5310710	4450738	3475769	120.61	128.05
	स्वास्थ्य / Health	79558613	78999598	95462890	73329955	100.71	130.18
	स्वास्थ्य कुल / Health total	85963817	84310308	99913628	76805724	101.96	130.09
	देयता / Liability	77226	673383	254380	700235	11.47	36.33
	फसल / Crop	16358855	15461768	290660	974569	105.80	29.82
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	2245012	4377844	2922344	4197821	51.28	69.62
	विविध कुल / Miscellaneous total	147154482	149043020	142396075	121984146	98.73	116.73
	सभी विभाग / All Departments	157196171	158968600	148591120	132509870	98.89	112.14

16.10	संयुक्त अनुपात / Combined Ratio	कुल 31.03.2024 Total 31.03.2024	कुल 31.03.2023 Total 31.03.2023	भारतीय 31.03.2024 Indian 31.03.2024	भारतीय 31.03.2023 Indian 31.03.2023	विदेशी 31.03.2024 Foreign 31.03.2024	विदेशी 31.03.2023 Foreign 31.03.2023
	निवल उपगत दावे / Net Incurred Claims	157196171	148591117	152447677	125889178	4748497	3060558
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	158968372	132509870	147548995	126309855	5020681	4229371
	निवल उपगत दावा अनुपात (%)/ Net Incurred Claims Ratio (%)	98.89	112.14	103.32	99.67	94.58	72.36
	भुगतान किया गया निवल कमीशन / Net Commission Paid	8804923	9463332	7431898	8329962	1373025	931598
	परिचालन प्रबंधन व्यय / Operating Management Expenses	27647677	51389415	27325097	51127509	322581	261907
	निवल लिखित प्रीमियम / Net Written Premium	161927097	143386394	156188052	139082293	5739047	4304103
	निवल परिचालन व्यय अनुपात (%)/ Net Operating Expenses Ratio (%)	22.51	42.44	22.25	42.75	29.55	27.73
	संयुक्त अनुपात (%)/ Combined Ratio (%)	121.40	154.58	125.57	142.42	124.13	100.09

16.11	तकनीकी रिजर्व से निवल प्रीमियम अनुपात	Technical Reserves to Net Premium Ratio	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2023
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि	Reserve for Unexpired Risks	73576264	70617547
	प्रीमियम में कमी रिजर्व	Premium Deficiency Reserve	0	0
	बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि	Reserve for Outstanding Claims	196719955	181584952

	कुल	Total	270296219	252202499
	निवल प्रीमियम	Net Premium	161927097	143386394
	अनुपात (गुना)	Ratio (Times)	1.67	1.76

16.12	बीमालेखित शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio	31ध्03ध्2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2024	31ध्03ध्2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31/03/2023		बीमालेखित शेष अनुपात (गुना) U/W Balance Ratio (Times)	बीमालेखित शेष अनुपात (गुना) U/W Balance Ratio (Times)
	अग्नि / Fire	-4559609	-3675232		-0.61	-0.46
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	-547475	-364498		-0.32	-0.19
	मरीन हल / Marine Hull	6164	-137123		0.01	-0.23
	मरीन कुल / Marine total	-541311	-501621		-0.22	-0.20
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	-8050670	-9256785		-0.63	-0.92
	मोटर टीपी (नॉन पूल) / Motor TP(Non- Pool)	-3206524	-7341587		-0.12	-0.30
	मोटर टीपी(पूल) / Motor TP(Pool)	-586504	-764372		0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल) / Motor TP(D.R. Pool)	-91941	-72863		0.00	0.00
	मोटर कुल / Motor total	-11935639	-17435607		-0.30	-0.50
	अभियांत्रिकी / Engineering	1234307	-352093		0.44	-0.13
	विमानन / Aviation	-326273	-74084		-0.33	-0.07
	कर्मकार क्षतिपूर्ति / Workmen Compensation	118340	71796		0.21	0.12
	व्यक्तिगत दुर्घटना / Personal Accident	-2298357	-2805626		-0.43	-0.81
	स्वास्थ्य / Health	-14761418	-50037820		-0.19	-0.68
	स्वास्थ्य कुल / Health total	-17059775	-52843446		-0.20	-0.69
	देयता / Liability	410944	70850		0.61	0.10
	फसल / Crop	-3535488	745097		-0.23	0.76
	अन्य विविध / Other Miscellaneous	1514105	-777739		0.35	-0.19
	विविध कुल / Miscellaneous total	-29579479	-70595226		-0.20	-0.58
	कुल / TOTAL	-34680399	-74772077		-0.22	-0.56

16.13	परिचालन लाभ अनुपात / Operating Profit Ratio	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending31.03.2023
	अंडरराइटिंग लाभ / Underwriting Profit	-34680399	-74772077
	निवेश आय / Investment Income	44905659	32909648
	परिचालन लाभ / Operating Profits	10225260	-41862429
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	158968372	132509870

	अनुपात(%) / Ratio(%)	6.43	-31.59

16.14	चल संपत्तियों से देयता अनुपात / Liquid Assets to Liabilities Ratio	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending31.03.2023
	चल परिसंपत्ति / Liquid Assets	45896319	34225173
	पॉलिसीधारकों की देयताएं / Policyholders' Liabilities	270296219	252202499
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	0.17	0.14

16.15	निवल आय अनुपात / Net Earnings Ratio	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending31.03.2023
	कर के बाद लाभ / Profit after Tax	186120	-49681118
	निवल प्रीमियम / Net Premium	161927097	143386394
	अनुपात (%)/ Ratio (%)	0.11	-34.65

16.16	निवल आय पर रिटर्न / Return on Net Worth	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending31.03.2023
	कर के बाद लाभ / Profit after Tax	186120	-49681118
	निवल आय / Networth	-38311839	-41469354
	अनुपात (%)/ Ratio (%)	-0.49	119.8

*अंश और हर की दृष्टि से तुलनीय नहीं है, दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए चालू वर्ष में अनुपात की गणना नहीं की जा सकी।

*Not comparable in view of the numerator and denominator, both are negative, hence ratio could not be calculated in current year.

16.17 mi;kx u dju dh vuefr vkj ,,l,e] vkj,l,e vkj l,Yolh vuikr ij çHkko **/ Forbearance Granted and Impact on ASM,RSM and Solvency Ratio**

16.17A dEiuh ckM l vuekuu çkIr dju d ckn pky o"k d fy, l,Yolh ekftu dh x.kuk d fy, mfpr eY; ifjoru [kkr dh 100% fj;k;r ekxxhA @ **The Company will seek 100 % Forbearance of Fair Value Change Account for calculation of Solvency Margin for the current year after getting approval from the Board of the company.**

16.17 B fj;k;r d lkFk vkj fj;k;r d fcuk lkYolh dh fLFkfr@**Solvency Position with and without forbearance**

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	रियायत के साथ 31.03.2023 With Forbearance 31.03.2023	रियायत के बिना 31.03.2023 Without Forbearance 31.03.2023
1	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन / Available Solvency Margin	36,30,83	-52,41,51
2	अपेक्षित सॉल्वेंसी मार्जिन / Required Solvency Margin	49,33,34	49,33,34
3	साल्वेंसी अनुपात / Solvency Ratio	0.74	(1.06)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	रियायत के साथ 31.03.2024 With Forbearance 31.03.2024	रियायत के बिना 31.03.2024 Without Forbearance 31.03.2024
1	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन / Available Solvency Margin	26,31,80	-45,30,26

2	अपेक्षित सॉल्वेंसी मार्जिन / Required Solvency Margin	46,97,92	46,97,92
3	साल्वेंसी अनुपात / Solvency Ratio	0.56	(0.96)

क्र. सं. Sr. No.	एनपीए अनुपात (%) / NPA Ratio (%)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2023
	सकल एनपीए अनुपात – पॉलिसीधारकों का फंड Gross NPA Ratio - Policyholders' funds	2.36	1.90
	सकल एनपीए अनुपात – शेयरधारकों का फंड Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds	-0.36	0.04
	निवल एनपीए अनुपात – पॉलिसीधारकों के फंड Net NPA Ratio - Policyholders' Funds	0.00	0.00
	निवल एनपीए अनुपात – शेयरधारकों का फंड Net NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.00	0.00

17. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्यौरा **Sector-wise break-up of Indian Direct Premium**

		31.03.2024 तक / As at 31.03.2024			31.03.2023 तक / As at 31.03.2023		
क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	जीवन की संख्या No. of Lives	प्रीमियम Premium (रु. 000 में) (Rs. in '000)	प्रतिशत %age	जीवन की संख्या No. of Lives	प्रीमियम Premium (रु. 000 में) (Rs. in '000)	प्रतिशत %age
1	ग्रामीण क्षेत्र / Rural Sector	-	11495073	6.29	-	10,53,22,04	6.74
2	सामाजिक क्षेत्र / Social Sector	404507100	2715023	1.48	28178070	11,15,00,56	7.14
3	अन्य / Others	-	168680299	92.23	-	1,34,46,68,42	86.12
4	कुल / Total	404507100	182890395	100	28178070	1,56,14,91,02	100

18. निवेशों को तोड़ना लेकिन पुनःगठन के अधीन **Breakup of investments subjected to restructuring**

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्गठित कुल परिसंपत्तियों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष के दौरान संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्गठित परिसंपत्तियां नीचे दी गई हैं:

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled.

The assets restructured during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

Sr. No.	परिसंपत्ति की श्रेणी Category of Asset	पुनर्गठन के अधीन परिसंपत्तियां (वर्ष के दौरान) Assets subjected to Restructuring (during the year)	
		2023–24 (रु. '000 में) 2023-24 (Rs. in '000)	2022–23 (रु. '000 में) 2022-23 (Rs. in '000)
1	मानक / Standard	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2	उप मानक / Sub Standard	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3	संदिग्ध / Doubtful	शून्य / NIL	शून्य / NIL
4	हानि / Loss	शून्य / NIL	69,18

	कुल Total	शून्य / NIL	69,18

19. 0;olk; vf/kxg.k ykxr dk C;kjk@Break up of Business Acquisition Cost

वर्ष 2023–24 के दौरान भारतीय प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में लिया गया कमीशन / ब्रोकरेज नीचे दिया गया है:
The Commission/Brokerage incurred during the year 2023-24 in respect of Indian Direct Business is given below:

क्र. सं. Sr. No.	वर्ग / Category	2023–24 (रु. '000 में) 2023-24 (Rs. in '000)	2022–23 (रु. '000 में) 2022-23 (Rs. in '000)
1	एजेंटों / Agents	6,81,72,83	6,63,38,04
2	ब्रोकर / Brokers	3,62,93,90	3,23,50,83
3	कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	27,22,81	41,52,60
4	अन्य(एमआईएसपी सहित) / Others(including MISP)	1,03,12,63	56,56,93
	कुल / **Total**	**11,75,02,17**	**10,84,98,40**

20- fuos'k

20.1 3,82,62 हजार रुपये (पिछले साल 3,64.46 हजार रुपये) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के शेयर, जिनका क्रय मूल्य 2,48.24 हजार रुपये (पिछले साल 2,48.24 हजार रुपये) है, कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किए गए हैं क्योंकि हस्तांतरण पर आपत्ति है। ये 2000 से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

20.2 स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कस्टोडियन) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी की पुस्तकों के अनुसार निवेश में विसंगतियां हैं, जिनका बुक वैल्यू (उचित मूल्य) एसएचसीआईएल की पुस्तकों में 0.04 हजार रुपये (कम) और एसएचसीआईएल की पुस्तकों में 0.00 हजार रुपये (अधिक) है (पिछले वर्ष क्रमशः 0.04 हजार रुपये और 0.00 हजार रुपये)। अंतरों का मिलान किया जा रहा है।

20.3 एकमुश्त निपटान / पुनर्गठन / ऋणों के मोचन और एनपीए खाते को जोड़ने के कारण अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 19,90,38.85 हजार रुपये के प्रावधानों में निवल कमी आई है (पिछले वर्ष 15,53,18.33 हजार

20. Investments

20.1 Shares of the book value (fair value) of Rs 3,82,62 thousands (Previous year Rs.3,64.46 thousands), having purchase value Rs.2,48.24 thousands (Previous year Rs. 2,48.24 thousands) have not been registered in the name of the company as the transfers are under objection. These pertain to the period prior to 2000.

20.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair Value) of Rs 0.04 thousands (Short) in SHCIL books and Rs 0.00 thousands(Excess) in SHCIL books (Previous year Rs0.04 thousands and Rs 0.00 thousands respectively). The differences are under reconciliation.

20.3 There is a net release in provisions for bad &doubtful debts of Rs.19,90,38.85 thousands (Previous year Addition Rs 15,53,18.33 thousands) on account of One Time

रुपये की वृद्धि हुई थी)।

20.4 बैलेंस शीट की तिथि पर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋणधनिवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वसूली निश्चित नहीं है।

20.5 निवेश पर आईआरडीएआई के मानदंडों के अनुसार, भारतीय सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण 88,72,33,90.83 हजार रुपये (पिछले वर्षों में 71,62,05,52.14 हजार) के अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश में लिया जाता है और उसके लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाता के रूप में समान आरक्षित निधि बनाई जाती है। लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसा आरक्षित निधि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

20.6 19,09,52,25.10 हजार रुपये (पिछले वर्ष 9,15,60,60.99 हजार रुपये) की राशि के निवेश की बिक्री और मोचन पर लाभ (निवल) में 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 18,64,49,83.08 हजार रुपये (पिछले वर्ष 8,41,08,89.34 हजार रुपये) की राशि के इक्विटी निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) शामिल है।

20.7. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई ओटीएस या ऋण पुनर्गठन नहीं हुआ है (कुछ एनपीए खातों में केवल वितरण का हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिससे एनपीए प्रावधानों को जारी किया गया है)।

20.8 निवेश विनियमन, 2022 पर आईआरडीएआई के 27 अक्टूबर 2022 के मास्टर परिपत्र के खंड संख्या 5.1 के अनुपालन में, कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में किए गए लेनदेन की स्थिति निम्नानुसार है:

Settlements/Restructuring/Redemption of debts and addition of NPA Account.

20.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisibility is not certain.

20.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs .88,72,33,90.83 thousands (Previous years 71,62,05,52.14 thousands) rising due to change in fair value of Indian listed and actively traded equity shares and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as "Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.

20.6 Profit (Net) on sale and redemption of investment amounting to Rs 19,09,52,25.10 thousands (Previous year Rs .9,15,60,60.99 thousands) includes profit (net) on sale of equity investments amounting to Rs 18,64,49,83.08 thousands (Previous year Rs 8,41,08,89.34 thousands) during the financial year ended 31.03.2024.

20.7 There has been no OTS or debt restructuring during FY 2023-24 (only share of distribution has been received in some NPA accounts leading to release of NPA provisions).

20.8 In compliance to clause no.5.1 of the IRDAI's Master Circular dated 27th October 2022 on Investment Regulations, 2022, status of transactions done in respect of Repo and Reverse Repo in Government Securities and Corporate Bonds during CY is as under:

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया / Minimum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया / Maximum Outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया / Daily Average Outstanding during the year	31 मार्च 2021 तक बकाया / Outstanding as on march 31,2021
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities Sold under repo	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
1. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ Corporate Debt Securities				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ / Securities Purchased under reverse repo	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
1. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ Corporate Debt Securities				

21- vpy lifUk;k

अचल संपत्तियों में 298,22,76 हजार रुपये (पिछले वर्ष 370,13,15 हजार रुपये) की अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनके लिए या तो मूल हक विलेख रिकॉर्ड में नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है। पंजीकरण / स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, जिसकी गणना नहीं की गई है, उसकी गणना पंजीकरण के समय की जाएगी।

22- vk;dj fu/kkj.k dh fLFkfr

(i) खंड 143(3) के अंतर्गत आयकर निर्धारण वर्ष 2022–23 तक पूरा कर लिया गया है।

(ii) आयकर अधिकारियों के आदेश के आधार पर, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, आयकर मांग के प्रति देयताओं का पूरा प्रावधान किया गया है। कंपनी की राय है कि आयकर विभाग से आयकर वर्ष 2005–06 के बाद के वर्षों के लिए निवेश की बिक्री पर लाभ के कारण राशि वसूल की जा सकती है, जो कि आयकर वर्ष 2005–06 के लिए 30 अगस्त, 2017 को आईटीए संख्या 372 / 2015 में उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश के आधार पर है, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने परिपत्र संख्या 528 दिनांक 16 दिसंबर 1988 के आधार पर कंपनी को निवेश की बिक्री पर लाभ की छूट दी है।

21. Immovable Properties

Fixed assets include immovable properties costing Rs. 298,22,76 thousand (previous year Rs.370,13,15thousand) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted will be accounted for at the time of registration.

22. Status of income tax assessment

(i) The income tax assessments under Section 143(3) have been completed up to Assessment Year 2022-23.

(ii) Liabilities towards Income Tax Demand have been fully provided for, wherever considered necessary based on order by the Income Tax Authorities. The Company is of the opinion that amount is recoverable from the Income Tax department on account of profit on sale of investments for years subsequent to AY 2005-06 , on the basis of favorable High Court Order in ITA No. 372 of 2015 dated 30th August ,2017 for AY 2005-06, whereby the Hon'ble Court has allowed the Company exemption of Profit on sale of investments on the basis of Circular no 528 dated 16th December 1988

(iii) वर्तमान वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान 19,05,13 हजार रूपए है (पिछले वर्ष 13,52,01 हजार रूपए)

(iv) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 घरेलू कंपनियों को कम कर दर चुनने का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते वे कुछ कटौती का दावा न करें। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कम कर दर चुनने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और तदनुसार इन वित्तीय परिणामों में आस्थगित कर के उद्देश्य से संशोधन से पहले मौजूद दर पर विचार किया है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उपलब्ध संपूर्ण आगे ले जाए गए घाटे और एमएटी क्रेडिट का उपयोग करने के बाद कम कर दर चुनने के विकल्प का मूल्यांकन करेगी।

(v) vkLFkfxr dj

वर्ष के अंत में आस्थगित कर की गणना इस प्रकार की जाएगी:

(iii) Provision for Income Tax for the current year is Rs. 19,05,13 thousand (previous year Rs. 13,52,01 thousand)

(iv) The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 provides domestic companies with an option to opt for lower tax rate, provided they do not claim certain deductions. The Company has not exercised the option during the current financial year to opt for lower tax rate and accordingly has considered the rate existing prior to the amendment for the purpose of deferred tax in these financial results. The Company shall evaluate the option to opt for lower tax rate once it utilizes the entire carried forward losses and MAT credit available under the Income Tax Act, 1961.

(v) Deferred Tax

The calculation for deferred tax as the year ends as follows:

विवरण Particulars	2023–24 (रु. '000 में) 2023-24 (Rs. in '000)	2022–23 (रु. '000 में) 2022-23 (Rs. in '000)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets		
नकदीकरण अवकाश / Leave Encashment	3,06,56,65	3,26,79,86
पॉलिसी स्टाम्प / Policy Stamps Affix able	57,99	73,44
एनपीएस / NPS	36,94	29,31
लावारिस दावे (ऑरफन क्लेम) / Orphan Claims	14,48,00	14,48,00
उपादान / Gratuity	2,14,67	81,51
घटाएँ : आस्थगित कर देयता: / Less : Deferred Tax Liability:		
मूल्यह्रास / Depreciation	1,07,45,93	96,63,24
fuoy vkLFkfxr dj ifjlifUk;k@ **Net Deferred Tax Assets**	**2,16,68,32**	**2,46,48,89**

fVIif.k;k%

उपरोक्त प्रावधान वर्तमान में लागू दरों पर कर योग्य आय और लेखा आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय संबंधी अंतर के लिए किया गया है।

कंपनी के पास आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पर्याप्त मात्रा में आगे ले जाने वाले नुकसान और अनवशोषित मूल्यह्रास है, जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ पैदा हुई हैं। हालाँकि, विवेक के मामले में, भविष्य की कर योग्य आय पर अनिश्चितता

NOTES:

The above provision is made for timing differences arising between taxable incomes and accounting income at currently enacted rates.

The Company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under The Income Tax Act, 1961, giving rise to Deferred Tax Assets. However, as a matter of prudence, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per the requirements of Accounting

के कारण लेखांकन मानक–22 (आय पर करों का लेखा) की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

23-¼,½ cdk;k nkoksa dh fy, çko/kku

अक्टूबर 2012 में जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, नियुक्त बीमांकक ने स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत फ्री लुक अवधि के लिए प्रावधान का मूल्यांकन वर्तमान वर्ष 2023–24 के लिए 315 हजार रुपये (पिछले वर्ष 305.063 हजार रुपये) किया है।

23-¼ch½ çhfe;e esa deh

यदि अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और दावों से निपटने से संबंधित रखरखाव लागत का योग संबंधित वर्ग के लिए अनर्जित प्रीमियम से अधिक है, तो प्रीमियम की कमी को एक्चुरियल रिपोर्ट के आधार पर निवल आधार पर पहचाना जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रीमियम के शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की कमी दर्ज की गई है।

24- vlekIr tkf[ke@tkf[kek dh fy, vkjf{kr fuf/k

कंपनी की लेखा नीति संख्या 5.3 के आधार पर अनपेक्षित जोखिमों के लिए रिजर्व की गणना प्रतिशत के आधार पर की जाती है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शुरू की गई और समाप्त होने वाली सभी पॉलिसियों के प्रीमियम को अर्जित प्रीमियम के रूप में लिया जाता है और इन पॉलिसियों के विरुद्ध अनपेक्षित जोखिम को शून्य माना जाता है।

वर्ष के दौरान, ऐसी नीति के लिए प्राप्त प्रीमियम, जिसकी जोखिम अवधि वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो गई है, को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात ऐसी पॉलिसी के लिए प्राप्त संपूर्ण प्रीमियम का कुल मूल्य अर्थात 1,15,00,06 हजार रुपये (पिछले वर्ष 1,40,16,50 हजार रुपये) को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में माना गया है।

25-

A. कंपनी के पास 168,45,63 हजार (पिछले साल 83,94,42 हजार) की जीएसटी इनपुट क्रेडिट राशि है, जिसमें आईएसडी इनपुट के कारण 61,10,54 हजार और कंपनी के भीतर व्यापार के बंटवारे के कारण 23,22,47 हजार की राशि शामिल है। 2ए बनाम 3बी के साथ मिलान करने के बाद 30 नवंबर 2024 तक योग्य आईटीसी का

Standard-22(Accounting of taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.

23.(a) Provisions for Outstanding Claims

In accordance with Master Circular issued in October' 2012 ,the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs. 315 thousand for the current year 2023-24 (Previous year Rs. 305.063 thousand)

23.(b) Premium Deficiency

The Premium deficiency is recognized on Net Basis based on Actuarial Report if the sum of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of segment. As per actuarial report, premium deficiency of Rs. NIL (Previous year Rs. NIL) has been recognized in the financial year 2023-24 .

24. Reserves for Unexpired risk/s

Reserve for Unexpired Risks is calculated based on Company's Accounting Policy No. 5.3 i.e. on a percentage basis. However the premium of all those policies which were incepted and expired during the financial year 2023-24 are taken as earned premium and Unexpired Risk against these policies are taken as Nil.

During the year, premium received against the policy whose risk period expired on or before the year end has been recognized as premium income of the company ie aggregate value of the entire premium received against such policy ie Rs. 1,15,00,06 thousand (previous year Rs.1,40,16,50 thousand) has been treated as Premium Income of the Company.

25.

A. The Company is having GST Input Credit amounting to 168,45,63 thousand (Previous Year 83,94,42 thousand) which includes the amount of 61,10,54 thousand on account of ISD input & 23,22,47 thousand on account of sharing of business within the Company . Eligible ITC shall be claimed till 30th Nov. 2024 after reconciliation with 2A Vs 3B.

दावा किया जाएगा ।

B. जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति निम्नानुसार है:

i) कंपनी भुगतान के महीने में आरसीएम पर भुगतान किए गए जीएसटी के संबंध में इनपुट क्रेडिट का दावा करती है और उसका दावा भी किया जाता है।

ii) कंपनी केवल चालान का भुगतान करते समय वैध कर चालान के आधार पर ही जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाती है। इसके पास अयोग्य जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ न उठाने की एक प्रक्रिया है, भले ही वह जीएसटी पोर्टल पर दिखाई दे रहा हो।

iii) भुगतान न किए गए चालानों पर इनपुट का दावा नहीं किया जाता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए चालानों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक इसका लाभ उठाया जा सकता है।

iv) व्यय के मामले में, जहां इनपुट क्रेडिट पात्र नहीं है, उसे जीएसटीआर 2ए में दर्शाया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है।

26- fuEufyf[kr 'kh"kZ dh vrxZr fd, x, 0;;

,- आउटसोर्सिंग व्यय — रु. शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
विपणन सहायता — 24,63,60 हजार रुपये (पिछले वर्ष 18,53,49 हजार रुपये)

ch- आईआरडीएआई (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियमन, 2016.एफ.सं.आईआरडीएआई/राग/12/124/2016 दिनांक 27.04.2016 के अनुपालन में, चालू वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकार्य सीमाओं से अधिक प्रबंधन के व्यय को शेयरधारकों के खाते में शून्य (पिछले वर्ष 1,58,21,299 हजार रुपये) के रूप में चार्ज किया गया है।
स्वीकार्य व्यय से अधिक प्रबंधन के व्यय (ईओएम) को राजस्व खातों में ''अन्य आय'' के अंतर्गत अलग मद के रूप में दर्शाया गया है।

27-

,- विविध देनदारों की संख्या 53,85,89 हजार रुपये (पिछले वर्ष 44,26,58 हजार रुपये)।

ch- एमएसीटी भुगतान और वसूली मामले: 696, शामिल राशि: 88,79,90 हजार रुपये (पिछले वर्ष के मामले: 387,

B. B. Accounting treatment followed by the company regarding claim of GST Input tax credit is as below:

i) The Company claims the input credit with respect to GST paid on RCM in the month of payment and the same is claimed.

ii) The Company avails GST input credit only on the basis of valid tax invoice at the time of making payment of invoices. It has a process of not availing the ineligible GST input credits even if the same is reflecting on the GST portal.

iii) Input is not claimed on those invoices lying unpaid, as the same can be availed up to November 30, 2023 for those invoices raised during the F.Y 2023-24.

iv) In case of expenses, where input credit is not eligible, the same is being reflected in the GSTR 2A but credit has not been availed.

26. Expenses Incurred Under Following Heads

a. Outsourcing Expenses Rs. NIL (Previous year NIL)

Marketing Support Rs. 24,63,60 thousand (Previous year Rs. 18,53,49 thousand)

b. In compliance to IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulation, 2016.F.No. IRDAI/Rag/12/124/2016 dated 27.04.2016, expenses of management exceeding the allowable limits for the current year 2023-24 has been charged as NIL (previous year Rs.1,58,21,299 Thousand) to Shareholders' account.

Expenses of Management (EOM) above allowable expenses have been disclosed as separate line item under "other income" in revenue accounts.

27.

A. Sundry debtors of Rs 53,85,89 thousand (Rs. 44,26,58 thousand previous year).

B. MACT Pay and Recover Cases: 696 , Amount

शामिल राशिः 24,60,03 हजार रुपये)

28. 2023–24 में वैकल्पिक प्रीमियम अर्पण की अनंतिम बुकिंग शून्य (पिछले वर्ष शून्य) और वैकल्पिक दावा अर्पण शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

29- y[kdu ekud 3% udnh çokg fooj.k

कंपनी का नकदी प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

30- ,½ y[kdu vuekuksa esa ifjorZu

लेखांकन पॉलिसी 6.1.ए की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा दी गई जानकारी, अंतिम तिथि तक अग्रणी और अन्य स्रोतों की सलाह, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों पर आधारित है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता प्रदान की गई राशि से अधिक या कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में परिलक्षित होगा जिसमें वे ज्ञात होते हैं।" बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 25 मई 2004 के पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमानों में ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव, तब तक प्रकटीकरण की मांग नहीं करता है जब तक कि बकाया दावों के लिए प्रावधान करने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान करने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

ch½ eqdnesa lacaèkh fuiVku

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमों के कारण किए गए निपटान की राशि 23,43,00,00 हजार रुपये थी (पिछले वर्ष 19,59,14,28 हजार रुपये)।

lh½ vpy laifÙk;ksa dk fuiVku

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों की बिक्री पर निवल आय 3,30,65 हजार रुपये (पिछले वर्ष 4,23,07 हजार रुपये) और अचल संपत्तियों की बिक्री पर निवल लाभ 6,95 हजार रुपये (पिछले वर्ष 17,02 हजार रुपये) था।

31- y[kdu ekud 15 ¼la'kksf/kr½

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007–2008 से लेखांकन मानक, एएस–15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया है।

involved: Rs 88,79,90 thousand (Previous year are Cases: 387 , Amount involved: Rs.24,60,03 thousand)

28. Provisional Booking in 2023-24 of Facultative Premium Cession is NIL (previous year NIL) and Facultative Claim Cession is NIL (previous year NIL).

29. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method.

30. A)Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 6.1.a, wherein it has been specifically stated that "Estimated liability for outstanding claims at the year-end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources up to the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known." It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

B) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2024 amounted to Rs.23,43,00,00 thousand (previous year Rs. 19,59,14,28 thousand).

C) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs. 3,30,65 thousand (previous year Rs.4,23,07 thousand) and the net profit on sale of fixed assets amounting to Rs.6,95 thousand (previous year Rs.17,02 thousand).

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

31-1 lsok vof/k d nkjku deZpkfj;ksa dks ykHk

बीमारी अवकाश और अवकाश यात्रा सब्सिडी (एलटीएस) के लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ए) वर्ष के दौरान एलटीएस की देयता में 56,09 हजार रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष 2,76,00 हजार रुपये की वृद्धि हुई थी) और इसे क्रमशः लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है। इसके अलावा 31.03.2024 तक एलटीएस की कुल देयता 17,16,82 हजार रुपये है (पिछले वर्ष 16,60,73 हजार रुपये)।

(बी) वर्तमान वर्ष के लिए बीमारी अवकाश के लिए देयता में 8,07,96 हजार रुपये की कमी आई है (पिछले वर्ष 15,87,23 हजार रुपये की वृद्धि हुई थी) और इसे लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है। 31–03–2024 तक बीमारी अवकाश के लिए कुल देयता 2,36,68,66 हजार रुपये है (पिछले वर्ष 2,44,76,62 हजार रुपये)।

31-2- deZpkjh lsokfuofÙk ykHk;

इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

,- i'ku%

कंपनी के पास एक परिभाषित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन देय है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग से फंड बनाया है जिसे कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके लिए देयता को बीमाकंक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ch- xzP;qVh%

कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना बनाई है। 5 साल की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। कंपनी ने ग्रेच्युटी के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है जिसे कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। किसी भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी देयता की गणना कंपनी की युक्तिकरण योजना के अनुसार या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत जो भी अधिक हो, के अनुसार की जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन

31. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' since the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

31.1 Employees Benefits during Service Period

The liability for Sick Leave and Leave Travel Subsidy (LTS) is recognized based on Actuarial Valuation.

(a) Liability of LTS has increased by Rs. 56,09 thousand during the year (previous year increased by Rs.2,76,00 thousand) and has been debited to Profit & Loss Account respectively. Further Total liability of LTS as on 31.03.2024 is Rs.17,16,82 thousand (Previous year Rs.16,60,73 thousand).

(b) Liability for sick leave for the current year has decreased by Rs 8,07,96 thousand (previous year increased by Rs 15,87,23 thousand) and has been credited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2024 is Rs. 2,36,68,66 thousand (previous year Rs. 2,44,76,62 thousand).

31.2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

a. Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created a separate Trust for management of gratuity which is funded by the Company. The gratuity liability of any employee is

के आधार पर मान्यता दी जाती है।

lh- vk,evkih d dkj.k i'ku n;rk,%

ओएमपीओ के तहत पात्र विकल्प चुनने वाले कार्मिकों के मामले में जिनकी पेंशन देयता 31.03.2020 तक निहित नहीं हुई थी (अर्थात जो 31.03.2020 तक कंपनी के रोल पर थे), पेंशन देयता का बीमांकिक अनुमान 14,85,69,68 हजार रुपये था।

आईआरडीएआई ने अपने पत्र संख्या 411/एफ एंड ए (एनएल)/राशि–ईबी/2019–20/123 दिनांक 07.07.2020 के माध्यम से वित्त वर्ष 2019–20 से पांच वर्ष से अधिक की अवधि में नए पेंशन विकल्प चुनने वालों की पेंशन देयता के परिशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

ओएमओपी के संबंध में, कंपनी ने 2023–24 के बारह महीनों के दौरान लाभ और हानि खाते में 2,97,13,94 हजार रुपये का प्रभार लगाया है (31.03.2024 तक संचयी प्रभार 14,85,69,68 हजार रुपये है)।

Mh- vodk'k udnhdj.k%

सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा अवधि के दौरान और सेवानिवृत्ति पर विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति है। सेवा अवधि के दौरान, 2 साल में एक बार 15 दिनों के पीएल के लिए नकदीकरण की अनुमति है और सेवानिवृत्ति पर, यह 240 दिनों के पीएल तक सीमित है। यह वित्तपोषित नहीं है और बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उपरोक्त कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

ifjHkkf"kr ykHk nkf;Roksa dh orZeku eY; esa ifjorZu

calculated as per the Rationalization scheme of the company or under The Payment of Gratuity Act, 1972 whichever is higher. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

c. Pension Liabilities due to OMOP:

In case of eligible optees under OMPO whose pension liability had not vested up to 31.03.2020 (i.e. who were on the rolls of the Company as at 31.03.2020), the actuarial estimates of pension Liability worked out to Rs.14,85,69,68 thousands.

IRDAI vide its letter NO 411/F&A (NL)/Amount-EB/2019-20/123 dated 07.07.2020 has granted approval for the amortization of the pension liability of fresh pension optees, over a period not exceeding five years with effect from FY 2019-20.

In respect of OMOP, The Company has charged Rs.2,97,13,94 thousand to Profit and Loss Account during the twelve months of 2023-24 (Cumulative charged up to 31.03.2024 is Rs. 14,85,69,68 thousand).

d. Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligations

(रू. '000 में)(Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	पेंशन / PENSION			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1 अप्रैल, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2023	54,64,18,14	53,65,45,16	55,97,49,40	54,20,57,64
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	1,73,82,96	2,06,46,16	2,56,87,57	3,26,51,89
ब्याज लागत / Interest Cost	3,48,73,81	3,20,06,11	3,29,24,00	3,38,44,72
दायित्व पर बीमांकन (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	5,04,33,73	15,34,31,27	4,59,96,10	4,36,30,20
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-14,31,21,95	-19,62,10,56	-12,78,11,91	-9,24,35,05
पिछली सेवा लागत** / Past service cost **	0	0	0	0
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March,2024	50,59,86,69	54,64,18,14	53,65,45,16	55,97,49,40

** पिछली सेवा लागत (पीएससी) तीसरे और अंतिम पेंशन विकल्प से संबंधित देयता के कारण उत्पन्न हुई है। कुल पीएससी में से, 14,85,69,68 / – (हजार) रुपये की राशि सक्रिय कर्मचारी के संबंध में है जिसे 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है।

** Past service cost (PSC) has arisen due to liability pertaining to Third and final pension optees. Out of the total PSC, amount of Rs14,85,69,68/- (thousand) is with respect to active employee which has been amortized over the period of 5 years.

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1 अप्रैल, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2023	10,85,21,43	10,87,97,50	8,93,24,60	9,49,64,11
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	31,99,39	41,80,21	61,41,62	47,99,40
ब्याज लागत / Interest Cost	71,58,15	62,83,43	51,03,04	61,16,85
दायित्व पर बीमांकन (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	11,40,02	1,96,14,07	2,84,56,64	17,16,79
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-2,03,25,45	-3,03,53,78	-2,02,28,40	-1,82,71,95
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्व / Defined benefit obligation as at 31st March,2024	9,74,13,50	10,85,21,43	10,87,97,50	8,93,25,20

ब्यौरा / PARTICULARS	अवकाश नकदीकरण / LEAVE ENCASHMENT			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1 अप्रैल, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2023	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,37	6,43,26,68
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	54,41,93	59,36,65	78,03,33	45,77,19
ब्याज लागत / Interest Cost	44,89,37	37,57,37	38,09,46	42,04,73
दायित्व पर बीमांकन (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	-14,64,40	66,32,84	32,82,69	72,68
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-1,35,05,26	-1,51,98,65	-1,20,15,50	-98,05,65
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्व / Defined benefit obligation as at 31st March,2024	6,23,45,18	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,63

31 मार्च 2024 तक दायित्व / Obligation as at 31st March 2024			10,87,97,50	8,93,25,20

- केवल भारतीय दायित्व / Indian Obligation only
- #भारतीय और विदेशी दोनों / #Indian as well as foreign

;kstuk ifjlifÙk;ksa dk mfpr eY; esa ifjorZu@**CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS**

(रु. 000 में) (Rs. In 000)

ब्यौरा / PARTICULARS	पेंशन / PENSION			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अप्रैल, 2023 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April,2023	41,72,45,30	42,95,92,01	44,53,04,77	28,41,56,31
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	3,33,21,19	3,68,97,82	3,23,37,83	2,35,08,02
नियोक्ता का अंशदान / Employer's contribution			0	0
अतिरिक्त अंशदान / Additional contribution	5,40,74,32	15,17,15,16	83,42,14,91,56	23,86,51,96
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-14,31,21,95	-19,62,10,56	-12,78,11,91	-9,24,35,05
बीमांकन लाभ / हानि / Actuarial Gain/Loss	-29,32,45	-47,49,13	--36,60,15	-857647
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31st March, 2024	35,85,86,41	41,72,45,30	42,95,92,01	44,53,04,77

(Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1 अप्रैल, 2023 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य / Fair value of plan assets as at 1st April,2023	10,27,19,78	7,6257,81	8,51,03,32	8,84,45,49
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न / Actual return on plan assets	68,04,74	42,84,20	49,55,53	54,22,95
नियोक्ता का अंशदान / Employer's contribution	64,63,92	5,01,53,22	0	0
अतिरिक्त अंशदान / Additional contribution	0	0	38,99,67	61,87,63
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-2,02,99,40	-3,03,45,61	-2,02,07,65	-1,82,47,25
बीमांकन लाभ / हानि / Actuarial Gain/Loss	11,10,34	23,70,16	25,06,94	32,94,50
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य / Fair value of plan assets as at 31st March, 2024	9,67,99,38	10,27,19,78	7,62,57,81	8,51,03,32

'वर्तमान एवं पिछले वर्ष में पेंशन अंशदान कुल मिलाकर दिया जाता है (नियोक्ता अंशदान, अतिरिक्त अंशदान) /
*In Current & Previous Year pension contribution is given in Total (Employer contribution + Additional contribution)

केवल भारतीय दायित्व / Indian obligation only.

ykHk&gkfu [kkrs esa ntZ O;;@EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रु. 000 में) (Rs. In '000)

विवरण / PARTICULARS	पेंशन / PENSION			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	1,73,82,96	2,06,46,15	2,56,87,57	3,26,51,89
ब्याज लागत / Interest Cost	3,48,73,81	3,20,06,11	3,29,24,00	3,38,44,72
निहित विगत सेवा लागत / Vested past service cost			-	2,97,13,94
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न / Actual return on plan assets	-3,33,221,19	-3,68,97,82	-3,23,37,83	-2,35,08,02
निवल बीमांकन (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/Loss	5,33,66,19	15,81,80,40	4,96,56,26	5,22,06,67
निवल आवधिक लागत वर्तमान वर्ष के ऊपरिशोधित शेष में पहचाना गया अपरिचित क्रेडिट शेष / Net Periodic Cost Unrecognized credit balance Recognized in current year Unamortized balance	7,23,01,77	17,39,34,84	7,59,30,00	12,49,09,20

विवरण / **PARTICULARS**	ग्रेच्युटी / **GRATUITY**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	31,99,38	41,80,21	61,41,62	47,99,40
ब्याज लागत / Interest Cost	71,58,16	62,83,43	51,03,04	61,16,85
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न / Actual return on plan assets	-68,04,74	-42,84,20	--49,55,53	-54,22,95
निवल बीमांकन (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/Loss	-22,50,36	1,72,43,91	2,59,49,70	-15,77,71
निवल आवधिक लागत वर्तमान वर्ष के ऊपरिशोधित शेष में पहचाना गया अपरिचित क्रेडिट शेष Net Periodic Cost Unrecognized credit balance Recognized in current year Unamortized balance	13,02,44	2,34,23,35	3,22,38,83	39,15,59

cyal 'khV esa ekU;rk çkIr jkf'k@AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(रू. '000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	पेंशन / PENSION			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य / Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2024	50,59,86,69	54,64,18,14	53,65,45,16	55,97,49,40
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष की कंपनी के योगदान सहित) / Fair value of plan assets as at 31st March, 2024 (including current year Company's contribution)	-35,85,86,41	41,72,45,30	42,95,92,01	44,53,04,77
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता / Liability recognized in Balance Sheet	14,74,00,28	12,91,72,84	10,69,53,15	2,53,02,82

(रू. '000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य / Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2024	9,74,13,69	10,85,21,43	10,87,97,49	8,93,25,20
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष की कंपनी के योगदान सहित) / Fair value of plan assets as at 31st March, 2024 (including current year Company's contribution)	-9,67,99,38	10,27,19,78	7,62,57,81	8,51,03,32
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता / Liability recognized in Balance Sheet	6,14,31	58,01,65	3,25,39,68	42,21,88

ब्यौरा / PARTICULARS	अवकाश नकदीकरण / LEAVE ENCASHMENT			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य / Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2024	6,23,45,30	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,63
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष की कंपनी के योगदान सहित) / Fair value of plan assets as at 31st March, 2024 (including current year Company's contribution)	-	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता / Liability recognized in Balance Sheet	6,23,45,30	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,63

chekdd /kkj.kk@ACTUARIAL ASSUMPTION

chekdd eY;kdu dh fy, çe;ä çe[k ekU;rk,a g@**The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:**

ब्यौरा / **PARTICULARS**	पेंशन / **PENSION**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
(i) प्रयुक्त विधि / Method used	परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि / Projected unit credit method			
(ii) छूट दर % / Discount rate %	7.2	7.5	7.30	6.64
(iii) परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर' % Expected rate of return on assets* %	7.2	7.5	7.30	6.64
(iv) भविष्य में वेतन वृद्धि # % Future Salary Increase # %	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर / Mortality	LIC (1996-98)	LIC (1996-98)	LIC (1996-98)	LIC (1996-98)
vi) कर्मचारियों का टर्नओवर / Employees Turnover	2	2	2	2
vii) कार्य करने हेतु शेष वर्ष / Remaining working life years	0	0	0	0

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
(i) प्रयुक्त विधि / Method used	परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि / Projected unit credit method			
(ii)छूट दर % / Discount rate %	7.15	7.3	6.40	6.64
(iii) परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर' %/ Expected rate of return on assets* %	7.15.	7.3	6.40	6.64
(iv) भविष्य में वेतन वृद्धि रु % Future Salary Increase # %	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर / Mortality	आईएएलएम IALM(2012-14)	आईएएलएम IALM(2012-14)	आईएएलएम IALM(2012-14)	आईएएलएम IALM(2012-14)
vi) कर्मचारियों का टर्नओवर / Employees Turnover	2	2	2	2
vii) कार्य करने हेतु शेष वर्ष / Remaining working life years	0	0	0	0

ब्यौरा / PARTICULARS	अवकाश नकदीकरण / LEAVE ENCASHMENT			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
(i) प्रयुक्त विधि / Method used	परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि / Projected unit credit method			
(ii) छूट दर % / Discount rate %	7.15	7.3	6.40	6.64
(iii) परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर' % Expected rate of return on assets* %	0	0	0	0
(iv)भविष्य में वेतन वृद्धि # % Future Salary Increase # %	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर / Mortality	आईएएलएम IALM (2012-14)	आईएएलएम IALM (2012-14)	आईएएलएम IALM (2012-14)	आईएएलएम IALM (2012-14)
vi) कर्मचारियों का टर्नओवर / Employees Turnover	2	2	2	2
vii) कार्य करने हेतु शेष वर्ष / Remaining working life years	0	0	0	0

* वर्ष के आरंभ में, संबंधित दायित्व के सम्पूर्ण जीवनकाल में रिटर्न, योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर बाजार की अपेक्षा पर आधारित होती है।

* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

बीमांकक ने देयता का आकलन करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।
Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

31 ekpZ] 2024 rd VLV }kjk cukbZ xbZ ;kstuk ifjlaifÙk;ksa dk fooj.k fuEukuqlkj gS %

Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2024 are as follows:

(प्रतिशत में) (In Percentage)

ब्यौरा / PARTICULARS	पेंशन / PENSION				ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
(i) विशेष जमा / Special Deposits	0	0	0	0	2.37	11.64	4.37	4.61
(ii) सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	1.52	5.91	4.92	5.35	51.00	53.74	61.25	57.63
(iii) बांड / डिबेंचर Bonds/debentures	17.73	15.66	28.43	20.91	27.83	27.42	29.42	33.78
(iv) इक्विटी / Equity	0	-4.66	0	0	0.06	4.85	2.24	3.97
(v) बैंकों में जमा / Deposits in Banks	.02	0.06	0	0	1.02	0.1	2.73	0
(vi) म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	3.83	0	0.33	3.37	0	0	0	0
(vii)रियल एस्टेट / Real Estate	0	0	0	0	0	0	0	0
(viii) अन्य / Others	76.90	83.03	66.32	70.37	17.72	2.25	0	0

b- lsokfuofÙk d ckn fpfdRlk ykHk%

कंपनी के पास कोई सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना नहीं है। हालांकि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं) द्वारा स्वयं और परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती होने और ओपी व्यय दोनों) को कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है, भले ही निदेशक कंपनी के निदेशकध्कर्मचारी न रह जाएं, बशर्ते कि कंपनी ऐसे पूर्व कर्मचारियों की मूल कंपनी हो। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

कंपनी वर्ष 2015 से प्रभावी नई ग्रुप मेडी क्लेम पॉलिसी के खंड 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पतिध्पत्नी के संबंध में उनके अनुमानित रूप से समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी के लिए लागू पात्र बीमा राशि के आधार पर गणना की गई देय चिकित्सा प्रीमियम का 75: वहन करेगी।

,Q- कंपनी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 01.08.2022 से देय है। चूंकि नया वेतन संशोधन केपीआई (निष्पादन आध ाारित) पर आधारित है, इसलिए इन वित्तीय विवरणों में कर्मचारियों के वेतन संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

e. Post-Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post-Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the medical premium payable computed on the basis of eligible Sum insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of Retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Medi claim policy which is effective from 2015.

f. The wage revision for employees of the company is due w.e.f. 01.08.2022. Since the new wage revision is based on KPI (performance based) hence no provision for wage revision of employees has been made in these financial statements.

32. Accounting Standard 17 Segment Reporting:

32- y[kkdu ekud 17 [kM fjikfVx %

जैसा कि आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 द्वारा निर्धारित किया गया है, भारतीय, विदेशी और समेकित के लिए विभागीय रिपोर्टिंग अलग से संलग्न है।

कृपया अनुलग्नक 32.1, 32.2 और 32.3 देखें

33- çe[k çcU/ku dkfeZd%

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 2(51) और खंड 203(1) के अनुसार, 31.03.2024 तक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे और 2023–24 के दौरान उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:–

As prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, segmental Reporting is attached separately for Indian, foreign and consolidated.

Please refer attachment 32.1, 32.2 and 32.3

33. Key Management Personnel:

As per section 2(51) and section 203(1) of the Companies Act 2013, following were the key Managerial Personnel of the Company as on 31.03.2024 and details of remuneration paid during 2023-24 to them is as under:-

(रू. '000 में) (Rs in '000)

क्र.सं. S.No.	नाम / Name	पद / Position	अवधि / Period	कुल पारिश्रमिक Total Remuneration
1	श्री आर.आर.सिंह Shri R. R. Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chairman-cum-Managing Director and Chief Executive Officer	01/04/2023 to 31/03/2024	35,88
2	श्रीमती रश्मि बाजपेयी Mrs. Rashmi Bajpai	कंपनी सचिव Company Secretary	01/04/2023 to 31/03/2024	35,57
3	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी GM & Chief Underwriting Officer	01/04/2023 to 28/04/2023	34,15
		महाप्र. एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख GM & Chief of Internal Audit	01/04/2023 to 31/03/2024	
4	श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती Mrs. Rekha Thakur Mohanty	महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी GM & Chief Underwriting Officer	28/04/2023 to 31/03/2024	30,30
5	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy	महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) GM & Chief Underwriting Officer (Alternate)	04/05/2023 to 07/11/2023	30,13
		महाप्र. एवं मुख्य जोखिम अधिकारी GM & Chief Risk Officer	08/11/2023 to 31/03/2024	
6	श्रीमती रेखा के. सोलंकी Mrs. Rekha K. Solanki	महाप्र. एवं मुख्य विपणन अधिकारी GM & Chief Marketing Officer	28/04/2023 to 31/03/2024	30,83

7	श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक महाप्र. एवं मुख्य जोखिम अधिकारी Whole Time Director GM & Chief Risk Officer	01/04/2023 to 31/10/2023	21,00
8	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand	महाप्र. एवं मुख्य विपणन अधिकारी GM & Chief Marketing Officer	01/04/2023 to 28/04/2023	5,48
		महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) GM & Chief Underwriting Officer (Alternate)	01/04/2023 to 31/05/2023	
9	श्रीमती योगिता अरोड़ा Mrs. Yogita Arora	नियुक्त एक्चुअरी Appointed Actuary	01/04/2023 to 31/03/2024	96,00
10	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K.G. Nandakumaran	उप महाप्र. एवं मुख्य वित्त अधिकारी DGM & Chief Finance Officer	01/04/2023 to 31/07/2023	10,13
11	श्री डी.के. बरगोती Shri D.K. Bargoti	उप महाप्र. एवं मुख्य निवेश अधिकारी DGM & Chief Investment Officer	01/04/2023 to 31/03/2024	32,73
12	श्रीमती शीला त्रिपाठी Mrs. Sheela Tripathi	उप महाप्र. एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी DGM & Chief Compliance Officer	01/04/2023 to 31/03/2024	29,79
13	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	उप महाप्र. एवं मुख्य वित्त अधिकारी DGM & Chief Finance Officer	01/08/2023 to 31/03/2024	23,61

34. y[kkdu ekud 18% lacf/kr i{k çdVhdj.k

i. सहायक

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

ii. एसोसिएट्स

इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनः

34. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure

i. Subsidiaries

The Industrial Credit Company Limited

ii. Associates

India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore

Health Insurance TPA of India Ltd, India

Transactions with related parties:

(रू. '000 में) (Rs in '000)

क्र.सं. Sr. No.	संबंध की प्रकृति Nature of Relationship	लेन–देन की प्रकृति Nature of Transaction	2023-24	2022-23
i)	सहायक / Subsidiary	दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited		
		1.सहायक कंपनी में निवेश Investment in Subsidiary	5,00	5,00
		2. से देय राशि Amount Due from	14,72	12,19

ii)	एसोसिएट्स / Associates	a) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर: India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :		
		i) प्राप्त लाभांश आय Dividend Income received	6,10,50	5,67,80
		ii) शेयरों में निवेश Investment in shares	3,91,10	3,91,10
		iii) वर्ष के दौरान संधि आईडब्ल्यू (स्वीकृति) Treaty IW (Acceptance) during the year	6,15,02	3,73,98
		iv) एफएसी आईडब्ल्यू (स्वीकृति) FAC IW (ACCEPTANCE)	4,36,89	-4,09,69
		v) ओडब्ल्यू एफएसी (सेशन) OW FAC (CESSION)	21,80	6,54
		b) भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीए:– Health Insurance TPA of India :-		
		i) शेयरों में निवेश/Investment in shares	19,80,75	19,80,75
		ii) हिटपा के कारण देय राशि / Amount Due to HITPA	8,75,32	8,53,38
		iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / Key Managerial Personnel	68,76	62,66
		iv) वर्ष के दौरान लेनदेन: / Transaction during the year:		
		a) प्राप्त किराया / Rent Received	43,96	61,60
		b) भुगतान किया गया / देय टीपीए शुल्क। TPA Fees Paid/payable.	79,17,62	26,77,09
iii)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	वेतन एवं भत्ते Salary & Allowances	4,15,60	1,65,09

35- iê

कंपनी ने कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टे पर लिया है। आवासीय परिसर आम तौर पर 11 महीने के लिए लिया जाता है और आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। कार्यालय परिसर आम तौर पर चार साल की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर लिया जाता है और पट्टादाता के विकल्प पर नवीनीकृत किया जाता है।

पट्टे के अंतर्गत दायित्व के संबंध में चालू वर्ष में कुल पट्टा किराया 77,20,29 हजार रुपये (पिछले वर्ष 79,51,29 हजार रुपये) है, जो चालू वर्ष में राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

लेखांकन मानक 19 के अनुसार, औसतन गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान का विवरण

35. Leases

The company has taken on operating lease Office and residential premises. The residential premises are generally taken for 11 months and are renewable at mutually agreed upon terms. The office premises are generally taken on operating lease for the period of four years and are renewed at the option of the lessor.

Aggregate lease rentals amounting to Rs.77,20,29 thousand in the current year (previous year Rs.79,51,29 thousand) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

As per Accounting Standard 19, Leases details of Future Minimum Lease Payments under non-cancellable operating leases in the aggregate

(राशि '000 में) Amount in '000

a) एक वर्ष से अधिक नहीं Not Later Than One Year	7,65,55
b) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं Later than one Year and not later than five years	70,79,47
c) पांच वर्ष से बाद में Later than five years	1,54,76,48

36. लेखांकन मानक 20 दृ "प्रति शेयर आय":

Accounting Standard 20 – "Earnings Per Share":

		वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ Year ended March 31, 2024	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ Year ended March 31, 2023
कर के बाद लाभ / (हानि) Profit/(loss) after tax	रुपये000' RsIn 000'	18,61,20	(49,68,11,20)
बेसिक ईपीएस के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या The weighted average number of Shares for Basic EPS	संख्या. Nos.	4,62,00,00,000	4,62,00,00,000
प्रति शेयर आय (बेसिक) Earnings per Share (Basic)	रुपये में In Rs	0.04	(10.75)
प्रति शेयर आय (विलयित) Earnings per Share (Diluted)	रुपये में In Rs	0.04	(10.75)

37- y[kdu ekud 22

भावी कर योग्य लाभ की वास्तविक अनिश्चितता के अभाव में, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनवशोषित आगे ले जाए गए व्यावसायिक हानि की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है।

38- y[kdu ekud 28

लेखांकन मानक–28 के अनुसार, प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं हुई है।

39- पुनर्बीमा स्वीकृतियों से संबंधित बकाया दावा प्रावधानों के संबंध में (लेखा नीति संख्या 6.1.बी देखें), वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियां अपनाई गईं:

1. वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने की तिथि तक भारतीय व्यवसाय के संबंध में

37. Accounting Standard 22

In the absence of virtual uncertainty of future taxable profit, the company has not recognized deferred tax assets of unabsorbed brought forward business loss for Income Tax Act, 1961.

38. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

39. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.6.1.b), the following dates were adopted during the year:

1. In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement

2. विदेशी व्यापार के संबंध में:

i. वर्ष के अंत तक हुई सभी हानियां तथा तत्काल आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक प्राप्त पत्र व्यवहार।

ii. रद्द की गई संधियों के मामले में, विदेशी कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए दावों को, जैसा कि 15 मई तक प्राप्त पुनर्बीमा रिटर्न में दर्शाया गया है या खातों को अंतिम रूप दिया गया है, जो भी पहले हो, बकाया दावों के रूप में माना जाएगा।

40. कंपनी ने बीमा अधिनियम, 1938 की खंड 3ए के साथ खंड 3 के प्रावधानों और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना का अनुपालन किया है।

41. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण निम्नानुसार है:

2. In respect on Foreign business:

i. All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.

ii. In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts whichever is earlier, was considered as outstanding claims.

40. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

41. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

(रू. '000 में) (Rs. in '000)

क्र.सं. Sl. No	प्राधिकरण / Authority	गैर अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation	जुर्माना लगाया गया Penalty Awarded	जुर्माना लगाया गया Penalty Awarded	जुर्माना अदा किया गया Penalty Paid	जुर्माना अदा किया गया Penalty Paid	जुर्माना माफ / कम किया हुआ Penalty waived/ reduced	जुर्माना माफ / कम किया हुआ Penalty waived/ reduced
			2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	आईआरडीएआई / IRDAI	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण / Service Tax Authorities	शून्य / NIL	573	शून्य / NIL	25	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3	आयकर प्राधिकरण / Income Tax Authorities	शून्य / NIL	1254	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण / Any other Tax Authorities	शून्य / NIL	102	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
5	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायिक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या एफईएमए के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
6	आरओसी / सीएलबी / एमसीए ROC/CLB/MCA	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

7	किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना जिसमें दावा निपटान शामिल है, लेकिन मुआवजा अपवर्जित है / Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / Securities and Exchange Board of India	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग / Competition Commission of India	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
10	कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / वैधानिक प्राधिकरण / Any other Central/State/Local Government/Statutory Authority	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

42. i,fy lh/kkjdkj dk dk n;@**Policyholders dues:**

a. i,fy lh/kkjdkj dh n; jkf'k dk vk;&okj fo'y"k.k uhps fn;k x;k g@**Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:**

(रू. '000 में) (Rs. in '000)

विवरण / Particulars	6 महीने तक Upto 6 months	7–12 महीने 7-12 months	13–18 महीने 13-18 months	19–24 महीने 19-24 months	25–30 महीने 25-30 months	31–36 महीने 31-36 months	37–120 महीने 37-120 months	>120 महीने >120 months	कुल Total
पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर अन्य किसी कारण से पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों को भुगतान न किए गए दावे Claims settled but not paid to the poliy holders/beneficiaries due to any reasons except under litigation fro the policyholders/beneficiaries	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
परिपक्वता पर या अन्यथा पॉलिसीधारक के लाभार्थियों को देय राशि Sum due to the policyholders beneficiaries on maturity or otherwise	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप में वापस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium/tax or any other charges which is refundable to the policyholders/beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	69,61,63	2,34,16	2,66,63	1,85,73	2,18,68	3,38,46	9,36,36	1,24,07	92,65,71
चेक जारी किए गए लेकिन पॉलिसीधारक/लाभार्थियों द्वारा भुनाए नहीं गए Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	78,38,45	21,79,87	2,07,83	1,62,03	1,66,56	2,08,16	8,58,03	13,44	1,16,34,35
कुल **Total**	**1,48,00,07**	**24,14,02**	**4,74,46**	**3,47,76**	**3,85,24**	**5,46,61**	**17,94,39**	**1,37,50**	**2,09,00,06**

टिप्पणियाँः–

1. पॉलिसीधारकों को जारी किए गए चेक जिनकी वैधता 3 महीने से कम है और जिन्हें भुनाया जाना है, उन्हें पॉलिसीधारक की बकाया राशि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि ये चेक पुराने नहीं हुए हैं। हालाँकि, ये राशियाँ उपरोक्त विवरण में शामिल/दिखाई गई हैं।

2. आईआरडीएआई के परिपत्र क्रमांक IRDAI/F&A/CIR/ CLD/114/05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुपालन में, दावा न किए गए पॉलिसीधारकों के फंड को अनुसूचित बैंक में सावधि जमा में अलग से रखा गया है और अनुसूची 12 (अग्रिम और अन्य संपत्ति) में दर्शाया गया है। प्रशासनिक और फंड प्रबंधन व्यय/0.2: की दर से (पिछले वर्ष 0.2:) वसूल किया जा रहा है, हालांकि, इस फंड में निवेश आय 11,82,76 हजार रुपये (पिछले वर्ष 8,93,12 हजार रुपये) है जिसे दावा न किए गए पॉलिसीधारकों के फंड में जोड़ा गया है ।

Notes:-

1. Cheques issued to policyholders subject to encashment having validity for less than 3 months are not transferred to policyholder's dues as these cheques have not become stale. However, these amounts are included/shown in the above statement.

2. In compliance of IRDAI circular no. IRDAI/F&A/ CIR/CLD/114/05/2015 dated 28.05.2015, the unclaimed Policyholders funds are separately parked in a fixed deposit with a Scheduled Bank and are reflected in Schedule 12(Advances and other assets). The administrative and fund management expenses @0.2% (last year 0.2%) are being recovered However, the investment income added to this fund is Rs.11,82,76 thousand (previous year Rs.8,93,12 thousand) to unclaimed Policy holder funds.

b. ch- 31 ekp] 2024 dk lekIr o"k d nkjku nkok u dh xb jkf'k d fuiVku dh çxfr

Progress of settlement of unclaimed amounts during the year ended 31st March, 2024

(रु. 000 में) (Rs. in '000)

	वर्तमान वर्ष की शुरुआत में दावा न किए गए मामले Unclaimed cases as at the beginning Current year		जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े गए लावारिस मामले Add: Unclaimed cases added during the current year		घटाएँ: वर्तमान वर्ष के दौरान निपटाए गए दावा न किए गए मामले Less: Unclaimed cases settled during the current year		जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित आय Add: Income accrued during the year	वर्तमान वर्ष के अंत तक बकाया लावारिस मामले Unclaimed cases outstanding as at the end of the Current year	
	सं No.	मात्रा Amount	सं No.	मात्रा Amount	सं No.	मात्रा Amount		सं No.	मात्रा Amount
पॉलिसी धारकों/लाभार्थियों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर अन्य किसी कारण से पॉलिसी धारकों/बीमाधारकों को भुगतान न किए गए दावे Claims settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons except under litigation from the policy holders/beneficiaries	0	0	0	0	0	0		0	0
परिपक्वता पर या अन्यथा पॉलिसीधारकों/बीमित व्यक्ति को देय राशि Sum due to the policyholders/insured on maturity or otherwise	0	0	0	0	0	0		0	0
प्रीमियम/कर या किसी भी शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/बीमितों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप में वापस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium/tax or any charges which	903855	27,77,01	66523	1,20,51,78	158758	55,63,08	0	811620	92,65,71

is refundable to the policyholders/ insured either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far									
पॉलिसी धारक/बीमित व्यक्ति द्वारा जारी चेक को भुनाया नहीं गया Cheques issued by not encashed by the policy holder/insured	35136	80,00,43	2865	355,4,86	7678	11,03,70	11,82,76	30323	1,16,34,35
कुल Total	938991	1,07,77,44	69388	15,606,64	166436	66,66,78	11,82,76	841943	2,09,00,06

c. lh- 31 ekpZ] 2024 rd fuo'k vk; vkj nkok u dh xbZ jkf'k dk fooj.k@**Details of unclaimed amount and investment income as on 31st March, 2024**

(रु. 000 में) (Rs. in '000)

विवरण/Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
आरंभिक शेष/Opening Balance	1,07,77,44	99,15,62
जोड़ें: दावा रहित निधि में स्थानांतरित की गई राशि/ Add: Amount transferred to Unclaimed fund	1,20,51,78	3,78,22,16
जोड़ें: दावा न किए गए चेकों में से जारी किए गए चेक जिन्हें पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाया नहीं गया है (केवल तभी शामिल किया जाना चाहिए जब चेक पुराने हो जाएं) / Add: Cheques issued out of the unclaimed but not encashed by the policyholders(to be included only when the cheques are stale)	35,54,86	14,89,28
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय/ Add: Investment Income on Unclaimed Fund	11,82,76	8,93,12
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि/ Less: Amount of claims paid during the year	60,90,23	3,91,09,79
घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल भाग)/ Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	5,76,55	2,32,95
दावा न की गई राशि का अंतिम शेष/ Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	2,09,00,06	1,07,77,44

43. कंपनी ने एकीकृत गैर–जीवन बीमा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (इनलियास) शुरू किया है, जिसे अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ मॉड्यूल, जैसे कि हेड ऑफिस अकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूसी मॉड्यूल और री–इंश्योरेंस अकाउंट्स मॉड्यूल, विकास/परीक्षण के अधीन हैं। कंपनी इनलियास में शेष मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

43. The Company has introduced Integrated Non-Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

44. निगमित सामाजिक उत्तदायित्व

44. Corporate Social Responsibility

i. वर्तमान वर्ष (2023–24) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत आवश्यक सीएसआर गतिविधियों से संबंधित जानकारी (रु. 000 में)

i. Information related to CSR activities as required u/s 135 of the Company's Act, 2013(Rs. in '000) in Current Year (2023-24).

	सीएसआर गतिविधियाँ CSR Activities	01.04.23 तक व्यय की जाने वाली राशि Amount to be spent as on 01.04.23	वित्त वर्ष 23–24 में व्यय की जाने वाली राशि Amount to be spent for FY 23-24	व्यय की जाने वाली कुल राशि Total Amount to be spent	31/03/2024 तक खर्च की गई राशि Amount Spent up to 31/03/2024	उपयोग न की गई राशि Amount not utilized
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण Construction/acquisition of any asset	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से On purpose other than (i) above	शून्य/NIL	12,50	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
			शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
##	विशेष अनुमोदन Special Approval	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ii. पिछले वर्ष (2022–23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत आवश्यक सीएसआर गतिविधियों से संबंधित जानकारी /Information related to CSR activities as required u/s 135 of the Company's Act, 2013(Rs. in '000) in Previous Year (2022-23).

	सीएसआर गतिविधियाँ CSR Activities	01.04.22 तक व्यय की जाने वाली राशि Amount to be spent as on 01.04.22	वित्त वर्ष 22–23 में व्यय की जाने वाली राशि Amount to be spent for FY 22-23	व्यय की जाने वाली कुल राशि Total Amount to be spent	31/03/2023 तक खर्च की गई राशि Amount Spent up to 31/03/2023	उपयोग न की गई राशि Amount not utilized
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण Construction/acquisition of any asset	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से On purpose other than (i) above	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
		शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
##	विशेष अनुमोदन Special Approval	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

45. 63,46,85 हजार रुपये वर्ष (2023–24) के गौण ऋण पर ब्याज के व्यय को लाभ और हानि खाते (शेयरधारक के खाते) में दर्ज किया गया है।

46. बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों या निकायों को देय/देय राशि में दिखाई देने वाली शेष राशि में पुनर्बीमा व्यवसाय, आतंकवाद पूल और जीआईसी आरई के साथ परमाणु पूल शामिल हैं ।

,- vkrdokn iy

कंपनी 2002 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम पूल (आईएमटीआरआईपी) में एक सदस्य के रूप में भाग ले रही है। इस पूल का प्रबंधन भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा पूल प्रबंधक के रूप में किया जाता है। आतंकवाद प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई राशि पूल के नियमों और शर्तों के अधीन 100: पूल को सौंप दी जाती है। पूल के प्रति जोखिम की वर्तमान समग्र सीमा 20,00,00,00 हजार रुपये है।

चूंकि पूल को समझौते की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त हानि व्यवस्था द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए इस पूल अतिरिक्त हानि संरक्षण में भागीदार के रूप में ओरिएंटल को पूल के इस एक्सएल संरक्षण से प्रतिगमन के रूप में अपना प्रीमियम हिस्सा मिलता है।

ch- Hkkjr ijek.kq chek iy

परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2010 के पारित होने के मद्देनजर, जो भारत में एक परमाणु ऑपरेटर को परमाणु घटना से संबंधित नुकसान/क्षति के मामले में अधिकतम 15,00,00,00 हजार रुपये के मुआवजे के लिए उत्तरदायी बनाता है, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी रे ने परमाणु जोखिमों के लिए बीमा कवर प्रदान करने की क्षमता को एकत्रित करके अन्य घरेलू गैर–जीवन बीमा कंपनियों के साथ भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी)

45. The Interest expenses on subordinated debt for Rs 63,46,85 thousand has been charged to Profit and Loss Account (Shareholder's Account).

46. The balance appearing in the amount due to/ due from persons or bodies carrying on insurance business includes reinsurance business, terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re.

a. Terrorism Pool

The Company has been participating as a member in the Indian Market Terrorism Risk Pool (IMTRIP) since its inception in 2002. This Pool is managed by the General Insurance Corporation of India (GIC) as pool manager. Amounts collected as terrorism premium are ceded at 100% to the Pool subject to terms and conditions of the pool. Present overall limit per risk of the Pool is Rs.20,00,00,00 thousand

Since the Pool is protected by an excess of loss arrangement in accordance with the terms of the agreement .Oriental as a participant in this pool excess of loss protection, gets its premium share as retrocession from this XL protection of the Pool.

b. India Nuclear Insurance Pool

In view of passage of the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, which makes a nuclear operator in India liable for compensation for maximum of Rs. 15,00,00,00 thousand in case of a losses / damages pertaining to a Nuclear incident GIC Re as Indian Reinsurer initiated the formation of the Indian Nuclear Insurance Pool (INIP) along with others domestic non-life insurance companies by

के गठन की पहल की। जीआईसी रे और 11 अन्य गैर–जीवन बीमा कंपनियां 15,00,00,00 हजार की सामूहिक क्षमता के साथ संस्थापक सदस्य हैं। जीआईसी रे को आईएनआईपी के पूल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएनआईपी द्वारा बीमालेखित किए गए व्यवसाय को जीआईसी रे सहित सभी सदस्य कंपनियों को उनकी एकत्रित क्षमता के अनुपात में पूर्ववत कर दिया जाएगा। आईएनआईपी की 15,00,00,00 हजार की कुल क्षमता में से हमारी कंपनी द्वारा 1,00,00,00 हजार रूपए की क्षमता प्रदत्त की गई।

आतंकवाद और परमाणु पूल का प्रबंधन जीआईसी द्वारा किया जाता है। इन पूलों का लेखा–जोखा जीआईसी से प्राप्त खाता विवरण के आधार पर किया गया है। कंपनी ने पूल खाते में शेष राशि यानी 19,35,34,08 हजार रुपये (पिछले वर्ष 16,25,47,53 हजार रुपये) दर्शाई है, जिसे अनुसूची 12 के तहत अन्य संस्थाओं से बकाया के रूप में दिखाया गया है।

lh- vioftZr {ks=k dfy, ejhu dkxks iwy ¼,lhbZVh½ iwy

यूक्रेन/रूस में मौजूदा विवाद और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, जीआईसी री और उनके रेट्रो पुनर्बीमाकर्ताओं सहित विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं ने रूस, बेलारूस और यूक्रेन के निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जोखिमों को अपवर्जित करते हुए ''निर्दिष्ट क्षेत्र अपवर्जन'' खंड जारी किया था। इसने पुनर्बीमा और इसलिए निर्दिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रों से/से या वहां से गुजरने वाले माल की बीमा कवरेज को गंभीर खतरे में डाल दिया था और इसलिए हमारे देश की विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की शिपमेंट, विशेष रूप से रूस से उर्वरकों की शिपमेंट, बीमा और पुनर्बीमा कवरेज के अभाव में नहीं हो पाई।

इस तरह के कवरेज के महत्वपूर्ण महत्व और इसमें शामिल राष्ट्रीय हित को देखते हुए, जनरल इंश्योरेंस–1 काउंसिल (जीआई काउंसिल) और जीआईसी–आरई के साथ–साथ गैर–जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अपवर्जित क्षेत्रों – रूस, यूक्रेन और बेलारूस के लिए एक मरीन कार्गो पूल के गठन की पहल की गई है।

वर्तमान में, जैसा कि ऊपर उल्लेखित अंतिम पूल समझौते में दिया गया है, जीआईसी री सहित 20 सदस्य कंपनियों

pooling the capacity to provide insurance covers for nuclear risks. GIC Re and 11 other non-life insurance companies are Founding Members with their collective capacity of 15,00,00,00 thousand . GIC Re is appointed as the Pool Manager of the INIP. The business underwritten by the INIP will be retro ceded to all Members Companies including GIC Re in proportion of their capacity collated. Out of total capacity of 15,00,00,00 thousand of INIP, the capacity provided by our company is Rs. 1,00,00,00 thousand .

Terrorism and Nuclear Pool is managed by GIC. Accounting of these pools has been done based on the statement of account received from GIC. The Company has shown balance lying in Pool Account i.e. Rs. 19,35,34,08 thousand (Previous Year Rs. 16,25,47,53 thousand) which has been shown under Due from Other Entities under Schedule 12.

c. Marine Cargo Pool for Excluded Territories (MCET) Pool

Due to the current conflict in Ukraine/ Russia and the sanctions imposed on Russia , various reinsurers including GIC Re and their retro reinsurers had issued "Specified Territory exclusion " clause excluding all exposure whether direct or indirect in the specified territories of Russia, Belarus and Ukraine . This had put in serious jeopardy , the reinsurance and hence the insurance coverage of the consignments in transit from/to or passing through the specified sanctioned territories and hence our country's shipments of critically required items in particular shipments of fertilizers from Russia since in the absence of insurance and reinsurance coverage shipments could not be made.

In view of critical importance of such coverage and the National interest involved, formation of a Marine cargo Pool for Excluded Territories-Russia, Ukraine and Belarus has been initiated by General Insurance I council (GI Council) and GIC Re along with the non-life insurance companies.

Presently , as given in the Final Pool agreement mentioned above , 20 member companies

ने पूल समझौते के अंतिम मसौदे के साथ संलग्न अनुसूची (बी) के अनुसार 4,78,80,00 हजार रुपये (अनिवार्य सेशन को छोड़कर) की कुल क्षमता के लिए प्रतिबद्धता जताई है। पूल में हमारी भागीदारी प्रति शिपमेंट 30,00,00 हजार रुपये की क्षमता प्रतिबद्धता के साथ है।

47. 31.03.2024 तक साल्वेज 24,66 हजार रुपये था (पिछले वर्ष 31,67 हजार रुपये था) और इसकी गणना लेखा हमारी लेखा पॉलिसी संख्या 7 के अनुसार केवल वसूली पर ही की जाएगी।

48. कंपनी के खाते में शामिल विदेशी एजेंसियों और शाखाओं के वित्तीय विवरण संबंधित देशों के स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

49. कर्मचारियों नें रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("संहिता") को सितंबर 2020 में भारतीय संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और उसके बाद, 13 नवंबर, 2020 को मसौदा नियम प्रकाशित किए गए और हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए गए। हालाँकि, जिस तारीख को संहिता लागू होगी, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है।

50. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पूर्व वर्षों में जारी पॉलिसियों के संबंध में राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार से 8,40,54,49 हजार रुपये (पिछले वर्ष 99,02,00 हजार रुपये) की राशि प्राप्त होनी है।

including GIC Re have committed a total capacity of Rs 4,78,80,00 thousands (excluding obligatory cession) as per the schedule (B) enclosed with final draft of Pool agreement. Our participation in the Pool is with capacity commitment of Rs. 30,00,00 thousand per shipment.

47. The salvage in hand as on 31.03.2024 was Rs.24,66 thousand (Previous year was Rs. 31,67 thousand)and will be accounted for only on realization as per our Accounting Policy No. 7.

48. Financial statements of foreign agencies and branches incorporated in company's account are prepared in accordance with the local rules and regulations of respective countries.

49. The Code on Social Security, 2020 ("Code") relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received the Indian Parliament approval and Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India and subsequently, on November 13, 2020, draft rules were published, and stakeholders' suggestions were invited. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified.

50. Rs 8,40,54,49 thousands (Previous year Rs 99,02,00 thousands) is receivable from state governments and Central Government in respect of policies issued in earlier years under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna.

विवरण Particulars	2023–24 राशि (रु. में '000) 2023-24 Amount (Rs. in '000)	2022–23 राशि (रु. में '000) 2022-23 Amount (Rs. in '000)
पीएमएफबीवाई – राज्य सरकार। PMFBY - State Govt.	2,96,36,78	65,39,88
पीएमएफबीवाई – केंद्र सरकार। PMFBY - Central Govt.	5,44,17,71	33,62,12

51. i) मोटर टीपी (गैर–पूल) के लिए निवल आईबीएनआर को सकल आईबीएनआर का 93ः माना गया है जो कि आईबीएनआर दावों पर ओ/एस दावों की तुलना में कम अपेक्षित आरआई वसूली के कारण सकल ओ/एस के लिए निवल ओ/एस के अनुपात 90.37ः से अधिक है। इस परिवर्तन का प्रभाव 1,88,34,14 हजार रुपये (पिछले वर्ष 1,66,22,49 हजार रुपये) है, जिससे निवल दावा ओ/एस/निवल व्यय दावे में बराबर राशि की वृद्धि हुई है।

ii) कंपनी असमाप्त जोखिम रिजर्व को उसके प्रतिशत के आधार पर पहचान रही है, जो अग्नि, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में निवल लिखित प्रीमियम का 50ः और मरीन हल व्यवसाय के मामले में निवल लिखित प्रीमियम का 100ः है। आईआरडीएआई से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी अपने मुख्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इनलियास की आवश्यक अनुकूलता करने के बाद यूआरआर के 1/365 तरीकों को माइग्रेट करने की प्रक्रिया में है।

52. परिपत्र संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/CPM/056/03/2016 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के अनुसार गणना किए गए शेयरधारकों और पॉलिसी धारकों के अनुपात के आधार पर उचित मूल्य परिवर्तन खाते सहित कुल निवेश को शेयरधारकों और पॉलिसी धारकों के फंड में अलग किया गया है। घाटे के कारण, कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में नकारात्मक हो जाती है और इस वजह से, निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेयरधारकों की हिस्सेदारी क्रमशः 52,44,69,00 हजार रुपये (पिछले वर्ष नकारात्मक 59,76,06,06 हजार रुपये) और 16,15,65,29 हजार रुपये (पिछले वर्ष नकारात्मक 15,27,66,64 हजार रुपये) का नकारात्मक शेष दिखा रही है, जो कंपनी के भविष्य के वित्तीय परिणाम के आधार पर भविष्य में बदलाव के अधीन है। चूंकि पॉलिसी धारकों की निधि संरक्षित है और उसे शेयर धारकों की निधि के ऋणात्मक निवल मूल्य के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाता शेष को बैलेंस शीट पर ऋणात्मक रूप में दिखाया जाता है।

53. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दायित्वः

कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास

51. i) Net IBNR for Motor TP (Non-Pool) has been considered at 93% of Gross IBNR which is higher than ratio of Net O/s to Gross O/s of 90.37% on account of lower expected RI recovery on IBNR Claims in comparison to O/s claims. The effect of this change works out to Rs. 1,88,34,14 thousand (Previous year Rs. 1,66,22,49 thousand) leading to increase in Net claim O/s / Net Incurred Claim by the equivalent amount.

ii) The company is recognizing Unexpired Risk Reserve based on a percentage thereof, being 50 % of the net written premium in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100%of the net written premium in case of Marine Hull business. As per directions received from IRDAI, The company is under process of migrating on 1/365 methods of working out of URR after doing necessary compatibility of its core application software INLIAS

52. The total investments including Fair Value Change account have been segregated into Shareholders and Policy holders fund based on the ratio of Shareholders and Policy holders computed in accordance with Circular reference no IRDA/F&A/Cir/CPM/056/03/2016 dated 4th April 2016. Due to losses, the Company's net worth becomes negative at the end of F.Y. 2023-24 and because of this, Shareholders share's in Investment and Fair Value Change account is showing negative Balance of Rs. 52,44,69,00 thousand (previous year negative Rs 59,76,06,06 thousand) and Rs 16,15,65,29 thousand (previous year negative Rs. 15,27,66,64 thousand) respectively, which is subject to change in future based on the future financial result of the Company. Since Policy Holders fund is protected and cannot be set off against the negative net worth of Share Holders fund, Investment and Fair Value change account balances are shown as negative on the Balance Sheet.

53. Liability under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006:

The Company has initiated the process of capturing the data relating to enterprises which

अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाले उन उद्यमों से संबंधित डेटा को लेखा प्रणाली में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो कंपनी को माल और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सिस्टम में सुधार लंबित होने के कारण, 31 मार्च, 2024 तक ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि के संबंध में खुलासा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ों में नहीं किया गया है। प्रबंधन के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई हो, का प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

54. कंपनी में आईएनडी–एएस कार्यान्वयन

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संदर्भ संख्या 100/2/आईएनडी–एएस–मिशन मोड/2022–23/1 दिनांक 14 जुलाई 2022 के माध्यम से भारत में बीमा कंपनियों को आईएनडी–एएस लेखा मानकों को लागू करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि नए मानक को वित्त वर्ष 2025–26 से भारतीय बीमा उद्योग में लागू किए जाने की संभावना है। कंपनी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार आईएनडी–एएस को लागू करने की प्रक्रिया में है।

55. फसल बीमा प्रीमियम की बुकिंगः

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कप एंड कैप पॉलिसी के अंतर्गत फसल बीमा के संबंध में 1793.36 करोड़ रुपये का प्रीमियम बुक किया है। एक राज्य सरकार के संबंध में, सत्यापन और गुणवत्ता जांच के बाद राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए प्रीमियम बुक किया गया है। एक अन्य राज्य सरकार का प्रीमियम पोर्टल से खरीफ सीजन के लिए बुक किया गया है, हालांकि रबी सीजन के लिए एनसीआईपी पोर्टल पर जानकारी के अभाव में कंपनी ने सत्यापन और गुणवत्ता जांच पूरी होने के आधार पर 41 करोड़ रुपये का प्रीमियम बुक किया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा मेल पर सूचित किए गए 141 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च 2024 तक सत्यापन और गुणवत्ता जांच लंबित थी।

56. सह–बीमा शेष राशि का मिलान और पुष्टिः

31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 1,15,84,035 हजार/– रुपये की सह–बीमा प्राप्य राशि है

have been providing goods and services to the Company, falling within the purview of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006, in the accounting system. Pending system augmentation , the disclosure in respect of the amount payable to such Micro, Small and Medium Enterprises as at March 31, 2024 has not been made in the standalone financial statements. In view of the management, the impact of interest , if any, that may be payable in accordance with the provisions of the Act is not expected to be material.

54. IND- AS implementation in the Company

The Insurance Regulatory and Development Authority of India vide its letter Ref. No. 100/2/ Ind AS-Mission Mode/2022-23/1 dated 14th July 2022 directed the insurance companies in India to implement the Ind AS Accounting Standards. It has been informed by the Authority that the new Standard is likely to be implemented in Indian insurance industry from the FY 2025-26. The Company is in process of implementation of the IND-AS as per IRDAI instructions.

55. Booking of Crop Insurance Premium:

During the year the company has booked a premium of Rs. 1793.36 Crores in respect of crop insurance under cup and cap policy of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna. In respect of one of the state governments, the premium has been booked for both Kharif and Rabi season as per the information available on the national crop insurance portal (NCIP), after verification and quality check. Another state government premium is booked for the Kharif season from the portal, However for rabi season in the absence of information on NCIP portal company has booked a premium of Rs. 41 Crores based on completed verification and quality check as against Rs. 141 Crores as intimated by state government over the mail were verification and quality check was pending as on 31st march 2024.

56. Reconciliation and Confirmation of Co-insurance balances:

और 1,02,71,681 हजार/– रुपये की देय राशि है। शेष राशि की पुष्टि और मिलान प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित के अनुसार कंपनी बकाया प्रीमियम का आयुवार विश्लेषण करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 10,29,016 हजार/– रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। (पिछले वर्ष राशि थी 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के संबंध में 2,28,34,51 हजार रुपये बट्टे खाते में डाले गए। वर्ष के अंत में संचयी प्रावधान 1,02,90,16 हजार रुपये है (पिछले वर्षः शून्य रुपये) वर्तमान में अवधि विश्लेषण मैन्युअल रूप से किया जाता है और कंपनी स्वचालन सहित प्रणाली को मजबूत करने की प्रक्रिया में है।

57. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Ason31stMarch2024Companyhasco-insurance receivable amounting to Rs 1,15,84,035 thousands/- And payable amounting to Rs 1,02,71,681 thousands The process of obtaining confirmation and reconciliation of balance is ongoing and as per board approved policy the company carries out age wise analysis of outstanding premium. During the year the company has made additional provision of Rs. 10,29,016 thousands/-. (Previous year amount was written off Rs 2,28,34,51 thousand) in respect of an amount outstanding for more than 3 year The cumulative provision held at the yearend is Rs 1,02,90,16 thousand (Previous Year: Rs NIL) at present the ageing analysis is carried out manually and the company is in the process of strengthening the system including automation, thereof

57. Previous year Figures have been regrouped and reclassified wherever required.

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074छ

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

For G S Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

R. R. SINGHPartner
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

राजीव कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

CA RAJIV KUMAR WADHAVAN
Partner
M.No. 091007

P. REGUNATHAN NAIR
Director
DIN 09462743

SUDHIR SHYAM
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

RASHMI BAJPAI
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Place: New Delhi
Dated: 27.05.2024

GIRISH AHUJA
DGM & CFO

vkbvkjMh, fofu;eksa d vuqlkj foÙkh; fooj.kksa ij çcU/ku fjikVZ

Management Report on Financial Statements as per IRDA Regulations

1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीए द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण उनकी पंजीकरण संख्या 556 के तहत वर्ष 2023–24 के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है।

2. वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी बकाया राशि का भुगतान विधिवत कर दिया गया है।

3. वर्ष 2023–24 के दौरान शेयरधारिता पैटर्न और शेयरों के सभी हस्तांतरण वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

4. वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रबंधन ने भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों के धन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है।

5. हम प्रमाणित करते हैं कि सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा बैलेंस शीट की तिथि पर की गई है और हमारा मानना है कि बैलेंस शीट में दर्शाई गई परिसंपत्तियां वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं तथा आईआरडीए विनियमों और लेखांकन नीति के अनुरूप हैं।

6. पुनर्बीमा एक बीमा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो बड़े नुकसान के प्रभाव से बैलेंस शीट की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भयावह घटना से होने वाले नुकसान के संचय से बचाता है, साथ ही बड़े जोखिमों को स्वीकार करने के लिए अंडरराइटिंग क्षमता भी प्रदान करता है। बड़े और जटिल जोखिमों को अंडरराइट करने की कंपनी की क्षमता उस अंडरराइटिंग क्षमता पर निर्भर करती है जिसे उसने पुनर्बीमा समर्थन के माध्यम से हासिल किया है। कंपनी को यथासंभव स्वचालित क्षमता से लैस करने पर जोर दिया जाता है ताकि मार्केटिंग और तकनीकी टीमें बड़े व्यवसाय को अंडरराइट करने और विकास हासिल करने की स्थिति में हों।

उपर्युक्त के अनुरूप, हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य उचित लागत पर सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा कवरेज सुनिश्चित करना और आनुपातिक तथा गैर–आनुपातिक संधियों के उचित मिश्रण के माध्यम से सुरक्षा के साथ–साथ स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है। जबकि आनुपातिक संधियाँ उन जोखिमों को संभालने की स्वचालित क्षमता प्रदान करती हैं जो कंपनी के

1. We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the years 2023-24 vide their Registration no. 556.

2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.

3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2023-24 are in accordance with statutory and regulatory requirements.

4. During 2023-24, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies issued in India.

5. We certify that the values of all assets have been reviewed on the date of balance sheet and in our belief the assets stated in the Balance Sheet do not exceed the realizable or market value and are in accordance with IRDA Regulations and accounting policy.

6. Reinsurance serves as an important Risk Management tool for an insurance company which , while ensuring overall protection of Balance sheet from impact of large losses and from accumulation of losses from a catastrophic event , also provides for underwriting capacity to accept large risks. The Company's ability to underwrite large and complicated risks depends upon the underwriting capacity it has managed to garner by way of Reinsurance support. The emphasis remains on equipping the Company with as much automatic capacity as is possible so that the marketing and technical teams are in a position to underwrite large business and achieve growth.

In line with above, the aim of our Reinsurance Programme is to ensure best possible reinsurance coverage at a reasonable cost and to provide automatic reinsurance facility as also protection through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties. While the Proportional Treaties provide automatic capacity to handle risks which are beyond Company's own Net Retention thereby enabling such

अपने शुद्ध प्रतिधारण से परे हैं, जिससे पूंजी पर दबाव डाले बिना ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है, कंपनी के शुद्ध प्रतिधारण पर जोखिम के संकेन्द्रण के जोखिम को अतिरिक्त हानि संरक्षण का उपयोग करके कम किया जाता है, जिससे बैलेंस शीट को प्रमुख घटनाओं के प्रभाव से बचाया जाता है।

वर्ष 2023–24 में यद्यपि हमारी कंपनी और भारतीय बाजार पर सामान्य रूप से कोई बड़ी विनाशकारी घटना का प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर भी कुछ जोखिम हानियां हुई हैं, जो एनएम जोखिम एक्सएल संधि से वसूली योग्य हैं, जिससे हमारी बैलेंस शीट पर प्रभाव कम हो जाएगा।

कंपनी के 2023–24 के पुनर्बीमा कार्यक्रम को बैलेंस शीट की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत जरूरी स्वचालित क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन रूस संघर्ष और चक्रवात इयान तथा अन्य नुकसानों के कारण चुनौतीपूर्ण विश्व स्थिति के प्रभाव के कारण, पुनर्बीमा बाजार असामान्य रूप से कठिन थे और भारत सहित पुनर्बीमा नवीनीकरण पर प्रभाव पड़ा, जिससे क्षमता की उपलब्धता पर दबाव पड़ा और पुनर्बीमा सुरक्षा के लिए उच्च दरों का प्रभाव भी पड़ा। परिणामस्वरूप, अग्नि अधिशेष संधि के मामले में पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा क्षमता पर न केवल थोड़ा दबाव था, बल्कि हानि की अधिकता (एक्सएल) संधियों के प्रीमियम में भी वृद्धि हुई थी। हालाँकि, अग्नि अधिशेष संधि में, एक्यूएसटी को बढ़े हुए रियायतों द्वारा क्षमता तनाव को कम किया जा सकता था, अन्य संधियों के संबंध में क्षमताओं को समाप्त होने के रूप में संरक्षित किया जा सकता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कठोर पुनर्बीमा बाजारों के कारण हानि की अधिकता (एक्सएल) संधियों के प्रीमियम में वृद्धि के बावजूद, सीमाएं और कटौती को समाप्त होने के रूप में बनाए रखा जा सकता है। घरेलू व्यापार के साथ–साथ विदेशी कार्यालयों के लिए विविध पोर्टफोलियो में व्यापार की कुछ लाभदायक क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमताएं भी बनाई गई हैं।

2023–24 के लिए हमारी सभी आनुपातिक और गैर–आनुपातिक संधियों को आईआरडीएआई विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से मजबूत और निर्धारित प्रतिभूतियों के साथ सफलतापूर्वक रखा गया है।

7. कंपनी के वर्तमान विदेशी परिचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में विदेशी कार्यालयों का योगदान पर्याप्त नहीं है। इसलिए विदेशी परिचालन के कारण जोखिम बहुत कम है।

risks to be underwritten without putting strain on the Capital, the risk of concentration of Exposures on Company's Net Retention is mitigated by using Excess of Loss Protection thus protecting the balance sheet from impact of major events .

In year 2023-24 though there has not been any major catastrophic event loss impacting our Company and the Indian market in general, there have been a few Risk losses which however are recoverable from the NM Risk XL treaty thereby mitigating the effect on our balance sheet.

The Reinsurance Programme of the Company for 2023-24 has been designed to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios while ensuring balance sheet protection . Due to the impact of challenging world situation exacerbated by the Ukrain Russia conflict as also due to impact of Cyclone Ian and other losses , the reinsurance markets were unusally hard and had impact on the reinsurance renewals including those in India , leading to stress on availability of capacity and also impact of higher rates for reinsurance protections . Consequently , there was not only slight stress on capacity by reinsurers in case of Fire Surplus treaty there was increase in premiums of excess of loss (XL) treaties . However , while in Fire Surplus Treaty , capacity stress could be mellowed down by increased cessions to AQST , the capacities in respect of other treaties could be preserved as expiring . Despite increase in premiums of excess of loss (XL) treaties due to hard reinsurance markets as mentioned earlier , the limits and deductibles could be maintained as expiring . Additional capacities have also been created in few profitable lines of business in Miscellaneous portfolio for domestic business as well as foreign offices.

All our Proportional and Non Proportional Treaties for 2023-24 have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

7. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. The foreign offices' contribution to Gross Direct Premium income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.

8. दावों की अवधि और दावों के निपटान की प्रवृत्तियाँ:

भारत में लंबित दावों का आयु–वार विश्लेषण तथा औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

10. स्टॉक और शेयरों सहित सभी निवेशों के मूल्य आईआरडीए विनियमों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सुरक्षा प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैध्उसका कारोबार नहीं किया जाता है, तो उसका मूल्यांकन मार्च के महीने में बीएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है, जिसे अन्य एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है।

11. पोर्टफोलियो के संदर्भ में परिसंपत्ति गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा नीचे दी गई है:

8. Ageing of claims and trends in settlement of claims:

Age-wise analysis of Outstanding Claims in India and trends in average claims settlement is given in Annexure 1.

10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDA Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such Security is not listed/ not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.

11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:

इक्विटी/म्यूचुअल फंड में उचित मूल्य परिवर्तन खाते पर विचार नहीं किया जाता है।

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

fooj.k@Particulars	fuos'k Investments jkf'k yk[k #i;s esa Amount Rs in lacs	dy fuos'k dk % % to Total Investments	mit % foÙk o"kZ 2023&24 Yield % FY 2023-24	mit % foÙk o"kZ 2022&23 Yield % FY 2022-23	mit % foÙk o"kZ 2021&22 Yield % FY 2021-22	mit % foÙk o"kZ 2020&21 Yield % FY 2020-21	mit % foÙk o"kZ 2019&20 Yield % FY 2019-20
सरकारी प्रतिभूतियाँ Govt Securities	1229924	57.18	7.92	8.02	8.15	8.28	8.03
बांड और डिबेंचर Bonds & Debenture	367252	17.07	6.94	7.21	7.38	7.34	7.81
म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड Mutual Funds & Venture Funds	92229	4.29	0	0	0	0	0
ऋण/Loans	1667	0.08	3.09	8.03	5.43	6.32	7.01
अधिमानित शेयर Preference Shares	101	0.00	0.01	0.01	6.76	0.01	0.01
इक्विटी/Equity	300336	13.96	14.05	11.90	9.78	9.94	6.28
मुद्रा बाजार प्रलेख Money Market Instruments	159585	7.42	5.09	5.11	3.13	5.26	6.96
अल्पकालिक ऋण Short Term Loan	0	0.00	0	0	0	0	0
आवेदन राशि Application Money	0	0.00	0	0	0	0	0
dy@Total	**2151094**	**100**	**8.19**	**7.92**	**7.56**	**7.87**	**7.15**

12- ge ifV djr g fd%

(ए) वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, साथ ही भौतिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

(बी) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और परिचालन लाभ या हानि और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सकेय

(सी) प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 (1956 का 1) के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(डी) प्रबंधन ने चालू वित्त वर्ष के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया है;

(ई) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी रूप से संचालित हो रही है।

13. हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी ने 1.50 की निर्धारित विनियामक शोधन क्षमता अनुपात आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।

12. We confirm that :

(a) In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any.

(b) The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;

(c) The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938)/ Companies Act, 2013 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The management has prepared the financial statements on a going concern basis;

(e) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

13. We confirm that for the financial year 2023-24, the Company has not met the stipulated regulatory solvency ratio requirement of 1.50.

Øekd **Sr. No.**	fooj.k@**Particulars**	lgu'khyrk dh lkFk **With Forbearance** **31.03.2024**	fcuk lgu'khyrk dh **Without Forbearance** **31.03.2024**
1	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन Available Solvency Margin	36308300	(52415100)
2	अपेक्षित सॉल्वेंसी मार्जिन/ Required Solvency Margin	4933.34	4933.34
3	साल्वेंसी अनुपात/Solvency Ratio	0.74	(1.06)

14. हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिनमें कंपनी के निदेशकों की रुचि है।

14 We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the company are interested.

fxjh'k vkgtk
Mhth,e vkj lh,Qvk
Girish Ahuja
DGM and CFO

jf'e ckti;h
egkçc/kd
Rashmi Bajpai
General Manager

vkj-vkj-flag
v/;{k&lg&çc/k funs'kd
R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director

vuqyXud&1@ANNEXURE 1

vkfj,Vy b';kjy dEiuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2024 rd Hkkjr esa cdk;k nkoksa dk vof/k&okj fo'ys"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2024

(रुपए लाख में)

cdk;k nkoa@Claims Outstanding for		31@03@2024 dk lekIr o"kZ dh fy,@Year ending 31/03/2024					
		vfXu@FIRE		ejhu@Marine		dqy fofo/k@TOTAL MISC.	
		l[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT	l[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT	l[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT
30 दिन से कम/ Less than 30 days	सूट/Suit	67	725.43	70	0	51746	10435.56
	नॉन सूट/Non suit	166	6920.23	521	1155.87	73199	65906.4
	आगामी मुद्रा/ Incoming Coin	9	1120.75	13	61.16	0	0
30 दिन से 6 महीने तक/ 30 days to 6 months	सूट/Suit	66	1232.8	2	170.83	8681	118369.94
	नॉन सूट/Non suit	698	28249.96	1251	5634.94	57802	85201.85
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	38	12515.21	11	162.23	0	0
6 महीने से 1 वर्ष तक 6 months to 1 year	सूट/Suit	88	1813.2	0	170.45	9803	161026.05
	नॉन सूट/Non suit	486	37632.83	653	4575.75	14750	80625.75
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	46	4851.15	9	6248.29	0	0
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 year to 5 years	सूट/Suit	239	2435.68	117	27.73	339624	316934.24
	नॉन सूट/Non suit	373	91947.66	545	13383.67	11783	48871.94
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	127	14054.16	46	14177.85	0	0

5 वर्ष और उससे अधिक / 5 years and above	सूट / Suit	599	24737.7	145	5530.22	37178	197862.04
	नॉन सूट / Non suit	49	31316.74	100	3005.3	2578	3047.81
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	30	2125.61	9	72.22	0	0
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क Survey / Legal Fee	सूट / Suit	0	158.37	0	19030.82	0	5040.05
	नॉन सूट / Non suit	0	690.53	0	4343.37	0	846.02
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	0	9.49	0	11.83	0	11210.52
कुल TOTAL	सूट / Suit	1059	31103.18	334	24930.05	447032	809667.89
	नॉन सूट / Non suit	1772	196758	3070	32099	160112	284499.77
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	250	34676	88	20734	0	11211
कुल योग / GRAND TOTAL		3081	262537.18	3492	77763.05	607144	1105378.66

vkfj,Vy b';kjy dEiuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2023 rd Hkkjr esa cdk;k nkoksa dk vof/k&okj fo'y"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2023

(रुपए लाख में)

cdk;k nkoksa@Claims Outstanding for		31@03@2024 dk lekIr o"kZ dh fy,@Year ending 31/03/2023					
		vfXu@FIRE		ejhu@Marine		dqy fofo/k@TOTAL MISC.	
		la[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT	la[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT	la[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT
30 दिन से कम / Less than 30 days	सूट / Suit	2	0.75	7	5.24	1936	15338.16
	नॉन सूट / Non suit	137	7929.48	301	2065.34	73903	107376.80

	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	3	318.14	1	1.00	66	272.90
30 दिन से 6 महीने तक / 30 days to 6 months	सूट / Suit	7	277.83	10	2.25	6402	44086.80
	नॉन सूट / Non suit	384	24419.05	771	3313.14	69504	80514.75
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	27	7518.91	14	137.23	8	165.42
6 महीने से 1 वर्ष तक 6 months to 1 year	सूट / Suit	8	101.03	10	2.27	7602	60562.68
	नॉन सूट / Non suit	534	35968.81	635	5044.25	9783	28619.26
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	39	12356.01	6	384.91	19	266.31
1 वर्ष से 5 वर्ष तक 1 year to 5 years	सूट / Suit	124	3516.87	38	433.42	41435	303750.90
	नॉन सूट / Non suit	429	96990.32	641	28577.08	261958	105676.10
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	67	11703.84	21	2085.81	15	1154.73
5 वर्ष और उससे अधिक / 5 years and above	सूट / Suit	406	18672.91	135	5379.30	38548	204481.70
	नॉन सूट / Non suit	46	11728.68	61	5016.69	616	2543.01
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	16	15192.48	11	897.92	19	3735.17
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क Survey / Legal Fee	सूट / Suit		9655.23	0	18486.25		27337.00
	नॉन सूट / Non suit		408.16	0	451.30		576.98
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin		6.89	0	94.36		4765.74
कुल TOTAL	सूट / Suit	**547**	**32224.61**	**200**	**24308.73**	**95923**	**655557.30**
	नॉन सूट / Non suit	**1530**	**177444.50**	**2409**	**44467.79**	**415764**	**325307.00**
	आगामी मुद्रा / Incoming Coin	**152**	**47096.27**	**53**	**3601.23**	**127**	**10360.27**
कुल योग / GRAND TOTAL		**2229**	**256765.38**	**2662**	**72377.75**	**511814**	**991224.57**

vkfj,Vy b';kjl diuh fyfeVM

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2022 rd Hkkjr esa cdk;k nkoksa dk vof/k&okj fo'ys"k.k

AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2022

(रुपए लाख में)

cdk;k nkos@Claims Outstanding for		31@03@2024 dk lekIr o"kZ dh fy,@Year ending 31/03/2022					
		vfXu@FIRE		ejhu@Marine		dqy fofo/k@TOTAL MISC.	
		la[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT	la[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT	la[;k@NO.	jkf'k@AMOUNT
30 दिन से कम / Less than 30 days	सूट / Suit	5	14.58	2	45	1305	7184.86
	नॉन सूट / Non suit	180	8759.59	224	1520.418	66882	34594.01
30 दिन से 6 महीने तक / 30 days to 6 months	सूट / Suit	1	0.00	12	137.79	6560	42643.06
	नॉन सूट / Non suit	349	24204.13	701	5804.529	34476	73407.79
6 महीने से 1 वर्ष तक / 6 months to 1 year	सूट / Suit	14	225.11	0	0	8487	53008.55
	नॉन सूट / Non suit	510	32842.75	516	25172.43	101075	53835.15
1 वर्ष से 5 वर्ष तक / 1 year to 5 years	सूट / Suit	116	839.46	48	168.095	47872	298000.00
	नॉन सूट / Non suit	441	100012.88	430	14330.1	62161	65852.01
5 वर्ष और उससे अधिक / 5 years and above	सूट / Suit	354	15948.97	109	4875.341	38346	188196.35
	नॉन सूट / Non suit	28	1909.39	71	4127.38	679	3184.56
आने वाली सह–बीमा / Incoming co-insurance	सूट / Suit	23	12854.25	3	7.57	316	1299.05
	नॉन सूट / Non suit	74	19058.62	39	1557.71	111	10021.63
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क / Survey / Legal Fee	सूट Suit		8627.43	0	18336.61	0	9280.41

	नॉन सूट / **Non suit**		705.33	0	750.8306	0	533.44
कुल / **TOTAL**	सूट / **Suit**	513	38509.79	174	23570.41	102886	599612.28
	नॉन सूट / **Non suit**	1582	187492.70	1981	53263.4	265384	241428.60
कुल योग / **GRAND TOTAL**		2095	226002.5	2155	76833.81	368270	841040.9

vkfj,Vy b';kjl diuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2021 rd Hkkjr e cdk;k nkok dk vof/k&okj fo'y"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2021

(रुपए लाख में)

cdk;k nkoo@**Claims Outstanding for**		31@03@2024 dk lekIr o"k d fy,@**Year ending 31/03/2021**					
		vfXu@**FIRE**		ejhu@**Marine**		d;y fofo/k@**TOTAL MISC.**	
		l-@ **NO.**	jkf'k@ **AMOUNT**	l-@ **NO.**	jkf'k@ **AMOUNT**	l-@ **NO.**	jkf'k@ **AMOUNT**
30 दिन से कम / Less than 30 days	सूट / **Suit**	4	147.26	0	0	2760	15714.71
	नॉन सूट / **Non suit**	185	11588.01	185	907.13	66762	49780.35
30 दिन से 6 महीने तक / **30 days to 6 months**	सूट / **Suit**	2	10.83	2	179.51	7080	40125.71
	नॉन सूट / **Non suit**	494	24891.64	713	2792.49	43214	39608.91
6 महीने से 1 वर्ष तक / **6 months to 1 year**	सूट / **Suit**	9	37.11	7	5006.12	9025	46897.51
	नॉन सूट / **Non suit**	560	38028.34	522	6007.73	114280	59171.84
1 वर्ष से 5 वर्ष तक / **1 year to 5 years**	सूट / **Suit**	109	682.8	24	134.08	47940	272276.4
	नॉन सूट / **Non suit**	378	89300.95	449	12593.64	61546	64902.76
5 वर्ष और उससे अधिक / **5 years and above**	सूट / **Suit**	299	4928.53	112	5261.24	36379	156060.4
	नॉन सूट / **Non suit**	53	1481.37	58	3706.4	648	1816.9

आने वाली सह–बीमा / **Incoming co-insurance**	सूट / **Suit**	2	17311.16	4	71.8	199	1423.09
	नॉन सूट / **Non suit**	99	39656.57	50	787.41	408	14263.91
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क / **Survey / Legal Fee**	सूट **Suit**	0	157.05	0	19415.92	0	7210.4
	नॉन सूट / **Non suit**	0	462.53	0	612.89	0	606.61
कुल / **TOTAL**	सूट / **Suit**	425	23274.74	149	30068.66	103383	539708.2
	नॉन सूट / **Non suit**	1769	205409.4	1977	27407.67	286858	230151.3
कुल योग / **GRAND TOTAL**		2194	228684.1	2126	57476.33	390241	769859.5

vkfj,Vy b';kjl dEiuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2020 rd Hkkjr esa cdk;k nkoksa dk vof/k&okj fo'ys"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2020

(रुपए लाख में)

cdk;k nkos@**Claims Outstanding for**		31@03@2024 dk lekIr o"kZ dh fy,@**Year ending 31/03/2020**					
		vfXu@**FIRE**		ejhu@**Marine**		dqy fofo/k@**TOTAL MISC.**	
		la[;k@ **NO.**	jkf'k@ **AMOUNT**	la[;k@ **NO.**	jkf'k@ **AMOUNT**	la[;k@**NO.**	jkf'k@ **AMOUNT**
30 दिन से कम / Less than 30 days	सूट / **Suit**	5	-45.24	6	45.32	38602	15658.31
	नॉन सूट / **Non suit**	188	9244.91	228	683.25	49658	103601.18
30 दिन से 6 महीने तक / **30 days to 6 months**	सूट / **Suit**	11	212.81	8	48.03	9743	50277.67
	नॉन सूट / **Non suit**	554	24091.56	778	4235.57	63018	96187.82
6 महीने से 1 वर्ष तक / **6 months to 1 year**	सूट / **Suit**	11	12.77	7	2.29	11204	62502.04
	नॉन सूट / **Non suit**	580	37802.82	582	6374.87	450852	99646.10
1 वर्ष से 5 वर्ष तक / **1 year to 5 years**	सूट / **Suit**	117	1343.88	45	105.35	42402	219079.65

	नॉन सूट / **Non suit**	396	86304.15	326	11390.32	40152	73409.04
5 वर्ष और उससे अधिक / **5 years and above**	सूट / **Suit**	263	3677.45	156	4166.73	34193	120547.78
	नॉन सूट / **Non suit**	61	1585.14	43	2698.92	289	1243.46
आने वाली सह–बीमा / **Incoming co-insurance**	सूट / **Suit**	10	16790.16	1	0.01	988	3544.86
	नॉन सूट / **Non suit**	71	19744.84	79	1389.67	251	13238.71
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क / **Survey / Legal Fee**	सूट **Suit**	0	196.28	0	19133.12	0	6371.51
	नॉन सूट / **Non suit**	0	332.42	0	3108.18	0	772.80
कुल / **TOTAL**	सूट / **Suit**	**417**	**22188.11**	**223**	**23500.85**	**137132**	**477981.82**
	नॉन सूट / **Non suit**	**1850**	**179105.85**	**2036**	**29880.78**	**604220**	**388099.13**
कुल योग / **GRAND TOTAL**		**2267**	**201293.96**	**2259**	**53381.63**	**741352**	**866080.95**

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2024	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या / No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) / Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	7282	209
मरीन हल	Marine cargo	18976	92
मरीन कार्गो	Marine Hull	451	231
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	302955	72
मोटर टीपी	MOTOR TP	64718	862
इंजीनियरिंग	ENGG	5894	135
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	2026	304
विमानन	AVIATION	240	55
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	24790	128
स्वास्थ्य	HEALTH	2467222	28
देयता	LIABILITY	2047	134
फसल	CROP	276985	678
अन्य विविध	OTHER MISC.	46987	100
कुल योग	**Grand Total**	3220573	

vkl r nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2023	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या / No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) / Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	5642	739
मरीन कार्गो	Marine cargo	13120	240
मरीन हल	Marine Hull	174	906
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	286792	126
मोटर टीपी	MOTOR TP	59094	1719
इंजीनियरिंग	ENGG	5490	276
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1638	884
विमानन	AVIATION	106	539
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	28901	416
स्वास्थ्य	HEALTH	2356108	243
देयता	LIABILITY	1017	1084
अन्य विविध	OTHER MISC	64205	222
कुल योग	Grand Total	2822287	

vkl r nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2022	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या / No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) / Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	6368	198
मरीन कार्गो	Marine cargo	13681	94
मरीन हल	Marine Hull	198	491
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	296932	64
मोटर टीपी	MOTOR TP	45306	957
इंजीनियरिंग	ENGG	5112	139
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1562	216
विमानन	AVIATION	107	302
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	77383	71
स्वास्थ्य	HEALTH	1281291	42
देयता	LIABILITY	1155	227
फसल	CROP	164070	58
अन्य विविध	OTHER MISC	36726	67
कुल योग	Grand Total	1929891	

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2021	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या / No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) / Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	6326	249
मरीन कार्गो	Marine cargo	6335	154
मरीन हल	Marine Hull	153	539
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	43661	75
मोटर टीपी	MOTOR TP	53661	914
इंजीनियरिंग	ENGG	5157	171
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1143	322
विमानन	AVIATION	108	200
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	45074	76
स्वास्थ्य	HEALTH	227884	55
देयता	LIABILITY	353	353
फसल	CROP	1191908	40
अन्य विविध	OTHER MISC	30403	108
कुल योग	Grand Total	1612166	

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2020	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या / No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) / Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	6719	232
मरीन कार्गो	Marine cargo	7055	172
मरीन हल	Marine Hull	193	414
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	416629	63
मोटर टीपी	MOTOR TP	71067	806
इंजीनियरिंग	ENGG	5520	161
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1694	457
विमानन	AVIATION	138	645
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	36392	121
स्वास्थ्य	HEALTH	1031766	215
देयता	LIABILITY	900	1368
फसल	CROP	1876022	11
अन्य विविध	OTHER MISC	43226	180
कुल योग	Grand Total	3497321	

31-03-2024 dk lekIr o"k d; fy, jlhn vkj Hkxrku [kkrk ¼;kuh udnh çokg fooj.k½ ¼LVsVesaVyku½

Receipts and Payments Account (i.e. Cash Flow Statement) for the Year Ended 31.03.2024 (Stand Alone)

	31.03.2024	31.03.2023
	(Rs.'000)	(Rs.'000)
d- ifjpkyu xfrfof/k;ksa ls udnh çokg **A. Cash Flow from Operating Activities**		
1. पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम रसीदें भी शामिल हैं Premium received from Policyholders, including advance receipts	190992678	170257552
2. Other receipts (net)/अन्य प्राप्तियाँ (निवल)	1863325	1973325
3. पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का निवल Payment to reinsurers, net of commissions and claims	-14486543	-10997880
4.बीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का निवल Payment to coinsurers, net of claims recovery	-2339345	3252299
5. दावों का भुगतान / Payment of claims	-162415717	-143691644
6. कमीशन और दलाली का भुगतान / Payment of commission and brokerage	-12184338	-11500744
7. अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान / Payments of other operating expenses	-32379801	-54645205
8. प्रारंभिक और पूर्व–संचालन व्यय / Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9. जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण / Deposits, advances and staff loans	1915149	-283325
10. आयकर (भुगतान) / वापसी (निवल) / Income taxes (paid)/refund (net)	0	0
11. एकत्रित जीएसटी / (भुगतान) (निवल) / GST collected/(paid) (net)	4680708	5120525
12. अन्य भुगतान (निवल) / Other payments (net)	0	0
13. असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह / Cash flow before extraordinary items	-24353884	-40515097
14. असाधारण परिचालन से नकदी प्रवाह / Cash flow from extraordinary operations/	0	0
15. ifjpkyu xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh çokg@**Net cash flow from operating activities**	**-24353884**	**-40515097**
[k fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh çokg **B. Cash Flow from Investing Activities**		
1. अचल संपत्तियों की खरीद (निवल) / Purchase of fixed assets (net)	-904290	-582847
2. अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय / Proceeds from sale of fixed assets	33,066.00	42307
3. निवेशों की खरीद / Purchase of investments	-6870777	-16636028
4. वितरित ऋण / Loans disbursed	0	0
5. निवेशों की बिक्री / Sale of Investments	24985177	13934147
6. पुनः भुगतान प्राप्त हुए / Repayments received	11118876	10233027
7. प्राप्त हुआ किराया / ब्याज / लाभांश / Rents/Interests/Dividends received	17310865	17266990
8. मुद्रा बाजार उपकरणों और चल म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल) / Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	-1959645	10018478
9. निवेशों से संबंधित खर्च / Expenses relating to investments	-27841	-24853
10. fuos'k xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh çokg@**Net cash flow from the investing activities**	**43685431**	**34251221**
x- foÙkh; xfrfof/k;ksa ls udnh çokg **C. Cash Flow from Financing Activities**		
1. शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आयशेयर आवेदन से प्राप्त राशि Proceeds from issuance of share capital/share application money received	0	0
2. उधार से प्राप्त आय / Proceeds from borrowing	0	0
3. उधार का पुनर्भुगतान / Repayments of borrowing	-7500000	0
4. भुगतान किया गया ब्याजध्लाभांश (वितरण कर सहित) / Interest/dividends(including distribution tax) paid	-636853	-664587
5. वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह / **Net cash flow from the financing activities**	**-8136853**	**-664587**
?k- udnh vkj udnh led{kk ij fonsh'kh fofue; njksa dk çHkko ¼fuoy½ **D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)**	**108827**	**283133**
³ udn vkj udn led{kk esa fuoy of)¼¼/deh½&¼A **E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents**	**11303521**	**-6645330**

1. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष / **Cash and Cash equivalents at the beginning of the year**	**16953680**	**23599010**
2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष / **Cash and Cash equivalents at the end of the year**	**28257201**	**16953680**

नोट 1 – जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।
नोट 2 – (+) आंकड़ा अंतर्वाह को दर्शाता है और (–) बहिर्प्रवाह को दर्शाता है

Note 1 - Previous year's figures have been regrouped and reclassified whereve required
Note 2 - (+) figure represents inflow and (-) represents outflow

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074छ

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

For G S Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

R. R. SINGHPartner
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

राजीव कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

CA RAJIV KUMAR WADHAVAN
Partner
M.No. 091007

P. REGUNATHAN NAIR
Director
DIN 09462743

SUDHIR SHYAM
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

RASHMI BAJPAI
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Place: New Delhi
Dated: 27.05.2024

GIRISH AHUJA
DGM & CFO

इंडस्ट्रियल केडिट कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणिका



INDUSTRAIL CREDIT COMPANY LIMITED

FINANCIAL STATEMENT



lhvkbZ,u u0- U65921DL1930GO1000216

fn bUMfLV';y ØfMV dEiuh fyfeVM

ift-,o ç/kku dk;kZy;% ,&25@27] vklQ vyh jkM+ ubZ fnYyh&110002

lpuk

अल्पावधिक सूचना दी जाती है कि दि इंडसट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की 94 वें वार्षिक आम बैठक कंपनी के कॉरपरेट कार्यालय, बोर्ड कक्ष, चतुर्थ तल, प्लेट ए, ऑफिस ब्लाक प्ट, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली; 110023 में शुक्रवार, 5 जुलाई, 2024 को दोपहर 12:00 निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

lkekU; dkedkt

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों/सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
2. श्री रश्मि रमन सिंह (डीआईएन संख्या–08975825) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते है।
3. श्रीमती रश्मि बाजपेयी (डीआईएन संख्या–09802287) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती है।
4. वित्त वर्ष 2024–25 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

fo'ks"k dk;Z

1. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

   संकल्प लिया गया कि श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन संख्या–10358038) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तथा वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगी।

2. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करनाः

   संकल्प लिया गया कि श्रीमती मीरा पार्थसारथी, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन संख्या–10692091) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तथा वे रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगी।

बोर्ड की आज्ञानुसार

हस्ता/–

(रश्मि बाजपेयी)

निदेशक

डीआईएन.– 09802287

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 03, जुलाई 2024

CIN NO. U65921DL1930GOI000216
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
Regd. & Head Office: A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002

NOTICE

Short Notice is hereby given that 94th Annual General Meeting of The Industrial Credit Company Limited will be held at the Corporate Office of the Company, at Board Room, 4th Floor, Plate A, Office Block IV, NBCC Office Complex, Kidwai Nagar East, New Delhi – 110023 on Friday, the 5th day of July, 2024 at 12.00 noon to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Board's Report, Audited Annual Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 and Auditors'/CAG Report thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Rashmi Raman Singh (DIN No. – 08975825), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Mrs. Rashmi Bajpai (DIN No. – 09802287), who retires by rotation and being eligible offers herself for re-appointment.
4. To fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the C&AG, for the FY 2024-25.

SPECIAL BUSINESS

1. **To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following Resolution as ORDINARY RESOLUTION**:

   "**RESOLVED THAT** Mrs. Rekha Thakur Mohanty, Additional Director (DIN No. – 10358038), be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

2. **To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following Resolution as ORDINARY RESOLUTION**:

   "**RESOLVED THAT** Mrs. Meera Parthasarthy, Additional Director (DIN No. _ 10692091), be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

By Order of the Board

PLACE: New Delhi
DATE: 03rd July 2024

(RASHMI BAJPAI)
DIRECTOR
DIN - 09802287

fn bMfLV;y ØfMV diuh fyfeVM

i;th—r ,o ç/kku dk;ky;% ,&25@27] vklQ vyh jkM ub fnYyh&110002

Qke lo ,eth Vh&11

ç,Dlh Qke

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार

सीआईएनः

कंपनी का नामः

पंजीकृत कार्यालयः

सदस्य(यों) का नाम

पंजीकृत पताः

ई–मेल आईडीः

पृष्ठांक सं0/ग्राहक आईडीः

डीपी आईडीः

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के.....शेयरों के धारक होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं।

1. नाम–

   पता'–

   ई–मेल आईडी–

   हस्ताक्षर–

2. नाम–

   पता'–

   ई–मेल आईडी–

   हस्ताक्षर–

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
Regd. & Head Office: A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002

Form No. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to Section 105 (6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

CIN:

Name of the Company:

Registered Office:

Name of the Member (s):

Registered Address:

E-mail ID:

Folio No./Client ID:

DP ID:

I/We, being the holder (s) of _____ shares of the above named Company, hereby appoint

1. Name –

   Address –

   E-Mail ID –

   Signature –

2. Name –

   Address –

   E-Mail ID –

   Signature -

3. नाम–

पता'–

ई–मेल आईडी–

हस्ताक्षर–

कंपनी की आम वार्षिक बैठक/असाधारण आम बैठक जो.....

दिन.....2023 को.....में.....प्रातः/सांयकाल को .....(स्थान) में आयोजित की जाएगी मेरी/हमारी ओर से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने और मतदान करने(मतदान की परिस्थिति में) और नीचे दर्शाए गए किसी भी संकल्पों के किसी भी स्थगन पर

संकल्प संख्या–

1.....

2.....

3.....

इस..... दिन....., 2024 को हस्ताक्षर किए गए

शेयरहोल्डर के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक(ओं) के हस्ताक्षर

नोट– प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए और बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृतध्कॉर्पोरेट कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

3. Name –

   Address –

   E-Mail ID –

   Signature –

As my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the _____ Annual General Meeting/Extraordinary General Meeting of the Company, to be held on the _____ day of _____, 2023 at _____ a.m./p.m. at _____ (place) and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:-

Resolution No. –

1.....

2.....

3.....

Signed this _____ day of _____, 2024

Signature of Shareholder

Signature of Proxyholder(s)

NOTE – This form of Proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered/Corporate Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

fn bMfLVªy ØfMV dEiuh fyfeVM

iathÑr çkfu dk;kZy;% ,&25@27] vklQ vyh jkM+ ubZ fnYyh&110002

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 102 d vuqlkj 0;k[;kRed oäh0;

fo'ks"k dk;Z dh en la[;k 1%

श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा 01.11.2023 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है तथा वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर रहेंगी जोकि नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देने वाले एक सदस्य से लिखित में नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक हैं। निदेशक ने कंपनी के बोर्ड में श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती की नियुक्ति की सिफारिश की है।

श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती के अलावा कोई अन्य निदेशक इस संबंधित मामले में इच्छुक नहीं है।

fo'ks"k dk;Z dh en la[;k 2%

श्रीमती मीरा पथसारथी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा 01.07.2024 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है तथा वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर रहेंगी तथा नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सदस्य से निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्रीमती मीरा पार्थसारथी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक हैं। निदेशकों ने कंपनी के बोर्ड में श्रीमती मीरा पार्थसारथी की नियुक्ति की सिफारिश की है।

श्रीमती मीरा पार्थसारथी के अलावा कोई अन्य निदेशक इस संबंधित मामले में इच्छुक नहीं है।

ckMZ dh vkKkuqlkj
¼jf'e ckt i;h½
funs'kd
MhvkbZu&09802287

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 03 tqykbZ 2024

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
Regd. & Head Office: A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002

Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013

Item No. 1 of Special Business:

Mrs. Rekha Thakur Mohanty, was appointed as Additional Director of the Company by the Board of Directors w.e.f. 01.11.2023 under Section 161 of the Companies Act, 2013 and holds office up to the date of forthcoming Annual General Meeting and is eligible for appointment. The Company has received a notice in writing under provisions of Section 160 of Companies Act, 2013, from a member proposing her candidature for the office of Director.

Mrs. Rekha Thakur Mohanty is General Manager in The Oriental Insurance Company Limited. The Directors have recommended the appointment of Mrs. Rekha Thakur Mohanty on the Board of the Company.

No Director other than Mrs. Rekha Thakur Mohanty is concerned or interested in the matter.

Item No. 2 of Special Business:

Mrs. Meera Parthasarathy, was appointed as Additional Director of the Company by the Board of Directors w.e.f. 01.07.2024 under Section 161 of the Companies Act, 2013 and holds office up to the date of forthcoming Annual General Meeting and is eligible for appointment. The Company has received a notice in writing under provisions of Section 160 of Companies Act, 2013, from a member proposing her candidature for the office of Director.

Mrs. Meera Parthasarathy is General Manager in The Oriental Insurance Company Limited. The Directors have recommended the appointment of Mrs. Meera Parthasarathy on the Board of the Company.

No Director other than Mrs. Meera Parthasarathy is concerned or interested in the matter.

By Order of the Board

PLACE: New Delhi
DATE: 03rd July 2024

(RASHMI BAJPAI)
DIRECTOR
DIN - 09802287

funs'kdksa dh fjikVZ

fn bMLVh;y ØfMV dEiuh fyfeVM

fç; 'ks;j/kkjdksa]

निदेशक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी 94 वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते और बैलेंस शीट प्रस्तुत करते हैं।

foÙkh; ifj.kke vkj ifjpkyu leh{kk

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया। लाभ–हानि खाते के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए हानि 2,46,646/– रुपये है और वर्ष के अंत में कुल आगे ले जाया गया हानि 13,31,626/– रुपये है।

fjtoZ

चूंकि वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया गया, इसलिए कोई राशि रिजर्व में स्थानांतरित नहीं की गई।

ykHkka'k

आगे ले जाए जाने वाली हानियों को देखते हुए, आपके निदेशक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश के भुगतान या किसी भी निधि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने की सिफारिश नहीं करते हैं।

'ks;j iwath

31 मार्च, 2024 तक भुगतानित इक्विटी पूंजी 5,00,000/– रुपये (केवल पांच लाख रुपये) थी, जो 100/– रुपये प्रति शेयर के 5000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई नया शेयर जारी नहीं किया।

foÙk

31 मार्च, 2024 तक नकदी और नकदी के समकक्ष 6,82,406/– रूपये थे

lkof/k tek

कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए ऐसी कोई दावा न की गई या भुगतान न की गई जमा राशि नहीं है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हों।

कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, से लेकर इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी में कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।

yfcr dkuwuh ekeyksa dh fLFkfr

Jherh jeknsoh ok"kZ.ks; ¼erd½ cuke bMfLV;y ØfMV dEiuh fyfeVM

fofo/k ekeyk la[;k 277@1971

¼fofo/k vihy la[;k 96@2022 esa ftyk U;k;ky;] vyhx<+ }kjk fn, x, fu.kZ; }kjk cgky½

यह मामला ओ.पी. (सुश्री) द्वारा एक ट्रक के वित्तपोषण के संबंध में कंपनी द्वारा 1967 में निष्पादित किराया खरीद समझौते के संबंध में सरस्वती वार्ष्णेय (स्वर्गीय सुश्री रमा देवी की पुत्री)) अलीगढ़ में दर्ज किया गया।

कंपनी ने निचली अदालत में केस जीत लिया था लेकिन जिला न्यायालय, अलीगढ़ में ओपी की अपील (विविध अपील संख्या 96/2022) कंपनी के खिलाफ तय की गई थी और उक्त मामले को 23/02/2023 के आदेश के अंतर्गत उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया गया था।

REPORT OF THE DIRECTORS OF
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Dear Shareholders,

The Directors present their 94th Annual Report and the Audited Accounts and the Balance Sheet for the year ended 31st March, 2024.

FINANCIAL RESULTS & OPERATIONAL REVIEW

The Company did not transact any business during the year. The loss for the year under review as per the Profit & Loss account is Rs. 2,46,646/- and the total carried forward loss at the end of the year is Rs. 13,31,626/-.

RESERVES

As there was no business undertaken during the year no amount has been transferred to Reserve.

DIVIDEND

In view of carry forward losses, your Directors do not recommend payment of any dividend or transfer of any funds to reserves for the year ended on 31st March, 2024.

SHARE CAPITAL

The paid up equity capital as on 31st March, 2024, was Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakhs only) divided into 5000 Equity shares of Rs. 100/- each. The Company did not issue any fresh shares during the year under review.

FINANCE

Cash and cash equivalents as at 31st March, 2024, was Rs. 6,82,406/-.

FIXED DEPOSITS

The Company has not accepted any deposits from the public, hence there is no such unclaimed or unpaid deposit.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

There are no material changes and commitments in the Company, between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of this report, which affected the financial position of the Company.

STATUS OF PENDING LEGAL CASES

Smt. Ramadevi Varshney (deceased) Vs. Industrial Credit Company Limited

Misc Case No. 277/1971

(Restored vide decision given by the District Court, Aligarh in Misc. Appeal No. 96/2022)

This case was filed by OP (Ms Saraswati Varshney (Daughter of Late Ms. Rama Devi)) in Aligarh with respect to a Hire Purchase Agreement executed by the Company in 1967 regarding financing of a truck.

The Company had won the case in the Lower Court but the Appeal of OP (Misc. Appeal No 96/2022) in District Court, Aligarh has been decided against the Company and the said case was restored to its Original No. vide Order dated 23/02/2023.

श्री तरुण अग्रवाल (इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए नियुक्त इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, विविध अपील संख्या 96/2022 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 23/02/2023 के आदेश के निर्णय से राहत के लिए, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 28/11/2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें विविध अपील संख्या 96/2022 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित बहाली आदेश को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक रोक दिया गया।

10.0.2024 को जिला न्यायालय अलीगढ़ में सुनवाई हुई और हमारे अधिवक्ता श्री दिवाकर अग्रवाल ने स्टे ऑर्डर की प्रति माननीय न्यायालय अलीगढ में फाईल की। और अदालत द्वारा इसे ओपी (सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय स्वर्गीय सुश्री रमा देवी की पुत्री) को भेज दिया गया के द्वारा सरस्वती वार्ष्णेय (स्वर्गीय सुश्री रमा देवी की पुत्री)) भेज दिया गया द्वारा स्थगन आदेश के अनुपालन में, माननीय जिला न्यायालय, अलीगढ़ ने मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किसी अगले निर्णय/संदेश आने तक स्थगित रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई तथा अगली सुनवाई की तिथि 01/05/2024 नियत की गई है।

bykgkckn mPp U;k;ky; e vihy@çkn'k ;kfpdk

कंपनी को अधिवक्ता श्री तरुण अग्रवाल द्वारा सूचित किया गया कि ओपी (सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय (स्वर्गीय श्रीमती रमा देवी की पुत्री)। द्वारा अब तक मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है।

_.k] xkjVh ;k fuo'kk dk fooj.k

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।

कंपनी द्वारा किए गए निवेश का विवरण वित्तीय विवरणियों में दिया गया है

vkrfjd fu;=.k] ç.kkfy;k vkj mudh i;kIrrk

आंतरिक नियंत्रण, प्रणाली और पर्याप्तता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी कोई सक्रिय व्यवसाय नहीं कर रही है।

d,ikjV lkekftd mÙkjnkf;Ro ç;kl

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

Åtk lj{k.k] çk|kfxdh vo'kks"k.k

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह एक वित्त कंपनी है और कोई सक्रिय व्यवसाय भी नहीं कर रही है।

fon'kh eæk vk; vkj 0;;

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन या व्यय नहीं हुआ।

ykxw lfpoh; ekudksa dk vuqikyu

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी संशोधनों के साथ अधिसूचित लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

dk;LFky ij efgykvksa dk ;kSu mRihMu ¼jksdFkke] fu"ks/k vkj fuokj.k½ vf/kfu;e] 2013

Shri Tarun Agarwal (Senior Advocate at Allahabad engaged for filing an Appeal at Allahabad High Court) filed a writ petition with the Hon'ble High Court of Allahabad, under Article 227 of the Constitution of India, for the relief of setting aside the order dated 23/02/2023 passed by the Additional District Judge, Aligarh in Misc. Appeal No. 96 of 2022.

The Hon'ble High Court of Allahabad passed an Order dated 28/11/2023 granting stay of the Restoration Order passed by the Additional District Judge, Aligarh in Misc. Appeal No. 96 of 2022 till the next date of listing.

On 10/01/2024 hearing took place in District Court, Aligarh, and our advocate Shri Diwakar Agarwal filed the copy of the Stay Order with the Hon'ble District Court, Aligarh and the same was forwarded to the OP (Ms Saraswati Varshney (Daughter of Late Ms. Rama Devi)) by the Court. In compliance with the Stay Order, the Hon'ble District Court, Aligarh has stayed the case proceedings which shall remain suspended till any further decision/communication by the Hon'ble High Court of Allahabad.

The next date of hearing was fixed for 12/03/2024 on which no hearing took place due to stay order of the Hon'ble High Court of Allahabad and the next date of hearing is fixed for 01/05/2024.

Appeal / Writ Petition in the Allahabad High Court

The Company was informed by Shri Tarun Agrawal, Advocate, that no counter affidavit was filed in the matter till now by OP (Ms. Saraswati Varshney (Daughter of Late Smt. Rama Devi).

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The Company has not given any loans or guarantees under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.

The details of the investments made by the Company are given in the financial statements

INTERNAL CONTROL, SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Internal Control, Systems and Adequacy are not applicable to the Company as the Company is not doing any active business.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Corporate Social Responsibility are not applicable to the Company.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding conservation of energy, technology absorption are not applicable to the Company, as it is a finance company and not doing any active business also.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

During the year under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

COMPLIANCE WITH APPLICABLE SECRETARIAL STANDARDS

The Company is in compliance with the applicable Secretarial Standards issued by Institute of Company Secretaries of India and notified by the Ministry of Corporate Affairs with all amendments thereto.

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

(रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक पालिसी लागू की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

dEiuh dk çca/ku

कंपनी का प्रबंधन उन निदेशकों द्वारा किया जाता है जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के नामित व्यक्ति हैं। प्रशासनिक सेवाएँ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दी जाती हैं।

fun'kd

श्री रश्मि रमन सिंह और श्रीमती रश्मि बाजपेयी, निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि को रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती को 01.11.2023 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वे आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर रहेंगी।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के अनुरूप) के प्रावधानों के तहत निदेशक के पद के लिए उपर्युक्त अतिरिक्त निदेशक की उम्मीदवारी

का प्रस्ताव करने वाले सदस्यों से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होते हुये इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री अरविंद सक्सेना, जिन्हें 01.06.2023 को अतिरिक्त निदेशक और 21.08.2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2024 को पद छोड़ देंगे।

कंपनी श्री अरविंद सक्सेना द्वारा कार्यालय छोड़ने के बाद श्रीमती मीरा को होल्डिंग कंपनी के महाप्रबंधक नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है। .

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं और 03.05.2023, 21.08.2023, 09.10.2023 और 30.01.2024 को की गईं। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति या निदेशक मंडल का मूल्यांकन कंपनी पर लागू नहीं है।

fun'kdksa dh mÙkjnkf;Ro dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशकगण एतद्द्वारा बताते हैं:–

क. कि वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग. कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. कि निदेशकों ने वार्षिक खातों को चालू आधार पर तैयार नहीं किया था।

ई. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

The Holding Company has in place a Policy on Prevention of Sexual Harassment of women at Workplace in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013. During the period under review, no complaint has been received regarding sexual harassment by the Internal Complaints Committee (ICC).

MANAGEMENT OF THE COMPANY

The Company was managed by the Directors who are nominees of The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company). The administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited.

DIRECTORS

Shri Rashmi Raman Singh and Mrs. Rashmi Bajpai, Directors, are retiring by rotation on the date of the forthcoming Annual General Meeting and are eligible for reappointment.

Mrs. Rekha Thakur Mohanty was appointed as Additional Director on 01.11.2023 and holds office till the date of the forthcoming Annual General Meeting.

The Company has received notices in writing from members proposing the candidature of the aforementioned additional director for the office of Director under provisions of Section 160 of Companies Act 2013 (corresponding to Section 257 of the Companies Act 1956). Mrs. Rekha Thakur Mohanty being eligible for appointment as Director of the Company has accorded her consent for the same.

Shri Arvind Saxena who was appointed as Additional Director on 01.06.2023 and as Director on 21.08.2023 will vacate office on 30.06.2024 on attaining the age of superannuation.

The Company proposes to appoint Mrs. Meera Parthasarathy, General Manager of the Holding Company consequent to vacation of office by Shri Arvind Saxena.

During the year under review four meetings of the Board of Directors were convened and held on 03.05.2023, 21.08.2023, 09.10.2023 and 30.01.2024. The intervening gap between the Meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

Appointment of independent directors or evaluation of Board of Directors is not applicable to the Company.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT:

Pursuant to provisions of Sec. 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors hereby state:-

a. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for year under review;

c. That the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. That the directors had not prepared the annual accounts on a going concern basis.

e. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

lEc) i{k d yu&nu

कंपनी और इसकी होल्डिंग कंपनी के बीच लेन–देन का विवरण निदेशक रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के रूप में फॉर्म एओसी 2 में संलग्न है।

lrdrk r=

होल्डिंग कंपनी के पास धोखाधड़ी, वित्तीय कदाचार, कुप्रबंधन, कंपनी के धन/परिसंपत्तियों की बर्बादी/गबन तथा पारस्परिक मामलों और कंपनी के व्यवसाय से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए एक सतर्कता तंत्र है।

tkf[ke çc/ku ikfylh

चूंकि कंपनी में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, इसलिए बोर्ड उद्यम–व्यापी जोखिम की पहचान करता है और उसका आकलन करता है तथा उसकी निगरानी करता है और उसके शमन के लिए कदम उठाता है। बोर्ड का मानना है कि मौजूदा प्रणाली कंपनी और परिचालन की प्रकृति और आकार के लिए उपयुक्त है और यह प्रणाली प्रभावी रूप से काम कर रही है।

lgk;d difu;k

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

ys[kk ijh{kd

मेसर्स एनसी राज एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

ys[kk ijh{kdksa dh fVIif.k;k

उनकी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है और उनकी टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं

/kks[kk/kMh dh fjikfVx

इस अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी या केंद्र सरकार को धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

okf"kd fjVu

वार्षिक रिटर्न होल्डिंग कंपनी की वेबसाइट (www-orientalinsurance-org-in) पर अपलोड किया जाता है, क्योंकि कंपनी अपनी कोई वेबसाइट नहीं रखती है।

depkfj;ksa dk fooj.k

चूंकि प्रशासनिक सेवाएं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दी जाती हैं, इसलिए कंपनी के लिये रोल पर कोई कर्मचारी नहीं है।

eMy d vkn'kku lkj
vk|kfxd _.k diuh fyfeVM d fy,

रश्मि रमन सिंह	रश्मि बाजपेयी	अरविंद सक्सेना	रेखा ठाकुर मोहंती
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएनः 08975825	डीआईएनः 09802287	डीआईएनः 10183500	डीआईएनः 10358038

स्थानः नई दिल्ली

तारीखः –

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The details of transactions between the Company with its Holding Company are attached herewith in Form AOC 2 as Annexure A to the Directors Report.

VIGIL MECHANISM

The Holding Company has a vigil mechanism to deal with complaints received relating to the instances of fraud, financial malpractice, mismanagement, wastage/misappropriation of the Company's funds/assets and complaints relating to inter-personal matters and other matters connected with the business of the Company.

RISK MANAGEMENT POLICY

As the Company is not having any business activity, the Board identifies and assesses enterprise wide risk and monitors and takes steps for its mitigation. The Board is of the view that the current system is appropriate for the nature and size of the Company and operations and that the system is working effectively.

SUBSIDIARY COMPANIES

The Company does not have any subsidiary.

AUDITORS

M/s N C Raj & Associates, Chartered Accountants were appointed as Auditors of the Company for the year ended 31st March, 2024 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

AUDITORS OBSERVATIONS

Their report is annexed to the financial statements and their observations are self-explanatory

REPORTING OF FRAUDS

During the period, there has been no instance of fraud reported by the Statutory Auditors under Section 143(12) of the Companies Act 2013 and Rules framed thereunder either to the Company or to the Central Government.

ANNUAL RETURN

The Annual Return is uploaded on the website of the Holding Company (www.orientalinsurance.org.in), as the Company does not maintain any website of its own.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Since the administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited, there is no employee on the rolls of the company.

BY ORDER OF THE BOARD

FOR THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Rashmi Raman Singh	Rashmi Bajpai	Arvind Saxena	Rekha Thakur Mohanty
Director	Director	Director	Director
DIN: 08975825	DIN: 09802287	DIN: 10183500	DIN: 10358038

Place: New Delhi

Date: -

ifjf'k"B ^,^

Q,e l[;k ,vkl h&2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014) के नियम 8(2) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन–देन भी शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का विवरण जो कि निष्पक्ष आधार पर न हो–कोई नहीं

(a) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति

(b) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति

(c) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि

(d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो

(e) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य

(f) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(तारीखें)

(g) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:

(h) वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परंतुक के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया

2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का अप्रत्यक्ष आधार पर विवरण –

(a) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति दृ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली (ओआईसी–होल्डिंग कंपनी)

(b) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति–कंपनी द्वारा किए गए सभी खर्च ओआईसी द्वारा वहन किए जाते हैं।

(c) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि–1973 से।

(d) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित: होल्डिंग और सहायक कंपनी के बीच लेनदेन

(e) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तारीखें), यदि कोई हो: कोई नहीं

(f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो : शून्य। लेखा नोटो के अनुसार, 31.3.2024 तक ओआईसी ने व्यय के रूप में 14,71,856/– रुपए वहन किए हैं ।

eMy d vkn'kku lkj

vk|kfxd _.k dsiuh fyfeVM d fy,

रश्मि रमन सिंह	रश्मि बाजपेयी	अरविंद सक्सेना	रेखा ठाकुर मोहंती
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन: 08975825	डीआईएन: 09802287	डीआईएन: 10183500	डीआईएन: 10358038

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: –

ANNEXURE 'A'

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis - NONE

(a) Name(s) of the related party and nature of relationship

(b) Nature of contracts/arrangements/transactions

(c) Duration of the contracts / arrangements/transactions

(d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any

(e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions

(f) date(s) of approval by the Board

(g) Amount paid as advances, if any:

(h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis -

(a) Name(s) of the related party and nature of relationship – THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED, NEW DELHI (OIC -HOLDING COMPANY)

(b) Nature of contracts/arrangements/transactions–All the expenses incurred by the Company are borne by OIC

(c) Duration of the contracts / arrangements/transactions – SINCE 1973.

(d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any: TRANSACTIONS BETWEEN HOLDING & SUBSIDIARY COMPANY

(e) Date(s) of approval by the Board, if any: NONE

(f) Amount paid as advances, if any: NIL. OIC has incurred Rs. 14,71,856/- on account of expenses till 31.3.2024- AS PER NOTES TO THE ACCOUNTS

BY ORDER OF THE BOARD

FOR THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD.

Rashmi Raman Singh	Rashmi Bajpai	Arvind Saxena	Rekha Thakur Mohanty
Director	Director	Director	Director
DIN: 08975825	DIN: 09802287	DIN: 10183500	DIN: 10358038

Place: New Delhi

Date:

lhvkbZ,u l[;k% U65921DL1930GOI000216

fn bMfLV;y ØfMV dEiuh fyfeVM

iathd`r ,oa çkku dk;kZy;% ,&25@27] vkl Q vyh jkM] ubZ fnYyh&110002

lpuk

अल्प अवधि सूचना दी जाती है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की 94 वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, बोर्ड कक्ष, चौथी मंजिल, प्लेट ए, ऑफिस ब्लॉक प्ट, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली–110023 में शुक्रवार, 5 जुलाई, 2024 को दोपहर 12.00 बजे निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी: –

lkekU; dkedkt

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों/सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उसे अपनाना ।

2. श्री रश्मि रमन सिंह (डीआईएन संख्या–08975825) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

3. श्रीमती रश्मि बाजपेयी (डीआईएन संख्या–09802287) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं।

4. वित्त वर्ष 2024–25 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

fo'ks"k 0;olk;

1. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

   " संकल्प लिया गया कि श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन संख्या–10358038) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगी।"

2. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

   " संकल्प लिया गया कि श्रीमती मीरा पार्थसारथी, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन संख्या–10692091) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तथा वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगी।"

ckMZ dh vkKku lsa

gLrk@&

¼jf'e ckt i;h½

funs'kd

MhvkbZ,u&09802287

LFkku% ubZ fnYyh

fnukad% 03 tqykbZ 2024

CIN NO. U65921DL1930GOI000216

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

Regd. & Head Office: A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi – 110002

NOTICE

Short Notice is hereby given that 94th Annual General Meeting of The Industrial Credit Company Limited will be held at the Corporate Office of the Company, at Board Room, 4th Floor, Plate A, Office Block IV, NBCC Office Complex, Kidwai Nagar East, New Delhi – 110023 on Friday, the 5th day of July, 2024 at 12.00 noon to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Board's Report, Audited Annual Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 and Auditors'/CAG Report thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Rashmi Raman Singh (DIN No. – 08975825), who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Mrs. Rashmi Bajpai (DIN No. – 09802287), who retires by rotation and being eligible offers herself for re-appointment.
4. To fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the C&AG, for the FY 2024-25.

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following Resolution as ORDINARY RESOLUTION:

   "RESOLVED THAT Mrs. Rekha Thakur Mohanty, Additional Director (DIN No. – 10358038), be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

2. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modifications, the following Resolution as ORDINARY RESOLUTION:

   "RESOLVED THAT Mrs. Meera Parthasarthy, Additional Director (DIN No. _ 10692091), be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

By Order of the Board
Sd/-
(RASHMI BAJPAI)
DIRECTOR
DIN - 09802287

PLACE: New Delhi
DATE: 03rd July 2024

निष्पक्ष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटिड के सदस्यों को प्रेषित

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

हमने **मैसर्स दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटिड ('दि कंपनी')** की संलग्न वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, लाभ एवं हानि की विवरणी, उस समय समाप्त हो रहे वर्ष के कैशफ्लो की विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों के नोट एवं महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियों का सार और अन्य वर्णनात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए बयानों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2024 को कंपनी के कार्यों की स्थिति में तथा लाभ एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के कैशफ्लो का भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए सही एवं उचित नजरिया पेश करते हैं।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों (एसएएस) के अनुसार हमारा लेखा परीक्षण आयोजित किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणियों खंड के लेखा परीक्षण हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में पुन: वर्णित हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'नीति संहिता' तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षण से संबद्ध नीतिगत आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी में निष्पक्ष हैं तथा हमने उन अपेक्षाओं तथा नीति संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा हमारी योग्य राय का अधार देने के लिए यथोचित है।

महत्वपूर्ण मामला (लाभकारी संस्थान से संबद्ध भौतिक अनिश्चितताएं)

हम वित्तीय विवरणी के नोट 1(बी) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें यह बताया गया है कि 31 मार्च, 2024 को कंपनी की वर्तमान देयताएं अपनी वर्तमान परिसंपत्तियों से रू.14.28 लाख अधिक है। कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई प्रचालन नहीं लिया है तथा रू.13.32 लाख की हानि हुई है। कंपनी की निवल आय क्षीण हुई है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में कंपनी को रू.2.47 लाख की हानि हुई है। ये घटनाएं या स्थितियां भौतिक अनिश्चितताओं के घटित होने का इशारा करती हैं जिसमें कंपनी की लाभकारी संस्थान के रूप में बने रहने में कंपनी की योग्यता पर संदेह हो सकता है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षण मामले:

लाभकारी संस्थान के संबंध में भौतिक अनिश्चितता में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने यह निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में बताने संबंधी अन्य कोई प्रमुख लेखा परीक्षण संबंधी मामले नहीं है।

वित्तीय विवरणियों तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में मंडल की रिपोर्ट और अध्यक्ष की विवरणी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरणियां तथा उन पर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल

N.C. Raj & Associates
Chartered Accountants
209-210,Vardhman Capital Mall, 10, LSC Gulabi Bagh,
Near Shakti Nagar, Delhi-110052 (INDIA)
Phone [redacted]
Email : rahul@ncraj.com
Website : www.ncraj.com

Independent Auditor's Report

To the Members of M/s The Industrial Credit Company Limited

Report on the Audit of Financial Statements

We have audited the financial statements of **The Industrial Credit Company Limited (The Company),** which comprise the balance sheet as at 31st March 2024, and the statement of Profit and Loss, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024, and its financial performance **i.e. Loss** , and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter (Material Uncertainty related to going concern)

We draw attention to note 1 (b) in the financial statement, which indicate that as on 31st March 2024 the company 's current liabilities exceed its current assets by INR 14.28 Lacs. The company has not undertaken any operations since past several years and has accumulated loss of INR 13.32 Lacs. The net worth of the company is eroded, and the company incurred loss of INR 2.47 Lacs in the current financial year. These events and conditions indicates the existence of material uncertainties which may cast the doubt about the company's ability to continue as going concern. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Except the matter described in the Material Uncertainty related to going concern section, we have determined that there are no other matters to communicate in our report.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we

नहीं है। वित्तीय विवरणियों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है तथा उस के निष्कर्ष में किसी भी आश्वासन को हम व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में हमारी जिम्मेवारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें तथा ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि अन्य जानकारी वित्तीय विवरणियों या लेखा परीक्षण में निहित हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या भौतिक रूप से अन्यथा गलत रूप से बयान की गई है। यदि हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य के आधार पर, हम यह निर्णय लेते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक रूप से गलत बयानी की गई है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं।

<u>वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन तथा शासकीय प्रभारवालों के उत्तरदायित्व</u>

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित दृष्टिकोण वित्तीय निष्पादन कैशफ्लो के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के खंड 134(5) में कथित मामलों के साथ अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मापदंडों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखांकन रिकार्डों का रख-रखाव, धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकना, उचित लेखांकन पॉलिसियों का चयन एवं आवेदन, यथोचित एवं विवेकपूर्ण अनुमान एवं निर्णय लेना तथा डिज़ाईन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, रख-रखाव व कार्यान्वयन शामिल है, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणियां जो कि सत्य और उचित दृष्टिकोण देती है तथा भौतिक गलत बयानी, चूंकि गलती से हो या भूल से, से मुक्त है, की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण से संबद्ध है।

इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में समूह और कंपनियों का निदेशक मंडल के लाभकारी संस्थान कंपनी की क्षमता के रूप में बने रहने का आकलन करने तथा जैसा भी लागू हो, लाभकारी संस्थान से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के वर्तमान संबद्ध आधारों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होते हैं जब तक प्रबंधन या तो समूह और सहयोगी कंपनियों को नष्ट करने का संचालन को रोकने का इरादा रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के लिए भी उत्तरदायी है।

<u>वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व</u>

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरणियां पूरे रूप से महत्वपूर्ण गलत बयानों से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है तथा वित्तीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार संचालित लेखा परीक्षण हमेशा ही महत्वूपर्ण गलत बयानी का पता लगा लेगा जब यह विद्यमान है। गलत बयानी धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकती है तथा महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से अपेक्षा की जाती है।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। हम भी:

(ए) वित्तीय विवरणियों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाईन और निष्पादित करें, और वे लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम,

have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.

We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

(a) Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

(b) Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. But not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls

त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी जोखिम की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

(बी) लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाईन करने के लिए ऑडिट से संबंधित उन आंतरिक नियंत्रणों को समझें जो परिस्थितियों के अनुकूल हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है। लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित उन आंतरिक नियंत्रण की समझें जो परिस्थितियों के अनुकूल हो लेकिन इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

(सी) उपयोग की गई लेखांकन पॉलिसियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

(डी) प्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू आधारों के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के लाभप्रद बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

(ई) प्रकटीकरण सहित, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करें।

हम शासकीय प्रभारियों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षण के नियोजित क्षेत्र और समय तथा लेखा परीक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों सहित आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों पर भी चर्चा करते हैं जिनके बारे में हमें लेखा परीक्षण के दौरान पता चला।

हम उन शासकीय प्रभारियों को एक विवरणी भी प्रदान करते हैं कि निष्पक्षता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों की भी चर्चा की है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों की भी चर्चा की है।

<u>अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट</u>

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 के उप खंड (11) के नियमानुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) की अपेक्षा के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी **परिशिष्ट 'ए'** में, लागू सीमा तक दे रहे हैं।

2. अधिनियम के खंड 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने वह सब जानकारी और वर्णन मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण हेतु अनिवार्य थे।

बी) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखों के बही खाते हमारी कंपनी के पास हैं और ऐसा उन बहियों की जांच से दिखाई देता है।

(c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

(d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

(e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2024 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, the company is exempt from getting an audit opinion on internal financial control. **Or** With respect to the adequacy of the Internal Financial Controls over financial reporting of the company and operating effectiveness of such controls are given in separate

सी) इस रिपोर्ट में दी गई तुलन पत्र, लाभ हानि की विवरणी तथा कैशफ्लो विवरणी लेखों की बहियों के अनुरूप है।

डी) हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां कंपनियों (लेखा) के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

ई) 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिया गया, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च, 2024 तक कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

एफ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्तता के संबंध में तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालित प्रभावपूर्णता के संबंध में, हमारी **परिशिष्ट 'बी'** में दी गई पृथक रिपोर्ट को देखें।

परिशिष्ट 'बी'

जी) कंपनियों (लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए वर्णनों के अनुसार:-

1. कंपनी पर कोई लंबित मुकदमें नहीं हैं जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सके (वित्तीय विवरणियों का नोट II (ए) का संदर्भ लें)
2. कंपनी के पास कोई लंबी अवधि के संविदाओं के साथ ऐसे कोई व्युत्पन्न संविदाएं नहीं है जिसके कारण कोई भौतिक संभावित हानियां हुई हों।
3. ऐसे कोई भी राशि नहीं थी जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड में अंतरित करना आवश्यक था।

(4) (i) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखों के नोटों में बताए गए अनुसार के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम से या कंपनी द्वारा, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि क्या मध्यस्थ चाहे कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान करेगा;

(ii) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में बताए गए अनुसार के अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि क्या कंपनी द्वारा फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करती है; और

(iii) परिस्थितियों के अनुसार यथोचित एवं पर्याप्त पाए गए लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया गया जिससे यह माना जाए कि उपखंड (i) और (ii) के अंतर्गत प्रस्तुतियों में कुछ गलतबयानी की गई है।

Annexure-B

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(1) The Company has disclosed details regarding pending litigations in **Refer note II (a)** of financial statements, which would impact its financial position.

(2) The Company does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

(3) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

(4) (i) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ii) The management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(iii) Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to their notice that has caused them to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.

(5) The company has not declared or paid any dividend during the year in contravention of the provisions of section 123 of the Companies Act, 2013.

h) With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act, in our opinion and according to the information and explanations given to us, the limit prescribed by section 197 for maximum permissible managerial remuneration is not applicable to a private limited company.

For NC Raj and Associates
Chartered Accountants
(F. R. No. 002249N)

CA Rahul Goyal
Partner
Membership No. 093114
UDIN: 24093114BKGVSL7590
Place: New Delhi
Date: 29-04-2024

(5) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

एच) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए धारा 197 द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुमत सीमा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लागू नहीं है।

एनसी राज और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआर नं. 002249एन)

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन:24093114बीकेजीवीएसएल7590

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:29.04.2024

<u>स्वतंत्र लेखापरीक्षक के लिए एक अनुलग्नक "ए"।</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (ii) के नियमानुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक रिपोर्ट -

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में देखें, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ए के संदर्भ में, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

(i) (ए) (ए) कंपनी के पास कोई **संपत्ति, प्लांट और उपकरण नहीं है इसलिए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैराग्राफ 3 के खंड i (ए), i(बी), i(सी), i(डी) और i(ई) लागू नहीं है** ।

(ii) (ए) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है **इसलिए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैराग्राफ 3 के खंड ii (ए) और ii (बी) लागू नहीं हैं** ।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या वर्ष के दौरान ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों के लिए सुरक्षित या असुरक्षित, **इसलिए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2020 के पैराग्राफ 3 के खंड iii (ए) से iii (एफ) लागू नहीं है।**

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण, निवेश या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है तथा कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। **तदनुसार, खंड 3 (iv) लागू नहीं है।**

ANNEXURE "A" to the Independent Auditor's

Report as required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013

Refer to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date With reference to the Annexure A referred to in the Independent Auditors' Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended March 31, 2024, we report the following:

(i) (a) (A) The Company does not have any **Property, plant and equipment hence clause i(a), i(b), i(c), i(d) and i(e) of paragraph 3 of The Companies (Auditor's Report) Order 2020 is not applicable.**

(ii) (a) The Company does not have any inventory **hence clause ii(a) and ii(b) of paragraph 3 of The Companies (Auditor's Report) Order 2020 is not applicable.**

(iii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any investments, provided guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties during the year **hence clause iii(a) to iii(f) of paragraph 3 of The Companies (Auditor's Report) Order 2020 is not applicable.**

(iv) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records, the Company has not given any loans, investments or provided any guarantee or security as specified under Section 185 of the Companies Act, 2013 and the Company has not provided any guarantee or security as specified under Section 186 of the Companies Act, 2013. **Accordingly, clause 3(iv) is not applicable.**

(v) The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public as per the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder. Accordingly, clause 3(v) of the Order is not applicable.

(vi) According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the activities carried on by the company. Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.

(vii) (a) The Company does not have liability in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities during the year According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of undisputed statutory dues including Goods and Services Tax ('GST'), Provident fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Duty of Customs, Cess and other material statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of GST, Provident fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Duty of Customs, Cess and other material statutory dues were in arrears as at 31 March 2024 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of GST, Provident fund, Employees' State Insurance, Income-tax, Sales tax, Service tax, Duty of Customs, Value added tax, Cess or other statutory dues which have not been deposited by the Company on account of disputes.

(v) कंपनी ने ऐसी किसी भी जमा राशि या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जनता की जमा राशि माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत रिकॉर्ड के रखरखाव की लागत को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(vi) लागू नहीं होती है।

(vii) (ए) कंपनी पर वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों को मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने का दायित्व नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बही खातों में कटौती / अर्जित राशि माल और सेवा कर ('जीएसटी'), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या अन्य सांविधिक कोई बकाया नहीं है जोकि विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं की गई है।

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेनदेन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं था, कर निर्धारण का कोई आदेश नहीं था। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पारित आदेश का खंड 3(viii) लागू नहीं है।

(ix) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या उधार नहीं लिया था। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(a) से 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।

(x) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या बाद में सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(a) और 3(x)(b) लागू नहीं होता है।

(xi) (ए) कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षणों के मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी या रिपोर्ट किया गया है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई भी रिपोर्ट कंपनी के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है। केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014।

(सी) हमने अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय इस बात पर ध्यान दिया है कि वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, no tax assessment order passed under the Income-tax Act, 1961. Accordingly, clause 3(viii) of the Order is not applicable.

(ix) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company did not have any loans or borrowings from any lender during the year. Accordingly, clause 3(ix)(a) to 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

(x) (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, clause 3(x)(a) and 3(x)(b) of the Order is not applicable.

(xi) (a) Based on examination of the books and records of the Company and according the information and explanations given to us, considering the principles of materiality outlined in Standards on Auditing, we report that no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of the audit.

(b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

(c) We have taken into consideration that no whistle blower complaints received by the Company during the year while determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

(xii) According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, clause 3(xii) of the Order is not applicable.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the transactions with related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013, where applicable, and the details of the related party transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by the applicable Indian Accounting Standards.

(xiv) (a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures, the provision of Internal audit is not applicable to the company. Accordingly, clause 3(xiv) of the Order is not applicable.

(xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence, provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

(xvi) (a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.Accordingly, clause 3(xvi)(a) to 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

(xvii) The Company has incurred cash losses of INR 2.47 lakhs in the current and INR 1.08 Lakh in the immediately preceding financial year.

(xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, the financial ratios are not

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं, और संबंधित पक्ष के लेनदेन का विवरण खुलासा लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, आंतरिक ऑडिट का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xiv) लागू नहीं होता है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं.

(xvi) (ए) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ए) से 3(xvi)(डी) लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में 2.47 लाख रुपये और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 1.08 लाख रुपये का नकद घाटा हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के निकल जाने, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और प्रबंधन योजनाएं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय अनुपात अनुकूल नहीं हैं और वर्तमान देनदारियां इसकी वर्तमान संपत्ति से 14.28 लाख रुपये अधिक हैं। कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई परिचालन नहीं किया है और उसे 13.32 लाख रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी की निवल आय कम हो गई है और चालू वित्त वर्ष में कंपनी को 2.47 लाख रुपये का घाटा हुआ है। ये घटनाएँ या स्थितियाँ भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व का संकेत देती हैं जो कंपनी की लाभप्रद संस्थान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती हैं और कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर तथा बैलेंसशीट से 1 वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

(xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी परियोजना के तहत कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो खर्च न की गई हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(a) और 3(xx)(b) लागू नहीं होते हैं

(xxi) समेकित वित्तीय विवरण इस कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xxi) लागू नहीं होता है।

एनसी राज और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआर नं. 002249एन)

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114

favourable and the current liabilities exceeded its current assets by INR 14.28 Lacs. The company has not undertaken any operation for past several years and has accumulated loss of INR 13.32 Lacs. The net worth of the company is eroded, and the company incurred loss of INR 2.47 Lacs in the current financial year. These event or conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the company's ability to continue as going concern and company may not capable of meeting its liabilities existing as on date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

(xx) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is no unspent amount under sub-section (5) of Section 135 of the Companies Act, 2013 pursuant to any project. Accordingly, clauses 3(xx)(a) and 3(xx)(b) of the Order are not applicable

(xxi) Consolidated Financial Statement not applicable to this Company. Accordingly, clause3(xxi) of the Order is not applicable.

For NC Raj and Associates
Chartered Accountants
(F. R. No. 002249N)

CA Rahul Goyal
Partner
Membership No. 093114
UDIN: 24093114BKGVSL7590
Place: New Delhi
Date: 29-04-2024

यूडीआईएन: 24093114बीकेजीवीएसएल7590

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 29.04.2024

निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट "बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप-खंड 3 की धारा (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 को **मैसर्स दी इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("दि कंपनी") की** वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर जारी सहयोगी नोट में कथित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक तत्वों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मापदंडों पर आधारित कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्व में उन पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाईन कार्यान्व्यन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके क्रमिक एवं कुशलतापूर्वक किए गए कारोबार को सुनिश्चित करते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित थे, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपेक्षित कंपनी की पॉलिसियों का अनुपालन इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखा एवं गलतियों को पहचानना और रोकना लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैनाती भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षण के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर सहयोगी नोट के अनुसार अपना लेखा परीक्षण करवाया तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक लेखा परीक्षण की लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 सी खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझा जाए। दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक लेखा परीक्षण पर लागू तथा दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी है। उन मानक और सहयोगी नोट की यह आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकता और योजना का अनुपालन करें तथा यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए थे तथा रखे गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पक्षों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनके परिचालनों की प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को जानना, जोखिम का आकलन करना कि भौतिक कमजोरी विद्यमान है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की संचालित प्रभावशीलता और जांच और डिजाइन का मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं तथा वित्तीय विवरणियों की भौतिक रूप से गलतबयानी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s The Industrial Credit Company Limited** ("the Company") as of 31 March 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टों की विश्वसनीयता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार की गई है। एक कंपनी वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे पॉलिसियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) जो उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) जो उचित आश्वासन प्रदान करती हैं आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन की परियोजनाओं में यह जोखिम हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टों पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टों के मापदंड पर आधारित, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए।

एनसी राज और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआर नं. 002249एन)

सीए राहुल गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन: 24093114बीकेजीवीएसएल7590
स्थान: नई दिल्ली
तारीख:29.04.2024

as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us , the Company has, in all material the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For NC Raj and Associates
Chartered Accountants
(F. R. No. 002249N)

CA Rahul Goyal
Partner
Membership No. 093114
UDIN: 24093114BKGVSL7590
Place: New Delhi
Date: 29-04-2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षक को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर, कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र0 सं0	विवरण	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	खातों की पुस्तकों की जांच करने पर हमने पाया कि कंपनी अपने खातों को मैन्युअल आधार पर बनाए रखती है, क्योंकि कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई भी संचालन नहीं किया है, कंपनी द्वारा किए गए सभी कानूनी खर्च और प्रशासनिक खर्च इसके निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद ही किए जाते हैं। इसके मद्देनजर, हमारा मानना है कि खातों की अखंडता बनाए रखी जाती है और कंपनी पर कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई भी परिचालन नहीं किया है, कंपनी द्वारा किए गए सभी कानूनी खर्च और प्रशासनिक खर्च इसकी होल्डिंग कंपनी (यानी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी) द्वारा कंपनी को दिए गए असुरक्षित ऋण के माध्यम से वहन किए जाते हैं। भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व के कारण जो कंपनी की जारी रहने की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती है, वह अपनी होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं होगी और कंपनी ने अपने द्वारा लिए गए ऋण का उचित रूप से हिसाब-किताब रखा है और वित्तीय विवरण में इसके वित्तीय प्रभाव सहित लेनदेन का पर्याप्त रूप से खुलासा किया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।	लेखा पुस्तकों की जांच करने पर हमने पाया कि कंपनी को केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।

एनसी राज एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए
(एफ.आर. नं. 002249एन)

सीए राहुल गोयल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 093114
यूडीआईएन: 24093114बीकेजीवीएसएल7590
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29-04-2024

On the direction of Comptroller and Auditor General of India to the statutory auditor of Government companies under Section 143(5) of the Companies Act, 2013, based on the verification of the records of the company and according to the information and explanation given to us, we report that:

Sr. No.	Particulars	Auditor's Comment
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	On our examination of books of accounts, we have observed that the company is maintaining its accounts on manual basis, as the company has not undertaken any operation for past several years, all the legal expenses and administrative expenses made by company is undertaken only after approval of its board of Directors. In view of the same, we are of the opinion that integrity of accounts is maintained and there is no adverse financial implication of the company
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company)	The company has not undertaken any operation for past several years, all the legal expenses and administrative expenses made by company is born by its holding company (i.e., The Oriental Insurance Company) by way of unsecured loan to the company. Owing to existence of material uncertainties which may cast doubt as of the company's ability to continue would not be able to repay the loan provided by its holding company and company has properly accounted the loan taken by it and adequately disclosed the transactions including its financial impact in the financial statement.
3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	On our examination of books of accounts, we have observed that the company has not received any fund under specific schemes from central/ state agencies, therefore this clause is not applicable.

For NC Raj and Associates
Chartered Accountants
(F. R. No. 002249N)

CA Rahul Goyal
Partner
Membership No. 093114
UDIN: 24093114BKGVSL7590
Place: New Delhi
Date: 29-04-2024

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (सिन-यू65921डीएल1930जीओआई000216)

31 मार्च, 2024 का तुलन पत्र

(रू. हजारों में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
I	**इक्विटी ओर देयताएं**			
1	**शेयरधारक के फंड**			
	(ए) शेयर केपीटल	**2**	5,000	5,000
	(बी) रिजर्व एवं अधिशेष	**3**	13,316	10,849
2	**वर्तमान देयताएं**			
	(ए) अल्पावधि ऋण	**4**	14,719	12,186
	(बी) अन्य वर्तमान देयताएं	**5**	423	429
	(सी) देय व्यापार	**6**	-	-
3	**दीर्घ अवधि ऋण**	**7**	-	-
	कुल		**6,825**	**6,766**
II.	**परिसंपत्तियां**			
4	**गैर वर्तमान संपत्तियां**			
	(1)(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां			
	(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति			
	(iii) वित्तीय संपत्तियां - निवेश एफडी	**8**	5,965	5,580
5	**पूंजीगत कार्य - प्रगति पर**	**9**	-	-
6	**डीटीए**	**10**	-	-
7	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(ए) प्राप्य व्यापार	**11**	-	-
	(बी) नकद एवं नकद के समकक्ष	**12**	859	861
	(सी) अन्य वर्तमान संपत्तियां	**13**	1	1
	कुल		**6,825**	**6,766**
	विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा वित्तीय विवरणियों के नोट	1		

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एनसी राज एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. : 002249एन

मंडल की ओर से एवं कृते

रश्मि रमन सिंह
डीआईएन सं.8975825

रश्मि बाजपेयी
डीआईएन सं.9802287

पार्टनर: **सीए राहुल गोयल**
सदस्यता सं. 093114
यूडीआईएन: 24093114बीकेजीवीएसएल7590

अरविन्द कुमार
डीआईएन सं. 10183500

रेखा ठाकुर मोहंती
डीआईएन सं.10358038

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29/04/2024

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)
Balance Sheet as at March 31, 2024

(Rs. in 00s)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
I	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholders' Funds**			
	(a) Share Capital	2	5,000	5,000
	(b) Reserves and Surplus	3	13,316	10,849
2	**Current Liabilities**			
	(a) Short-term Borrowings	4	14,719	12,186
	(b) Other Current Liabilities	5	423	429
	(c) Trade Payables	6	-	-
3	**Long term Borrowings**	7	-	-
	Total		**6,825**	**6,766**
II.	**Assets**			
4	**Non Current Assets**			
	(1)(A) Property , Plant & Equipment and Intangible Assets			
	(i) Property , Plant & Equipment			
	(ii) Intangible Assets			
	(iv) Financial Assets - Investment FD	8	5,965	5,580
5	**Capital Work-in-Progress**	9	-	-
6	**DTA**	10	-	-
7	**Current Assets**			
	(a) Trade Receivables	11	-	-
	(b) Cash and Cash Equivalents	12	859	861
	(c) Other Current Assets	13	1	325
	Total		**6,825**	**6,766**
	Significant accounting policies and notes to financial statements	1		

As per our report of even date attached.

For Nc Raj & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 002249N

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Rashmi Raman Singh
DIN No.: 8975825

Rashmi Bajpai
DIN No.: 9802287

Partner: CA Rahul Goyal
Membership No. : 093114
UDIN 24093114BKGVSL7590

Arvind Kumar
DIN NO.:10183500

Rekha Thakur Mohanty
DIN NO.: 10358038

Place : New Delhi
Date: 29.04.2024

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (सिन-U65921DL1930GOI000216)

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
I	**आय:**			
	संचालन से राजस्व		-	-
	अन्य आय	**15**	385	276
	कुल आय		**385**	**276**
II	**व्यय:**			
	अन्य व्यय	**16**	2,852	1,352
	कुल व्यय		**2,852**	**1,352**
III	**विशेष मदों पूर्व अवधि मदों तथा कर से पूर्व लाभ/हानि**		(2,467)	(1,076)
	जोड़ें / (घटाएं) : विशेष मदें		-	-
	जोड़ें / (घटाएं) : पूर्व अवधि मदें			-
	जोड़ें / (घटाएं) : असाधारण मदें		-	-
IV	**कर से पूर्व लाभ/ (हानि)**		**(2,467)**	**(1,076)**
V	**कर व्यय**			
	निवल वर्तमान कर		-	-
	विलंबित कर		-	-
	पूर्व वर्ष के कर के प्रावधान		-	
VI	**वर्ष के लाभ/ (हानि)**		**(2,467)**	**(1,076)**
	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	बेसिक		(49.34)	(21.53)
	डायल्यूटिड		(49.34)	(21.53)
	विशेष लेखांकन पॉलिसियों तथा वित्तीय विवरणियों के नोट	**1**		

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एनसी राज एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. : 002249एन

मंडल की ओर से एवं कृते

रश्मि रमन सिंह
डीआईएन सं.8975825

रश्मि बाजपेयी
डीआईएन सं.9802287

पार्टनर: **सीए राहुल गोयल**
सदस्यता सं. 093114
यूडीआईएन: 24093114बीकेजीवीएसएल7590

अरविन्द कुमार
डीआईएन सं. 10183500

रेखा ठाकुर मोहंती
डीआईएन सं.10358038

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29/04/2024

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)
Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2024

(Rs. in 00s)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
I	**Income**			
	Revenue from Operation		-	-
	Other Income	15	385	276
	Total Income		**385**	**276**
II	**Expenses:**			
	Other Expenses	16	2,852	1,352
	Total Expenses		**2,852**	**1,352**
III	**Profit/(Loss) before Extraordinary items, Prior Period Items and Tax**		(2,467)	(1,076)
	Add/ (Less): Extra ordinary items		-	-
	Add/ (Less): Prior Period Items			-
	Add/ (Less): Exceptional Items		-	-
IV	**Profit/ (Loss) before tax**		**(2,467)**	**(1,076)**
V	**Tax Expense**			
	Net Current Tax		-	-
	Deferred Tax		-	-
	Reversal of Previous Year Provision of Tax		-	
VI	**Profit/(Loss) for the year**		**(2,467)**	**(1,076)**
	Earning per equity share:			
	Basic		(49.34)	(21.53)
	Diluted		(49.34)	(21.53)
	Significant accounting policies and notes to financial statements	1		

As per our report of even date attached.

For Nc Raj & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 002249N

Partner: CA Rahul Goyal
Membership No. : 093114
UDIN 24093114BKGVSL7590

Place : New Delhi
Date: 29.04.2024

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Rashmi Raman Singh
DIN No.: 8975825

Rashmi Bajpai
DIN No.: 9802287

Arvind Kumar
DIN NO.:10183500

Rekha Thakur Mohanty
DIN NO.: 10358038

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सिन:यू65921डीएल1930जीओआई000216)
31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

रू. हजार में

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
नोट-2 : शेयर केपीटल		
प्राधिकृत	-	
10,000 (पिछले वर्ष के 10,000) इक्विटी रू.100/- प्रति के शेयर	10,000	10,000
जारी		
5,050 (पिछले वर्ष के 5,050) इक्विटी रू.100/- प्रति के शेयर	5,050	5,050
स्वीकृत एवं भुगतानित	-	
5,000 (5,000) इक्विटी रू.100/- प्रति के शेयर प्रत्येक पूर्ण रूप से भुगतानित (उपरोक्त 5000 शेयरों का) (पिछले वर्ष 5,000) इक्विटी शेयर होल्डिंग कंपनी या इसके नामांकित निदेशकों पास रहते हैं)	5,000	5,000
कुल	**5,000**	**5,000**
शेयरों की संख्या का मिलान	-	
इक्विटी शेयर		
वर्ष के आरंभ में शेष	5,000	5,000
जोड़े : जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-
वर्ष के अंत में शेष	5,000	5,000

कंपनी के औसतन 5% से अधिक के शेयर रखने वाले शेयरधारकों के पास रखे शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	होल्डिंग का %
इक्विटी शेयर			
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामित निदेशक	5,000 (100%)	5,000 (100%)	100.00%

वर्ष के अंत तक प्रमोटर्स द्वारा रखे गए शेयर का ब्यौरा

वर्ष के अंत तक प्रमोटर्स द्वारा रखे गए शेयर				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
क्र.सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
1	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4994	99.88	शून्य
2	आर.आर.सिंह (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से रखे गए)	1	0.02	शून्य
3	रश्मि बाजपेयी (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से रखे गए)	1	0.02	शून्य
4	रेखा ठाकुर मोहंती (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से रखे गए)	1	0.02	शून्य
5	सुनीता गुप्ता (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से रखे गए)	1	0.02	शून्य
6	अरविन्द सक्सेना (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से रखे गए)	1	0.02	शून्य
7	डी.के.बारगोटी (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से रखे गए)	1	0.02	शून्य

नोट-3 : रिजर्व एवं अधिशेष		रू. हजार में
वर्ष के आरंभ में लाभ/(हानि)की विवरणी में अधिक्य/ कमी	(10,849)	(9,773)
जोड़ें: वर्ष के लिए निवल लाभ/ (हानि)	(2,467)	(1,076)
वर्ष के आरंभ के शेष	**(13,316)**	**(10,849)**
कुल	**(13,316)**	**(10,849)**

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)
Notes forming part of the Balance Sheet as at March 31,2024

Rs. in '00s

	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Note-2 Share Capital		
Authorised		
10,000 (Previous Year 10,000) Equity Shares of Rs. 100/- each	10,000	10,000
Issued		
5,050 (Previous Year 5,050) Equity Shares of Rs. 100/-	5,050	5,050
Subscribed and Paid-up		
5,000 (5,000) Equity Shares of Rs. 100/- each fully paid up (of the above Shares, 5,000 (Previous Year 5,000) Equity Shares are held by Holding Company & its nominee Directors)	5,000	5,000
Total	**5,000**	**5,000**
Reconcilation of Number of Shares		
Equity Shares:		
Balance at the beginning of the year	5,000	5,000
Add:Number of Shares Issued	-	-
Balance at the end of the year	5,000	5,000

Details of shares held of shareholders holding more than 5%of the aggregate shares in the Company

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023	Percentage of Holding
Equity Shares:			
The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company) & its nominee directors	5,000 (100%)	5,000 (100%)	100.00%

Details of Shares held by Promoters at the end of the Year in the Company

	Shares held by promoters at the end of the year			% change during the year
Sl No.	Promoter Name	No. Of Shares	% of total shares	
1	The Oriental Insurance Company Limited	4994	99.88	NIL
2	R.R.Singh (Held on behalf of The Oriental Insurance Company Limited)	1	0.02	NIL
3	Rashmi Bajpai(Held on behalf of The Oriental Insurance Company Limited)	1	0.02	NIL
4	Rekha Thakur Mohanty (Held on behalf of The Oriental Insurance Company Limited)	1	0.02	NIL
5	Sunita Gupta (Held on behalf of The Oriental Insurance Company Limited)	1	0.02	NIL
6	Arvind Saxena(Held on behalf of The Oriental Insurance Company Limited)	1	0.02	NIL
7	D.K. Bargoti(Held on behalf of The Oriental Insurance Company Limited)	1	0.02	NIL

Note-3: Reserves & Surplus

Rs. in '00s

Surplus/(Deficit) in Statement of Profit & Loss as at the beginning of the year	(10,849)	(9,773)
Add: Net Profit / (Loss) for the year	(2,467)	(1,076)
Balance as at the end of the year	**(13,316)**	(10,849)
Total	**(13,316)**	**(10,849)**

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सिन:यू65921डीएल1930जीओआई000216)

31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले नोट्स

रू. हजार में

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
नोट-4 : अल्पावधि ऋण		
असुरक्षित ऋण:		
होल्डिंग कंपनी दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से	14,719	12,186
कुल	**14,719**	**12,186**
नोट-5- अन्य वर्तमान देयताएं		
अन्य देय	422.98	429.28
देय जीएसटी	-	-
देय टीडीएस - विलंब शुल्क	-	-
वर्तमान कर देयता हेतु प्रावधान	-	-
	422.98	**429.28**
नोट-6: स्थगित कर संपत्तियां		
देय व्यापार	-	-
		-
कुल	**-**	**-**

व्यापार में देय की समय सीमा

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

रू. हजार में

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
नोट-7: दीर्घ अवधि ऋण		
दीर्घ अवधि ऋण	-	-
		-
कुल	**-**	**-**
नोट-8: वित्तीय संपत्तियां		
एफडी	5,965	5,580
कुल	5,965	5,580
नोट-9: कैपिटल कार्य प्रगति पर		
कैपिटल कार्य प्रगति पर	-	-
कुल	**-**	**-**

प्रगतिशील केपिटल

सीडब्ल्यू आई पी	सीडब्ल्यूआईपी में निम्न अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजना प्रगति पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परियोजनाएं अस्थगित रूप से निलंबित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हजार में

नोट-10: स्थगित कर संपत्तियां		
अस्थगित कर संपत्तियां		
आगे ले जाई गई हानियां		
आरंभिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
कम करें: वर्ष के दौरान वापस लिया गया	-	-
अंतिम शेष	-	-
	-	-
नोट-11: प्राप्य कारोबार		
जिस तिथि को भुगतान देय है उसके बाद 6 माह की अवधि बीत जाने पर बकाया संदिग्ध माने जाने वाले असुरक्षित	-	-
		-
कम करें: संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	-	-
कुल	-	-

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)

Notes forming part of the Balance Sheet as at March 31,2024 — Rs. in 00's

	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Note-4 : Short Term Borrowings		
Unsecured Loan:		
- From the Holding Company "The Oriental Insurance Company Ltd"	14,719	12,186
Total	**14,719**	**12,186**
Note-5 : Other Current Liabilities		
Other payables	422.98	429.28
GST payables	-	-
TDS Payable	-	-
Provision for Current Tax Liability	-	-
	422.98	**429.28**
Note-6 : Trade Payables		
Trade Payables	-	-
		-
Total	**-**	**-**

Trade Payables Ageging

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1year-2 year	years to 3 years	More than 3 years	
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Rs. in '00s

	As at March 31 ,2024 Rs	As at March 31,2023 Rs.
Note-7: Long Term Borrowings		
Long term Borrowings	-	-
		-
Total	**-**	**-**
Note-8 : Financial Assets		
Fixed Deposit	5,965	5,580
Total	5,965	5,580
Note -9: Capital Work In Progress		
Capital Work-in-Progress	-	-
		-
Total	**-**	**-**

Capital Work-in-Progess Ageing

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1year-2 year	years to 3 years	More than 3 years	
Projects in Progress	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Projects suspended temporarily	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Note-10 : Deferred Tax Assets — in '00s

Deferred Tax Assets

Brought Forward Losses

Opening Balance	-	-
Add : Addition during the current year	-	-
Less : Reversal during the year	-	-
Closing Balance	-	-
	-	-

Note - 11 : Trade Receivables

Unsecured, Considered doubtful		
Outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	-	-
		-
Less : Provision for doubtful debts	-	-
Total	**-**	**-**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया			
	1 वर्ष से कम	1 वर्ष - 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट-12: नकद एवं नकद के समकक्ष रू. हजार में

नकद एवं नकद के समकक्ष		
बैंक शेष	859	861
चालू खाते में	-	-
कुल	**859**	**861**

नोट-13: अन्य वर्तमान संपत्तियां रू. हजार में

प्राप्य ब्याज	1	1
प्राप्य टीडीएस	-	324
कुल	**1**	**325**

नोट-14: अनुपात

अनुपात		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	भिन्नता का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां / वर्तमान देयताएं	0.06	0.09	कंपनी गैर-ओपरेटिव है और कई वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है।
खर्च - इक्विटी अनुपात	सभी देयताएं / इक्विटी	1.82	2.16	कंपनी गैर-ओपरेटिव है और कई वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है।
खर्च सर्विस कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय / कुल ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	
इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात	शुद्ध आय / शेयरधारकों की इक्विटी	0.30	0.18	कंपनी गैर-ओपरेटिव है और कई वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है।
इनवेन्ट्री टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री / विक्रय मुल्य पर औसत इन्वेंट्री	लागू नहीं	लागू नहीं	
व्यापार से प्राप्य टर्नओवर का अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री / प्राप्य औसत लेखा	लागू नहीं	लागू नहीं	
व्यापार का देने योग्य टर्नओवर अनुपात	खरीद / देय औसत लेखा	लागू नहीं	लागू नहीं	
शुद्ध पूंजीगत टर्नओवर अनुपात	शुद्ध वार्षिक बिक्री / औसत कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	
शुद्ध लाभ टर्नओवर अनुपात	शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	
लगी हुई पूंजी पर प्रतिफल	शुद्ध अर्जन / लगी हुई पूंजी	0.30	0.18	कंपनी गैर-ओपरेटिव है और कई वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है।
निवेश पर प्रतिफल	शुद्ध आय / शुद्ध निवेश	0.30	0.18	कंपनी गैर-ओपरेटिव है और कई वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं कर रही है।

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1year-2 year	years to 3 years	More than 3 years	
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Note - 12 Cash and Cash Equivalents

Rs. in '00s

Cash and Cash Equivalents		
Bank balances		
- In Current Account	859	861
	-	-
Total	**859**	**861**

Note -13 Other Current Assets

Rs. in '00s

Interst Receivables	1	1
TDS Receivables	-	324
Total	**1**	**325**

Note- 14 Ratios

Ratios		As at March 31 ,2024	As at March 31,2023	Reason for variation
Current Ratio	Current Assets / Current Liabilities	0.06	0.09	The Company is non-operative and not doing any business since several years.
Debt- Equity Ratio	All liabilities / Equity	- 1.82	- 2.16	The Company is non-operative and not doing any business since several years.
Debt Service Coverage ratio	Net Operating Income / Total Debt Service	NA	NA	
Return on Equity Ratio	Net Income / Shareholders Equity	0.30	0.18	The Company is non-operative and not doing any business since several years.
Inventory Turnover Ratio	Net Sales / Average Inventory at selling Price	NA	NA	
Trade Receivables Turnover Ratio	Net credit sales / Average Accounts receivables	NA	NA	
Trade payables Turnover Ratio	Purchases / Average Accounts payable	NA	NA	
Net Capital Turnover Ratio	Net Annual Sales / Average Working Capital	NA	NA	
Net Profit Turnover Ratio	Net Profit / Net Sales	NA	NA	
Return on Capital employed	Net earnings / Capital Employed	0.30	0.18	The Company is non-operative and not doing any business since several years.
Return on investment	Net Income / Net Investment	0.30	0.18	The Company is non- and not doing any business since several years.

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (सिन: यू65921डीएल1930जीओआई000216)		
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का हिस्सा बनने वाले नोट्स		
		रू. हजार में
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
नोट-14 : अन्य आय		
नियत जमा राशियों पर ब्याज	385	276
संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों का परिवर्तन	-	-
पुनरोक्ति प्रावधान	-	-
उप योग	**385**	**276**
नोट-15 : अन्य व्यय		
परामर्श प्रभार	306	300
लेखा परीक्षण शुल्क	190	190
बैंक शुल्क	2	2
ब्याज और देरी शुल्क सहित सांविधिक देय		-
कानूनी फीस	2,030	860
अन्य शुल्क	324	-
उप योग	**2,852**	**1,352**

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)
Notes forming part of Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024

Rs. in '00s

	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Note -15 : Other Income		
Interest on fixed deposits	385	276
Reversal of Provision of Doubtful Debts	-	-
Provision Written Back	-	-
Sub Total	**385**	**276**
Note -16 : Other Expenses		
Consultancy charges	306	300
Audit fee	190	190
Bank charge	2	2
Statutory Dues including Interest and Late Fees		-
Legal Fee	2,030	860
Sundry Balance Written off	324	-
Sub Total	**2,852**	**1,352**

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (सिन-U65921DL1930GOI000216)

वर्ष 31 मार्च 2024 के अंत के लिए कैश फ्लो विवरणी

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	रू.	रू.
संचालन गतिविधियों से कैश फ्लो		
कराधान से पूर्व वर्ष का लाभ	(2,467)	(1,076)
समायोजन हेतु		
वित्त व्यय (बैंक प्रभार)	2	2
कार्यकारी पूंजी परिवर्तनों से पूर्व संचालन लाभ	**(2,465)**	**(1,074)**
वर्ष के दौरान आयकर भुगतान/ (वापसी)	-	-
संचालन गतिविधियों में प्रयुक्त नकद	**(2,465)**	**(1,074)**
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/कमी	(6)	6
अन्य वर्तमान संपत्तियों में वृद्धि/कमी	324	-
संचालन गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	**(2,147)**	**(1,068)**
निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो	(385)	(276)
अनुसूचित बैंक के साथ नियम जमा		
वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
वित्त व्यय (बैंक प्रभार)	**(2)**	**(2)**
होल्डिंग कंपनी से उधार में वृद्धि	2,532	1,343
वित्तीय गतिविधियों से निवल कैश फ्लो	**2,531**	**1,341**
वर्ष के दौरान नकद और नकद के समकक्ष में निवल कमी/वृद्धि	**(2)**	**(2)**
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद के समकक्ष	**861**	**863**
वर्ष के अंत में नकद और नकद के समकक्ष	**859**	**861**

नोट:

1. कैश फ्लो विवरणी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित कैश फ्लो विवरणी पर लेखांकन मानक (एएस-3) में निधारित अप्रत्यक्ष तरीके द्वारा तैयार की गई है।

2. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु जहां भी आवश्यक थी, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: एकत्रित/ पुन: वर्गीकृत किया गया है।

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एनसी राज एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. : 002249एन

मंडल की ओर से एवं कृते

रश्मि रमन सिंह
डीआईएन सं.8975825

रश्मि बाजपेयी
डीआईएन सं.9802287

पार्टनर: **सीए राहुल गोयल**
सदस्यता सं. 093114
यूडीआईएन: 24093114बीकेजीवीएसएल7590

अरविन्द कुमार
डीआईएन सं. 10183500

रेखा ठाकुर मोहंती
डीआईएन सं.10358038

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29/04/2024

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED (CIN-U65921DL1930GOI000216)
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in 00s)

	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit for the year before Taxation	(2,467)	(1,076)
Adjustments for		
Finance Expenses (Bank Charges)	2	2
Operating profit before Working Capital changes	**(2,465)**	**(1,074)**
Income Tax payment / (refund) during the year	-	-
Cash used in operating activities	**(2,465)**	**(1,074)**
Increase/ (Derease) in Other Current Liabilities	(6)	6
Increase/ (Derease) in Other Current Assets	324	-
Net cash used in operating activities	**(2,147)**	**(1,068)**
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	(385)	(276)
Fixed Deposit with Scheduled Bank		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Finance Expenses (Bank Charges)	**(2)**	**(2)**
Increase in borrowing from holding company	2,532	1,343
Net cash flow from Financial activities	**2,531**	**1,341**
NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS DURING THE YEAR	**(2)**	**(2)**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**861**	**863**
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	**859**	**861**

Note :

1. The Cash Flow Statement has been prepared as per the indirect method as set out in the Accounting Standard (AS-3) on cash Flow Statement notified under the Companies Act, 2013.

2. Previous year figures have been regrouped and/or reclassified wherever necessary to conform to current year classification

As per our report of even date attached.

For Nc Raj & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 002249N

Partner: CA Rahul Goyal
Membership No. : 093114
UDIN 24093114BKGVSL7590
Place : New Delhi
Date: 29.04.2024

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Rashmi Raman Singh
DIN No.: 8975825

Rashmi Bajpai
DIN No.: 9802287

Arvind Kumar
DIN NO.:10183500

Rekha Thakur Mohanty
DIN NO.: 10358038

fn bMfLV';y ØfMV dEiuh ¼flu% ;65921Mh,y1930 thvkvkb000216½

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

(CIN:U65921DL1930GOI000216)

31 ekpZ 2024 rd foRrh; foojf.k;ksa dk fgLlk cuus okyh ukVl

Notes forming part of Financial Statements as on March 31, 2024

fVIif.k;k¡ 1 foÙkh; foojf.k;ksa dk lkFk lyXu fVIif.k;k¡

I. egRoiw.kZ y[kkdu uhfr;k¡

,- foÙkh; foojf.k;ksa dk r;kj djus dk vk/kkj%

ये वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अनुसार, ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भवन आधार पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रक्रिया के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी के समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू–गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

ch- mUufr'khy 0;olk; çfr"Bku%

कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई भी परिचालन नहीं किया है और इसने 13,316 सौ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी की कुल संपत्ति धीरे–धीरे खत्म हो रही है। 31 मार्च 2024 तक वर्तमान देयताएं इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से 14,281 सौ रुपये अधिक हो गई हैं और पिछले वर्षों के दौरान किए गए प्रावधानों में परिवर्तन के कारण कंपनी को चालू वित्त वर्ष में 2,467 सौ रुपये का घाटा हुआ है ।

ये स्थितियां भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व को इंगित करती हैं, जो कंपनी के उन्नत रूप में जारी रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती हैं।

NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of Financial Statements:

These financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current – non-current classification of assets and liabilities.

b. Going Concern:

The company has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 13,316 hundred. The net worth of company is eroded. As At 31st March 2024, the current liabilities exceeded its current assets by Rs.14,281 hundred and the company has incurred loss of Rs. 2,467 hundred/- in current financial year on account of reversal of provisions created during previous years.

lh- jktLo ekU;rk%

ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखा जाता है।

Mh- djk/kku%

i) orZeku dj

वर्तमान आयकर की गणना भारत में लागू आयकर अधिनियम, 1961 और संबंधित कर क्षेत्राधिकारों में प्रचलित कर कानूनों के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर की जाती है, जहाँ कंपनी काम करती है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं।

ii) vkLFkfxr dj

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22–आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार, वर्ष के लिए बही और कर लाभ के बीच समय के अंतर के लिए स्थगित कर का लेखा, कर दरों और कानूनों का उपयोग करके किया जाता है, जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है।

अस्थायी समय अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक कि इस बात के ठोस सबूतों द्वारा समर्थित वास्तविक निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में वसूला जा सकता है।

b- çko/kku vkj vkdfLed n;rk,a

माप में पर्याप्त मात्रा में अनुमान लगाने वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है, जब अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व हो और संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना हो।

These conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the Company's ability to continue as a going concern.

c. Revenue Recognition:

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate.

d. Taxation:

i) Current Tax

Current income-tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India and tax laws prevailing in the respective tax jurisdictions where the company operates. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

ii) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22-Accounting for Taxes on Income, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the balance sheet date.

Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is virtual certainty supported by convincing evidence that the assets can be realized in future.

e. Provisions and Contingent liabilities

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will be an outflow of resources.

,Q- çfr 'k;j vk;

कंपनी ईपीएस का पता लगाने में विचार की जाने वाली आय में इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (और किसी भी अतिरिक्त साधारण वस्तुओं का कर–पश्चात प्रभाव शामिल है) शामिल है। मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। संभावित क्षीण इक्विटी शेयरों के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, क्षीण ईपीएस की गणना मूल ईपीएस के समान ही की जाती है।

II [kkrs dh fy, uksV

नोटः रमा देवी बनाम आईसीसी में सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय (ओपी) द्वारा जिला न्यायालय अलीगढ़ में अपील संख्या 96/2022 दायर की गई थी, जिला न्यायालय अलीगढ़ ने अपील स्वीकार कर ली और केस संख्या 277/1971 को उसके मूल नंबर पर बहाल करने का आदेश पारित किया। परिणामस्वरूप, मामला 25 नवंबर, 2023 को जेएससीसी कोर्ट अलीगढ़ में बहाल कर दिया गया। कंपनी ने अपील संख्या 96/2022 के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने मामले में 28 नवंबर, 2023 को स्थगन प्रदान किया और इसे जेएससीसी कोर्ट अलीगढ़ द्वारा सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय को 10 जनवरी, 2024 को सूचित किया गया। जेएससीसी कोर्ट अलीगढ़ ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्य कोई निर्णय/सूचना आने तक केस संख्या 277/1971 की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

,- ys[kk ijh{kdksa dk Hkqxrku

	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	लेखा परीक्षण फीस	150	150
(ii)	किया गया अतिरिक्त खर्चा	11	11

*th,lVh dk NkM+dj

ch- lacf/kr i{k }kjk çdVhdj.k

संबंधित पक्षों की सूची

f. Earnings Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra ordinary items) attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The diluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dilutive equity shares.

II. Notes to Account

Note: In Rama Devi Vs ICC- An appeal No. 96/2022 was filed in District Court Aligarh by Ms. Saraswati Varshney (O.P), The District Court Aligarh accepted the appeal & passed order of restoration of case no. 277/1971 to its original number. Consequently, the case was restored in JSCC court Aligarh on November 25, 2023. The company challenged the decision of appeal no. 96/2022 in Allahabad High Court. The High court granted stay on November 28, 2023, in the case and the same was forwarded to Ms. Saraswati Varshney by the JSCC court Aligarh on January 10, 2024. The JSCC court Aligarh has stayed the case proceedings in Case No. 277/1971 till any further decision /communication by the Hon'ble High Court of Allahabad.

A. PAYMENT TO AUDITORS

	Particulars	**For the year ended March 31, 2024**	**For the year ended March 31, 2023**
(i)	Audit Fee	150	150
(ii)	Out of Pocket Expenses	11	11

***Exclusive of GST**

b. RELATED PARTY DISCLOSURES

List of related parties

i{k dk uke	lEc/k
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन

(रु. '00 में)

fooj.k	31 ekpZ 2024 dk lekIr o"kZ dh fy,	31 ekpZ 2023 dk lekIr o"kZ dh fy,
लेनदेन	¼#½	¼#½
उपगत व्यय का वहन होल्डिंग कंपनी "दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" द्वारा किया जाता है।	2,533	1,343
जमा शेष	14,719	12,186

lh- çfr 'k;j vk; ¼bZih,l½

(रु. '00 में)

fooj.k	31 ekpZ 2024 dk lekIr o"kZ dh fy,	31 ekpZ 2023 dk lekIr o"kZ dh fy,
	¼#½	¼#½
वर्ष में होने वाले लाभ/(हानि)(ए)	(2,467)	(1,076)
इक्विटी शेयरों की संख्या (बी)	50	50
प्रति शेयर लाभ/(हानि) (ए/बी)	(49.34)	(21.53)

Mh- çkI; VhMh,l %

32,397/– रुपये की राशि वित्तीय विवरणी में ''अन्य चालू संपत्ति'' समूह के भीतर उपश्रेणी ''टीडीएस प्राप्तियां'' के अंतर्गत सूचीबद्ध है। पिछले तीन वर्षों में, वित्त वर्ष 2015–2016, 2016–2017 और 2017–2018 के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों पर ब्याज से काटे गए टीडीएस के लिए फॉर्म 16 प्राप्त करने के लिए यूको बैंक को पत्र, फोन कॉल और व्यक्तिगत यात्राओं सहित कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद,

Name of Party	Relationship
The Oriental Insurance Co. Ltd.	Holding Company

Transactions with Related Parties during the year

(Rs. in '00s)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Transactions	**(Rs)**	**(Rs)**
Loan from Holding Company Expenses Incurred are borne by the holding Company "The Oriental Insurance Co. Ltd."	2,533	1,343
Closing balance	14,719	12,186

C. EARNING PER SHARE (EPS).

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
	(Rs)	**(Rs)**
Profit /(Loss) for the year(A)	(2,467)	(1,076)
Number of Equity Shares (B)	50	50
Profit/(Loss) Per Share (A/B)	(49.34)	(21.53)

d. TDS Receivable :

The sum of Rs 32,397/- is listed under the subcategory "TDS Receivables" within the Other Current Assets" group in the Financial statements. Over the past three years, numerous attempts, including letters, phone calls, and personal visits, have been made to UCO bank to obtain FORM 16 for TDS deducted from the interest on Fixed Deposit Receipts for the FY 2015-2016,2016-2017 and 2017-2018. However despite these efforts, no credit is reflected in ICC's 26AS. Hence, the amount appearing in the financial statements since the year 2018-2019, is written off in the current financial year.

e. The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.

आईसीसी के 26 एस में कोई क्रेडिट नहीं दर्शाया गया है। इसलिए, वर्ष 2018–2019 से वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशि को चालू वित्त वर्ष में लिखा गया है।

ई. निदेशकों ने बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस माफ कर दी है।

एफ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं का कोई बकाया नहीं है।

जी. 24 मार्च, 2021 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान एवं पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

f. According to the information and explanations given to us, the Company has no due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

G. Current Year and Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary in accordance with MCA Notification dated 24th March, 2021.

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार है।

,u lh jkt ,M ,lkfl,Vl dh eMy dh vkj l ,o —r

चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 002249N

रश्मि रमन सिंह
डीआईएन नं. 8975825

रश्मि बाजपेयी
डीआईएन नं. 9802287

पार्टनर सीए राहुल गोयल
सदस्यता संख्याः 093114

अरविंद कुमार
डीआईएन संख्या 10183500

रेखा ठाकुर मोहंती
डीआईएन संख्या 10358038

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.04.2024

As per our report of even date attached.

For Nc Raj & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 002249N

For and on behalf of the board

Rashmi Raman Singh
DIN NO. 8975825

Rashmi Bajpai
DIN NO. 9802287

Partner CA Rahul Goyal
Membership No. : 093114

Arvind Kumar
DIN NO. 10183500

Rekha Thakur Mohanty
DIN NO. 10358038

Place: New Delhi
Date: 29.04.2024

समेकित वित्तीय विवरणिका



CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT



G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
A-160, Defence Colony,
NEW DELHI - 110 024

Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
412 Ansal Bhawan 16,
Kasturba Gandhi Marg
NEW DELHI-110 001

th-,l- ekFkqj ,M d-
pkVMZ vdkmaVsaV
ए–160, डिफेंस कॉलोनी,
नई दिल्ली–110024

jkt gj xkiky ,M dai uh
pkVMZ vdkmaVsaV
412 अंसल भवन 16
कस्तूरबा गांधी मार्ग
नई दिल्ली–110001

Lor= y[kk ijh{kdksa dh fjikVZ

vkfj,aVy b';kjy dai uh fyfeVM ds lnL;ksa dk çfr

lefdr foÙkh; foojf.k;ksa dh y[kkijh{kk ij fjikVZ

;kX; jk;

हमने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बाद में इसे ''होल्डिंग कंपनी'' के रूप में संदर्भित किया गया है) और इसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ ''समूह'' के रूप में संदर्भित किया गया है) और इसके एसोसिएट्स, के समेकित वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित बैलेंस शीट, अग्नि, मरीन और विविध बीमा व्यवसाय के समेकित राजस्व खाते (सामूहिक रूप से 'समेकित राजस्व खाते' के रूप में जाना जाता है), समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित रसीदें और भुगतान खाता (नकदी प्रवाह) समाप्त वर्ष के लिए विवरण) और समेकित वित्तीय विवरणियों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं और जिसमें समाप्त वर्ष के लिए उस तिथि से निगमित खाते शामिल हैं जिस तिथि को एक सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उसके प्रबंधन द्वारा तैयार एसोसिएट्स के दो गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

TO THE MEMBERS OF

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of THE ORIENTAL INSURANCE

COMPANY LIMITED (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its subsidiary (Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group") and its associates, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Consolidated Revenue Accounts of Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Business (collectively known as 'Consolidated Revenue Accounts'), the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated the Receipts and Payments Account (Cash Flow Statement) for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements"), in which are incorporated accounts for the year ended on that date from audited financial statement of one subsidiary and two unaudited financial statement of Associates prepared by its Management.

In our opinion and to the best of our information

राय खंड के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम 1938, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 (''बीमा अधिनियम''), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (''आईआरडीए अधिनियम''), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (तैयारी) द्वारा संशोधित बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम, 2002, (''आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम''), इस संबंध में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') और कंपनियों द्वारा जारी आदेशधनिर्देश अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के साथ पढे जाने वाले कंपनी (लेखा) नियम 7 नियम, 2014 ('लेखा मानक') जहां तक लागू हों तथा इस प्रकार आवश्यक जानकारी देते हैं जितनी आवश्यक हो तथा बीमा कंपनियों पर लागू सीमा तक, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है। 31 मार्च, 2024 को समूह और उसके सहयोगियों के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित राजस्व खाते, समेकित लाभ और हानि खाते और प्राप्तियां और उस तिथि को समाप्त वर्ष का लेखा–जोखा के भुगतान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

;kX; jk; dk vk/kkj

i) इक्विटी शेयरों की हानि पर होल्डिंग कंपनी की लेखांकन नीति में कहा गया है कि इक्विटी पोर्टफोलियो में हानि केवल तभी की जाती है जहां कंपनियां पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप सेध्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है या जहां ठीक पिछले तीन वर्ष के वार्षिक लेखे उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी की लेखांकन नीति इस हद तक दोषपूर्ण है कि निवेशित कंपनी के शेयर मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों को क्षतिग्रस्त संपत्तियों की पहचान के लिए मापदंडों में नहीं माना जाता है। एनसीएलटी के तहत कॉरर्पोरेट समाधान ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत निवेशित ईकाईयां, कंपनी के इक्विटी

and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid consolidated financial statements give the information required in accordance with the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 (the "Insurance Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, (the "IRDA Financial Statements Regulations"), orders/ directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") in this regard and the Companies Act, 2013 (the "Act") read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 ('the Accounting Standards'), to the extant applicable in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, to the extent applicable to insurance companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Group and its associates as at 31°' March, 2024 and their Consolidated Revenue Accounts, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

i) The Holding Company's accounting policy on impairment of equity shares states that impairment in equity portfolio is carried out only where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. The accounting policy of the company is deficient to the extent that other significant parameters having significant bearing on the share price of Investee Company are not considered in the parameters for identification

शेयरों की अधिग्रहण लागत की तुलना में बाजार मूल्य में पर्याप्त गिरावट, निवल मूल्य में गिरावट, निवेशित कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान मुद्दों से संबंधित तथ्यात्मक अनिश्चितता पर रिपोर्ट करना आदि। इक्विटी शेयरों की हानि के लिए उपरोक्त मापदंडों पर विचार करने में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के प्रभाव निर्धारित नहीं किए गए है। (समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) की अनुसूची 16 की लेखांकन नीति संख्या 13.6 देखें)

ii) कुछ मामलों में पुनर्बीमाकर्ताओं और सह–बीमाकर्ताओं के खातों सहित बीमा करने वाले निकायों या अन्य व्यक्तियों की/से बकाया राशि अर्पित कंपनियों के साथ आरक्षित जमा, अंतः कार्यालय शेष राशि में मिलान/पुष्टि के लिए लंबित हैं।

Åij ijkxkQ ¼i lh ii½ esa crk, x, ekeyksa dk lexz çHkko vkj 31 ekpZ] 2024 rd jkTLo [kkrksa] ykHk vkj gkfu [kkrs] vkj HkkMkj vkj vf/k'k"k ij ifj.kkeh çHkko lfuf'pr ugha fd, tk ldrs gSa vkj bl ij fVIi.kh ugha dh tk ldh gSA

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट किए गए अनुसार लेखा परीक्षण के मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' अनुभाग में आगे वर्णित है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और सहयोगी कंपनियों से स्वतंत्र और हमने आचार संहिता और इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

of Impaired Assets viz. investee entities under corporate resolution insolvency process under NCLT, substantial fall in the market price as compared to acquisition cost of equity shares of the company, erosion of net worth, statutory auditor of the investee company reporting on material uncertainty related to going concern etc. The effects on the standalone financial statements of the failure to consider the aforesaid parameters for impairment of equity shares have not been determined. (Refer accounting policy no 13.6 of Schedule 16 of the consolidated financial statements (CFS))

ii) Balances of amounts due to/from other persons or bodies carrying on insurance including reinsurers and co-insurers accounts, reserve deposit with ceding companies, inter-office balances are pending reconciliation/ confirmation in certain cases.

Overall impact of the matter stated in paragraph (i to ii) above and the consequential effects on revenue accounts, profit and loss account, and reserves and surplus as at 31" March, 2024 are not ascertainable and cannot be commented upon.

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of the group and associate companies in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the consolidated financial statements.

çfrf"Br lLFkku ls lc) Hkkfrd vfuf'prrk

,½ gkfYMx dEiuh ds lEc/k e

I. कंपनी ने 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः 18.61 करोड़ के लाभ और 4968.11 करोड़ रुपये के नुकसान की सूचना दी है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक कंपनी की निवल आय कम हो गई है और 31 मार्च 2024 तक नकारात्मक निवल आय 3831.18 करोड़ रुपये है।

II. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा चालू प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ओआईसीएल का प्रबंधन राजस्व बढ़ाने और लागत को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अवसरों की तलाश कर रहा है, जैसा कि अगले पांच वर्षों के लिए कंपनी का कारोबार और रणनीति योजना में चर्चा की गई है। बोर्ड ने 27 मई 2024 को हुई अपनी बैठक में लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने और घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए कारोबार योजना पर विचार किया और मंजूरी दी। साथ ही, प्रबंधन केंद्र सरकार से पूंजी निवेश की उम्मीद कर रहा है। कारोबार और रणनीति योजना में, लाभदायक पोर्टफोलियो में कारोबार वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने, विशेष रूप से स्वास्थ्य और मोटर कारोबार क्षेत्रों के तहत हानि अनुपात में सुधार, नियंत्रणीय प्रबंधन खर्चों को कम करने जैसे टर्नअराउंड के प्रस्तावित लीवर को भविष्य में कार्यान्वयन के लिए पहचाना जाता है। इसे देखते हुए, प्रबंधन की राय है कि ओआईसीएल एक लाभप्रद प्रतिष्ठान है।

III. ऊपर चर्चा किए गए मामले से संकेत मिलता है कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को एक प्रतिष्ठित के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है।

हालाँकि, इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

ch½ lgk;d dEiuh ds lEc/k e

हम एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक, मेसर्स एनसी राज एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा दिनांक 29 मई 2024 जारी इसकी रिपोर्ट में होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों के लेखा लेखा परीक्षण राय में प्रतिष्ठित संस्थान से संबद्ध निम्न भौतिक अनिश्चितता की ओर भी

Material Uncertainty Related to Going Concern

a) In respect of Holding Company

I. The Company has Profit of Rs. 18.61 Crore and Loss of Rs 4968.11 Crore for the financial year ended on 31st March 2024 and 31st March 2023 respectively. Further, the net worth of the company as at 31st March 2024 has been eroded and negative net worth of Rs 3831.18 Crore exists as at 31st March 2024.

II. The financial statements of Oriental Insurance Company Limited (OICL) are prepared by the Management on a going concern basis. The management of the OICL is exploring various opportunities to increase revenue and control cost as discussed in the Business and Strategy Plan of the Company for next five years. The Board in its meeting held on 27th May 2024 has considered and approved the business plan to reduce costs, increase revenue and to turnaround the losses to profits. Also, the Management is expecting capital infusion by the Central Govt. In Business and Strategy Plan, proposed levers of turnaround such as focusing on business growth in profitable portfolio, improving loss ratios especially under Health and Motor business segments, reducing controllable management expenses are identified for implementation in future. In view of this, the management is of the opinion that OICL is a going concern.

III The matter discussed above indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.

However, our opinion is not modified in respect of this matter.

b) In respect of Subsidiary Company

We also draw attention to the following Material Uncertainty Related to Going Concern para in the audit opinion of the financial statements of Industrial Credit Company Limited, a subsidiary of holding company issued by an independent

ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

हम वित्तीय विवरण में नोट 1 (बी) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो दर्शाता है कि 31 मार्च 2024 तक कंपनी की वर्तमान देनदारियां इसकी वर्तमान संपत्ति से 14.28 लाख रुपये अधिक हैं। कंपनी ने पिछले कई वर्षों से कोई परिचालन नहीं किया है और उसे 13.31 लाख भारतीय रुपये का नुकसान हुआ है। कंपनी की निवल आय कम हो गई है और वर्तमान वित्त वर्ष में कंपनी को 2.46 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ये घटनाएँ और स्थितियाँ भौतिक अनिश्चितताओं के होने का संकेत देती हैं जो कंपनी की लाभप्रद संस्थान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती हैं। इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

ekeys dk çHkko%

हम निम्नलिखित ''मामले का प्रभाव'' पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो होल्डिंग कंपनी की लेखा परीक्षण रिपोर्ट में रिपोर्ट किए गए हैं:

ए) दो राज्य सरकारों द्वारा कुछ समूहों को दी गई कप एंड कैप नीति के अंतर्गत फसल बीमा प्रीमियम की बुकिंग के संबंध में होल्डिंग कंपनी की अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 55.

बी) होल्डिंग कंपनी की अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 16. 17(ए) और (बी) में कहा गया है कि कंपनी का सॉल्वेंसी अनुपात, बिना किसी रोक–टोक के, सीमा से नीचे है।

सी) कुछ अचल संपत्तियां जो रिकॉर्ड पर नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है के स्वामित्व दस्तावेजों के संबंध में होल्डिंग कंपनी की अनुसूची 16 के नोट नंबर बी 21.

डी) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2019 पर दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के अनुसार अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1627 (ई) दिनांक 23 अप्रैल 2019 साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन संशोधन योजना, 2019 के संबंध में के अनुसार कंपनी के वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना के लिए दिए गए विकल्प के संबंध में होल्डिंग कंपनी की अनुसूची 16 नोट संख्या बी 31.2 (सी)।

auditor, M/s NC Raj and Associates, Chartered Accountants vide its report dated 29th April 2024 which is reproduced as under:

We draw attention to note 1 (b) in the financial statement, which indicate that as on 31st march 2024 the company's current liabilities exceed its current assets by INR 14.28 Lacs. The company has not undertaken any operations since past several years and has accumulated loss of INR 13.31 Lacs. The net worth of the company is eroded and the company incurred the loss of INR 2.46 Lacs in the current financial year. These events and conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast the doubt about the company's ability to continue as going concern. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Emphasis of Matter:

We draw the attention over the following "Emphasis of Matter" which are reported in the audit report of the Holding Company

a) Note No. B55 of Schedule 16 of the holding company regarding booking of Crop insurance premium under cup and cap policy in respect of certain cluster assigned by 2 state government.

b) Note no B 16.17(a) and (b) of schedule 16 of the holding company which states that solvency ratios of the Company is not meeting the required solvency, without forbearances and is below the threshold limit.

c) Note No. B 21 of Schedule 16 of the holding company regarding title documents of certain immovable properties either not on record or registration is pending.

d) Note No. B 31.2 (c) Schedule 16 of the holding company regarding option given to current and retired employees of the company for pension scheme as per notification No. S.O. 1627

(e) dated 23rd April, 2019 on General Insurance (Employees) Pension Amendment Scheme, 2019. The Company has made provision for the

कंपनी ने आईआरडीएआई के दिनांक 07 जुलाई, 2020 पत्र क्रमांक 411/एफ–ए/(एनएल) अमोर्ट–ईबी/2019–20/123 के अनुमोदन के अनुसार पांच साल की अवधि में परिशोधन करके नियमित कर्मचारियों हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपरोक्त योजना के अनुसार पेंशन देयता का प्रावधान किया है। पात्र नियमित कर्मचारियों के लिए 31 मार्च 2024 तक अपरिशोधित राशि शून्य है क्योंकि इसे वर्ष के दौरान परिशोधित किया गया है।

ई) 31 मार्च 2024 को बहीखातों में जीएसटी इनपुट क्रेडिट के मिलान के संबंध में होल्डिंग कंपनी की पोर्टल के अनुसार उपलब्ध पात्र आंतरिक क्रेडिट के साथ 168,45,63 हजार रुपये का प्राप्य जीएसटी के मिलान के संबंध में अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 25 प्रक्रियागत है।

एफ) आईआरडीएआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार गणित शेयरधारकों और नीति धारकों के अनुपात के आधार पर उचित मूल्य परिवर्तन खाते सहित निवेश को शेयरधारकों और नीति धारकों के फंड में अलग–अलग करने के संबंध में होल्डिंग कंपनी की अनुसूची 16 के नोट क्रमांक बी 52.

जी) अगस्त 2022 से प्रभावी कर्मचारी के वेतनमानों के संशोधन की देयता का प्रावधान न किए जाने के संबंध में होल्डिंग कंपनी की अनुसूची 16 का नोट 31 (एफ).

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है.

çeq[k y[kkijh{k.k ekeys

प्रमुख लेखा लेखा परीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षण के संदर्भ में समग्र रूप से बातचीत की गई थी और उस पर अपनी राय बनाने में और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखा लेखा परीक्षण मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

pension liability as per aforesaid scheme based upon actuarial valuation on account of regular employees by amortizing over a period of five years as per approval of IRDAI vide their letter No.411/F&A/(NL)Amort-EB/2019-20/123 dated 07th July,2020. The unamortized amount as at 31st March 2024, is nil, as the same is fully amortized during the year.

e) Note No. B 25 of Schedule 16 of the holding company regarding pending reconciliation of GST input credit receivable amounting to Rs 168,45,63 thousand in the books of accounts as on 31" March 2024 with the balances of eligible input credit available as per the GST portal is under process.

f) Note no B 52 of schedule 16 of the holding company regarding segregation of investment including Fair Value Change account into Shareholders and policyholder's fund based on the ratio of Shareholders and Policy holders computed in accordance with Circular issued by IRDAI. Negative balances of Shareholder's fund in Investment and Fair Value Change account has been computed by the Management based on the circular issued by IRDAI.

g) Note no 31 (f) of schedule 16 of the holding company regarding non provision of liability of employee's wage revision due with effect from August 2022. Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Ø-l-	çe[k y[kk ijh{k.k ekeys	y[kk ijh{kd dh çfrfØ;k
1.	बकाया दावों का मूल्यांकन (''ओसी'') उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (''आईबीएनआर'') दावों सहित उपगत लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों सहित कंपनी के पास आईबीएनआर और आईबीएनईआर से संबंधित दावों सहित महत्वपूर्ण बकाया दावे हैं और इनके लिए निर्णयों और अनुमान की आवश्यकता है। बकाया दावों सहित आईबीएनआर से संबंधित दावे भविष्य में होने वाले दावों के निपटान हेतु अनुमान हैं जो विविध तथ्यों से प्रभावित हैं जिसमें ऐतिहासिक दावों की गंभीरता, ऐतिहासिक दावों की आवृत्ति और नियमों में बदलाव शामिल हैं। विशेष रूप से, मोटर बीमा अनुबंधों के अंतर्गत आने वाली मृत्यु या विकलांगता से उत्पन्न होने वाले दावों में भविष्य में होने वाली आंतरिक और बाहरी दोनों, कारोबार के बारे में जटिल और व्यक्तिपरक फैसले शामिल होते हैा जिनके लिए अनुमानों में किए गए छोटे परिवर्तन से भी उन देयताओं के मूल्यांकन पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता हैं। कंपनी की लेखांकन नीति स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की अनुसूची 16 का नोट 6 डी देखें।	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ • बकाया दावों हेतु प्रावधान कंपनी के मंडलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर किया जाता है और शाखा लेखा परीक्षकों ने मंडल और क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण करते हुए कंपनी के दिशानिर्देशों के आधार पर दावा प्रावधान को सत्यापित किया है। • हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 5000 (हजार में) और उससे अधिक दावों के लिए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से बकाया दावों के लिए प्रदत्त देयताओं की जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दावों का उचित अनुमान लगाया गया और रिकार्ड किया गया। • उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर), दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों के संबंध में देयता बीमांकिक रूप से कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकिक द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे हमने विश्वसनीय जाना। • हमने कंपनी द्वारा बीमांकक को दिए गए डेटा के आधार पर, नमूना आधार पर नियंत्रणों का परीक्षण किया। • हमने कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकिक की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा बताई गई देयता हेतु आईबीएनआर और आईबीएनईआर की जांच की। • हमने आईआरडीएआई/लेखा मानकों के लागू विनियमों के संदर्भ में कंपनी के संबंधित खुलासों की पर्याप्तता का आकलन किया।

S. No.	Key Audit Matters	Auditor's Response
1.	**Valuation of outstanding claims including claims incurred But Not Reported ("IBNR") and Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER)** The Company has significant outstanding claims including claims relating to IBNR and IBNER and these require use of judgements and estimates. Outstanding Claims including claims relating to IBNR are estimates for settlement of claims in future which are impacted by a number of factors which includes the trends in severity of historical claims, frequency of historical claims, and changes in regulations. In particular, the claims arising from death or disability covered under motor insurance contracts involve complex and subjective judgments about future events, both internal and external to the business, for which small changes in assumptions can materially impact the valuation of these liabilities. Refer Note. A 6D of Schedule 16 of standalone financial statements and Company's accounting policy.	Principal Audit Procedures • The provision for outstanding claims is handled and done at the Divisional and Regional offices of the Company and the branch auditors while auditing the Divisional and Regional offices have verified claim provisioning based upon the guidelines of the Company. • We have also verified the liabilities provided for outstanding claims through supporting documents for claims of Rs. 5000 (In Thousand) and above during the year ended 31" March,2024 to ensure that these claims were appropriately estimated and recorded. • The liabilities in respect of Claims incurred but not reported (IBNR), Claims incurred but not enough reported (IBNER) is actuarially determined by the Company's appointed Actuary on which we have placed reliance. • We performed a test of controls, on sample basis, on the data given by the Company to the Actuary. • We verified the I8NR and IBNER provisions against liability made by the Company with the provisions recommended in the report of the Company appointed actuary. • We assessed the adequacy of the Company's related disclosures by reference to applicable regulations of IRDAI/accounting standards.

2.	vfuf'pr dj fLFkfr;k dk eY;kdu कंपनी के पास महत्वपूर्ण अनिश्चित कर स्थितियों सहित विवादित मामले हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिण ाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। होल्डिंग कंपनी की स्टैंडअलोन विवरणी के संबंध में अनुसूची 16 के नोट बी 1(ई) को देखें।	e[; y[kk ijh{k.k çfØ;k, हमने प्रबंधन से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष तक कर निर्धारण और मांगों का पूर्ण विवरण प्राप्त किया। हमने कर प्रावधानों का अनुमान लगाने और विवादों के संभावित परिणामों में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की। सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति को समझने और कर की स्थिति निकालने में प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्य नियमों और कानूनी प्राथमिकताओं पर विचार करने और वर्ष के दौरान कंपनी के फैसले में कोई परिवर्तन को समझने के लिए प्रबंधन की कर टीम से बातचीत की। हमारे रिकार्ड किए गए अनुमानों का आकलन करने तथा रिकार्ड किए गए प्रावधानों की पूर्णता का मूल्यांकन करने तथा इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति ने किसी बदलाव की आवश्कता की? इसके लिए कंपनी के बाह्य कर परामर्शदाताध वकीलों के साथ पत्राचार को हमने पढ़ा। निर्धारण वर्ष 2005–06 से विभिन्न अपीलीय स्तरों पर मुकदमें लंबित हैं। कंपनी की राय है कि यह राशि 30 अगस्त 2017 को 2015 के आईटीए नंबर 372 में उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश के आधार पर आयकर विभाग से निवेश की बिक्री पर लाभ के आधार पर वसूली योग्य है। हालांकि, आयकर विभाग द्वारा कंपनी के विरूद्ध दायर एसएलपी के कारण मामले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित हैं।

2.	**Evaluation of uncertain tax positions** The Company has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. Refer Note B1 (e) of Schedule 16 of the Holding Company to the standalone financial statements.	**Principal Audit Procedures** We obtained details of completed tax assessments and demands till the year ended March 31, 2024, from the management. We reviewed management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. We interacted with management's tax team to understand the status of all significant provisions, and also considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position in ascertaining tax position and any changes to management's judgements in the year. We read correspondence with tax authorities and Company's external tax advisors/lawyers to evaluate our assessment of recorded estimates and evaluate the completeness of the provisions recorded and whether any change was required to management's position on these uncertainties. Litigations are pending at various appellate levels since AY 200S-06. The Company is of the opinion that the amount is recoverable on account of profit on sale of investments from Income Tax Department on the basis of favorable High Court order in ITA No .372 of 201S dated 30'^ August 2017. However, the case is currently pending for adjudication before the Hon'ble Supreme Court of India owing to SLP filed by the Income Tax Department against the Company.

lefdr foRrh; foojf.k;ksa vkj ml ij y[kk ijh{kd dh fjikVZ ds vykok vU; tkudkjh

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में होल्डिंग कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरणियों और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन का निर्णय व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणियों, या के साथ तथ्यात्मक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षण में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा कहीं तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी की गई है।

जब हम निदेशक की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई तथ्यात्मक गलतबयानी है, तो हमें होल्डिंग कंपनी शासकीय प्रभारियों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के तहत कार्रवाई निर्धारित करनी होगी।

lefdr foÙkh; foojf.k;ksa ds fy, çca/ku dh ftEesnkjh

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की आवश्यकताओं के (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002, इस संबंध में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी किए गए आदेशधनिर्देश जो समेकित वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह के भुगतान और समेकित, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित प्राप्तियों का सही और स्पष्ट दृष्टिकोण देते तथा संशोधित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Holding Company's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Holding Company's Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Director's report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance of the Holding Company and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013, Insurance Act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of insurance Companies) Regulations, 2002, orders/ directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") in this regard that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated receipts and payments of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under

पढ़े जानेवाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, के अनुसार करने के लिए उत्तरदायी हैं। होल्डिंग कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, उसकी सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनियां समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। समूह और सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिएय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होंय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। तथ्यात्मक गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग उपरोक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है, से मुक्त हो।

समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने में, समूह और सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और सहयोगी कंपनियों की एक लाभप्रद संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए लेखांकन के विद्यमान आधार का प्रयोग करने और लाभकारी संस्थान से संबद्ध लागू मामलों का खुलासा करते हुए समूह और सहयोगी कंपनियों के लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने का आकलन करने के लिए उत्तरदायी।

समूह और सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

lefdr foÙkh; foojf.k;ksa dh ys[kkijh{kk ds fy, ys[kkijh{kd dh ftEesnkfj;k¡

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणी तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो।

section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended. The respective Board of Directors of the Holding Company, its Subsidiary and Associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time for safeguarding of the assets of the Group and associate companies and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the group and associate companies are responsible for assessing the ability of the group and associate companies to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group and associate companies or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and associate companies are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and associate companies.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षण हमेशा एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा जब भी यह होगा, गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद से की गई हो।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम भीः

समेकित वित्तीय विवरणियों के तथ्यात्मक गलत बयानी के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की धोखाधड़ी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या अधिकतम आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकता है।

उन उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की सूझबूझ प्राप्त करें। जो परिस्थितियों के अनुरूप ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है?

उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलनों की तर्कसंगता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध खुलासों का मूल्यांकन करें।

प्रबंधन द्वारा लेखांकन के वर्तमान आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और संबद्ध कंपनियों की

Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material

misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the holding company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the group and associate companies to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty

योग्यता या महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा लेखा परीक्षणर की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणियों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा लेखा परीक्षणर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा लेखा परीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और सहयोगी कंपनियाँ एक लाभप्रद प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती हैं।

प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और सहयोगी कंपनियों के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों या ईकाईयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणियों में सम्मिलित उन ईकाईयों की जिसमें हम निष्पक्ष लेखा परीक्षक हैं, वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल उन अन्य ईकाईयां, जिनका लेखा लेखा परीक्षण अन्य लेखा लेखा परीक्षणरों द्वारा किया गया है, के संबंध में ऐसे अन्य लेखा लेखा परीक्षणर उनके द्वारा किए गए लेखा लेखा परीक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम केवल अपनी लेखा परीक्षण राय हेतु ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) अपने लेखा लेखा परीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (पप) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.

However, future events or conditions may cause the Group and associate companies to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information ol the entities or business activities within the Group and associate companies to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatemer.ts in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा लेखा परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी जिसे हम अपने लेखा लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं, सहित होल्डिंग कंपनी के शासकीय प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासकीय प्रभारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने निष्पक्षता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय अन्य मामलों के बारे में बातचीत करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डाल सकते हैं।

उन शासकीय प्रभारियों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संचार करने के प्रतिकूल परिणाम से संभावित रूप से जनहित लाभ कम होंगे।

vU; ekeys

(i) हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिनके 31 मार्च, 2024 तक 682 हजार रुपये का कुल राजस्व रू.38.50 हजार, कुल शुद्ध घाटा रु.246.70 हजार और 2 हजार रूपए का शुद्ध नकदी बहिर्वाह रु. उस तारीख को समाप्त वर्ष को दर्शाता है। वित्तीय विवरण समेकन उन्मूलन के अलावा रुपये की कुल संपत्ति, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण का ऑडिट मेसर्स एनसी राज एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 24,52,91 हजार रुपये के शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि दो सहयोगियों के

governance of the Holding Company regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those changed with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

(i) We did not audit the financial statements of one subsidiary, whose financial statements excluding consolidation elimination reflect total assets of Rs. 682 thousand as at March 31, 2024, the total revenues of Rs. 38.50 thousand, total net loss of Rs. 246.70 thousand and net cash outflows of Rs. 2 thousand for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. Financial statement of the subsidiary has been audited by M/s NC Raj & Associates, Chartered Accountants.

The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of Rs 24,52,91 thousand for the year ended 31st March 2024, as considered in the consolidated financial statements in respect of two associate, whose financial statements/ financial information have not been audited by us and we have relied on unaudited financial

संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में है, जिनके वित्तीय विवरणधवित्तीय जानकारी नहीं दी गई है हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है और हमने दो सहयोगियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है।

विदेशी सहयोगियों में से एक की वित्तीय जानकारी का ऑडिट स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के लिए किया गया है और दूसरे सहयोगी के संबंध में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरण का अलेखापरीक्षित है और जो प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर राय, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और सहयोगियों से संबंधित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और/या प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी पर आधारित है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ii) उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर), उपगत दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) और प्रीमियम कमी रिजर्व (पीडीआर) के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकक (''नियुक्त बीमांकक'') की जिम्मेदारी है।31 मार्च, 2024 तक सांख्यिकीय तरीकों और पीडीआर का उपयोग करके लगाया गया बकाया दावा रिजर्व (आईबीएनआर और आईबीएनईआर) का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, ऐसे मूल्यांकन के लिए ध ारणाएं आईआरडीएआई की सहमति से आईआरडीएआई और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा दिशानिर्देश और मानदंडों के अनुसार है। हमने कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा किया है।

(iii) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, एक सहयोगी के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के लिए वित्तीय विवरणियों सिंगापुर कंपनी

statements of two associates.

Financial information of one of the overseas Associates for the period from 1st Jan 2023 to 31" Dec 2023 and in respect of another Associates, financial statement for the current year is unaudited and which are prepared by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary and associates and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Companies Act, 2013 in so far as it relates to the aforesaid subsidiary and associates, is based solely on the reports of the other auditors and / or financial information furnished by the Management. According to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Company.

(ii) The actuarial valuation of liabilities in respect of Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium deficiency reserve (PDR) is the responsibility of the Company's appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of the outstanding claims reserves (IBNR and IBNER) that are estimated using statistical methods and PDR as at 31" March, 2024 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the consolidated financial statements of the Company.

(iii) The financial statements for the calendar year 1" January 2023 to 31st December 2023 of the India International Insurance Pte Ltd, an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Chapter 50 which is different from the framework used in preparation of financials of Holding company, during the process of

अधिनियम, अध्याय 50 के अनुसार सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआरएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जो होल्डिंग कंपनी की वित्तीय तैयारी में उपयोग किए जाने वाले ढांचे से अलग है, समेकन की प्रक्रिया के दौरान, लेखांकन समायोजन को होल्डिंग कंपनी की लेखांकन नीतियों के साथ संरेखित नहीं किया गया है, जिसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्यों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

vU; dkuuh vkj fofu;ked vko';drkvk ij fjikVZ

1. आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के अनुसार हमने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तैयारी विनियम 2002 की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 27 मई 2024 को एक अलग प्रमाणपत्र (अनुलग्नक – ए) जारी किया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक है (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और रिपोर्टों पर विचार के आधार पर सहायक कंपनी और सहयोगियों के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में बताया गया है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) उपरोक्त पैराग्राफ योग्य राय हेतु वर्णित मामलों को छोड़कर हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(बी) उपरोक्त पैराग्राफ योग्य राय हेतु आधार में वर्णित मामले के संभव प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक बही खाते तैयार किए गए हैं जैसा कि

consolidation, accounting adjustments have not been aligned with the accounting policies of the holding company, the effect of which is not ascertainable.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the IRDA Financial Statements Regulations, we have issued a separate certificate (Annexure - A) dated 27th May 2024 certifying the matters specified in paragraph 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002.

2. As required by the Section 143 (3) of the Companies Act, 2013 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, based on our audit and on the consideration of reports of other auditors on separate financial statements of subsidiary and associates, as noted in the 'other matter' paragraph, we report to the extent applicable that:

a) We have sought and except for the matters described in the basis for qualified opinion paragraph above, obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

b) Except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the report of other auditors.

अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन बही खातों की जांच से प्रतीत होता है।

(सी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित राजस्व खाते और समेकित रसीदें और भुगतान खाते समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(डी) हमारी राय में, योग्य राय पैराग्राफ में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू सीमा और अपेक्षित तरीके के अनुसार वहां जारी संबद्ध नियमों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है वहां जारी प्रासंगिक नियमों तथा अपेक्षित तरीके के अनुसार।

(ई) हमारी राय में उपरोक्त पैराग्राफ योग्य राय हेतु आधार में वर्णित मामला, समूह के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

(एफ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं हैं, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनी दोनों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर।

(जी) होल्डिंग कंपनी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, भारत में निगमित समूह की कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च 2024 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(एच) होल्डिंग कंपनी और भारत में स्थित इसकी सहायक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुलग्नक–बी'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के अनुसार, इस खंड का प्रावधान इसकी विदेशी सहयोगी कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि उक्त सहयोगी कंपनी

c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, Consolidated Revenue accounts and the Consolidated Receipts and Payments Account dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation for consolidated financial statements.

d) Except for the possible effects to the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder to the extent applicable and in the manner so required.

e) The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have adverse effects on the functioning of the Group.

f) The provisions of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the directors of the holding company in view of Notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Based upon the reports of the statutory auditors of its subsidiary company and associate company both incorporated in India.

g) On the basis of the written representations received from the Holding Company, none of the directors of Group's companies incorporated in India, is disqualified as on 31" March 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Holding Company and its subsidiary incorporated in India and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure- B". According to Section 143 (3) (i) of the Act, provision of this section is not applicable to it's an overseas associates company as said associates is not incorporated in India. In case of one of the

भारत में निगमित नहीं है। भारत में निगमित एसोसिएट्स में से एक के मामले में, उक्त सहयोगियों के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हैं और प्रबंधन द्वारा अनुमोदित है। हम उक्त सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं, इसलिए यह अनुबंध बी में हमारी राय का हिस्सा नहीं बन रहा है।

i) एमएसएमई अधिनियम 2006 की प्रकटन की आवश्यकताओं में देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज के प्रावधान समय पर भुगतान पहचान के संबंध में होल्डिंग कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राईसिज विकास अधिनियम 2016 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, हम यहां ''अनुलग्नक–सी'' में होल्डिंग कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी उप–निर्देशों सहित निर्देश संलग्न कर रहे हैं।

4. अधिनियम के खंड 143 के उपखंड (3) की धारा (प) के नियमानुसार भारत कीकेन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में तथा इसकी सहायक और एसोसिएट कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए विवरण के अनुसारः

(ए) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों ने समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – होल्डिंग वित्तीय विवरण की अनुसूची 16 के बी–1बी (सी) और (ई) का नोट देखें।

(बी) होल्डिंग कंपनी के खातों के नोट्स की अनुसूची 16 के नोट बी 5.3 के अनुसार बीमा अनुबंधों के लिए दायित्व, होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक निर्धारित किया जाता है तथा नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र द्वारा संरक्षित किया जाता है। उपरोक्त अन्य मामला पैराग्राफ में उल्लिखित, जिस पर हमने विश्वास किया है तथा कंपनी के पास किसी लंबी अवधि की संविदा सहित अन्य व्युत्पन्न संविदाएं नहीं हैं जिसके लिए कोई तथ्यात्मक

associates which is incorporated in India, the financial statements of said associates is unaudited financial statements and approved by the Management. We are unable to verify the adequacy of the internal financial control over financial reporting of said associates, hence the same is not forming part of our opinion in Annexure B.

i) The holding company has not comply with the provisions of the mirco, small and medium enterprises development act 2016 regarding Identification, timely payment, provision of interest on delayed payment and disclosure requirements of MSME Act 2006. (Refer to note No. 53)

3. As required by section 143(5) of the Companies Act, 2013, we enclose here with in "Annexure-C", the directions including sub- directions issued by the Comptroller & Auditor General of India in relation to Holding Company.

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 issued by the Central Government of India in terms of clause (j) of sub-section (3) of section 143 of the Act and based upon the reports of the statutory auditors of its subsidiary and associates companies, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:

a) The consolidated financial statements of the Group have disclosed the impact of pending litigation on its consolidated financial position of the Group - Refer Note B- 1B (c) & (e) of Schedule 16 to the holding financial statements.

b) The liability for insurance contracts, is determined by the Holding Company's Appointed Actuary as per Note B 5.3 of Schedule 16 of the notes to accounts of the holding Company, and is covered by the Appointed Actuary's certificate, referred to in Other Matter paragraph above, on which we have placed reliance; and the Company did not have and long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

अनुमानित हानि हुई हो।

(सी) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे समूह द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।

(डी) (प) होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन ने प्रत्यावेदन दिया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या विदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित किसी इकाई को (उधार लिए गए फंड में से या शेयर प्रीमियम या अन्य किसी स्रोत या किसी प्रकार के फंड) में से अग्रिम राशि या ऋण या निवेश नहीं किया गया है, चाहे इसे लिखित में अन्यथा रिकार्ड कर लिया जाए, इस मंशा के साथ कि क्या मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') या अन्य किसी व्यक्ति की कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करेगीय

ii) होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन ने प्रत्यावेदन दिया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या विदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित किसी इकाई को (उधार लिए गए फंड में से या शेयर प्रीमियम या अन्य किसी स्रोत या किसी प्रकार के फंड) में से अग्रिम राशि या ऋण या निवेश नहीं किया गया है, चाहे इसे लिखित में अन्यथा रिकार्ड कर लिया जाए, इस मंशा के साथ कि क्या मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या अंतिम लाभार्थी की ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई निवेश करने वाले पक्ष (''अंतिम लाभार्थी'') या अन्य किसी व्यक्ति की कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करेगी

i) परिस्थितियों में उचित और सही मानी गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदनों, जैसा कि ऊपर (प) और (पप) के तहत किया गया है, में कोई भी गलत विवरण शामिल है।

(ई) होल्डिंग कंपनी द्वारा हमें दिए गए प्रबंधन के प्रत्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान समूह द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी अधिनियम

c) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.

d) (i) The management of the holding company has represented that, to the best of its Knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned and invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries;

(ii) The Management of the holding Company has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

(iii) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (i) and (ii) above, contain any material misstatement.

e) As per management representation given to us by the Holding Company, no dividend has been declared by the Group during the year. Hence,

2013 धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं है।

(एफ) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान के अनुसार, होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने बहीखातों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर में प्रत्येक लेनदेन का ऑडिट ट्रेल रिकार्ड करने बहीखातों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने की सुविधा है, साथ ही ऐसे परिवर्तन किए जाने की तारीख भी है और यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है। कंपनी भारत और भारत के बाहर अलग–अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जिसमें से पुनर्बीमा के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 128 और उसके तहत संशोधित नियमों के साथ नियम 3(5) के प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, जो भारत में हर समय सुलभ होने के लिए कंपनी की विदेशी शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक मोड में बहीखातों और कागजात को बनाए रखने और दैनिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वरों पर अपने बहीखातों और कागजात का बैकअप रखने के संबंध में है।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में संशोधित किए गए अनुसारः

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान भारत सरकार के निगमित कार्यों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार समूह के निदेशकों को किया गया भुगतानध्देय पारिश्रमिक पर लागू नहीं हैं।

6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(ए) 31 मार्च 2024 तक ''दावा किए गए (आईबीएनआर) तथा ''दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए

the provisions of section 123 of the Companies Act 2013 are not applicable.

f) In accordance with proviso to rule 3(1) of the companies (Accounts) Rules, 2014, the accounting software used by the holding company for maintaining its books of account have a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in the books of account along with date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. Company is using different software in India and outside India out of which software used for reinsurance is not complying with the above requirement. Further the company is not complying with the Proviso to Rule 3(5) read with section 128 of the companies act 2013 and rules thereunder as amended, regarding maintaining of books of accounts and papers maintained in the electronic mode at Foreign branches of the company to be accessible in India at all times and maintenance of back up of its books of accounts and papers at servers physically located in India on a daily basis.

5. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Companies Act, 2013, as amended:

The provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 are not applicable on the remuneration paid/payable to the directors of the Group in view of Notification No. GSR 463 lE) dated 05" June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

6. As required by Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, we report that:

a) The actuarial valuation of liabilities in respect of “Claims Incurred but not reported” (IBNR) including “Claims incurred but not enough reported” (IBNER) as at 31" March, 2024 have been duly certified by the Holding Company's

गए'' (आईबीएनईआर) सहित के संबंध में देनदारियों का बीमांकक मूल्यांकन होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और हम इस पर भरोसा करते हैं। नियुक्त बीमांकक ने यह भी प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा मानी गई धारणा आईआरडीएआई की सहमति से आईआरडीएआई और एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं।

(बी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) बीमा विनियामक और विकास अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनियां अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार लागू सीमा तक और अपेक्षित तरीके से तैयार किए गए हैं।

(सी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेश का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों के अनुसार किया गया है।

(डी) समूह द्वारा चुनी गई लेखांकन पॉलिसियां उचित हैं और उपरोक्त पैराग्राफ योग्य राय हेतु आधार के पैरा (प) में वर्णित संभव प्रभावों को छोड़कर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 तथा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशधनिर्देश में निर्धारित किए गए अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के साथ लागू सीमा तक तथा लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में है।

7) इसके अलावा होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

ए) हमने समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न होल्डिंग कंपनी की प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है और प्रबंधन रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट

appointed actuary and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumption considered by them for such valuations are in accordance with guidelines and norms prescribed by IRDAI and the Actuarial Society of India in concurrence with IRDAI.

b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (41 of 1999) and the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

c) According to the information and explanations provided to us, the investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and the regulations, orders and directions issued by IRDAI in the regard.

d) The accounting policies selected by the Group are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended, to the extent applicable and with the Accounting Principles, as prescribed in the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and orders/directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, except for the possible effects of the matter described in para (i) of the Basis for Qualified Opinion paragraph above.

7. Further on the basis of our examination of books and records of the Holding Company and according to the information and explanation given to us and to the best of our knowledge and belief, we certify that:

a) We have reviewed the management report of the Holding Company attached with the Consolidated Financial Statements and there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the management

गलती या भौतिक विसंगतियां नहीं हैं। प्रबंधन रिपोर्ट को योग्य राय के आधार के तहत पैरा प और प्प में दी गई हमारी योग्यता के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बी) अनुपालन करने वाली होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रबंधकीय प्रत्यावेदन के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि होल्डिंग कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया है; और

सी) नीति धारकों के फंड के निवेशों और आवेदन के संबंध में नीति धारकों के फंड की संपत्ति कोई भी हिस्से का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया।

report and the consolidated financial statements. The Management report should be read with our Qualification given in Para i and ii under Basis for Qualified Opinion.

b) Based on the management representation made by the management of the Holding Company charged with compliance, nothing has come to our attention which causes us to believe that the Holding Company has not complied with the terms and conditions of registration as stipulated by IRDAI; and

c) No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 008744N
RAJIV KUMAR WADHAWAN Digitally signed by RAJIV KUMAR WADHAWAN Date: 2024.05.27 17:26:09 +05'30'
CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCV8879
Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N
GOPAL KRISHAN GUPTA Digitally signed by GOPAL KRISHAN GUPTA Date: 2024.05.27 17:30:45 +05'30'
CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN: 24081085BKATUS8126

Lor= y[kk ijh{kd dh fjikVZ dk ifjf'k"V ^,*

ANNEXURE — A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Lor= y[kk ijh{kdk dk çek.ki=] 27 eb 2024 dh Lor= y[kk ijh{kdk dh fjikVZ d ,d Hkkx d :i e vU; dkuuh vkj fu;ked vko';drkvk ij gekjh fjikVZ d ijkxkQ 1 e mfYyf[kr%

1. यह प्रमाणपत्र आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों का विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002, (''आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम'') की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

çc/ku dh ftEenkjh

2. होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015, द्वारा संशोधित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1938 (''बीमा अधिनियम'') बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (''आईआरडीए अधिनियम''), आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियम के प्रावधानों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (''आईआरडीएआई'') द्वारा जारी आदेश/निर्देश जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी शामिल है, के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। इसमें उपरोक्त के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त डेटा एकत्र करना, एकत्र करना और मान्य करना और आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और निगरानी करना शामिल है।

Lor= y[kkijh{kd dk mRrjnkf;Ro

3. इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए हमारी जिम्मेदारी, आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 में शामिल मामलों पर उचित आश्वासन प्रदान करना है।

4. जहां तक इस प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए लागू है, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2016) के अनुसार अपनी जांच आयोजित की, परीक्षण

Independent Auditors' Certificate as referred to in paragraph 1 of our Report on Other Legal and Regulatory Requirements forming part of the Independent Auditors' Report dated 27th May 2024:

1. This certificate is issued to comply with the provisions of paragraph 4 of Schedule C of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, ("the IRDA Financial Statements Regulations") read with Regulation 3 of the IRDA Financial Statements Regulations and may not be suitable for any other purpose.

Management's Responsibility

2. The Holding Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of The Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act") as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"), the IRDA Financial Statements Regulations, orders/directions issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI") which includes the preparation of the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

Independent Auditor's Responsibility

3. Our responsibility for the purpose of this certificate, is to provide reasonable assurance on the matters contained in paragraph 4 of Schedule C of the IRDA Financial Statements Regulations read with Regulation 3 of the IRDA Financial Statements Regulations.

4. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes (Revised 2016) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in so far as applicable for the purpose of this Certificate, which include the

जाँच और भौतिकता की अवधारणाएँ शामिल हैं। इस मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

5. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1 की संबद्ध लागू आवश्यकताओं जो फर्म ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण, अन्य आश्वासन तथा संबद्ध सेवा एवं समीक्षाएं निष्पादित करती हैं, उसकी गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन किया है।

jk;

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा बनाए गए बहीखातों और अन्य रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि :

i) हमने प्रबंधन और शाखा लेखा परीक्षकों जिन्होंने प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रस्तुति पर विश्वास किया तथा 31 मार्च 2024 तक कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रमाणपत्रों, वास्तविक निरीक्षण पर वास्तविक निरीक्षण द्वारा या होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त कस्टोडियन औरध्या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से प्राप्त प्रमाण पत्रध्पुष्टि के आधार पर प्रबंधन की पुष्टि के आधार पर आवश्यक सीमा तक होल्डिंग कंपनी के नकदी जमा का सत्यापन किया है।

हमने होल्डिंग कंपनी के ऋण और निवेश से संबंधित प्रतिभूतियों और नकदी शेष की आवश्यक सीमा तक जांच की है:

Øekd	lifÙk	lR;kiu dh çfr
i)	नकद	भौतिक सत्यापन, प्रबंधन का प्रमाणपत्र और क्षेत्रीय/मंडल/शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
ii)	निवेश	संरक्षक का प्रमाणपत्र (एसएचसीआईएल, एचडीएफसी बैंक) और प्रबंधन का प्रमाणपत्र।
iii)	ऋण से संबंधित प्रतिभूतियाँ	प्रबंधन का प्रमाणपत्र कि 31 मार्च 2024 को कोई ऋण बकाया नहीं है।

concepts of test checks and materiality. This Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

5. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

6. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by the Holding Company for the year ended 31*' March 2024, we certify that:

i) We have verified the cash balances of Holding Company, to the extent considered necessary based upon confirmation of management and Branch Auditors who have relied on production of certificates and other documentary evidence, and securities relating to the Company's loans and investments as at March 31, 2024, by actual inspection or on the basis of certificates/ confirmations received from the Custodian and/ or Depository Participants appointed by the Holding Company.

We have verified Cash balances of Holding Company, to the extent considered necessary, and securities related to the Holding Company's Loans and Investments, on following basis:

Sr. No.	Asset	Nature of Verification
i)	Cash	Physical Verification, Management's Certificate and Regional/ Divisional/BranchAuditor's Report.
ii)	Investment	Custodian's Certificate (SHCIL, HDFC Bank) and Management's Certificate.
iii)	Securities relatingto Loan	Management's Certificate that there is noloan outstanding as on 31st March 2024.

ii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, होल्डिंग कंपनी किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी नहीं हैय और

iii) होल्डिंग कंपनी के नीति धारकों के फंड की संपत्ति का कोई भी हिस्सा नीति धारकों के धन के अनुप्रयोग और निवेश से संबंधित है, बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है।

mi;kx ij çfrc/k

7. यह प्रमाणपत्र होल्डिंग कंपनी के अनुरोध पर केवल वार्षिक खातों में शामिल करने के लिए होल्डिंग कंपनी के उपयोग के लिए जारी किया जाता है आईआरडीए वित्तीय विवरण विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले आईआरडी की अनुसूची सी के पैराग्राफ 4 के प्रावध ानों का अनुपालन किया जा सके। हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का इरादा न हो और न ही किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी लिखित में हमारी पूर्व स्वीकृति के बिना अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह हो, किसी भी प्रकार के दायित्व या कर्तव्य को स्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं।

ii) To the best of our information and according to the explanation given to us, the Company is not a trustee of any trust; and

iii) No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of rhe policyholders' funds.

Restriction on Use

7. This certificate is issued at the request of the Company solely for use of the Company for inclusion in the annual accounts in order to comply with the provisions of paragraph 4 of Schedule C of the IRDA Financial Statements Regulations read with Regulation 3 of the IRDA Financial Statements Regulations and is not intended to be and should not be used for any other purpose without our prior consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this Certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 008744N
RAJIV KUMAR WADHAWAN Digitally signed by RAJIV KUMAR WADHAWAN Date: 2024.05.27 17:26:09 +05'30'
CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCV8879
Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N
GOPAL KRISHAN GUPTA Digitally signed by GOPAL KRISHAN GUPTA Date: 2024.05.27 17:30:45 +05'30'
CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN: 24081085BKATUS8126

th-,l- ekFkj ,M d-
pkVM vdkmaVsV
ए–160, डिफेंस कॉलोनी,
नई दिल्ली–110024

G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
A-160, Defence Colony,
NEW DELHI - 110 024

jkt gj xkiky ,M dai uh
pkVM vdkmaVsV
412 अंसल भवन 16
कस्तूरबा गांधी मार्ग

Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
412 Ansal Bhawan 16,
Kasturba Gandhi Marg
NEW DELHI-110 001

lefdr foRrh; fooj.kh gsrq vuqikyu çek.ki=

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

Compliance Certificate for Consolidated Financial Statement

We have conducted the audit of annual accounts of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31st March 2024 in accordance with the directions/sub-directions issued by the C&AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions/Sub-Directions issued to us.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 008744N
RAJIV KUMAR WADHAWAN Digitally signed by RAJIV KUMAR WADHAWAN Date: 2024.05.27 17:26:09 +05'30'
CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCV8879
Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N
GOPAL KRISHAN GUPTA Digitally signed by GOPAL KRISHAN GUPTA Date: 2024.05.27 17:30:45 +05'30'
CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN: 24081085BKATUS8126

Lor= y[kk ijh{kd dh fjikVZ dk ifjf'k"V ^ch*

ANNEXURE – B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143 dh mi[kaM 3 dh [kaM (i) ds rgr vkarfjd foÙkh; fu;a=.k ij fjikVZ

हमने 31 मार्च, 2024 तक दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद ''होल्डिंग कंपनी'' के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण उस तारीख को समाप्त हो रहे वर्ष हेतु होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ किया।

vkarfjd foÙkh; fu;a=.k ds fy, çca/ku dh ftEesnkjh

होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी और एसोसिएट जो भारत में निगमित कंपनियां हैं के संबद्ध निदेशक मंडल, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी और सहयोगी जो भारत में निगमित हैं द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन के साथ इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

y[kkijh{kd dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी है कि होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनी, जो भारत में निगमित हैं, पर एक राय व्यक्त करना है, हमारे लेखापरीक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार लागू सीमा तक उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls over financial reporting of The Oriental Insurance Company Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company") as of March 31, 2024, in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Holding Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding Company and its Subsidiary and Associate, which arecompanies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Company and its subsidiary and associate companies, which are incorporated in India, considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Holding Company's and its subsidiary and associate company, which are incorporated in India, internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial

आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक रूपों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझा प्राप्त करना, भौतिक कमी वाले मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

विदेशी शाखा/कार्यालय यानी नेपाल, दुबई, कुवैत, एक रन ऑफ एजेंसी और एक एसोसिएट जो भारत में निगमित है, से संबंधित होल्डिंग कंपनी शाखा लेखा परीक्षकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं और इस प्रकार हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थी और इसलिए इस रिपोर्ट में इन कार्यालयों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर विचार नहीं किया गया है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिपोर्टों की अनुपलब्धता के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षक साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी योग्य ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

foÙkh; fjikfVx ij vkarfjd foÙkh; fu;a=.k dk vFk

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की

controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequateinternal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Report on internal financial controls of Holding Company branch auditors relating to foreign branch/ offices i.e. Nepal, Dubai, Kuwait, one run off agency and one associate which is incorporated inIndia have not been received and as such was not available for our review and therefore the Internal controls over financial reporting relating to these offices have not been considered in this report and cannot be commented upon.

Except for the possible effect of non-availability of reports as stated above, we believe that the audit evidence we have obtained, and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the other matter paragraph below is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Group's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and

गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, सटीक और निष्पक्ष रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाती हैं।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान से सुरक्षा या समय पर पता लगाने, यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका समेकित एएस वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

foÙkh; fjikfVax ij vkrfjd foÙkh; fu;a=.k dh vrfufgr lhek,a

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की दशा और भी बिगड़ सकती है।

;kX; jk;

हमारे लेखा परीक्षण के दौरान की गई चुनिंदा जांचों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार क्षेत्रीय की समीक्षा के आधार पर और क्षेत्रीय ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर अनुसार, 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है:

i) होल्डिंग कंपनी में, सह–बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमा दलालों, अंतर–कार्यालय खातों से संबंधित विभिन्न शेष राशियों की पुष्टि और मिलान लंबित हैं और मिलान/समायोजन के विभिन्न चरणों में हैं;

procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company.

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the consolidated AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including thepossibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, orthat the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

On the basis of selective checks carried out during the course of our audit and according to the information and explanation given to us and based on the review of the Regional Auditor's report, following material weaknesses have been identified as at 31st March,2024 .

i) In Holding company, Confirmation, reconciliation, adjustment and age wise analysis of various balances relating to co-insurers, reinsurers, reinsurance brokers, inter office accounts are pending and are in various stages of reconciliation/adjustments.;

ii) In Holding company, Inadequate controls

ii) होल्डिंग कंपनी में, कंपनी की पुस्तकों बनाम जीएसटीआर 2ए/2बी में उपलब्ध आईटीसी के चालान–वार मिलान के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण पाया गया है। इनपुट जीएसटी के गलत/विलंबित दावे, प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न मांग नोटिस/कारण बताओ नोटिस की निगरानी न करना।

iii) होल्डिंग कंपनी में, बंद हो चुके मंडलीय कार्यलयों/शाखाओं से संबंधित विभिन्न कर कटौती खाता संख्याओं को प्रस्तुत करने में देरी, जिसमें उनके खातों का क्षेत्रीय कार्यालयों में विलय भी शामिल है।

vi) होल्डिंग कंपनी में, अचल संपत्ति रजिस्टर या मैनुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ परिसंपत्तियों की भौतिक गणना का मिलान मजबूत किया जाना चाहिए। आवधिक अंतराल पर भौतिक सत्यापन सहित परिसंपत्तियों के पूंजीकरण में देरी।

v) होल्डिंग कंपनी में, टीपीए द्वारा संसाधित पुनर्बीमा और स्वास्थ्य संबंधी दावों सहित व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अपर्याप्त कवरेज।

vi) होल्डिंग कंपनी में, सिस्टम द्वारा उत्पन्न पार्टी–वार विवरण की अनुपलब्धता और पुनर्बीमा प्राप्त/देय राशि की आयु के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखा जाता है।

vii) होल्डिंग कंपनी में लेखांकन सॉफ्टवेयर की दक्षता और पुनर्बीमाकर्ताओं को समय पर डेबिट सलाह देने के संबंध में अपर्याप्त नियंत्रण देखा जाता है।

viii) होल्डिंग कंपनी में फसल से संबंधित प्रीमियम के लेखांकन और पॉलिसियों के जारी करने में देरी देखी गई है।

ix) होल्डिंग कंपनी में बीमा दावों की बुकिंग एवं प्रक्रिया में देरी देखी गई।

x) होल्डिंग कंपनी में, कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में पट्टा व्यवस्था के नवीकरण के लिए निगरानी की अपर्याप्त प्रणाली।

xi) होल्डिंग कंपनी में, ईटास (ETASS) और इनलियास (INLIAS) के अनुसार सहबीमा शेष के मिलान की प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि इनका समय पर मिलान नहीं हो पा रहा है।

xii) होल्डिंग कंपनी में, लापता मूल हक विलेखों की पहचान

are observed with regard to Invoice wise reconciliation of ITC available in the books of the company versus ITC available in GSTR 2A/2B. Wrongful/delayed claims of Input GST, Non monitoring of various demands notices/Show cause notices issued by authorities.

iii) In Holding company, Delay in surrender of various Tax deduction account numbers pertaining to closed Divisional offices/branches including merger of their accounts with Regional offices.

iv) In Holding company, Reconciliation of the physical counts of the assets with fixed assets register or manual inventory records needs to be strengthened. Delay in capitalization of assets including physical verification thereof at periodical interval.

v) In Holding company, Inadequate coverage by Internal Audit Department of the Company in respect of various segments of business including reinsurance and health- related claims processed by TPAs

vi) In Holding company, Inadequate controls are observed with regards to non-availability of system generated party wise details and ageing of Reinsurance receivables/payables.

vii) In Holding company, Inadequate controls are observed in respect of the efficiency of accounting software and timely raising of debit advice to Reinsurers.

viii) In Holding company, Delays in accounting of crop related premiums and the issue of policies were observed.

ix) In Holding company, Delays observed in booking & processing of Insurance claims.

x) In Holding company, Inadequate system of monitoring for renewal of lease arrangements at various offices of the company.

xi) In Holding company, The system of reconciliation of coinsurances balances as per ETASS and INLIAS needs to be strengthened as these are not getting reconciled with huge differences.

xii) In Holding company, Process of Identification

और समाधान की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। कंपनी के पास कुछ ऐसी अचल संपत्तियां हैं जिनके मूल हक विलेख या तो रिकॉर्ड में नहीं है या पंजीकरण प्राधिकरणों में लंबित हैं।

xiii) होल्डिंग कंपनी में, हमारे द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उठाए गए प्रश्नों को बंद करने में देरी देखी और प्रश्नों को जोखिम मैट्रिक्स यानी उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम में वर्गीकृत नहीं किया गया।

'महत्वपूर्ण कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय क्षेत्र में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है जैसे कि एक उचित संभावना है कि समूह के वित्तीय विवरण की तथ्यात्मक गलत बयानी को रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, समूह(समूओं) ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तिय नियंत्रण 31 मार्च 2024 को प्रभाव ढंग से काम कर रहे थे, होल्डिंग समूह (समूहों) द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार, समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भी लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, राजस्व खाते तथा समाप्त हो रहे वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते (कैश फ्लो स्टेटमेंट), और वित्तीय विवरणों पर नोट्स जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमने समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमी पर विचार किया है और उपरोक्त पैराग्राफ ''योग्य राय'' में बताई गई भौतिक कमी (i) ने समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय व्यक्त की है। 31 मार्च, 2024 को राजस्व खातों, लाभ और हानि

and resolution of missing title deeds needs improvement. The company has few immovable properties for which either title deeds are not on record or registration with authorities is pending.

xiii) In Holding company, Delays in closure of the queries raised by the Internal Audit Department observed by us and also queries not classified into Risk Matrix i.e. High Risk, Medium Risk and Low Risk.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Group's financial statement will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the possible effects of the material weakness described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Group(s) has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of 31"March, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Holding Group(s) considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

We also have audited, in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, the standalone financial statements of Group, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Revenue Accounts, Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account (Cash Flow Statement) for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

We have considered the material weakness identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the standalone financial statements of the Group, and the material weakness (i) stated in above paragraph "Qualified opinion" has affected

खाते, और रिजर्व और अधिशेष पर उपरोक्त की पुष्टि/मिलान पर समायोजन का परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है और उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

vU; ekeyk

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह एक सहायक कंपनी से संबंधित है, ऐसी सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

our opinion on the standalone financial statements of the Group and we have expressed a qualified opinion on the Standalone Financial Statements. The consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation of above on revenue accounts, profit and loss account, and reserves and surplus as on 31st March, 2024, is not ascertainable and cannot be commented upon.

Other Matter

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013 on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to one subsidiary company is based on the corresponding reports of the auditors of such subsidiary company.

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 008744N
RAJIV KUMAR WADHAWAN
Digitally signed by RAJIV KUMAR WADHAWAN
Date: 2024.05.27 17:26:09 +05'30'
CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCV8879
Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N
GOPAL KRISHAN GUPTA
Digitally signed by GOPAL KRISHAN GUPTA
Date: 2024.05.27 17:30:45 +05'30'
CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN: 24081085BKATUS8126

Lor= y[kkijh{kd dh fjikVZ dk ifjf'k"V&lh
ANNEXURE-C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

foÙkh; o"kZ 2023&24 ¼lefdr foRrh; foojf.k;k½
Financial Year 2023-24 (Consolidated Financial Statements)

foÙkh; o"kZ 2023&24 dh fy, dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh [kM 143¼5½ ds rgr lkfof/kd y[kk ijh{kdksa dk tkjh mi&funsZ'kksa ds mRrj
Replies to the Sub-Directions issued to Statutory Auditors under section 143 (5) of the Companies Act ,2013 for the financial Year 2023-24

Ø-l- S. No.	tkjh fn'kkfunsZ'k Directions issued	tokc Replies
1.	क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली से बाहर खातों की अखंडता पर लेखांकन लेनदेन के वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो, बताएं। Whether the Company has system in place to process all the accounting transaction through IT? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implication, if any, may bestated.	होल्डिंग कंपनी के सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। हालांकि निवेश (एसएपी) से संबंधित लेनदेन, पुनः बीमा खाते (यूएनआईएक्स) और विदेशी कार्यालयों से संबंधित लेनदेन के साथ एकीकृत नहीं हैं। केंद्रीय आईटी प्रणाली यानी, इनलियास (एकीकृत गैर–जीवन बीमा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर) के साथ एकीकृत नहीं है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न उपरोक्त कार्यालयों के ट्रायल बैलेंस का समेकन एक्सेल शीट में किया जाता है। All accounting transactions of holding company are processed through IT systems. However, the transaction pertaining to Investment (SAP), Re- Insurance Accounts (UNIX) and Foreign Offices (Customized Software) are not integrated with the central IT system i.e., INLIAS (Integrated Non-Life Insurance Application Software). Consolidation of aforesaid offices trial balances generatedby respective software is done in excel sheet for preparation of financial statements.
2.	ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/अस्वीकृत करने या विद्यमान ऋण को पुनः गठन के कोई मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों की उचित रूप से गणना की जाती है?(यदि किसी मामले में, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक परीक्षक पर भी लागू होती है) Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write offof debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for*	ए. वर्तमान वर्ष के दौरान ऋण/ऋण/ब्याज के संबंध में वसूली योग्य राशि में 20 लाख रूपए की छूट है। **A.** There is a waiver of Rs. 20 lakhs the amount recoverable in respect of the debts/loan/ interest during the current year. बी. हालांकि, वर्तमान वर्ष के दौरान, 7 मामलों में, कंपनी ने इक्विटी में निवेश में हानि हुई है और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार 9.84 करोड़ रूपए बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। (7 मामले) **B.** However, during the current year, in 7 cases, the company has impaired the investment in Equity and Rs 9.84 Crores has been written off in accordance with Accounting Policy of the Company (7 cases). सी. ऊपर बी में उल्लिखित मामलों का कंपनी की लेखा पुस्तकों में उचित तरीके से लेख–जोखा रखा गया है। **C.** Cases mentioned in B above have been properly accounted in the books of Accounts of the Company.

	(In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company.	
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य राशि की गणना/उपयोग इसके नियमों एवं शर्तों के अनुसार है? विचलन के मामलों की सूची दें। Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ stateagencies were properly accountedfor/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से होल्डिंग कंपनी को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केंद्र सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सब्सिडी का लेखा–जोखा रखा जाता है, जिसका उपयोग वे विशिष्ट योजना के दिशानिर्देश के अनुसार उपयोग करते हैं। विचलन का कोई मामला नहीं हैं। During the year, no subsidy from Central Government orState Government was received. Amount recoverable from government in respect of Subsidy is accounted for as and when received fromCentral government / State Government by the RegionalOffices which they utilize it as per guidelines of the specific scheme. There are no cases of deviation.
4.	कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 1432(5) के अंतर्गत कंपनी के पूरक लेखा जोखा का कार्य सौंपे गए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी कोई अतिरिक्त कंपनी/क्षेत्र विशिष्ट निर्देश Any additional Company / Sector specific directions issued under section 143(5) ofthe Companies Act, 2013 by the Field office entrusted with the supplementary audit of the company.	महानिदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग और कॉरपोरेट मामले) नई दिल्ली के कार्यालय से कंपनी के पूरक लेखा–जोखा का कार्य सौंपे गए वरिष्ठ लेखा–जोखा अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 10 अप्रैल 2024 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 के खंडज्ञ 143(5) के अंतर्गत अतिरिक्त निदेष जारी किए। Senior Audit Officer entrusted with the supplementary audit of the company from the office of Director General of Audit (Industry and Corporate Affairs), New Delhi vide their letter dated 10th April 2024 issued additional direction u/s 143 (5) of the Companies Act 2013.

foÙkh; o"k 2023&24 d fy, dEiuh vf/kfu;e] 2013 d [kM 143¼5½ d vrxZr lkfof/kd y[kk ijh{kdksa dk fun'k tkjh fd;s x;s mi fun'kksa d mÙkj

Replies to the Sub-Directions issued to Statutory Auditors under section 143 (5) ofthe Companies Act ,2013 for the financial Year 2023-24

क्र.सं. S. No.	जारी किए गए उप दिशानिर्देश Sub-Directions Issued	जवाब Replies
1	सीजीएस/एसजीएस/बांड/डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के मूल हक विलेखों की संख्या, भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध, ऐसे मामलों की संख्या जो कंपनी के बहीखातों में दर्शायी गई संबद्ध राशियों के अनुरूप नहीं है, उनकी जांच की जाए तथा कोई मतभेद पाए जाने पर यथोचित रूप से इसकी रिपोर्ट की जाए। Number of titles of ownership a in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc available in physical/ demat form out of these, number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	ए) होल्डिंग कंपनी के बहीखाते में नोट किया गया है तथा इक्विटी और प्राधिमानता शेयरों के संबंध में अभिरक्षक (एसएचसीआईएल) प्रमाण पत्र निम्नानुसार हैं: 1) कंपनी के बही–खातों में अधिकता रु.2 के पुस्तक मूल्य के इक्विटी शेयर 2 स्क्रिप्स 2) कंपनी के बहीखातों में कमी (i) इक्विटी शेयर 25 केस, बुक वैल्यू 25 रु (ii) 16 रुपये के पुस्तक मूल्य के अधिमानित शेयर के 16 मामले बी) सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर आदि के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं। a) Difference has been noted in the Holding Company's books Accounts the custodian's (SHCIL) certificate in respect of equity and Preference shares which are asunder:- 1) Excess in Company's Books - Equity Shares 2 Scrips of Book Value Rs2 2) Short in Company's Books (i) Equity Shares 25 cases Book Value Rs 25 (ii) Preference Shares 16 cases of BookValue of Rs.16 b) No discrepancies observed in respect of CGS/SGS/ Bond/Debenture etc.
2	क्या निवेश नीति विद्यमान है और निवेश क्षेत्रों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रणाली शामिल है और क्या निवेश के संबंध में स्टॉप लॉस सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो सीमा का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो उसका विवरण दें। Whether Investment Policy exists and includes mechanism to review investment portfolios and also whether stop loss limits are prescribed? If yes, whether it was adhered to? If not in existence or not adhered to, details may be given.	चूंकि, इक्विटी स्टॉप लॉस नीति वित्त वर्ष 2022–23 के लिए होल्डिंग कंपनी की निवेश नीति के एक हिस्से के रूप में पेश की गई थी। स्टॉप लॉस सीमाएं 01.04.2022 के बाद की गई निवेश खरीद के संबंध में लागू की जाएंगी, जो दी गई तालिका में दिए गए अनुसार उपरोक्त नीति के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत आती हैं। Since, the Equity Stop Loss Policy was introduced as a part of the Investment Policy of the holding company for F.Y 2022-23 The Stop loss limits is applicable in respect of the investment purchases made w.e.f 01.04.2022 onwards, which fall under the limits specified as per the aforesaid policy as provided in the given table along with number of stocks.

		<table><tr><td></td><td>ट्रिगर स्तर 1 (>=10% और <20%) Trigger level 1(>=10% and <20%)</td><td>ट्रिगर स्तर 2 (>=20: और <35%) Trigger level 2(>=20% and <35%)</td><td>ट्रिगर स्तर 3 (> 35%) Trigger level 3(>=35%)</td></tr><tr><td>स्टॉक की संख्या No. of Stocks</td><td>2</td><td>1</td><td>शून्य / Nil</td></tr></table> कंपनी द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस नीति सीमा का कंपनी के निवेश विभाग द्वारा पालन किया गया है। Stop loss policy limit prescribed by the Company has been adhered to by the Investment operation department of the Company.
3	क्या कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में परिलक्षित अंतः कंपनी शेष राशियों के लिए अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ मिलान किया है? तथा क्या बकाया राशि के लिए अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त कर ली है? Whether Company has carried out reconciliation exercise for inter-company balances reflected in their financial statements with other PSU insurers and whether confirmation has been obtained from other PSU insurers for balances due from them?	होल्डिंग कंपनी में सहबीमा खंड Co-insurance Section in holding Company हाँ, कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणियों में परिलक्षित अंतर के लिए शेष अन्य पीएसयू बीमाकर्ताओं के साथ मिलान की प्रक्रिया की है। कंपनी के क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों ने अन्य बीमा कंपनी द्वारा पुष्टि/अपुष्ट शेष की स्थिति को प्रमाणित किया है। सह बीमा शेष के लिए पुष्टि/अपुष्टि शेष राशि की संकलित विवरण परिशिष्ट सी 1 में दिया गया है। Yes, Company has carried out reconciliation exercise of Co insurances balances for inter-company balances, reflected in their financial statements with other PSU insurers. Regional auditors of the Company have certified the status of the Balances confirmed/ unfirmed by the other Insurance company. Complied statement of Balance confirmed / unconfirmed for Co-insurances balances are given in Annexure C-1 iuchek [kM ए) जीआईसी रे के साथ आतंकवाद पूल और परमाणु पूल के मामले में, इन पूलों के अंतर्गत लेखांकन कंपनी की वित्तीय विवरणियों को अंतिम रूप देने तक जीआईसी री से प्राप्त लेखा विवरणियों के आधार पर किया गया है। आतंकवाद और परमाणु पूल के संबंध में पुनर्बीमा खंड में रुपये 1864.94 करोड़ और 70.40 करोड़ रुपये क्रमशः दिखाई दे रहे हैं, जो जीआईसी री से प्राप्त पुष्टि पर आधारित हैं। बी) पुनर्बीमा खंड की वित्तीय पुस्तकों के अनुसार, ब्रोकर्स और पुनर्बीमाकर्ता से 1191.11 करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं। इसमें से 150.63 करोड़ रुपये की पुष्टि हो गयी। 104.0.48 करोड़ रु. की शेष राशि के लिए हमाने पास कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ग) इसके अलावा, पुनर्बीमा खंड की वित्तीय पुस्तकों के अनुसार रु. 566.74 करोड़ अन्य बीमा कंपनी को देय है जिसके लिए पुष्ट/अपुष्ट का कोई विभाजन हमारी जांच हेतु हमें उपलब्ध नहीं कराया गया।

		उपरोक्त बी और सी में बताई शेष पुष्टि ६ अपुष्ट राशि के पर्याप्त विवरण के अभाव में, हम पुनर्बीमा खंड की पुष्टि ६ अपुष्ट शेष राशि पर कोई टिप्पण ी देने में असमर्थ हैं। तथापि, हमने इस संबंध में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पहले ही अपनी संशोधि ात राय जारी कर दी है। Re-Insurance Section a) In case of Terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re, accounting under these pools has been done based on the Statements of Accounts received from GIC Re till the finalization of financial statements of the Company. Debit balance of Rs. 1864.94 Crore and Rs.70.40 Crore is appearing in Re- insurance Section in respect of Terrorism and Nuclear Pool respectively,which is based Confirmation received from GIC Re. b) As per financial books of Re-insurance section, Rs. 1191.11 Crore is receivable from Brokers and Re-insurer. Out of this ,Confirmation for Rs 150.63 Crore is available and there is no confirmation available for remaining amount of Rs1040.48 Crore to us . c) Further, as per the financial books of Re-insurance section, Rs 564.74 crore is payable to other insurance company for which no bifurcation of confirmed/un- confirmed balances was made available to us for verification. In absence of adequate details of balances confirmed /un-confirmed of amount disclosed in b and c above, we are unable to offer any comment on the confirmed/ un-confirmed balances of Re-insurance section. However, we have already issued our modified opinionin our Audit report with regards to this matter.
4	क्या कंपनी के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया है? Whether entire input tax credit (ITC) available on GST portal in respect of the company has been availed within prescribed time limits.	ए) 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के पास 168.45 करोड़ रूपए की जीएसटी इनपुट क्रेडिट है, जिसका दावा 31 मार्च 2024 तक जीएसटी रिटर्न में नहीं किया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, 2बी बनाम 3बी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बाद कंपनी द्वारा 31 अक्तूबर 2024 तक पात्र आईटीसी का दावा किया जाएगा। (अनुसूची 16 के नोट संख्या बी 25 का संदर्भ लें) बी) होल्डिंग कंपनी महीने दर महीने उपलब्ध वास्तविक चालान के आधार पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठा रही है। कुछ कार्यालयों में जीएसटी आर–2बी के साथ चालान वार सामंजस्य एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जबकि कुछ कार्यालयों में इसे मेन्युअल रूप से किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने में देरी होती है। लंबित सुलह के कारण कुछ चालानों पर इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है और प्रबंधन का मानना

		है कि 2023–24 के दौरान उठाए गए चालान के लिए 30 अक्तूबर 2024 तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। सी) उपरोक्त के पद्देनजर जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में प्रथम दृष्टया देरी हो रही है, हालांकि इसे मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि जीएसटी का संपूर्ण अनुपालन क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विकेंद्रीकृत है। a) As at 31st March 2024, the holding company has unclaimed GST Input credit for Rs. 168.45 Crore which has not been claimed in GST return till March 31, 2024. As explained to us, eligible ITC shall be claimed by the Company till 31st October 2024 after reconciliation with 2B Vs 3B. (Refer note no B 25 of schedule 16) b) The Holding Company is availing GST input credit based on actual invoices available on a month on month basis. Invoice wise reconciliation with GSTR-2B is carried out through a system in some of the offices whereas in some of the offices the same are carried out manuallyresulting in delay in availing GST input credit. Input credit is not claimed on certain invoices due to pending reconciliation and management is of the opinion that the same can be availed by 30th Oct 2024 for invoice raised during 2023-24. c) In view of above there is prima facie delay in availment of input tax credit as available in GST portal, However the same cannot be quantified as the entire compliance of GST is decentralized at Regional office level.
5	क्या लेखा/एमआईएस या अन्य तंत्र की पर्याप्तता के बारे में रिपोर्टिंग की जाती है जिसके द्वारा संधि–वार या वैकल्पिक व्यवस्था–वार प्रदर्शन (प्रीमियम सौंपे गए/स्वीकृत, उस पर दावे और कमीशन–मध्यस्थों/हस्तांतरकों को सभी पुरस्कार और पारिश्रमिक सहित) का मूल्यांकन पुनर्बीमा परिचालन में लगे सभी विभिन्न खंडों, भौगोलिक क्षेत्रों और विभागों में किया जाता है।	कंपनी के पास बोड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा और प्रतिधारण नीति है जिसके आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम को भी कंपनी के बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है और उसके बाद उसे पुनर्बीमा विनियमों के अनुपालन के लिए आईआरडीएआई को प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम को इनलियास लाइव सिस्टम के पुनर्बीमा मॉडयूल में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक जोखिम की अंडरराइटिंग आरआई सेटअप के अनुसा की जाती है और स्वचालित क्षमताओं से परे जोखिमों को वैकल्पिक रूप से रखा जाता है। जीयूसी विभाग बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरआई कार्यक्रम के अनुसार संपूर्ण आनुपातिक अंडराइटिंग करता है। गैर–आनुपातिक हानि की अधिकता संधियॉ कंपनी के शुद्ध खाते की रक्षा करती हैं और आवश्यकतानुसार वसूली की जाती है। इनलियास में प्रीमियम, कमीशन, भुगतान किए गए दावों और बकाया दावों का लेखा–जोखा अनुमोदित आरआई कार्यक्रम पर आधारित है।

	Whether reporting as to the adequacy of accounting/MIS or other mechanism by which treaty-wise or facultative arrangement-wise performance (premium ceded/accepted, claims thereon and commission-including all rewards and remuneration to intermediaries/cedants) is assessed in all different segment, geographies anddepartments engagedinreinsurance operations.	The Holding Company has a Board approved Reinsurance and Retention Policy based on which the Reinsurance Programme is designed before thecommencement of every financial year. The final reinsurance programme is also put up to the company's board for approval and subsequent to which the same is submitted to IRDAI for complianceof reinsurance regulations. The board approved reinsurance programme is entered in the reinsurance module of INLIAS live system. The underwriting of each and every risk is done as per the RI setup and the risks beyond the automatic capacities are facultatively placed. The GUC Deptt. does the entire proportional underwriting as per the board approved RI programme. The non-proportional excess of loss treaties protects the company's net account and recoveries are being done as per requirement. The accounting of premium, commission, paid claims and outstanding claims in the INLIAS based on the approved RI program

जी.एस. माथुर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 008744एन

सीए राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं.091007
यूडीआईएनः 24091007बीकेसीएफसीवी8879
नई दिल्ली
दिनांक 27 मई 2024

For G.S. Mathur & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 008744N
RAJIV KUMAR WADHAWAN Digitally signed by RAJIV KUMAR WADHAWAN Date: 2024.05.27 17:26:09 +05'30'
CA Rajiv Kumar Wadhawan
PARTNER
Membership No. 091007
UDIN : 24091007BKCFCV8879
Place : NEW DELHI
Dated : 27th May 2024

राज हर गोपाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नंबर 0002074एन

सीए गोपाल कृष्ण
साझेदार
सदस्यता सं.081085
यूडीआईएनः24081085बीकेएटीयूएस8126

For Raj Har Gopal & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN No. 0002074N
GOPAL KRISHAN GUPTA Digitally signed by GOPAL KRISHAN GUPTA Date: 2024.05.27 17:30:45 +05'30'
CA Gopal Krishan
PARTNER
Membership No. 081085
UDIN: 24081085BKATUS8126

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-II/12(1)/वार्षिक लेखापरीक्षा
(2023-24)/ओआईसीएल/सीएफ़एस(2024-25)/231-232
दिनांक: 23 SEP 2024

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड,
टावर 4, प्लेट ए, एनबीसीसी बिल्डिंग,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110 023

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों (Consolidated Financial Statements) पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है ।

भवदीया,

एस. ए. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of Consolidated Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with Section 129(4) of the Act, is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with Section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the Consolidated Financial Statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) read with Section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of The Oriental Insurance Company Limited (the Company) and Health Insurance TPA of India Limited (the Associate) but did not conduct supplementary audit of the financial statements of The Industrial Credit Company Limited (the subsidiary) for the year ended on that date. Further, Section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to India International Insurance Pvt. Limited, Singapore, being private entity incorporated in foreign country under the respective laws for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) read with Section 129(4) of the Act, which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the consolidated financial statements and the related audit report:

A. Comments on Consolidated Profitability

A.1 Consolidated Balance Sheet

Current Liabilities (Schedule 13)	**: ₹25,039.13 crore**
Net Claims Incurred (Schedule 2)	**: ₹15,719.62 crore**
Net claims outstanding at the end current year (Misc.)	**: ₹18,020.58 crore**

As per the Accounting Policy No. 9 (D) of the company net IBNR/ IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves. Review of the conversion of gross IBNR to ceded/net IBNR/IBNER revealed that:

(i) The company has booked gross IBNR/IBNER in Motor TP (non-pool) line of business of ₹7,169.19 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹501.84 crore and ₹6,667.35 crore instead of ₹690.20 crore and ₹6,478.99 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 9 (D) of the company.

(ii) The company has booked gross IBNR/IBNER in crop line of business amounting to ₹317.03 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹12.68 crore and ₹304.35 crore instead of ₹46.18 crore and ₹270.85 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 9 (D) of the company.

This has resulted in overstatement of current liabilities, claims incurred (net) and understatement of profit for the year by ₹221.86 crore (₹188.36 crore[1] *plus* ₹33.50 crore[2]).

No corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.3 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 & 2022-23.

A.2 Consolidated Balance Sheet

Provision (Schedule 14)	**: ₹8,896.16 crore**
Reserve for Unexpired Risk	**: ₹7,357.63 crore**

The above includes ₹458.65 crore being the Unearned Premium Reserve (UPR) created for the premium received in 2023-24 against the policies issued for the year(s), prior to 2023-24 (i.e., up to 2022-23) and risks for which have already been expired during 2023-24.

IRDA circular dated 03.07.2013 and IRDA circular dated 04.04.2016 stipulate that in preparing financial statements, Unexpired Risk Reserve/Reserve for Unexpired Risk (RUR) shall be the amount representing that part of premium written which is attributable to and to be allocated to

[1] ₹6,667.35 crore *minus* ₹6,478.99 crore

[2] ₹304.85 crore *minus* ₹270.85 crore

the succeeding accounting periods. Accordingly, Accounting Policy No. 8.3, *inter alia*, stipulates that RUR represents the net premium attributable to succeeding accounting year(s).

However, in respect of cases pointed out by audit, policy period has already expired up to 2023-24, thus no UPR should have been created against these policies.

Creation of UPR on the policies, risks for which have already been expired up to 31 March 2024 has resulted in overstatement of Reserves for unexpired risk and understatement of Profit for the year by ₹458.65 crore each.

Further, Note No. 24, *inter alia*, states that during the year premium received against the policy *whose risk expired on or before the year* end has been recognized as premium income of the company. However, there were cases of risks corresponding to net premium booked for ₹917.30 crore (having RUR impact of ₹458.65 crore as aforesaid) where entire premium was not treated as premium income of the company as RUR was made on such premium. Hence, the Note no 24 is deficient to that extent.

No corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.1 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 and 2022-23.

A.3 Consolidated Balance Sheet

Provision (Schedule 14)	**: ₹8,896.16 crore**
Reserve for Unexpired Risk	**: ₹7,357.63 crore**
Miscellaneous Insurance Revenue Account	
Total Premium Earned (Net)	**: ₹14,904.29 crore**
Premium from Direct Business	**: ₹16,612.46 crore**

(i) As per Accounting Policy No. 8.1 read with Accounting Policy No. 8.3 framed in consonance with IRDA circulars dated 03.07.2013 and dated 04.04.2016 premium is required to be booked in the year of assumption of risk and Reserve for Unexpired Risk (RUR) is to be created for premium attributable to succeeding accounting year(s).

The company underwrote business in 12 Districts under 3 clusters (II, IV & IX) in Dr. YSR free Crop Insurance under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana floated by AP State Agriculture Department for Rabi 2023-34 season under 80:110 Model. In line with commitment as per bid documents, State Govt shared (30 March 2024) the confirmation of premium data (e-crop data) providing gross premium details of ₹140.96 crore. However, out of the total risk assumed by the company under aforesaid 3 clusters corresponding to total premium of ₹140.96 crore, the company booked a premium of ₹41.86 crore only in r/o two clusters only viz. Cluster IV & IX leading to short-booking

of gross premium to the tune of ₹99.10 crore (₹140.96 crore *less* ₹ 41.86 crore) and net premium of ₹95.14 crore (after applicable cession of four *per cent* of gross premium). Consequently, the corresponding RUR has also not been booked.

This has resulted in understatement of Premium from direct business by ₹99.10 crore and Premium Earned (Net) by ₹95.14 crore (after applicable cession of 4 *per cent* of gross premium). This has also resulted in understatement of RUR and understatement of profit for the year by ₹47.57 crore each.

(ii) The above includes an amount of ₹816.04 crore being premium for risk assumed during the previous year but have been booked as Premium income by the company. As per Accounting Policy No. 8.1, premium are recorded, net of reinsurance, based on the assumption of risks in each related revenue account.

In certain cases, the company has booked premium on the basis of actual receipt/due date basis instead of risk assumption basis in violation of its Accounting Policy No. 8.1. Resultantly, an amount of ₹816.04 crore (SBI GPA-₹538.97 crore, Ayushman Bharat-₹240.10 crore & Medisep- ₹36.97 crore) was booked as premium income of current year despite of the fact that risk was incepted and assumed during previous year 2022-23 requiring booking of premium in previous year itself instead of current year as per Accounting Policy No. 8.1.

Thus, booking of premium on actual receipt basis is also not in line with Accounting Policy No. 8.1 read with Accounting Policy No. 3: 'Accounting Convention', *inter alia*, stipulates that the Financial Statement are drawn up on accrual basis comply with the accounting standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013.

Non-adherence to the Accounting Policy No. 8.1 as above has resulted in overstatement of 'Premium from direct business by ₹816.04 crore. This has also resulted in overstatement of 'Net Premium' and profit for the year 2023-24 by ₹525 crore[3].

A.4 Consolidated Balance Sheet

Net Claims Incurred (Schedule 2)	**: ₹15,719.62 crore**
Claims Outstanding at the end of current year (Direct)	**: ₹23,852.55 crore**
Claims Outstanding at the end of current year (Misc.)	**: ₹20,191.91 crore**

The above does not include an amount of ₹8.85 crore being outstanding claims in respect of seven incoming Group Mediclaim Policies which were intimated to the Company till 31 March 2024.

[3] Ayushman Bharat (₹240.10 crore) + Medisep (₹36.97 crore) + SBI GPA (₹247.93 crore i.e., 46% * ₹538.97 crore)

This has resulted in understatement of Claims outstanding at the end of current year and overstatement of profit by ₹8.85 crore each.

B Comments on Consolidated Financial Position

B.1 Consolidated Balance Sheet

Current Liabilities (Schedule 13)	**: ₹25,039.13 crore**
Net Claims Incurred (Schedule 2)	**: ₹15,719.62 crore**
Claims Outstanding at the end of current year (Direct)	**: ₹23,852.55 crore**

The above represents claims outstanding at year end amounting to ₹14,727.95 crore (₹2,749.37 crore in Fire, ₹810.15 crore in Marine & ₹11,168.43 crore in Misc Segment) and ₹9,124.60 crore towards IBNR/IBNER (₹38.88 crore in Fire, ₹62.24 crore in Marine & ₹9,023.48 crore in Misc Segment) in respect of direct business.

The company, however, has booked the claim liability for ₹19,672 crore only in Current Liabilities (Schedule 13) after netting off Reinsurance (RI) adjustments instead of booking RI recovery separately in Schedule 12. This was not in order considering that direct business and reinsurance cession are separate business being governed by different contracts and applicable laws & regulations and having altogether different parties and clear time lag in payment to insured(s) and recovery/settlement thereof from the re-insured(s). Also, this was not in line with the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 providing separate line item for recovery from other insurance companies (including reinsurers) at point no 5 in Schedule 12 of the format prescribed in the regulation.

This has resulted in understatement of Current Liabilities (Schedule 13) and Advances & other Assets (Schedule 12) by ₹4,180.55 crore each with resultant impact of incorrect depiction of 'Liquid Assets to Liabilities Ratio' in Note No. 16.14 as 0.17.

B.2 Consolidated Balance Sheet

Schedule 8: Investment – Shareholders	**: ₹ (5,340.40) crore**
Schedule 8A: Investment – Policyholders	**: ₹34,667.12 crore**
Fair value change account:	
Shareholders	**: ₹ (1,615.65) crore**
Policyholders	**: ₹10,487.99 crore**

Section 11(2) of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 mandates that every insurer shall keep separate funds of shareholders and policyholders. In this regard, a reference is invited to IRDAI's circular dated 4th April 2016 on IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 which at para 1(iii) stipulates that "*Investment made out of the policyholders funds shall be shown in separate Schedule 8A and fair value change account as appears in the Balance Sheet shall*

accordingly be bifurcated under the shareholders and policyholders funds. Further, the component of policy holder fund and shareholders' fund are also defined. Para 2 of said circular on Recoupment of the Deficit stipulates that *"Every Insurer shall ensure that the policyholders' fund as defined in 1 (iii) above, are fully supported by the policyholders' investments shown in Schedule-8A. Therefore, any deficit / shortfall in policyholders' investments arising out of the loss in the Revenue Account or otherwise shall be recouped by transfer of securities from the shareholders' investments to the policyholders' investments on a half yearly basis. The valuation of such securities shall be in accordance* with *the valuation norms as specified in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report) Regulations, 2002".*

In compliance to the above circular, the Company has been bifurcating the total Investment and Fair Value Change Account of the Company between the shareholders and policyholders based on the ratio of the *shareholders' and policyholders' funds* derived based on above stated circular. Due to net worth of the Company being negative for FY 2023-24, shareholders' fund has negative balance of ₹3,831.18 crore and policyholders' fund has balance of ₹24,875.31 crore and resultantly, ratio for bifurcation of investment between shareholder and policyholder comes out to (-) 18.21% and 118.21% respectively.

In view of the above, total investment of the Company amounting to ₹29,326.72 crore as on 31 March 2024 was bifurcated between shareholder and policyholder as ₹(5,340.40) crore and ₹34,667.12 crore respectively. Due to this, shareholders' Investment is shown as negative investment and policyholder' Investment is shown at an amount greater than the total investment of the Company. Resultantly, Investment for shareholder (Schedule-8) and policyholder (Schedule-8A) are understated and overstated to the extent of ₹5,340.40 crore respectively. Also, Fair Value Change Account in respect of shareholder and policyholder is also understated and overstated to the extent of ₹1,615.65 crore respectively. It is also pertinent to note that owing to policyholders' fund being greater than even total investment as on 31.03.2024, the Fair Value Change Account of the policyholders' Fund is showing the figure of unrealized gains even greater than unrealized gains of entire investment portfolio of the company.

Despite the issue being addressed through Management Letter during Supplementary Audit for the year 2022-23, no compliance has been made by the Company.

B.3 Consolidated Balance Sheet
Current Liabilities (Schedule 13)
Sundry Creditors : ₹3,555.99 crore

1. A reference is invited to point no. 2.A.8 in Schedule-16 " Basis of Consolidation" wherein it is mentioned that "The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the company i.e. **31 March 2023**, except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate for which financial statements are drawn as on **31 Dec 2021,** which is factually incorrect as the date should have been 31 March 2024 and 31 Dec 2023 respectively.

2. A reference is invited to Note no. 1A forming part of Notes to Accounts of consolidated financial statements wherein it is stated that share of India International Insurance PTE Ltd. in Consolidated loss for 2022-23 is ₹15,63,15 thousand which is factually incorrect as the share of India International Insurance PTE Ltd. in consolidated loss for 2022-23 was ₹15,49,14 thousand instead of ₹15,63,15 thousand.

3. A reference is invited to Note no. 52 forming part of Notes to Accounts of consolidated financial statements wherein it is stated "Due to losses, the Company's net worth becomes negative at the end of F.Y. 2023-24 and because of this, Shareholders' share in Investment and Fair Value Change account is showing negative Balance of ₹52,44,69,00 thousand and ₹16,15,65,29 thousand respectively, which is subject to change in future based on the future financial result of the Company". The disclosure is factually incorrect as the Shareholders' share in Investment was ₹53,40,39,59 thousand instead of ₹52,44,69,00 thousand.

The issue was raised through Management Letter during the previous year (2022-23), however, no compliance was made by the Company.

D Comments on Statutory Audit Report on Consolidated Financial Statements

Independent Auditor's Report on Financial Statements for the year ended 31 March 2024

In the 'Basis of Qualified Opinion' section of the Independent Auditor's Report, deficient Accounting Policy No. A-13.6 on impairment of equity shares of the company has been qualified by the Statutory Auditors without disclosing the quantification of the financial effect of the same. The issue of deficient accounting policy along with its impact of ₹77.56 crore was highlighted by CAG of India, vide comment no. C1 & A3 during supplementary audit for the year 2019-20 & also the impact of non-recognition of impairment amounting to ₹173.53 crore was qualified by Statutory Auditors in their report on the financial statement of the Company for the year 2020-21. In this regard,

Audit observed that though the deficiency of accounting policy as well as impairment in seven of the scrips were persisting having material effect of understatement of Fair Value Change Account and overstatement of profit for the year by ₹48.04 crore, which has not been highlighted by the Statutory Auditors in their report dated 27 May 2024.

Non-quantification of financial impact has resulted in non-compliance to Para 21 of the SA 705 (Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report) which stipulates that if there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements (including quantitative disclosures in the notes to the financial statements), the auditor shall include in the Basis for Opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement, unless impracticable. If it is not practicable to quantify the financial effects, the auditor shall so state in this section.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 23 SEP 2024

lh, th voykdu ¼lh,Q, l½	çc/ku dk tokc
ए. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ ए.1 समेकित तुलन पत्र वर्तमान देयताएं (अनुसूची 13) : रू.25,039.13 करोड़ निवल दावें (अनुसूची 2) : रू.15,719.62 करोड़ वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया निवल दावें (विविध) : रू.18,020.58 करोड़ कंपनी की लेखा नीति संख्या 9 (डी) के अनुसार निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर की गणना सकल दावा आरक्षित निधियों में सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर के प्रतिशत के रूप में की जाती है। सकल आईबीएनआर को अर्पित/निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर में रूपांतरण की समीक्षा से पता चला कि: (i) कंपनी ने बीमांकक स्पष्टीकरण के अनुरूप मोटर टीपी (गैर–पूल) व्यवसाय में रू.7,169.19 करोड़ का सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर दर्ज किया है और उसे अपर्ण आईबीएनआर/आईबीएनईआर में परिवर्तित कर दिया तथा कंपनी की लेखा नीति संख्या 9 (डी) के अनुसार निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर की राशि क्रमशः रू.690.20 करोड़ और रू.6,478.99 करोड़ के स्थान पर रू.501.84 करोड़ और रू.6,667.35 करोड़ थी। (ii) कंपनी ने बीमांकक स्पष्टीकरण के अनुरूप फसल लाइन ऑफ बिजनेस में 317.03 करोड़ रुपये की सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर दर्ज की है और उसे अपर्ण आईबीएनआर/आईबीएनईआर में परिवर्तित कर दिया तथा कंपनी की लेखा नीति संख्या 9 (डी) के अनुसार क्रमशः 46.18 करोड़ रुपये और 270.85 करोड़ रुपये के स्थान पर 12.68 करोड़ रुपये और 304.35 करोड़ रुपये की निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर राशि को परिवर्तित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों, दावों (निवल) को अधिक दर्शाया गया है और वर्ष के लिए लाभ को रू.221.86 करोड़ (रू.33.50 करोड़ सहित रू.188.36 करोड़) कम दर्शाया गया है।	मोटर टीपी और फसल के लिए सकल आईबीएन (ई)आर को निवल आईबीएन (ई)आर में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को वित्तीय विवरणों में देयता के बेहतर प्रतिबिंब के लिए अपनाया गया था। प्रबंधन ने इस अवलोकन को नोट किया है, और आगे बढ़ते हुए, लेखांकन नीति के खंड 6 (डी) को मोटर टीपी और फसल व्यवसाय क्षेत्रों के लिए सकल आईबीएन (ई)आर को निवल आईबीएन (ई)आर में परिवर्तित करने के लिए विभेदक पद्धति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।
इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या ए.3 के माध्यम से उपरोक्त मुद्दे को दर्शाया गया था।	

CAG Observations(CFS)	Management reply
A. Comments on Consolidated Profitability A.1 Consolidated Balance Sheet Current Liabilities (Schedule 13) : ₹25,039.13 crore Net Claims Incurred (Schedule 2) : ₹15,719.62 crore Net claims outstanding at the end current year (Misc.) : ₹18,020.58 crore As per the Accounting Policy No. 9 (D) of the company net IBNR/ IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves. Review of the conversion of gross IBNR to ceded/net IBNR/IBNER revealed that: (i) The company has booked gross IBNR/IBNER in Motor TP (non-pool) line of business of ₹7,169.19 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹501.84 crore and ₹6,667.35 crore instead of ₹690.20 crore and ₹6,478.99 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 9 (D) of the company. (ii) The company has booked gross IBNR/IBNER in crop line of business amounting to ₹317.03 crore in line with actuarial certification and converted the same into cession IBNR/IBNER and net IBNR/IBNER amounting to ₹12.68 crore and ₹304.35 crore instead of ₹46.18 crore and ₹270.85 crore respectively worked out in terms of Accounting Policy No. 9 (D) of the company. This has resulted in overstatement of current liabilities, claims incurred (net) and understatement of profit for the year by ₹221.86 crore (₹188.36 crore plus ₹33.50 crore). No corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.3 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 & 2022-23.	The differential approach to converting Gross IBN(E)R to Net IBN(E)R for Motor TP and Crop was adopted for better reflection of liability in the financial statements. Management has noted this observation, and going forward, clause 6(d) of the accounting policy will be suitably amended to clearly outline the differential treatment for converting Gross IBN(E)R to Net IBN(E)R for the Motor TP and Crop lines of business.

ए.2 समेकित तुलन पत्र प्रावधान (अनुसूची 14) : रू.8,896.35 करोड़ असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि : रू.7,357.63 करोड़ उपरोक्त में रू.458.65 करोड़ शामिल हैं, जो 2023–24 से पहले (अर्थात 2022–23 तक) वर्ष के लिए जारी पॉलिसियों के विरुद्ध 2023–24 में प्राप्त प्रीमियम के लिए बनाया गया अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) है, तथा वे जोखिम जिनके लिए 2023–24 के दौरान पहले ही समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आईआरडीए के दिनांक 03.07.2013 के परिपत्र और आईआरडीए के दिनांक 04.04.2016 के परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय, असमाप्त जोखिम रिजर्व/असमसाप्त जोखिम के लिए रिजर्व (आरयूआर) लिखित प्रीमियम के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि होगी जो बाद की लेखा अवधि के लिए देय और आवंटित की जानी है। तदनुसार, लेखांकन नीति संख्या 8.3, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्धारित करती है कि आरयूआर आगामी लेखांकन वर्ष(वर्षों) के लिए देय निवल प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों के संबंध में, पॉलिसी अवधि 2023–24 तक पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन पॉलिसियों के विरुद्ध कोई यूपीआर नहीं बनाया जाना चाहिए था। उन पॉलिसियों पर यूपीआर के सृजन, जिनके जोखिम 31 मार्च 2024 तक पहले ही समाप्त हो चुके हैं, के परिणामस्वरूप असमाप्त जोखिम के लिए रिजर्व को अधिक दर्शाया गया है और वर्ष के लिए लाभ को 458.65 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया है । इसके अलावा, नोट संख्या 24 में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि वर्ष के दौरान पॉलिसी के विरुद्ध प्राप्त प्रीमियम जिसका जोखिम वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो गया है, को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में मान्यता दी गई है। यद्यपि, रू.917.30 करोड़ (पूर्वोक्त अनुसार रू.458.65 करोड़ का आरयूआर प्रभाव) के लिए बुक किए गए निवल प्रीमियम के अनुरूप जोखिम के मामले थे, जहां संपूर्ण प्रीमियम को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में नहीं माना गया क्योंकि ऐसे प्रीमियम पर आरयूआर बनाया गया था। इसलिए, नोट संख्या 24 उस सीमा तक अपर्याप्त है। इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या ए.1 के माध्यम से उपरोक्त मुद्दे को दर्शाया गया था।	कंपनी द्वारा किया गया यूपीआर प्रावधान आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/49/मार्च–09 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 के अनुरूप है, जिसका पिछले कई वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और यह क्रम में है। तथापि, 1/365 पद्धति के तहत यूपीआर की गणना के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और यह अभी परीक्षण चरण में है। परीक्षण की जांच पूर्ण होने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

A.2 Consolidated Balance Sheet Provision (Schedule 14) : ₹8,896.35 crore Reserve for Unexpired Risk : ₹7,357.63 crore The above includes ₹458.65 crore being the Unearned Premium Reserve (UPR) created for the premium received in 2023-24 against the policies issued for the year(s), prior to 2023-24 (i.e., up to 2022-23) and risks for which have already been expired during 2023-24. IRDA circular dated 03.07.2013 and IRDA circular dated 04.04.2016 stipulate that in preparing financial statements, Unexpired Risk Reserve/Reserve for Unexpired Risk (RUR) shall be the amount representing that part of premium written which is attributable to and to be allocated to the succeeding accounting periods. Accordingly, Accounting Policy No. 8.3, inter alia, stipulates that RUR represents the net premium attributable to succeeding accounting year(s). However, in respect of cases pointed out by audit, policy period has already expired up to 2023-24, thus no UPR should have been created against these policies. Creation of UPR on the policies, risks for which have already been expired up to 31 March 2024 has resulted in overstatement of Reserves for unexpired risk and understatement of Profit for the year by ₹458.65 crore each. Further, Note No. 24, inter alia, states that during the year premium received against the policy whose risk expired on or before the year end has been recognized as premium income of the company. However, there were cases of risks corresponding to net premium booked for ₹917.30 crore (having RUR impact of ₹458.65 crore as aforesaid) where entire premium was not treated as premium income of the company as RUR was made on such premium. Hence, the Note no 24 is deficient to that extent. No corrective action has been taken by the Company in this regard despite the fact that above issue was highlighted vide comment no. A.1 on the financial statements of the Company for the year 2021-22 and 2022-23.	The UPR provision made by the Company is in accordance with the IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/49/Mar-09 and Company's Significant Accounting Policy no 5.3 which is being followed consistently since last many years and the same is in order. However, the Road map for working out UPR under 1/365 method has been prepared and is currently under testing stage. It will be implemented after the testing is fully vetted.

₹6,667.35 crore minus ₹6,478.99 crore ₹304.85 crore minus ₹270.85 crore	
ए.3 समेकित तुलन पत्र प्रावधान (अनुसूची 14) : रू. 8,896.35 करोड़ असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि : रू. 7,357.63 करोड़ विविध बीमा राजस्व खाता कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) : रू. 14,904.29 करोड़ प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम : रू. 16,612.46 करोड़ (i) आईआरडीए के दिनांक 03.07.2013 और दिनांक 04.04. 2016 के परिपत्रों के अनुरूप तैयार की गई लेखांकन नीति संख्या 8.3 के साथ पठित लेखांकन नीति संख्या 8.1 के अनुसार, प्रीमियम को जोखिम की धारणा के वर्ष में दर्ज किया जाना आवश्यक है और आगामी लेखांकन वर्ष(वर्षों) के लिए प्रीमियम हेतु असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व (आरयूआर) बनाया जाना है । कंपनी ने 80:110 मॉडल के तहत एपी राज्य कृषि विभाग द्वारा रबी 2023–24 अवधि के लिए जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डॉ वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा में 3 समूहों (II, IV और IX) के तहत 12 जिलों में कारोबार किया। बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रतिबद्धता के अनुरूप, राज्य सरकार ने (30 मार्च 2024) रू.140.96 करोड़ के सकल प्रीमियम का विवरण प्रदान करते हुए प्रीमियम डेटा (ई–फसल डेटा) की पुष्टि साझा की। हालांकि, रू.140.96 करोड़ के कुल प्रीमियम के अनुरूप उपरोक्त 3 क्लस्टरों के तहत कंपनी द्वारा उठाए गए कुल जोखिम में से, कंपनी ने केवल दो समूहों अर्थात समूह IV और IX के संबंध में रू.41.86 करोड़ का प्रीमियम दर्ज किया, जिससे रू.99.10 करोड़ (रू.41.86 करोड़ घटाकर रू.140. 96 करोड़) के सकल प्रीमियम की शॉर्ट–बुकिंग हुई।) और निवल प्रीमियम रू. 95.14 करोड़ (सकल प्रीमियम के चार प्रतिशत के लागू अपर्ण के बाद)। परिणामस्वरूप, संबंधित आरयूआर भी बुक नहीं किया गया है।	कंपनी द्वारा तैयार किया गया यूपीआर प्रावधान आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/49/मार्च–09 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5.3 के अनुरूप है, जिसका पिछले कई वर्षों से लगातार पालन किया जा रहा है और यह क्रम में है। यद्यपि, 1/365 पद्धति के तहत यूपीआर की गणना के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और यह अभी परीक्षण चरण में है। परीक्षण पूर्ण होने के बाद इसे क्रियान्वित किया जाएगा।
इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम में रू.99. 10 करोड़ और अर्जित प्रीमियम (निवल) में रू.95.14 करोड़ (सकल प्रीमियम के 4 प्रतिशत की लागू कटौती के बाद) की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आरयूआर और लाभ में भी रू.47.57 करोड़ की कमी आई है ।	

A.3 Consolidated Balance Sheet **Provision (Schedule 14) : ₹8,896.35 crore** **Reserve for Unexpired Risk : ₹7,357.63 crore** **Miscellaneous Insurance Revenue Account** **Total Premium Earned (Net) : ₹14,904.29 crore** **Premium from Direct Business : ₹16,612.46 crore** (i) As per Accounting Policy No. 8.1 read with Accounting Policy No. 8.3 framed in consonance with IRDA circulars dated 03.07.2013 and dated 04.04.2016 premium is required to be booked in the year of assumption of risk and Reserve for Unexpired Risk (RUR) is to be created for premium attributable to succeeding accounting year(s). The company underwrote business in 12 Districts under 3 clusters (II, IV & IX) in Dr. YSR free Crop Insurance under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana floated by AP State Agriculture Department for Rabi 2023-34 season under 80:110 Model. In line with commitment as per bid documents, State Govt shared (30 March 2024) the confirmation of premium data (e-crop data) providing gross premium details of ₹140.96 crore. However, out of the total risk assumed by the company under aforesaid 3 clusters corresponding to total premium of ₹140.96 crore, the company booked a premium of ₹41.86 crore only in r/o two clusters only viz. Cluster IV & IX leading to short-booking of gross premium to the tune of ₹99.10 crore (₹140.96 crore less ₹ 41.86 crore) and net premium of ₹95.14 crore (after applicable cession of four per cent of gross premium). Consequently, the corresponding RUR has also not been booked.	The UPR provision made by the Company is in accordance with the IRDAI Circular No. IRDA/F&A/CIR/49/Mar-09 and Company's Significant Accounting Policy no 5.3 which is being followed consistently since last many years and the same is in order. However, the Road map for working out UPR under 1/365 method has been prepared and is currently under testing stage. It will be implemented after the testing is fully vetted.
This has resulted in understatement of Premium from direct business by ₹99.10 crore and Premium Earned (Net) by ₹95.14 crore (after applicable cession of 4 per cent of gross premium). This has also resulted in understatement of RUR and understatement of profit for the year by ₹47.57 crore each.	

(ii) उपरोक्त में पिछले वर्ष के दौरान ग्रहण किए गए जोखिम के लिए प्रीमियम के रूप में रू.816.04 करोड़ की राशि शामिल है , लेकिन कंपनी द्वारा इसे प्रीमियम आय के रूप में दर्ज किया गया है। लेखा नीति संख्या 8.1 के अनुसार, प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की धारणा के आधार पर, पुनर्बीमा के बाद प्रीमियम दर्ज किया जाता है। कुछ मामलों में, कंपनी ने अपनी लेखा नीति संख्या 8.1 का उल्लंघन करते हुए जोखिम धारणा के बजाय वास्तविक प्राप्तिध्देय तिथि के आधार पर प्रीमियम बुक किया है। परिणामस्वरूप, रू.816.04 करोड़ (एसबीआई जीपीए– रू.538.97 करोड़, आयुष्मान भारत– रू.240.10 करोड़ और मेडिसेप– रू.36.97 करोड़) की राशि को वर्तमान वर्ष की प्रीमियम आय के रूप में बुक किया गया, जबकि लेखा नीति संख्या 8.1 के अनुसार जोखिम पिछले वर्ष 2022–23 के दौरान आरंभ और ग्रहण किया गया था, जिसके लिए वर्तमान वर्ष के बजाय पिछले वर्ष में ही प्रीमियम बुक करना आवश्यक था। इस प्रकार, वास्तविक प्राप्ति के आधार पर प्रीमियम की बुकिंग भी लेखांकन नीति संख्या 8.1 के साथ पठित लेखांकन नीति संख्या 3: 'लेखा परिपाटी' के अनुरूप नहीं है । अन्य बातों के साथ–साथ , यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाएंगे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगे। उपरोक्त लेखा नीति संख्या 8.1 का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम को रू.816.04 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है और 'पूर्व अवधि आय' को रू.816.04 करोड़ से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए 'निवल प्रीमियम' को भी रू.525 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।	
ए.4 समेकित तुलन पत्र निवल दावें (अनुसूची 2) : रू.15,719.62 करोड़ वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया दावें (प्रत्यक्ष) : रू.23,852.55 करोड़ वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया दावें (विविध) : रू.20,191.91 करोड़ उपरोक्त में सात आने वाली ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसियों के संबंध में बकाया दावों के रूप में रू.8.85 करोड़ की राशि शामिल नहीं है , जिसके बारे में कंपनी को 31 मार्च 2024 तक सूचित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया दावों को कम दर्शाया गया तथा लाभ को रू.8.85 करोड़ अधिक दर्शाया गया	सीएजी की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2024–25 में उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ii) The above includes an amount of ₹816.04 crore being premium for risk assumed during the previous year but have been booked as Premium income by the company. As per Accounting Policy No. 8.1, premium are recorded, net of reinsurance, based on the assumption of risks in each related revenue account. In certain cases, the company has booked premium on the basis of actual receipt/due date basis instead of risk assumption basis in violation of its Accounting Policy No. 8.1. Resultantly, an amount of ₹816.04 crore (SBI GPA-₹538.97 crore, Ayushman Bharat-₹240.10 crore & Medisep- ₹36.97 crore) was booked as premium income of current year despite of the fact that risk was incepted and assumed during previous year 2022-23 requiring booking of premium in previous year itself instead of current year as per Accounting Policy No. 8.1. Thus, booking of premium on actual receipt basis is also not in line with Accounting Policy No. 8.1 read with Accounting Policy No. 3: 'Accounting Convention', inter alia, stipulates that the Financial Statement are drawn up on accrual basis comply with the accounting standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013. Non-adherence to the Accounting Policy No. 8.1 as above has resulted in overstatement of 'Premium from direct business for the year 2023-24' and understatement of 'Prior Period Income' by ₹816.04 crore. This has also resulted in overstatement of 'Net Premium' for the year 2023-24 by ₹525 crore each.	
A.4 Consolidated Balance Sheet **Net Claims Incurred (Schedule 2) : ₹15,719.62 crore** **Claims Outstanding at the end of current year (Direct) : ₹23,852.55 crore** **Claims Outstanding at the end of current year (Misc.) : ₹20,191.91 crore** **The above does not include an amount of ₹8.85 crore being outstanding claims in respect of seven**	The observations of CAG has been noted. Appropriate action will be taken in FY 2024-25.

बी समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ बी.1 समेकित तुलन पत्र वर्तमान देयताएं (अनुसूची 13) : रू.25,039.13 करोड़ निवल दावे (अनुसूची 2) : रू.15,719.62 करोड़ वर्तमान वर्ष के अंत में बकाया दावे (प्रत्यक्ष) : रू.23,852.55 करोड़ उपरोक्त वर्ष के अंत में बकाया दावों की राशि रू.14,727.95 करोड़ (अग्नि में रू.2,749.37 करोड़, मरीन में रू.810.15 करोड़ और विविध खंड में रू.11,168.43 करोड़) और प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में आईबीएनआर/आईबीएनईआर के प्रति रू.9,124.60 करोड़ (अग्नि में रू.38.88 करोड़, समुद्री में रू.62.24 करोड़ और विविध खंड में रू.9,023.48 करोड़) है। यद्यपि, कंपनी ने पुनर्बीमा (आरआई) समायोजनों को घटाने के बाद रू.19,672 करोड़ के दावे की देनदारी को अनुसूची 12 में अलग से दर्ज करने के बजाय केवल वर्तमान देनदारियों (अनुसूची 13) में दर्ज किया है । यह उचित नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष कारोबार और पुनर्बीमा अर्जन अलग–अलग कारोबार हैं, जो विभिन्न अनुबंधों और लागू कानूनों व विनियमों द्वारा शासित होते हैं और इनमें पूरी तरह से अलग–अलग पक्ष होते हैं और बीमाधारकों को भुगतान और पुनर्बीमाधारकों से उसकी वसूलीधनिपटान में स्पष्ट समय अंतराल होता है। साथ ही, यह आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जो विनियमन में निर्धारित प्रारूप के अनुसूची 12 में बिंदु संख्या 5 पर अन्य बीमा कंपनियों (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से वसूली के लिए अलग लाइन आइटम प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं (अनुसूची 13) और अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) में से प्रत्येक को रू.4,180.55 करोड़ कम दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नोट संख्या 16.14 में 'देयताओं के लिए चल परिसंपत्तियों का अनुपात' 0.17 के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखा नीति में आवश्यक परिवर्तन और लेखा नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

incoming Group Mediclaim Policies which were intimated to the Company till 31 March 2024. This has resulted in understatement of Claims outstanding at the end of current year and overstatement of profit by ₹8.85 crore each.	
Ayushman Bharat (₹240.10 crore) + Medisep (₹36.97 crore) + SBI GPA (₹247.93 crore i.e., 46% * ₹538.97 crore)	
B Comments on Consolidated Financial Position B.1 Consolidated Balance Sheet Current Liabilities (Schedule 13) : ₹25,039.13 crore Net Claims Incurred (Schedule 2) : ₹15,719.62 crore Claims Outstanding at the end of current year (Direct) : ₹23,852.55 crore The above represents claims outstanding at year end amounting to ₹14,727.95 crore (₹2,749.37 crore in Fire, ₹810.15 crore in Marine & ₹11,168.43 crore in Misc Segment) and ₹9,124.60 crore towards IBNR/ IBNER (₹38.88 crore in Fire, ₹62.24 crore in Marine & ₹9,023.48 crore in Misc Segment) in respect of direct business. The company, however, has booked the claim liability for ₹19,672 crore only in Current Liabilities (Schedule 13) after netting off Reinsurance (RI) adjustments instead of booking RI recovery separately in Schedule 12. This was not in order considering that direct business and reinsurance cession are separate business being governed by different contracts and applicable laws & regulations and having altogether different parties and clear time lag in payment to insured(s) and recovery/ settlement thereof from the re-insured(s). Also, this was not in line with the provisions of IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 providing separate line item for recovery from other insurance companies (including reinsurers) at point no 5 in Schedule 12 of the format prescribed in the regulation. This has resulted in understatement of Current Liabilities (Schedule 13) and Advances & other Assets (Schedule 12) by ₹4,180.55 crore each with resultant impact of incorrect depiction of 'Liquid Assets to Liabilities Ratio' in Note No. 16.14 as 0.17.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

बी.2 समेकित तुलन पत्र अनुसूची 8: निवेश–शेयरधारक : रू.(5,340.40) करोड़ अनुसूची 8ए: निवेश–पॉलिसीधारक : रू.34,667.12 करोड़ उचित मूल्य परिवर्तन खाता: शेयरधारक : रू.(1,615.65) करोड़ पॉलिसीधारक : रू.10,487.99 करोड़ बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 11(2) के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के अलग–अलग फंड रखने होंगे। इस संबंध में, आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 पर आईआरडीएआई के 4 अप्रैल 2016 के परिपत्र का संदर्भ प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि पैरा 1 (iii) में प्रावधान है कि पॉलिसी धारकों के फंड से किए गए निवेश को अलग अनुसूची 8ए में दिखाया जाएगा और तुलन पत्र में दिखाई देने वाले उचित मूल्य परिवर्तन खाते को तदनुसार शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड के तहत विभाजित किया जाएगा। इसके अलावा, पॉलिसी धारक फंड और शेयरधारकों के फंड के घटक को भी परिभाषित किया गया है। घाटे की प्रतिपूर्ति पर उक्त परिपत्र के पैरा 2 में प्रावधान है कि "प्रत्येक बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त 1(iii) में परिभाषित पॉलिसी धारकों के फंड को अनुसूची–8ए में दिखाए गए पॉलिसी धारकों के निवेश द्वारा पूरी तरह से समर्थित किया जाता है। इसलिए, राजस्व खाते में नुकसान या अन्यथा से उत्पन्न पॉलिसी धारकों के निवेश में किसी भी घाटे/कमी की भरपाई शेयर धारकों के निवेश से पॉलिसी धारकों के निवेश में अर्ध–वार्षिकी आधार पर प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के द्वारा की जाएगी। उपरोक्त प्रतिभूतियों का मूल्यांकन आईआरडीए (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियों की तैयारी) विनियम, 2002 में निर्दिष्ट मूल्यांकन नियमों के अनुसार किया गया है। उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में, कंपनी ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच कंपनी के कुल निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को ऊपर वर्णित परिपत्र के आधार पर प्राप्त शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के फंड के अनुपात के आधार पर विभाजित किया है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का निवल आय नकारात्मक होने के कारण, शेयरधारकों के फंड में रू.3,831.18 करोड़ का नकारात्मक शेष है और पॉलिसीधारकों के फंड में रू.24,875.31 करोड़ का शेष है और परिणामस्वरूप, शेयरधारक और पॉलिसीधारक के बीच निवेश के विभाजन का अनुपात क्रमशः (–) 18.21: और 118.21: है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखा नीति में आवश्यक परिवर्तन और लेखा नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

B.2 Consolidated Balance Sheet **Schedule 8: Investment – Shareholders** **: ₹ (5,340.40) crore** **Schedule 8A: Investment – Policyholders** **: ₹34,667.12 crore** **Fair value change account:** **Shareholders : ₹ (1,615.65) crore** **Policyholders : ₹10,487.99 crore** Section 11(2) of the Insurance Laws (Amendment) Act 2015 mandates that every insurer shall keep separate funds of shareholders and policyholders. In this regard, a reference is invited to IRDAI's circular dated 4th April 2016 on IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 which at para 1(iii) stipulates that "Investment made out of the policyholders funds shall be shown in separate Schedule 8A and fair value change account as appears in the Balance Sheet shall accordingly be bifurcated under the shareholders and policyholders funds. Further, the component of policy holder fund and shareholders' fund are also defined. Para 2 of said circular on Recoupment of the Deficit stipulates that "Every Insurer shall ensure that the policyholders' fund as defined in 1 (iii) above, are fully supported by the policyholders' investments shown in Schedule-8A. Therefore, any deficit / shortfall in policyholders' investments arising out of the loss in the Revenue Account or otherwise shall be recouped by transfer of securities from the shareholders' investments to the policyholders' investments on a half yearly basis. The valuation of such securities shall be in accordance with the valuation norms as specified in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report) Regulations, 2002". In compliance to the above circular, the Company has been bifurcating the total Investment and Fair Value Change Account of the Company between the shareholders and policyholders based on the ratio of the shareholders' and policyholders' funds derived based on above stated circular. Due to net worth of the Company being negative for FY 2023-24, share-holders' fund has negative balance of	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

उपरोक्त के मद्देनजर, 31 मार्च 2024 तक कंपनी का कुल निवेश रू.29,326.72 करोड़ था, जिसे शेयरधारक और पॉलिसी धारक के बीच क्रमशः रू.(5,340.40) करोड़ और रू.34,667.12 करोड़ के रूप में विभाजित किया गया था। इसके कारण, शेयर धारकों के निवेश को नकारात्मक निवेश के रूप में दिखाया गया है और पॉलिसीधारक के निवेश को कंपनी के कुल निवेश से अधिक राशि पर दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, शेयर धारक (अनुसूची–8) और पॉलिसीधारक (अनुसूची–8ए) के लिए निवेश क्रमशः रू.5,340.40 करोड़ की सीमा तक कम और अधिक दिखाया गया है। साथ ही, शेयरधारक और पॉलिसीधारक के संबंध में उचित मूल्य परिवर्तन खाता भी क्रमशः रू.1,615.65 करोड़ की सीमा तक कम और अधिक दिखाया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 31.03.2024 तक पॉलिसीधारकों के फंड के कुल निवेश से भी अधिक होने के कारण, पॉलिसीधारकों के फंड का उचित मूल्य परिवर्तन खाता कंपनी के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो के अवास्तविक लाभ से भी अधिक अवास्तविक लाभ का आंकड़ा दिखा रहा है। वर्ष 2022–23 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है।	
बी.3 समेकित तुलन पत्र वर्तमान देयताएं (अनुसूची 13) विविध लेनदार : रू.3,555.99 करोड़ पॉलिसीधारकों की अघोषित राशि : रू.209 करोड़ पॉलिसीधारकों की अघोषित राशि पर अर्जित ब्याजः शून्य कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों में से जमा की गई राशि पर रू.4.18 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। हालाँकि, इसे वर्तमान देनदारियों (अनुसूची–13) के तहत दिखाए गए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों के साथ मिला दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया है तथा पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर उपार्जित ब्याज को रू.4.18 करोड़ कम दर्शाया गया है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखा नीति में आवश्यक परिवर्तन और लेखा नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

₹3,831.18 crore and policyholders' fund has balance of ₹24,875.31 crore and resultantly, ratio for bifurcation of investment between shareholder and policyholder comes out to (-) 18.21% and 118.21% respectively. In view of the above, total investment of the Company amounting to ₹29,326.72 crore as on 31 March 2024 was bifurcated between shareholder and policyholder as ₹(5,340.40) crore and ₹34,667.12 crore respectively. Due to this, shareholders' Investment is shown as negative investment and policyholder' Investment is shown at an amount greater than the total investment of the Company. Resultantly, Investment for shareholder (Schedule-8) and policyholder (Schedule-8A) are understated and overstated to the extent of ₹5,340.40 crore respectively. Also, Fair Value Change Account in respect of shareholder and policyholder is also understated and overstated to the extent of ₹1,615.65 crore respectively. It is also pertinent to note that owing to policyholders' fund being greater than even total investment as on 31.03.2024, the Fair Value Change Account of the policyholders' Fund is showing the figure of unrealized gains even greater than unrealized gains of entire investment portfolio of the company. Despite the issue being addressed through Management Letter during Supplementary Audit for the year 2022-23, no compliance has been made by the Company.	
B.3 Consolidated Balance Sheet **Current Liabilities (Schedule 13)** **Sundry Creditors : ₹3,555.99 crore** **Unclaimed Amount of Policyholders : ₹ 209 crore** **Interest Accrued on Unclaimed amount of Policyholders: Nil** The Company earned accrued Interest of ₹4.18 crore on deposits made out of unclaimed amounts of policyholders of during the year 2023-24. However, the same has been merged with unclaimed amounts of policy holders shown under current liabilities (schedule-13).	

बी.4 समेकित तुलन पत्र निवेश–पॉलिसीधारक (अनुसूची 8ए) : रू.34,667.12 करोड़ दीर्घावधि निवेशः 3 (ii) दीर्घावधि एफडी : शून्य निवेश – शेयरधारक (अनुसूची 8) : रू.(5,340.40 करोड़) दीर्घावधि निवेशः 3 (ii) दीर्घावधि एफडी : शून्य नकदी और बैंक शेष (अनुसूची 11) : रू.2,825.72 करोड़ जमा खाते – अल्पावधि (12 महीने के भीतर देय) : रू.2,257.07 करोड़ बैंक बैलेंस के अंतर्गत अल्पावधि जमा खाते (12 महीने के भीतर देय) में कंपनी के विदेशी कार्यालय से संबंधित रू.358.11 करोड़ की सावधि जमा शामिल है। लेखापरीक्षा ने पाया कि नेपाल कार्यालय से संबंधित रू.57.47 करोड़ की सावधि जमा की परिपक्वता अवधि 31 मार्च 2024 तक 12 महीने से अधिक थी और इसलिए, इसे अनुसूची 8 और 8ए में दीर्घकालिक निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'अल्पकालिक जमा खाते' और 'भारत के बाहर नकदी और बैंक शेष' को रू.57.47 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है। इसके अलावा, अनुसूची 8 (निवेश – शेयर धारक) के तहत 'दीर्घकालिक एफडी' और 'भारत के बाहर निवेश' को प्रत्येक (रू.10.46 करोड़) कम दर्शाया गया है और अनुसूची 8ए (निवेश – पॉलिसीधारक) के तहत 'दीर्घकालिक एफडी' और 'भारत के बाहर निवेश' को प्रत्येक (रू.67.93 करोड़) कम दर्शाया गया है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखा नीति में आवश्यक परिवर्तन और लेखा नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।
सी प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ सी.1 31 मार्च 2024 तक समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स (अनुसूची–16) समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियों और नोट्स की समीक्षा से निम्नलिखित कमियां सामने आईं:	

This has resulted in overstatement of unclaimed amount of policyholders and understatement of Accrued Interest on deposits of unclaimed amounts of policyholders by ₹4.18 crore.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.
B.4 Consolidated Balance Sheet **Investments – Policyholders (Schedule 8A) : ₹ 34,667.12 crore** **Long Term Investments: 3 e (ii) Long Term FDs : Nil** **Investments – Shareholders (Schedule 8) : ₹ (5,340.40 crore)** **Long Term Investments: 3 e (ii) Long Term FDs : Nil** **Cash and Bank Balances (Schedule 11) : ₹ 2,825.72 crore** **Deposit Accounts - Short Term (due within 12 months) : ₹ 2,257.07 crore** Short Term Deposit Accounts (due within 12 months) under Bank Balances include Fixed Deposit of ₹358.11 crore pertaining to foreign office of the Company. Audit observed that fixed deposits amounting to ₹57.47 crore pertaining to Nepal office had maturity period of more than 12 months as on 31 March 2024 and therefore, should have been classified under Long Term Investments in Schedule 8 and 8A. This has resulted in overstatement of 'Short Term Deposit Accounts' and 'Cash and Bank Balances outside India' by ₹57.47 crore. Further, 'long term FDs' and 'investments outside India' under Schedule 8 (Investment - Shareholder) are understated by (₹10.46 crore) each and 'long term FDs' and 'investments outside India' under Schedule 8A (Investment - Policyholder) are understated by ₹67.93 crore each.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.
C Comments on Disclosure **C.1 Significant Accounting Policies and Notes forming part of Consolidated Financial Statements as on 31st March 2024 (Schedule-16)** Review of the schedules and Notes forming part of Consolidated Financial Statements for FY2023-24 revealed following deficiencies:	

1. अनुसूची–16 'समेकन का आधार' में मद संख्या 2.ए.8 का संदर्भ लिया जाता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "समेकन में उपयोग की गई सहायक कंपनी और सहयोगियों के वित्तीय विवरण कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि यानी 31 मार्च 2023 तक तैयार किए गए हैं, इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, एक सहयोगी जिसके लिए वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2021 तक तैयार किए गए हैं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि तारीख क्रमशः 31 मार्च 2024 और 31 दिसंबर 2023 होनी चाहिए थी। 2. समेकित वित्तीय विवरणों के लेखाओं के नोट्स का हिस्सा बनाने वाले नोट संख्या 1ए का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है , जिसमें कहा गया है कि 2022–23 के लिए समेकित घाटे में इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड की हिस्सेदारी रू.15,63,15 हजार है , जो तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि 2022–23 के लिए समेकित घाटे में इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड की हिस्सेदारी रू.15,63,15 हजार के बजाय रू.15,49,14 हजार थी। 3. समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा नोट्स के भाग के रूप में नोट संख्या 52 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "घाटे के कारण, कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में नकारात्मक हो जाती है और इस वजह से, निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेयरधारकों की हिस्सेदारी क्रमशः रू.52,44,69,00 हजार और रू.16,15,65,29 हजार का ऋणात्मक शेष दिखा रही है, जो कंपनी के भविष्य के वित्तीय परिणाम के आधार पर भविष्य में बदलाव के अधीन है "। प्रकटीकरण तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि निवेश में शेयर धारकों की हिस्सेदारी रू.52,44,69,00 हजार के बजाय रू.53,40,39,59 हजार थी। पिछले वर्ष (2022–23) के दौरान प्रबंधन पत्र के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया था, हालांकि, कंपनी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखा नीति में आवश्यक परिवर्तन और लेखा नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।

1. A reference is invited to point no. 2.A.8 in Schedule-16 " Basis of Consolidation" wherein it is mentioned that "The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the company i.e. 31 March 2023, except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate for which financial statements are drawn as on 31 Dec 2021, which is factually incorrect as the date should have been 31 March 2024 and 31 Dec 2023 respectively. 2. A reference is invited to Note no. 1A forming parts of Notes to Accounts of consolidated financial statements wherein it is stated that share of India International Insurance PTE Ltd. in Consolidated loss for 2022-23 is ₹15,63,15 thousand which is factually incorrect as the share of India International Insurance PTE Ltd. in consolidated loss for 2022-23 was ₹15,49,14 thousand instead of ₹15,63,15 thousand. 3. A reference is invited to Note no. 52 forming parts of Notes to Accounts of consolidated financial statements wherein it is stated "Due to losses, the Company's net worth becomes negative at the end of F.Y. 2023-24 and because of this, Shareholders share's in Investment and Fair Value Change account is showing negative Balance of ₹52,44,69,00 thousand and ₹16,15,65,29 thousand respectively, which is subject to change in future based on the future financial result of the Company". The disclosure is factually incorrect as the Shareholders' share in Investment was ₹53,40,39,59 thousand instead of ₹52,44,69,00 thousand. The issue was raised through Management Letter during the previous year (2022-23), however, no compliance was made by the Company.	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

Mh lefdr foÙkh; fooj.kksa ij o/kkfud y[kkijh{kd fjikVZ ij fVIif.k;k¡	
31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy, foÙkh; fooj.kksa ij Lora= y[kk ijh{kd dh fjikVZ	
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में , कंपनी के इक्विटी शेयरों की हानि पर दोषपूर्ण लेखांकन नीति संख्या ए–13.6 को उसी के वित्तीय प्रभाव की मात्रा का खुलासा किए बिना वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा योग्य ठहराया गया है । दोषपूर्ण लेखांकन नीति के मुद्दे के साथ–साथ इसके रू.77.56 करोड़ के प्रभाव को भारत के सीएजी ने वर्ष 2019–20 के लिए पूरक लेखा परीक्षा के दौरान टिप्पणी संख्या सी1 और ए3 के माध्यम से उजागर किया था और साथ ही रू.173.53 करोड़ की हानि की गैर–मान्यता के प्रभाव को भी वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट में योग्य ठहराया था । इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि लेखांकन नीति की कमी के साथ–साथ सात शेयरों में हानि बनी हुई थी उचित मूल्य परिवर्तन खाते को कम दर्शाने और वर्ष के लिए लाभ को रू.48.04 करोड़ अधिक दर्शाने का भौतिक प्रभाव, जिसे सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 27 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट में उजागर नहीं किया है।	सीएजी की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। लेखा नीति में आवश्यक परिवर्तन और लेखा नोट्स में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024–25 में किया जाएगा।
वित्तीय प्रभाव का परिमाणीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप एसए 705 (स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन) के पैरा 21 का अनुपालन नहीं हुआ है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक गलत विवरण है जो वित्तीय विवरणों में विशिष्ट राशियों से संबंधित है (वित्तीय विवरणों के नोट्स में मात्रात्मक प्रकटीकरण सहित), तो लेखा परीक्षक को राय के लिए आधार अनुभाग में गलत विवरण के वित्तीय प्रभावों का विवरण और परिमाणीकरण शामिल करना चाहिए, जब तक कि यह अव्यवहारिक न हो। यदि वित्तीय प्रभावों का परिमाणीकरण करना व्यावहारिक नहीं है, तो लेखा परीक्षक को इस अनुभाग में ऐसा बताना चाहिए।	

D	**Comments on Statutory Audit Report on Consolidated Financial Statements** **Independent Auditor's Report on Financial Statements for the year ended 31 March 2024** In the 'Basis of Qualified Opinion' section of the Independent Auditor's Report, deficient Accounting Policy No. A-13.6 on impairment of equity shares of the company has been qualified by the Statutory Auditors without disclosing the quantification of the financial effect of the same. The issue of deficient accounting policy along with its impact of ₹77.56 crore was highlighted by CAG of India, vide comment no. C1 & A3 during supplementary audit for the year 2019-20 & also the impact of non-recognition of impairment amounting to ₹173.53 crore was qualified by Statutory Auditors in their report on the financial statement of the Company for the year 2020-21. In this regard, Audit observed that though the deficiency of accounting policy as well as impairment in seven of the scrips were persisting having material effect of understatement of Fair Value Change Account and overstatement of profit for the year by ₹48.04 crore, which has not been highlighted by the Statutory Auditors in their report dated 27 May 2024. Non-quantification of financial impact has resulted in non-compliance to Para 21 of the SA 705 (Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report) which stipulates that if there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements (including quantitative disclosures in the notes to the financial statements), the auditor shall include in the Basis for Opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement, unless impracticable. If it is not practicable to quantify the financial effects, the auditor shall so state in this section	The observation of CAG has been noted. Required changes in Accounting Policy & disclosure in Notes to Accounts will be done in FY 2024-25.

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjl diuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ipthdj.k l[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 15-11-2022 dk foÙk o"k 2023&24 dh fy, 556 dk uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpl 2024 dk lekIr gq, o"k dh fy, vfXu chek jktLo lefdr [kkrk

CONSOLIDATED FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000)

fooj.k@**Particulars**	vuqlph **Schedule**	31.03.2024 को समाप्त वर्ष **Year Ended 31.03.2024**	31.03.2023 को को समाप्त वर्ष **Ended 31.03.2023**
1. अर्जित प्रीमियम (निवल) Premium earned (Net)	1	7462552	8018090
2. निवेशों के मोचन/बिक्री पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale/redemption of Investments		1464707	653518
3. अन्य – ए) विनिमय पर लाभ/(हानि) Others - a) Profit/(Loss) on exchange		0	0
बी) शेयरधारकों के फंडों से आधिक्य ईओएम में अंशदान b) Contribution from Shareholders' Funds to-wards excess EoM		0	2577296
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल/Interest, Dividend & Rent - Gross		1477435	1327865
कुल (ए)/ Total (A)		10404694	12576769
1. उपगत दावे (निवल)/Claims Incurred (Net)	2	7887005	4660478
2. कमीशन/Commission	3	1324069	1175042
3. बीमा कारोबार से संबद्ध संचालित व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	2811087	5857802
4.अन्य/Others			
ए) मान संपत्तियों/एनपीए हेतु प्रावधान/a) Provision for Standard Assets/NPA		(15544)	(11508)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		(2444)	932
सी) ऋण परिशोधन व्यय/c) Amortization Expenses		39963	37379
डी) अस्वीकृत निवेश (निवल)/d) Investment Written Off (Net)		3978	16841
ई) निवेशों से संबद्ध व्यय/e) Expenses relating to investments		2189	1795
एफ) प्रीमियम कमी/f)Premium deficiency		0	0
कुल (बी)/Total (B)		12050303	11738761
मरीन कारोबार से संचालित लाभ/हानि सी = (क–बी) Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B)		(1645609)	838008
समायोजन/Appropriations			

शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to shareholders' Account		(1645609)	838008
आपदा रिजर्व में अंतरण / Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		0	0
कुल (सी) / Total(C)		(1645609)	838008

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट 16
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts

तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjl dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ifjdj.k la[;k rFkk bjMk dk lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 15-11-2022 dk foRr o"k 2023&24 dk fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpZ 2024 dk lekIr gq, o"k dk fy, lefdr ejhu chek jktLo [kkrk

CONSOLIDATED MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

fooj.k@**Particulars**	vuqlwph **Schedule**	31-03-2024 dk **Year Ended 31.03.2024**	31-03-2023 dk **Year Ended 31.03.2023**
1. अर्जित प्रीमियम (निवल) / Premium earned (Net)	1	2462955	2507634
2. निवेशों के मोचन / बिक्री पर लाभ / हानि Profit/Loss on sale/redemption of Investments		378730	179257
3. अन्य – ए) विनिमय पर लाभ / (हानि) Others - a) Profit/(Loss) on exchange		0	86
बी) शेयरधारकों के फंडों से आधिक्य ईओएम में अंशदान b) Contribution from Shareholders' Funds to- wards excess EoM		0	855196
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross		382020	364226
कुल (ए) / **Total (A)**		**3223705**	**3906399**
1. उपगत दावे (निवल) / Claims Incurred (Net)	2	2154684	1534567
2. कमीशन / Commission	3	301517	312184
3. बीमा कारोबार से संबद्ध संचालित व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	548065	1162503
4. अन्य / Others			
a) ए) मान संपत्तियों / एनपीए हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets/NPA		(4019)	(3157)
बी) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		(632)	257
सी) ऋण परिशोधन व्यय c) Amortization Expenses		10333	10252
डी) अस्वीकृत निवेश (निवल) d) Investment Written Off (Net)		1028	4619
ई) निवेशों से संबद्ध व्यय e) Expenses relating to investments		566	492
एफ) प्रीमियम कमी f)Premium deficiency		0	0
कुल (बी) / **Total (B)**		**3011542**	**3021717**
मरीन कारोबार से संचालित लाभ / हानि सी = (क–बी) Operating Profit/(Loss) from Marine business C = (A - B)		212163	884682
समायोजन / Appropriations			

शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to shareholders' Account		212163	884682
आपदा रिजर्व में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व में अंतरण Transfer to other reserves		0	0
कुल (सी) / **Total(C)**		**212163**	**884682**

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट 16
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts
तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjy dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ipthdj.k l[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 15-11-2022 dk foRr o"k 2023&24 dh fy, uohuhdj.k fd;k x;k

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Renewed for FY 2023-24 on 15.11.2022

31 ekpl 2024 dk lekIr gq, o"k dh fy, lefdr fofo/k chek jktLo [kkrk

CONSOLIDATED MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

fooj.k@**Particulars**	vuqlph **Schedule**	31-03-2024 dk **Year Ended 31.03.2024**	31-03-2023 dk **Year Ended 31.03.2023**
1. अर्जित प्रीमियम (निवल) / Premium earned (Net)	1	149042865	121984144
2. निवेशों के मोचन / बिक्री पर लाभ / हानि Profit/Loss on sale/ redemption of Investments		20728164	10276556
3. अन्य – ए) विनिमय पर लाभ / (हानि) Others - a) Profit/(Loss) on exchange		0	(135)
बी) शेयरधारकों के फंडों से आधिक्य ईओएम में अंशदान b) Contribution from Shareholders' Funds to-wards excess EoM		0	12388807
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल / Interest, Dividend & Rent - Gross		20908288	20880644
कुल (ए) / **Total (A)**		**190679317**	**165530016**
1. उपगत दावे (निवल) / Claims Incurred (Net)	2	147154482	142396072
2. कमीशन / Commission	3	7179336	7976106
3. बीमा कारोबार से संबद्ध संचालित व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	24288526	44369111
4. अन्य / Others			
a) ए) मान संपत्तियों / एनपीए हेतु प्रावधान Provision for Standard Assets/NPA		(219971)	(180964)
b) बी) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान Provision for Diminution in Value of Shares		(34584)	14658
c) सी) ऋण परिशोधन व्यय Amortization Expenses		565551	587779
d) डी) अस्वीकृत निवेश (निवल) Investment Written Off (Net)		56297	264819
e) ई) निवेशों से संबद्ध व्यय Expenses relating to investments		30973	28224
एफ) प्रीमियम कमीf)Premium deficiency		0	(2161921)
कुल (बी) / **Total (B)**		**179020610**	**193293884**
मरीन कारोबार से संचालित लाभ / हानि सी = (क–बी) Operating Profit/(Loss) from miscellaneous business C = (A - B)		11658707	(27763868)
समायोजन / Appropriations			

शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to shareholders' Account		11658707	(27763868)
आपदा रिजर्व में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		0	0
अन्य रिजर्व में अंतरण Transfer to other reserves		0	0
कुल (सी) / **Total (C)**		**11658707**	**(27763868)**

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 16

तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां
The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke% fn vkfj,.Vy b';kjy dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ithdj.k lq[;k rFkk bjMk dh lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 08-11-2021

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 08.11.2021

31 ekpZ 2024 dk lekIr gq, o"kZ dh fy, lefdr ykHk ,oa gkfu [kkrk

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(रू. '000) (Rs. '000)

Ø-l- S. No.	fooj.k Particulars	vuqlwph	31-03-2024 dk Year Ended 31.03.2024	31-03-2023 dk Year Ended 31.03.2023
1	संचालित लाभ/(हानि) **OPERATING PROFIT /(LOSS)**			
	(ए) अग्नि बीमा/(a) Fire Insurance		(1645609)	838008
	(बी) मरीन बीमा/(b) Marine Insurance		212163	884682
	(सी) विविध बीमा/(c) Miscellaneous Insurance		11658707	(27763868)
			0	0
2	निवेशों से आय **INCOME FROM INVESTMENTS**		**0**	**0**
	(ए) ब्याज, लाभांश एवं किराया–सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross		(3506585)	(3968794)
	(बी) निवेश के मोचनध बिक्री पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment		(3476376)	(1953270)
	कम करें: निवेश के मोचनध बिक्री से हानि Less: Loss on sale/redemption of investment		0	0
3	अन्य आय **OTHER INCOME**		**0**	**0**
	नियम संपत्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets		695	(1702)
	विविध आय/ Miscellaneous Income		44926	24578
	पुराने/दावा न किए गए पुनरांकित शेष Old/Unclaimed Balance Written Back		27945	671055
	विनिमय लाभ/(हानि) Exchange Gain/(Loss)		108827	283182
	आय कर वापसियों पर ब्याज Interest on income-tax refunds		0	0
			0	0
	कुल (ए)/**TOTAL (A)**		**3424693**	**(30986129)**

4	प्रावधान (कराधान के अलावा) **PROVISIONS (Other than taxation)**			
	(ए) निवेशों के मूल्य में (a) For diminution in the value of investments		5800	(2786)
	(बी) संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों/निवेशों हेतु (b) For bad and doubtful debts\Investment		1811631	(653938)
	(सी) ऋण परिशोधन व्यय/(c) Amortisation Expenses		(94850)	(111719)
			0	0
			0	0
5	अन्य व्यय/**OTHER EXPENSES**		**0**	**0**
	ए) निवेशों से संबद्ध व्यय a) Expenses other than those relating to Insurance Business		(4910)	(5365)
	बी) पुराने/दावा न किए गए अस्वीकृत शेष b)Old/Irrecoverable balances written off		142023	2605365
	सी) मानक संपत्तियों/एनपीए पर प्रावधान c) Provision on Standard Assets/NPA		36892	34396
	डी) अस्वीकृत निवेश (निवल) d) Investments written off (Net)		(9442)	(50334)
	ई) सीएसआर व्यय e) CSR Expendiure		1250	0
	एफ) भुगतान किए गए सेवा कर/आय कर पर ब्याज f) Interest on income-tax/service tax paid		3372	558
	जी) पॉलिसीधारकों के फंडों में उपरिराशि इओएम में अंशदान g) Contribution to Policyholders Funds		0	15821299
	एच) जोड़े/(घटाएं) : पूर्व अवधि आय h) Add/(Less): Prior Period Income		(7257)	(772)
	आई) जोड़ें/(घटाएं): पूर्व अवधि व्यय i) Add/(Less): Prior Period Expenses		285252	66496
	जे) एनसीडी जारी करने के संबंध में व्यय j) Expenses related to issue of NCD		2141	2092
	के) एनसीडी पर अर्जित ब्याज k) Interest accrued on NCDs		634685	660000
	एल) राईट इश्यू व्यय l) Rights Issue expenses		0	2513
	एम) अप्रत्यक्ष कर प्रभार (जीएसटी/एसटी) m) Indirect Tax Charges (GST/ST)		241467	208367

	कुल (बी) **TOTAL (B)**		**3048054**	**18576172**
			0	0
	कर से पूर्व लाभ/(हानि) Profit / (Loss) Before Tax		376639	(49562409)
	जोड़े/(घटाएं) : सीमांत लाभांश कर हेतु प्रावधान Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax		0	0
	जोड़े/(घटाएं) : कराधान हेतु प्रावधान–वर्तमान वर्ष Add/(Less): Provision for taxation - Current Year		(190513)	(135201)
	जोड़े/(घटाएं) : अस्थगित कराधान हेतु प्रावधान Add/(Less): Provision for Deferred Taxation		0	0
	जोड़े/(घटाएं) : पूर्व वर्षों के संबंध में कर हेतु प्रावधान Add/(Less):Provision for tax in respect of earlier years		0	16384
	कर से पूर्व लाभ लेकिन सहयोगियों के लाभ का हिस्सा (डी) Profit after Tax but before Share of profit of associates (D)		186126	(49681226)
	जोड़ें: सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा Add: Share of Profit/(Loss) of associates		245291	(170167)
	कराधान के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) और सहयोगियों के अधिग्रहण के बाद के लाभ का हिस्सा Net Profit/ (Loss) after Taxation and share of post acquisition profit of associates		431417	(49851393)
	समायोजन/APPROPRIATIONS			
	(ए) वर्ष के आरंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year		0	0
	(बी) वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश (b) Interim dividends paid during the year		0	0
	(सी) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final dividend			
	(डी) लाभांश वितरण कर (d) Dividend distribution tax		0	0
	(ई) रिजर्व/अन्य खातों में अंतरण (e) Transfer to reserves/ other accounts:		0	0
	(i) सामान्य रिजर्व/(i) General Reserves		0	0
	(ii) असमाप्त जोखिमों हेतु आकस्मिक रिजर्व (ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks			
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया हानि/लाभ का शेष Balance of profit/loss brought forward from last year		(80773796)	(30922403)
	तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष Balance carried forward to Balance Sheet		(80342379)	(80773796)

	मूल/मिश्रित अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) रूपयों में Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.		0.09	(10.79)

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट — अनुसूची 16

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts — Schedule 16

तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO

chekdrk dk uke fn vkfj,.Vy b';kjy dEiuh fyfeVM

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

ithdj.k l[;k rFkk bjMk dk lkFk uohdj.k dh frfFk 556 fnukd 08-11-2021

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDA 556 Dated 08.11.2021

31 ekpZ 2024 dk lefdr rqyu i=

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2024

(रू. '000) (Rs.'000)

fooj.k **PARTICULARS**	vuqlwph **Schedule**	31-03-2024 dk **As at 31.03.2024**	31-03-2023 dk **As at 31.03.2023**
फंडों के स्त्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL	5	46200000	46200000
रिजर्व एवं आधिक्य / RESERVES AND SURPLUS	6	1087358	989552
अस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability		0	0
उचित मूल्य परिवर्तन खाता / FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
पॉलिसीधारकः / POLICYHOLDERS		104879919	86897215
शेयरधारकः / SHAREHOLDERS		-16156529	-15276664
ऋण / BORROWINGS	7	0	7500000
कुल / TOTAL		136010748	126310103
फंडों का आवेदन / APPLICATION OF FUNDS			
निवेशः / INVESTMENTS			
निवेश / INVESTMENTS पॉलिसीधारकः / POLICYHOLDERS	8A	346671171	345179960
शेयरधारकः / SHAREHOLDERS	8	-53403959	-60095751
ऋण / LOANS	9	1429739	1334697
नियत संपत्तियां / FIXED ASSETS	10	5212579	4922883
प्रक्रियागत पूंजी कार्य / Capital Work In Progress	10	685118	276490
अस्थगित कर संपत्तियां / Deferred Tax Assets		0	0
वर्तमान संपत्तियां / CURRENT ASSETS:			
नकद एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	28257883	16954324
अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां / Advances and Other Assets	12	66168721	48013961
उप योग (क) / Sub-Total (A)		94426604	64968285
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES	13	250391329	228760796
प्रावधान / PROVISIONS	14	88961554	85260856

उप योग (ख) / Sub-Total (B)		339352883	314021652
निवल वर्तमान संपत्तियां = (क़ख) / NET CURRENT ASSETS = (A-B)		(244926279)	(249053367)
विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE		0	2971394
(अस्वीकृत या समायोजित न किए गए की सीमा तक) (to the extent not written off or adjusted)	15		
लाभ एवं हानि खातों में ऋण शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		80342379	80773797
कुल / TOTAL		136010748	126310103

विशेष लेखांकन पॉलिसियां तथा लेखों के नोट Significant Accounting policies and Notes to Accounts	16	0	0

तुलन पत्र के एकीकृत उपरोक्त फार्म के संदर्भ में अनुसूचियां The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO

vuqlph&1

SCHEDULE -1

31-03-2024 dk lekIr gq, o"k dq fy, vftZr ¼'kq)½ fofo/k çhfe;e

PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

fooj.k@ **Particulars**	vfXu@**FIRE**		ejhu@**MARINE**						fofo/k@**MISCELLANEOUS**		dy tkM@**GRAND TOTAL**	
	dk lekIr o"k **Year Ended**	dk lekIr o"k **Year Ended**	31-03-2024 dk lekIr o"k **Year Ended 31.03.2024**			31-03-2023 dk lekIr o"k **Year Ended 31.03.2023**			dk lekIr o"k **Year Ended**	dk lekIr o"k **Year Ended**	dk lekIr o"k **Year Ended**	dk lekIr o"k **Year Ended**
	31.03.2024	**31.03.2023**	ejhu dkxk **Marine Cargo**	ejhu gy **Marine Hull**	dy **TOTAL**	ejhu dkxk **Marine Cargo**	ejhu gy **Marine Hull**	dy **TOTAL**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business	16834398	16989379	2455886	2526451	4982337	2835222	2107946	4943168	166124597	137993581	187941332	159926128
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	2666273	1865161	82777	4445	87222	40537	5440	45977	1726247	4997992	4479742	6909130
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	12182708	10937509	741161	1620998	2362159	1106049	1377622	2483671	15949110	10027686	30493977	23448866
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	7317963	7917031	1797502	909898	2707400	1769710	735764	2505474	151901734	132963887	161927097	143386392
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-144589	-101059	74816	169629	244445	-142767	140607	-2160	2858869	10979743	2958725	10876524
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	7462552	8018090	1722686	740269	2462955	1912477	595157	2507634	149042865	121984144	158968372	132509868
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium within India	15571839	15890993	2209772	2499861	4709633	2569460	2084306	4653766	162608923	135604339	182890395	156149098
भारत के बाहर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium Outside India	1262559	1098387	246114	26590	272704	265762	23639	289401	3515678	2389238	5050941	3777026
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	16834398	16989380	2455886	2526451	4982337	2835222	2107945	4943167	166124601	137993577	187941336	159926124

31-03-2024 dk lekIr g, o"k d fy, vftr ¼'k)½ fofo/k çhfe;e
MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

fooj.k@Particulars	ekVj@MOTOR									
	vkMh OD	Vhih&xjiy TP - Non Pool	Vhih iy TP POOL	Vhih Mh-vkj- iy TP D.R. POOL	d y TOTAL	vkMh OD	Vhih & xj iy TP - Non Pool	Vhih iy@ TP POOL	Vhih Mh-vkj- iy TP D.R. POOL	d y TOTAL
	31-03-2024 dk lekIr o"k@Year Ended 31.03.2024					31-03-2023 dk lekIr o"k@Year Ended 31.03.2023				
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	15116815	29746099	0	0	**44862914**	11324420	26759334	0	0	38083754
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	4986	32427	0	0	**37413**	3459	79061	0	0	82520
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	528530	1263300	0	0	**1791830**	415011	1199162	0	0	1614173
शुद्ध प्रीमियमNet Premium	14593271	28515226	0	0	**43108497**	10912868	25639233	0	0	36552101
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	1845143	1444181	0	0	**3289324**	853711	767350	0	0	1621061
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	12748128	27071045	0	0	**39819173**	10059157	24871883	0	0	34931040
भारत में व्यापार से प्रभावित प्रीमियम आय Premium Income from direct business effected In India	12585451	29586555	0	0	**42172006**	9775603	26646711	0	0	36422314
भारत के बाहर Outside India	2531365	159545	0	0	**2690910**	1548817	112622	0	0	1661439
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	15116816	29746100	0	0	**44862916**	11324420	26759333	0	0	38083753

विवरण / Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		विमानन AVIATION		कर्मकार प्रतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION		व्यैक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		फसल CROP	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	4898936	4377481	1491371	1218178	578947	585022	11330375	5378259	17937211	89389
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	345193	1273219	1283950	861955	10327	7088	21	13509	0	1
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	2730172	2548046	1690914	1138483	23161	23017	4906458	1158499	716935	5587
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	2513957	3102654	1084407	941650	566113	569093	6423938	4233269	17220276	83803
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-311867	447221	86764	-163832	-10924	-44749	1113232	757500	1758508	-890766
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	2825824	2655433	997643	1105482	577037	613842	5310706	3475769	15461768	974569
भारत में व्यापार से प्रभावित प्रीमियम आय Premium Income from direct business effected In India	4630986	4248847	1491371	1218178	541349	554886	11303555	5353951	17937211	89389
भारत के बाहर Outside India	267950	128633	0	0	37598	30137	26821	24307	0	0
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	4898936	4377480	1491371	1218178	578947	585023	11330376	5378258	17937211	89389

विवरण / Particulars	स्वास्थ्य / HEALTH		देयता / LIABILITY		अन्य विविध / OTHER MISC.		कुल / TOTAL	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
लिखित प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्रीमियम Premium from direct business written	78953913	82511723	899006	952393	5171924	4797382	166124597	137993581
जमा करें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	9832	2672386	3074	69491	36437	17825	1726247	4997994
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	3147617	2714842	285822	298503	656201	526536	15949110	10027686
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	75816128	82469267	616258	723381	4552160	4288671	151901734	132963889
असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व में परिवत्रन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-3183376	9139312	-57122	23146	174330	90850	2858869	10979743
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Total Premium Earned (Net)	78999504	73329955	673380	700235	4377830	4197821	149042865	121984146
भारत में व्यापार से प्रभावित प्रीमियम आय Premium Income from direct business effected In India	78650610	82124009	837561	899066	5044274	4693700	162608923	135604340
भारत के बाहर Outside India	303303	387713	61446	53327	127650	103681	3515678	2389237
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	78953913	82511722	899007	952393	5171924	4797381	166124601	137993577

vuqlph&2

SCHEDULE -2

31-03-2024 dk lekIr gq, o"k d fy, mixr ¼'kq)½ nko

CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

विवरण / Particulars	अग्नि / FIRE		मरीन / MARINE						विविध / MISCELLANEOUS		कुल जोड़ / GRAND TOTAL	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024			31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023			31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित दावे / **Claims Paid**												
प्रत्यक्ष / Direct	10573396	6458025	1863541	819828	2683369	1971568	686293	2657861	144962180	130096361	158218945	139212247
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	1085912	321634	37182	15257	52439	16775	29220	45995	1216046	4346758	2354397	4714387
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	6404755	2734705	415596	197543	613139	844971	347910	1192881	11385099	7236657	18402993	11164243
शुद्ध भुगतानित दावे / **Net Claims paid**	5254553	4044954	1485127	637542	2122669	1143372	367603	1510975	134793127	127206462	142170349	132762391
जोड़ें : वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे **ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year**												
प्रत्यक्ष / Direct	27882442	28232644	2092110	6631819	8723929	1893803	5931355	7825158	201919131	186647919	238525502	222705721
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	1958083	2164144	23133	512125	535258	18940	440692	459632	3489001	3880100	5982342	6503876
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	16020825	19209540	872970	5691749	6564719	855990	4766346	5622336	25202348	22792769	47787892	47624645
वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बकाया दावे **Net Claims Outstanding at the end of Current Year**	13819700	11187248	1242273	1452195	2694468	1056753	1605701	2662454	180205784	167735250	196719952	181584952
घटाएं : पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे **LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year**												
प्रत्यक्ष / Direct	28232644	24090442	1893803	5931354	7825157	1936448	6389825	8326273	186757100	169800945	222814901	202217660

जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	2164144	2449154	18940	440692	459632	38230	565903	604133	3880100	4083326	6503876	7136613
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	19209540	15967872	855990	4766346	5622336	1049719	5241825	6291544	22792770	21338631	47624646	43598047
पिछले वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बकाया दावे **Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year**	11187248	10571724	1056753	1605700	2662453	924959	1713903	2638862	167844430	152545640	181694131	165756226
शुद्ध उपगत दावे/**Net Claims Incurred**												
प्रत्यक्ष/Direct	10223194	10600227	2061848	1520293	3582141	1928923	227823	2156746	160124211	146943335	173929546	159700308
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	879851	36624	41375	86690	128065	-2515	-95991	-98506	824947	4143532	1832863	4081650
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	3216040	5976373	432576	1122946	1555522	651242	-127569	523673	13794677	8690795	18566239	15190841
शुद्ध उपगत दावे/**NET CLAIMS INCURRED**	7887005	4660478	1670647	484037	2154684	1275166	259401	1534567	147154482	142396072	157196171	148591117
Claims paid to claimants												
भारत में/In India	4430186	3530283	1393087	623498	2016585	1034420	355793	1390213	132094720	125481926	138541491	130402422
भारत के बाहर/Outside India	824369	514671	92040	14044	106084	108951	11810	120761	2698407	1724536	3628860	2359968
भुगतानित शुद्ध दावे/**NET CLAIMS PAID**	5254555	4044954	1485127	637542	2122669	1143371	367603	1510974	134793127	127206462	142170351	132762390

31-03-2024 dk lekIr g, o"k d fy, mixr ¼'k)½ nko

CLAIMS INCURRED (NET) FORTHE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	मोटर / MOTOR										इंजीनियरिंग ENGINEERING		कर्मकार प्रतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION	
	ओडी OD	टीपी – गैर पूल TP Non Pool	टीपी पूल TP Pool	डी.आर. पूल D.R. Pool	कुल TOTAL	ओडी OD	टीपी – गैर पूल TP Non Pool	टीपी पूल TP Pool	डी.आर. पूल D.R. Pool	कुल TOTAL	समाप्त वर्ष Year Ended		समाप्त वर्ष Year Ended	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2024					31.03.2023 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2023					31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित दावे / Claims Paid														
प्रत्यक्ष / Direct	14927861	22311611	967437	150952	38357861	12008937	18311835	1146355	133238	31600365	851163	1136648	246259	249270
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	19123	0	0	0	19123	7166	1285	0	0	8451	121384	425980	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	586310	1474548	0	12757	2073615	546370	1266023	0	9898	1822291	131058	281778	12993	12884
शुद्ध भुगतानित दावे / Net Claims paid	14360674	20837063	967437	138195	36303369	11469733	17047097	1146355	123340	29786525	841489	1280850	233266	236386
जोड़ें : वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year														
प्रत्यक्ष / Direct	7828814	135370527	5970562	515501	149685404	6469292	131185899	6351495	568144	144574830	5373063	4492895	613653	562888
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	35923	0	0	0	35923	206854	321	0	0	207175	731500	730402	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	292201	11216684	0	39679	11548565	284214	10626444	0	46068	10956725	2516784	1529037	34046	33549
वर्तमान वर्ष शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Current Year	7572536	124153843	5970562	475822	138172762	6391932	120559777	6351495	522076	133825280	3587779	3694260	579607	529339
घटाएं : पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year														
प्रत्यक्ष / Direct	6469292	131185899	6351495	568144	144574830	4922762	124574655	6733478	620228	136851123	4492895	4527304	562888	531807
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	207174	0	0	0	207174	163041	343	0	0	163384	730402	958729	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	284214	10626444	0	46068	10956726	248915	10361927	0	47675	10658517	1529037	1528684	33549	32558
पिछले वर्ष शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year	6392252	120559455	6351495	522076	133825278	4836888	114213071	6733478	572553	126355990	3694260	3957349	529339	499249
शुद्ध उपगत दावे / Net Claims Incurred														
प्रत्यक्ष / Direct	16287383	26496239	586504	98309	43468435	13555467	24923079	764372	81154	39324072	1731331	1102239	297024	280351
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted	-152128	0	0	0	-152128	50979	1263	0	0	52242	122482	197653	0	0
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	594297	2064788	0	6368	2665454	581669	1530540	0	8291	2120499	1118805	282131	13490	13875
कुल उपगत दावे / TOTAL CLAIMS INCURRED	15540958	24431451	586504	91941	40650854	13024777	23393803	764372	72863	37255815	735008	1017761	283534	266476
Claims paid to claimants														
भारत में / In India	12710426	20798870	967437	138195	34614928	10801782	17013620	1146355	123340	29085097	793527	1168499	227801	229272
भारत के बाहर / Outside India	1650248	38192	0	0	1688440	667950	33478	0	0	701428	47962	112351	5466	7113
कुल भुगतानित दावे / Total Claims Paid	14360674	20837062	967437	138195	36303368	11469732	17047098	1146355	123340	29786525	841489	1280850	233267	236385

विवरण / Particulars	विमानन / AVIATION		व्यैक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY		फसल CROP		अन्य विविध OTHER MISCELLANEOUS		कुल TOTAL	
	समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended		समाप्त वर्ष / Year Ended	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित दावे / Claims Paid														
प्रत्यक्ष / Direct	160132	1399179	7677460	3136444	87293543	89499539	135330	131351	7185056	221715	3055376	2721850	144962180	130096361
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	592728	364205	71610	5029	369845	3434824	2500	1761	11	11460	38845	95048	1216046	4346758
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	284575	1086791	2764508	398009	3148435	3123315	20634	41770	2637070	159059	312211	310760	11385099	7236657
शुद्ध भुगतानित दावे / Net Claims paid	468285	676593	4984562	2743464	84514953	89811048	117196	91342	4547997	74116	2782010	2506138	134793127	127206462
जोड़ें : वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year														
प्रत्यक्ष / Direct	1016257	944796	9504895	5097238	13074680	17706838	2105610	2106009	17490579	7737639	3054990	3424787	201919131	186647920
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	1652837	1386273	640767	720883	11593	439184	91763	116979	51316	51838	273302	227367	3489001	3880101
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	1297719	1331585	4757782	1850881	499863	603272	1441638	1427283	2212791	4457957	893160	602479	25202348	22792768
वर्तमान वर्ष शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Current Year	1371375	999484	5387880	3967240	12586410	17542750	755735	795705	15329104	3331520	2435132	3049675	180205784	167735252
घटाएं : पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year														
प्रत्यक्ष / Direct	944796	1057541	5097236	2733336	17706838	11826375	2106009	1980704	7846821	7332430	3424787	2960327	186757100	169800947
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance Accepted	1386273	1461159	720883	464691	439184	473085	116979	53252	51838	105153	227367	403873	3880100	4083326
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	1331585	1317634	1850881	938061	603272	408552	1427283	1401289	4380413	4322607	680024	730731	22792770	21338633
पिछले वर्ष शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year	999484	1201066	3967238	2259966	17542750	11890908	795705	632667	3518246	3114976	2972130	2633469	167844430	152545640
शुद्ध उपगत दावे / Net Claims Incurred														
प्रत्यक्ष / Direct	231593	1286434	12085119	5500346	82661385	95380002	134931	256656	16828814	626924	2685579	3186310	160124211	146943334
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add: Reinsurance accepted	859292	289319	-8506	261221	-57746	3400923	-22716	65488	-511	-41855	84780	-81458	824947	4143533
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा / Less: Reinsurance Ceded	250709	1100742	5671409	1310829	3045026	3318035	34989	67764	469448	294409	525347	182508	13794677	8690792
कुल उपगत दावे / TOTAL CLAIMS INCURRED	840176	475011	6405204	4450738	79558613	95462890	77226	254380	16358855	290660	2245012	2922344	147154482	142396075
Claims paid to claimants														
भारत में / In India	-110844	388004	4979105	2736479	84200897	89242690	113658	86892	4547997	74116	2727650	2470876	132094719	125481927
भारत के बाहर / Outside India	579129	288589	5457	6985	314056	568359	3538	4450	0	0	54360	35263	2698408	1724536
कुल भुगतानित दावे / Total Claims Paid	468285	676593	4984562	2743464	84514953	89811049	117196	91342	4547997	74116	2782010	2506139	134793127	127206463

vuqlph&3

SCHEDULE -3

31-03-2024 dk lekIr gq, o"k dh fy, vftr ¼'kq)½ deh'ku

COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण / Particulars	अग्नि FIRE		मरीन MARINE						विविध MISCELLANEOUS		कुल जोड GRAND TOTAL	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024			31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023			31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended
	31.03.2024	31.03.2023	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	मरीन कार्गो Marine Cargo	मरीन हल Marine Hull	कुल TOTAL	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन Commission paid												
प्रत्यक्ष / Direct	1921036	1824065	356217	59684	415901	389877	49319	439196	9413280	8586577	11750217	10849838
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Re-insurance Accepted	395469	260777	20154	466	20620	13339	458	13797	207350	436410	623439	710984
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: Re-Insurance Ceded	992436	909800	51309	83695	135004	71476	69333	140809	2441293	1046881	3568733	2097490
शुद्ध कमीशन Net commission	1324069	1175042	325062	(23545)	301517	331740	######	312184	7179336	7976106	8804923	9463332

31-03-2024 dk lekIr gq, o"k dk fy, mixr ¼'kq)½ fofo/k deh'ku

MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

विवरण Particulars	मोटर / MOTOR							
	ओडी OD	टीपी – गैर पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL	ओडी OD	टीपी–गैर पूल TP - Non Pool	टीपी पूल TP Pool	कुल TOTAL
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2024				31.03.2023 को समाप्त वर्ष / Year Ended 31.03.2023			
भुगतानित कमीशन / Commission paid								
प्रत्यक्ष / Direct	3149372	1611050	0	4760422	2827071	534240	0	3361311
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	373	0	0	373	102	2208	0	2310
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	84810	62054	0	146864	64697	59906	0	124603
शुद्ध कमीशन / Net commission	3064935	1548996	0	4613931	2762476	476542	0	3239018

विवरण / Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		कर्मकार प्रतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION		विमानन AVIATION	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन / Commission paid						
प्रत्यक्ष / Direct	301721	283008	93791	95265	31143	23346
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	69792	206576	0	0	104731	69997
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	271746	256425	3662	3761	52620	35429
शुद्ध कमीशन Net commission	99767	233159	90129	91504	83254	57914

विवरण / Particulars	व्यैक्तिगत दुर्घटना / PERSONAL ACCIDENT		स्वास्थ्य / HEALTH		देयता / LIABILITY	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन Commission paid						
प्रत्यक्ष Direct	304850	324653	3119143	3711411	97637	101291
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	4	3594	18112	147085	74	775
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	736002	173703	329629	272468	42674	44729
शुद्ध कमीशन / Net commission	(431148)	154544	2807626	3586028	55037	57337

	फसल / CROP		अन्य विविध / OTHER MISCELLANEOUS		कुल / TOTAL	
विवरण / Particulars	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
भुगतानित कमीशन / Commission paid						
प्रत्यक्ष / Direct	59725	688	644848	685603	9413280	8586576
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	0	0	14264	6073	207350	436410
घटाएं : अर्जित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	35847	279	822250	135483	2441294	1046880
शुद्ध कमीशन / Net commission	23878	409	(163138)	556193	7179336	7976106

vuqlph&4

SCHEDULE -4

31 ekpZ] 2024 dk lekIr gq, o"kZ dh fy, chek 0;olk; ls lEcf/kr lpkyu [kpZ

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रू. '000) (Rs. '000)

	विवरण Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2024		31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023	
		राशि AMOUNT	राशि AMOUNT	राशि AMOUNT	राशि AMOUNT
1	कर्मचारियों के पारिश्रमिक व कल्याण प्रसुविधाएं Employees remuneration & Welfare Benefits		23623739		47698282
2	यात्रा, आने–जाने, वाहन को चलाने के खर्चे Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		191444		256192
3	प्रशिक्षण Training		15985		24662
4	किराया, दरों व करों Rent, Rates & Taxes		828452		850007
5	मरम्मत Repairs		300305		283964
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी Printing & Stationery		107303		124628
7	संप्रेषण Communication		72691		86487
8	कानूनी व पेशेवर खर्चे Legal &Professional Expenses #		95264		109655
9	लेखा परीक्षक की फीस, खर्चे इत्यादि Auditors' fees, expenses etc.				
	(ए) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor		80391		55819
	(बी) निम्न के संबंध में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य योग्यता से (b) as adviser or in any other capacity, in respect of				
	i) कर संबंधी मामले i) taxation matters		0		0
	ii) बीमा संबंधी मामले ii) insurance matters		0		0
	iii) प्रबंधन सेवाओं iii) management services		0		0
	(सी) किसी अन्य योग्यता से (c) in any other capacity		1801		330

10	विज्ञापन व जन–प्रचार Advertisement & Publicity		33935		9852
11	ब्याज व बैंक खर्चे Interest & Bank Charges		168464		122019
12	अन्य Others				
	ए) बिजली के खर्चे a) Electricity Charges	136435		129779	
	बी) बीमा कंपनी अधिनियम इत्यादि के तहत फीस b) Fee under Insurance & Company Act etc.	104487		96385	
	सी) एलपीए अंशदान c) LPA Subscription	0		0	
	डी) पॉलिसी स्टैंप खर्चे d) Policy Stamps Expenses	26640		27476	
	इ) संपत्ति के खर्चे e) Property expenses	7055		6767	
	एफ) अन्य f) Others	1469179	1743796	1022277	1282684
13	मूल्य ह्रास Depreciation		384107		484834
	बीमा व्यवसाय से संबंधित कुल संचालन खर्चे **TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS**		**27647677**		**51389415**

vuqlph&5

SCHEDULE -5

31-03-2024 dk 'ks;j iath
SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2024

Ø-l- Sl.No.	fooj.k@Particulars	31-03-2024 dk As at 31.03.2024 ¼:- ^000½ (Rs. '000)	31-03-2023 dk As at 31.03.2023 ¼:- ^000½ (Rs. '000)
1	प्राधिकृत पूंजी/**Authorised Capital**		
	10/– रू. प्रत्येक के 750,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – 10/–रू. प्रत्येक के 750,00,00,000 शेयर) 750,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 750,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	75000000	75000000
2	निर्गत पूंजी/**Issued Capital**		
	10/– रू. प्रत्येक के 462,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – 10/–रू. प्रत्येक के 462,00,00,000 शेयर) 462,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 462,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	46200000	46200000
3	अभिदर पूंजी/**Subscribed Capital**		
	10ß– रू. प्रत्येक के 462,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – 10ß–रू. प्रत्येक के 462,00,00,000 शेयर) 462,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 462,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	46200000	46200000
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी/**Called and Paid-up Capital**		
	10ß– रू. प्रत्येक के 462,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष–10/–रू. प्रत्येक के 462,00,00,000 शेयर) 462,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each (Prev. Yr - 462,00,00,000 shares of Rs. 10 each)	46200000	46200000
5	घटाएं: अदत्त मांग/**Less: Calls Unpaid**	0	0
	जमा करें: जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि) Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	घटाएं: प्रारंभिक खर्चे/Less: Preliminary Expenses	0	0
	बीमालेखन पर कमीशन या ब्रोकरेज सहित खर्चे और शेयर अंशदान Expenses including commision or brokerage on underwriting or subscription of shares	0	0
	जमा करें: शेयर आवेदन मनी Add: Share Application Money	0	0
	कुल **Total**	**46200000**	**46200000**

vuqlwph&6

SCHEDULE -6

31-03-2024 dk fjtoZ o vkf/kD;

RESERVES AND SURPLUS AS AT 31 MARCH 2024

Ø-l- Sl.No.	fooj.k@Particulars	31-03-2024 dk As at 31.03.2024 ¼:- ^000½ (Rs. '000)	31-03-2023 dk As at 31.03.2023 ¼:- ^000½ (Rs. '000)
1	पूंजीगत रिजर्व Capital Reserve	2565	2565
2	पूंजीगत उन्मोचन रिजर्व Capital Redemption Reserve		
3	शेयर प्रीमियम Share Premium		
4	सामान्य रिजर्व General Reserves		
	प्रारंभिक जमा **Opening Balance**	134	
	घटाएं: लाभ व हानि खाते में डेबिट शेष Less: Debit Balance in Consolidated Profit & Loss Account		
	घटाएं: वापसी–क्रय हेतु प्रयुक्त की गई राशि Less: Amount Utilised for Buy-Back		
	सहायक कंपनियों में प्रावधानों में बदलाव Reversal of provision in Subsidiary		134
	जमा शेष **Closing Balance**	134	134
5	आपदा–रिजर्व Catastrophe Reserve		
6	अन्य रिजर्व (विनिर्दिष्ट किया जाए) Contingency Reserve for Unexpired Risks		
7	लाभ व हानि खाते में लाभ शेष Balance of Profit in Profit & Loss Account		
8	विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिजर्व्स Foreign Currency Translation Reserve	1084659	986853
	कुल/**Total**	**1087358**	**989552**

vuqlph & 7
SCHEDULE -7

31-03-2024 dk m/kkj
BORROWINGS AS AT 31.03.2024

(रू. '000) (Rs. '000)

क्र.सं. **S.No.**	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 को **As at 31.03.2024**	31.03.2023 को **As at 31.03.2023**
1	डिबेंचर्सध बॉण्ड्स Debentures / Bonds*	0	7500000
2	बैंक Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थान Financial Institutions	0	0
4	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएं) Others (to be specified)	0	0
	कुल **Total**	**0**	**7500000**

*10 लाख रूपए प्रति डिबेंचर के सम मूल्य समेकित 750/– करोड़ रूपए के 7500 एनसीडी के असुरक्षित गौण ऋण। प्रति वर्ष 8.80% का कूपन लेकर 750 करोड़ रूपए एकत्रित करना

* Unsecured subordinated debt of 7500 NCDs of the face value of Rs. 10 lacs per debenture aggregating Rs. 750 crores carrying a coupon of 8.80 % per annum.

vuqlph & 8
SCHEDULE -8

31-03-2024 dk fuo'k&'k;jgkYMl
SCHEDULE - 8 Investments - Shareholders Investments as at 31 MARCH 2024

Ø-l- S.No.	fooj.k@**Particulars**	31-03-2024 dk **As at 31.03.2024** ₹:- '000 **(Rs. '000)**	31-03-2023 **As at 31.03.2023** ₹:- '000 **(Rs. '000)**
	लंबी अवधि के निवेश **Long Term Investments**		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	-21590605	-25924515
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	-2979	-138983
3	अन्य निवेश Other Investments		
	ए) शेयर a) Shares		
	(एए) इक्विटी – एसोसिएट्स (aa) Equity- Associates	-937864	-1008177
	जोड़ें: अधिग्रहण के बाद लाभ का हिस्सा ((शुद्ध हानि) Add: Share of Post acquisition profit (net of losses)	-62478	-77500
	(एबी) इक्विटी–अन्य (ab) Equity- Others	-17169408	-17126188
	(बीबी) वरियता शेयर (bb) Preference shares	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	0	-64772
	सी) डिबेंचर/बॉण्ड्स c) Debentures / Bonds	-711027	-909570
	डी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) e) Other Securities (to be specified)	0	0
	i) स्वीकृत निवेशों के अलावा i) Other than approved investments	-1404057	-2315536
	ii) लंबी अवधि की एफडी ii) Long Term FDs	0	-165770
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure & Housing	-8317284	-8729579
	अल्प–अवधि निवेश Short Term Investments	0	
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	-806316	-1996715
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	-117081	0
3	अन्य निवेश Other Investments	0	0
	ए) शेयर a) Shares		
	(i) इक्विटी (i) Equity		0
	(ii) वरीयता शेयर (ii) Preference shares	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	-1648517	-1335702
	सी) डिबेंचर/बॉण्ड्स c) Debentures / Bonds	-164554	-137020

	डी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) e) Other Securities (to be specified)	0	0
	i) स्वीकृत निवेशों के अलावा i) Other than approved investments	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure & Housing	-471790	-165727
	अन्य निवेश Total Investments	-53403959	-60095751
	निवेश Investments		
1	भारत में In India	-52397742	-58997736
2	भारत के बाहर Outside India	-1006217	-1098016
	कुल/Total	-53403959	-60095751

(i) अधिसूचित इक्विटी शेयरों/म्युचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि (–) 29264716.77 हजार रुपये है और उसका बाजार मूल्य (–) 28511025.20 हजार रुपये है।

(ii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध (–) 709821.62 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।

(iii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध (–) 23433.99 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

(iv) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध शून्य/– हजार रुपये का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।

(v) डिबेंचर/बांड में निवेश के लिए रु. 0.00/– हजार का प्रावधान जहां ब्याज को अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अंतर्गत समूहीकृत करके गारंटी दी गई है।

(vi) इक्विटी में निवेश के विरुद्ध (–) 5438.62 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।

(vii) वेंचर कैपिटल में निवेश के विरुद्ध (–) 13183.85 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है।

(viii) अधि. शेयरों में निवेश के विरुद्ध (–) 1845.93 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

(ix) एसोसिएट अर्थात इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड में कंपनी के निवेश की राशि (–) 7122.01 हजार है और भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए (–) 36069.46 हजार है और इसे दीर्घकालिक निवेश शेयर – इक्विटी के तहत समूहीकृत किया गया है।

Note :-

(i) Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is (-) Rs 29264716.77 thousands and Market Value thereof is (-) Rs 28511025.20 thousands.

(ii) Provision of (-) Rs 709821.62 thousands against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(iii) Provision of (-) Rs 23433.99 thousands against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.

(iv) Provision of Rs. nil/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(v) Provision of Rs. 0.00/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.

(vi) Provision of (-) Rs 5438.62 thousands against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(vii) Provision of (-) Rs 13183.85 thousands against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(viii) Provision of (-) Rs 1845.93 thousands against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(ix) Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is (-) 7122.01 thousands and Health Insurance TPA of india is (-) 36069.46 thousands and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity.

vuqlph & 8 ,
SCHEDULE -8A

31-03-2024 dk fuo'k&i,fy lh/kkjd
SCHEDULE - 8A Investments - Policyholders Investments as at 31 MARCH 2024

Ø-l- S.No.	fooj.k@Particulars	31-03-2024 dk As at 31.03.2024 (Rs. ¼:-½'000)	31-03-2023 As at 31.03.2023 (Rs. ¼:-½'000)
	लंबी अवधि के निवेश/**Long Term Investments**		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	140155158	148906084
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	19339	798293
3	अन्य निवेश Other Investments		
	ए) शेयर a) Shares		
	(एए) इक्विटी–एसोसिएट्स (aa) Equity- Associates	6088131	5790798
	जोड़ें: अधिग्रहण के बाद लाभ का हिस्सा ((शुद्ध हानि) Add: Share of Post acquisition profit (net of losses)	405575	445146
	(एबी) इक्विटी (ab) Equity- Others	111455012	98369965
	(बीबी) अधिमान शेयर (bb) Preference shares	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	0	372039
	सी) डिबेंचर/बॉण्ड्स c) Debentures / Bonds	4615621	5224416
	डी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट d) Investment Properties - Real Estate	0	0
	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) e) Other Securities (to be specified)	0	0
	i) स्वीकृत निवेशों के अलावा i) Other than approved investments	9114417	13300052
	ii) लंबी अवधि की एफडी ii) Long Term FDs	0	952153
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure & Housing	53991551	50141244
	अल्प–अवधि निवेश **Short Term Investments**		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियों व सरकारी गारंटी बॉण्ड्स Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	5234191	11468798
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां Other Approved Securities	760031	0
3	अन्य निवेश Other Investments		
	ए) शेयर a) Shares		
	(i) इक्विटी (i) Equity		0
	(ii) अधिमान शेयर (ii) Preference shares	0	0
	बी) म्यूचुअल फंड b) Mutual Funds	10701329	7672048
	सी) डिबेंचरध्द बॉण्ड्स c) Debentures / Bonds	1068200	787020
	डी) निवेश संपत्तियां–रियल एस्टेट d) Investment Properties - Real Estate	0	0

	ई) अन्य प्रतिभूतियां (निर्दिष्ट किया जाएगा) e) Other Securities (to be specified)	0	0
	i) स्वीकृत निवेशों के अलावा i) Other than approved investments	0	0
4	इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग में निवेश Investment in Infrastructure & Housing	3062617	951907
	अन्य निवेश Total Investments	346671171	345179960
	निवेश Investments		
1	भारत में In India	340139323	338873142
2	भारत के बाहर Outside India	6531848	6306819
	कुल Total	346671171	345179960

(i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों के अलावा कंपनी के निवेश की कुल राशि 189971563.39 हजार रुपये है और इसका बाजार मूल्य 185078983.44 हजार रुपये है।

(ii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध 4607798.67 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।

(iii) डिबेंचर में निवेश के विरुद्ध 152121.45 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

(iv) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध शून्य/– हजार रुपये का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।

(v) डिबेंचर/बांड में निवेश के विरुद्ध रु. 0.00/– हजार का प्रावधान, जहां ब्याज की गारंटी है, अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान के तहत समूहीकृत किया गया है।

(vi) इक्विटी में निवेश के विरुद्ध 35304.75 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है।

(vii) वेंचर कैपिटल में निवेश के विरुद्ध 85582.83 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है।

(viiii) प्रीफ शेयरों में निवेश के विरुद्ध 11982.85 हजार रुपये का प्रावधान अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य में कमी के प्रावधानों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

(ix) सहयोगी अर्थात इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड में कंपनी के निवेश की राशि 46232.47 हजार है और भारत का स्वास्थ्य बीमा टीपीए 234144.46 हजार है और इसे दीर्घकालिक निवेश शेयर – इक्विटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

Note :-

(i) Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs 189971563.39 thousands and Market Value thereof is Rs 185078983.44 thousands.

(ii) Provision of Rs 4607798.67 thousands against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(iii) Provision of Rs 152121.45 thousands against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.

(iv) Provision of Rs. nil/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.

(v) Provision of Rs. 0.00/- thousands against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.

(vi) Provision of Rs 35304.75 thousands against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(vii) Provision of Rs 85582.83 thousands against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(viii) Provision of Rs 11982.85 thousands against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.

(ix) Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 46232.47 thousands and Health Insurance TPA of india is 234144.46 thousands and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity.

vuqlwph&9
SCHEDULE -9

31-03-2024 dk _.k
LOANS AS AT 31.03.2024

Ø-l- S.No.	fooj.k@Particulars	31-03-2024 dk As at 31.03.2024 ¼:- ^000½ (Rs. '000)	31-03-2023 dk As at 31.03.2023 ¼:- ^000½ (Rs. '000)
1	प्रतिभूति–वार वर्गीकरण **Security-Wise Classification**		
	सुरक्षित Secured		
	(ए) संपत्ति की गिरवी पर (a) On Mortgage of Property		
	(एए) भारत में (aa) In India	0	0
	(बीबी) भारत के बाहर (bb) Outside India	0	0
	(बी) शेयरों, बॉण्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियों पर (b) On Shares, Bonds, Government Securities	0	0
	(सी) अन्य (i) स्टॉफ को हाउसिंग लोन (c) Others (i) Housing Loans to Staff	1263032	1139105
	(ii) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीयुक्त, हाउसिंग व एफएफई के लिए राज्य सरकारों को आवधिक ऋण तथा ऋण (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFEs, guaranteed by State Govts.	104408	131292
	असुरक्षित (अवधि ऋण, ब्रिज लोन, जमा का प्रमाणपत्र वाणिज्यिक पेपर) **Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate**		
	of deposit, Commercial paper)	62299	64299
	कुल **Total**	**1429739**	**1334696**
2	उधारदाता–वार वर्गीकरण **Borrower-Wise Classification**		
	(ए) केन्द्रीय व राज्य सरकारों (a) Central and State Governments	32944	59828
	(बी) बैंकों व वित्तीय संस्थानों (b) Banks and Financial Institutions	0	0
	(सी) सहायकों (c) Subsidiaries	0	0
	(डी) कंपनियों/औद्योगिक उपक्रमों (d) Companies/Industrial Undertakings	133763	135763
	(ई) पॉलिसियों के विरूद्ध ऋण **(e) Loan against policies**	**0**	**0**

	(एफ) अन्य **(i)** स्टॉफ **(f) Others (i) Staff**	**1263032**	**1139105**
	(ii) वाणिज्यिक पेपर (ii) Commercial Papers	0	0
	कुल **Total**	**1429739**	**1334696**
3	निष्पादन–वार वर्गीकरण **Performance-Wise Classification**		
	(ए) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण (A) Loans classified as standard		
	(एए) भारत में (aa) In India	1291092	1194049
	(बीबी) भारत के बाहर (bb) Outside India	0	0
	(बी) गैर–निष्पादित ऋण से प्रावधान के घटक **(B) Non-standard loans less provisions**		
	(एए) भारत में **(aa) In India**	**0**	**0**
	(बीबी) भारत के बाहर (bb) Outside India	0	0
	प्रावधान / Provision	138647	140647
	कुल / Total	1429739	1334696
4	परिपक्वता–वार वर्गीकरण **Maturity-Wise Classification**		
	(ए) अल्पाधि **(A) Short-Term**	**21008**	**26884**
	(बी) लंबी अवधि **(B) Long-Term**	**1408731**	**1307812**
	कुल / **Total**	**1429739**	**1334696**
	कुल / Total	1429739	1334697

vuqlph&9

SCHEDULE -10

31-03-2024 dk LFkk;h ifjlaifÙk;ksa dh vuqlph

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2024

(रू. '000) (Rs. '000)

विवरण / Particulars	लागत / सकल ब्लॉक / COST/GROSS BLOCK				मूल्यह्रास रिजर्व / DEPRECIATION RESERVE				शुद्ध ब्लॉक / NET BLOCK	
	आरंभिक शेष Opening Balance	अवधि के दौरान अतिरिक्त Additions during the period	अवधि में किए गए समायोजन व कटौतियां Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम शेष Closing Balance	आरंभिक शेष Opening Balance	अवधि के दौरान मूल्यह्रास Depreciation during the period	अवधि में किए गए समायोजन व कटौतियां Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम शेष Closing Balance	31.03.2024 को As at 31.03.2024	31.03.2023 को As at 31.03.2023
मूर्त संपत्ति Tangible Assets										
फ्रीहोल्ड जमीन Land Freehold	59546	0	0	59546	0	0	0	0	59546	59546
लीजहोल्ड संपत्ति Leasehold Property	3828085	7839	-237251	4073175	361674	143629	45	505258	3567917	3466411
फ्रीहोल्ड संपत्ति Freehold Property	970025	201436	-25147	1196607	409860	12175	-535	422570	774037	560165
फर्नीचर एंड फिटिंग्स Furniture & Fittings	548369	10668	11761	547276	432992	12597	11295	434294	112982	115377
सूचना व तकनीकी उपकरण Information & Technology Equipment	2117268	129383	90298	2156353	1764107	78879	86401	1756585	399769	353161
वाहन Vehicles	671044	54554	143118	582481	453701	73304	111405	415599	166882	217343
कार्यालयी उपकरण Office Equipment	154299	6213	7374	153139	141769	2678	7088	137359	15780	12530
अन्य Others	460661	8156	12896	455921	389814	12980	11516	391278	64643	70847

(रू. '000) (Rs. '000)

विवरण / Particulars	लागत / सकल ब्लॉक / COST/GROSS BLOCK				मूल्यह्रास रिजर्व / DEPRECIATION RESERVE				शुद्ध ब्लॉक / NET BLOCK	
	आरंभिक शेष Opening Balance	अवधि के दौरान अतिरिक्त Additions during the period	अवधि में किए गए समायोजन व कटौतियां Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम शेष Closing Balance	आरंभिक शेष Opening Balance	अवधि के दौरान मूल्यह्रास Depreciation during the period	अवधि में किए गए समायोजन व कटौतियां Deductions and Adjustments made in the period	अंतिम शेष Closing Balance	31.03.2024 को As at 31.03.2024	31.03.2023 को As at 31.03.2023
कुल स्थायी संपत्ति Total Fixed Assets	8809297	418249	3049	9224497	3953917	336242	227215	4062942	5161555	4855380
अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर) Intangible Assets (Software)	1246636	31387	0	1278022	1179133	47865	0	1226998	51024	67503
उप जोड Sub Total	10055933	449636	3049	10502519	5133050	384107	227215	5289940	5212579	4922883
प्रक्रियागत पूंजी Capital Work in Progress	276490	671609	262980	685118	0	0	0	0	685118	276490
कुल Total	10332423	1121245	266029	11187637	5133050	384107	227215	5289940	5897697	5199373
पिछले वर्ष (31.03.2023) Previous Year (31/03/2023)	10100685	652891	421153	10332423	4832474	484834	184274	5133050	5199373	5268211

vuqlph&11

SCHEDULE -11

31-03-2024 dk udn ,oa cSd 'ks"k

CASH & BANK BALANCES AS AT 31 MARCH 2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	नकद (चौक, ड्राफ्ट एवं स्टैंप सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	516743	464698
2	बैंक शेष / Bank Balances		0
	(ए) जमा खाते / (a) Deposit Accounts		0
	(एए) अल्प–अवधि (12 महीनों के अंतर्गत देय) (aa) Short-term (due within 12 months)	22571298	9057111
	(बीबी) अन्य / (bb) others	0	0
	(बी) चालू खाते / (b) Current Accounts	5169842	7432515
	(सी) अन्य / (c) Others	0	0
3	शॉर्ट नोटिस तथा कॉल करने पर राशि Money at Call and Short Notice		0
	(ए) बैंक के साथ / (a) With Banks	0	0
	(बी) अन्य संस्थानों के साथ / (b) With other Institutions	0	0
4	अन्य / Others	0	0
			0
	कुल / **TOTAL**	**28257883**	**16954324**
	उपरोक्त 2 एवं 3 में निहित गैर–सूचित बैंकों में शेष Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
			0
	नकद एवं बैंक शेष Cash & Bank Balances		0
1	भारत में / In India	24325236	12016936
2	भारत से बाहर / Outside India	3932647	4937388
	कुल / **TOTAL**	**28257883**	**16954324**

vuqlph&12

SCHEDULE -12

31-03-2024 dk vfxe ,o vU; lEifÙk;k

ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31 MARCH 2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	(रू. '000) (Rs. '000) 31.03.2024 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	(रू. '000) (Rs. '000) 31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
	अग्रिम / **Advances**		
1	अर्जन कंपनियों के साथ रिजर्व जमा Reserve deposits with ceding companies	333217	565731
2	निवेशों हेतु आवेदन राशि Application money for investments	0	0
3	पूर्व भुगतान / Prepayments	264952	255674
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors/Officers	414869	518175
5	भुगतान किया गया अग्रिम कर तथा सत्रोत पर काटा गया कर (कराधान हेतु प्रावधानों का निवलध कर विभाग से वसूली योग्य राशि) Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt.	7274786	6947541
6	अन्य / Others	117970	167219
	कुल (ए) / **Total (A)**	**8405794**	**8454340**
1	निवेशों से अर्जित आय / Income accrued on investments	3686437	3765285
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums	113161	123381
3	एजेंटों का शेष / Agents' Balances	0	0
4	विदेशी एजेंसियों का शेष / Foreign Agencies' Balances	1549350	1224672
5	बीमा कारोबार करने वाली अन्य इकाईयों से देय (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)	37626125	29417914
6	ए) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियों का जमा / a)Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders	1127255	1004138
	बी) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियों का जमा – अर्जित ब्याज b) Deposits of Unclaimed Amounts of Policyholders - Interest Accrued	21055	39297
7	अन्य / Others	13639544	3984934
	कुल (बी) / **Total (B)**	**57762927**	**39559621**
	कुल (ए+बी) / **Total (A + B)**	**66168721**	**48013961**

vuqlphZ&13

SCHEDULE -13

31-03-2024 dks orZeku nkf;Roksa

CURRENT LIABILITIES AS AT 31 MARCH 2024

Ø-l- S.No.	fooj.k Particulars	31-03-2024 dks As at 31.03.2024 ¼:- ^000½ (Rs. '000)	31-03-2023 dks As at 31.03.2023 ¼:- ^000½ (Rs. '000)
1	एजेंटों का शेष (निवल) Agents Balances (Net)	1394283	1083366
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies	6891310	7218500
3	अर्जित पुनर्बीमा में रखे जमा Deposits held on reinsurance ceded	107156	107782
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance	7214884	4901756
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	0	0
6	विविध जमाकर्ता Sundry Creditors	35559996	31395994
7	सहायक/होल्डिंग कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	0	0
8	बकाया दावे Claims Outstanding	196719955	181584952
9	अधिकारियों/निदेशकों को देय Due to Officers / Directors	0	0
10	ए) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियां a)Unclaimed Amounts of Policy Holders	2090006	916640
	बी) पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशियों पर अर्जित ब्याज b)Interest Accrued on Unclaimed Amounts of Policy Holders	0	161104
11	नई पैंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme	21144	16778
12	अन्य/Others	392595	1373924
	कुल/**Total**	**250391329**	**228760796**

vuqlwph&14

SCHEDULE -14

31-03-2024 dh çko/kku

Provisions as at 31.03.2024

क्र.सं. S.No.	विवरण / Particulars	31.03.20243 को As at 31.03.2024 (रू. '000) (Rs. '000)	31.03.2023 को As at 31.03.2023 (रू. '000) (Rs. '000)
1	असमाप्त जोखिम हेतु रिजर्व / Reserve for Unexpired Risk	73576264	70617547
2	कराधान हेतु (स्त्रोत पर काटे गए कर और भुगतान किए गए अग्रिम कर को कम कर) / For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांशों हेतु / For proposed dividends	0	0
4	लाभांश वितरण कर हेतु / For dividend distribution tax	0	0
5	अन्य / Others	0	0
	(ए) अवकाश नकदीकरणध एलटीएसध बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान (a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave	8773079	9352067
	(बी) वेतनमानों में संशोधन हेतु प्रावधान (b) Provision for Wage revision	0	0
	(सी) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान (c) Provision for Bad & Doubtful Debts	6372481	5015796
	(डी) मानक संपत्तियों हेतु प्रावधान (d) Provision for Standard Assets	128800	132403
	(ई) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान (e) Provision for Diminution in Value of Shares	110930	143043
	(एफ) संदिगध ब्याज (f) Interest Suspense	0	0
6	प्रीमियम कमी हेतु रिजर्व Reserve for Premium Deficiency	0	0
	कुल / **Total**	**88961554**	**85260856**

vuqlwph&15

SCHEDULE -15

31-03-2024 dk fofo/k 0;;

Miscellaneous Expenditure as at 31.03.2024

¼lek;kftr ;k vLoh—r ugh fd, x, dh lhek rd½

(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

Ø-l- S.No.	fooj.k@Particulars	31-03-2024 dk As at 31.03.2024 ¼:- ^000½ (Rs. '000)	31-03-2023 dk As at 31.03.2023 ¼:- ^000½ (Rs. '000)
1	शेयरों / डिबेंचरों के जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0	0
2	अन्य / Others		
	ए) पैंशन / a) Pension	0	2971394
	कुल / Total	0	2971394

vuqlph&16
egRoiw.kZ y[kkdu uhfr;k vkj 31 ekpZ 2024 dk lefdr foÙkh; fooj.k dk fgLlk cuus okyh uksV~l

,- leqdu dk vk/kkj vkj egRoiw.kZ y[kkdu uhfr;k¡

1- y[kkdu dk vk/kkj vkj lefdr foÙkh; fooj.kh r;kj djuk

दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक कंपनी और एसोसिएट्स (एक साथ 'समूह') के समेकित वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 (''2013 अधिनियम'') के संबद्ध प्रावधानों तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2012 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मापदंडों का अनुपालन करने के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (भारतीय जीएएपी) के अनुसार हैं जो लागू सीमा तक है और जो अन्यथा उल्लिखित के अलावा भारत में साधारण बीमा उद्योग में विद्यमान पद्धतियों के अनुसरण में है। समेकित वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में अपनाई र्ग लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप है।

2- leqdu dk fl)kar

2.ए समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित आधार पर तैयार की गई हैं:

2.ए.1 कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की वित्तीय विवरणियों को एएस 21–'समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय जैसी वस्तुओं के बुक वैल्यू को एक साथ जोड़कर, इंट्रा ग्रुप बैलेंस और इंट्रा ग्रुप बैलेंस को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद लाइन दर लाइन आधार पर संयोजित किया जाता है।

2.ए.2 सहायक कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल संपत्तियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख या पूंजी आरक्षित जैसा भी मामला हो के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.ए.3 सहायक कंपनी में निवेश के निपटान से प्राप्त आय

Schedule-16
Significant Accounting Policies and Notes forming part of Consolidated Financial Statements as on 31st March 2024

A. BASIS OF CONSOLIDATION & SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Accounting & Preparation of Consolidated Financial Statement

The consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited (the Company), its subsidiary and Associates (together the 'Group') have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the 2013 Act") and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ,the Insurance Act, 1938 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated . The consolidated financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2. Principles of Consolidation

2.A The consolidated Financial Statements have been prepared on the following basis:

2.A.1 The financial statements of the company and its subsidiary company are combined on a line by line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions in accordance with AS 21 –'Consolidated Financial Statements".

और निपटान की तिथि पर परिसंपत्तियों की देयता को घटाकर ली जाने वाली राशि के अंतर को सहायक कंपनी में निपटान के बाद लाभ और हानि के रूप में लाभ और हानि की समेकित विवरणी में मान्यता दी जाती है।

2.ए.4 सहायक कंपनियों में निवेश की गणना लेखांकन मापदंड (एएस) 23–'समेकित वित्तीय विवरणियों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन के अनुसार इक्विटी विधि में की जाती है।

2.ए.5 कंपनी अपनी और अपने सहयोगियों के बीच लेन–देन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानियों को हटाने करने के बाद, अधिग्रहण के बाद, ऐसोसिएट्स की निवल संपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से की गणना लाभ और हानि की विवरणी के द्वारा अपने हिस्से की उसी सीमा तक करती है जो कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर शेष राशि हेतु अपनी आरक्षित राशि के द्वारा एसोसिएट्स के लाभ व हानि में देय होता है।

2.ए.6 एसोसिएट्स में निवेश की लागत और एसोसिएट्स में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल संपत्ति के हिस्से के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख या आरक्षित पूंजी के रूप में पहचाना जाता है, जैसा भी मामला हो।

2.ए.7 जहां तक संभव हो और परिस्थितियों के अनुसार समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए समान पॉलिसियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड को छोड़कर कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं। को सिंगापुर कंपनी अधिनियम, कैप 50 के अनुसार सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (एफआरएस) के अनुसार एक एसोसिएट तैयार किया गया है।

कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में, सहयोगी कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति में भौतिक अंतर निम्न के संबंध में है:

(ए) असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित, असमाप्त जोखिमों के लिए एसोसिएट रिजर्व द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पॉलिसी में अनर्जित प्रीमियम आरक्षित और प्रीमियम कमी आरक्षित का योग शामिल होता है। प्रीमियम कमी रिजर्व हानि के आँकड़ों पर बीमांकिक तरीकों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और तब पहचाना जाता है जब कारोबार के किसी भी क्षेत्र के लिए बैलेंस शीट की तारीख पर प्रभावी नीतियों की असमाप्त अवधि के कारण दावों और खर्चों का अपेक्षित

2.A.2 The difference between the cost of investment in the subsidiary over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiary is recognized in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve , as the case may be.

2.A.3 The difference between the proceeds from disposal of investment in subsidiary and the carrying amount of its assets less liabilities as of the date of disposal is recognized in the consolidated statement of Profit & Loss being the profit or loss on disposal of investment in subsidiary.

2.A.4 Investment in Associate Companies has been accounted under the equity method as per Accounting Standard (AS) 23- 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements".

2.A.5 The Company accounts for its share in change in net assets of the associates, post-acquisition, after eliminating unrealized profits and losses resulting from transactions between the Company and its associates to the extent of its share , through its statement of Profit & Loss to the extent such change is attributable to the associates' Profit or loss through its reserves for the balance, based on available information.

2.A.6 The difference between the cost of Investment in associates and the share of net assets at the time of acquisition of shares in the associates is identified in the financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be.

2.A.7 As far as possible and to the best of the circumstances, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the company's standalone financial statements; except for the India International Insurance Pte Ltd.., an associate have been prepared in accordance with Singapore Financial Reporting Standards (FRS) as required by the Singapore Companies Act, Cap. 50.

As compared to the accounting policy of the company the material difference in the accounting policy followed by the associate are with respect to :

मूल्य अनर्जित प्रीमियम रिजर्व से अधिक हो जाता है।

अनर्जित प्रीमियम रिजर्व की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाती है:

(i) समुद्री कार्गो के अलावा कारोबार की सभी प्रत्यक्ष और वैकल्पिक पुनर्बीमा श्रेणियों के लिए 365वीं विधि, जिसके लिए 25: लागू है;

(ii) समुद्री कार्गो के अलावा संधि पुनर्बीमा कारोबार की सभी श्रेणियों के मामले में, प्रीमियम का 40: और समुद्री कार्गो के लिए, प्रीमियम का 25%; और

(iii) समुद्री कार्गो को छोड़कर, प्रत्यक्ष और वैकल्पिक पुनर्बीमा कारोबार के संबंध में गणना में वास्तविक अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाता है।

(बी) आस्थगित अधिग्रहण लागत: वित्तीय अवधि के दौरान किए गए कमीशन और अन्य अधिग्रहण लागत जो नए बीमा अनुबंधों को सुरक्षित करने औरध्या मौजूदा बीमा अनुबंधों को नवीनीकृत करने से संबद्ध है या भिन्न है, लेकिन जो बाद की वित्तीय अवधियों से संबंधित होती हैं, उन्हें इस हद तक स्थगित कर दिया जाता है कि उन्हें भविष्य के राजस्व मार्जिन से वसूल किए जा सकते हैं। आस्थगित अधिग्रहण लागत (''डीएसी'') की गणना वास्तविक कमीशन पर 365वीं पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अन्य सभी अधिग्रहण लागतें खर्च होने पर व्यय के रूप में पहचानी जाती हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि की एक समीक्षा की जाती है और, यदि आवश्यक हो, तो वहन मूल्य को वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

(सी) अचल संपत्तियां: अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी में दी गई संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड में लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है। संपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को परिसंपत्ति की मूल लागत का 5: माना गया है.

इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड में, सभी अचल संपत्तियों के मूल्यह्रास की गणना संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर शेष राशि को कम करने की लागत को कम करने के लिए की जाती है।

2.ए.8 समेकन में उपयोग की गई सहायक कंपनी और एसोसिएट्स की वित्तीय विवरणियां कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि यानी 31 मार्च 2023 तक तैयार किए की जाती है, या इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड को

(a) Reserves for unexpired risks, the accounting policy followed by Associate Reserves for unexpired risks comprises the sum of unearned premium reserves and premium deficiency reserves. Premium deficiency reserves are derived using actuarial methods on loss statistics and are recognised when the expected value of claims and expenses attributable to the unexpired periods of policies in force at the balance sheet date for any line of business exceeds the unearned premium reserves.

The unearned premium reserves are computed on the following basis:

(i) 365th method for all direct and facultative reinsurance classes of business other than marine cargo, for which 25% is applicable;

(ii) in the case of all classes of treaty reinsurance business, other than marine cargo, 40% of the premiums and for marine cargo, 25% of the premiums; and

(iii) the actual acquisition cost is taken into account in the computation in respect of direct and facultative reinsurance business, except for marine cargo.

(b) Deferred Acquisition Cost:

Commission and other acquisition costs incurred during the financial period that vary with and are related to securing new insurance contracts and/or renewing existing insurance contracts, but which relates to subsequent financial periods, are deferred to the extent that they are recoverable out of future revenue margins. Deferred acquisition costs ("DAC") are calculated using the 365th method on actual commission. All other acquisition costs are recognized as an expense when incurred.

An impairment review is performed at each reporting date and, if required, the carrying value is written down to the recoverable amount.

(c) Fixed Assets:

The depreciation on fixed assets is provided on written down value method in Health Insurance TPA of India Ltd based on useful lives of assets given in Part C of Schedule II of Companies Act 2013. The residual value of assets have been considered as 5% of the original cost of the

छोड़कर, जिसके लिए एक सहयोगी वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2021 तक तैयार किए गए हैं।

समेकन में शामिल सहायक कंपनी और एसोसिएट्स की और उनपर कंपनी की हिस्सेदारी निम्न प्रकार है:

dEiuh dk uke	LokfeRo % esa	bldk fuxeu dk n'k
सहायक कंपनी		
दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	100%	भारत
एसोसिएट्स		
इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड	20%	सिंगापुर
हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	23.75%	भारत

3- y[kkdu ifjikVh%

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों और आज तक संशोधित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। कथित विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा आईआरडीए द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 2012 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयारी) विनियम, 2002 तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 में उल्लिखित लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करते हुए बीमांकक आधार पर लागू सीमा तक तैयार की गई है तथा अन्यथा कथित के अलावा भारतीय साधारण बीमा में उपलब्ध प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं।

4. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग की गई धारणाएं

asset.

In India International Insurance PTE Ltd, depreciation of all fixed assets is calculated to write off the cost on reducing balance method over the expected useful lives of the assets concerned.

2.A.8 The financial statements of the subsidiary and associates used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the company i.e. 31st March 2023, except for the India International Insurance Pte Ltd., an associate for which financial statements are drawn as on 31st Dec 2021.

The list of subsidiary company and associates which are included in the consolidation and the company holdings therein are as under:

NAME OF THE COMPANY	OWNERSHIP IN %	COUNTRY OF INCORPORATION
SUBSIDIARY COMPANY		
The Industrial Credit Company Ltd	100%	India
ASSOCIATES		
India International Insurance Pte Ltd	20%	Singapore
Health Insurance TPA of India Ltd	23.75%	India

3. Accounting Convention:

The Financial Statements are drawn up in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of The Companies Act, 2013, and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended till date. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis comply with the accounting standards referred to in section 133 of The Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued

वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

6. शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों का फंडः

शेयरधारकों के फंड में शेयर पूंजी, सामान्य रिजर्व और बट्टे खाते में न डाले गए विविध व्यय का निवल पूंजी रिजर्व शामिल होता है। जिन्हें अपलिखित नहीं किया गया। पॉलिसीधारकों के फंड में आईबीएनआर और आईबीएनईआर सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता असमाप्त जोखिम रिजर्व (यूआरआर) प्रीमियम की कमी, यदि कोई हो, आपदा रिजर्व, यदि कोई हो और अन्य देनदारियों, अन्य परिसंपत्तियों (पॉलिसी धारकों से संबंधित) शामिल है।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन/रूपांतरणः

ए. विदेशी प्रचालन

7.1 लेखांकन मानक 11 के अनुसार ''विदेशी विनिमय दरों (संशोधित 2003) में परिवर्तन के प्रभाव विदेशी शाखाओं/एजेंसियों को'' स्वीकृत विदेशी संचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

7.2 अचल संपत्तियों का मूल्य और इक्विटी शेयरों में निवेश विदेशी मुद्राओं में अर्जित इक्विटी शेयरों (गैर–मौद्रिक निवेश) को अधिग्रहण की तिथि पर विनिमय दरों पर परिवर्तित/अनुदित किया जाता है।

7.3 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्य, वर्ष के अंत की समापन दर पर परिवर्तितध्अनुदित किया जाता है ।

7.4 विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की विदेशी मुद्राओं में व्यक्त आय और व्यय की वस्तुओं को वित्तीय वर्ष के दौरान चार त्रैमासिक दरों की उन औसत विनिमय दर पर परिवर्तित/अनुदित किया जाता है, जो दैनिक समापन दरों का औसत है ।

ch- iuchek vkj fuo'k

7.5 पुनर्बीमा कारोबार और निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन को वित्तीय वर्ष की उस विशेष तिमाही में सभी कारोबारी दिनों के लिए दैनिक समापन दरों की औसत विनिमय दर पर परिवर्तित/अनुदित किया जाता हैं।

7.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन के रूपांतरण पर विनिमय लाभ/हानि को आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है ।

8- jkt Lo ekU;rk

by IRDA, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

4. Use of Estimates

The Preparation of Financial Statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenues and expenses and disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements. Actual results may differ from those estimates and assumptions used in the accompanying financial statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as on the date of the financial statements. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

6. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve net of Miscellaneous expenditure not written off. The Policyholders' Fund comprises of Estimated Liability for Outstanding Claims including IBNR and IBNER, Unexpired Risk Reserve (URR), Premium Deficiency, if any, Catastrophe Reserve, if any and Other Liabilities net off Other Assets(relating to policy holders).

7. Foreign Currency Transactions / Conversion:

a) Foreign Operations

7.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as "Integral Foreign Operations".

7.2 Value of fixed assets and investment in equity shares (non-monetary investments) acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.

7.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing rate.

7.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing rates.

8-1 çhfe;e

प्रत्येक संबद्ध राजस्व खाते में जोखिम आकलन के आधार पर, पुनर्बीमा के निवल पर प्रीमियम दर्ज किए जाते हैं।

प्रीमियम में बाद में किसी भी संशोधन या रद्दीकरण को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं।

पुनर्बीमा प्रीमियम को पुनर्बीमा अनुबंध की शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

8-2 deh'ku

पुनर्बीमा अर्पणों पर कमीशन आय को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम अर्पित किया गया है।

पुनर्बीमा संधियों के तहत लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, तब मान्यता दी जाती है जब वास्तव में संधि अवधि के बाद के वर्ष में वास्तविक रूप में गणना की जाती है। लाभ कमीशन के बाद किसी भी संशोधन को उस वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है जिसमें लाभ का अंतिम निर्धारण किया जाता है।

8-3 vlekIr tkf[kek dh fy, vkj{kh fuf/k

असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व उसके प्रतिशत पर आधारित है, जो अग्नि, मरीन कार्गो और विविध कारोबार के मामले में निवल लिखित प्रीमियम का 50: और मरीन हल कारोबार के मामले में निवल लिखित प्रीमियम का 100% है। यह आगामी वित्तीय वर्षध्वर्षों के लिए देय निवल प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। खरीफ फसल के लिए असमाप्त जोखिम का शून्य माना जाता है क्योंकि यह लेखांकन अवधि में समाप्त होने वाली अल्पावधि है। मास्टर परिपत्र क्रमांक आईआरडीए–एफ एंड ए–सीआईआर–एफए– 126–07–2013 दिनांक 3 जुलाई, 2013रेफरी के शुद्धिपत्र के अनुपालन में प्रीमियम बुक किया गया है।

8-4 Loh—r iquchek

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रीमियम आय को खातों के अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर मान्यता दी जाती है, और विदेशी पुनर्बीमा के मामले में, आय की गणना के आधार पर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर की जाती है।

8-5 vfiz iqucheek

ए. पुनर्बीमा अर्पणों की गिनती वास्तविक आधार पर की जाती है। जहां भी पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां

b) Reinsurance and Investments

7.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.

7.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/ expense.

8. Revenue Recognition:

5.1 Premium

Premiums are recorded, net of reinsurances, basedon assumption of risks in each related Revenue account.

Any subsequent revisions to or cancellations of premium are recognized in the year in which they occur.

Re-Insurance premium is recognized as per the terms of the re-insurance contracts.

8.2 Commission

Commission income on reinsurance cessions is recognized as income in the year in which reinsurance premium is ceded.

Profit commission under reinsurance treaties wherever applicable, is recognized when actually calculated in the year subsequent to the Treaty period. Any subsequent revisions of profit commission also are recognized for in the year in which final determination of the profits is made.

8.3 Reserves for Unexpired risk/s

Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % of the net written premium in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% of the net written premium in case of Marine Hull business. It represents the net premium attributable to the successive financial year/s. Unexpired risk for Kharif crop is taken as nil as it is a short term expiring with in the accounting period. The premium is booked in compliance of corrigendum to Master circular ref. no. IRDA-F&A-CIR-FA- 126-07-2013 Dt.3rd July, 2013

8.4 Reinsurance Accepted

उपलब्ध जानकारी पर आधारित पर अनुमान के आधार पर पुनर्बीमा स्वीकृतियां/अर्पण किए जाते हैं।

बी. पुनर्बीमा अर्पण और पुनर्बीमा वसूलियां तकनीकी विभागों द्वारा अंतिम की गई रिटर्न के आधार पर बुक की जाती हैं। तकनीकी विभागों द्वारा अर्पित किए गए प्रीमियम और दावा वसूली के आंकड़ों और बुक किए गए वास्तविक आंकड़ों में किसी भी अंतर को अस्थायी जर्नल प्रविष्टियों के माध्यम से दर्ज किया जाता है ।

8-5 vfxze :i esa çkIr çhfe;e

अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जोखिम बैलेंस शीट की तारीख के बाद शुरू होता है।

8-6 ykHkka'k

1. लाभांश की गणना उस वर्ष में की जाती है जिसमें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2. आपत्ति/लंबित डिलीवरी वाले शेयरों पर लाभांश की गणना प्राप्ति पर की जाती है। अंतरिम लाभांश की गणना तब की जाती है यदि पूर्व–लाभांश की तारीख 31 मार्च या उससे पहले होती है ।

3. विदेशी कंपनियों से लाभांश (चाहे अंतरिम हो या अंतिम) की गणना एकत्र करने के आधार पर की जाती है।

8-7 C;kt dh vk;

ए. ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों, बांड और डिबेंचर के संबंध में ब्याज से आय को आईआरडीएआई द्वारा जारी आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण नियमों हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

बी. आयकर वापसी पर ब्याज से आय की गणना आदेश प्राप्ति के वर्ष में की जाती है।

8-8 osapj dfiVy QaM

वेंचर पूंजी निधि के संबंध में राजस्व प्राप्ति के आधार पर पहचाना जाता है

8-9 çhfe;e dh deh

प्रीमियम की कमी की गणना तब की जाती है जब संभावित दावा लागत, संबंधित व्यय और रखरखाव लागत की राशि संबंधित अनर्जित प्रीमियम से अधिक हो जाता है। प्रीमियम की कमी को आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचाना जाता है और यह

Premium income in respect of Indian Reinsurers is recognized based on returns received up to 30th April of next Financial Year of accounts, and in case of foreign reinsurance, the income is accounted for on the basis of returns received up to 31st March of each year.

8.5 Reinsurance Ceded

a. Reinsurance cessions are accounted for on the basis of actuals. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.

b. Reinsurance cessions and reinsurance recoveries on facultative arrangements are booked based on returns finalized by technical departments. Any difference in figures of premium ceded and claim recoveries provided by technical departments, with those of actuals booked are accounted through provisional journal entries.

8.5 Premium received in Advance

Premium received in advance represents premium received in respect of policies issued during the year, where the risk commences subsequent to the balance sheet date.

8.6 Dividend

1. Dividend is accounted for in the year in which right to receive is established.

2. Dividend on shares under objection/ pending delivery is accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the ex-dividend date is on or before 31st March.

3. Dividend from foreign companies (whether interim or final) is accounted for on collection basis.

8.7. **Interest Income**

a) Interest income in respect of loans, government securities, bonds and debentures is recognized as per the guidelines for prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI.

b) Interest income on Income Tax Refunds is accounted in the year of receipt of order.

8.8 Venture Capital Fund

असमाप्त जोखिम आरक्षित का हिस्सा है।

8.10 निवेश से आय–आबंटन का आधार

निवेशों की बिक्री/मोचन से लाभ/हानि की गणना बिक्री/मोचन के पिछले दिन की समाप्ति पर औसत लागत लेकर की जाती है।

निवेश आय (खर्चों का निवल) को वर्ष के अंत में इन फंडों के शेष के अनुपात में शेयरधारकों के फंड और पॉलिसीधारक के फंड के बीच विभाजित किया जाता है।

पॉलिसीधारकों की निवेश आय (खर्चों का निवल) को बाद में वर्ष के अंत में संबंधित तकनीकी आरक्षित शेष के अनुपात में अग्नि, समुद्री और विविध खंडों में आबंटित किया जाता है।

8.11 निवेशों की बिक्री/मोचन से लाभ/हानि, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, शेयरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन, अस्वीकृत निवेश, बट्टे, ब्याज, लाभांश व किराए के माध्यम से आय, वर्ष के अंत में पॉलिसीधारकों के फंड और शेयरधारकों के फंड के आधार पर राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते के बीच लाभांश और किराया आबंटित किया जाता है।

8.12. नए बीमा अनुबंधों/बीमा के नवीनीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में ली जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

9. बकाया दावेः

दावे रिपोर्ट किए जाने पर ही पहचाने जाते हैं।

वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्टों, ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, अंतिम रूप देने की तारीख तक अन्य स्रोतों एवं अग्रणी कंपनियों की सलाह और, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों पर आधारित है। अनुमानों की लगातार समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालाँकि, अंतिम देयता प्रदान की गई राशि से अधिक या कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस अवधि में परिलक्षित होगा जिसमें वे ज्ञात होंगे। बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व में शामिल हैंः

ए. प्रत्यक्ष कारोबार के संबंध में, वर्ष के अंत तक प्राप्त हुईं दावों की सूचनाएं ।

बी. पुनर्बीमा स्वीकृतियों के संबंध में, खातों को अंतिम रूप देने की तारीख से अगले वर्ष की अलग–अलग तारीखों पर प्राप्त निदेशों जहां भी निदेश प्राप्त नहीं हुए है, वहां

Revenue in respect of Venture capital Fund is recognized on receipt basis

8.9 Premium Deficiency

Premium deficiency is calculated where the sum of expected claims costs, related expenses and maintenance costs exceed the related unearned premium. The premium deficiency is recognized as per IRDA guidelines and forms part of unexpired risk reserve.

8.10 Income from Investments-Basis of Apportionment

Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/ redemption.

Investment income (net of expenses) is apportioned between Shareholders' funds and Policyholders' funds in proportion to the balance of these funds at the end of the year.

Investment income (Net of expenses) belonging to Policyholders is further apportioned to Fire, Marine and Miscellaneous segments in proportion to respective technical reserve balance at the end of the year.

8.11 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non-performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities, expenses relating to investments, investment written off and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the end of the year.

8.12. The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

9. Outstanding Claims:

Claims are recognized as and when reported.

Estimated liability for outstanding claims at the year-end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources up to the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually

अनुमान के आधार पर।

सी. मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में जहां कंपनी की दायिता को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पॉलिसी विवरण के बिना कंपनी को अदालती समन भेजा गया है, वहां निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

i) अनुमानित देयता का 100: यदि ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं

il) यदि वर्ष के दौरान कंपनी को अदालती समन भेजा गया हो तो ऐसे सभी दावों की अनुमानित दायिता 1ध्3 हागी।

डी. उपगत लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) दावों के लिए प्रावधान और उपगत और पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनईआर) दावों के लिए प्रावधान उस नियुक्त बीमांकिक द्वारा निर्धारित किए गए है जो स्वीकृत बीमांकिक प्रक्रिया, (आईआरडीए बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरण तैयार करना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम 2022 और भारतीय बीमांकिक संस्थान के नियमों एवं वित्तीय विवरण की तैयारी के संदर्भ में जारी किए गए मास्टर परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। निवल आईबीएनआर/आईबीएनईआर की गणना सकल दावा रिजर्व के सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

ई. कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए लेकिन दावेदारों द्वारा अदालतों/लोकपाल/मध्यस्थता आदि में मुकदमा किए गए उन दावों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जहां यह राय दी गई है कि कुछ विकास या अतिरिक्त सबूतों के कारण मुकदमा/निर्णय कंपनी के खिलाफ होने की संभावना है।

10. साल्वेज और दावा वसूलियां

दावों के तहत साल्वेज/वसूली का निपटान, प्राप्ति होने पर और दावों में जमा किया होने पर किया जाता है।

11. प्रबंधन–आबंटन का व्ययः

पॉलिसी स्टैंपों के अलावा प्रबंधन के खर्चों को भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और भारत में स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम के आधार पर राजस्व खातों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अग्नि और विविध व्यवसाय के लिए प्रत्येक को 100% और समुद्री व्यवसाय के लिए 75% का वेटेज दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प, एजेंसी कमीशन, एमआईएसपी वितरण शुल्क और ब्रोकरेज से संबंधित व्यय सीधे संबंधित राजस्व खातों में आवंटित किए जाते हैं। राजस्व खातों और लाभ और हानि खाते में व्यय

reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:

a. In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.

b. In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year up to the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.

c. In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year

ii) 1/3rd of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

D Provision for claims incurred but not reported (IBNR) and provision for claim incurred and not enough reported (IBNER) have been determined by appointed actuary which is in accordance with accepted actuary practice, requirement of IRDA (Preparation of financial statements and auditor's report of insurance companies) Regulations 2002 and the master circulars issued in the context of preparation of financial statements and stipulations of the institute of Actuaries of India. The net IBNR/IBNER is arrived at as a percentage of Gross IBNR/IBNER to the gross claim reserves.

e. Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ ombudsman/ arbitration etc. have been made where it is opined that the awards/decision are likely to be against the company because of certain developments or additional evidence.

10. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

का आवंटन 24.04.2016 के आईआरडीए विनियमों के अनुसार किया जाता है।

12- vpy lifUk ,o eY;°kl%

12.1 संपत्तियां (संपत्ति के अधिग्रहित अधिकारों के लिए सहकारी समितियों में शेयरों की लागत सहित) ''पट्टाधारित संपत्ति/फ्रीहोल्ड बिल्डिंग'' शीर्षक के तहत शामिल हैं।

12.2 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन मूल्यह्रास घटाकर लागत पर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

12.3 अर्जित की गई लेकिन उपयोग में नहीं लाई गई संपत्तियों को ''पूंजीगत पर प्रगति कार्य'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

12.4 कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 123 के तहत अनुसूची II में निर्धारित एसएलएम आधार पर उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। हालांकि, कंपनी की योजना के अनुसार वाहनों और मोबाइल फोन के लिए उपयोगी जीवन क्रमशः 5 वर्ष और 2 वर्ष निर्धारित है।

12.5 अमूर्त संपत्तियों की गणना उनकी अधिग्रहण लागत पर की जाती है और एएस 26 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन में परिशोधन किया जाता है।

12.6 पट्टाधारित संपत्तियों का परिशोधन पट्टा अवधि के बाद किया जाता है।

12.7 अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किसी ऐसे संकेत के लिए किया जाता है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त है। यदि अचल संपत्तियों की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम है, तो हानि के लिए प्रावधान किया जाता है।

12ए.1 जहां कंपनी पट्टेदार है :

ऐसे पट्टे जहां पट्टादाता पट्टे की अवधि के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान समुचित रूप से लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

12ए.2 जहां कंपनी पट्टादाता है :

परिचालन पट्टों के अधीन संपत्तियाँ अचल संपत्तियों में शामिल हैं। अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पट्टे की

11. **Expenses of Management-Apportionment:**

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium in India plus reinsurance premium accepted India giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps, Agency Commission, MISP distribution fee and Brokerage are directly allocated to respective Revenue Accounts. The allocation of expenses to revenue accounts and Profit and Loss Account is done as per IRDAI regulations dt. 24.04.2016.

12. **Fixed Assets & Depreciation:**

12.1 Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/Freehold Buildings".

12.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.

12.3 Assets under completion acquired but not put to use are classified under “Capital Work in Progress”.

12.4 Depreciation is provided on the basis of useful life on SLM basis as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. However, useful life for Vehicles and Mobile phones is fixed at 5 years & 2 years respectively as per the scheme of the company

12.5 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.

12.6 Lease hold properties are amortized over the lease period.

12.7 Fixed assets are assessed for any indication that an asset is impaired. In case the recoverable amount of the fixed assets is lower than its carrying amount, a provision is made for the impairment loss.

12A.1 Where the Company is the lessee:

आय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। मूल्यह्रास सहित लागत को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

13. निवेशः

13.1 लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, ब्रोकरेज और जीएसटी जैसे खर्च, अंतरण स्टांप, अंतरण शुल्क आदि शामिल हैं, और उस पर प्राप्त प्रोत्साहन/शुल्क, यदि कोई हो, का निवल है ।

13.2 अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरण जैसे जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक कागजात, जिन पर अनुबंध के समय सहमत दरों पर छूट दी जाती है, को रियायती मूल्य पर गिना जाता है।

13.3 ऋण प्रतिभूतियाँः सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानित शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को ''परिपक्वता तक धारित'' माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और प्रतिभूतियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम परिपक्वता की शेष अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है।

13.4 इक्विटी प्रतिभूतियांः इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले, कम कारोबार वाले और असूचीबद्ध में विभाजित किया गया है।

13.4.1भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है, जिसे प्रमुख विनिमय के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी प्रतिभूति प्रमुख विनिमय में सूचीबद्ध नहीं है/कारोबार नहीं किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन मार्च के महीने में बीएसई पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा जिसे आनुषंगिक विनिमय के रूप में चुना गया है। अप्राप्त लाभ/हानि का हिसाब उचित मूल्य परिवर्तन खाते में किया जाता है।''

13.4.2भारत के बाहर स्थित कंपनियों के पास रखे असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालाँकि, पिछले तीन वर्षों के कंपनी के अद्यतन वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेकअप मूल्य लागत से कम होता है तो नहीं आता है। यदि ब्रेक–अप मूल्य नकारात्मक है या जहां वर्तमान ब्रेक–अप मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो बुक वैल्यू के बराबर राशि का प्रावधान किया जाता है।

13.5 प्राधिमानता शेयरों के मामले में, जहां उन्मोचन आय तीन

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

12A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the Profit and Loss Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

13. Investments:

13.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage and GST, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.

13.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.

13.3 Debt Securities: Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as "held to maturity" and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.

13.4 Equity Securities: Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.

13.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account."

13.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in

साल से अधिक के लिए देय है, तो देय राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

13-6 gkfu

हानि को इक्विटी और प्राधिमानता शेयरों में मान्यता दी जाती है, यदि कंपनियां पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रही हैं और जिनकी पूंजी आंशिक रूप सेध्पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है या जहां पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

13.6.1 इक्विटी शेयर :

ए. सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर (उपरोक्त लेखांकन नीति 10.4.1 के अनुसार), या बुक वैल्यू, जो भी कम हो।

बी. कम कारोबार वाले/असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, कंपनी के पिछले तीन वर्षों के अद्यतन वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक–अप मूल्य पर नहीं। –यदि ब्रेक–अप मूल्य नकारात्मक है या यदि वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए, प्रति कंपनी 1/– रुपये के नाममात्र मूल्य पर।

13-6-2 çkf/kekurk 'k;j %

ए) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों का सक्रिय रूप से कारोबार किया जाता है, तो उसके प्राधिमानता शेयरों को उस मूल्य पर लिखा जाता है जो उसी अनुपात में होता है जैसा कि इक्विटी शेयर का मार्केट मूल्य अपना अंकित मूल्य वहन करता है।

बी) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर असूचीबद्ध/कम कारोबार वाले हैं, तो इसके प्राधिमानता शेयरों को उस मूल्य पर लिखा जाता है, जो कि उस अनुपात में है जैसा कि इक्विटी शेयर का ब्रेक–अप मूल्य अपने अंकित मूल्य को वहन करता हैय यदि इक्विटी शेयर का ब्रेकअप मूल्य नकारात्मक है या यदि तीन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रति कंपनी 1/–रुपये का नाममात्र मूल्य है।

13.6.301/04/2000 के बाद, लेखांकन पॉलिसी संख्या 10.6 के नियमानुसार हानि को पुनरांकित किया जाता है और राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होती है, केवल उस स्थिति में जब संचित हानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और पूंजी नवीनतम उपलब्ध प्रकाशित खातों के अनुसार पूरी तरह से प्राप्ति हो जाती है । हालाँकि, उन मामलों में इक्विटी और

value of such investments when the break-up value falls below the cost as per the latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. In case the break-up value is negative or where the current break-up value is not available, provision is made for an amount equivalent to the book value.

13.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.

13.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

13.6.1 Equity Shares:

a) In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price (as per Accounting Policy 10.4.1 above),or book value whichever is lower.

b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

13.6.2 Preference shares:

a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.

b) If the equity shares of a Company are unlisted/ thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the breakup value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/-

प्राधिमानता शेयरों दोनों के लिए हानि हानि के प्रत्यावर्तन को मान्यता नहीं दी जाती है, जहां अधिमानित शेयरों की मोचन आय तीन साल से अधिक के लिए देय है।

13.7 म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है और अप्राप्त लाभ/हानि को ''उचित मूल्य परिवर्तन खाते'' में गिना जाता है।

13.8 वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। हालाँकि, यदि नवीनतम निवल संपत्ति मूल्य (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से कम है, तो लागत और शुद्ध संपत्ति मूल्य के बीच के अंतर की सीमा तक निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान किया गया है। एनएवी में किसी भी बढ़ोतरी को पहले से पहचाने गए नुकसान की सीमा तक राजस्व में लिया जाता है।

13.9 मानक/गैर–निष्पादित ऋण/जमा/डिबेंचर के लिए प्रावधान आईआरडीए/आरबीआई द्वारा जारी संबद्ध दिशानिर्देशों के आधार पर आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किए जाते हैं।

बैलेंस शीट की तिथि पर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋणों/निवेशों को लंबी अवधि श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता निश्चित नहीं है।

13-10 foHkkt u%

ए. आईआरडीए विनिमय परिपत्र /CIR/CPM/056/032016 दिनांक 04.04.2016) के अनुसार शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों से संबद्ध निवेशों की बैलेंस शीट की तिथि पर अलग किया गया है।

14- deZpkfj;ksa dh ykHk%

14.1 ग्रेच्युटी के लिए देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित की जाती है और एक स्वीकृत निधि के माध्यम से प्रशासित की जाती है। अवकाश नकदीकरण और कर्मचारियों के अन्य परिभाषित लाभों के प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं ।

14.1.1 कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए दायित्व वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित किया जाता है और 01.04.2010 से शामिल होने वाले कर्मचारी जिसे अंशदान योजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक अनुमोदित निधि

per company.

13.6.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 10.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.

13.7 Investments in units of Mutual Funds/Exchange Traded Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".

13.8 Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.

13.9 Provisions for standard/non-performing loans/ deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA / related RBI Guidelines

Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisibility is not certain.

13.10 Apportionment:

The investments pertaining to shareholders' and policyholders' are segregated as on the Balance Sheet date as per the IRDAI Regulations (circular no. IRDA/F&A/CIR/CPM/056/03/2016 DT. 04.04.2016).

14. Employees' Benefits:

14.1 The liability for gratuity is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund. Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.

के माध्यम से प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए योगदान राजस्व खातों में लागू के अनुसार लिया जाता है, को छोड़कर एक स्वीकृत फंड द्वारा प्रशासित किया जाता है।

14.2 कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। अवधि के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे लाभ और हानि खाते में वसूला जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है।

14.3 सभी अल्पकालिक लाभ कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के आधार पर लेखांकन अवधि के दौरान बिना छूट के आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

15. कराधान :

कर व्यय (कर बचत) चालू वर्ष के कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), पिछले वर्ष के कर और आस्थगित कर (लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर से प्रभावित कर को दर्शाने वाले) का कुल योग है। इन्हें लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है (या जमा किया जाता है)।

15.1 वर्तमान वर्ष प्रभारः

वर्तमान कर हेतु प्रावधान लागू न्यायिक घोषणाओं और कंपनी के वकील की राय पर उचित विचार के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित कंपनी के मूल्यांकन योग्य मुनाफे पर किया जाता है।

15.2 पिछले वर्ष का करः

अस्वीकृति या अन्य कारणों से अपील के अधीन मामलों के लिए प्रावधानों को वैसे ही दर्ज किया जाता है जैसा कि उपयुक्त माना जाता है।

15.3 आस्थगित करः

(ए) आस्थगित कर शुल्क या क्रेडिट और संबद्ध आस्थगित कर देयताओं को उस कर दर का उपयोग करके कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय के अंतर के लिए पहचाना जाता है जो कि बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

(बी) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब तक कि उचित निश्चितता

14.1.1The Liability for pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund except in case of pension for the employee who joined from 01.04.2010.which is defined contribution plan wherein contribution towards national pension scheme is charged to Revenue Accounts as applicable..

14.2 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

14.3 All short term benefits are accounted on undiscounted basis during the accounting period based on the service rendered by the employee.

15. Taxation:

Tax expense(tax saving) is the aggregate of current year tax(i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income tax law) , earlier year tax and deferred tax (reflecting the tax effects of timing differences between the accounting income and taxable income for the period) . These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

15.1 Current Year Charge:

Provision for current tax is made on the assessable profits of the company as determined under The Income Tax act, 1961 after due consideration of the applicable judicial pronouncements and opinion from the Company's Counsel.

15.2 Earlier year Tax:

Provisions are recorded as considered appropriate, for matters under appeal due to. Disallowances or for other reasons.

15.3 Deferred Tax:

(a) The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities are recognized for timing differences arising between taxable incomes and accounting

हो कि परिसंपत्तियों को भविष्य में बेचा जा सकता है। कराधान कानूनों के तहत अवशोषित मूल्यह्रास और घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां एक संभावित निश्चितता होती है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में बेचा जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

15.4 कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया एमएटी, जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभों को जन्म देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का प्रमाणिक साक्ष्य है कि कंपनी भविष्य की आय पर सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को बैलेंस–शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

15. दावा न किए गए क्रेडिट शेष :

वैधानिक भुगतान संबद्ध को छोड़कर एमएसीटी दावों से संबंधित या प्रीमियम की वापसी हेतु पॉलिसीधारकों को जारी किए गए दावा भुगतान या अन्य बकाया राशि की वापसी के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए चेक को छोड़कर, जारी होने की तारीख से 3 साल से अधिक समय के पुराने चेकों को पुनरांकित किया जाता है। 3 वर्ष से अधिक समय से दावा न किए गए अन्य पुराने क्रेडिट शेष को मामले–दर–मामले के आधार पर पुनरांकित किया जाता है। पॉलिसीधारकों की देय राशि से संबंधित पुराने चेक ''पॉलिसीधारकों के बकाया खाते'' में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

16.1 कंपनी प्रावधानों को तभी मान्यता देती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व होता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब राशि का एक विश्वसनीय अनुमान हो दायित्व बनाया जा सकता है.

16.2 आकस्मिक देनदारियाँ तभी दर्ज की जाती हैं जबः

i. जो पिछली घटनाओं से कोई संभावित देयता उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैंय या

income using the tax rate that has been enacted or substantively enacted as on the date of the Balance Sheet.

(b) Deferred tax assets are recognized only to the extent there is a reasonable certainty that the assets can be realized in future. In the case of unabsorbed depreciation and carry forward of losses under taxation laws, deferred tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty that the assets can be realized in future. Deferred Tax assets are reviewed at each Balance Sheet date.

15.4 MAT paid in accordance with the tax laws, which give rise to future economic benefits in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the company will pay normal income tax on future income. Accordingly, MAT is recognized as an asset in the balance-sheet when it is probable that the future economic benefit associated with it will flow to the company and the asset can be measured reliably.

15. **Unclaimed Credit Balances:**

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".

16. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

16.1 The company recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

16.2 Contingent Liabilities are recorded when:

i. There is any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-

ii. कोई भी वर्तमान दायित्व है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन

ए. यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी य या

बी. दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व का केवल वह हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, प्रदान किया जाता है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

16.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही उनको प्रकट किया जाता है।

17. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

ईपीएस इक्विटी शेयरों की मूलध्भारित औसत संख्या के कारण कराधान के बाद निवल लाभ के आधार पर निकाला जाता है।

occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company; or

ii. There is any present obligation that arises from past events but

A. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

B. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

16.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

17. Earnings Per share (EPS)

EPS (Basic/diluted) is arrived at based on net profit after taxation attributable to equity shareholders to the basic/weighted average number of equity shares.

31 ekp 2024 dk lekIr gkus okys o"k d fy, y[kkijhf{kr lefdr foÙkh; foojf.k;ksa dk fgLlk cuus okys uksV%

B. Notes forming part of Audited Consolidated Financial Statements for the year ending on 31st March 2024

vkbvkjMh,vkbZ }kjk vif{kr fooj.kksa dk çdVhdj.k A

DISCLOSURES OF PARTICULARS AS REQUIRED BY IRDAI.

1- 1, lefdr bdkb;ksa vkj mudh fuoy ifjlifÙk;ksa vkj ykHk@gkfu dk lc) fgLlk dh lph

1. 1A List of entities consolidated and their respective share of Net assets and Profit/Loss-

bdkbZ dk uke **Name of the entity**	fuoy ifjlifÙk;ksa vFkkr dy ifjlifÙk;ksa esa ls dy n;rk,a ?kVk,a **Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities**		fuoy ifjlifÙk;ksa vFkkr dy ifjlifÙk;ksa esa ls dy n;rk,a ?kVk,a **Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities**		ykHk ;k gkfu esa fgLlk **Share in Profit or Loss**		ykHk ;k gkfu esa fgLlk **Share in Profit or Loss**	
	2023-24		**2022-23**		**2023-24**		**2022-23**	
	lefdr fuoy ifjlifÙk;ksa dk % dk :i esa **As % of Consolidated Net Assets**	jkf'k ¼#-/000 esa½ **Amount (Rs'000)**	lefdr fuoy ifjlifÙk;ksa dk % dk :i esa **As % of Consolidated Net Assets**	jkf'k ¼#-/000 esa½ **Amount (Rs'000)**	lefdr ykHk@ gkfu dk % dk :i esa **As % of Consolidated Profit/Loss**	jkf'k ¼#-/000 esa½ **Amount (Rs'000)**	lefdr ykHk/ gkfu dk % dk :i esa **As % of Consolidated Profit/Loss**	jkf'k ¼#-/000 esa½ **Amount (Rs'000)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूलः/**Parent:**								
दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड The Oriental Insurance Company Limited	116.62	-38,54,90,24	114.09	-41,70,65,39	43.14	18,61,20	99.66	-49,68,11,20
सहायक/Subsidiary								
दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial credit Company Limited	0.00	-857	0.00	133.70	0.00	6.30	0.00	-107.60
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) **Associates (Investment as per the equity method)**								
भारतीय/**Indian**								
1. हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health Insurance TPA of India Ltd.	-0.76	24,99,14	-0.61	22,29,34	6.25	2,69,80	.03	-1,52,53
विदेशी/Foreign								
1. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance PTE Ltd.	-15.87	5,24,49,46	-13.48	4,92,73,33	50.60	21,83,11	-0.31	-15,63,15
कुल/**Total**	100%	-33,05,50,21	100%	-36,55,61,39	100%	43,14,17	100%	-49,85,27,96

वर्ष के लिए समेकित लाभः / **Consolidated Profit for the Year:**

निम्न के देय लाभ की राशिः **Profit attributable to:**	(रु.हजारों में) (Rs in thousands)
कंपनी के मालिक / Owners of the Company	18,61,20

बी आकस्मिक देयताएं / **B Contingent Liabilities**

क्रम सं. **Sl. No.**	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 तक **As at 31.03.2024** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**	31.03.2023 तक **As at 31.03.2023** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**
a.	आंशिक रूप से भुगतान किया गया निवेश / Partly Paid Investments	1,50,00	1,50,00
b	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता बकाया / Underwriting Commitment Outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
c	जिन पॉलिसियों के अंतर्गत ऋण को स्वीकार नहीं किया गया, उनके अलावा अन्य दावे Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt	1,32,20	12,65,86
d	कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी Guarantee given by or on behalf of the Company	शून्यNIL	शून्यNIL
*e	विवादित वैधानिक मांगेंध्देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	23,49,70,29	8,52,18,66
f	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसके लिए लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts	शून्यNIL	शून्यNIL

* विवादित सांविधिक मांगेंध्देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया हैः संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है
* Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for: Summarized details are as under

क्र. सं. S. No.	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 तक **As at 31.03.2024** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**	31.03.2023 तक **As at 31.03.2023** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**
1	प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes	8,18,27,40	7,83,53,87
2	सेवा कर / जीएसटी / Service Tax/GST	13,59,99,14	61,98,10
3	आरओ आकस्मिक देयताएं / RO contingent Liabilities.	1,71,43,75	6,66,69
4	अन्य सांविधिक मांग / Other Statutory Demand	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	कुल कर मांग / देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया Total Tax Demands/ Liabilities not provided For	23,49,70,29	8,52,18,66

* विवादित सांविधिक मांगेंध्देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया हैः संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है
* Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for: Summarized details are as under

:रमा देवी बनाम आईसीसी में–सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय (ओपी) द्वारा जिला न्यायालय अलीगढ़ में अपील संख्या 96 / 2022 दायर की गई थी, जिला न्यायालय अलीगढ़ ने अपील स्वीकार कर ली और केस संख्या 277 / 1971 को उसके मूल नंबर पर बहाल करने का आदेश पारित किया। परिणामस्वरूप, मामला 25 नवंबर 2023 को जेएससीसी कोर्ट अलीगढ़ में बहाल कर दिया गया। कंपनी ने अपील संख्या 96 / 2022 के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने मामले में 28 नवंबर 2023 को स्थगन प्रदान किया और इसे जेएससीसी कोर्ट अलीगढ़ द्वारा सुश्री सरस्वती वार्ष्णेय को 10 जनवरी 2024 को भेज दिया गया।

हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड में पूंजी प्रतिबद्धताओं और अन्य प्रतिबद्धताओं और आकस्मिक देनदारियों में हिस्साः

. Note: In Rama Devi Vs ICC- An appeal No. 96/2022 was filed in District Court Aligarh by Ms. Saraswati Varshney (O.P), The District Court Aligarh accepted the appeal & passed order of restoration of case no. 277/1971 to its original number. Consequently, the case was restored in JSCC court Aligarh on November 25, 2023. The company challenged the decision of appeal no. 96/2022 in Allahabad High Court. The High court granted stay on November 28, 2023, in the case and the same was forwarded to Ms. Saraswati Varshney by the JSCC court Aligarh on January 10, 2024. The JSCC court Aligarh has stayed the case proceedings in Case No. 277/1971 till any further decision /communication by the Hon'ble High Court of Allahabad.

• Share in capital commitments and other commitments and contingent liabilities in Health Insurance TPA of India Ltd:

पूंजी प्रतिबद्धताएं : शून्य
अन्य प्रतिबद्धताएँ : शून्य
आकस्मिक देयताएं (बैंक गारंटी) : 5,49,00 हजार रुपये (पिछले वर्ष 5,49,00 हजार रुपये)

1सी सहायक कंपनी द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ने पिछले कई वर्षों से कोई परिचालन नहीं किया है और इसने 13,32 (हजारों में) रुपये का घाटा दर्ज किया है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी की निवल संपत्ति कम हो गई है, वर्तमान देनदारियां इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से 8,32 रूपए (हजारों में) अधिक हो गई हैं और कंपनी को 247 रुपये (हजारों में) का घाटा हुआ है। ये स्थितियाँ भौतिक अनिश्चितताओं के अस्तित्व को इंगित करती हैं जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर संदेह पैदा कर सकती हैं।

2. भारत में और भारत के बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों पर भार

Capital commitments :NIL

Other Commitments :NIL

Contingent Liabilities (Bank Guarantee) :Rs 5,49,00 thousands (Previous Year Rs 5,49,00 thousands)

1C The subsidiary The Industrial Credit Company Ltd. has not undertaken any operations for past several years and has accumulated losses of Rs. 13,32 (in thousands). The net worth of company is eroded as at 31st March 2023 the current liabilities exceeded its current assets by Rs. 8,32(in thousands) and the company has incurred loss of Rs. 247 (in thousands). These conditions indicate the existence of material uncertainties which may cast doubt as to the Company's ability to continue as a going concern.

2. Encumbrances to assets of the Company in and outside India

क्र. सं. S. No.	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 तक **As at 31.03.2024** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**	31.03.2023 तक **As at 31.03.2023** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**
1	न्यायालय के आदेश के अनुसार बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए Bank Accounts frozen as per Court Orders	2,18,25	37
2	सरकार की ओर से पर्यावरण राहत कोष के अंतर्गत जमा राशि Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	शून्यNIL	शून्यNIL

3. प्रतिबद्धताएं तथा ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए बकाया
Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets

क्र. सं. S. No.	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 तक **As at 31.03.2024** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**	31.03.2023 तक **As at 31.03.2023** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**
1	ऋण / Loans	NIL	NIL
2	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर / Partly Paid Shares	14,40	14,40
3	निवल अग्रिमों की केपिटल प्रतिबद्धताएं / Capital Commitments Net of Advances	2,60,79,96	NIL

4. निम्न का पुनर्बीमा घटाकर भुगतान किए गए दावे
Claims less Reinsurance, paid to

क्र. सं. S. No.	विवरण / **Particulars**	31.03.2024 तक **As at 31.03.2024** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**	31.03.2023 तक **As at 31.03.2023** (रु.'000 में) **(Rs in '000)**
1	भारत में दावेदार / Claimants in India	1,38,54,14,91	1,30,40,24,23
2	भारत से बाहर के दावेदार / Claimants outside India	3,62,88,60	2,35,99,68
	कुल / Total	1,42,17,03,51	1,32,76,23,91

5. उन दावों के मामले में दावा देयताओं के निर्धारण के लिए बीमांकिक अनुमान जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है ।

5.1 ऐसे दावों के मामले में दावा देयताओं की गणना करने के लिए कोई अलग अनुमान नहीं किए जा रहे हैं, जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है। आईबीएन (ई)आर रिजर्व उन दावों की देयताओं का ध्यान रखता

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

5.1 No separate assumptions are being taken to work out claims liabilities in the case of claims where the claims payment period exceed four years. IBN(E)R Reserves take care of claim

है, जहां दावा भुगतान अवधि चार वर्ष से अधिक है।

5.2 सकल आईबीएन (ई) आर भंडार (असूचित दावों के लिए संयुक्त भंडार और साथ ही रिपोर्ट किए गए दावों के कैरीड रिजर्व की अपर्याप्तता (यदि कोई हो) का अनुमान भारतीय एक्चुअरीज संस्थान द्वारा जारी एक्चुअरियल प्रैक्टिस मानकों और प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में एक्चुअरियल सिद्धांतों का उपयोग करके लगाया जा रहा है। मुख्य रूप से, आईबीएन (ई) आर अनुमान के लिए चेन लैडर दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। जहां भी डेटा कम है, अनुमानित यूएलआर दृष्टिकोण का भी पालन किया जाता है। फसल एलओबी के मामले में, फसल वर्टिकल द्वारा प्रस्तुत इनपुट पर निर्भरता रखी जाती है।

5.3 31 मार्च, 2024 तक उपगत किन्तु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और उपगत किन्तु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनईआर) के लिए प्रावधान नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस संबंध में स्वीकृत बीमांकिक प्रक्रिया और आईआरडीए विनियमों के अनुसार है।

6. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष)

liabilities where the claim payment period exceed four years.

5.2 Estimates of Gross IBN(E)R reserves (combined reserve for unreported claims as well as insufficiency of carried reserves of reported claims (if any) are being made using actuarial principles in compliance with the Actuarial Practice Standards issued by the Institute of Actuaries of India and the directions of the Authority. Primarily, Chain Ladder approach is used for IBN(E)R estimation. Wherever data is scanty, estimated ULR approach is also followed. In case of Crop LoB, reliance is placed on the inputs furnished by the Crop vertical.

5.3 Provision towards Claims Incurred but Not Reported (IBNR) and those Incurred but Not Enough Reported (IBNER) as on 31st March,2024 have been determined by Appointed Actuary, which is in accordance with accepted actuarial practice and IRDA regulations in this regard.

6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)

ए) दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष): भारत के भीतर
a) Ageing of claims (Direct excluding IBNR): Within India

(रु. '000 में) (Rs. in '000)

व्यवसाय की श्रेणी **Class of Business**	वर्ष / **Year**	बकाया दावे / **Claims outstanding for**					
		छह महीने से अधिक **More than six months**		छह महीने से कम **Less than Six months**		कुल / **Total**	
		संख्या **Number**	मात्रा **Amount**	संख्या **Number**	मात्रा **Amount**	संख्या **Number**	मात्रा **Amount**
अग्नि / Fire	तक / As at 31.03.2024	2037	21,17,73,12	1044	5,07,64,03	3081	26,25,37,15
	तक / As at 31.03.2023	1669	21,70,65,61	560	3,96,99,77	2229	25,67,65,38
मरीन Marine	तक / As at 31.03.2024	1624	7,05,77,50	1868	71,85,40	3492	7,77,62,90
	तक / As at 31.03.2023	1558	6,72,76,21	1104	51,01,54	2662	7,23,77,75
विविध Misc.	तक / As at 31.03.2024	415716	82,54,64,96	191428	27,99,13,76	607144	1,10,53,78,72
	तक / As at 31.03.2023	359995	76,65,19,77	151819	22,47,04,73	511814	99,12,24,50
कुल / Total	तक / As at 31.03.2024	419377	1,10,78,15,58	194340	33,78,63,19	613717	1,44,56,78,77
	तक / As at 31.03.2023	363222	1,05,08,61,59	153483	26,95,06,04	516705	1,32,03,67,63

बी) दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष) : भारत से बाहर

b) Ageing of claims (Direct excluding IBNR) : Outside India

(रु. '000 में (Rs. in '000)

व्यवसाय की श्रेणी Class of Business	वर्ष / Year	बकाया दावे / Claims outstanding for					
		छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than Six months		कुल / Total	
		संख्या Number	मात्रा Amount	संख्या Number	मात्रा Amount	संख्या Number	मात्रा Amount
अग्नि / Fire	तक / As at 31.03.2024	108	1,04,52,63	115	19,47,06	223	1,23,99,69
	तक / As at 31.03.2023	85	2,00,21,02	82	18,97,68	167	2,19,18,69
मरीन Marine	तक / As at 31.03.2024	54	5,53,59	34	26,98,33	88	32,51,92
	तक / As at 31.03.2023	30	3,36,24	38	1,68,82	68	5,05,06
विविध Misc.	तक / As at 31.03.2024	25426	40,52,00	16398	74,13,07	41824	1,14,65,07
	तक / As at 31.03.2023	1129	23,90,68	28634	42,31,84	29763	66,22,52
कुल / Total	तक / As at 31.03.2024	25588	1,50,58,22	16547	1,20,58,46	42135	2,71,16,68
	तक / As at 31.03.2023	1244	2,27,47,94	28754	62,98,34	29998	2,90,46,27

सी) दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष): कुल

c) Ageing of claims (Direct excluding IBNR): Total

(रु. '000 में (Rs. in '000)

व्यवसाय की श्रेणी Class of Business	वर्ष / Year	बकाया दावे / Claims outstanding for					
		छह महीने से अधिक More than six months		छह महीने से कम Less than Six months		कुल / Total	
		संख्या Number	मात्रा Amount	संख्या Number	मात्रा Amount	संख्या Number	मात्रा Amount
अग्नि / Fire	तक / As at 31.03.2024	2154	22,22,25,75	1159	5,27,11,09	3304	27,49,36,84
	तक / As at 31.03.2023	1754	23,70,86,63	642	4,15,97,45	2396	27,86,84,08
मरीन Marine	तक / As at 31.03.2024	1678	7,11,31,09	1902	98,83,73	3580	7,28,82,81
	तक / As at 31.03.2023	1588	6,76,12,45	1142	52,70,36	2730	7,28,82,81
विविध Misc.	तक / As at 31.03.2024	441142	82,95,16,96	207826	28,732,6,83	648968	1,11,684,3,79
	तक / As at 31.03.2023	361124	76,89,10,45	180453	22,89,36,57	541577	99,78,47,02
कुल / Total	तक / As at 31.03.2024	444965	1,12,28,73,80	210887	34,99,21,65	655852	1,47,27,95,45
	तक / As at 31.03.2023	364466	1,07,36,09,53	182237	27,58,04,38	546703	1,34,94,13,91

7. बीमालिखित पुनर्बीमा में से प्रीमियम घटाएं / **Premium less Reinsurance underwritten from**

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	भारत में व्यापार / Business in India	1,56,18,80,51	1,39,08,22,92
2	भारत से बाहर व्यापार / Business outside India	5,73,90,46	4,30,41,02
	कुल / Total	1,61,92,70,97	1,43,38,63,94

8. निम्न हेतु निवेश के संबंध में संविदाओं का मूल्य / **Value of contracts in relation to investments for**

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	ऐसी खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित ह* Purchases where deliveries are pending*	शून्य* / Nil*	शून्य* / Nil*
2	ऐसी बिक्री जहां भुगतान बकाया है Sales where payments are overdue	शून्य* / Nil	शून्य* / Nil

' उन डिलीवरी को छोड़कर जो स्टॉक एक्सचेंज निपटान के कारण प्रभावित नहीं होती हैं।

* Except deliveries which are not affected due to stock exchange settlement.

9. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित इक्विटी शेयरोंध्म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत

Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंड की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis	38,27,58,05	36,16,36,34

10. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना / **Computation of managerial remuneration**

अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार, देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर प्रतिबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

As per notification no.GSR 463(E) dated 05.06.2015 section 197 of the Companies Act, 2013, the restriction on managerial remuneration payable, is not applicable to Government Companies.

11. निवेश संपत्ति का उचित मूल्य और उसका आधार / **Fair value of Investment Property and basis thereof**

आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 के तहत अपेक्षित, निवेश संपत्ति का मूल्य ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर निर्धारित किया गया है।

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, the value of Investment Property has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

12. निपटाए गए दावे और भुगतान न किए गए शेष दावे

Claims settled and remaining unpaid

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	बैलेंस शीट की तिथि पर 6 महीने से अधिक समय तक निपटाए गए और भुगतान न किए गए दावे। Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date.	शून्य NIL	शून्य NIL

13. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

Investments made in accordance with statutory requirements

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	स्थानीय कानूनों के तहत सांविधिक जमा के माध्यम से भारत के बाहर किए गए निवेश Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws		
	दुबई / Dubai	1,92,807	1,92,462
	कुवैट / Kuwait	3,69,054	3,64,324
	नेपाल / Nepal	16,19,133	13,58,325
	यूके / U.K.	0	6,19,002
	कुल / **Total**	**21,80,994**	**2,53,41,13**
2	संस्थागत ट्रेडों के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा सेबी के निर्देशों के अनुसार Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives	10,00,00	1,00,00

14. आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के उद्देश्य से ऋण सहित निष्पादन और गैर–निष्पादन निवेशों में निवेशों का विभाजन आईआरडीएआई / संबंधित आरबीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:

Segregation of Investments into Performing and non-performing investments including loans for the purpose of income recognition, Asset classification and provisioning issued by IRDAI /related RBI Guidelines are as under:

क्र. सं. S. No.	विवरण / Particulars	31.03.2024 तक As at 31.03.2024 (रु. '000 में) (Rs in '000)	31.03.2023 तक As at 31.03.2023 (रु. '000 में) (Rs in '000)
1	निष्पादन निवेश (मानक) Performing Investments (Standard)	1,55,83,52,68	1,66,19,73,51
2	गैर–निष्पादन निवेश Non-Performing Investments	4,04,90,19	4,24,80,58
3	कुल बही मूल्य Total Book Value	1,59,88,42,87	1,70,44,54,09

15. वित्तीय विवरणियों का सारांशः/**Summary of financial statements:**

कंपनी के वित्तीय विवरणियों का सारांश निम्नानुसार हैः

The summary of financial statements of the Company is as under:

परिचालन परिणाम/**OPERATING RESULTS**

(रू. '000 में) **(Rs in '000)**

क्रम सं. **Sl. No.**	विवरण/**Particulars**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1,87,94,13,32	1,59,92,61,28	1,40,20,43,38	1,27,47,42,02	1,39,96,01,05
2	निवल प्रीमियम Net Premium	1,61,92,70,97	1,43,38,63,94	1,22,99,62,61	1,10,07,35,77	1,09,88,69,41
3	निवेश से आय (निवल) Income from Investment (net)	38,35,63,84	27,76,00,02	22,96,91,57	24,10,31,34	31,78,75,76
4	अन्य आय/व्यय Other Income/Expenses	-38,83,05	-38,83,05	-6,10,88,78	-2,14,09,85	27,18,82,24
5	कुल आय Total Income	1,99,89,51,76	1,70,75,80,91	1,39,85,65,40	1,32,03,57,26	1,68,86,27,41
6	कमीशन (निवल) (ब्रोकरेज सहित) Commission(Net)(Including Brokerage)	8,80,49,23	9,46,33,34	9,26,15,60	9,01,51,73	8,17,11,64
7	परिचालन खर्च Operating Expenses	27,64,76,77	35,56,81,17	31,89,77,82	30,42,81,14	34,42,53,50
8	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims	1,57,19,61,70	1,48,59,11,18	1,28,94,97,34	1,05,21,69,42	1,11,79,61,84
9	असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	2,95,87,25	10,87,65,26	6,61,25,73	-29,62,50	64,25,24
10	परिचालन लाभ/हानि Operating Profit/Loss	10,22,52,61	-33,74,10,04	-30,25,25,36	-12,32,82,53	-13,82,75,19
गैर परिचालन परिणाम **NON OPERATING RESULTS**						
11	शेयरधारक खाते के अंतर्गत कुल आय/व्यय Total Income/Expenses under Shareholder's account					
	(ए) सीएसआर (a) C.S.R	0	0	0	-10,67,90	-86,72
	(बी) ईओएम की अधिक की उपरिराशि की स्वीकार्य सीमा (b) Excess of EOM over allowable limit	0	-15,82,12,99	-1,10,19,96	-2,60,76,44	-2,82,63,20
12	कर से पहले लाभ/(हानि) Profit/(loss) before tax	37,66,33	-49562303	-31,46,86,88	-15,12,05,60	-14,98,69,64
13	कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों और डीटीए/डीटीएल के लिए प्रावधान सहित) Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL)	-19,05,13	-118817	31,70,82	-13,38,67	-25,41,20
14	कर के बाद लाभ/(हानि) Profit/(loss) after tax	18,61,20	-49681120	-31,15,16,06	-15,25,44,27	-15,24,10,84
15	पॉलिसीधारक का खाताः **Policyholder's Account:**					

	कुल निधि Total funds	2,48,75,31,33	2,35,85,92,03	2,08,84,75,85	1,96,86,09,27	1,91,24,62,30
	कुल निवेश Total Investments	3,40,45,84,33	3,39,93,22,32	2,66,77,33,82	2,33,41,98,80	2,04,58,29,52
	निवेश पर लाभ Yield on Investments	8.19%	7.92%	7.56%	7.87%	7.15%
16	शेयरधारक का खाता **Shareholder's Account**					
	कुल निधि / Total funds	-38,31,18,39	-41,46,93,56	5,24,03,74	5,42,04,89	2,00,36,19
	कुल निवेश / Total Investments	-52,44,69,00	-59,76,06,06	6,70,01,01	6,42,79,21	2,15,00,25
	निवेश पर लाभ / Yield on Investments	8.19	7.92	7.56	7.87	7.15
17	भुगतानित इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	46,20,00,00	46,20,00,00	46,20,00,00	46,20,00,00	46,20,00,00
18	निवल मूल्य / Net Worth	-38,31,18,39	- 41,46,93,54	5,24,03,74	5,42,04,89	2,00,36,19
19	कुल संपत्ति / Total Assets	3,89,76,63,63	3,51,67,45,24	3,52,88,56,61	3,42,42,72,81	3,07,69,93,06
20	कुल निवेशों से आय Yield on total investments	8.19%	7.92%	7.56%	7.87%	7.15%
21	प्रति शेयर आय / Earnings per Share	0.04	-10.75	-9.24	-16.04	-76.21
22	प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) Book Value per share (Rs.)	-8.29	-8.98	1.55	5.70	10.01
23	कुल लाभांश / Total Dividend	-	-	-	-	-
24	प्रति शेयर लाभांश (रु.) Dividend per share (Rs)	-	-	-	-	-

16. 31 / 03 / 2023 तक गैर–जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात NON-LIFE ANALYTICAL RATIOS AS ON 31/03/2023

	31.03.2024 तक गैर–जीवन विश्लेषणात्मक अनुपात NON-LIFE ANALYTICAL RATIOS AS ON 31.03.2024					
					(रु. 000 में)	(Rs. in 000)
क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल) Gross Direct Premium Growth Rate (Total)				%	%
	अग्नि / Fire	16834398	16989379	16975156	-0.91	0.08
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	2455886	2835222	2611739	-13.38	8.56
	मरीन हल / Marine Hull	2526451	2107946	1582519	19.85	33.20
	मरीन कुल / Marine Total	4982337	4943168	4194258	0.79	17.86
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	15116815	11324420	9647465	33.49	17.38
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	29746099	26759334	25410781	11.16	5.31

	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर कुल / Motor total	44862914	38083754	35058246	17.80	8.63
	अभियांत्रिकी / Engineering	4898936	4377481	3646750	11.91	20.04
	विमानन / Aviation	1491371	1218178	1274592	22.43	-4.43
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	578947	585022	558803	-1.04	4.69
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	11330375	5378259	2904292	110.67	85.18
	स्वास्थ्य / Health	78953913	82511723	64115382	-4.31	28.69
	स्वास्थ्य कुल / Health total	90284288	87889982	67019674	2.72	31.14
	देयता / Liability	899006	952393	924970	-5.61	2.96
	फसल / Crop	17937211	89389	6060671	19966.46	-98.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	5171924	4797382	4491218	7.81	6.82
	विविध कुल Miscellaneous total	166124597	137993581	119034924	20.39	15.93
	कुल / Total	187941332	159926128	140204338	17.52	14.07

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.1a	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (भारतीय) Gross Direct Premium Growth Rate (Indian)				%	%
	अग्नि / Fire	15571840	15890993	16081070	-2.01	-1.18
	मरीन कार्गो Marine Cargo	2209772	2569460	2313696	-14.00	11.05
	मरीन हल / Marine Hull	2499861	2084306	1549378	19.94	34.53
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	12585451	9775603	8750472	28.74	11.72
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	29586555	26646711	25306960	11.03	5.29
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी / Engineering	4630986	4248847	3536002	8.99	20.16

	विमानन / Aviation	1491371	1218178	1274592	22.43	-4.43
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	541349	554886	532624	-2.44	4.18
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	11303555	5353951	2886141	111.13	85.51
	स्वास्थ्य / Health	78650610	82124009	63535883	-4.23	29.26
	देयता / Liability	837561	899066	877723	-6.84	2.43
	फसल / Crop	17937211	89389	6060671	19966.46	-98.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	5044274	4693700	4404488	7.47	6.57
	कुल / Total	182890394	156149101	137109700	17.13	13.89

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.1b	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (विदेशी) **Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign)**				%	%
	अग्नि / Fire	1262559	1098387	894085	14.95	22.85
	मरीन कार्गो Marine Cargo	246114	265762	298044	-7.39	-10.83
	मरीन हल Marine Hull	26590	23640	33141	12.48	-28.67
	मोटर ओ.डी. Motor OD	2531365	1548817	896993	63.44	72.67
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	159545	112622	103821	41.66	8.48
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	267950	128634	110749	108.30	16.15
	विमानन / Aviation	0	0	0	0	0
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	37598	30136	26178	24.76	15.12
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	26821	24307	18151	10.34	33.92
	स्वास्थ्य / Health	303303	387713	579499	-21.77	-33.10

	देयता / Liability	61446	53327	47247	15.22	12.87
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध Other Miscellaneous	127650	103682	86731	23.12	19.55
	कुल / Total	5050939	3777029	3094639	33.73	22.05

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31 / 03 / 2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31 / 03 / 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.2	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल) **Gross Written Premium Growth Rate (Total)**				%	%
	अग्नि Fire	19500671	18854540	18832396	3.43	0.12
	मरीन कार्गो Marine Cargo	2538663	2875759	2667249	-11.72	7.82
	मरीन हल Marine Hull	2530896	2113386	1600497	19.76	32.05
	मरीन कुल Marine total	5069559	4989145	4267746	1.61	16.90
	मोटर ओ.डी.Motor OD	15121801	11327879	9650259	33.49	17.38
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	29778526	26838395	25430817	10.95	5.53
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर कुल Motor total	44900327	38166274	35081076	17.64	8.79
	अभियांत्रिकी Engineering	5244129	5650700	3978488	-7.20	42.03
	विमानन Aviation	2775321	2080133	2639357	33.42	-21.19
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	589274	592110	558803	-0.48	5.96
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	11330396	5391768	3253839	110.14	65.70
	स्वास्थ्य Health	78963745	85184109	65858006	-7.30	29.35
	स्वास्थ्य कुल Health total	90294141	90575877	69111845	-0.31	31.06
	देयता Liability	902080	1021884	987210	-11.72	3.51
	फसल Crop	17937211	89390	6064653	19966.24	-98.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	5208361	4815207	4533456	8.16	6.21
	विविध कुल Miscellaneous total	167850844	142991575	122954888	17.39	16.30
	कुल / Total	192421074	166835260	146055030	15.34	14.23

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31/03/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023
16.2a	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (भारतीय) **Gross Written Premium Growth Rate (Indian)**				%	%
	अग्नि / Fire	17804363	17434129	17558109	2.12	-0.71
	मरीन कार्गो Marine Cargo	2219681	2576694	2313696	-13.86	11.37
	मरीन हल Marine Hull	2501476	2085752	1553642	19.93	34.25
	मोटर ओ.डी. Motor OD	12585451	9775603	8750472	28.74	11.72
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	29586555	26646711	25306960	11.03	5.29
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी / Engineering	4862992	5429206	3660050	-10.43	48.34
	विमानन / Aviation	1558267	1322385	1573058	17.84	-15.94
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	541349	554886	532624	-2.44	4.18
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	11303555	5353951	3235569	111.13	65.47
	स्वास्थ्य / Health	78658323	84795628	65278508	-7.24	29.90
	देयता / Liability	839894	968243	939823	-13.26	3.02
	फसल / Crop	17937211	89390	6064653	19966.24	-98.53
	अन्य विविध Other Miscellaneous	5048015	4695427	4423032	7.51	6.16
	कुल / Total	185447131	161728006	141190195	14.67	14.55

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2024 Gross Direct Premium 31/03/2024	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2023 Gross Direct Premium 31/03/2023	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31/03/2022 Gross Direct Premium 31/03/2022	31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2024	31/03/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वृद्धि Growth for year ending 31/03/2023

16.2b	सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (विदेशी) **Gross Written Premium Growth Rate (Foreign)**				%	%
	अग्नि / Fire	1696309	1420412	1274286	19.42	11.47
	मरीन कार्गो Marine Cargo	318982	299065	353554	6.66	-15.41
	मरीन हल Marine Hull	29420	27634	46855	6.46	-41.02
	मोटर ओ.डी. Motor OD	2536350	1552276	899787	63.40	72.52
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	191973	191684	123857	0.15	54.76
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	381136	221493	318439	72.08	-30.44
	विमानन / Aviation	1217054	757747	1066300	60.61	-28.94
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	47925	37223	26178	28.75	42.19
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	26841	37817	18270	-29.02	106.98
	स्वास्थ्य / Health	305423	388479	579499	-21.38	-32.96
	देयता / Liability	62187	53641	47386	15.93	13.20
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध Other Miscellaneous	160346	119780	110424	33.87	8.47
	कुल / Total	6973946	5107253	4864835	36.55	4.98

16.3	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का निवल संपत्ति से अनुपात **Gross Direct Premium to Net Worth Ratio**	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**	31 / 03 / 2022 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2022**
	सकल प्रीमियम Gross Premium	187941332	159926128	140204338
	निवल मूल्य Net Worth	-38311611	-41469354	5420489
	सकल प्रीमियम का निवल वर्थ से अनुपात (गुना में) Ratio of Gross Premium to Net Worth (times)	-4.91	-3.86	25.87

16.4	निवल संपत्ति की वृद्धि दर **Growth rate of Net Worth**	31/03/2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31/03/2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**	31/03/2022 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2022**	%	%
	वर्तमान वर्ष/अवधि के अंत में निवल संपत्ति Net Worth at the end of current year/period	-38311611	-41469354	5420489		
	पिछले वर्ष/अवधि के अंत में निवल संपत्ति Net Worth at the end of previous year/ period	-41469354	5420489	2003619		
	वृद्धि एवं वृद्धि दर (%) Growth and Growth rate (%)	3157743	-46889843	3416870	-7.61	-865.05

16.5	निवल प्रतिधारण अनुपात (कुल) **Net Retention Ratio (Total)**	निवल प्रीमियम 31/03/2024 **Net Premium 31/03/2024**	निवल प्रीमियम 31/03/2023 **Net Premium 31/03/2023**	निवल प्रीमियम 31/03/2022 **Net Premium 31/03/2022**	प्रतिधारण अनुपात(%) **Retention Ratio(%)**	प्रतिधारण अनुपात(%) **Retention Ratio(%)**
	अग्नि/Fire	7317963	7917031	7499768	37.53	41.99
	मरीन कार्गो Marine Cargo	1797502	1769710	1740508	70.81	61.54
	मरीन हल/Marine Hull	909898	735764	538906	35.95	34.81
	मरीन कुल Marine total	2707400	2505474	2279414	53.41	50.22
	मोटर ओ.डी./Motor OD	14593271	10912868	9181196	96.50	96.34
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	28515226	25639233	24064188	95.76	95.53
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर कुल/Motor total	43108497	36552101	33245384	96.01	95.77
	अभियांत्रिकी Engineering	2513957	3102654	2080639	47.94	54.91
	विमानन Aviation	1084407	941650	1232878	39.07	45.27
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	566113	569093	531707	96.07	96.11
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	6423938	4233269	2649856	56.70	78.51
	स्वास्थ्य/Health	75816128	82469267	63087381	96.01	96.81

	स्वास्थ्य कुल Health total	82240066	86702536	65737237	91.08	95.72
	देयता / Liability	616258	723381	654725	68.32	70.79
	फसल / Crop	17220276	83803	5834691	96.00	93.75
	अन्य विविध Other Miscellaneous	4552160	4288671	3899818	87.40	89.07
	विविध कुल Miscellaneous total	151901734	132963889	113217079	90.50	92.99
	सभी विभाग All Departments	161927097	143386394	122996261	84.15	85.94

16.5A	निवल प्रतिधारण अनुपात (भारतीय) **Net Retention Ratio (Indian)**	निवल प्रीमियम 31 / 03 / 2024 **Net Premium 31/03/2024**	निवल प्रीमियम 31 / 03 / 2023 **Net Premium 31/03/2023**	निवल प्रीमियम 31 / 03 / 2022 **Net Premium 31/03/2022**	प्रतिधारण अनुपात(%) **Retention Ratio(%)**	प्रतिधारण अनुपात(%) **Retention Ratio(%)**
	अग्नि / Fire	6395889	7051035	6671517	35.92	40.44
	मरीन कार्गो Marine Cargo	1528010	1528145	1439102	68.84	59.31
	मरीन हल / Marine Hull	880478	708130	492051	35.20	33.95
	मोटर ओ.डी. Motor OD	12081698	9382866	8312948	96.00	95.98
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	28345726	25468127	23961308	95.81	95.58
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	2306844	2958056	1823365	47.44	54.48
	विमानन / Aviation	-132647	183903	226335	-8.51	13.91
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	519695	532632	505993	96.00	95.99
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	6408696	4205747	2640407	56.70	78.55
	स्वास्थ्य / Health	75608928	82086491	62513318	96.12	96.81
	देयता / Liability	554980	670746	608876	66.08	69.27
	फसल / Crop	17220276	83804	5834690	96.00	93.75
	अन्य विविध Other Miscellaneous	4469479	4222611	3830932	88.54	89.93
	सभी विभाग All Departments	156188052	139082293	118860842	84.22	86.00

16.5b	निवल प्रतिधारण अनुपात (विदेशी) **Net Retention Ratio (Foreign)**	निवल प्रीमियम 31/03/2024 **Net Premium 31/03/2024**	निवल प्रीमियम 31/03/2023 **Net Premium 31/03/2023**	निवल प्रीमियम 31/03/2022 **Net Premium 31/03/2022**	प्रतिधारण अनुपात(%) **Retention Ratio(%)**	प्रतिधारण अनुपात(%) **Retention Ratio(%)**
	अग्नि / Fire	922073	865997	828250	54.36	60.97
	मरीन कार्गो Marine Cargo	269493	241564	301406	84.49	80.77
	मरीन हल / Marine Hull	29420	27634	46856	100.00	100.00
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	2511573	1530003	868246	99.02	98.57
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	169501	171106	102880	88.29	89.26
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	207113	144598	257275	54.34	65.28
	विमानन / Aviation	1217054	757747	1006545	100.00	100.00
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	46419	36460	25714	96.86	97.95
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	15242	27522	9450	56.79	72.78
	स्वास्थ्य / Health	207200	382776	574064	67.84	98.53
	देयता / Liability	61278	52636	45848	98.54	98.13
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध Other Miscellaneous	82681	66060	68887	51.56	55.15
	सभी विभाग All Departments	5739047	4304103	4135421	82.29	84.27

16.6	निवल कमीशन अनुपात – कुल (%) **NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%)**	निवल कमीशन 31/03/2024 **Net Commission 31/03/2024**	निवल कमीशन 31/03/2023 **Net Commission 31/03/2023**	निवल कमीशन 31/03/2022 **Net Commission 31/03/2022**	निवल कमीशन अनुपात(%) **Net Commission Ratio(%)**	निवल कमीशन अनुपात (%) **Net Commission Ratio (%)**
	अग्नि / Fire	1324069	1175042	1049150	18.09	14.84
	मरीन कार्गो Marine Cargo	325062	331740	279049	18.08	18.75
	मरीन हल Marine Hull	-23545	-19556	-16657	-2.59	-2.66
	मरीन कुल Marine total	301517	312184	262392	11.14	12.46

	मोटर ओ.डी. Motor OD	3064935	2762476	2337903	21.00	25.31
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	1548996	476542	439950	5.43	1.86
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0.00	0.00
	मोटर कुल Motor total	4613931	3239018	2777853	10.70	8.86
	अभियांत्रिकी Engineering	99767	233159	298012	3.97	7.51
	विमानन / Aviation	83254	57914	86735	7.68	6.15
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	90129	91504	80260	15.92	16.08
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	-431148	154544	161813	-6.71	3.65
	स्वास्थ्य / Health	2807626	3586028	3660997	3.70	4.35
	स्वास्थ्य कुल Health total	2376478	3740572	3822810	2.89	4.31
	देयता / Liability	55037	57337	75216	8.93	7.93
	फसल / Crop	23878	409	192741	0.14	0.49
	अन्य विविध Other Miscellaneous	-163138	556193	616391	-3.58	12.97
	विविध कुल Miscellaneous total	7179336	7976106	7950018	4.73	6.00
	सभी विभाग All Departments	8804922	9463332	9261560	5.44	6.60

16.6a	निवल कमीशन अनुपात – भारतीय (%) **NET COMMISSION RATIO - Indian (%)**	निवल कमीशन 31 / 03 / 2024 **Net Commission 31/03/2024**	निवल कमीशन 31 / 03 / 2023 **Net Commission 31/03/2023**	निवल कमीशन 31 / 03 / 2022 **Net Commission 31/03/2022**	निवल कमीशन अनुपात(%) **Net Commission Ratio(%)**	निवल कमीशन अनुपात (%) **Net Commission Ratio (%)**
	अग्नि / Fire	995661	882034	777558	15.57	12.51
	मरीन कार्गो Marine Cargo	269487	290141	240321	17.64	18.99
	मरीन हल Marine Hull	-29986	-25249	-26034	-3.41	-3.57
	मोटर ओ.डी. Motor OD	2324740	2309795	2079625	19.24	24.62
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	1511883	453152	420725	5.33	1.78

	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	86705	217909	217471	3.76	7.37
	विमानन / Aviation	-17125	-2414	9510	12.91	-1.31
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	79230	82804	72427	15.25	15.55
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	-431296	150441	161356	-6.73	3.58
	स्वास्थ्य / Health	2764515	3497256	3524488	3.66	4.26
	देयता / Liability	35198	39965	60205	6.34	5.96
	फसल / Crop	23878	409	192741	0.14	0.49
	अन्य विविध Other Miscellaneous	-180993	542140	599570	-4.05	12.84
	सभी विभाग All Departments	7431897	8438383	8329963	4.76	6.07

16.6b	निवल कमीशन अनुपात – विदेशी (%) NET COMMISSION RATIO - Foreign (%)	निवल कमीशन 31 / 03 / 2024 **Net Commission 31/03/2024**	निवल कमीशन 31 / 03 / 2023 **Net Commission 31/03/2023**	निवल कमीशन 31 / 03 / 2022 **Net Commission 31/03/2022**	निवल कमीशन अनुपात(%) **Net Commission Ratio(%)**	निवल कमीशन अनुपात (%) **Net Commission Ratio (%)**
	अग्नि / Fire	328407	293009	271591	35.62	33.83
	मरीन कार्गो Marine Cargo	55576	41599	38729	20.62	17.22
	मरीन हल Marine Hull	6440	5693	9377	21.89	20.60
	मोटर ओ.डी. Motor OD	740196	452681	258279	29.47	29.59
	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP(Non- Pool)	37113	23390	19225	21.90	13.67
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	0	0	0	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	0	0	0	0	0
	अभियांत्रिकी Engineering	13063	15249	80541	6.31	10.55
	विमानन / Aviation	100378	60329	77226	8.25	7.96
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	10900	8699	7833	23.48	23.86

	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	149	4103	456	0.98	14.91
	स्वास्थ्य / Health	43112	88772	136509	20.81	23.19
	देयता / Liability	19838	17372	15011	32.37	33.00
	फसल / Crop	0	0	0	0	0
	अन्य विविध Other Miscellaneous	17857	14053	16821	21.60	21.27
	सभी विभाग All Departments	1373029	1024949	931598	23.92	23.81

16.7	ldy çR;{k çhfe;e vuqikr e çc/ku 0;; **Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio**	31@03@2024 dk lekIr o"k **Year ending 31/03/2024**	31@03@2023 dk lekIr o"k **Year ending 31/03/2023**
	çc/ku 0;; ¼çR;{k deh'ku lfgr½ **Expenses of Management (incl. Direct Commission)**	**39397894**	**62239253**
	ldy çR;{k çhfe;e@**Gross Direct Premium**	**187941332**	**159926128**
	vuqikr¼%½@**Ratio(%)**	**20.96**	**38.92**

16.8	fuoy fyf[kr çhfe;e vuqikr e çc/ku 0;; **Expense of Management to Net Written Premium Ratio**	31@03@2024 dk lekIr o"k **Year ending 31/03/2024**	31@03@2023 dk lekIr o"k **Year ending 31/03/2023**
	çc/ku dk 0;; ¼fuoy deh'ku lfgr½ **Expenses of Management (incl. Net Commission)**	**36452600**	**60852747**
	fuoy fyf[kr çhfe;e vk;@**Net Written Premium Income**	**161927097**	**143386394**
	vuqikr¼%½@**Ratio(%)**	**22.51**	**42.44**

16.9	निवल उपगत दावा अनुपात (%) **NET INCURRED CLAIMS RATIO (%)**	निवल उपगत दावे 31 / 03 / 2024 **Net Incurred Claims 31/03/2024**	निवल अर्जित प्रीमियम 31 / 03 / 2024 **Net Earned Premium 31/03/2024**	निवल उपगत दावे 31 / 03 / 2023 **Net Incurred Claims 31/03/2023**	निवल अर्जित प्रीमियम 31 / 03 / 2023 **Net Earned Premium 31/03/2023**	31.03.23 तक निवल आईसीआर (%) **Net ICR as at 31.03.23 (%)**	निवल आईसीआर 31.03.23 तक (%) **Net ICR as at 31.03.23 (%)**
	अग्नि / Fire	7887005	7462588	4660478	8018090	105.69	58.12
	मरीन कार्गो Marine Cargo	1670647	1722709	1275166	1912477	96.98	66.68
	मरीन हल Marine Hull	484037	740283	259401	595157	65.39	43.59
	मरीन कुल Marine total	2154684	2462992	1534567	2507634	87.48	61.20
	मोटर ओ.डी. Motor OD	15540958	12748129	13024777	10059157	121.91	129.48

	मोटर टीपी (नॉन पूल) Motor TP (Non- Pool)	24431451	27071048	23393803	24871883	90.25	94.06
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	586504	0	764372	0	0.00	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP (D.R. Pool)	91941	0	72863	0	0.00	0
	मोटर कुल Motor total	40650854	39819177	37255815	34931040	102.09	106.66
	अभियांत्रिकी Engineering	735008	2825843	1017761	2655433	26.01	38.33
	विमानन / Aviation	840176	997643	475011	1105482	84.22	42.97
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	283534	577054	266476	613842	49.13	43.41
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	6405204	5310710	4450738	3475769	120.61	128.05
	स्वास्थ्य / Health	79558613	78999598	95462890	73329955	100.71	130.18
	स्वास्थ्य कुल Health total	85963817	84310308	99913628	76805724	101.96	130.09
	देयता / Liability	77226	673383	254380	700235	11.47	36.33
	फसल / Crop	16358855	15461768	290660	974569	105.80	29.82
	अन्य विविध Other Miscellaneous	2245012	4377844	2922344	4197821	51.28	69.62
	विविध कुल Miscellaneous total	147154482	149043020	142396075	121984146	98.73	116.73
	सभी विभाग All Departments	157196171	158968600	148591120	132509870	98.89	112.14

16.10	संयुक्त अनुपात **Combined Ratio**	कुल 31 / 03 / 2024 **Total 31/03/2024**	कुल 31 / 03 / 2023 **Total 31/03/2023**	भारतीय 31 / 03 / 2024 **Indian 31/03/2024**	भारतीय 31 / 03 / 2023 **Indian 31/03/2023**	विदेशी 31 / 03 / 2024 **Foreign 31/03/2024**	विदेशी 31 / 03 / 2023 **Foreign 31/03/2023**
	निवल उपगत दावे Net Incurred Claims	157196171	148591117	152447677	125889178	4748497	3060558
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	158968600	132509870	147548995	126309855	5020681	4229371

	निवल उपगत दावा अनुपात (%) / Net Incurred Claims Ratio (%)	98.89	112.14	103.32	99.67	94.58	72.36
	भुगतान किया गया निवल कमीशन Net Commission Paid	8804923	9463332	7431898	8329962	1373025	931598
	परिचालन प्रबंधन व्यय / Operating Management Expenses	27647677	51389415	27325097	51127509	322581	261907
	निवल लिखित प्रीमियम / Net Written Premium	161927097	143386394	156188052	139082293	5739047	4304103
	निवल परिचालन व्यय अनुपात (%) Net Operating Expenses Ratio (%)	22.51	42.44	22.25	42.75	29.55	27.73
	संयुक्त अनुपात (%) Combined Ratio (%)	121.40	154.58	125.57	142.42	124.13	100.09

16.11	तकनीकी रिजर्व से निवल प्रीमियम अनुपात **Technical Reserves to Net Premium Ratio**	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Unexpired Risks	73576036	70617547
	प्रीमियम में कमी रिजर्व Premium Deficiency Reserve	0	0
	बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि Reserve for Outstanding Claims	198163496	181584952
	कुल / Total	271739532	252202499
	निवल प्रीमियम / Net Premium	161927097	143386394
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	1.68	1.76

16.12	बीमालेखित शेष अनुपात **Underwriting Balance Ratio**	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**	बीमालेखित शेष अनुपात (गुना) **U/W Balance Ratio (Times)**	बीमालेखित शेष अनुपात (गुना) **U/W Balance Ratio (Times)**
	अग्नि / Fire	-4559573	-3675232	-0.61	-0.46
	मरीन कार्गो / Marine Cargo	-547452	-364498	-0.32	-0.19
	मरीन हल / Marine Hull	6178	-137123	0.01	-0.23
	मरीन कुल / Marine total	-541274	-501621	-0.22	-0.20
	मोटर ओ.डी. / Motor OD	-8050669	-9256785	-0.63	-0.92

	मोटर टीपी (नॉन पूल) / Motor TP(Non- Pool)	-3206521	-7341587	-0.12	-0.30
	मोटर टीपी(पूल) Motor TP(Pool)	-586504	-764372	0	0
	मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool)	-91941	-72863	0	0
	मोटर कुल Motor total	-11935635	-17435607	-0.30	-0.50
	अभियांत्रिकी Engineering	1234326	-352093	0.44	-0.13
	विमानन Aviation	-326273	-74084	-0.33	-0.07
	कर्मकार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation	118357	71796	0.21	0.12
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	-2298353	-2805626	-0.43	-0.81
	स्वास्थ्य / Health	-14761324	-50037820	-0.19	-0.68
	स्वास्थ्य कुल / Health total	-17059677	-52843446	-0.20	-0.69
	देयता / Liability	410947	70850	0.61	0.10
	फसल / Crop	-3535488	745097	-0.23	0.76
	अन्य विविध Other Miscellaneous	1514119	-777739	0.35	-0.19
	विविध कुल Miscellaneous total	-29579324	-70595226	-0.20	-0.58
	कुल / TOTAL	-34680171	-74772077	-0.22	-0.56

16.13	परिचालन लाभ अनुपात **Operating Profit Ratio**	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**
	अंडरराइटिंग लाभ / Underwriting Profit	-34680171	-74772077
	निवेश आय / Investment Income	44858502	32909648
	परिचालन लाभ / Operating Profits	10178331	-41862429
	निवल अर्जित प्रीमियम / Net Earned Premium	158968600	132509870
	अनुपात(%) / Ratio(%)	6.4	-31.59

16.14	चल संपत्तियों से देयता अनुपात **Liquid Assets to Liabilities Ratio**	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31 / 03 / 2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**
	चल परिसंपत्ति / Liquid Assets	45896326	34225173
	पॉलिसीधारकों की देयताएं Policyholders' Liabilities	271739532	252202499
	अनुपात (गुना) / Ratio (Times)	0.17	0.14

16.15	निवल आय अनुपात **Net Earnings Ratio**	31/03/2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31/03/2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**
	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	186348	-49681118
	निवल प्रीमियम/Net Premium	161927097	143386394
	अनुपात (%)/Ratio (%)	0.12	-34.65

16.16	निवल आय पर रिटर्न **Return on Net Worth**	31/03/2024 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2024**	31/03/2023 को समाप्त वर्ष **Year ending 31/03/2023**
	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	186348	-49681118
	निवल आय/Networth	-38311611	-41469354
	अनुपात (%)/Ratio (%)	-0.49	119.8

*अंश और हर की दृष्टि से तुलनीय नहीं है, दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए चालू वर्ष में अनुपात की गणना नहीं की जा सकी।
***Not comparable in view of the numerator and denominator, both are negative, hence ratio could not be calculated in current year.**

16.17 उपयोग न करने की अनुमति और एएसएम, आरएसएम और सॉल्वेंसी अनुपात पर प्रभाव/Forbearance Granted and Impact on ASM,RSM and Solvency Ratio

16.17A कंपनी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद चालू वर्ष के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन की गणना के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते की 100: रियायत मांगेगी/The Company will seek 100 % Forbearance of Fair Value Change Account for calculation of Solvency Margin for the current year after getting approval from the Board of the company.

16.17 B बी रियायत के साथ और रियायत के बिना साल्वेंसी की स्थिति/**Solvency Position with and without forbearance**

क्रमांक **Sr. No.**	विवरण/**Particulars**	रियायत के साथ 31.03.2024 **With Forbearance 31.03.2024**	रियायत के बिना 31.03.2024 **Without Forbearance 31.03.2024**
1	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन/Available Solvency Margin	36,30,83	-52,41,51
2	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन/Required Solvency Margin	49,33,34	49,33,34
3	सम्पन्नता अनुपात/Solvency Ratio	0.74	(1.06)

क्रमांक **Sr. No.**	विवरण/**Particulars**	रियायत के साथ 31.03.2023 **With Forbearance 31.03.2023**	रियायत के बिना 31.03.2023 **Without Forbearance 31.03.2023**
1	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन/Available Solvency Margin	26,31,80	-45,30,26
2	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन/Required Solvency Margin	46,97,92	46,97,92
3	साल्वेंसी अनुपात/Solvency Ratio	0.56	(0.96)

16.18	एनपीए अनुपात (%) / NPA Ratio (%)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2023
	सकल एनपीए अनुपात–पॉलिसीधारकों का फंड Gross NPA Ratio - Policyholders' funds	2.36	1.90
	सकल एनपीए अनुपात–शेयरधारकों का फंड Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds	-0.36	0.04
	निवल एनपीए अनुपात–पॉलिसीधारकों के फंड Net NPA Ratio - Policyholders' Funds	0.00	0.00
	निवल एनपीए अनुपात–शेयरधारकों का फंड Net NPA Ratio - Shareholders' Funds	0.00	0.00

17. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्यौरा / **Sector-wise break-up of Indian Direct Premium**

		31.03.2024 तक / As at 31.03.2024			31.03.2023 तक / As at 31.03.2023		
क्रमांक Sr. No.	विवरण / Particulars	जीवन की संख्या No. of Lives	प्रीमियम (रु. 000 में) Premium (Rs. in '000)	प्रतिशत % age	जीवन की संख्या No. of Lives	प्रीमियम (रु. 000 में) Premium (Rs. in '000)	प्रतिशत %age
1	ग्रामीण क्षेत्र / Rural Sector	-	11495073	6.29	-	10,53,22,04	6.74
2	सामाजिक क्षेत्र Social Sector	404507100	2715023	1.48	28178070	11,15,00,56	7.14
3	अन्य / Others	-	168680299	92.23	-	1,34,46,68,42	86.12
4	कुल / Total	404507100	182890395	100	28178070	1,56,14,91,02	100

18. निवेशों को तोड़ना लेकिन पुनःगठन के अधीन

Breakup of investments subjected to restructuring

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्गठित कुल परिसंपत्तियों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष के दौरान संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्गठित परिसंपत्तियां नीचे दी गई हैं: The figures of total assets restructured under various categories are being compiled.

The assets restructured during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

क्रमांक Sr. No.	परिसंपत्ति की श्रेणी Category of Asset	पुनर्गठन के अधीन परिसंपत्तियां (वर्ष के दौरान) Assets subjected to Restructuring (during the year)	
		2023–24 (रु.'000 में) 2023-24 (Rs. in '000)	2022–23 (रु. '000 में) / 2022-23 (Rs. in '000)
1	मानक Standard	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2	उप मानक Sub Standard	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3	संदिग्ध Doubtful	शून्य / NIL	शून्य / NIL
4	हानि / Loss	शून्य / NIL	69,18
	कुल / Total	शून्य / NIL	69,18

19. व्यवसाय अधिग्रहण लागत का ब्यौरा / **Break up of Business Acquisition Cost**

वर्ष 2023–24 के दौरान भारतीय प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में लिया गया कमीशन / ब्रोकरेज नीचे दिया गया है:

The Commission/Brokerage incurred during the year 2023-24 in respect of Indian Direct Business is given below:

क्रमांक **Sr. No.**	वर्ग / **Category**	2023–24 (रु. '000 में) **2023-24 (Rs. in '000)**	2022–23 (रु. '000 में) **2022-23 (Rs. in '000)**
1	एजेंटों / Agents	6,81,72,83	6,63,38,04
2	ब्रोकर / Brokers	3,62,93,90	3,23,50,83
3	कॉर्पोरेट एजेंसी Corporate Agency	27,22,81	41,52,60
4	अन्य(एमआईएसपी सहित) Others(including MISP)	1,03,12,63	56,56,93
	कुल / **Total**	**11,75,02,17**	**10,84,98,40**

20. निवेश

20.1 3,82,62 हजार रुपये (पिछले साल 3,64.46 हजार रुपये) के बुक वैल्यू (उचित मूल्य) के शेयर, जिनका क्रय मूल्य 2,48.24 हजार रुपये (पिछले साल 2,48.24 हजार रुपये) है, कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किए गए हैं क्योंकि हस्तांतरण पर आपत्ति है। ये 2000 से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

20.2 स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कस्टोडियन) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी की पुस्तकों के अनुसार निवेश में विसंगतियां हैं, जिनका बुक वैल्यू (उचित मूल्य) एसएचसीआईएल की पुस्तकों में 0.04 हजार रुपये (कम) और एसएचसीआईएल की पुस्तकों में 0.00 हजार रुपये (अधिक) है (पिछले वर्ष क्रमशः 0.04 हजार रुपये और 0.00 हजार रुपये)। अंतरों का मिलान किया जा रहा है।

20.3 एकमुश्त निपटान / पुनर्गठन / ऋणों के मोचन और एनपीए खाते को जोड़ने के कारण अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 19,90,38.85 हजार रुपये के प्रावधानों में निवल कमी आई है (पिछले वर्ष 15,53,18.33 हजार रुपये की वृद्धि हुई थी)।

20.4 बैलेंस शीट की तिथि पर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋण / निवेश को दीर्घकालिक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनकी वसूली निश्चित नहीं है।

20.5 निवेश पर IRDAI के मानदंडों के अनुसार, भारतीय सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण 88,72,33,90.83 हजार रुपये (पिछले

20. Investments

20.1 Shares of the book value (fair value) of Rs 3,82,62 thousands (Previous year Rs.3,64.46 thousands), having purchase value Rs.2,48.24 thousands (Previous year Rs. 2,48.24 thousands) have not been registered in the name of the company as the transfers are under objection. These pertain to the period prior to 2000.

20.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair Value) of Rs 0.04 thousands (Short) in SHCIL books and Rs 0.00 thousands(Excess) in SHCIL books (Previous year Rs0.04 thousands and Rs 0.00 thousands respectively). The differences are under reconciliation.

20.3 There is a net release in provisions for bad &doubtful debts of Rs.19,90,38.85 thousands (Previous year Addition Rs 15,53,18.33 thousands) on account of One Time Settlements/Restructuring/Redemption of debts and addition of NPA Account.

20.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisibility is not certain.

20.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs .88,72,33,90.83 thousands (Previous years 71,62,05,52.14 thousands) rising due to change in fair value of

वर्षों में 71,62,05,52.14 हजार) के अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश में लिया जाता है और उसके लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाता के रूप में समान आरक्षित निधि बनाई जाती है। लाभ और हानि खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसा आरक्षित निधि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

20.6 19,09,52,25.10 हजार रुपये (पिछले वर्ष 9,15,60,60.99 हजार रुपये) की राशि के निवेश की बिक्री और मोचन पर लाभ (निवल) में 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 18,64,49,83.08 हजार रुपये (पिछले वर्ष 8,41,08,89.34 हजार रुपये) की राशि के इक्विटी निवेश की बिक्री पर लाभ (निवल) शामिल है।

20.7. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई ओटीएस या ऋण पुनर्गठन नहीं हुआ है (कुछ एनपीए खातों में केवल वितरण का हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिससे एनपीए प्रावधानों को जारी किया गया है)।

20.8 निवेश विनियमन, 2022 पर आईआरडीएआई के 27 अक्टूबर 2022 के मास्टर परिपत्र के खंड संख्या 5.1 के अनुपालन में , कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में किए गए लेनदेन की स्थिति निम्नानुसार है:

Indian listed and actively traded equity shares and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as "Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.

20.6 Profit (Net) on sale and redemption of investment amounting to Rs 19,09,52,25.10 thousands (Previous year Rs .9,15,60,60.99 thousands) includes profit (net) on sale of equity investments amounting to Rs 18,64,49,83.08 thousands (Previous year Rs 8,41,08,89.34 thousands) during the financial year ended 31.03.2024.

20.7. There has been no OTS or debt restructuring during FY 2023-24 (only share of distribution has been received in some NPA accounts leading to release of NPA provisions).

20.8 In compliance to clause no.5.1 of the IRDAI's Master Circular dated 27th October 2022 on Investment Regulations, 2022, status of transactions done in respect of Repo and Reverse Repo in Government Securities and Corporate Bonds during CY is as under:

विवरण / **Particulars**	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum Outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum Outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया **Daily Average Outstanding during the year**	31 मार्च 2021 तक बकाया **Outstanding as on march 31,2021**
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities Sold under repo **1.** सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities **2.** कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ Corporate Debt Securities	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities Purchased under reverse repo **1.** सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities **2.** कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ Corporate Debt Securities	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

21- vpy lEifÙk;k

अचल संपत्तियों में 298,22,76 हजार रुपये (पिछले वर्ष 370,13,15 हजार रुपये) की अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनके लिए या तो मूल हक विलेख रिकॉर्ड में नहीं हैं या पंजीकरण लंबित है। पंजीकरण/स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, जिसकी गणना नहीं की गई है, उसकी गणना पंजीकरण के समय की जाएगी।

22- vk;dj fu/kkj.k dh fLFkfr

(i) खंड 143(3) के अंतर्गत आयकर निर्धारण वर्ष 2022–23 तक पूरा कर लिया गया है।

(ii) आयकर अधिकारियों के आदेश के आधार पर, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, आयकर मांग के प्रति देयताओं का पूरा प्रावधान किया गया है। कंपनी की राय है कि आयकर विभाग से आयकर वर्ष 2005–06 के बाद के वर्षों के लिए निवेश की बिक्री पर लाभ के कारण राशि वसूल की जा सकती है, जो कि आयकर वर्ष 2005–06 के लिए 30 अगस्त, 2017 को आईटीए संख्या 372/2015 में उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश के आधार पर है , जिसके तहत माननीय न्यायालय ने परिपत्र संख्या 528 दिनांक 16 दिसंबर 1988 के आधार पर कंपनी को निवेश की बिक्री पर लाभ की छूट दी है।

(iii) चालू वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

(iv) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 घरेलू कंपनियों को कम कर दर चुनने का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते वे कुछ कटौती का दावा न करें। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कम कर दर चुनने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और तदनुसार इन वित्तीय परिणामों में आस्थगित कर के उद्देश्य से संशोधन से पहले मौजूद दर पर विचार किया है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उपलब्ध संपूर्ण आगे ले जाए गए घाटे और एमएटी क्रेडिट का उपयोग करने के बाद कम कर दर चुनने के विकल्प का मूल्यांकन करेगी।

(v) आस्थगित कर

वर्ष के अंत में आस्थगित कर की गणना इस प्रकार की जाएगी:

21. Immovable Properties

Fixed assets include immovable properties costing Rs. 298,22,76 thousand (previous year Rs.370,13,15thousand) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted will be accounted for at the time of registration.

22. Status of income tax assessment

(i) The income tax assessments under Section 143(3) have been completed up to Assessment Year 2022-23.

(ii) Liabilities towards Income Tax Demand have been fully provided for, wherever considered necessary based on order by the Income Tax Authorities. The Company is of the opinion that amount is recoverable from the Income Tax department on account of profit on sale of investments for years subsequent to AY 2005-06 , on the basis of favorable High Court Order in ITA No. 372 of 2015 dated 30th August ,2017 for AY 2005-06, whereby the Hon'ble Court has allowed the Company exemption of Profit on sale of investments on the basis of Circular no 528 dated 16th December 1988

(iii) Provision for Income Tax for the current year is Nil (previous year Nil)

(iv) The Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 provides domestic companies with an option to opt for lower tax rate, provided they do not claim certain deductions. The Company has not exercised the option during the current financial year to opt for lower tax rate and accordingly has considered the rate existing prior to the amendment for the purpose of deferred tax in these financial results. The Company shall evaluate the option to opt for lower tax rate once it utilizes the entire carried forward losses and MAT credit available under the Income Tax Act, 1961.

(v) Deferred Tax

The calculation for deferred tax as the year ends as follows:

विवरण / **Particulars**	2023–24 (रु.'000 में) **2023-24 (Rs. in '000)**	2022–23 (रु.'000 में) **2022-23 (Rs. in '000)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets		
नकदीकरण अवकाश / Leave Encashment	3,06,56,65	3,26,79,86
पॉलिसी स्टाम्प/Policy Stamps Affix able	57,99	73,44
एनपीएस / NPS	36,94	29,31
लावारिस दावे (ऑरफन क्लेम) / Orphan Claims	14,48,00	14,48,00
उपादान / Gratuity	2,14,67	81,51
घटाएँ : आस्थगित कर देयता: Less : Deferred Tax Liability:		
मूल्यह्रास / Depreciation	1,07,45,93	96,63,24
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Net Deferred Tax Assets	2,16,68,32	2,46,48,89

टिप्पणियाँ:

उपरोक्त प्रावधान वर्तमान में लागू दरों पर कर योग्य आय और लेखा आय के बीच उत्पन्न होने वाले समय संबंधी अंतर के लिए किया गया है।

कंपनी के पास आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पर्याप्त मात्रा में आगे ले जाने वाले नुकसान और अनवशोषित मूल्यह्रास है, जिससे आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ पैदा हुई हैं। हालाँकि, विवेक के मामले में, भविष्य की कर योग्य आय पर अनिश्चितता के कारण लेखांकन मानक–22 (आय पर करों का लेखा) की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

23- ¼,½ cdk;k nkoksa d fy, çko/kku

अक्टूबर 2012 में जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, नियुक्त बीमांकक ने स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत फ्री लुक अवधि के लिए प्रावधान का मूल्यांकन वर्तमान वर्ष 2023–24 के लिए 315 हजार रुपये (पिछले वर्ष 305.063 हजार रुपये) किया है।

23- ¼ch½ çhfe;e e deh

यदि अपेक्षित दावा लागत, संबंधित व्यय और दावों से निपटने से संबंधित रखरखाव लागत का योग संबंधित वर्ग के लिए अनर्जित प्रीमियम से अधिक है, तो प्रीमियम की कमी को एक्चुरियल रिपोर्ट के आधार पर निवल आधार पर पहचाना जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रीमियम के शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की कमी दर्ज की गई है।

NOTES:

The above provision is made for timing differences arising between taxable incomes and accounting income at currently enacted rates.

The Company has substantial carry forward losses and unabsorbed depreciation under The Income Tax Act, 1961, giving rise to Deferred Tax Assets. However, as a matter of prudence, the deferred tax asset has not been recognized in the financial statements as per the requirements of Accounting Standard-22(Accounting of taxes on income) owing to uncertainty over future taxable income.

23. (a) Provisions for Outstanding Claims

In accordance with Master Circular issued in October' 2012 ,the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs. 315 thousand for the current year 2023-24 (Previous year Rs. 305.063 thousand)

23. (b) Premium Deficiency

The Premium deficiency is recognized on Net Basis based on Actuarial Report if the sum of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of segment. As per actuarial report, premium deficiency of Rs. NIL (Previous year

24. असमाप्त जोखिम/जोखिमों के लिए आरक्षित निधि

कंपनी की लेखा पॉलिसी संख्या 5.3 के आधार पर अनपेक्षित जोखिमों के लिए रिजर्व की गणना प्रतिशत के आधार पर की जाती है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शुरू की गई और समाप्त होने वाली सभी पॉलिसियों के प्रीमियम को अर्जित प्रीमियम के रूप में लिया जाता है और इन पॉलिसियों के विरुद्ध अनपेक्षित जोखिम को शून्य माना जाता है।

वर्ष के दौरान, ऐसी पॉलिसी के लिए प्राप्त प्रीमियम, जिसकी जोखिम अवधि वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो गई है, को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात ऐसी पॉलिसी के लिए प्राप्त संपूर्ण प्रीमियम का कुल मूल्य अर्थात 1,15,00,06 हजार रुपये (पिछले वर्ष 1,40,16,50 हजार रुपये) को कंपनी की प्रीमियम आय के रूप में माना गया है।

25-

ए. कंपनी के पास 168,45,63 हजार (पिछले साल 83,94,42 हजार) की जीएसटी इनपुट क्रेडिट राशि है, जिसमें आईएसडी इनपुट के कारण 61,10,54 हजार और कंपनी के भीतर व्यापार के बंटवारे के कारण 23,22,47 हजार की राशि शामिल है। 2ए बनाम 3बी के साथ मिलान करने के बाद 30 नवंबर 2024 तक योग्य आईटीसी का दावा किया जाएगा ।

बी. जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति निम्नानुसार है:

i) कंपनी भुगतान के महीने में आरसीएम पर भुगतान किए गए जीएसटी के संबंध में इनपुट क्रेडिट का दावा करती है और उसका दावा भी किया जाता है।

ii) कंपनी केवल चालान का भुगतान करते समय वैध कर चालान के आधार पर ही जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाती है। इसके पास अयोग्य जीएसटी इनपुट क्रेडिट का लाभ न उठाने की एक प्रक्रिया है, भले ही वह जीएसटी पोर्टल पर दिखाई दे रहा हो।

iii) भुगतान न किए गए चालानों पर इनपुट का दावा नहीं किया जाता है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए चालानों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक इसका लाभ उठाया जा सकता है।

iv) व्यय के मामले में, जहां इनपुट क्रेडिट पात्र नहीं है, उसे जीएसटीआर 2ए में दर्शाया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट का

Rs. NIL) has been recognized in the financial year 2023-24 .

24. Reserves for Unexpired risk/s

Reserve for Unexpired Risks is calculated based on Company's Accounting Policy No. 5.3 i.e. on a percentage basis. However the premium of all those policies which were incepted and expired during the financial year 2023-24 are taken as earned premium and Unexpired Risk against these policies are taken as Nil.

During the year, premium received against the policy whose risk period expired on or before the year end has been recognized as premium income of the company ie aggregate value of the entire premium received against such policy ie Rs. 1,15,00,06 thousand (previous year Rs.1,40,16,50 thousand) has been treated as Premium Income of the Company.

25.

A. The Company is having GST Input Credit amounting to 168,45,63 thousand (Previous Year 83,94,42 thousand) which includes the amount of 61,10,54 thousand on account of ISD input & 23,22,47 thousand on account of sharing of business within the Company . Eligible ITC shall be claimed till 30th Nov. 2024 after reconciliation with 2A Vs 3B.

B. B. Accounting treatment followed by the company regarding claim of GST Input tax credit is as below:

i) The Company claims the input credit with respect to GST paid on RCM in the month of payment and the same is claimed.

ii) The Company avails GST input credit only on the basis of valid tax invoice at the time of making payment of invoices. It has a process of not availing the ineligible GST input credits even if the same is reflecting on the GST portal.

iii) Input is not claimed on those invoices lying unpaid, as the same can be availed up to November 30, 2023 for those invoices raised during the F.Y 2023-24.

iv) In case of expenses, where input credit is not eligible, the same is being reflected in the GSTR

लाभ नहीं उठाया गया है।

26. निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत किए गए व्यय

ए. आउटसोर्सिंग व्यय रु. शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

विपणन सहायता 24,63,60 हजार रुपये (पिछले वर्ष 18,53,49 हजार रुपये)

बी. आईआरडीएआई (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के व्यय) विनियमन, 2016.एफ.सं.आईआरडीएआई / राग / 12 / 124 / 2016 दिनांक 27.04.2016 के अनुपालन में, चालू वर्ष 2023–24 के लिए स्वीकार्य सीमाओं से अधिक प्रबंधन के व्यय को शेयरधारकों के खाते में शून्य (पिछले वर्ष 1,58,21,299 हजार रुपये) के रूप में चार्ज किया गया है।

स्वीकार्य व्यय से अधिक प्रबंधन के व्यय (ईओएम) को राजस्व खातों में ''अन्य आय'' के अंतर्गत अलग मद के रूप में दर्शाया गया है।

27-

ए. विविध देनदारों की संख्या 53,85,89 हजार रुपये (पिछले वर्ष 44,26,58 हजार रुपये)।

बी. एमएसीटी भुगतान और वसूली मामलेः 696, शामिल राशिः 88,79,90 हजार रुपये (पिछले वर्ष के मामलेः 387, शामिल राशिः 24,60,03 हजार रुपये)

28. 2023–24 में वैकल्पिक प्रीमियम अर्पण की अनंतिम बुकिंग शून्य (पिछले वर्ष शून्य) और वैकल्पिक दावा अर्पण शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

29. लेखांकन मानक 3ः नकदी प्रवाह विवरण

कंपनी का नकदी प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

30. ए) लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन

लेखांकन पॉलिसी 6.1.ए की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा दी गई जानकारी, अंतिम तिथि तक अग्रणी और अन्य स्रोतों की सलाह, पिछले अनुभव और अन्य लागू कानूनों पर आधारित है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि, अंतिम देयता प्रदान की गई राशि से अधिक या कम हो सकती है, जिसके लिए कोई भी समायोजन उस

2A but credit has not been availed.

26. Expenses Incurred Under Following Heads

a. Outsourcing Expenses Rs. NIL (Previous year NIL)

Marketing Support Rs. 24,63,60 thousand (Previous year Rs. 18,53,49 thousand)

b. In compliance to IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulation, 2016.F.No. IRDAI/Rag/12/124/2016 dated 27.04.2016, expenses of management exceeding the allowable limits for the current year 2023-24 has been charged as NIL (previous year Rs.1,58,21,299 Thousand) to Shareholders' account.

Expenses of Management (EOM) above allowable expenses have been disclosed as separate line item under "other income" in revenue accounts.

27.

A. Sundry debtors of Rs 53,85,89 thousand (Rs. 44,26,58 thousand previous year).

B. MACT Pay and Recover Cases: 696 , Amount involved: Rs 88,79,90 thousand (Previous year are Cases: 387 , Amount involved: Rs.24,60,03 thousand)

24. Provisional Booking in 2023-24 of Facultative Premium Cession is NIL (previous year NIL) and Facultative Claim Cession is NIL (previous year NIL).

28. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method.

29. A)Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 6.1.a, wherein it has been specifically stated that "Estimated liability for outstanding claims at the year-end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources up to the date of finalization, past experience and other

अवधि में परिलक्षित होगा जिसमें वे ज्ञात होते हैं।" बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 25 मई 2004 के पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमानों में ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव, तब तक प्रकटीकरण की मांग नहीं करता है जब तक कि बकाया दावों के लिए प्रावधान करने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान करने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

बी) मुकदमे संबंधी निपटान

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमों के कारण किए गए निपटान की राशि 23,43,00,00 हजार रुपये थी (पिछले वर्ष 19,59,14,28 हजार रुपये)।

सी) अचल संपत्तियों का निपटान

वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों की बिक्री पर निवल आय 3,30,65 हजार रुपये (पिछले वर्ष 4,23,07 हजार रुपये) और अचल संपत्तियों की बिक्री पर निवल लाभ 6,95 हजार रुपये (पिछले वर्ष 17,02 हजार रुपये) था।

31- y[kdu ekud 15 ¼l'kf/kr½

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007–2008 से लेखांकन मानक, एएस–15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

31.1 सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों के लाभ

बीमारी अवकाश और अवकाश यात्रा सब्सिडी (एलटीएस) के लिए देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ए) वर्ष के दौरान एलटीएस की देयता में 56,09 हजार रुपये की वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष 2,76,00 हजार रुपये की वृद्धि हुई थी) और इसे क्रमशः लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है। इसके अलावा 31.03.2024 तक एलटीएस की कुल देयता 17,16,82 हजार रुपये है (पिछले वर्ष 16,60,73 हजार रुपये)।

(बी) वर्तमान वर्ष के लिए बीमारी अवकाश के लिए देयता में 8,07,96 हजार रुपये की कमी आई है (पिछले वर्ष 15,87,23 हजार रुपये की वृद्धि हुई थी) और इसे लाभ

applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known." It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

B) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2024 amounted to Rs.23,43,00,00 thousand (previous year Rs. 19,59,14,28 thousand).

C) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs. 3,30,65 thousand (previous year Rs.4,23,07 thousand) and the net profit on sale of fixed assets amounting to Rs.6,95 thousand (previous year Rs.17,02 thousand).

31. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) 'Employee Benefits' since the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

31.1 Employees Benefits during Service Period

The liability for Sick Leave and Leave Travel Subsidy (LTS) is recognized based on Actuarial Valuation.

(a) Liability of LTS has increased by Rs. 56,09 thousand during the year (previous year increased by Rs.2,76,00 thousand) and has been debited to Profit & Loss Account respectively. Further Total liability of LTS as on 31.03.2024 is Rs.17,16,82 thousand (Previous year Rs.16,60,73 thousand).

और हानि खाते में जमा किया गया है। 31–03–2024 तक बीमारी अवकाश के लिए कुल देयता 2,36,68,66 हजार रुपये है (पिछले वर्ष 2,44,76,62 हजार रुपये)।

31-2- dehpkjh lsokfuofÙk ykHk(

इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

,- i'ku%

कंपनी के पास एक परिभाषित पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन देय है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग से फंड बनाया है जिसे कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसके लिए देयता को बीमाकंक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बी. ग्रेच्युटी:

कंपनी ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना बनाई है। 5 साल की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। कंपनी ने ग्रेच्युटी के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है जिसे कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। किसी भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी देयता की गणना कंपनी की युक्तिकरण योजना के अनुसार या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत जो भी अधिक हो, के अनुसार की जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

lh- vk,evkbZ d dkj.k i'ku n;rk,%

ओएमपीओ के तहत पात्र विकल्प चुनने वाले कार्मिकों के मामले में जिनकी पेंशन देयता 31.03.2020 तक निहित नहीं हुई थी (अर्थात जो 31.03.2020 तक कंपनी के रोल पर थे), पेंशन देयता का बीमांकिक अनुमान 14,85,69,68 हजार रुपये था।

आईआरडीएआई ने अपने पत्र संख्या 411/एफ एंड ए (एनएल)/राशि–ईबी/2019–20/123 दिनांक 07.07.2020 के माध्यम से वित्त वर्ष 2019–20 से पांच वर्ष से अधिक की अवधि में नए पेंशन विकल्प चुनने वालों की पेंशन देयता के परिशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(b) Liability for sick leave for the current year has decreased by Rs 8,07,96 thousand (previous year increased by Rs 15,87,23 thousand) and has been credited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2024 is Rs. 2,36,68,66 thousand (previous year Rs. 2,44,76,62 thousand).

31.2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

a. Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created a separate Trust for management of gratuity which is funded by the Company. The gratuity liability of any employee is calculated as per the Rationalization scheme of the company or under The Payment of Gratuity Act, 1972 whichever is higher. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

c. Pension Liabilities due to OMOP:

In case of eligible optees under OMPO whose pension liability had not vested up to 31.03.2020 (i.e. who were on the rolls of the Company as at 31.03.2020), the actuarial estimates of pension Liability worked out to Rs.14,85,69,68 thousands.

IRDAI vide its letter NO 411/F&A (NL)/Amount-EB/2019-20/123 dated 07.07.2020 has granted approval for the amortization of the pension liability of fresh pension optees, over a period not exceeding five years with effect from FY 2019-20.

In respect of OMOP, The Company has charged Rs.2,97,13,94 thousand to Profit and Loss

ओएमओपी के संबंध में, कंपनी ने 2023–24 के बारह महीनों के दौरान लाभ और हानि खाते में 2,97,13,94 हजार रुपये का प्रभार लगाया है (31.03.2024 तक संचयी प्रभार 14,85,69,68 हजार रुपये है)।

Mh- vodk'k udnhdj.k

सभी श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा अवधि के दौरान और सेवानिवृत्ति पर विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति है। सेवा अवधि के दौरान, 2 साल में एक बार 15 दिनों के पीएल के लिए नकदीकरण की अनुमति है और सेवानिवृत्ति पर, यह 240 दिनों के पीएल तक सीमित है। यह वित्तपोषित नहीं है और बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उपरोक्त कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Account during the twelve months of 2023-24 (Cumulative charged up to 31.03.2024 is Rs. 14,85,69,68 thousand).

d. Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligations

(रू.'000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / **PARTICULARS**	पेंशन / **PENSION**			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अप्रैल, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2023	54,64,18,14	53,65,45,16	55,97,49,40	54,20,57,64
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	1,73,82,96	2,06,46,16	2,56,87,57	3,26,51,89
ब्याज लागत / Interest Cost	3,48,73,81	3,20,06,11	3,29,24,00	3,38,44,72
दायित्व पर बीमांकन (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	5,04,33,73	15,34,31,27	4,59,96,10	4,36,30,20
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-14,31,21,95	-19,62,10,56	-12,78,11,91	-9,24,35,05
पिछली सेवा लागत**/Past service cost **	0	0	0	0
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March,2024	50,59,86,69	54,64,18,14	53,65,45,16	55,97,49,40

** पिछली सेवा लागत (पीएससी) तीसरे और अंतिम पेंशन विकल्प से संबंधित देयता के कारण उत्पन्न हुई है। कुल पीएससी में से, 14,85,69,68 / – (हजार) रुपये की राशि सक्रिय कर्मचारी के संबंध में है जिसे 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है।

** Past service cost (PSC) has arisen due to liability pertaining to Third and final pension optees. Out of the total PSC, amount of Rs14,85,69,68/- (thousand) is with respect to active employee which has been amortized over the period of 5 years.

(रू.'000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1 अप्रैल, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2023	10,85,21,43	10,87,97,50	8,93,24,60	9,49,64,11

वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	31,99,39	41,80,21	61,41,62	47,99,40
ब्याज लागत / Interest Cost	71,58,15	62,83,43	51,03,04	61,16,85
दायित्व पर बीमांकन (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	11,40,02	1,96,14,07	2,84,56,64	17,16,79
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-2,03,25,45	-3,03,53,78	-2,02,28,40	-1,82,71,95
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March,2024	9,74,13,50	10,85,21,43	10,87,97,50	8,93,25,20

(Rs in '000)

ब्यौरा / **PARTICULARS**	अवकाश नकदीकरण / **LEAVE ENCASHMENT**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
1 अप्रैल, 2023 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April,2023	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,37	6,43,26,68
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	54,41,93	59,36,65	78,03,33	45,77,19
ब्याज लागत / Interest Cost	44,89,37	37,57,37	38,09,46	42,04,73
दायित्व पर बीमांकन (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation	-14,64,40	66,32,84	32,82,69	72,68
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-1,35,05,26	-1,51,98,65	-1,20,15,50	-98,05,65
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March,2024	6,23,45,18	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,63
31 मार्च 2024 तक दायित्व Obligation as at 31st March 2024			10,87,97,50	8,93,25,20

- केवल भारतीय दायित्व / **Indian Obligation only**
- **#** भारतीय और विदेशी दोनों / **# Indian as well as foreign**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(रु. 000 में) **(Rs. In 000)**

ब्यौरा / **PARTICULARS**	पेंशन / **PENSION**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
1 अप्रैल, 2023 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April,2023	41,72,45,30	42,95,92,01	44,53,04,77	28,41,56,31
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	3,33,21,19	3,68,97,82	3,23,37,83	2,35,08,02
नियोक्ता का अंशदान / Employer's contribution			0	0
अतिरिक्त अंशदान / Additional contribution	5,40,74,32	15,17,15,16	83,42,14,91,56	23,86,51,96
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-14,31,21,95	-19,62,10,56	-12,78,11,91	-9,24,35,05
बीमांकन लाभ / हानि / Actuarial Gain/Loss	-29,32,45	-47,49,13	--36,60,15	-857647
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31st March, 2024	35,85,86,41	41,72,45,30	42,95,92,01	44,53,04,77

(रु. 000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1 अप्रैल, 2023 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April,2023	10,27,19,78	7,6257,81	8,51,03,32	8,84,45,49
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	68,04,74	42,84,20	49,55,53	54,22,95
नियोक्ता का अंशदान Employer's contribution	64,63,92	5,01,53,22	0	0
अतिरिक्त अंशदान Additional contribution	0	0	38,99,67	61,87,63
भुगतान किये गये लाभ / Benefits paid	-2,02,99,40	-3,03,45,61	-2,02,07,65	-1,82,47,25
बीमांकन लाभ / हानि Actuarial Gain/Loss	11,10,34	23,70,16	25,06,94	32,94,50
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31st March, 2024	9,67,99,38	10,27,19,78	7,62,57,81	8,51,03,32

*वर्तमान एवं पिछले वर्ष में पेंशन अंशदान कुल मिलाकर दिया जाता है (नियोक्ता अंशदान, अतिरिक्त अंशदान)

*In Current & Previous Year pension contribution is given in Total (Employer contribution + Additional contribution)

केवल भारतीय दायित्व. /# Indian obligation only.

लाभ–हानि खाते में दर्ज व्यय / EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रु. 000 में) (Rs. In '000)

पेंशन / **Particulars**	विवरण / **PENSION**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	1,73,82,96	2,06,46,15	2,56,87,57	3,26,51,89
ब्याज लागत / Interest Cost	3,48,73,81	3,20,06,11	3,29,24,00	3,38,44,72
निहित विगत सेवा लागत Vested past service cost			-	2,97,13,94
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	-3,33,221,19	-3,68,97,82	-3,23,37,83	-2,35,08,02
निवल बीमांकन (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/Loss	5,33,66,19	15,81,80,40	4,96,56,26	5,22,06,67
निवल आवधिक लागत वर्तमान वर्ष के ऊपरिशोधित शेष में पहचाना गया अपरिचित क्रेडिट शेष Net Periodic Cost Unrecognized credit balance Recognized in current year Unamortized balance	7,23,01,77	17,39,34,84	7,59,30,00	12,49,09,20

(रु. 000 में) (Rs in '000)

	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
विवरण / Particulars	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	31,99,38	41,80,21	61,41,62	47,99,40
ब्याज लागत / Interest Cost	71,58,16	62,83,43	51,03,04	61,16,85
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	-68,04,74	-42,84,20	--49,55,53	-54,22,95
निवल बीमांकन (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/Loss	-22,50,36	1,72,43,91	2,59,49,70	-15,77,71
निवल आवधिक लागत वर्तमान वर्ष के ऊपरिशोधित शेष में पहचाना गया अपरिचित क्रेडिट शेष Net Periodic Cost Unrecognized credit balance Recognized in current year	13,02,44	2,34,23,35	3,22,38,83	39,15,59
Unamortized balance				

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि **AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET**

(रू. '000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / **PARTICULARS**	पेंशन / **PENSION**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2024	50,59,86,69	54,64,18,14	53,65,45,16	55,97,49,40
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष की कंपनी के योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31st March, 2024 (including current year Company's contribution)	-35,85,86,41	41,72,45,30	42,95,92,01	44,53,04,77
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता Liability recognized in Balance Sheet	14,74,00,28	12,91,72,84	10,69,53,15	2,53,02,82

(रू. '000 में) (Rs in '000)

ग्रेच्युटी / PARTICULARS	ब्यौरा / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2024	9,74,13,69	10,85,21,43	10,87,97,49	8,93,25,20
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष की कंपनी के योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31st March, 2024 (including current year Company's contribution)	-9,67,99,38	10,27,19,78	7,62,57,81	8,51,03,32
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता Liability recognized in Balance Sheet	6,14,31	58,01,65	3,25,39,68	42,21,88

(रु. 000 में) (Rs in '000)

ब्यौरा / PARTICULARS	अवकाश नकदीकरण / LEAVE ENCASHMENT			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
31 मार्च, 2024 तक परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31st March, 2024	6,23,45,30	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,63
31 मार्च, 2024 तक योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (चालू वर्ष की कंपनी के योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31st March, 2024(including current year Company's contribution)	-	-	-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता Liability recognized in Balance Sheet	6,23,45,30	6,73,83,55	6,62,55,34	6,33,75,63

बीमांकक धारणा / **ACTUARIAL ASSUMPTION**

बीमांकक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं हैं: / **The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:**

ब्यौरा / PARTICULARS	पेंशन / PENSION			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
(i) प्रयुक्त विधि / Method used	परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि / Projected unit credit method			
(ii)छूट दर % / Discount rate %	7.2	7.5	7.30	6.64
(iii) परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर* % Expected rate of return on assets* %	7.2	7.5	7.30	6.64
(iv)भविष्य में वेतन वृद्धि # % Future Salary Increase # %	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर / Mortality	एलआईसी LIC (1996-98)	एलआईसी LIC (1996-98)	एलआईसी LIC (1996-98)	एलआईसी LIC (1996-98)
vi) कर्मचारियों का टर्नओवर Employees Turnover	2	2	2	2
vii) कार्य करने हेतु शेष वर्ष Remaining working life years	0	0	0	0

ब्यौरा / PARTICULARS	ग्रेच्युटी / GRATUITY			
	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
(i) प्रयुक्त विधि / Method used	परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि Projected unit credit method			
(ii) छूट दर %/Discount rate %	7.15	7.3	6.40	6.64
(iii) परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर* % Expected rate **of** return on assets* %	7.15.	7.3	6.40	6.64
(iv)भविष्य में वेतन वृद्धि # % Future Salary Increase # %	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर / Mortality	आईएएलएम IALM(2012-14)	आईएएलएम IALM(2012-14)	आईएएलएम IALM(2012-14)	आईएएलएम IALM(2012-14)

vi) कर्मचारियों का टर्नओवर Employees Turnover	2	2	2	2
vii) कार्य करने हेतु शेष वर्ष Remaining working life years	0	0	0	0

ब्यौरा / **PARTICULARS**	अवकाश नकदीकरण / **LEAVE ENCASHMENT**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
(i) प्रयुक्त विधि / Method used	परियोजित यूनिट क्रेडिट विधि Projected unit credit method			
(ii) छूट दर %/Discount rate %	7.15	7.3	6.40	6.64
(iii) परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर* % Expected rate of return on assets* %	0	0	0	0
(iv)भविष्य में वेतन वृद्धि # % Future Salary Increase # %	7	7	7	7
(v) मृत्यु दर / Mortality	आईएएलएम IALM (2012-14)	आईएएलएम IALM (2012-14)	आईएएलएम IALM (2012-14)	आईएएलएम IALM (2012-14)
vi) कर्मचारियों का टर्नओवर Employees Turnover	2	2	2	2
vii) कार्य करने हेतु शेष वर्ष Remaining working life years	0	0	0	0

*वर्ष के आरंभ में, संबंधित दायित्व के सम्पूर्ण जीवनकाल में रिटर्न, योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न दर बाजार की अपेक्षा पर आधारित होती है।
* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

बीमांकक ने देयता का आकलन करते समय मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।
Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

31 मार्च, 2024 तक ट्रस्ट द्वारा बनाए गए योजना परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :
Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2024 are as follows:

(प्रतिशत में) **(In Percentage)**

ब्यौरा / **PARTICULARS**	पेंशन / **PENSION**				ग्रेच्युटी / **GRATUITY**			
	2023-24	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**	**2023-24**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
(i) विशेष जमा Special Deposits	0	0	0	0	2.37	11.64	4.37	4.61
(ii) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	1.52	5.91	4.92	5.35	51.00	53.74	61.25	57.63
(iii) बांड / डिबेंचर Bonds/debentures	17.73	15.66	28.43	20.91	27.83	27.42	29.42	33.78
(iv) इक्विटी / Equity	0	-4.66	0	0	0.06	4.85	2.24	3.97
(v) बैंकों में जमा Deposits in Banks	.02	0.06	0	0	1.02	0.1	2.73	0
(vi) म्यूचुअल फंड Mutual Funds	3.83	0	0.33	3.37	0	0	0	0

(vii)रियल एस्टेट/Real Estate	0	0	0	0	0	0	0	0
(viii) अन्य/Others	76.90	83.03	66.32	70.37	17.72	2.25	0	0

b- lsokfuofÙk dk ckn fpfdRlk ykHk%

कंपनी के पास कोई सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना नहीं है। हालांकि कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं) द्वारा स्वयं और परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती होने और ओपी व्यय दोनों) को कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है, भले ही निदेशक कंपनी के निदेशकध्कर्मचारी न रह जाएं, बशर्ते कि कंपनी ऐसे पूर्व कर्मचारियों की मूल कंपनी हो। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।

कंपनी वर्ष 2015 से प्रभावी नई ग्रुप मेडी क्लेम पॉलिसी के खंड 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति/पत्नी के संबंध में उनके अनुमानित रूप से समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारी के लिए लागू पात्र बीमा राशि के आधार पर गणना की गई देय चिकित्सा प्रीमियम का 75% वहन करेगी।

एफ. कंपनी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 01.08.2022 से देय है। चूंकि नया वेतन संशोधन केपीआई (निष्पादन आधारित) पर आधारित है, इसलिए इन वित्तीय विवरणों में कर्मचारियों के वेतन संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

32- ykdu ekud 17 [kM fjikfVx %

जैसा कि आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 द्वारा निर्धारित किया गया है, भारतीय, विदेशी और समेकित के लिए विभागीय रिपोर्टिंग अलग से संलग्न है।

—i;k vuqyXud 32-1] 32-2 vkj 32-3 n[k

33- çe[k çcU/ku dkfe[d%

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 2(51) और खंड 203(1) के अनुसार, 31.03.2024 तक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे और 2023–24 के दौरान उन्हें भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:–

e. Post-Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post-Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the medical premium payable computed on the basis of eligible Sum insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of Retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Medi claim policy which is effective from 2015.

f. The wage revision for employees of the company is due w.e.f. 01.08.2022. Since the new wage revision is based on KPI (performance based) hence no provision for wage revision of employees has been made in these financial statements.

32. Accounting Standard 17 Segment Reporting:

As prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, segmental Reporting is attached separately for Indian, foreign and consolidated.

Please refer attachment 32.1, 32.2 and 32.3

33. Key Management Personnel:

As per section 2(51) and section 203(1) of the Companies Act 2013, following were the key Managerial Personnel of the Company as on 31.03.2024 and details of remuneration paid during 2023-24 to them is as under:-

(रू. '000 में) **(Rs in '000)**

क्र.सं. **S.No.**	नाम / **Name**	पद / **Position**	अवधि / **Period**	कुल पारिश्रमिक **Total Remuneration**
1	श्री आर.आर.सिंह Shri R. R. Singh	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chairman-cum-Managing Director and Chief Executive Officer	01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024	35,88
2	श्रीमती रश्मि बाजपेयी Mrs. Rashmi Bajpai	कंपनी सचिव Company Secretary	01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024	35,57
3	श्री अरविंद सक्सेना Shri Arvind Saxena	महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी GM & Chief Underwriting Officer	01 / 04 / 2023 से 28 / 04 / 2023 01/04/2023 to 28/04/2023	34,15
		महाप्र. एवं आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख GM & Chief of Internal Audit	01 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024	
4	श्रीमती रेखा ठाकुर मोहंती Mrs. Rekha Thakur Mohanty	महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी GM & Chief Underwriting Officer	28 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक 28/04/2023 to 31/03/2024	30,30
5	श्रीमती मीरा पार्थसारथी Mrs. Meera Parthasarathy	महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) GM & Chief Underwriting Officer (Alternate)	04 / 05 / 2023 से 07 / 11 / 2023 04/05/2023 to 07/11/2023	30,13
		महाप्र. एवं मुख्य जोखिम अधिकारी GM & Chief Risk Officer	08 / 11 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक 08/11/2023 to 31/03/2024	
6	श्रीमती रेखा के. सोलंकी Mrs. Rekha K. Solanki	महाप्र. एवं मुख्य विपणन अधिकारी GM & Chief Marketing Officer	28 / 04 / 2023 से 31 / 03 / 2024 तक 28/04/2023 to 31/03/2024	30,83
7	श्रीमती सुनीता तुली नागपाल Mrs. Sunita Tuli Nagpal	पूर्णकालिक निदेशक महाप्र. एवं मुख्य जोखिम अधिकारी Whole Time Director GM & Chief Risk Officer	01 / 04 / 2023 से 31 / 10 / 2023 तक 01/04/2023 to 31/10/2023	21,00
8	श्री मिलाप चंद Shri Milap Chand	महाप्र. एवं मुख्य विपणन अधिकारी GM & Chief Marketing Officer	01 / 04 / 2023 से 28 / 04 / 2023 01/04/2023 to 28/04/2023	5,48
		महाप्र. एवं मुख्य बीमालेखन अधिकारी (वैकल्पिक) GM & Chief Underwriting Officer (Alternate)	01ध04ध2023 से 31ध05ध2023 01/04/2023 to 31/05/2023	

9	श्रीमती योगिता अरोड़ा Mrs. Yogita Arora	नियुक्त एक्चुअरी Appointed Actuary	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024	1,02,36
10	श्री के.जी. नंदकुमारन Shri K.G. Nandakumaran	उप महाप्र. एवं मुख्य वित्त अधिकारी DGM & Chief Finance Officer	01/04/2023 से 31/07/2023 01/04/2023 to 31/07/2023	10,13
11	श्री डी.के. बरगोती Shri D.K. Bargoti	उप महाप्र. एवं मुख्य निवेश अधिकारी DGM & Chief Investment Officer	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024	32,73
12	श्रीमती शीला त्रिपाठी Mrs. Sheela Tripathi	उप महाप्र. एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी DGM & Chief Compliance Officer	01/04/2023 से 31/03/2024 तक 01/04/2023 to 31/03/2024	29,79
13	श्री गिरीश आहूजा Shri Girish Ahuja	उप महाप्र. एवं मुख्य वित्त अधिकारी DGM & Chief Finance Officer	01/08/2023 से 31/03/2024 तक 01/08/2023 to 31/03/2024	23,61

34- y[kkdu ekud 18% lacf/kr i{k çdVhdj.k

i. lgk;d

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

ii. ,lkfl,Vl

इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर

हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत

lacf/kr i{kksa d lkFk yu&nu%

34. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure

i. **Subsidiaries**

The Industrial Credit Company Limited

ii. **Associates**

India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore

Health Insurance TPA of India Ltd, India

Transactions with related parties:

क्रमांक Sr. No.	संबंध की प्रकृति Nature of Relationship	लेन–देन की प्रकृति Nature of Transaction	2023-24	2022-23
i)	सहायक Subsidiary	दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited		
		1. सहायक कंपनी में निवेश Investment in Subsidiary	5,00	5,00
		2. से देय राशि Amount Due from	14,72	12,19
ii)	एसोसिएट्स Associates	a) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुरः India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :		
		i) प्राप्त लाभांश आय Dividend Income received	6,10,50	5,67,80
		ii) शेयरों में निवेश / Investment in shares	3,91,10	3,91,10
		iii) वर्ष के दौरान संधि आईडब्ल्यू (स्वीकृति) Treaty IW (Acceptance) during the year	6,15,02	3,73,98
		iv) एफएसी आईडब्ल्यू (स्वीकृति) FAC IW (ACCEPTANCE)	4,36,89	-4,09,69
		v) ओडब्ल्यू एफएसी (सेशन) OW FAC (CESSION)	21,80	6,54
		b)भारतीय स्वास्थ्य बीमा टीपीएः– Health Insurance TPA of India :-		
		i) शेयरों में निवेश Investment in shares	19,80,75	19,80,75
		ii) हिटपा के कारण देय राशि Amount Due to HITPA	8,75,32	8,53,38
		iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel		62,66
		iv) वर्ष के दौरान लेनदेनः Transaction during the year:		
		a) प्राप्त किराया / Rent Received	43,96	61,60
		b) भुगतान किया गया / देय टीपीए शुल्क। TPA Fees Paid/payable.	79,17,62	26,77,09
iii)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel	वेतन एवं भत्ते Salary & Allowances	4,21,96	1,65,09

35- iê

कंपनी ने कार्यालय और आवासीय परिसरों को परिचालन पट्टे पर लिया है। आवासीय परिसर आम तौर पर 11 महीने के लिए लिया जाता है और आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। कार्यालय परिसर आम तौर पर चार साल की अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर लिया जाता है और पट्टादाता के विकल्प पर नवीनीकृत किया जाता है।

पट्टे के अंतर्गत दायित्व के संबंध में चालू वर्ष में कुल पट्टा किराया 77,20,29 हजार रुपये (पिछले वर्ष 79,51,29 हजार रुपये) है, जो चालू वर्ष में राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

लेखांकन मानक 19 के अनुसार, औसतन गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान का विवरण

35. Leases

The company has taken on operating lease Office and residential premises. The residential premises are generally taken for 11 months and are renewable at mutually agreed upon terms. The office premises are generally taken on operating lease for the period of four years and are renewed at the option of the lessor.

Aggregate lease rentals amounting to Rs.77,20,29 thousand in the current year (previous year Rs.79,51,29 thousand) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

As per Accounting Standard 19, Leases details of Future Minimum Lease Payments under non-cancellable operating leases in the aggregate

(राशि '000 में) Amount in '000

a) एक वर्ष से अधिक नहीं / Not Later Than One Year	7,65,55
b) एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं Later than one Year and not later than five years	70,79,47
c) पांच वर्ष से बाद में / Later than five years	1,54,76,48

36. लेखांकन मानक 20– "प्रति शेयर आय": / **Accounting Standard 20 – "Earnings Per Share":**

		वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ Year ended March 31, 2024	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ Year ended March 31, 2023
कर के बाद लाभ (हानि) Profit/(loss) after tax	रुपये / RsIn 000'	18,61,20	(49,68,11,20)
बेसिक ईपीएस के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या The weighted average number of Shares for Basic EPS	संख्या. / Nos.	4,62,00,00,000	4,62,00,00,000
प्रति शेयर आय (बेसिक) / Earnings per Share (Basic)	रुपये में In Rs	0.04	(10.75)
प्रति शेयर आय (विलयित) / Earnings per Share (Diluted)	रुपये में In Rs	0.04	(10.75)

7- y[kdu ekud 22

भावी कर योग्य लाभ की वास्तविक अनिश्चितता के अभाव में, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनवशोषित आगे ले जाए गए व्यावसायिक हानि की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी है।

37. Accounting Standard 22

In the absence of virtual uncertainty of future taxable profit, the company has not recognized deferred tax assets of unabsorbed brought forward business loss for Income Tax Act, 1961.

38- y[kdu ekud 28

लेखांकन मानक–28 के अनुसार, प्रबंधन ने परिसंपत्तियों

38. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility

की हानि की संभावना का आकलन किया है और अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं हुई है।

39. पुनर्बीमा स्वीकृतियों से संबंधित बकाया दावा प्रावधानों के संबंध में (लेखा पॉलिसी संख्या 6.1.बी देखें), वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियां अपनाई गईं:

1. वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने की तिथि तक भारतीय व्यवसाय के संबंध में

2. विदेशी व्यापार के संबंध में:

i. वर्ष के अंत तक हुई सभी हानियां तथा तत्काल आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक प्राप्त पत्र व्यवहार।

ii. रद्द की गई संधियों के मामले में, विदेशी कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए दावों को, जैसा कि 15 मई तक प्राप्त पुनर्बीमा रिटर्न में दर्शाया गया है या खातों को अंतिम रूप दिया गया है, जो भी पहले हो, बकाया दावों के रूप में माना जाएगा।

40. कंपनी ने बीमा अधिनियम, 1938 की खंड 3ए के साथ खंड 3 के प्रावधानों और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना का अनुपालन किया है।

41. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण निम्नानुसार है:

of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

39. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.6.1.b), the following dates were adopted during the year:

1. In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement

2. In respect on Foreign business:

i. All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.

ii. In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts whichever is earlier, was considered as outstanding claims.

40. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

41. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

(रु. 000 में) (Rs. in '000)

क्र.स. **Sl. No.**	प्राधिकरण / **Authority**	गैर अनुपालन / उल्लंघन **Non Compliance/ Violation**	जुर्माना लगाया गया **Penalty Awarded**	जुर्माना लगाया गया **Penalty Awarded**	जुर्माना अदा किया गया **Penalty Paid**	जुर्माना अदा किया गया **Penalty Paid**	जुर्माना माफ / कम किया हुआ **Penalty waived/ reduced**	जुर्माना माफ / कम किया हुआ **Penalty waived/ reduced**
			2023-24	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**	**2023-24**	**2022-23**
1	आईआरडीएआई / IRDAI	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2	सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities	शून्य / NIL	573	शून्य / NIL	25	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3	आयकर प्राधिकरण Income Tax Authorities	शून्य / NIL	1254	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण Any other Tax Authorities	शून्य / NIL	102	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

5	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायिक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या एफईएमए के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/Tribunal or any Authority under FEMA	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
6	आरओसी / सीएलबी / एमसीए ROC/CLB/MCA	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
7	किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना जिसमें दावा निपटान शामिल है, लेकिन मुआवजा अपवर्जित है Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
10	कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / वैधानिक प्राधिकरण Any other Central/State/Local Government/Statutory Authority	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

42- i,fylh/kkjdksa dk n;%

ए. पॉलिसीधारकों की देय राशि का आयु–वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

42. Policyholders dues:

a. Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:

(रु. 000 में) (Rs. in '000)

विवरण / **Particulars**	6 महीने तक **Upto 6 months**	7–12 महीने **7-12 months**	13–18 महीने **13-18 months**	19–24 महीने **19-24 months**	25–30 महीने **25-30 months**	31–36 महीने **31-36 months**	37–120 महीने **37-120 months**	>120 महीने **>120 months**	कुल **Total**
पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर अन्य किसी कारण से पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों को भुगतान न किए गए दावे Claims settled but not paid to the poliy holders/beneficiaries due to any reasons except under litigation fro the policyholders/ beneficiaries	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

परिपक्वता पर या अन्यथा पॉलिसीधारक के लाभार्थियों को देय राशि Sum due to the policyholders beneficiaries on maturity or otherwise	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
प्रीमियम / कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों / लाभार्थियों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप में वापस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium/tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	69,61,63	2,34,16	2,66,63	1,85,73	2,18,68	3,38,46	9,36,36	1,24,07	92,65,71
चेक जारी किए गए लेकिन पॉलिसीधारक / लाभार्थियों द्वारा भुनाए नहीं गए Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	78,38,45	21,79,87	2,07,83	1,62,03	1,66,56	2,08,16	8,58,03	13,44	1,16,34,35
कुल / Total	1,48,00,07	24,14,02	4,74,46	3,47,76	3,85,24	5,46,61	17,94,39	1,37,50	2,09,00,06

टिप्पणियाँ:–

1. पॉलिसीधारकों को जारी किए गए चेक जिनकी वैधता 3 महीने से कम है और जिन्हें भुनाया जाना है, उन्हें पॉलिसीधारक की बकाया राशि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि ये चेक पुराने नहीं हुए हैं। हालाँकि, ये राशियाँ उपरोक्त विवरण में शामिल / दिखाई गई हैं।
2. आईआरडीएआई के परिपत्र क्रमांक IRDAI/F&A/CIR/ CLD/114/05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुपालन में, दावा न किए गए पॉलिसीधारकों के फंड को अनुसूचित बैंक में सावधि जमा में अलग से रखा गया है

Notes:-

1. Cheques issued to policyholders subject to encashment having validity for less than 3 months are not transferred to policyholder's dues as these cheques have not become stale. However, these amounts are included/shown in the above statement.
2. In compliance of IRDAI circular no. IRDAI/F&A/ CIR/CLD/114/05/2015 dated 28.05.2015, the unclaimed Policyholders funds are separately parked in a fixed deposit with a Scheduled Bank and are reflected in Schedule 12(Advances and other assets). The administrative and fund

और अनुसूची 12 (अग्रिम और अन्य संपत्ति) में दर्शाया गया है। प्रशासनिक और फंड प्रबंधन व्यय/0.2: की दर से (पिछले वर्ष 0.2:) वसूल किया जा रहा है, हालांकि, इस फंड में निवेश आय 11,82,76 हजार रुपये (पिछले वर्ष 8,93,12 हजार रुपये) है जिसे दावा न किए गए पॉलिसीधारकों के फंड में जोड़ा गया है ।

बी. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान दावा न की गई राशि के निपटान की प्रगति

management expenses @0.2% (last year 0.2%) are being recovered However, the investment income added to this fund is Rs.11,82,76 thousand (previous year Rs.8,93,12 thousand) to unclaimed Policy holder funds.

b. Progress of settlement of unclaimed amounts during the year ended 31st March, 2024

(रु. 000 में) **(Rs. in '000)**

	वर्तमान वर्ष की शुरुआत में दावा न किए गए मामले Unclaimed cases as at the beginning Current year		जोड़ें: वर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े गए लावारिस मामले Add: Unclaimed cases added during the current year		घटाएँ: वर्तमान वर्ष के दौरान निपटाए गए दावा न किए गए मामले Less: Unclaimed cases settled during the current year		जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित आय Add: Income accrued during the year	वर्तमान वर्ष के अंत तक लंबित अघोषित मामले Unclaimed cases outstanding as at the end of the Current year	
	संख्या No.	मात्रा Amount	संख्या No.	मात्रा Amount	संख्या No.	मात्रा Amount		संख्या No.	मात्रा Amount
पॉलिसी धारकों/लाभार्थियों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर अन्य किसी कारण से पॉलिसी धारकों/बीमाधारकों को भुगतान न किए गए दावे Claims settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons except under litigation from the policy holders/beneficiaries	0	0	0	0	0	0		0	0
परिपक्वता पर या अन्यथा पॉलिसीधारकों/बीमित व्यक्ति को देय राशि Sum due to the policyholders/insured on maturity or otherwise	0	0	0	0	0	0		0	0
प्रीमियम/कर या किसी भी शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों/बीमितों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित रूप में वापस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया गया है। Any excess collection of the premium/tax or any charges which is refundable to the policyholders/ insured either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	903855	27,77,01	66523	1,20,51,78	158758	55,63,08	0	811620	92,65,71
पॉलिसी धारक/बीमित व्यक्ति द्वारा जारी चेक को भुनाया नहीं गया Cheques issued by not encashed by the policy holder/insured	35136	80,00,43	2865	355,4,86	7678	11,03,70	11,82,76	30323	1,16,34,35
कुल/Total	938991	1,07,77,44	69388	15,606,64	166436	66,66,78	11,82,76	841943	2,09,00,06

सी. 31 मार्च, 2024 तक निवेश आय और दावा न की गई राशि का विवरण

Details of unclaimed amount and investment income as on 31st March, 2024

(रु. 000 में) Rs. in '000)

विवरण/Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
आरंभिक शेष/Opening Balance	1,07,77,44	99,15,62
जोड़ें: दावा रहित निधि में स्थानांतरित की गई राशि Add: Amount transferred to Unclaimed fund	1,20,51,78	3,78,22,16
जोड़ें: दावा न किए गए चेकों में से जारी किए गए चेक जिन्हें पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाया नहीं गया है (केवल तभी शामिल किया जाना चाहिए जब चेक पुराने हो जाएं) Add: Cheques issued out of the unclaimed but not encashed by the policyholders(to be included only when the cheques are stale)	35,54,86	14,89,28

जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	11,82,76	8,93,12
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि Less: Amount of claims paid during the year	60,90,23	3,91,09,79
घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल भाग) Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	5,76,55	2,32,95
दावा न की गई राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	2,09,00,06	1,07,77,44

43. कंपनी ने एकीकृत गैर–जीवन बीमा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (इनलियास) शुरू किया है, जिसे अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ मॉड्यूल, जैसे कि हेड ऑफिस अकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूसी मॉड्यूल और री–इंश्योरेंस अकाउंट्स मॉड्यूल, विकास/परीक्षण के अधीन हैं। कंपनी इनलियास में शेष मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

43. The Company has introduced Integrated Non-Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

44- fuxfer lkekftd mRrnkf;Ro

44. Corporate Social Responsibility

i. वर्तमान वर्ष (2023–24) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत आवश्यक सीएसआर गतिविधियों से संबंधित जानकारी (रु. 000 में)

i. Information related to CSR activities as required u/s 135 of the Company's Act, 2013(Rs. in '000) in Current Year (2023-24).

	सीएसआर गतिविधियाँ CSR Activities	01.04.23 तक व्यय की जाने वाली राशि Amount to be spent as on 01.04.23	वित्त वर्ष 23–24 में लिए व्यय की जाने वाली राशि Amount to be spent for FY 23-24	व्यय की जाने वाली कुल राशि Total Amount to be spent	31/03/2024 तक खर्च की गई राशि Amount Spent up to 31/03/2024	उपयोग न की गई राशि Amount not utilized
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण Construction/ acquisition of any asset	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से On purpose other than (i) above	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
		शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
##	विशेष अनुमोदन Special Approval	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ii. पिछले वर्ष (2022–23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत आवश्यक सीएसआर गतिविधियों से संबंधित जानकारी

ii. Information related to CSR activities as required u/s 135 of the Company's Act, 2013(Rs. in '000) in Previous Year (2022-23).

	सीएसआर गतिविधियाँ **CSR Activities**	01.04.22 तक व्यय की जाने वाली राशि **Amount to be spent as on 01.04.22**	वित्त वर्ष 22–23 में लिए खर्च की जाने वाली राशि **Amount to be spent for FY 22-23**	व्यय की जाने वाली कुल राशि **Total Amount to be spent**	31/03/2023 तक खर्च की गई राशि **Amount Spent up to 31/03/2023**	उपयोग न की गई राशि **Amount not utilized**
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण Construction/ acquisition of any asset	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से On purpose other than (i) above	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
		शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
##	विशेष अनुमोदन Special Approval	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

45. 63,46,85 हजार रुपये वर्ष (2023–24) के गौण ऋण पर ब्याज के व्यय को लाभ और हानि खाते (शेयरधारक के खाते) में दर्ज किया गया है।

45. The Interest expenses on subordinated debt for Rs 63,46,85 thousand has been charged to Profit and Loss Account (Shareholder's Account).

46. बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों या निकायों को देय/देय राशि में दिखाई देने वाली शेष राशि में पुनर्बीमा व्यवसाय, आतंकवाद पूल और जीआईसी आरई के साथ परमाणु पूल शामिल हैं ।

46. The balance appearing in the amount due to/ due from persons or bodies carrying on insurance business includes reinsurance business, terrorism Pool and Nuclear Pool with GIC Re.

ए. आतंकवाद पूल

कंपनी 2002 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम पूल (आईएमटीआरआईपी) में एक सदस्य के रूप में भाग ले रही है। इस पूल का प्रबंधन भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा पूल प्रबंधक के रूप में किया जाता है। आतंकवाद प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई राशि पूल के नियमों और शर्तों के अधीन 100% पूल को सौंप दी जाती है। पूल के प्रति जोखिम की वर्तमान समग्र सीमा 20,00,00,00 हजार रुपये है।

चूंकि पूल को समझौते की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त हानि व्यवस्था द्वारा संरक्षित किया गया है, इसलिए इस पूल अतिरिक्त हानि संरक्षण में भागीदार के रूप में ओरिएंटल को पूल के इस एक्सएल संरक्षण से प्रतिगमन

a. Terrorism Pool

The Company has been participating as a member in the Indian Market Terrorism Risk Pool (IMTRIP) since its inception in 2002. This Pool is managed by the General Insurance Corporation of India (GIC) as pool manager. Amounts collected as terrorism premium are ceded at 100% to the Pool subject to terms and conditions of the pool. Present overall limit per risk of the Pool is Rs.20,00,00,00 thousand .

Since the Pool is protected by an excess of loss arrangement in accordance with the terms of the agreement .Oriental as a participant in this pool excess of loss protection, gets its premium share as retrocession from this XL protection of the Pool.

के रूप में अपना प्रीमियम हिस्सा मिलता है।

बी. भारत परमाणु बीमा पूल

परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2010 के पारित होने के मद्देनजर, जो भारत में एक परमाणु ऑपरेटर को परमाणु घटना से संबंधित नुकसान /क्षति के मामले में अधिकतम 15,00,00,00 हजार रुपये के मुआवजे के लिए उत्तरदायी बनाता है, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी रे ने परमाणु जोखिमों के लिए बीमा कवर प्रदान करने की क्षमता को एकत्रित करके अन्य घरेलू गैर–जीवन बीमा कंपनियों के साथ भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) के गठन की पहल की। जीआईसी रे और 11 अन्य गैर–जीवन बीमा कंपनियां 15,00,00,00 हजार की सामूहिक क्षमता के साथ संस्थापक सदस्य हैं। जीआईसी रे को आईएनआईपी के पूल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएनआईपी द्वारा बीमालेखित किए गए व्यवसाय को जीआईसी रे सहित सभी सदस्य कंपनियों को उनकी एकत्रित क्षमता के अनुपात में पूर्ववत कर दिया जाएगा। आईएनआईपी की 15,00,00,00 हजार की कुल क्षमता में से हमारी कंपनी द्वारा 1,00,00,00 हजार रूपए की क्षमता प्रदत्त की गई।

आतंकवाद और परमाणु पूल का प्रबंधन जीआईसी द्वारा किया जाता है। इन पूलों का लेखा–जोखा जीआईसी से प्राप्त खाता विवरण के आधार पर किया गया है। कंपनी ने पूल खाते में शेष राशि यानी 19,35,34,08 हजार रुपये (पिछले वर्ष 16,25,47,53 हजार रुपये) दर्शाई है, जिसे अनुसूची 12 के तहत अन्य संस्थाओं से बकाया के रूप में दिखाया गया है।

सी. अपवर्जित क्षेत्रों के लिए मरीन कार्गो पूल (एमसीईटी) पूल

यूक्रेन/रूस में मौजूदा विवाद और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, जीआईसी री और उनके रेट्रो पुनर्बीमाकर्ताओं सहित विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं ने रूस, बेलारूस और यूक्रेन के निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जोखिमों को अपवर्जित करते हुए ''निर्दिष्ट क्षेत्र अपवर्जन'' खंड जारी किया था। इसने पुनर्बीमा और इसलिए निर्दिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रों सेध्से या वहां से गुजरने वाले माल की बीमा कवरेज को गंभीर खतरे में डाल दिया था और इसलिए हमारे देश की विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की शिपमेंट, विशेष

b. India Nuclear Insurance Pool

In view of passage of the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, which makes a nuclear operator in India liable for compensation for maximum of Rs. 15,00,00,00 thousand in case of a losses / damages pertaining to a Nuclear incident GIC Re as Indian Reinsurer initiated the formation of the Indian Nuclear Insurance Pool (INIP) along with others domestic non-life insurance companies by pooling the capacity to provide insurance covers for nuclear risks. GIC Re and 11 other non-life insurance companies are Founding Members with their collective capacity of 15,00,00,00 thousand . GIC Re is appointed as the Pool Manager of the INIP. The business underwritten by the INIP will be retro ceded to all Members Companies including GIC Re in proportion of their capacity collated. Out of total capacity of 15,00,00,00 thousand of INIP, the capacity provided by our company is Rs. 1,00,00,00 thousand .

Terrorism and Nuclear Pool is managed by GIC. Accounting of these pools has been done based on the statement of account received from GIC. The Company has shown balance lying in Pool Account i.e. Rs. 19,35,34,08 thousand (Previous Year Rs. 16,25,47,53 thousand) which has been shown under Due from Other Entities under Schedule 12.

c. Marine Cargo Pool for Excluded Territories (MCET) Pool

Due to the current conflict in Ukraine/ Russia and the sanctions imposed on Russia , various reinsurers including GIC Re and their retro reinsurers had issued "Specified Territory exclusion " clause excluding all exposure whether direct or indirect in the specified territories of Russia, Belarus and Ukraine . This had put in serious jeopardy , the reinsurance and hence the insurance coverage of the consignments in transit from/to or passing through the specified sanctioned territories and hence our country's shipments of critically required items in particular shipments of fertilizers from Russia since in the absence of insurance and reinsurance coverage shipments could not be made.

रूप से रूस से उर्वरकों की शिपमेंट, बीमा और पुनर्बीमा कवरेज के अभाव में नहीं हो पाई।

इस तरह के कवरेज के महत्वपूर्ण महत्व और इसमें शामिल राष्ट्रीय हित को देखते हुए, जनरल इंश्योरेंस–1 काउंसिल (जीआई काउंसिल) और जीआईसी–आरई के साथ–साथ गैर–जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अपवर्जित क्षेत्रों–रूस, यूक्रेन और बेलारूस के लिए एक मरीन कार्गो पूल के गठन की पहल की गई है।

वर्तमान में, जैसा कि ऊपर उल्लेखित अंतिम पूल समझौते में दिया गया है, जीआईसी री सहित 20 सदस्य कंपनियों ने पूल समझौते के अंतिम मसौदे के साथ संलग्न अनुसूची (बी) के अनुसार 4,78,80,00 हजार रुपये (अनिवार्य सेशन को छोड़कर) की कुल क्षमता के लिए प्रतिबद्धता जताई है। पूल में हमारी भागीदारी प्रति शिपमेंट 30,00,00 हजार रुपये की क्षमता प्रतिबद्धता के साथ है।

47. 31.03.2024 तक साल्वेज 24,66 हजार रुपये था (पिछले वर्ष 31,67 हजार रुपये था) और इसकी गणना लेखा हमारी लेखा पॉलिसी संख्या 7 के अनुसार केवल वसूली पर ही की जाएगी।

48. कंपनी के खाते में शामिल विदेशी एजेंसियों और शाखाओं के वित्तीय विवरण संबंधित देशों के स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

49. कर्मचारियों के रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("संहिता") को सितंबर 2020 में भारतीय संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और उसके बाद, 13 नवंबर, 2020 को मसौदा नियम प्रकाशित किए गए और हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए गए। हालाँकि, जिस तारीख को संहिता लागू होगी, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है।

50. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पूर्व वर्षों में जारी पॉलिसियों के संबंध में राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार से 8,40,54,49 हजार रुपये (पिछले वर्ष 99,02,00 हजार रुपये) की राशि प्राप्त होनी है।

In view of critical importance of such coverage and the National interest involved, formation of a Marine cargo Pool for Excluded Territories-Russia, Ukraine and Belarus has been initiated by General Insurance I council (GI Council) and GIC Re along with the non-life insurance companies.

Presently , as given in the Final Pool agreement mentioned above , 20 member companies including GIC Re have committed a total capacity of Rs 4,78,80,00 thousands (excluding obligatory cession) as per the schedule (B) enclosed with final draft of Pool agreement. Our participation in the Pool is with capacity commitment of Rs. 30,00,00 thousand per shipment.

47. The salvage in hand as on 31.03.2024 was Rs.24,66 thousand (Previous year was Rs. 31,67 thousand)and will be accounted for only on realization as per our Accounting Policy No. 7.

48. Financial statements of foreign agencies and branches incorporated in company's account are prepared in accordance with the local rules and regulations of respective countries.

49. The Code on Social Security, 2020 ("Code") relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received the Indian Parliament approval and Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India and subsequently, on November 13, 2020, draft rules were published, and stakeholders' suggestions were invited. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified.

50. Rs 8,40,54,49 thousands (Previous year Rs 99,02,00 thousands) is receivable from state governments and Central Government in respect of policies issued in earlier years under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna.

विवरण / Particulars	2023–24 राशि (रु. में '000) 2023-24 Amount (Rs. in '000)	2022–23 राशि (रु. में '000) 2022-23 Amount (Rs. in '000)
पीएमएफबीवाई–राज्य सरकार। PMFBY - State Govt.	2,96,36,78	65,39,88
पीएमएफबीवाई–केंद्र सरकार। PMFBY - Central Govt.	5,44,17,71	33,62,12

51. i) मोटर टीपी (गैर–पूल) के लिए निवल आईबीएनआर को सकल आईबीएनआर का 93% माना गया है जो कि आईबीएनआर दावों पर ओ/एस दावों की तुलना में कम अपेक्षित आरआई वसूली के कारण सकल ओ/एस के लिए निवल ओ/एस के अनुपात 90.37: से अधिक है। इस परिवर्तन का प्रभाव 1,88,34,14 हजार रुपये (पिछले वर्ष 1,66,22,49 हजार रुपये) है, जिससे निवल दावा ओ/एस/निवल व्यय दावे में बराबर राशि की वृद्धि हुई है।

ii) कंपनी असमाप्त जोखिम रिजर्व को उसके प्रतिशत के आधार पर पहचान रही है, जो अग्नि, मरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में निवल लिखित प्रीमियम का 50% और मरीन हल व्यवसाय के मामले में निवल लिखित प्रीमियम का 100% है। आईआरडीएआई से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी अपने मुख्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर इनलियास की आवश्यक अनुकूलता करने के बाद यूआरआर के 1/365 तरीकों को माइग्रेट करने की प्रक्रिया में है।

52. परिपत्र संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/CPM/056/03/2016 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के अनुसार गणना किए गए शेयरधारकों और पॉलिसी धारकों के अनुपात के आधार पर उचित मूल्य परिवर्तन खाते सहित कुल निवेश को शेयरधारकों और पॉलिसी धारकों के फंड में अलग किया गया है। घाटे के कारण, कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में नकारात्मक हो जाती है और इस वजह से, निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाते में शेयरधारकों की हिस्सेदारी क्रमशः 52,44,69,00 हजार रुपये (पिछले वर्ष नकारात्मक 59,76,06,06 हजार रुपये) और 16,15,65,29 हजार रुपये (पिछले वर्ष नकारात्मक 15,27,66,64 हजार रुपये) का नकारात्मक शेष दिखा रही है, जो कंपनी के भविष्य के वित्तीय परिणाम के आधार पर भविष्य में बदलाव के अधीन है। चूंकि पॉलिसी धारकों की निधि संरक्षित है और उसे शेयर धारकों की निधि के ऋणात्मक निवल मूल्य के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए निवेश और उचित मूल्य परिवर्तन खाता शेष को बैलेंस शीट पर ऋणात्मक रूप में दिखाया जाता है।

51. i) Net IBNR for Motor TP (Non-Pool) has been considered at 93% of Gross IBNR which is higher than ratio of Net O/s to Gross O/s of 90.37% on account of lower expected RI recovery on IBNR Claims in comparison to O/s claims. The effect of this change works out to Rs. 1,88,34,14 thousand (Previous year Rs. 1,66,22,49 thousand) leading to increase in Net claim O/s / Net Incurred Claim by the equivalent amount.

ii) The company is recognizing Unexpired Risk Reserve based on a percentage thereof, being 50 % of the net written premium in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100%of the net written premium in case of Marine Hull business. As per directions received from IRDAI, The company is under process of migrating on 1/365 methods of working out of URR after doing necessary compatibility of its core application software INLIAS

52. The total investments including Fair Value Change account have been segregated into Shareholders and Policy holders fund based on the ratio of Shareholders and Policy holders computed in accordance with Circular reference no IRDA/F&A/Cir/CPM/056/03/2016 dated 4th April 2016. Due to losses, the Company's net worth becomes negative at the end of F.Y. 2023-24 and because of this, Shareholders share's in Investment and Fair Value Change account is showing negative Balance of Rs. 52,44,69,00 thousand (previous year negative Rs 59,76,06,06 thousand) and Rs 16,15,65,29 thousand (previous year negative Rs. 15,27,66,64 thousand) respectively, which is subject to change in future based on the future financial result of the Company. Since Policy Holders fund is protected and cannot be set off against the negative net worth of Share Holders fund, Investment and Fair Value change account balances are shown as negative on the Balance Sheet.

53. Liability under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006:

53. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दायित्वः

कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाले उन उद्यमों से संबंधित डेटा को लेखा प्रणाली में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो कंपनी को माल और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सिस्टम में सुधार लंबित होने के कारण, 31 मार्च, 2024 तक ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि के संबंध में खुलासा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है। प्रबंधन के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई हो, का प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है।

54. कंपनी में आईएनडी–एएस कार्यान्वयन

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संदर्भ संख्या 100/2/आईएनडी–एएस–मिशन मोड/2022–23/1 दिनांक 14 जुलाई 2022 के माध्यम से भारत में बीमा कंपनियों को आईएनडी–एएस लेखा मानकों को लागू करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि नए मानक को वित्त वर्ष 2025–26 से भारतीय बीमा उद्योग में लागू किए जाने की संभावना है। कंपनी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार आईएनडी–एएस को लागू करने की प्रक्रिया में है।

55. फसल बीमा प्रीमियम की बुकिंगः

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कप एंड कैप पॉलिसी के अंतर्गत फसल बीमा के संबंध में 1793.36 करोड़ रुपये का प्रीमियम बुक किया है। एक राज्य सरकार के संबंध में, सत्यापन और गुणवत्ता जांच के बाद राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए प्रीमियम बुक किया गया है। एक अन्य राज्य सरकार का प्रीमियम पोर्टल से खरीफ सीजन के लिए बुक किया गया है, हालांकि रबी सीजन के लिए एनसीआईपी पोर्टल पर जानकारी के अभाव में कंपनी ने सत्यापन और गुणवत्ता जांच पूरी होने के आधार पर 41 करोड़ रुपये का प्रीमियम बुक किया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा मेल पर सूचित किए गए 141 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च 2024 तक सत्यापन और गुणवत्ता जांच लंबित थी।

56. सह–बीमा शेष राशि का मिलान और पुष्टिः

31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 1,15,84,035 हजार/– रुपये की सह–बीमा प्राप्य राशि है और 1,02,71,681 हजार/– रुपये की देय राशि है। शेष राशि की पुष्टि और मिलान प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है और बोर्ड

The Company has initiated the process of capturing the data relating to enterprises which have been providing goods and services to the Company, falling within the purview of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006, in the accounting system. Pending system augmentation , the disclosure in respect of the amount payable to such Micro, Small and Medium Enterprises as at March 31, 2024 has not been made in the standalone financial statements. In view of the management, the impact of interest , if any, that may be payable in accordance with the provisions of the Act is not expected to be material.

54. IND- AS implementation in the Company

The Insurance Regulatory and Development Authority of India vide its letter Ref. No. 100/2/ Ind AS-Mission Mode/2022-23/1 dated 14th July 2022 directed the insurance companies in India to implement the Ind AS Accounting Standards. It has been informed by the Authority that the new Standard is likely to be implemented in Indian insurance industry from the FY 2025-26. The Company is in process of implementation of the IND-AS as per IRDAI instructions.

55. Booking of Crop Insurance Premium:

During the year the company has booked a premium of Rs. 1793.36 Crores in respect of crop insurance under cup and cap policy of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna. In respect of one of the state governments, the premium has been booked for both Kharif and Rabi season as per the information available on the national crop insurance portal (NCIP), after verification and quality check. Another state government premium is booked for the Kharif season from the portal, However for rabi season in the absence of information on NCIP portal company has booked a premium of Rs. 41 Crores based on completed verification and quality check as against Rs. 141 Crores as intimated by state government over the mail were verification and quality check was pending as on 31st march 2024.

56. Reconciliation and Confirmation of Co-insurance balances:

As on 31st March 2024 Company has co-insurance receivable amounting to Rs 1,15,84,035 thousands/- And payable amounting to Rs

द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसार कंपनी बकाया प्रीमियम का आयुवार विश्लेषण करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 10,29,016 हजार/– रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। (पिछले वर्ष राशि थी 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के संबंध में 2,28,34,51 हजार रुपये बट्टे खाते में डाले गए। वर्ष के अंत में संचयी प्रावधान 1,02,90,16 हजार रुपये है (पिछले वर्षः शून्य रुपये) वर्तमान में अवधि विश्लेषण मैन्युअल रूप से किया जाता है और कंपनी स्वचालन सहित प्रणाली को मजबूत करने की प्रक्रिया में है।

57. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत एवं पुनः वर्गीकृत किया गया है।

1,02,71,681 thousands The process of obtaining confirmation and reconciliation of balance is ongoing and as per board approved policy the company carries out age wise analysis of outstanding premium. During the year the company has made additional provision of Rs. 10,29,016 thousands/-. (Previous year amount was written off Rs 2,28,34,51 thousand) in respect of an amount outstanding for more than 3 year The cumulative provision held at the yearend is Rs 1,02,90,16 thousand (Previous Year: Rs NIL) at present the ageing analysis is carried out manually and the company is in the process of strengthening the system including automation, thereof

57. Previous year Figures have been regrouped and reclassified wherever required.

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO

vkbvkjMh, fofu;e dk vuqlkj foÙkh; fooj.kksa ij çca/ku fjikVZ
Management Report on Financial Statements as per IRDA Regulations

1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीए द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण उनकी पंजीकरण संख्या 556 के तहत वर्ष 2023–24 के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है।

2. वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी बकाया राशि का भुगतान विधिवत कर दिया गया है।

3. वर्ष 2023–24 के दौरान शेयरधारिता पैटर्न और शेयरों के सभी हस्तांतरण वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

4. वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रबंधन ने भारत में जारी पॉलिसियों के धारकों के धन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है।

5. हम प्रमाणित करते हैं कि सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा बैलेंस शीट की तिथि पर की गई है और हमारा मानना है कि बैलेंस शीट में दर्शाई गई परिसंपत्तियां वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं तथा आईआरडीए विनियमों और लेखांकन नीति के अनुरूप हैं।

6. पुनर्बीमा एक बीमा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो बड़े नुकसान के प्रभाव से बैलेंस शीट की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भयावह घटना से होने वाले नुकसान के संचय से बचाता है, साथ ही बड़े जोखिमों को स्वीकार करने के लिए अंडरराइटिंग क्षमता भी प्रदान करता है। बड़े और जटिल जोखिमों को अंडरराइट करने की कंपनी की क्षमता उस अंडरराइटिंग क्षमता पर निर्भर करती है जिसे उसने पुनर्बीमा समर्थन के माध्यम से हासिल किया है। कंपनी को यथासंभव स्वचालित क्षमता से लैस करने पर जोर दिया जाता है ताकि मार्केटिंग और तकनीकी टीमें बड़े व्यवसाय को अंडरराइट करने और विकास हासिल करने की स्थिति में हों।

उपर्युक्त के अनुरूप, हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य

1. We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the years 2023-24 vide their Registration no. 556.

2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.

3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2023-24 are in accordance with statutory and regulatory requirements.

4. During 2023-24, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies issued in India.

5. We certify that the values of all assets have been reviewed on the date of balance sheet and in our belief the assets stated in the Balance Sheet do not exceed the realizable or market value and are in accordance with IRDA Regulations and accounting policy.

6. Reinsurance serves as an important Risk Management tool for an insurance company which , while ensuring overall protection of Balance sheet from impact of large losses and from accumulation of losses from a catastrophic event , also provides for underwriting capacity to accept large risks. The Company's ability to underwrite large and complicated risks depends upon the underwriting capacity it has managed to garner by way of Reinsurance support. The emphasis remains on equipping the Company with as much automatic capacity as is possible so that the marketing and technical teams are in a position to underwrite large business and achieve growth.

In line with above, the aim of our Reinsurance Programme is to ensure best possible reinsurance coverage at a reasonable cost

उचित लागत पर सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा कवरेज सुनिश्चित करना और आनुपातिक तथा गैर–आनुपातिक संधियों के उचित मिश्रण के माध्यम से सुरक्षा के साथ–साथ स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा प्रदान करना है। जबकि आनुपातिक संधियाँ उन जोखिमों को संभालने की स्वचालित क्षमता प्रदान करती हैं जो कंपनी के अपने शुद्ध प्रतिधारण से परे हैं, जिससे पूंजी पर दबाव डाले बिना ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है, कंपनी के शुद्ध प्रतिधारण पर जोखिम के संकेन्द्रण के जोखिम को अतिरिक्त हानि संरक्षण का उपयोग करके कम किया जाता है, जिससे बैलेंस शीट को प्रमुख घटनाओं के प्रभाव से बचाया जाता है।

वर्ष 2023–24 में हालांकि हमारी कंपनी और भारतीय बाजार पर सामान्य रूप से कोई बड़ी विनाशकारी घटना का प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर भी कुछ जोखिम हानियां हुई हैं, जो एनएम जोखिम एक्सएल संधि से वसूली योग्य हैं, जिससे हमारी बैलेंस शीट पर प्रभाव कम हो जाएगा।

कंपनी के 2023–24 के पुनर्बीमा कार्यक्रम को बैलेंस शीट की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत पोर्टफोलियो की आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यधिक आवश्यक स्वचालित क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन रूस संघर्ष और चक्रवात इयान तथा अन्य नुकसानों के कारण चुनौतीपूर्ण विश्व स्थिति के प्रभाव के कारण, पुनर्बीमा बाजार असामान्य रूप से कठिन थे और भारत सहित पुनर्बीमा नवीनीकरण पर प्रभाव पड़ा, जिससे क्षमता की उपलब्धता पर दबाव पड़ा और पुनर्बीमा सुरक्षा के लिए उच्च दरों का प्रभाव भी पड़ा। परिणामस्वरूप, अग्नि अधिशेष संधि के मामले में पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा क्षमता पर न केवल थोड़ा दबाव था, बल्कि हानि की अधिकता (एक्सएल) संधियों के प्रीमियम में भी वृद्धि हुई थी। हालाँकि, अग्नि अधिशेष संधि में, एक्यूएसटी को बढ़े हुए रियायतों द्वारा क्षमता तनाव को कम किया जा सकता था, अन्य संधियों के संबंध में क्षमताओं को समाप्त होने के रूप में संरक्षित किया जा सकता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हार्ड

and to provide automatic reinsurance facility as also protection through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties. While the Proportional Treaties provide automatic capacity to handle risks which are beyond Company's own Net Retention thereby enabling such risks to be underwritten without putting strain on the Capital, the risk of concentration of Exposures on Company's Net Retention is mitigated by using Excess of Loss Protection thus protecting the balance sheet from impact of major events .

In year 2023-24 though there has not been any major catastrophic event loss impacting our Company and the Indian market in general, there have been a few Risk losses which however are recoverable from the NM Risk XL treaty thereby mitigating the effect on our balance sheet.

The Reinsurance Programme of the Company for 2023-24 has been designed to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios while ensuring balance sheet protection . Due to the impact of challenging world situation exacerbated by the Ukrain Russia conflict as also due to impact of Cyclone Ian and other losses , the reinsurance markets were unusally hard and had impact on the reinsurance renewals including those in India , leading to stress on availability of capacity and also impact of higher rates for reinsurance protections . Consequently , there was not only slight stress on capacity by reinsurers in case of Fire Surplus treaty there was increase in premiums of excess of loss (XL) treaties . However , while in Fire Surplus Treaty , capacity stress could be mellowed down by

पुनर्बीमा बाजारों के कारण हानि की अधिकता (एक्सएल) संधियों के प्रीमियम में वृद्धि के बावजूद, सीमाएं और कटौती को समाप्त होने के रूप में बनाए रखा जा सकता है। घरेलू व्यापार के साथ–साथ विदेशी कार्यालयों के लिए विविध पोर्टफोलियो में व्यापार की कुछ लाभदायक लाइनों में अतिरिक्त क्षमताएं भी बनाई गई हैं।

2023–24 के लिए हमारी सभी आनुपातिक और गैर–आनुपातिक संधियों को आईआरडीएआई विनियमों के दायरे में वित्तीय रूप से मजबूत और रेटेड प्रतिभूतियों के साथ सफलतापूर्वक रखा गया है।

7. कंपनी के वर्तमान विदेशी परिचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कंपनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय में विदेशी कार्यालयों का योगदान पर्याप्त नहीं है। इसलिए विदेशी परिचालन के कारण जोखिम बहुत कम है।

8. संपत्ति की गुणवत्ता और दावों की आयु और दावों के निपटान की प्रवृत्तियाँः

भारत में लंबित दावों का आयु–वार विश्लेषण तथा औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

9. स्टॉक और शेयरों सहित सभी निवेशों के मूल्य आईआरडीए विनियमों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन मार्च के महीने में एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है, जिसे प्राथमिक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है और यदि ऐसी सुरक्षा प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है/उसका कारोबार नहीं किया जाता है, तो उसका मूल्यांकन मार्च के महीने में बीएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर किया जाता है, जिसे द्वितीयक एक्सचेंज के रूप में चुना जाता है।

10. पोर्टफोलियो के संदर्भ में निवेश का समीक्षात्मक प्रदर्शन नीचे दिया गया हैः

increased cessions to AQST , the capacities in respect of other treaties could be preserved as expiring . Despite increase in premiums of excess of loss (XL) treaties due to hard reinsurance markets as mentioned earlier , the limits and deductibles could be maintained as expiring . Additional capacities have also been created in few profitable lines of business in Miscellaneous portfolio for domestic business as well as foreign offices.

All our Proportional and Non Proportional Treaties for 2023-24 have successfully been placed with financially sound and rated Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

7. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. The foreign offices' contribution to Gross Direct Premium income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.

8. Ageing of claims and trends in settlement of claims:

Age-wise analysis of Outstanding Claims in India and trends in average claims settlement is given in Annexure 1.

9. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDA Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such Security is not listed/ not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.

10. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:

इक्विटी/म्यूचुअल फंड में उचित मूल्य परिवर्तन खाते पर विचार नहीं किया जाता है।

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

fooj.k@Particulars	fuos'k Investments jkf'k yk[k #i;s esa Amount Rs in lacs	dy fuos'k dk % % to Total Investments	mit % foÙk o"k 2023&24 Yield % FY 2023-24	mit % foÙk o"k 2022&23 Yield % FY 2022-23	mit % foÙk o"k 2021&22 Yield % FY 2021-22	mit % foÙk o"k 2020&21 Yield % FY 2020-21	mit % foÙk o"k 2019&20 Yield % FY 2019-20
सरकारी प्रतिभूतियाँ Govt Securities	1229924	57.18	7.92	8.02	8.15	8.28	8.03
बांड और डिबेंचर Bonds & Debenture	367252	17.07	6.94	7.21	7.38	7.34	7.81
म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड Mutual Funds & Venture Funds	92229	4.29	0	0	0	0	0
ऋण Loans	1667	0.08	3.09	8.03	5.43	6.32	7.01
प्रक्रिया के कर्ता – धर्ता Preference Shares	101	0.00	0.01	0.01	6.76	0.01	0.01
हिस्सेदारी Equity	300336	13.96	14.05	11.90	9.78	9.94	6.28
मुद्रा बाजार उपकरण Money Market Instruments	159585	7.42	5.09	5.11	3.13	5.26	6.96
अल्पकालिक ऋण Short Term Loan	0	0.00	0	0	0	0	0
आवेदन राशि Application Money	0	0.00	0	0	0	0	0
कुल Total	2151094	100	8.19	7.92	7.56	7.87	7.15

11. हम पुष्टि करते हैं कि:

(ए) वित्तीय विवरणों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है, साथ ही भौतिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

(बी) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियां अपनाई हैं और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और परिचालन लाभ या हानि और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सकेय

(सी) प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाध ाड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका

11. We confirm that :

(a) In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any.

(b) The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year;

(c) The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate

पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 (1956 का 1) के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती हैय

(डी) प्रबंधन ने चालू वित्त वर्ष के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया है;

(ई) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी रूप से संचालित हो रही है।

12. हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी ने 1.50 की निर्धारित नियामक शोधन क्षमता अनुपात आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।

accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938(4 of 1938)/ Companies Act, 2013 (1 of 1956), for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The management has prepared the financial statements on a going concern basis;

(e) the management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

12. We confirm that for the financial year 2023-24, the Company has not met the stipulated regulatory solvency ratio requirement of 1.50.

Øekd **Sr. No.**	fooj.k@**Particulars**	lgu'khyrk dh lkFk 31-03-2024 **With Forbearance** **31.03.2024**	fcuk lgu'khyrk dh 31-03-2024 **Without Forbearance** **31.03.2024**
1	उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन Available Solvency Margin	4204.85	(4667.49)
2	आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन Required Solvency Margin	4933.34	4933.34
3	साल्वेंसी अनुपात Solvency Ratio	0.85	(0.95)

13. हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया गया है जिनमें कंपनी के निदेशकों की रुचि है।

13 We confirm that no payments have been made to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the company are interested.

गिरीश आहूजा
उप महाप्रबंधक एवं सीएफओ

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक

आर.आर.सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

Girish Ahuja
DGM and CFO

Rashmi Bajpai
General Manager

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director

vuqyXud 1
ANNEXURE 1

vkfj,Vy b';kjl dEiuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2022 rd Hkkjr esa cdk;k nkoksa dk vk;qokj fo'ys"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2022

(लाख रुपए में) (Rs. in lakhs)

cdk;k nko@Claims Outstanding for		o"kZ lekfIr 31@03@2022@Year ending 31/03/2022					
		vfXu@FIRE		ejhu@Marine		dqy fofo/k@TOTAL MISC.	
		la- NO.	ek=k AMOUNT	la- NO.	ek=k AMOUNT	la- NO.	ek=k AMOUNT
30 दिन से कम **Less than 30 days**	सूट/**Suit**	5	14.58	2	45	1305	7184.86
	गैर सूट **Non suit**	180	8759.59	224	1520.418	66882	34594.01
30 दिन से 6 महीने तक **30 days to 6 months**	सूट/**Suit**	1	0.00	12	137.79	6560	42643.06
	गैर सूट **Non suit**	349	24204.13	701	5804.529	34476	73407.79
6 महीने से 1 वर्ष तक **6 months to 1 year**	सूट/**Suit**	14	225.11	0	0	8487	53008.55
	गैर सूट **Non suit**	510	32842.75	516	25172.43	101075	53835.15
1 वर्ष से 5 वर्ष तक **1 year to 5 years**	सूट/**Suit**	116	839.46	48	168.095	47872	298000.00
	गैर सूट **Non suit**	441	100012.88	430	14330.1	62161	65852.01
5 वर्ष और उससे अधिक **5 years and above**	सूट/**Suit**	354	15948.97	109	4875.341	38346	188196.35
	गैर सूट **Non suit**	28	1909.39	71	4127.38	679	3184.56
इनकमिंग सह–बीमा **Incoming co-insurance**	सूट/**Suit**	23	12854.25	3	7.57	316	1299.05
	गैर सूट **Non suit**	74	19058.62	39	1557.71	111	10021.63

सर्वेक्षण/कानूनी शुल्क **Survey / Legal Fee**	सूट/**Suit**		8627.43	0	18336.61	0	9280.41
	गैर सूट **Non suit**		705.33	0	750.8306	0	533.44
कुल/**TOTAL**	सूट/**Suit**	513	38509.79	174	23570.41	102886	599612.28
	गैर सूट **Non suit**	1582	187492.70	1981	53263.4	265384	241428.60
कुल योग/**GRAND TOTAL**		2095	226002.5	2155	76833.81	368270	841040.9

vkfj,Vy b';kjl dEiuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2021 rd Hkkjr esa cdk;k nkoksa dk vk;qokj fo'y"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2021

(लाख रुपए में) (Rs. in lakhs)

cdk;k nko@**Claims Outstanding for**		o"kZ lekfIr 31@03@2021@**Year ending 31/03/2021**					
		vfXu@**FIRE**		ejhu@**Marine**		dqy fofo/k@**TOTAL MISC.**	
		la- **NO.**	ek=k **AMOUNT**	la- **NO.**	ek=k **AMOUNT**	la- **NO.**	ek=k **AMOUNT**
30 दिन से कम **Less than 30 days**	सूट/**Suit**	4	147.26	0	0	2760	15714.71
	गैर सूट **Non suit**	185	11588.01	185	907.13	66762	49780.35
30 दिन से 6 महीने तक **30 days to 6 months**	सूट/**Suit**	2	10.83	2	179.51	7080	40125.71
	गैर सूट **Non suit**	494	24891.64	713	2792.49	43214	39608.91
6 महीने से 1 वर्ष तक **6 months to 1 year**	सूट/**Suit**	9	37.11	7	5006.12	9025	46897.51
	गैर सूट **Non suit**	560	38028.34	522	6007.73	114280	59171.84
1 वर्ष से 5 वर्ष तक **1 year to 5 years**	सूट/**Suit**	109	682.8	24	134.08	47940	272276.4
	गैर सूट **Non suit**	378	89300.95	449	12593.64	61546	64902.76
5 वर्ष और उससे अधिक **5 years and above**	सूट/**Suit**	299	4928.53	112	5261.24	36379	156060.4
	गैर सूट **Non suit**	53	1481.37	58	3706.4	648	1816.9

इनकमिंग सह–बीमा **Incoming co-insurance**	सूट / **Suit**	2	17311.16	4	71.8	199	1423.09
	गैर सूट **Non suit**	99	39656.57	50	787.41	408	14263.91
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क **Survey / Legal Fee**	सूट / **Suit**	0	157.05	0	19415.92	0	7210.4
	गैर सूट **Non suit**	0	462.53	0	612.89	0	606.61
कुल / **TOTAL**	सूट / **Suit**	425	23274.74	149	30068.66	103383	539708.2
	गैर सूट **Non suit**	1769	205409.4	1977	27407.67	286858	230151.3
कुल योग / **GRAND TOTAL**		2194	228684.1	2126	57476.33	390241	769859.5

vkfj,Vy b';kjl diuh fyfeVM
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

31@03@2020 rd Hkkjr e cdk;k nkoksa dk vk;qokj fo'y"k.k
AGE WISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2020

(लाख रुपए में) (Rs. in lakhs)

cdk;k nkos@**Claims Outstanding for**		o"kZ lekfIr 31@03@2021@**Year ending 31/03/2021**					
		vfXu@**FIRE**		ejhu@**Marine**		dqy fofo/k@**TOTAL MISC.**	
		l-la- **NO.**	ek=k **AMOUNT**	l-la- **NO.**	ek=k **AMOUNT**	l-la- **NO.**	ek=k **AMOUNT**
30 दिन से कम **Less than 30 days**	सूट / **Suit**	5	-45.24	6	45.32	38602	15658.31
	गैर सूट **Non suit**	188	9244.91	228	683.25	49658	103601.18
30 दिन से 6 महीने तक **30 days to 6 months**	सूट / **Suit**	11	212.81	8	48.03	9743	50277.67
	गैर सूट **Non suit**	554	24091.56	778	4235.57	63018	96187.82
6 महीने से 1 वर्ष तक **6 months to 1 year**	सूट / **Suit**	11	12.77	7	2.29	11204	62502.04
	गैर सूट **Non suit**	580	37802.82	582	6374.87	450852	99646.10
1 वर्ष से 5 वर्ष तक **1 year to 5 years**	सूट / **Suit**	117	1343.88	45	105.35	42402	219079.65

	गैर सूट **Non suit**	396	86304.15	326	11390.32	40152	73409.04
5 वर्ष और उससे अधिक **5 years and above**	सूट / **Suit**	263	3677.45	156	4166.73	34193	120547.78
	गैर सूट **Non suit**	61	1585.14	43	2698.92	289	1243.46
इनकमिंग सह–बीमा **Incoming co-insurance**	सूट / **Suit**	10	16790.16	1	0.01	988	3544.86
	गैर सूट **Non suit**	71	19744.84	79	1389.67	251	13238.71
सर्वेक्षण / कानूनी शुल्क **Survey / Legal Fee**	सूट / **Suit**	0	196.28	0	19133.12	0	6371.51
	गैर सूट **Non suit**	0	332.42	0	3108.18	0	772.80
कुल / **TOTAL**	सूट / **Suit**	417	22188.11	223	23500.85	137132	477981.82
	गैर सूट **Non suit**	1850	179105.85	2036	29880.78	604220	388099.13
कुल योग / **GRAND TOTAL**		2267	201293.96	2259	53381.63	741352	866080.95

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	**Period**	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए / **For the year ended 31.03.2022**	
उत्पाद	**Product**	निपटाए गए दावों की संख्या **No of Claims settled**	औसत निपटान समय (दिन) **Average Settlement Time (Days)**
अग्नि	Fire	6368	198
मरीन कार्गो	Marine cargo	13681	94
मरीन हल	Marine Hull	198	491
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	296932	64
मोटर टीपी	MOTOR TP	45306	957
इंजीनियरिंग	ENGG	5112	139
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1562	216
विमानन	AVIATION	107	302
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	77383	71
स्वास्थ्य	HEALTH	1281291	42
देयता	LIABILITY	1155	227
फसल	CROP	164070	58
अन्य विविध	OTHER MISC	36726	67
कुल योग	Grand Total	1929891	

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2021	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	6326	249
मरीन कार्गो	Marine cargo	6335	154
मरीन हल	Marine Hull	153	539
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	43661	75
मोटर टीपी	MOTOR TP	53661	914
इंजीनियरिंग	ENGG	5157	171
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1143	322
विमानन	AVIATION	108	200
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	45074	76
स्वास्थ्य	HEALTH	227884	55
देयता	LIABILITY	353	353
फसल	CROP	1191908	40
अन्य विविध	OTHER MISC	30403	108
कुल योग	Grand Total	1612166	

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended 31.03.2020	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या No of Claims settled	औसत निपटान समय (दिन) Average Settlement Time (Days)
अग्नि	Fire	6719	232
मरीन कार्गो	Marine cargo	7055	172
मरीन हल	Marine Hull	193	414
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	416629	63
मोटर टीपी	MOTOR TP	71067	806
इंजीनियरिंग	ENGG	5520	161
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1694	457
विमानन	AVIATION	138	645
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	36392	121
स्वास्थ्य	HEALTH	1031766	215
देयता	LIABILITY	900	1368
फसल	CROP	1876022	11
अन्य विविध	OTHER MISC	43226	180
कुल योग	Grand Total	3497321	

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	Period	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए / **For the year ended 31.03.2019**	
उत्पाद	Product	निपटाए गए दावों की संख्या **No of Claims settled**	औसत निपटान समय (दिन) **Average Settlement Time (Days)**
अग्नि	Fire	7394	297
मरीन	Marine	11164	683
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	500378	99
मोटर टीपी	MOTOR TP	86254	1156
इंजीनियरिंग	ENGG	7347	186
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	1804	477
विमानन	AVIATION	146	454
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	29449	121
स्वास्थ्य	HEALTH	1046431	241
देयता	LIABILITY	1070	1579
फसल	CROP	360192	10
अन्य विविध	OTHER MISC	50171	425
कुल योग	**Grand Total**	**2101800**	

vkSlr nkok fuiVku le;
Average Claim settlement time

अवधि	**Period**	**For the year ended 31.03.2018**	
उत्पाद	**Product**	**No of Claims settled**	**Average Settlement Time (Days)**
अग्नि	Fire	6466	331
मरीन	Marine	13329	188
मोटर ओ.डी.	MOTOR OD	451143	121
मोटर टीपी	MOTOR TP	79766	1068
इंजीनियरिंग	ENGG	7456	274
कामगार क्षतिपूर्ति	WORKMEN'S COMPENSATION	2014	371
विमानन	AVIATION	182	471
व्यक्तिगत दुर्घटना	PERSONAL ACCIDENT	35207	102
स्वास्थ्य	HEALTH	953708	185
देयता	LIABILITY	907	1839
फसल	CROP	430	14
अन्य विविध	OTHER MISC	56289	440
कुल योग	Grand Total	1606897	

31-03-2024 dk lekIr o"k d fy, jlhn vkj Hkqxrku [kkrk ¼;kuh udnh çokg fooj.k½ ¼lefdr½

Receipts and Payments Account (i.e. Cash Flow Statement) for the Year Ended 31.03.2024 (Consolidated)

	31.03.2024	31.03.2023
ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह A. Cash Flow from Operating Activities	(Rs.'000)	(Rs.'000)
1. पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम रसीदें भी शामिल हैं Premium received from Policyholders, including advance receipts	190992678	170257552
2. अन्य प्राप्तियाँ (निवल) / Other receipts (net)	1863325	1973325
3. पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन और दावों का निवल / Payment to reinsurers, net of commissions and claims	-14486543	-10997880
4. बीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली का निवल / Payment to coinsurers, net of claims recovery	-2339345	3252299
5.दावों का भुगतान / Payment of claims	-162415717	-143691644
6. कमीशन और दलाली का भुगतान / Payment of commission and brokerage	-12184338	-11500744
7.अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान / Payments of other operating expenses	-32379801	-54645205
8. प्रारंभिक और पूर्व–संचालन व्यय / Preliminary and pre-operative expenses	0	0
9. जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण / Deposits, advances and staff loans	1915149	-283325
10. आयकर (भुगतान) / वापसी (निवल) / Income taxes (paid)/refund (net)	0	0
11. एकत्रित जीएसटी / (भुगतान) (निवल) / GST collected/(paid) (net)	4680708	5120525
12. अन्य भुगतान (निवल) / Other payments (net)	0	0
13. असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह / Cash flow before extraordinary items	-24353884	-40515097
14. असाधारण परिचालन से नकदी प्रवाह / Cash flow from extraordinary operations	0	0
15. परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह / Net cash flow from operating activities	-24353884	-40515097
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / B. Cash Flow from Investing Activities		
1. अचल संपत्तियों की खरीद (निवल) / Purchase of fixed assets (net)	-904290	-582847
2. अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय / Proceeds from sale of fixed assets	33,066.00	42307
3. निवेशों की खरीद / Purchase of investments	-6870777	-16636028
4. वितरित ऋण / Loans disbursed	0	0
5. निवेशों की बिक्री / Sale of Investments	24985177	13934147
6. पुनः भुगतान प्राप्त हुए / Repayments received	11118876	10233027
7. प्राप्त हुआ किराया / ब्याज / लाभांश / Rents/Interests/Dividends received	17310903	17267018
8. मुद्रा बाजार उपकरणों और चल म्यूचुअल फंड में निवेश (निवल) Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net)	-1959645	10018478
9. निवेशों से संबंधित खर्च / Expenses relating to investments	-27841	-24853
10. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह / Net cash flow from the investing activities	43685469	34251249
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. Cash Flow from Financing Activities		
1. शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय / शेयर आवेदन से प्राप्त राशि Proceeds from issuance of share capital/share application money received	0	0
2. उधार से प्राप्त आय / Proceeds from borrowing	0	0
3. उधार का पुनर्भुगतान / Repayments of borrowing	-7500000	0
4. भुगतान किया गया ब्याज / लाभांश (वितरण कर सहित) / Interest/dividends(including distribution tax) paid	-636853	-664587
5. वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह / Net cash flow from the financing activities	-8136853	-664587

डी. नकदी और नकदी समकक्षों पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव (निवल) D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net)	108827	283133
ई. नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि(+)/कमी(–)। E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents	11303559	-6645302
1. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष/Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	16954325	23599627
2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष/Cash and Cash equivalents at the end of the year	28257884	16954325

नोट 1–जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।
Note 1 - Previous year's figures have been regrouped and reclassified whereve required

नोट 2–(+) आंकड़ा अंतर्वाह को दर्शाता है और (–) बहिर्प्रवाह को दर्शाता है
Note 2 - (+) figure represents inflow and (-) represents outflow

राज हर गोपाल एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 002074N

For Raj Har Gopal & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 002074N

जी.एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फआरएन 008744एन

For G.S.Mathur & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 008744N

आर.आर. सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08975825

R.R.Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN 08975825

गोपाल कृष्ण, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं. 081085

CA Gopal Krishan
Partner
M.No. 081085

राजीव कुमार वाधवा, चार्टर्ड अकाउंटेंट
पार्टनर
एम.नं.. 091007

CA Rajiv Kumar Wadhawan
Partner
M.No. 091007

पी. रघुनाथन नायर
निदेशक
डीआईएन 09462743

P.Reghunathan Nair
Director
DIN 09462743

सुधीर श्याम
निदेशक
डीआईएन 08135013

Sudhir Shyam
Director
DIN 08135013

रश्मि बाजपेयी
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
एम.सं. एफसीएस 8799

Rashmi Bajpai
General Manager & Company Secretary
M.No. FCS 8799

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2024

Place: New Delhi
Dated : 27.05.2024

गिरीश आहुजा
डीजीएम एवं सीएफओ

Girish Ahuja
DGM & CFO